



अर्थशास्त्र

मुरलीधर जोशी

अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय

श्रीर

सेवाराम गर्मा

अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ

दि अपर इंडिया पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड

१९५१

प्रथम संस्करण १९५१

सर्वाधिकार स्व रक्षित

कम्पोजिंग • दि अपर इंडिया पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड
मुद्रण • जनता प्रेस, लखनऊ

प्रस्तावना

गत पच्चीस-तीस वर्षोंमें पाश्चान्त्र देशोंमें अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंके विवेचन और विश्लेषणमें बड़े वेगसे प्रगति हुई है। कोईभी आधुनिक अर्थशास्त्री इन प्रवृत्तियोंमें प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। प्रस्तुत पुस्तकमें अर्थशास्त्रके सम्पूर्ण क्षेत्रके सिद्धान्तोंकी विवेचना की गई है। प्रत्येक विषयपर आधुनिक मतका प्रतिपादन करते हुए तत्सम्बन्धी अन्य मतोंकी विवेचना भी कर दी गई है। आशा है कि पाठको— विशेषकर विश्वविद्यालयोंके विद्यार्थियों—के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

साधारणतः अर्थशास्त्रके दो विभाग किये जाते हैं। एक विभाग सिद्धान्तोंका निरूपण करता है और दूसरा आर्थिक समस्याओंका अध्ययन करता है। दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तकमें अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंपर ही प्रकाश डालनेका प्रयास किया गया है। अतएव इसमें पाठकोको आर्थिक समस्याओं और उनके समाधानों का विशेष वर्णन नहीं मिलेगा।

अर्थशास्त्रकी आधुनिक पुस्तकोंमें एक विशेष दृष्टिकोणके आधारपर सम्पूर्ण विषयोंकी विवेचना करनेकी प्रथा चलपडी है। किसीमें आर्थिक क्षेत्रको, किसीमें राष्ट्रीय आयको, किसीमें मूल्यको और किसीमें सीमान्त विश्लेषणको प्रधानता दी गई है। इस रीतिसे विषयका प्रतिपादन करनेमें कुछ विशेषताएँ अवश्य हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकोने अपनेको किसी एक दृष्टिकोणसे बद्ध नहीं किया है। उन्होंने केवल एकही दृष्टिकोण अपने सामने रखा है और वह यह कि पाठक इस विषयके विविध प्रकरणोंको मुगमताके साथ समझ सकें। यही कारण है कि आधुनिक प्रवृत्तियोंका समावेश करतेहुए भी अध्यायोंके क्रममें कुछ अशतक पुरानाही ढग रखा गया है।

इस पुस्तकको लिखनेमें सबसे बड़ी कठिनाई लेखकोको विषय सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दोंको प्राप्त करनेमें हुई। प्रचलित पुस्तकों, अर्थशास्त्र शब्दावलियों और कोषोंमें जो शब्द प्राप्त हुए उनमें अनेक अनुपयुक्त जानपड़े। अतएव लेखकोने बहुतसे शब्दोंकी सृष्टि स्वयंकी है। कही कहीपर एकही अर्थमें दो शब्दोंका भी

प्रयोग होगया है जैसे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा, मजूरी और पारिश्रमिक इत्यादि। अभी अर्थशास्त्र शब्दावली बननेको है। अतएव लेखकोंने अपनेको किसी शब्द-विशेष से बद्ध नहीं करलिया है। पाठकोंकी सुविधाके लिए पुस्तकमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दोंकी एक शब्दावली पुरतकके अन्तमें दे दीगई है।

अर्थशास्त्रके सम्पूर्ण क्षेत्रकी विवेचना करनेमें एक समस्या यह उत्पन्न होजाती है कि भिन्न भिन्न विषयोंका किम अनुपातमें समन्वय कियाजावे। अर्थशास्त्रके अन्तर्गत अनेक विषय और प्रकरणहैं और प्रत्येकसे सम्बन्धित अनेक मत हैं। अतएव किस विषयको कितना स्थान देना चाहिए, इसका निर्णय करना कठिन है। हो सकताहै कि प्रस्तुत पुस्तकमें किसी प्रकरण विशेषकी उम मात्रामें विवेचना न होवाई हो जिस मात्रामें अन्य पुस्तकमें प्राप्तहो अथवा पाठक आगा करते हो। कालान्तरमें भिन्न भिन्न विषयोंके महत्त्वमें परिवर्तन होना रहताहै और भिन्न भिन्न प्रकरणोंके सन्तुलनमें लेखककी मनोवृत्तिका भी प्रभाव पड़ता है। पाठकोसे हमारा सविनय अनुरोधहै कि वे हमको पुस्तककी त्रुटियों और अशुद्धियोंकी सूचना देनेका कष्ट करें जिससे हम दूसरे संस्करणमें पुस्तकको अधिक उपयोगी बना सकें।

हमारे ज्ञानका आधार प्रधानतया पाश्चात्य देशोंके अर्थशास्त्रियोंकी पुस्तकें और लेखहैं। हम इनके बहुत आभारी हैं। हमको मार्शल, टीसिग, पीगू, विक्सीड, विकसेल, वीजर, नाइट, रौविन्स, माइजेज, हायक, ओहलिन, केन्स और हैवरलरकी पुस्तकों से विशेष सहायता मिली है। विश्वविद्यालयमें अध्यापनका कार्य करनेके कारण हमको स्वयंभी सोचने-समझने और तर्क करनेका अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अपने सहयोगी अध्यापकों और अर्थशास्त्रके छात्रोंके भी आभारी हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय

मुरलीधर जोशी
सेवाराम शर्मा

विषय-सूची

१ अर्थशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र	...	पृष्ठ	१
अर्थशास्त्र का विषय	२
अर्थशास्त्र का क्षेत्र	६
आर्थिक विस्फेपण की रीतिया	१०
आर्थिक क्षेम	१३
अर्थशास्त्र और विज्ञान	१४
अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रो से सम्बन्ध	१५
अर्थशास्त्र के नियम	१६
२ आवश्यकताए	१८
उपभोग का महत्व	१८
आवश्यकताए और उनकी विशेषताए	१८
उपयोगिता	२२
क्रमगत-उपयोगिता-ह्रास नियम	२३
कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता	२५
सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम	२८
३ माग	३३
माग का तात्पर्य	३३
माग का नियम	३५
माग में परिवर्तन	३७
माग की लोच	३९
माग की लोच में भिन्नता	४२
माग की लोच का महत्व	४५
उपभोक्ता की वचत	४५
४ तटस्थ रेखाए	४९
उपयोगिता का दोष	४९
तटस्थ रेखा का आकार	५१
स्थानापन्नता की दर	५२

सीमान्त उपयोगिताओं का अनुपात	५३
तटस्थ रेखा की स्पर्शरेखा और उसका ढलान	५३
आय रेखा	५५
आय-उपभोग रेखा	५६
मूल्य-उपभोग रेखा	५६
स्थानापन्नता की लोच	५७
५ वाजार	५६
वाजारो के प्रकार	५६
शुद्ध वाजार के लक्षण	६०
वाजार का विस्तार	६१
श्रम वाजार	६३
वाजारो की व्यवस्था	६३
सट्टा	६४
६ प्रतिस्पर्धा	६७
प्रतिस्पर्धा का अर्थ	६७
पूर्ण प्रतिस्पर्धा के फल	६६
पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार	७०
उत्पत्ति विभेदीकरण	७१
मूल्य-भेद	७२
एकाधिकार के आधार	७४
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार की सीमा	७५
उत्पादक साधनों की गतिशीलता	७६
भूमि की गतिशीलता	७७
श्रम की गतिशीलता	७७
पूजी की गतिशीलता	७८
पूर्ण उद्यम और गतिशीलता	७९
७ मूल्य निर्धारण की विधि	८०
मूल्य के प्रकार	८०
मूल्य का महत्व	८०
माग, पूर्ति और मूल्य	८१
काल-भेद और मूल्य	८२

क्षणिक काल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, और मूल्य	८३
अल्पकाल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य	८३
अल्पकाल, एकाधिकार और मूल्य	८७
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य	८८
वाजार-मूल्य और सामान्य-मूल्य	८९
औसत उत्पादन-व्यय और औसत आय	९१
सम्मिलित उत्पत्ति और मूल्य	९६
सम्मिलित माग	९६
एक वस्तु के भिन्न भिन्न मूल्य	९७

८ प्रतिस्थापना

प्रतिस्थापना का महत्व	९८
प्रतिस्थापना और तटस्थ-स्थिति	९८
दो प्रकार की स्थानापन्न वस्तुएँ	९९
प्रतिस्थापना और मूल्य	९९
सीमान्त स्थानापन्नता	१००
प्रतिस्थापना और उपभोग	१०१
प्रतिस्थापना और उत्पादन	१०१
प्रतिस्थापना और वितरण	१०२
प्रतिस्थापना की विरोधी शक्तियाँ	१०३

९ आर्थिक सन्तुलन

मूल्यों का पारस्परिक सम्बन्ध	१०४
मूल्यों का सन्तुलन	१०५
संस्था का सन्तुलन	१०७
उद्योग और उसका सन्तुलन	१११
उत्पादन और उसका सन्तुलन	१११

१० मूल्य और उसके सिद्धान्त

मूल्य का अर्थ	११४
मूल्य का श्रम सिद्धान्त	११५
उत्पादन-व्यय सिद्धान्त	११७
श्रम और उत्पादन-व्यय सिद्धान्तों की त्रुटियाँ	११८
सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त	११९

११	उत्पादन के साधन—भूमि	१२२
	उत्पादन का अर्थ	१२२
	उत्पादन के साधन	१२३
	भूमि	१२५
	उत्पत्ति का क्रमागत-ह्रास सिद्धान्त	१२६
	परिवर्तनीय अनुपात का सिद्धान्त	१२८
	सर्वोत्तम विनियोग का सिद्धान्त	१३१
	साधनों की अविभाज्यता	१३२
१२	आर्थिक साधन—श्रम	१३४
	श्रम की परिभाषा	१३४
	जन-संख्या	१३५
	जन-संख्या में परिवर्तनों का महत्त्व	१३८
	वृद्धिशील जन-संख्या	१३८
	ह्रासशील जन-संख्या	१३९
	कुशलता	१४०
	श्रमविभाजन के लाभ	१४२
१३	उत्पादन के साधन—पूँजी	१४४
	उत्पादन काल और उसकी दीर्घता	१४५
	उत्पादन अवधि और उत्पादनशीलता	१४७
	पूँजी की वैकल्पिक-परिभाषा	१४८
	विभिन्न प्रकार की पूँजी	१४८
	पूँजी और बचत	१५०
	पूँजी का संरक्षण	१५०
१४	व्यवस्था	१५२
	व्यवस्था की आवश्यकता	१५२
	'बड़े परिमाण में उत्पत्ति	१५३
	व्यवस्था के रूप	१५५
	उत्पादन-व्यय	१५८
१५	उद्योग-धन्धों का अभिनवीकरण	१६२
	अभिनवीकरण का अभिप्राय	१६२

अभिनवीकरण के मुख्य अंग १६२
अभिनवीकरण के लाभ तथा हानिया १६४
वैज्ञानिक प्रबन्ध का अर्थ तथा उद्देश्य १६६
वैज्ञानिक प्रबन्ध के दोष १६८
१६ आर्थिक पद्धतियां १७०
पूजीवाद का अर्थ १७०
पूजीवाद के लक्षण १७१
पूजीवाद का विकास १७३
मावर्मवाद १७४
माक्सवाद की शाखाए १७५
समाजवाद १७५
साम्यवाद १७६
आर्थिक उन्नति और पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम १७७
न्याययुक्त वितरण १७८
१७ राष्ट्रीय आय १८०
राष्ट्रीय आय का अर्थ १८०
राष्ट्रीय आय की माप-विधि १८१
वैकल्पिक माप-विधिया १८२
राष्ट्रीय आय और भौतिक कल्याण १८३
राष्ट्रीय आय मापने के लाभ १८५
१८ भूमि-कर १८८
रिकार्डों का भूमि-कर सिद्धान्त १८८
रिकार्डों के सिद्धान्त की आलोचना १९१
भूमि-कर का आधुनिक सिद्धान्त १९३
कृषि-सम्बन्धी समुन्नति और भूमि-कर १९५
१९ मजूरी (पारिश्रमिक) और उसके सिद्धान्त १९६
मजूरी की परिभाषा १९६
मजूरी का लोह सिद्धान्त १९७
मजूरी-कोष सिद्धान्त १९८
सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्त १९८

मजूरी का आधुनिक सिद्धान्त	२०१
जीवन-स्तर और मजूरी	२०२
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मजूरी	२०३
नये आविष्कार और मजूरी	२०६
मजूरी-भुगतान	२०६
२० व्याजे और उसके सिद्धान्त	२०८
शुद्ध तथा मिश्रित व्याज	२०८
व्याज की दर	२०९
पूजी की उत्पादनशीलता और व्याज	२११
उपभोग-व्याक्षेप, वट्टा और व्याज	२१२
व्याज और द्रव्य-वरीयता	२१४
व्याज और पूजी की उत्पादनशीलता	२१५
२१ लाभ	२१७
शुद्ध और मिश्रित लाभ	२१७
लाभ का भूमि-कर सिद्धान्त	२१७
जोखिम और लाभ	२२०
व्याज का प्रगतिशील सिद्धान्त	२२१
२२ द्रव्य	२२३
द्रव्य की आवश्यकता	२२३
वस्तु विनिमय की प्रथा	२२४
विनिमय का माध्यम	२२५
मूल्य का माप-दंड	२२६
कालयापन माप-दंड	२२८
द्रव्य और वचत	२२९
द्रव्य के प्रकार	२२९
धातु-द्रव्य	२३०
मुद्रा	२३१
नोट	२३४
विनिमयसाध्य नोट	२३६
अविनिमयसाध्य नोट	२३७
साख-द्रव्य	२३९

साख-द्रव्य का सृजन २४०
२३ द्रव्य पद्धतियां २४४
द्रव्य पद्धतियों के प्रकार २४४
द्विधातु-पद्धति २४५
गेशम-नियम २४६
स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति २४६
स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति २४७
अमुद्रित-स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति २४७
स्वर्ण-विनिमय-द्रव्य-पद्धति २४८
स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति के गुण और दोष २४९
स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति के व्यावहारिक नियम २५२
स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति का अन्त २५४
अविनिमयसाध्य प्रबन्धित द्रव्य-पद्धति २५५
२४ द्रव्य का विनिमय-मूल्य • २६१
मूल्य और विनिमय-मूल्य २६१
द्रव्य का विनिमय-मूल्य २६२
सूचक-अक २६३
द्रव्य के विनिमय-मूल्य का पारिमाणिक सिद्धान्त २६६
द्रव्य का सचयन सिद्धान्त २७०
द्रव्य के विनिमय-मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव २७२
✓ २५ बैंक • २७५
साख और साख-पत्र २७५
बैंको का विकास और उनके कार्य २७७
बैंको की लेनी-देनी २७९
केन्द्रीय बैंक २८२
२६ विदेशी विनिमय • २९०
विदेशी विनिमय की आवश्यकता २९०
अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनी का सामजस्य २९१
व्यापारिक विषमता सिद्धान्त २९४
स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति और विदेशी विनिमय २९५

नियन्त्रित विदेशी विनिमय	२६७
अविनिमयसाध्य द्रव्य-पद्धति और विदेशी विनिमय	३००
विदेशी विनिमय-नियन्त्रण-कोष	३०२
२७ अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष और विश्व वैक	३०५
द्रव्य-कोष	३०५
कोष और विदेशी विनिमय की दर	३०७
विश्ववैक	३१०
२८ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	३१३
पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता	३१३
उद्योग-धन्धो के स्थानीकरण से सम्बन्ध	३१३
तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त	३१५
माग की लोच और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	३१८
२९ उन्मुक्त और सरक्षित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	३२०
उन्मुक्त के लाभ	३२०
सरक्षण	३२१
संरक्षण के लाभ और हानिया	३२१
सरक्षण और डम्पिंग	३२५
निर्यात और आर्थिक सहायता	३२६
व्यापारिक समनुबन्ध	३२७
३० आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्ष	३२८
आर्थिक प्रगति	३२८
आर्थिक चक्र	३२९
वेकारी	३३२
आर्थिक चक्र के सिद्धान्त	३३४
कृषि-सिद्धान्त	३३४
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त	३३५
द्रव्य सम्बन्धी सिद्धान्त	३३७
हायेक का सिद्धान्त	३३९
उपभोग-हानि सिद्धान्त	३४१
वचत और पूजी-लगाव सिद्धान्त	३४३

गुणक सिद्धान्त	३४४
गति-वृद्धि सिद्धान्त	३४५
उत्कर्ष और अपकर्ष का प्रतिकार	३४७
३१ राजस्व का स्वरूप और क्षेत्र	३५१
राज्य और शासन की आवश्यकता	३५१
आर्थिक कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता	३५२
राजस्व के मुख्य विभाग	३५३
अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त	३५५
व्यक्ति और राज्य के आय-व्यय सम्बन्धी कार्यों में समानता और भेद	३५६
३२ राज्य का व्यय	३५६
राज्य के व्यय का महत्व	३५६
राज्य के व्यय का वर्गीकरण	३५६
राज्य के व्ययसम्बन्धी नियम	३६२
केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय व्यय	३६३
राज्य के व्यय का आर्थिक प्रभाव	३६४
राज्य के व्यय पर उत्पादन का प्रभाव	३६५
राज्य के व्यय का वितरण पर प्रभाव	३६७
३३ राज्य की आय	३६८
राज्य की आय की मर्द	३६८
राज्य के उद्योग-धन्धे	३६९
प्रशासनकारी आय	३७०
राज्य की आय का वर्गीकरण	३७२
राज्य की अच्छी आय-पद्धति की विशेषताएं	३७२
३४ कर-प्रणाली	३७५
कर की उत्पत्ति और विकास	३७५
कर के सिद्धान्त	३७६
शक्ति अथवा क्षमता सिद्धान्त	३७७
वर्धमान और आनुपातिक कर	३७९
प्रत्यक्ष और परोक्ष-कर	३८१

एककर-प्रणाली और बहुकर-प्रणाली	३८२
कर सम्बन्धी नियम	३८४
३५ कर भार का हस्तान्तरण और आर्थिक प्रभाव	३८६
कर-भार	३८६
प्रसरण-सिद्धान्त	३८६
कर को हस्तान्तरित करने की क्रिया	३८७
माग और पूर्ति का प्रभाव	३८८
एकाधिकारी पर कर	३८९
मकानों पर कर	३९५
खेती की भूमि पर कर	३९६
आय-कर	३९६
करों का आर्थिक प्रभाव	३९८
करों का उत्पत्ति पर प्रभाव	३९८
करों का वितरण और नियोग पर प्रभाव	४०१
३६ राज्य-ऋण	४०३
राज्य-ऋण का प्रयोजन और महत्व	४०३
युद्ध-कालीन ऋण	४०५
ऋण अथवा कर	४०७
ऋण-परिशोधन	४०७
ऋण-परिशोधन-कोष	४०८
विशेष पूजा-कर	४०८
ऋण-परिवर्तन	४०९
परिशिष्ट			
शब्दावली	४११
अनुक्रमणिका	४२७

अर्थशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र

इस संसारमें मनुष्य जिस वातावरणमें जन्म लेता है वह वास्तवमें अनेक प्रकारकी परिस्थितियोंका सम्मिश्रण मात्र है। इनमेंसे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके उत्पन्न करनेमें उसका कुछ हाथ नहीं है और कुछ ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे उसीके आचरण और व्यवहारके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। इन सभी प्रकारकी परिस्थितियोंका उसपर तथा उसके कार्योंपर प्रभाव अवश्य पड़ता है। अतएव वह इन परिस्थितियों और तत्सम्बन्धी तथ्योंको समझनेकी चेष्टा करता है। सम्भव है कि प्रारम्भमें वह केवल स्वाभाविक उत्सुकतावशही ऐसा करता रहा हो परन्तु निश्चयही आगे चलकर इस प्रकार प्राप्त ज्ञानका प्रयोग उसने या तो परिस्थितियोंको अपने अनुकूल अथवा अपने को परिस्थितियोंके अनुकूल बनानेमें किया। यही नहीं जहाँ परिवर्तन सम्भव नहीं हुआ, वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियोंसे सघर्ष करनेमें भी इस ज्ञानसे उसको बड़ी सहायता मिली।

उत्सुकता जाग्रत करने वाली वस्तुओंमें प्रकृतिका स्थान सर्वप्रथम है। मनुष्य अपने आस पास जीव-जन्तुओं और पेंड-पौदोंको देखता है और उनकी उत्पत्ति एवं विकास, गुण तथा प्रवृत्ति जाननेकी चेष्टा करता है। इसी प्रकार वह आकाशमें सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रोंको देखता है। पृथ्वी पर प्रकाश, धूप, वृष्टि, नदी, समुद्र पहाड़ इत्यादि को देखता है। खानसे खनिज पदार्थ, लोहा, कोयला, सोना, चादी इत्यादि निकलते हुए देखता है। निश्चय ही उसके मनमें इनके विषयमें जाननेकी उत्कठा होती है। केवल देख-सुनकर प्राप्त साधारण बोधसे ही उसको सन्तोष नहीं होता। वह गहराईमें जाना चाहता है और कार्य-कारणके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वह इन विषयोंकी छान-बीन करके उनके अन्तर्गत नियमों और सिद्धान्तोंकी स्थापना करता है तथा उनके आधार पर भावी परिस्थितियोंके विषयमें कुछ अंश तक भविष्यवाणी करनेका भी दावा करता है। इस प्रकारके ज्ञानको विज्ञान कहते हैं। भिन्न भिन्न विषयोंके सम्बन्धमें एकत्रित

ज्ञान-विज्ञान विभिन्न शास्त्रोंके अन्तर्गत आते हैं। उदाहरणके लिए प्राणियोंके विषयमें जो विज्ञान है, उसका समावेश प्राणि शास्त्रमें, पेड़-पौदोंका वनस्पति शास्त्र में और ग्रह-नक्षत्रों आदिका खगोल शास्त्र में है। इसी प्रकार रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र इत्यादि भी अपने अपने विषयोंके विज्ञानको प्रतिपादित करते हैं। इनमें भी कुछ विषयों पर अधिक ज्ञान प्राप्त हो चुका है क्योंकि उनके प्राप्त करनेके अधिक साधन उपलब्ध हैं; अन्य बहुतसे विषयों पर अभी ज्ञान बहुत ही परिमित है।

अर्थशास्त्र का विषय

मनुष्य न केवल बाह्य परिस्थितिको ही समझनेका प्रयत्न करता है, वरन् वह अपने और अपने कार्योंके विषयमें भी जानना चाहता है। उदाहरणके लिए, वह अपने शरीरके तथा अपनी मनोवृत्तिके विषयमें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इन विषयोंकी विवेचना तथा व्याख्याके फलस्वरूप शरीरविज्ञान शास्त्र और मनोविज्ञान शास्त्रकी उत्पत्ति हुई है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाजमें रहना पसन्द करता है। अतएव उसके अन्य मनुष्योंसे अनेक प्रकारके सम्बन्ध हो जाते हैं। इन सम्बन्धोंके अध्ययनके फलस्वरूप अनेक शास्त्रोंकी सृष्टि हुई है। जैसे समाजके सगठित रूपमें रहनेके लिए व्यवस्था एवं नियमकी आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसी प्रकारके शासक अथवा शासकसभ का होना आवश्यक है। इसके फल-स्वरूप राजा और प्रजा, शासक और शासित, राज्य और नागरिकोंके बीच अनेक प्रकारके कर्तव्य और उत्तरदायित्वके प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, जिनका विवेचन राजनीति शास्त्रमें किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यके बीच धर्म सम्बन्धी, भाषा सम्बन्धी, नीतिसम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न होजाती हैं जिनका अध्ययन तत्सम्बन्धी शास्त्रोंमें किया जाता है।

मनुष्यकी अनेक प्रकारकी आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्तिके लिए वह सतत प्रयत्न करता रहता है। इन्हीं आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए किसान खेतोंमें और श्रमजीवी कारखानोंमें काम करते हैं। कुछ मनुष्य अध्यापनका कार्य करते हैं, कुछ चिकित्साका, कुछ व्यापारका और कुछ सरकारी नौकरीका। इन्हीं आवश्यकताओं

की पूर्तिके लिए विविध प्रकारके कल कारखानो, बैंक, रेल, जहाज, डाक और तार इत्यादिका निर्माण हुआ है। इन्ही आवश्यकताओ की पूर्तिके लिए साधारणतः मनुष्य चिन्तित रहता है और कठिन परिश्रम तथा दौडधूप करता है। अतएव यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि मनुष्य इस विषयकी ओर विशेषरूप से आकृष्ट हुआ है तथा उसने इसके अध्ययनकी चेष्टा की है जिसके परिणामस्वरूप एक शास्त्रकी उत्पत्ति हुई, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं।

अर्थशास्त्रके नामही में उस विद्याका बोध होता है, जिसका सम्बन्ध 'अर्थ' अर्थात् धन, द्रव्य और सम्पत्तिसे हो। हम देखते भी हैं कि मनुष्यके समयका एक बड़ा भाग अर्थके उपार्जन और उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओकी पूर्तिमें व्यय होता है। जिन आवश्यकताओकी पूर्ति अर्थ द्वारा होसकती है उनको आर्थिक आवश्यकताए कह सकते हैं। आजकलके आर्थिक समाजमें प्रायः सभी आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमें अर्थकी आवश्यकता पडती है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि मनुष्यकी कुछ आवश्यकताए आर्थिक होती हैं और कुछ अनार्थिक और तत्सम्बन्धी आर्थिक तथा अनार्थिक कार्य भी होते हैं। वास्तव में प्रत्येक आवश्यकता तथा कार्यका कम या अधिक मात्रा में आर्थिक पक्ष अवश्य रहता है। अतएव इन कार्यों और आवश्यकताओसे अर्थशास्त्रका सम्बन्ध हो जाता है तभी अर्थशास्त्री को उनका अध्ययन करना पडता है।

मनुष्यकी आवश्यकताए जहा अपरिमित होती हैं, वही उनकी पूर्तिके साधन परिमितभी होते हैं। अतएव मनुष्य अपनेको इस प्रकारकी परिस्थिति में पाता है जिसमें उसे यह निर्णय करना पडता है कि किन आवश्यकताओकी पूर्ति की जावे और किस अंश में। हम देखते हैं कि प्रत्येक कुटुम्ब की आय सीमित होती है परन्तु उसके सामने अनेक प्रकारकी आवश्यकताए रहती हैं, जिन सभी की तृप्ति इस सीमित आय से नहीं हो सकती क्योंकि आय का जो भाग एक आवश्यकता की पूर्ति पर व्यय किया जाता है, वह दूसरी आवश्यकताकी पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहता। अर्थात् एक आवश्यकताकी पूर्ति का अर्थ हुआ किसी दूसरी इच्छा का अतृप्त रहना। मनुष्यकी आवश्यकताओकी पूर्ति उपभोगकी वस्तुओसे होती है। समाजके सभी लोगो की सभी आवश्यकताओके लिए उपभोगकी वस्तुएं पर्याप्त नहीं होती हैं। इसका प्रधान कारण यही है कि इन वस्तुओको उत्पन्न

करनेके साधन, प्राकृतिक सामग्री, पूजा और मनुष्यों की शारीरिक एव मानसिक शक्ति सीमित है। अतएव यह एक महत्वपूर्ण समस्या है कि इन सीमित साधनोंका असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ किस प्रकार सामजस्य किया जाय। इस समस्याको हम आर्थिक समस्या भी कह सकते हैं। यह समस्या प्रत्येक व्यक्ति, कुटुम्ब और समाज के सामने है। यही समस्या अतीतकाल में भी रही है और भविष्य में भी रहेगी। यह ठीक है कि अतीतकाल की अपेक्षा वर्तमान समय में उत्पत्तिके साधनों और वस्तुओंके उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गयी है परन्तु साथ ही साथ आवश्यकताओंकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। अतएव समस्या ज्यों की त्यों बनी है। यह समस्या प्रत्येक प्रकारकी आर्थिक पद्धति में पायी जाती है। देश में पूजावादी व्यवस्था हो अथवा समाजवादी, प्रत्येक व्यवस्थाको इस परिस्थितिका सामना करना पडता है और प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न रीतियोंसे इस समस्याको सुलभाना चाहता है। पृथ्वीके अधिकांश भागमें आजकल पूजावादी आर्थिक व्यवस्था है अतएव इस पुस्तकमें प्रधानतया इसी बातकी विवेचना की जायेगी कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाता है। इस व्यवस्थाके अतिरिक्त जो अन्य प्रकारकी व्यवस्थाएँ प्रचलित हैं उनमें किस प्रकारसे इसका समाधान किया गया है, इसका भी संक्षेपमें विवेचन किया जायेगा।

मनुष्य अपनेको इस परिस्थिति में पाता है कि उसकी आवश्यकताएँ तो अपरिमित हैं किन्तु उसके पास उनकी पूर्तिके साधन परिमित हैं। इन साधनोंमें एक विशेष गुण यह है कि इनमेंसे बहुतसे इस प्रकारके हैं जिनसे अनेक प्रकारकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका कार्य लिया जा सकता है। उदाहरणके लिए भूमि एक उत्पत्तिके साधन है। भूमि पर कई प्रकारका अनाज पैदा किया जा सकता है; मकान बनाया जा सकता है; तालाब अथवा कुआँ खुदवाया जा सकता है; और भी अनेक प्रकारसे भूमिका उपयोग हो सकता है। परन्तु यदि भूमि का एक टुकड़ा किसी समय एक कार्यमें लगा दिया गया तो उसी समय उससे दूसरा कार्य नहीं लिया जा सकता। यही अवस्था श्रम और पूजाकी भी है। ऐसी दशा में परिमित एव विविध कार्योंके योग्य साधनों का अपरिमित आवश्यकताओंसे सामजस्य करने में जिस प्रकारका आचरण होता है, वह मनुष्यके लिए बड़े महत्वका है, क्योंकि उसीके आधार पर इस बात का निर्णय होता है कि उसकी किन आवश्यकताओंकी पूर्ति

होसकेगी और किस अंश तक। कई आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतमें अर्थशास्त्र के विषयका मूल तत्त्व यही है। 'हम ससार में जितने आर्थिक कार्य, आर्थिक सस्थाएँ और आर्थिक सम्बन्ध पाते हैं वह सब इसी मूल तत्त्व पर केन्द्रित है। एक प्रकारसे अर्थशास्त्रके विषयको इस दृष्टिकोणसे देखना ठीक भी है। किसी समस्याको समझने, सुलझाने और समाधान करनेका कार्य ही किसी भी शास्त्रका मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य और समाजके सामने एक बड़ी विकट समस्या यह है कि वह अनेक प्रकारकी आवश्यकताओंसे घिरा हुआ है और इनमें बराबर वृद्धि हो रही है। इनकी तृप्तिके लिए वह अपने पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में वह क्या करता है और वैसा क्यों करता है, इसका विश्लेषण करना और इनको कार्य-कारणसे सम्बन्धित कर उनके साधारण व्यापार पर प्रकाश डालना एक महत्वपूर्ण विज्ञानसम्बन्धी कार्य है। अर्थशास्त्रके मूल में यही तत्त्व है।

इसी परिस्थितिको हम दूसरे प्रकारसे भी देख सकते हैं। मनुष्यको जीवित रहनेके लिए वायुकी आवश्यकता है। परन्तु सीभाग्यसे प्रकृतिने वायुको इतनी प्रचुर मात्रामें प्रदान किया है कि उसके सम्बन्धमें कभी भी इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं हुई कि 'कब' 'कहा' और 'कितनी मात्रामें' इसका प्रयोग करें। सभी वायु सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्ति करने पर भी यह बहुत परिमाणमें बची रहती है। इसलिए वायुके सम्बन्धमें कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। यही कारण है कि वायुके लिए हमको किसी प्रकारका मूल्य नहीं देना पड़ता। जिस वस्तुको बिना प्रयास और बिना मूल्यके किसी भी मात्रामें प्राप्त किया जासके, उसको हम बिना मूल्यकी वस्तु कहेंगे। इस प्रकारकी वस्तुएँ हमारे बड़े कामकी हो सकती हैं परन्तु आर्थिक दृष्टिसे इनका कोई महत्व नहीं है। अतएव इन वस्तुओंको हम आर्थिक वस्तुओंके वर्गमें नहीं रखते। मनुष्यके दुर्भाग्यसे ऐसी वस्तुओंकी संख्या बहुतही कम है। अधिकांश वस्तुओंकी मात्रा सीमित होती है और उनको प्राप्त करनेके लिए हमको स्वयं परिश्रम करना पड़ता है अथवा मूल्य देकर दूसरेसे लेना पड़ता है। प्रकृतिने सभी वस्तुओंको प्रचुरताके साथ नहीं दिया। भूमि का क्षेत्र सीमित है और कृषिके योग्य भूमि का तो बहुतही सीमित। इसी प्रकार खनिज पदार्थोंका परिमाण भी सीमित है। आवश्यकतासे कम मात्रामें होनेके कारण

इनको प्राप्त करनेके लिए श्रम अथवा द्रव्यके रूपमें मूल्य चुकाना पड़ता है। मनुष्य की बनाई हुई वस्तुएँ भी सीमितही होती हैं क्योंकि उनको बनानेके साधन भी सीमित हैं। अतएव उनको प्राप्त करनेके लिए भी मूल्य देना होता है। एक प्रकारसे हम कह सकते हैं कि मूल्यवाली वस्तुएँ ही आर्थिक वस्तुएँ हैं और इन वस्तुओंके उपभोगसे जिन आवश्यकताओंकी पूर्ति होती है वही आर्थिक आवश्यकताएँ समझी जाती हैं।

अर्थशास्त्र का क्षेत्र

आर्थिक साधनोंके परिमित होनेके कारण अनेक प्रकारके आर्थिक व्यापार उत्पन्न होजाते हैं। पहिला महत्वपूर्ण व्यापार उत्पत्तिके साधनोंसे भिन्न भिन्न प्रकारकी वस्तुएँ भिन्न भिन्न मात्राओंमें उत्पन्न करना है। उत्पात्तिकी इस क्रियापर राष्ट्रीय आयका परिमाण और उसका स्वरूप निर्भर करता है। आर्थिक साधनोंके समुचित प्रयोग पर आर्थिक क्रियाका स्तर निर्भर करता है। अतएव राष्ट्रीय आय कितनी है और किस प्रकार की है और इनमें किस प्रकारका परिवर्तन हो रहा है यह अर्थशास्त्रका एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। दो प्रकार की वस्तुओंका उत्पादन होता है। एक तो उपभोग्य वस्तुएँ और दूसरी उत्पादक वस्तुएँ। इन वस्तुओंकी उत्पत्तिकी क्रियामें जो साधन भाग लेते हैं, उनकी द्रव्यरूपी आय भी इसी क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इस द्रव्यरूपी आयके व्यय पर ही, उत्पन्नकी हुई वस्तुओंकी माग अवलम्बित रहती है और मागके आधार पर उत्पात्तिका स्तर निर्भर करता है। यदि मागमें किसी कारण कमी आ जाय तो आर्थिक साधनोंमें बेकारी, उत्पत्तिकी मात्रामें कमी और आर्थिक क्षेमका ह्रास होने लगता है। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्थामें इस प्रकारकी अवस्था बहुधा हो जाया करती है। इस प्रकारकी परिस्थितियाँ क्यो उत्पन्न हो जाती हैं और किस प्रकार इनका प्रतिकार किया जासकता है, यह आधुनिक आर्थिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण अंग हो गया है क्योंकि इसी पर राष्ट्रीय आयका और साधनोंके उपयोग का परिमाण निर्भर करता है।

दूसरा आर्थिक व्यापार जो कि प्रत्येक आर्थिक व्यवस्थामें पाया जाता है,

विनिमयका है। प्राचीनसे प्राचीन मनुष्यजाति में भी किसी न किसी मात्रामें अमविभाजन और विशिष्टीकरण पाया गया है। आधुनिक ससारमें तो यह विशिष्टीकरण इतना विस्तृत एव व्यापक हो गया है कि कोई भी मनुष्य अपने उपभोग की वस्तुओंका एक छोटा भाग भी स्वयं नहीं उत्पन्न करता। लाखों करोड़ों वस्तुओंके बीच वह एक भी समूची वस्तु नहीं बनाता; केवल उसका एक नगण्य भाग बनाता है। ऐसी अवस्थामें अपनी अपनी आवश्यकताओं की तृप्तिके लिए विनिमयका कार्य आवश्यक हो जाता है। प्राचीन कालमें यह कार्य वस्तु-विनिमय की प्रथा द्वारा सम्पन्न होता था। आजकल वही द्रव्यके माध्यमसे होता है। विनिमयकी सुगमताके लिए दो बातोंका होना अति आवश्यक है। एक तो विनिमयका आधार और दूसरा उसका माध्यम। विनिमयका आधार मूल्य है और माध्यम द्रव्य। आजकल द्रव्यके रूपमें ही मूल्य प्रकट किया जाता है और द्रव्यकी सहायतासे क्रय-विक्रय होता है।

द्रव्यका परिमाण सरकार, केन्द्रीय बैंक और अन्य व्यापारी बैंको द्वारा निर्धारित होता है। प्रगतिशील देशोंमें बैंको द्वारा प्रचलित क्रिये गये साखद्रव्य की ही प्रधानता है। आर्थिक पद्धतिके सगठन तथा संचालन में द्रव्यका इतना महत्व है कि इसके परिमाण, व्यय और सचयके परिवर्तनसे आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अतएव द्रव्य और द्रव्य सम्बन्धी सस्थाओंके नियन्त्रण की आवश्यकता होती है।

द्रव्यके रूपमें वस्तुओंके जो मूल्य निर्धारित होते हैं, उन्हींके आधार पर पूजी-वादी पद्धतिमें उत्पादिका स्तर और स्वरूप बनता और बदलता जाता है। आर्थिक स्वतन्त्रता की व्यवस्थामें उत्पादक उन्ही वस्तुओंका, उन्ही मात्राओंमें उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें अधिक लाभ हो। वस्तुओंके बनानेमें जो लागत लगती है वह इन वस्तुओंके उत्पादनमें लगे साधनोंके मूल्यका ही समुच्चय है। वस्तुओंके मूल्य और लागतके अन्तर पर ही लाभकी मात्रा निर्भर करती है। अतएव उत्पादकको अपना व्यवसाय और उत्पादनकी मात्राको स्थिर करनेके लिए वस्तुओं और साधनोंके मूल्यकी जानकारी होनी चाहिए। यह मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है और इसपर किन किन बातोंका प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण अर्थशास्त्र का एक प्रधान अंग है। यदि हम ध्यानसे देखें तो ज्ञात होगा कि मूल्यस्तरों पर न केवल

ताभकी मात्रा निर्भर करती है अपितु उत्पत्तिके साधनोंकी नियुक्ति, राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय भी इन्हीपर निर्भर करती है।

उत्पादित आय भिन्न भिन्न मनुष्यों अथवा वर्गोंमें किस प्रकार विभक्त होती है, यहभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आयका जो भाग उनको मिलता है, उसीपर उनका आर्थिक क्षेम निर्भर करता है। आजकल मुख्यतः आय द्रव्यके रूपमें होती है, जिसका उपार्जन उत्पत्तिके कार्यमें सहायता देनेसे होता है। यह द्रव्यमयी आय श्रमजीवियों को पारिश्रमिक और वेतनके रूपमें और पूजापतियोंको व्याज, लगान और लाभके रूपमें प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि इस आयकी मात्रा उत्पत्तिके साधनों के प्रयोग और उनके मूल्यपर अवलम्बित होती है। श्रमजीवियोंकी आयका परिमाण इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी नियुक्ति कितने समयके लिए और कितने पारिश्रमिक पर होगी। उत्पत्तिके अन्य साधनोंके मूल्यका निर्धारण भी उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार साधारण वस्तुओंके मूल्यका।

राष्ट्रीय आय किस प्रकार समाजमें भिन्न भिन्न आर्थिक वर्गोंमें और किस अनुपात में विभाजित होती है, इसका प्रभाव केवल इन वर्गोंके क्षेमपर ही नहीं परन्तु सारी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। अनुभवसे यह ज्ञात हुआ है कि कम आयवाले अपनी आयका अधिकांश भाग उपभोगकी वस्तुएँ खरीदनेमें व्यय कर देते हैं और धनी वर्ग अपनी आयका एक बड़ा भाग बचा लेते हैं। इसी वचतसे उद्योग-धन्योके लिए पूजा बनती है। यदि यह वचत पूजाके रूपमें प्रकट होती रहे और आर्थिक कार्योंमें लगती रहे तो इससे आर्थिक साधनोंको काम मिलता रहेगा और उत्पत्तिकी मात्रा और आयस्तरमें भी वृद्धि होती रहेगी। परन्तु बहुधा ऐसा होजाता है कि यह वचत पूजाके रूपमें न लगकर संचित रूपमें बेकार पडी रहजाती है क्योंकि इसको लगानेसे पूजापतियोंको लाभकी आशा नहीं होती। वचत और इसके उपयोगके व्यवधानसे आर्थिक कार्यमें स्थिरता और मन्दी आजाती है। कुछ लोगोका विश्वास है कि सामाजिक आयमेंसे यदि कम आय वाले वर्गको अधिक भाग प्राप्त हो तो उनकी व्ययशीलतासे उपभोगके पदार्थोंकी माग बढ़ेगी, जिससे पूजाकी उत्पादकतामें वृद्धिकी आशा बनी रहेगी, क्योंकि पूजावादी समाजमें आयका वितरण बहुत असमान होता है और अधिकांश वचतकी मात्रा एक छोटे वर्गके पास केन्द्रित रहती है अतएव वर्ग सम्बन्धी वितरणका इस प्रकारमें बहुत महत्व

हो जाता है।

उत्पत्तिका चरम उद्देश्य उपभोग है। उत्पादक वस्तुओंका प्रयोजन भी उपभोग की वस्तुओंके निर्माणमें सहायता देना है। अतएव इनका मूल्य भी इनकी सहायता से निर्मित उपभोगकी वस्तुओंके मूल्य पर निर्भर करता है। उत्पादकोको उपभोक्ताओंके लिए वस्तुएँ बतानी हैं। साधारणतः पूजावादी व्यवस्थामें उपभोक्ताको कोई भी वस्तु किसी भी मात्रामें प्राप्त करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किस परिमाणमें किन किन वस्तुओंको प्राप्त करनेकी चेष्टा करेगा इसका निश्चय अवश्यही उसकी आयके परिमाण, उसकी आवश्यकताओंकी गरिमा और आवश्यकताओंको तृप्त करने वाली वस्तुओंके मूल्य पर निर्भर करेगा। यह जानी हुई बात है कि उत्पादक वर्ग विज्ञापनो और अपने ऋय-चातुर्यसे अपनी वस्तुओंकी माग उत्पन्न करते हैं और उनके बेचनेमें समर्थ होते हैं। परन्तु अन्ततोगत्वा वही उत्पादक अपने व्यवसायमें सफल होंगे जो अपने उद्योग-घघोका शीघ्रतासे उपभोक्ताओंकी मागमें होने वाले परिवर्तनोंके साथ सामजस्य बनाये रख सकेंगे। इस प्रकरणमें एक गूढ विषयकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि किस प्रकार उत्पत्ति और उपभोगकी क्रियाएँ एक साथ गुथी हुई हैं। उत्पत्ति की क्रियासे आयका सृजन होता है। इस आयका साधनोंके स्वामियोंमें वितरण होता है। इसके फलस्वरूप भिन्न भिन्न वस्तुओंकी भिन्न भिन्न मात्रामें माग होती है और इसके आधार पर पुनः उत्पत्तिकी क्रिया निर्भर करती है।

आधुनिक कालमें कोईभी देश स्वावलम्बी नहीं रह सकता। भारतवर्ष बहुतसी वस्तुएँ दूसरे देशोंसे मोल लेता है और अपनी वस्तुओंको दूसरे देशोंमें बेचता है। इसके अतिरिक्त एक देशकी पूजाभी दूसरे देशमें लगी होती है। इस प्रकारके अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धोंके कारण आयात-निर्यात, विदेशीविनिमय, लेनदेन का असन्तुलन इत्यादि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका विवेचन और विश्लेषणभी अर्थशास्त्रके अन्तर्गत होता है।

प्रत्येक देशकी सरकारभी उसकी आर्थिक पद्धतिका महत्वपूर्ण अंग होती है। अपनी कर-व्यय-ऋणनीति एव आर्थिक विधानों द्वारा वह उत्पत्तिकी मात्रा और उसके स्वरूप, राष्ट्रीय आय और उसके वितरणमें बहुत प्रभाव डाल सकती है। अतएव राजस्वनीति सम्बन्धी सभी कार्य अर्थशास्त्री के अध्ययनके विषय होजाते हैं।

एक और रीतिका भी प्रयोग किया जाता है जिसको आनुमानिक रीति कहते हैं। यह सर्वविदित है कि वास्तविक आर्थिक घटनाएँ बहुत गहन, पेचीली और उलझी होती हैं जिससे उनका पूर्ण रूपसे विश्लेषण करना बहुत ही कठिन कार्य है। अतएव विश्लेषणके लिए अर्थशास्त्री आर्थिक परिस्थितिको काल्पनिक रूपसे सरल बनानेकी चेष्टा करता है। इस कल्पित आर्थिक व्यवस्थामें वह कुछ बातोंको स्वयंसिद्ध मान लेता है। उदाहरणके लिए मनुष्य आर्थिक कार्योंको अपने लाभके उद्देश्यसे करता है, आर्थिक व्यवहारोंमें पूर्ण स्पर्धा पायी जाती है इत्यादि। इन अनुमानोंके आधार पर वह तर्क द्वारा नये नये परिणाम निकालता है। अब ये नये परिणाम वास्तविक जगत्में कहा तक लागू होंगे, यह इस बात पर निर्भर है कि उसकी कल्पनाएँ वास्तविक स्थितिसे कितनी भिन्न हैं। यदि वास्तविक स्थितियोंमें कल्पित स्थितियोंसे अधिक विभिन्नता न हो तो हम कह सकते हैं कि जो परिणाम काल्पनिक स्थितियोंके आधार पर प्राप्त किये गये हैं, वे वास्तविक जगत् में भी ठीक उतरेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो वास्तविक जगत् में ये परिणाम पूर्णरूप से लागू नहीं होंगे। उदाहरणके लिए, यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धाके आधार पर हम इस परिणाम पर पहुँचें कि अमुक वस्तु का अमुक मूल्य होगा और यदि वास्तविक मसारमें अपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो हमारा परिणाम ठीक नहीं उतरेगा। यह नहीं समझना चाहिए कि वास्तविक जीवन इन कल्पित अवस्थाओंसे भिन्न है अतएव इस आनुमानिक रीतिका कोई महत्व नहीं है। एक मिश्रित और पेचीली स्थिति का विश्लेषण करनेके लिए इस रीतिका प्रयोग बहुधा सुविधाजनक होता है। एक सरल आर्थिक प्रतिरूप कल्पितकर उसके आधारपर कुछ परिणाम निकाले जाते हैं और क्रमशः इस कल्पित प्रतिरूपमें वास्तविकता का समावेश करके उनमें सशोधन कियाजा सकता है। यह भी नहीं समझना चाहिए कि जिन अर्थशास्त्रियों ने इस विधिका प्रयोग किया है वे वास्तविकतासे अनभिज्ञ थे। हा, इस बातको पूर्णरूप से ध्यानमें रखना चाहिए कि आनुमानिक आधार पर जो कार्य-कारण श्रृंखलाका प्रतिपादन किया जाता है उसकी वास्तविकता और यथार्थता तभी प्रमाणित होसकती है, जब कि वे कल्पनाएँ वास्तविकतासे अधिक दूर न हों।

व्यवहारमें अर्थशास्त्रीको अपने विषयको समझनेमें और उसके विश्लेषणमें इन सभी रीतियोंकी आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रीतिका महत्व इसलिए है कि

इसके प्रयोगमें हम वास्तविकताके साथ चलते हैं और उसके आधार पर ही सामान्य धर्म जाननेकी चेष्टा करते हैं। परन्तु आर्थिक विषयोकी गम्भीरता और जटिलता के कारण प्रत्येक अवस्थामें इस रीतिका प्रयोग सम्भव नहीं होता। अतएव हमको आनुमानिक रीतिका आश्रय लेना पड़ता है। इस रीतिके आधार पर जो परिणाम प्राप्त किये जातेहैं उनकी यथार्थताकी परीक्षाके लिए हमको उन्हें वास्तविकता की कसौटी पर कसना पड़ता है।

आर्थिक क्षेम

जब मनुष्य किसी विषयका अध्ययन एव विश्लेषण करता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। एक उद्देश्य तो उस विषयका ज्ञान प्राप्त करना, उसके विविध अंगो-प्रत्यंगोका अध्ययन करके उनके कार्य-कारण पर प्रकाश डालना और तत्सम्बन्धी सामान्य धर्म खोज निकालना है। इस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए उसे अनेक प्रकारकी वैज्ञानिक रीतियो और प्रयोगोको काममें लाना पड़ता है। परन्तु हमारा उद्देश्य केवल ज्ञानप्राप्ति ही नहीं होसकता। इस जगत्में केवल ज्ञानही से हमारा काम नहीं चलता। हमको कर्म करने पड़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करनेकी मनोवृत्ति, अवकाश तथा साधन केवल कुछही लोगोको उपलब्ध होते हैं परन्तु कर्म सभीको करने पड़ते हैं क्योंकि बिना कर्म किये हम अपनी आवश्यकताओकी पूर्ति नहीं कर सकते। योतो थोडा बहुत प्रत्येक मनुष्य अपने कार्यके विषयमें जानता ही है, परन्तु प्रत्येक मनुष्यको उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अतएव ऐसे लोगोके कार्य उतनी उत्तमतासे नहीं होसकते जितनी कि तत्सम्बन्धी ज्ञान प्राप्तिसे होसकते हैं। यदि हमें किसी विषयका ज्ञान होजाये तो उस विषय सम्बन्धी कार्योको हम अधिक सुगमता से और अच्छे ढंगसे करसकते हैं। अतएव प्राप्त ज्ञानका व्यवहारमें प्रयोग होना चाहिए। उदाहरणके लिए, यदि मनुष्यको शरीरके अवयवो, उनके कार्यो और सम्बन्धोका ज्ञान प्राप्त हो तो व्यवहारमें उस ज्ञानसे शारीरिक व्याधियोको दूर अथवा कम करनेमें उसको सुविधा होगी।

आर्थिक क्षेत्रमें जो कार्य किये जाते हैं उनका उद्देश्य अन्ततोगत्वा आवश्यकताओ की पूर्ति कर आर्थिक क्षेमको बढ़ाना है अतएव इस क्षेत्रके अध्ययन और विश्लेषण

से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उससे आर्थिक क्षेमकी वृद्धिमें सहायता मिलने की भावना होना स्वाभाविक है। जिन विज्ञानोका सीधा सम्बन्ध मानव समाज में है और विशेषकर जो मनुष्यकी आर्थिक आवश्यकताओंसे सम्बन्धित है उनको तो अर्थशास्त्रके कार्यक्षेत्रमें बहुत महत्व प्राप्त है। अतएव अर्थशास्त्रीको अपने ज्ञानके प्रकाशसे आर्थिक क्षेमकी वृद्धिके लिए सरकारको, अन्य सस्थाओंको और व्यक्तियोंको उचित आर्थिक नीतिका अवलम्बन करनेमें सहायता देनी चाहिए।

अर्थशास्त्र और विज्ञान

कभी कभी यह प्रश्न किया जाता है कि अर्थशास्त्रको विज्ञान कहना चाहिए अथवा नहीं। वास्तवमें यह प्रश्न ठीक नहीं है। जब हम आर्थिक परिस्थितियों, कार्यों और सम्बन्धोंका वैज्ञानिक रीतियोंसे अध्ययन और विश्लेषण करने हैं और उनके आधारपर कार्य-कारणके सम्बन्धोंका ज्ञान करते हैं और तत्सम्बन्धी नियमोंका प्रतिपादन करते हैं तो निश्चय ही हम इस विद्याको विज्ञान द्वारा सम्बोधित करेंगे। हो सकता है कि हमारा विज्ञान अनेक कठिनाइयोंके कारण अभीतक उच्च स्तर तक न पहुँच सका हो। परन्तु हमारा लक्ष्य और ध्येय यही है। अर्थशास्त्रको इससे भी कोई प्रयोजन नहीं कि हमारी आवश्यकताएँ अच्छी हैं अथवा बुरी और हमारा लक्ष्य वाछनीय है अथवा अवाछनीय। अर्थशास्त्री तो वास्तवमें जो आर्थिक कार्य हो रहे हैं और जो आर्थिक सम्बन्ध पाये जाते हैं उनका ही अध्ययन और विश्लेषण करता है और उनके विषयमें ही सामान्य धर्म का प्रतिपादन करता है। मनुष्यको मदिरापान करना चाहिए अथवा नहीं, उसको अधिक द्रव्य भोजनमें व्यय करना चाहिए अथवा सिनेमामें, इनका उत्तर अर्थशास्त्रकी परिधिसे बाहर है। इसका उत्तर सम्भवतः नीति शास्त्र देसके। अर्थशास्त्री देखता है कि लोग मदिरा पीते हैं, उसके लिए मूल्य देनेको तत्पर हैं अतएव उत्पादकोंको मदिरा उत्पादन करनेमें लाभ की आशा होती है और उत्पत्तिके कुछ साधन मदिरा बनानेके काममें आते हैं जिसके फलस्वरूप यह साधन अन्य आवश्यकताओंको तृप्त करनेके लिए प्राप्त नहीं होते। इस प्रकारकी परिस्थितियोंका अर्थशास्त्री अध्ययन करता है।

अर्थशास्त्र विज्ञान तो अवश्य है, परन्तु अन्य विज्ञानोंकी अपेक्षा इसका सम्बन्ध

कार्यक्षेत्रसे अधिक है। ऐसा होना अवश्यम्भावी है, क्योंकि इसका विषय ही इस प्रकार का है। अर्थशास्त्रके विषयको अच्छी तरह समझकर और उसका मनन कर जो क्रियायें की जायेंगी उनसे आर्थिक क्षेममें वृद्धि होनेकी सम्भावना है। यही कारण है कि इंग्लैंडके विद्वान अर्थशास्त्री प्रोफेसर पीगू ने कहा है कि अर्थशास्त्री इस प्रकारके विज्ञानकी वृद्धिकी चेष्टा करेगा जो कि क्रियाका आवार बन सके।

अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध

इस अध्यायके आरम्भमें ही लिखा जा चुका है कि भिन्न भिन्न विषयोंके अध्ययनके फलस्वरूप भिन्न भिन्न शास्त्रोंकी सृष्टि हुई है। परन्तु वास्तवमें इन सभी विषयों और तत्सम्बन्धी शास्त्रोंमें पृथकता नहीं है। सभी विषय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमें, कम या अधिक मात्रामें एक दूसरेसे सम्बन्धित हैं। अर्थशास्त्रका सम्बन्ध मनुष्योंके एक विशेष प्रकारके व्यवहार एव आचरणसे है परन्तु इस व्यवहार एव आचरणके लिए मनुष्य अपनेको अन्य परिस्थितियोंसे अलग नहीं कर सकता। इस प्रकारमें अर्थशास्त्रसे केवल उन्हीं शास्त्रोंके सम्बन्धकी विवेचना, सक्षेपमें की जायेगी जो उसके अधिक निकट हैं।

अर्थशास्त्रका समाजशास्त्रसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्रका एक भाग है क्योंकि दोनोंके विषय और क्षेत्र अलग अलग हैं। परन्तु चूंकि आर्थिक कार्य एव सम्बन्ध सामाजिक पद्धति, वर्गीकरण, सस्थाओं, विचारों और व्यवहारोंसे प्रभावित होते हैं अतएव अर्थशास्त्रीको समाज सम्बन्धी विषयोंकी जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार मानव शास्त्र से भी अर्थशास्त्र सम्बन्धित है। भिन्न भिन्न युगोंमें भिन्न भिन्न प्रकारकी सस्कृतियोंमें मनुष्यका अध्ययन मानव शास्त्र का विषय है। इस विषयके अध्ययनसे अर्थशास्त्रीको प्राचीन, आर्थिक सस्थाओं और सम्बन्धोंको समझनेमें सहायता मिल सकती है। राजस्व शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्रको जोड़ता है। राज्यका विधान किस प्रकार का है, आर्थिक क्षेत्रमें राज्यकी क्या नीति है और राज्य किस प्रकार आर्थिक कार्योंका नियन्त्रण करता है, राज्यकी कर-व्यय-ऋणनीति क्या है, इनका आर्थिक स्थिति और क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक क्षेमसे नीति शास्त्रका विशेष

सम्बन्ध है। माना कि अर्थशास्त्रीको, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस विषयसे विशेष प्रयोजन नहीं होता है फिरभी अनेक आर्थिक नीतियाँ और विधान नीतिशास्त्रकी उक्तियों परही आश्रित रहती हैं। उदाहरणके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक न्यूनतम जीवनस्तरको सुरक्षित करना, सन्तोषजनक पारिश्रमिक देना, सामाजिक बीमा करना, सम्पत्तिके वितरणमें असमानता कम करना; इस प्रकारके सभी कार्य अधिकतर नीतिशास्त्रसे सम्बन्धित हैं। मनो-विज्ञानसे भी अर्थशास्त्रका सम्बन्ध है। उपयोगिताकी प्राप्ति, लाभकी आशा, निराशा, उपयोग और वचन करनेकी प्रवृत्ति इस प्रकारकी मनोवृत्तियोंका आर्थिक कार्यों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

अर्थशास्त्र के नियम

प्रायः कहा जाता है कि अर्थशास्त्रके नियम प्राकृतिक विज्ञानोंमें प्रतिपादित नियमोंके समान अनिवार्य नहीं होते हैं अर्थात् अर्थशास्त्रके नियमोंसे हमको इस प्रकारकी आशा नहीं करनी चाहिए कि वे सभी काममें और सभी परिस्थितियोंमें चरितार्थ होंगे। परन्तु यदि हम इस विषयके मूलमें जायें तो पता चलता है कि इस प्रकारका आक्षेप ठीक नहीं है। अर्थशास्त्रके नियम अन्य विज्ञानोंके नियमोंके समान ही हैं। किसी भी नियमसे यही बोध होता है कि किन्हीं दीर्घायी परिस्थितियोंमें किस परिणामकी आशा करनी चाहिए। यदि यह आशा पूरी नहीं होरही है तो अवश्यमेव परिस्थितिमें बदलाव होगया होगा। उदाहरणके लिए बाजारका एक नियम है कि यदि किसी वस्तुके परिमाणमें वृद्धि होजाये तो उसका मूल्य गिरने लगेगा। अब यदि वस्तुके परिमाणमें वृद्धि होगई और फिरभी मूल्य नहीं गिरा तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि नियम अशुद्ध है। यह नियम चरितार्थ इसलिए नहीं होरहा होगा कि सम्भव है परिस्थितियोंमें अन्तर पड़ गयाहो। होसकता है मागभी उसी अनुपातमें बढ़ गयी हो जिस अनुपातमें बाजारमें पूर्ति बढ़ी है। अथवा बढ़े हुए परिमाणको बाजारमें न रखकर उत्पादक अथवा व्यापारी सग्रह कर रहे हों।

अर्थशास्त्रके और प्राकृतिक नियमोंके भेद करनेका प्रधान कारण होसकता है यह रहाहो कि प्राकृतिक विज्ञान सम्बन्धी नियमोंकी प्रयोगशालामें परीक्षा की-

जासकती है, जहा परिस्थितिया नियन्त्रित की जासकती है। जैसा कि पहिले बताया जाचुका है कि अर्थशास्त्री की प्रयोगशाला किसी कमरेके भीतर सीमित नही की जासकती और न आर्थिक परिस्थितिया ही इच्छानुकूल बनायी जासकती है। अतएव आर्थिक नियमोकी परीक्षा करनेके लिए हमको सदैव इस प्रकारकी शुद्ध परिस्थितिया प्राप्त नही होतीहै जिनमें वह नियम पूर्णरूप से चरितार्थ होसके। यही कारणहै कि आर्थिक नियमोके प्रतिपादनमें प्रायः 'जब अन्य बातें यथावत् रहें' यह वाक्य जोड दिया जाता है।

A B C

आवश्यकताएं

उपभोग का महत्व

हम चारों ओर मनुष्यको अनेक प्रकारके कार्योंमें व्यस्त पाते हैं। कोई खेतमें, कोई कारखानेमें, कोई व्यापारमें, कोई दफ्तरमें और कोई किसी अन्य व्यवसायमें लगा दिखायी देता है। इसका प्रधान कारण यह है कि साधारणतः मनुष्य दूरी प्रकारके कार्योंसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करसकता है। आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए विविध प्रकारकी वस्तुओं और सेवाओंका उपभोग करना पडता है। उपभोग शब्दका सम्बन्ध उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्तिसे है। कुछ वस्तुएं ऐसीहैं जिनका अस्तित्व एकही वारके उपभोगसे, कमसे कम बाह्य रूपमें तो समाप्त होजाता है—रोटी, फल, कोयला इस प्रकारके उदाहरण हैं; और कुछ वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। इनका अस्तित्व एव उपयोगिता दीर्घकाल तक बनी रहती है। कपडा, फर्निचर, रेडिओ इसके उदाहरण हैं। वस्तुओंके उपभोगसे हम वस्तुओंकी उपयोगिता प्राप्त करते हैं। यदि किसी वस्तुकी उपयोगिता उपभोक्ताकी आवश्यकताकी पूर्तिके बिना नष्ट होजाये तो उसको उपभोग नहीं कहा जायेगा। ऐसी स्थितिमें हम कहेंगे कि वह वस्तु नष्ट होगयी। उदाहरणके लिए बाढ, भूचाल, आधी, अग्नि आदि प्रकोपोंसे जो विनाश होताहै उसको उपभोग नहीं कहा जाता। उपभोगसे किसी आवश्यकताकी पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। आवश्यकता अच्छी है अथवा खुरी, इसका प्रश्न नहीं है। कौसीभी आवश्यकताहो, यदि किसी वस्तु अथवा सेवा द्वारा उसकी पूर्ति होजाये तो ऐसी स्थितिमें उपभोग शब्द प्रयोग किया जाता है।

आवश्यकताएं और उनकी विशेषताएं

हम देखते हैं कि मनुष्यको अनेक प्रकारकी वस्तुओं एव सेवाओंकी आवश्यकता

होती है। जन्मसे मरण पर्यन्त इन आवश्यकताओं से छुटकारा नहीं मिलता। चाहे मनुष्य वनमानुषकी अवस्थामें हो अथवा आधुनिक सभ्यताके नये युगमें, आवश्यकताएं उसको घेरे रहती हैं। हा यह अवश्य है कि सभी मनुष्योंकी सभी अवस्थाओं में एकही प्रकारकी आवश्यकताएं नहीं होती। जब मनुष्य पशुवत् जीवन व्यतीत करता था तो उसकी आवश्यकताएं केवल उदर-पूर्ति तकही सीमित थी। ज्यो ज्यो वह सभ्यताकी ओर अग्रसर होता गया, उसकी आवश्यकताओं की संख्यामें वृद्धि होती गयी। कहा जाता है कि सभ्यताका विकास और आवश्यकताओं की वृद्धि साथ साथ चली आयी है। आधुनिक कालमें तो आवश्यकताओं का कोई अन्त ही नहीं दिखायी पडता। साधारणतः मनुष्य अपनेको इनके बोझमें दबा हुआ पाता है। प्रारम्भिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त, जिनकी पूर्ति जीवन-रक्षाके लिए अनिवार्य है, जैसे अन्न, वस्त्र, मकान, आधुनिक कालमें सांस्कृतिक और भोगविलास/सम्बन्धी आवश्यकताओं की बहुत वृद्धि हुई है। इन्हीं बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए आर्थिक साधनों, कार्यों और सम्बन्धोंकी भी वृद्धि हुई है।

आवश्यकताओंमें अनेक प्रकारकी विशेषताएं दिखायी देती हैं।

(२) आवश्यकताओं की संख्या अपरिमित है। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसकी सभी आवश्यकताओंकी पूर्ति होगयी हो। धनी से धनी मनुष्यको भी यही प्रतीत होता है कि यदि उसके पास और अधिक धन होता, तो वह और अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता अथवा इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष प्रकारसे कर पाता। आवश्यकताएं सदैव प्रत्यक्ष नहीं रहती हैं। जैसेही किसी प्रबल आवश्यकताकी पूर्ति हुई, दूसरी आवश्यकता उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार मनुष्यके आर्थिक और आय स्तरमें वृद्धि होनेके कारणभी अनेक प्रकारकी आवश्यकताएं उत्पन्न होजाती हैं। एक साधारण आवश्यकताकी पूर्तिके लियेही अनेक वस्तुओंकी आवश्यकता होती है। उदाहरणके लिए उदर-पूर्ति का काम रूखे सूखे भोजनसेभी चल सकता है, परन्तु मनुष्यकी तृप्ति इस प्रकारके भोजनसे नहीं होती। वह वढिया और स्वादिष्ट भोजन चाहता है साथही समय समयपर उसमें परिवर्तनभी चाहता है। इसी प्रकार सर्दी-गर्मीसे शरीरकी रक्षाके लिए उसे वस्त्रोंकी आवश्यकता होती है। काम तो साधारण वस्त्रोंसे भी चल

जाता है, परन्तु मनुष्यों को इससे सन्तोष कहा होगा है। जगत्को तो वृद्धिया और विविध प्रकारके वस्त्र चाहिए, ज़मनेके लिए अन्न, मोनेके लिए अस्त्र, गानेके और खेलनेके लिए अलग। इसी विविधता और विलासिताके समाधानसे एक मन्वसी आवश्यकताभी बुन्ह बन जाती है।

पाश्चात्य देशोकी विचार-धाराके अनुसार उन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप ही सभ्यताकी वृद्धि हुई है। यदि मनुष्य सन्तोषी होकर हाथपर हाथ रखकर बैठ जाता तो सुख, आराम और विलासकी अनेक सामग्रिया जो हम अपने चारोओर देखते है, कहासे उपलब्ध होतीं। यह बात हमकोभी मान्य है कि मनुष्यके शारीरिक एव मानसिक सुख-सन्तोषके लिए विविध प्रकारकी वस्तुओंकी आवश्यकता होती है। अपनी वर्तमान अवस्थासे असन्तोषके कारणही वह उद्यम एव उद्योग करनेको प्रेरित होता है जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकारके आविष्कार होते है, जिससे मनुष्यकी आर्थिक अवस्थामें विकास होता है। यदि सन्तोषावस्था मनुष्यको आलसी और निष्क्रिय बनाने लगे तो इस प्रकारका सन्तोष उसके और समाजके लिए हितकर न होगा। वह असन्तोष जो मनुष्यको अग्रसर होनेके लिए प्रेरित करता है, वाछनीय समझा जाना चाहिए।

(२) हमने बताया कि कोईभी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी एक आवश्यकता की पूर्णरूप से पूर्ति नहीं करसकता। आवश्यकताओं की एक विशेषता यह है कि किसी विशेष समय में किसी विशेष वस्तुकी आवश्यकता की पूर्णरूप से पूर्ति की जासकती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आवश्यकताकी पूर्तिके साधन हमारे पास बढ़ते जाते है, वैसे वैसे उस आवश्यकताकी तीव्रता घटती जाती है और अन्तमें ऐसा समय आजाता है कि वह आवश्यकता उस समय विल्कुल गान्त होजाती है। इसका उदाहरण हम भोजनकी आवश्यकतासे देसकते है। भूखकी सीमा होती है जैसे जैसे भोजनकी सामग्री हमें अधिक मात्रामें प्राप्त होती जाती है, वैसे वैसे भूख मिटती जाती है। जब पेट भर जाता है तो भोजनकी आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार परिमाणके साथ प्रत्येक आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और पर्याप्त मात्रामे उस वस्तुकी प्राप्ति होने पर उसकी आवश्यकताकी पूर्णरूप से पूर्ति होजाती है। अर्थशास्त्र का एक मुख्य सिद्धान्त जिसे 'क्रमागत-उपयोगिता-ह्लासनियेम' कहते है, आवश्यकताओं

की इसी विशेषता पर आधारित है। इस नियमका विवेचन आगे चल कर किया जायेगा।

(३) आवश्यकताओंकी आपसमें प्रतिस्पर्धा रहती है। इसका प्रधान कारण यह है कि मनुष्यके पास एकसाथ सभी आवश्यकताओं की पूर्तिके साधन नहीं होने। इसलिए उसको निर्णय करना पडताहै कि किस आवश्यकता की पूर्ति किस अंश तक कीजाये। इसका उदाहरण हमको अपने नित्यके व्यवहारमें मिलता है। यदि किसी विद्यार्थीको एक पुस्तक और एक कोट की आवश्यकता है और उसके पास एकही वस्तुको खरीदनेके लिए धनहै तो इन दो आवश्यकताओं में होड होगी और विद्यार्थीको इनमेंसे एकको चुनना पडेगा यदि वह कोट खरीदता है, तो उसे किताब से वंचित रहेना पडेगा।

(४) आवश्यकताएं विकल्पितभी होती हैं अर्थात् किसी आवश्यकताकी पूर्ति अनेक वस्तुओंसे होसकती है। ये वस्तुएं एक दूसरेकी स्थानापन्न होसकती हैं। उदाहरणार्थ भूख-निवारणके लिये गेहू, जौ चना अथवा बाजरेकी रोटी खायी जासकती है। कुछ अंशोंमें एक अन्न दूसरे अन्नका स्थानापन्न होसकता है। यदि गेहूका मूल्य बढ़जाय तो लोग जौ, चना इत्यादि अन्नोको काममें लाने लग जायेगे। यदि एक आवश्यकता दो वस्तुओंमें से किसी एकसे सन्तुष्ट की जासकती है तो लोग उस वस्तुको खरीदेंगे, जिसका मूल्य कम होगा। इस प्रकारकी वस्तुओंमें बहुत अधिक मात्रामें प्रतिस्पर्धा होती है। उत्पादनके कार्यमें भी कई साधन ऐसे होतेहैं जो एक दूसरेके स्थानापन्न होसकते हैं। उत्पादक को प्रायः यह विचार करना पडता है कि वह मज दूरोकी सरयामें वृद्धि करे अथवा मशीनो की। इस प्रवृत्तिके आधार पर प्रतिस्थापन सिद्धान्त बना है। हम आगे चलकर देखेंगे कि इस सिद्धान्त का प्रयोग अर्थशास्त्रके सभी भागोंमें होता है।

(५) आवश्यकताएं एक दूसरेकी पूरक भी होती हैं। किसी एक आवश्यकताकी पूर्तिके लिये अनेक वस्तुओंकी एकसाथ आवश्यकता होतीहै, जैसे टेनिस खेलनेके लिये बरला, गेंद, जाल और परदो की एकसाथ आवश्यकता होती है। इन सबके सहयोगसे ही टेनिस खेलनेकी आवश्यकता की पूर्ति होसकती है। इस प्रकार विशेष रूपसे सम्बंधित वस्तुओंमें से किसी एकके मूल्यमें परिवर्तन होनेसे तत्सम्बन्धी वस्तुओंकी माग में एव उनके मूल्यमें भी परिवर्तनकी सम्भावना रहती है।

(६) किसी मनुष्य अथवा परिवारकी विविध आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए जो वस्तुएँ निरन्तर व्यवहारमें लाई जाती हैं, उन सबके मिलाकर उम मनुष्य अथवा कुटुम्बका जीवन-स्तर निर्धारित होता है। उन वस्तुओंके उपभोगका स्वरूप पड जाता है, जिसमें बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इसी प्रकार अनेक वस्तुओंका प्रयोग लोकाचारसे होता है। इनमेंभी परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इस प्रवृत्तिसे वस्तुओंके उपभोग और उनकी मागमें कुछ अन्त तक स्थिरता आजाती है, जिनसे उत्पादन कार्यमें भी उसी सीमा तक स्थिरता आजाती है।

उपयोगिता

जब हम यह कहते हैं कि हमारी अमुक आवश्यकता है तो उससे किसी वस्तुका अभाव सूचित होता है। यदि वह वस्तु पर्याप्त मात्रामें प्राप्त होजाती है तो अभाव दूर होजाता है और हम कहते हैं कि इस आवश्यकता की पूर्ति होगयी। वस्तुओं और सेवाओंके उपभोगसे हमको जो तृप्ति होती है उसको मापनेके लिये उपयोगिता शब्दका प्रयोग किया जाता है। तृप्ति एक मानसिक अवस्था है जिसका विश्लेषण बहुतही कठिन कार्य है। किसी एकही मनुष्यको भिन्न भिन्न परिस्थितियोंमें एकही वस्तुसे भिन्न भिन्न मात्रामें तृप्ति मिलती है, जिनकी माप करना एव उनकी तुलना करना सुगम नहीं होता। अन्य मनुष्योंको किसी वस्तु अथवा सेवामें किस मात्रामें तृप्ति मिलती है, इसका ज्ञान होना तो अत्यन्त दुष्कर है। फिरभी इस कार्यके लिये किसी प्रकारका वाह्य मापदण्ड काममें लाना अनिवार्य होजाता है।

किसी मनुष्यको एक वस्तुके उपभोगसे कितनी मात्रामें तृप्ति प्राप्त होती है इसका निरपेक्ष रूपमें तो अनुमान नहीं होसकता किन्तु विविध वस्तुओंके उपभोगसे उसको जो सापेक्ष तृप्ति मिलनेकी सम्भावना रहती है उसका अनुमान किया जासकता है। यदि दो वस्तुओंका मूल्य समान हो और कोई व्यक्ति उन दोनोंमें से एकको खरीदता है तो इससे प्रकट होता है कि वह दूसरी वस्तुकी अपेक्षा उस वस्तुके उपभोगसे अधिक मात्रामें तृप्तिकी आशा करता है। किसी वस्तुको प्राप्त करनेके लिए मूल्य देना पडता है। उस मूल्यसे अन्य वस्तुएँ भी प्राप्त होसकती हैं। जब कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है तो वह उससे प्राप्त होनेवाली तृप्तिकी तुलना उन

वस्तुओंसे प्राप्त होनेवाली तृप्तिसे करता है जो उसने नहीं खरीदी। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये मनुष्य जो द्रव्य देता है, उससे वस्तुसे प्राप्त होनेवाली उपयोगिताका बोध होता है। यदि वह यह निश्चय नहीं कर पा रहा कि वह उस वस्तुको ले अथवा द्रव्यको अपने पास रखे तो इससे बोध होता है कि किसी दूसरी वस्तुसे अपेक्षित तृप्ति पहली वस्तुकी अपेक्षित तृप्तिके समकक्ष है।

किसी दी हुई परिस्थितिमें किसी वस्तुके उपभोग से जो तृप्ति मिलती है उसको उपयोगिता कहते हैं। इस उपयोगिताकी माप तो नहीं हो सकती परन्तु किसी व्यक्ति विशेषकी उस परिस्थितिमें उस वस्तुसे अपेक्षित उपयोगिताकी अन्य वस्तु अथवा द्रव्यसे अपेक्षित उपयोगितासे हम तुलना कर सकते हैं। यदि किन्हीं दो वस्तुओंके लिए मनुष्य समान द्रव्य देनेको तैयार हो तो हम यह कह सकते हैं कि वह उन दोनोंसे समान उपयोगिताकी आशा करता है। अतएव साधारणतया कहा जा सकता है कि दो वस्तुओंकी अपेक्षित उपयोगिताए उसी अनुपातमें हैं जिस अनुपातमें उनको प्राप्त करनेके लिए द्रव्य दिया जाता है। इस प्रकरणमें हम यह बताना चाहते हैं कि द्रव्यसे उपयोगिताकी माप और तुलना करनेमें सुविधा होती है। द्रव्य-विहीन आर्थिक पद्धतिमें भी इस प्रकारका तुलनात्मक कार्य किया जा सकता है जबकि एक वस्तुसे अपेक्षित उपयोगिताकी तुलना सीधे दूसरी वस्तुसे अपेक्षित उपयोगितासे की जाती है।

क्रमागत-उपयोगिता-ह्रास नियम

आवश्यकताओं और उनकी विशेषताओंकी चर्चा करते हुए हमने बताया था कि प्रत्येक आवश्यकता सीमित होती है अर्थात् उसका निवारण हो सकता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उस आवश्यकताकी पूर्ति करनेके साधनोंका सग्रह अथवा उपभोग होता जाता है, वैसे वैसे उस आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और एक समय आजाता है जब उसका लोप होजाता है। इसी बातको हम दूसरे प्रकारसे भी कह सकते हैं। किसी समय अथवा परिस्थितिमें यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेषका लगातार उपभोग अथवा सचय करता है तो उस वस्तु की क्रमागत इकाइयोंसे प्राप्त उपयोगिता घटने लगती है क्योंकि उस वस्तु की आव-

शक्यताकी तीव्रता घटने लगती है। अतएव तृप्तिही मात्राभी कम होने लगती है। जब वह वस्तु इतनी मात्रामें संचित होजाती है अथवा उपभोग की जाती है कि आवश्यकता विल्कुल शान्त होजाती है तो ऐसी प्रवृत्तियोंमें तृप्तिके कुल परिमाणमें वृद्धि नहीं होती और हम कह सकते हैं कि उपयोगिता शून्य होगई है। अब यदि इस सीमाके आगेभी उपभोग किया जाय तो कुल उपयोगितामें हानि होनेकी सम्भावना रहती है अर्थात् उपयोगिता प्रतिकूल होने लगती है। उपयोगिताकी इस प्रकारकी प्रवृत्तिके आधार पर एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बना है, जिगहो 'क्रमागत-उपयोगिता-ह्रास नियम' कहने है। इस नियमको व्याख्या इस प्रकारके कीजाती है : जैसे जैसे किसी कालावधि में किसी वस्तुका मग्न क्रमशः बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्रमागत प्राप्त उपयोगिताका ह्रास होने लगता है। अर्थात् वस्तुकी किमी इकाई से प्राप्त उपयोगिता उससे पहिलेकी इकाईकी उपयोगितासे कम रहती है। इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि वस्तुकी इकाइयोंमें अमान उपयोगिता निहित है। सभी इकाइयोंका रूपरग इत्यादि विवेचनाएँ समान हैं परन्तु जैसे जैसे एक मनुष्य उस वस्तुकी इकाइयोंका क्रमशः उपभोग अथवा संचय करता जाता है, वैसे वैसे उसको प्राप्त क्रमागत उपयोगिताका ह्रास होने लगता है। उदाहरणके लिए कोई मनुष्यकेले खरीदता है जोकि सब बातोंमें समान है। तुलनाके निमित्त मान लीजिये कि पहिले केलेसे उसको १०० इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। जब वह दो केले लेता है तो (केलेकी इच्छाकी आंगिक तृप्ति ही चुकनेके कारण) मान लीजिए ८० इकाई उपयोगिताकी वृद्धि हुई अर्थात् दो केलेसे कुल १८० इकाई उपयोगिता प्राप्त हुई। यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि दूसरे केलेकी उपयोगिता ८० इकाई है और पहिलेकी १००। दोनो केले सर्वथा समान हैं परन्तु क्योंकि वह व्यक्ति एक केला लेचुका है अतएव उसके मनमें दूसरे केलेके लिए पहिले जैसी तीव्र अभिलाषा नहीं है। कहनेका तात्पर्य यह है कि किसी वस्तुकी उपयोगिता जाननेके लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के पास उस वस्तुकी कितनी इकाइया है। उपरोक्त उदाहरण में जब वह व्यक्ति तीसरा केला खरीदता है तो मान लीजिये कुल उपयोगितामें ५० इकाइयोंकी वृद्धि होजाती है। अर्थात् कुल उपयोगिता २३० इकाइया होजाती है। इसी प्रकार मान लीजिये कि चौथे केलेसे केवल २० इकाई उपयोगिता की वृद्धि होजाती है। इस प्रकार ४ केलेकी कुल उपयोगिता २५० इकाइया हुई। यह नहीं कहना

चाहिए कि तीसरे केलेकी उपयोगिता ५० और चौथे केलेकी २० इकाइया हें वल्कि इस प्रवृत्तिको इस प्रकार बताना चाहिए कि जब प्राप्त केलेकी संख्या दो से तीन होगयी हो तो कुल उपयोगितामें ५० इकाइयोकी वृद्धि हुई और जब संख्या तीनसे चार हुईतो कुल उपयोगितामें २० इकाई की वृद्धि हुई। यहां पर हम देख रहे हैं कि ज्यो ज्यो केलेकी संख्या बढ़ती जा रही है, त्यो त्यो कुल उपयोगिता कम अनुपातमें बढ़ रही है।

कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता

ऊपर दिये गये केलेके उदाहरणसे हम कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता के भेद और उनके सम्बन्धका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इस उदाहरणको बढ़ा कर हम आगे दी हुई तालिकामें दिखा रहे हैं *.


केलेकी संख्या	कुल उपयोगिता	सीमान्त उपयोगिता
१	१००	१००
२	१८०	८०
३	२३०	५०
४	२५०	२० -
५	२६०	१०
६	२६०	०
७	२५०	—१०
८	२३०	—२०

* ध्यान रहे कि तालिका में जो संख्याएं दी गयी हैं वह सब काल्पनिक हैं। वास्तव में न कुल उपयोगिता और न सीमान्त उपयोगिता इस प्रकार संख्या के रूपमें प्रकट की जा सकती है। यहां पर संख्याओं द्वारा केवल इस बातको दिखानेकी चेष्टा की गयी है कि कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता किस प्रकारसे सम्बन्धित हैं।

किसी वस्तुकी जिनगीभी इकाइयां लीगयी हों उन सभीको उपयोगिताके समुदायको कुल उपयोगिता कहने है। तालिकाके कॉलम २ में केलोंकी भिन्न भिन्न सख्याओंकी कुल उपयोगिता दिखायी गयी है। उदाहरणके लिए ५ केलोंकी कुल उपयोगिता २६० इकाई है। वस्तुकी उगाइयोंकी क्रमागत वृद्धिमें प्रत्येक बार कुल उपयोगितामें जो वृद्धि होतीहै, उसे सीमान्त उपयोगिता कहने है। इनको तालिकाके कॉलम ३ में दिखाया गया है। जब केलोंकी सख्या बढ़कर ३ में ४ हुई तो कुल उपयोगिता २३० से २५० इकाइयां होगयी अर्थात् कुल उपयोगितामें २० इकाइयों की वृद्धि हुई। अतः ४ केलों लेने पर सीमान्त उपयोगिता २० है। इसी प्रकार ५ केलों लेने पर सीमान्त उपयोगिता १० है जबकि कुल उपयोगिता २५० में बढ़कर २६० इकाइयां होजाती है। सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करनेकी सरल विधि यहहै कि जब वस्तुकी सख्यामें एक इकाई बढ़ा या घटा दीगयी हो तो दो क्रमागत कुल उपयोगिताओं का अन्तर निकाल लिया जाये।

इस तालिकासे यहभी पता चलताहै कि ५ केलोंके प्राप्त करने तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, यद्यपि क्रमागत वृद्धिका अनुपात घटता जाता है। छठे केलोंके लेनेपर उपयोगिता पूर्ववत् रहतीहै और सातवें और आठवें केलोंके लेने पर घटने लगती है। अब यदि हम सीमान्त उपयोगिताके कॉलमको ध्यानपूर्वक देखें तो मालूम होगा कि केलोंकी सख्यामें वृद्धि होनेपर क्रमागत सीमान्त उपयोगिता घटती जातीहै; परन्तु पाच केलों तक (जहां तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है) यह घनात्मक रहती है। ६ केलों लेने पर सीमान्त उपयोगिता शून्य होजाती है और कुल उपयोगिताकी वृद्धिभी समाप्त होजाती है अर्थात् कुल उपयोगिताके अधिकतम स्तर पर सीमान्त उपयोगिता शून्य रहती है। जब केलोंकी सातवीं और आठवीं इकाई लीजाती है तो सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक होजाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। सामने दिये रेखा-चित्रमें सीमान्त उपयोगिता दिखायी गयी है।

इस चित्रमें समकोण चतुर्भुज द्वारा सीमान्त उपयोगिता दिखायी गयी है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे केलोंकी सख्या बढ़ती जाती है, चतुर्भुजका क्षेत्रफल घटता जाता है। यदि इन चतुर्भुजोंके सिरोंको अविच्छिन्न रेखा द्वारा जोड़ें तो दाहिनी ओर को गिरती हुई इस-रेखासे भी घटती हुई सीमान्त उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है।



क्रमगत उपयोगिता ह्याम नियमके कुछ प्रभाव भी बनाये जाते हैं। देखा जाता है कि यदि कोई वस्तु बहुत ही नूतन मात्रामें लीजाये तों कुछ मीमा तक सीमान्त उपयोगिता घटनेके बदलें नदनी जान पड़ती है। परन्तु यदि हम किसी वस्तुकी इकाई पर्याप्त मात्रामें लें तो वह नियम प्रारम्भमें ही लागू होजायेगा। उदाहरणके लिए अमरुदकी छोटी छोटी फाकोको भी उसकी इकाई माना जा सकता है और एक अमरुदको अथवा एक सेर अमरुदको भी। किसी वस्तुकी इकाई का पर्याप्त परिमाण क्याहो, उमका परिमाण भिन्न भिन्न वस्तुओंके लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होगा।

इसी प्रकार यदि ४ कुर्सियोंका एक सेट होना है और किसी व्यक्तिके पास ३ कुर्सियां हैं तो चौथी कुर्गीसे उमको अधिक सीमान्त उपयोगिता जान पड़ेगी। ऐसी परिस्थितिमें चारों कुर्सियोंके एक पूरे सेटको एक पर्याप्त मात्राकी इकाई समझना चाहिए। यही बात डाकके टिकट इकट्ठा करनेवालों अथवा विलक्षण वस्तुओंका संग्रह करनेवालों के विषयमें भी कही जासकती है। पूर्वोक्त उदाहरण क्रमागत-उपयोगिता-ह्याम नियमके वास्तविक रूपमें अमवाद नहीं है।

सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम

प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसको अधिकतम सन्तोष और नृप्ति मिले। वह अपने परिमित साधनोंका प्रयोग इस प्रकारसे करना चाहता है जिससे उसे प्रत्येक साधनके सीमान्त उपभोगसे सम उपयोगिता प्राप्त हो। यदि किसी साधनके एक दिशाके उपयोगसे दूसरी दिशाके उपयोग द्वारा अधिक उपयोगिता प्राप्त होनेकी सम्भावना हो तो वह उसके हितमें होगा कि वह उस साधनको कम उपयोगिता वाले उपयोगसे हटाकर अधिक उपयोगिता वाले उपयोगमें लगाये। जब उसके साधनोंकी सीमान्तिक उपयोगिताए सभी उपयोगोंमें समान होजाती है तो फिर साधनको एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें बदलनेसे कोई लाभ नहीं होता। साधनोंको विविध उपयोगोंमें वितरण कूरनेकी इस प्रवृत्तिको सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम प्रतिस्थापना सिद्धान्त भी है क्योंकि इसके अन्तर्गत साधनोंके विभिन्न उपयोगोंकी इस प्रकारसे प्रतिस्थापना होती है कि किसी भी

उपयोगोसे समान सीमान्तक उपयोगिता प्राप्त हो। जब इस प्रकारका वितरण हो जाता है तो फिर तटस्थताका आविर्भाव होजाता है, अतएव उग दशाको तटस्थता सिद्धान्तभी कहा गया है। प्रति-स्थापना शीर्षक अध्याय में सिद्धान्त का पूर्ण रूपेण विवेचन किया गया है। वह हम देखेंगे कि यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र के सभी भागों अर्थात् उभोग, उत्पादन, विनिमय और-वितरणमें चरितार्थ होता है।


उपभोगके सम्बन्धमें इस प्रवृत्तिको 'सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम' कहते हैं। इस नियम की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी आय को भिन्न भिन्न वस्तुओंमें इस प्रकार व्यय करेगा, जिससे उसको विभिन्न वस्तुओंमें व्यय किये गये रूपये अथवा आनोसे समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। आय एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग विविध वस्तुओंको प्राप्त करनेमें होता है। यदि आयकी एक इकाईसे एक उपयोगकी अपेक्षा दूसरे उपयोगमें अधिक उपयोगिता मिलनेकी सम्भावना हो तो उसको दूसरे उपयोगमें व्यय करनेमें अधिक तृप्ति मिलेगी। परन्तु जब किसी उपयोगमें द्रव्यकी एक इकाईके बाद दूसरी इकाई क्रमशः व्यय की जायेगी तो उस उपयोगकी सीमान्तक उपयोगिता घटती जायेगी और ऐसी स्थिति आजायेगी जबकि दूसरे उपयोगसे अधिक तृप्ति होगी। इस दूसरे और इसी प्रकार तीसरे, चौथे उपयोगोंमें भी क्रमागत-उपयोगिता-ह्रास नियम लागू होगा। अतएव वह व्यक्ति द्रव्यकी विभिन्न इकाइयोंको व्यय करनेके पहिले यह जाननेकी चेष्टा करेगा कि किस वस्तुमें व्यय करनेसे उसे अधिक सीमान्त उपयोगिता प्राप्त होगी। उसको अपने कुल व्ययसे अधिकतम उपयोगिता तभी मिल सकेगी जब द्रव्यकी प्रत्येक इकाईसे सभी उपयोगोंमें समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। इस नियमको हम साधारण एव सुगम उदाहरणसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक लडकेके पास एक रुपया है, जिससे वह चाय, पेडा और सन्तरे लेना चाहता है। सुगमताके लिए हम यहभी मान लेतेहैं कि इन सभी वस्तुओंकी इकाईका मूल्य दो आना है। अब प्रश्न यह है कि वह कितनी इकाइया भिन्न भिन्न वस्तुओंकी मोलले, जिससे उसे अधिकतम उपयोगिताकी प्राप्ति हो। वह निश्चयही अपने मनमें प्रत्येक वस्तुकी विभिन्न इकाइयोंसे प्राप्त होनेवाली उपयोगिताओ की तुलना करेगा। अगले पृष्ठ पर दीगयी तालिकामें काल्पनिक सख्याओंमें इन तीनों वस्तुओंकी विभिन्न इकाइयोंसे प्राप्त उपयोगिता दीगयी है।

प्रति दुअत्रीमे प्राप्त वस्तुकी इकाइया	प्रापेधित उपयोगिता		
	चाय	पेडा	सन्तरा
१	५	१५	१०
२	३	१२	८
३	२	१०	५
४	१	५	२
५	०	१	१

इस तालिकाको ध्यानमें रखते हुए उस लडकेको एक रुपया निम्न प्रकारसे व्यय करनेमें अधिकतम उपयोगिता मिलेगी:

वस्तुओकी इकाई	उपयोगिता	कुल
१ प्याली चाय	५	५
४ पेडे	१५ + १२ + १० + ५	४२
३ सन्तरे	१० + ८ + ५	२३
-	कुल उपयोगिता	७०

यदि वह चौथे पेड़ेके स्थानमें एक प्याली चाय और पिये तो कुल उपयोगितामें ५ इकाईकी कमी और ३ इकाईकी वृद्धि होगी अर्थात् कुल उपयोगितामें २ इकाई की कमी होजायेगी, कुल उपयोगिता ६८ (७० - ५ + ३) रह जायेगी। पाठक स्वयं जाच करके ज्ञात कर सकतेहैं कि अन्य किसी प्रकारसे वस्तुओंको मोल लेनेमें कुल उपयोगिता ७० से कम ही मिलेगी। इस उदाहरणमें प्रत्येक वस्तुमें व्यय की गयी दुअन्नकी सीमान्त उपयोगिता ५ है। इसी स्थितिको रेखाचित्र द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं।



इस रेखाचित्र में पडी रेखा द्वारा प्रति दुअन्नीसे प्राप्त वस्तुका परिमाण और खडी रेखा द्वारा सीमान्तिक उपयोगिता दिखायी गयी है। स्पष्ट है कि आठ दुअन्नियो से चार पेड़े, तीन सन्तरे और एक प्याली चाय लेनेसे उसको समान (५) सीमान्तिक उपयोगिता मिलती है।

वास्तवमें सभी वस्तुओंकी इकाइयोंका मूल्य समान नहीं होता है। इस बात को ध्यानमें रखते हुए हम इस सिद्धान्तको इस प्रकारसे भी कह सकतेहैं कि प्रत्येक विचारवान् मनुष्य इस प्रकार व्यय करेगा जिससे सभी मोल लीगयी वस्तुओंकी सीमान्त उपयोगिता उनके मूल्यके अनुपातमें हो। उदाहरणके लिए यदि छातेका मूल्य १० रुपया, टोपीका २ रुपया और ह्मालका १ रुपया हो तो कोई मनुष्य

छाते को खरीदना नहीं चाहेगा, यदि छाते में अधिकतर उपयोगिता कमसे कम ५ टोपियों और १० रुमालोंके बराबर न हो। उन सम्बन्धों में समीकरणके रूपमें इस प्रकार लिखा जा सकता है :

छातेका मूल्य	टोपीका मूल्य	रूमालका मूल्य
छातेकी	टोपीकी	रूमालकी
सीमान्त उपयोगिता	सीमान्त उपयोगिता	सीमान्त उपयोगिता

यदि किसी वस्तुके मूल्यमें परिवर्तन होजाये तो भिन्न भिन्न वस्तुओंकी उकाउयों को खरीदनेमें भी इसी प्रकार परिवर्तन होनेकी प्रवृत्ति होगी, जिससे अनुपात पूर्ववत् होजाये।

भिन्न भिन्न वस्तुओं पर द्रव्यको व्यय करनेके कोईभी व्यक्ति कुन उपयोगिताको तभी अधिकतम बना सकता है जब कि मोल लेगयी वस्तुओंकी सीमान्त उपयोगिताए उनके मूल्यके अनुपातमें हो।

वास्तविक सत्सारेमें भिन्न भिन्न वस्तुओंकी मागकी स्थिरता और अनेक मूल्यों में बहुत भिन्नता होनेके कारण इस अनुपातके अनुसार चयन कठिन होजाता है। परन्तु प्रवृत्ति इस प्रकारकी अवश्य रहती है। एक बात और भी ध्यानमें रखनेकी है कि कालान्तरमें फेसन और रुचिमें परिवर्तन होनेके कारण भिन्न भिन्न वस्तुओंकी सापेक्ष सीमान्तिक उपयोगिताओं में भी अन्तर आजाता है। यदि कुछ काल तक वस्तुओंके मूल्य और रुचिमें परिवर्तन न हो तो मनुष्यको अपने व्ययके वितरणसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनेमें सुगमता होगी।

3
माग
माग का तात्पर्य

अर्थशास्त्र में 'माग' शब्दका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थमें होता है। किसी मनुष्यकी किसीभी वस्तु सम्बन्धी माग उसके मूल्यके साथ निहित रहती है। 'मोहनकी २० आमकी माग है' यह वाक्य असम्बद्ध समझा जायेगा, जबतक इसके साथ आमका भाव न जोड़ दिया जाये। वस्तुतः हमको कहना चाहिए, 'यदि आमका मूल्य चार आने प्रति आम हो तो इस मूल्यपर मोहनकी माग २० आमकी है।' यदि आमका भाव चार आने न होकर पाच आने अथवा तीन आने हो तो सम्भव है कि मोहनकी मागमें भी अन्तर पड़ जाये। भिन्न भिन्न मूल्यों पर मोहनके लिए आमकी माग भिन्न भिन्न होगी। अतएव मागका तात्पर्य यह है कि किसी समय विशेषमें खरीदार भिन्न भिन्न मूल्योंपर किसी वस्तुकी कितनी इकाइया खरीदेगा ✓

मागका आवश्यकताओं और उनकी विशेषताओंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरे अध्यायमें हमने बताया है कि किसीभी वस्तुकी आवश्यकता की तीव्रता उस वस्तु के सग्रहसे कम होजाती है। आवश्यकता की तीव्रतामें न्यूनता आनेके कारण उस वस्तुकी उपयोगिता भी कम होतीचली जाती है अतएव उसका मूल्यभी उपभोक्ताकी दृष्टिमें गिरता जाता है। आवश्यकताकी तीव्रताका मागपर भी प्रभाव पडता है। यदि किसी मनुष्यको किसी वस्तुकी आवश्यकता बहुत तीव्रहो तो उसके लिए उस वस्तुकी उपयोगिता बहुत अधिक होगी और वह उसको अधिक मूल्यपर भी खरीद लेगा। परन्तु यदि आवश्यकता शिथिल पड़ गयीहो तो वह उस वस्तुको कम मूल्य पर खरीदना चाहेगा। इस प्रकार हम देखतेहै कि मोहन अधिक परिमाणमें आम खरीदना तभी पसन्द करेगा जबकि विक्रेता उनका मूल्य घटाये। अधिक मूल्य होने पर वह कम आम खरीदेगा। मागकी इस प्रवृत्तिका हम पृष्ठ पर दीगयी तालिका द्वारा निदर्शन कर सकते है :

मूल्य (आनों में)	मोहनकी मांग
८ प्रति आम	० आम
७ " "	१
६ " "	५
५ " "	१०
४ " "	२०
३ " "	३०
२ " "	३५


स्मरण रहे कि उपरिलिखित तालिका किमी विशेष व्यक्ति की किसी विशेष समय पर आमोकी मागकी द्योतक है; भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए एक ही समय पर अथवा एकही व्यक्तिके लिए भिन्न भिन्न समयों पर यह तालिका भी भिन्न हो-सकती है क्योंकि प्रत्येक मनुष्यकी किसीभी वस्तु सम्बन्धी माग उसकी आय, अभिरुचि और अन्य वस्तुओंके मूल्यपर अवलम्बित रहती है। इनमें परिवर्तन होने से उसकी मागमें भी परिवर्तन होनेकी सम्भावना रहती है। परन्तु किसी समय विशेषमें इन सब बातोंके यथावत् रहनेपर वह भिन्न भिन्न मूल्योंपर उस वस्तुको भिन्न भिन्न परिमाणों में खरीदनेको तत्पर रहेगा। भिन्न भिन्न मनुष्यों की आय, अभिरुचि, आवश्यकताकी तीव्रता किसी वस्तुके लिये भिन्न भिन्न होती है। अतएव प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न मूल्योंपर किसी वस्तुको समान परिमाणमें नहीं खरीदेगा। ऊपर दीगयी तालिकाके अनुसार मोहन ६ आनेके हिसाबसे ५ आम खरीदता है, दूसरे उपभोक्ताकी माग, जिसको आममें अधिक अभिरुचि नहीं है अथवा जो इस भावपर आम खरीदने में असमर्थ है, ६ आने प्रति आम मूल्य होनेपर शून्य हो सकती है। अतएव प्रत्येक उपभोक्ताकी आमकी मागकी तालिका भिन्न भिन्न होने की सम्भावना है। यदि हम किसी समय विशेषके लिए सभी उपभोक्ताओं की मागकी तालिकाओं का समुच्चय करें तो हमको सभी उपभोक्ताओं की कुल आमो की मागकी तालिका प्राप्त होसकती है। कल्पना कीजिए, आमोके बाजारमें पांच उपभोक्ताहैं, जिनकी किसी एक दिनकी मागकी तालिका निम्न प्रकारकी है :

प्रति ग्राम का मूल्य	दैनिक मांग					
	क	ख	ग	घ	ङ	कुल
८ आना	०	०	१	०	२	३
७	१	०	२	०	५	८
६	५	०	५	२	८	२०
५	१०	१	१०	५	१५	४१
४	२०	३	१५	१०	२५	७३
३	३०	५	२०	१५	३०	१००
२	३५	१०	२०	२०	३०	११५

अन्तिम कोष्टकमें उपभोक्ताओं की भिन्न भिन्न मूल्योंसे सम्बन्धित कुल माग पाचो उपभोक्ताओं की मागोंके योगसे प्राप्त कीगयी है। उदाहरणके लिए यदि आमोका मूल्य ४ आने प्रति ग्रामहो तो कुल माग ७३ होगी और यदि २ आने हो तो कुल माग ११५ होगी। इस कुल मागकी तालिकाको (तथा प्रत्येक उपभोक्ताकी माग की तालिकाको) रेखाचित्र द्वाराभी व्यक्त किया जासकता है।

मांग का नियम

माग की तालिका और रेखाचित्र से मागके विषयमें हमको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मालूम होती है। वह यहकि जैसे जैसे आमका मूल्य घटता जाता है, वैसे वैसे उसकी माग बढ़ती जाती है और जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है, वैसे वैसे माग घटती जाती है। यही बात स्वाभाविकभी मालूम पडती है। यदि किसी वस्तुको अधिक मात्रामें बेचनाहो तो उसके मूल्यको घटाना ही पडेगा; क्योंकि अधिक मात्रामें लेनेसे किसीभी उपभोक्ताको कम सीमान्तिक उपयोगिता प्राप्त होती है। अतएव अन्य बातोंके यथावत् रहनेपर उपभोक्ताओं को अधिक मात्रामें खरीदने के लिए मूल्य घटाकर ही आकृष्ट किया जासकता है। इसी बातको हम दूसरे प्रकारसे भी कह सकते हैं। कोई उपभोक्ता किसी मूल्यपर वस्तु खरीदता है तो



इस रेखाचित्रमें द'द रेखा मोहनके मागकी तालिका और द'द' रेखा कुल मागकी दर्शाती है।

वह अपनेको उसी मूल्यसे प्राप्त होनेवाली दूसरी वस्तुमें वचित करता है अर्थात् जिस दूसरी वस्तुको वह लेसकता था, उसका उमे त्याग करना पडता है। अब यदि उसको पहिली वस्तु कम मूल्यपर प्राप्त होसके तो दूसरी वस्तुकी अपेक्षा वह वस्तु अधिक क्रय सिद्ध हो जायेगी। अर्थात् यदि दो वस्तुओंमें प्रतियोगिता हो और उनमेंसे एकके मूल्यमें कमी करदी जाये तो जिस वस्तुका मूल्य कम कर दिया गया है उसकी माग बढ़ जायेगी और अपेक्षतः अधिक मूल्यवाली वस्तुके स्थानमें भी इसी वस्तुको अधिक मात्रामें लेनेकी प्रवृत्ति होगी क्योंकि मूल्यमें कमी होनेसे अन्य स्थानापन्न वस्तुओंका स्थानभी कुछ अंश तक वही वस्तु ग्रहण करने लगेगी। अतएव इसकी मागमें वृद्धि अवश्य हो जायेगी।


चाहे हम इस विषयको घटती हुई सीमान्तिक उपयोगिताके दृष्टिकोणसे देखें अथवा स्थानापन्न वस्तुओंके परिमाणमें अन्तरके दृष्टिकोणसे देखें, किसी वस्तुकी माग अधिक मूल्यपर कम और कम मूल्यपर अधिक रहेगी। इसीको माग का नियम भी कहते हैं। यह स्थिति रेखाचित्रमें दाहिनी ओर गिरती हुई मागकी रेखासे व्यक्त होती है।

मांग मे परिवर्तन

मागके नियमके अनुसार अन्य बातें यथावत् रहनेपर भी मूल्यमें कमी होनेसे किसी वस्तुकी मागमें वृद्धि और मूल्यमें वृद्धि होनेपर मागमें कमी होजाती है। यह प्रवृत्ति किसीभी मागकी तालिका अथवा मागकी रेखामें देखीजा सकती है। परन्तु मूल्यमें कमी अथवा वृद्धि न होने परभी किसी वस्तुकी मागमें कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। मागमें इसप्रकार होनेवाली कमी अथवा वृद्धिको 'मागमे परिवर्तन' के नामसे पुकारते हैं। परिवर्तनकी परिभाषा इसप्रकार है। यदि किन्हीं दियेगये मूल्योपर उपभोक्ता पहिलेसे कम अथवा अधिक परिमाणमें उस वस्तुको खरीदें तो हम कहतेहैं कि उस वस्तुकी मागमें परिवर्तन होगया है। यदि दियेगये मूल्यो पर उपभोक्ता पहिलेसे अधिक परिमाणमें उस वस्तुको खरीदे तो हम कहेंगे किमाग का प्रसार हुआ और यदि कम मात्रामे खरीदें तो हम कहेंगे कि मागमें सकुचन हुआ। नीचे दीहुई तालिकामें मागके परिवर्तनको दिखाया गया है :

आमोका मूल्य (आना)	पहिलेकी माग	इकाई की माग	
		क	ख
८ प्रति आम	३	५	०
७ " "	८	१२	२
६ " "	२०	३०	१०
५ " "	४१	६०	२५
४ " "	७३	९०	४५
३ " "	१००	१२०	६०
२ " "	११५	१४०	८५

नयी मागका कोष्टक (क) मागमें प्रसार और कोष्टक (ख) मागमें सकुचन सूचित करता है। इस तालिकाको रेखाचित्रमें पृष्ठ पर दिखाया गया है :



पिछली मागको d d रेखासे दिग्गताया गया है। d' d' रेखासे मांगमें सकुचन और d'' d'' रेखासे मांगमें प्रसार दिखलाया गया है।

इस प्रकार हम देखतेहैं कि मागमें परिवर्तन होनेपर मागकी तालिका और रेखाचित्र बदल जाते हैं। मागमें परिवर्तन होनेका कारण यहहै कि अन्य सब बातें पूर्ववत् नहीं रहती हैं। घट बढ़ होनेसे, भिन्न भिन्न वस्तुओं सम्बन्धी अभिरुचि में परिवर्तन होनेसे अथवा अन्य वस्तुओंको कम या अधिक मात्रा और मूल्यमें प्राप्त होनेके कारणभी किसी वस्तुकी मागमें परिवर्तन होसकता है। साधारणतः आय की वृद्धिसे किसी वस्तुकी कुल मागमें प्रसार और आयकी कमीसे मांगमें सकुचन होजाता है। यदि किसी कारणसे लोग आमोको पहिलेसे अधिक पसन्द करने लगे तो भी मागका प्रसार होगा और यदि कम पसन्द करें तो माग सकुचित हो जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी वस्तुकी प्रतिरूप वस्तुओंकी सख्यामें वृद्धि होजाये अथवा किसी प्रतियोगिता वाली वस्तुका मूल्य कम करदिया जाये तो पहिली वस्तुकी मागमें संकुचन हो जायेगा। इसके प्रतिकूल यदि प्रतिरूप वस्तुओंकी सख्या कम होजाय अथवा किसी प्रतियोगिता करनेवाली वस्तुका मूल्य बढ़जाये तो पहिली वस्तुकी मागमें प्रसार होगा। उदाहरणके लिए यदि कोई नया फल बाजारमें विकने लगे तो कुछ लोग आमोकी कमी करके इस नये फलको लेने लगेंगे। अतएव आमकी मागकी रेखा बायी ओर नीचेको होजायेगी। और यदि सेब, सन्तरा इत्यादि फलोके मूल्यमें

वृद्धि होजाये तो कुछ लोग इनके बदले आम लेने लगेंगे और आमकी मागमें प्रसार होजायेगा।

मांग की लोच

अभी हम देख चुके हैं कि मूल्यमें परिवर्तन होनेसे किसी वस्तु की मागके परिमाणमें भी परिवर्तन होजाता है। परन्तु सभी वस्तुओके मूल्यमें कुछ घट-बढ़ हो जानेका प्रभाव सभी मनुष्यो पर एकसा नहीं पडता। कुछ वस्तुए ऐसी होती हैं जिनके मूल्यमें थोडासा अन्तर होजाने पर उनकी मागमें विशेष परिवर्तन नहीं होताहै जैसे नमक। परन्तु यह बात चीनीके लिए नहीं कह सकते हैं। यदि चीनीका मूल्य १ रुपया प्रति सेर से घटकर १४ आने प्रति सेर होजाये तो उसकी मागमें अवश्य ही वृद्धि होगी और १ रुपया २ आने प्रति सेर होनेपर माग घट जायेगी। हा यहवात अवश्यहै कि कुछ धनीलोग जिनकी १ रुपयेके भावपर चीनीकी आवश्यकता पूर्णरूप से तृप्त होजाती है, वह १४ आने सेरके हिसाबसे भी उतनी ही मात्रामें चीनी खरीदेंगे और १ रुपया २ आने प्रति सेरपर भी उतनीही मात्रामें खरीदेंगे। यदि चीनी २ आने प्रति सेरके हिसाबसे विकने लगे तो प्रायः सभीलोग इस भावपर चीनीको पर्याप्त परिमाणमें खरीद लेंगे और डेढ आने प्रति सेरपर मांगमें विशेष वृद्धि न होगी। किसी वस्तुके मूल्यमें परिवर्तन होनेसे जो मागके परिमाणमें परिवर्तन होजाता है उसको मागकी लोच कहते हैं। अर्थात् मागकी लोच मूल्य-परिवर्तनसे प्रभावित होकर मागमें पडनेवाले अन्तरकी माप है। यदि मूल्यके परिवर्तनसे मागमें कुछभी अन्तर न हो तो उसको बेलोच माग कहेंगे। शायदही ऐसी कोई वस्तुहो जिसकी समुदायिक माग बेलोच हो। वास्तवमें भिन्न भिन्न वस्तुओकी माग कम या अधिक लोचदार होती है। इसको जाननेकी एक सुगम रीति यहहै कि किसी वस्तुके मूल्यमें परिवर्तन होनेके कारण उस वस्तुमें कियेगये व्यय में परिवर्तनको मालूम किया जाय। मान लीजिये आमके मूल्यमें कुछ वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मागकी मात्रामें इतनीही कमी हुई कि उसपर कियागया कुल व्यय पूर्ववत्ही रहा अथवा आमके मूल्यमें कुछ कमी होनेपर उसकी मागमें इतनीही वृद्धि हुई कि उसपर कियागया कुल व्यय उतनाही रहा


रेखाचित्र (क) में द १ और द २ मूल्योके अन्तर्गत मागकी लोच इकाईसे अधिक है क्योंकि 'म' प २' 'द २, व २' का क्षेत्रफल (कुल मूल्य) 'म, प १' 'द १, व १' से अधिक है। चित्र (ख) में 'द ३' और 'द ४' के अन्तर्गत मागकी लोच इकाई है क्योंकि 'म, प ३' 'द ३ व ३' और 'म, प ४' 'प ४, व ४' का क्षेत्रफल बराबर है और रेखा चित्र (ग) में 'द ५' और 'द ६' मूल्योके अतर्गत मागकी लोच इकाईसे कम है क्योंकि 'म, प ६' 'द ६, व ६' का क्षेत्रफल 'म, प ५' 'द ५, व ५' से कम है। इन तीनों रेखाचित्रों में मागकी रेखाएँ एकसी हैं परन्तु मागकी रेखाओंके एक सी होनेका तात्पर्य यह न समझना चाहिये कि मागकी लोच भी एकसी ही है; भिन्न भिन्न मूल्योपर लोच भिन्न भिन्न है। अतएव हमको बिना विश्लेषणके नहीं कहना चाहिए कि किसी वस्तुकी माग कम या अधिक लोचवाली है, जबतक कि सारी रेखाकी एक सी लोच न हो। चूकि लोच भिन्न भिन्न मूल्योपर भिन्न भिन्न होसकती है इस कारण मागकी लोचका विवेचन करते समय हमको किसी मूल्य-विशेषपर लोचके सम्बन्धमें बताना चाहिए।

एक और प्रकारसे मागकी लोच अको द्वारा प्रकटकी जासकती है। यदि किसी वस्तुके मूल्यमें कमी होनेके कारण माग उसी अनुपातमें बढे तो हम कहेंगे कि लोच एक इकाई है। यदि माग अधिक अनुपातमें बढे तो लोच एकसे अधिक है और यदि माग कम अनुपातमें बढे तो लोच एकसे कम समझी जायेगी। यदि माग विलकुल ही न बढे तो लोच शून्य समझी जायेगी। इस सम्बन्धको निम्नलिखित समीकरण के रूपमें लिख सकते हैं :

$$\text{लोच} = \frac{\text{मागमें प्रतिशत वृद्धि}}{\text{मूल्यमें प्रतिशत कमी}}$$

उदाहरणके लिये यदि आमके मूल्यमें १० प्रतिशत कमी होनेपर उसकी मागके परिमाणमें १० प्रतिशत वृद्धि हो तो लोच एक इकाई, १५ प्रतिशत वृद्धि होनेपर इकाईसे अधिक और ५ प्रतिशत वृद्धि होनेपर इकाईसे कम और पूर्ववत् रहनेपर शून्य होगी।

गणितकी ओर जिनकी प्रवृत्ति हो, ऐसे पाठकोके लिए मागकी लोचको रेखाचित्र द्वारा दिखलाया और मापा जा सकता है।



इस चित्रमें 'म, क' रेखा द्वारा मूल्य और 'म, ख' रेखा द्वारा मागका परिमाण दिखाया गया है। 'द, द' किसी वस्तुकी मागकी रेखा है। 'प' इस रेखापर एक बिन्दु है जो यह दिखलाता है कि 'म, ख' मूल्यपर 'म ग' माग है। 'क ख' रेखा 'प' बिन्दु पर स्पर्श-रेखा है। मागकी लोच 'प' बिन्दुपर 'प क': 'प ख' अनुपात द्वारा प्रकट कीजाती है। यदि $\frac{प ख}{प क} = (२ \times \frac{प क}{प ख})$ तो मागकी लोच २ हुई, अर्थात् यदि मूल्यमें एक प्रतिशत कमीहो तो मागके परिमाणमें २ प्रतिशत वृद्धि होगी। इसी सम्बन्धको 'ग क': 'ग म' अथवा 'म ख': 'ख क' अनुपात द्वाराभी प्रकट कर सकते हैं।

माग की लोच में भिन्नता

किसीभी वस्तुकी माग-लोच सभी मनुष्यो अथवा सभी मूल्योपर समान नहीं

होसकती है। फिरभी साधारणतः हम कह सकतेहै कि आवश्यकताकी वस्तुओकी माग कम लोचदार होतीहै और विलासिताकी वस्तुओकी माग अधिक लोचदार होती है। इसीप्रकार हम कह सकतेहै कि साधारणतः किसी वस्तुके ऊंचे मूल्य-स्तरों पर माग अधिक लोचदार होती है और जैसे जैसे मूल्य गिरता जाता है, लोच भी कम होती जाती है। यहा तक कि बहुत कम मूल्य-स्तर पर लोच शून्य होसकती है। उदाहरणके लिए घडीकी मागसे गेहूकी माग कम लोचदार होगी और घडीकी मागमें भी ऊंचे मूल्यपर अधिक लोच और बहुत कम मूल्यपर कम लोचकी सम्भावना होगी। इस प्रकारके साधारण सम्बन्धोंमें कठिनाई यह होतीहै कि कोई वस्तु एक मनुष्यके लिये आवश्यकताकी और दूसरेके लिए विलासिताकी वस्तु समझी जा सकती है। उदाहरणके लिए विश्वविद्यालयका छात्र फाउन्टेनपेन को आवश्यक वस्तु समझे परन्तु एक मजदूरके लिए तो वह विलासिताकी वस्तु ही समझी जायेगी। इसी प्रकार धनी व्यक्तिके लिए दो रुपये सेरके हिसाबसे चीनीका मूल्य भले ही ऊंचा न हो परन्तु एक मध्यम श्रेणीके व्यक्तिके लिए तो यह मूल्य ऊंचाही होगा।

मागकी लोचमें भिन्नता होनेके कुछ प्रमुख कारण नीचे दिये जाते है :

(१) यदि किसी वस्तुकी स्थानापन्न वस्तुए प्रचुरतासे प्राप्त हो और वह उस वस्तुका स्थान सुगमताके साथ ग्रहण कर सकें तो उस वस्तुकी माग अधिक लोचदार होगी। इसका कारण यहहै कि यदि उस वस्तुके मूल्यमें कमी होजाये तो लोग अन्य स्थानापन्न वस्तुओके बदले इस वस्तुको अधिक मात्रामें लेने लगेंगे और यदि उसके मूल्यमें वृद्धि होजाये तो इसको छोडकर अन्य स्थानापन्न वस्तुओको लेंगे जिससे इसकी मागमें अधिक कमी होजायेगी।

यदि किसी वस्तुकी कोई योग्य स्थानापन्न वस्तु न हो अथवा स्थानापन्न वस्तुओं की सख्यामें कमी होजाये तो उस वस्तुकी माग कम लोचदार हो जायेगी; क्योंकि वस्तुओके चुनावका क्षेत्र इस प्रकार सकुचित होजाता है। उदाहरणके लिए बाजारमें अनेक प्रकारकी चाय विकती है। यदि एक प्रकारकी चायके मूल्यमें वृद्धि होजाये तो अनेक लोग दूसरे प्रकारकी चाय खरीदने लगेंगे। अतएव पहिली चाय की मागमें बहुत कमीकी सम्भावना रहेगी। परन्तु यदि एकही प्रकारकी चाय होती तो चायके उपभोक्ताओको यह सुविधा प्राप्त न होती और मूल्य बढ़नेपर भी उनको यही चाय खरीदनी पडती अर्थात् चायकी माग कम लोचदार होती।

(२) यदि किसी वस्तुका उपयोग अनेक कार्योंमें होसकता ही तो उसकी माग अधिक लोचदार होगी क्योंकि मूल्यके गिर जानेसे उग वस्तुका उपयोग उन कार्यों में भी होने लगेगा जिनमें उंचे मूल्यपर नहीं किया जाता था और मूल्यके बढ़जाने पर उस वस्तुका उपयोग अधिक आवश्यक कार्यों तकही सीमित रहेगा।

(३) यदि किसी वस्तुके मूल्य बहुत ऊंचे स्तरसे गिरकर नीचे स्तरपर आजायें तो न केवल ऊंचे मूल्यपर खरीदनेवाले उपभोक्ता उग वस्तुको अधिक मात्रामें खरीदने लगेंगे वरन् निम्न आयवाले उपभोक्ताभी उगकी और अधिक संख्यामें आकर्षित होने लगेंगे। निम्न आयवाले उपभोक्ता अधिक संख्यामें पाये जाते हैं अतएव ऐसा होनेपर मागमें अधिक वृद्धि होजाती है। ऐसी अवस्थामें माग अधिक लोचदार होजाती है। परन्तु यदि किसी वस्तुका मूल्य आरम्भसे ही इनने नीचे स्तर पर हो कि न्यूनतम आयवाले उपभोक्ताभी उग मूल्यपर पर्याप्त मात्रामें उस वस्तुको खरीद लेतेहैं तो ऐसी अवस्थामें मूल्य घटनेपर मागमें बहुत कम वृद्धि होगी। अर्थात् मागमें बहुत कम लोच रहेगी।

(४) यदि कुल व्ययकी तुलनामें कि नी एक वस्तु पर नगण्य व्यय होना है तो उस वस्तु की मागमें कम लोच रहती है। उदाहरणके लिए किसी परिवारमें महीनेमें भोजनके पदार्थोंमें जितना व्यय होताहै उसकी तुलनामें नमक पर नगण्य ही व्यय होता है। अतएव यदि नमकके मूल्यमें वृद्धि होजाये तो भी उसकी मागमें अधिक कमी नहीं होगी। परन्तु यदि कुल व्ययका एक बड़ा भाग किसी एकही वस्तुके उपर होताहो तो ऐसी वस्तुके मूल्यमें वृद्धि होनेसे उसकी मागके परिमाणको अधिक घटानेका प्रवृत्ति होगी।

यदि दो वस्तुओंकी माग सम्मिलित हो तो जिस वस्तुपर कम व्यय होताहै, उस की मागमें कम लोच होती है। उदाहरणके लिए धूम्रपानके लिए सिगरेट और दियासलाईकी सम्मिलित माग रहतीहै और धूम्रपानके कुल व्ययमें दियासलाई पर किया गया व्यय बहुत कम रहता है। अतएव दियासलाईके मूल्यमें वृद्धि होने के कारण धूम्रपानमें अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और दियासलाईकी मागमें भी अधिक कमी नहीं होगी।

(५) जो वस्तुएं टिकाऊ होतीहैं और जो मरम्मत होनेपर कामके योग्य बन सकतीहैं उनकी मागमें अधिक लोच होती है। उदाहरणके लिए यदि जूतोंके

मूल्यमें वृद्धि होजाये तो हम कुछ समय तक मरम्मत करवा कर पुराने जूतोसे काम चला सकते हैं। नये जूतोके मूल्यकी तुलनामें मरम्मतमें बहुत कम पैसा लगता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तुकी मागकी लोचका विषय पेचीला है। इसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए कई बातोंको साथ साथ ध्यानमें रखना पड़ता है।

मांग की लोच का महत्व

मागकी लोचका ज्ञान अनेक व्यावहारिक कार्योंमें आवश्यक होता है। किसी भी उत्पादक अथवा विक्रेताको केवल इतनाही जान लेना पर्याप्त नहीं होता कि वह चालू मूल्यपर किसी वस्तुको किस परिमाणमें बेच सकता है। वह यहभी जानना चाहेगा कि यदि वह किसी वस्तुका मूल्य कम करे तो उसकी विक्रीमें कितनी वृद्धि होगी। यदि मूल्यमें कमी करनेसे माग बहुत बढ़ जातीहै तो सम्भवतः मूल्य घटानेसे प्रति अदद जो क्षति उसको होतीहै, उससे अधिक लाभ उसको विक्रीमें वृद्धिसे होसकता है। परन्तु यदि माग बहुत कम बढ़े तो उसको हानि होनेकी सम्भावना है। साधारणतः जिन वस्तुओंमें बहुत कम लोच रहतीहै उनका मूल्य अधिक रहनेपर विक्रेताको अधिक लाभ होनेकी सम्भावना रहती है। प्रत्येक विक्रेता को, चाहे वह वस्तुओंको बेचे अथवा अपना श्रम बेचे, यह बात-ध्यानमें रखनी पड़तीहै कि प्रत्येक अवस्थामें मूल्य अधिक रखनेसे ही अधिक आय नहीं होती है। एकाधिकारीको अपना मूल्य और उत्पत्तिकी मात्राका निर्धारण करनेमें विशेष रूप से मागकी लोचको ध्यानमें रखना पड़ता है; जैसाकि एकाधिकारी मूल्यके प्रकरण में बताया जायेगा।


राज्यको भी अपनी कर-नीतिके सम्बन्धमें मागकी लोचको ध्यानमें रखना पड़ता है। यदि किसी वस्तुपर राज्यको अपनी आय बढ़ानेके लिये कर लगाना आवश्यकहो तो वह ऐसी वस्तुओं पर कर लगाताहै जिनकी मागमें कम लोच हो। यदि अधिक लोचवाली वस्तुओं पर कर लगाया जाये तो करके कारण मूल्यमें वृद्धि होने पर उनकी माग बहुत घट जायेगी और राज्यको अधिक आय नहीं होगी।

उपभोक्ता की बचत

कुछ समय पूर्व अर्थशास्त्र की पुस्तकोंमें 'उपभोक्ताकी बचत' के विषयको बहुत

बड़ा महत्व दिया जाता था। क्रमागत उपयोगिता-द्वय नियम और मांगकी तालिका पर इसको आन्वयित किया गया है। किसी भी उपभोक्ताको किसी भी वस्तुकी प्रारम्भिक उकाउयोगे अधिक तृप्ति तथा क्रमागत बढ़ती हुई उकाउयोगे कम तृप्ति मिलती है। अतः वह प्रारम्भिक उकाउयोगे निये अधिक मूल्य देनेको तत्पर होगा और बढ़तीहुई उकाउयोगे पर कम मूल्य लगावेगा क्योंकि उमकी आवश्यकताकी उग्रता कम होती जाती है। उदाहरणके लिए मान लीजिए एक रुमालके लिए कोई मनुष्य एक रुपया तक देनेको तैयार है, दूसरे रुमालके लिए बारह आना और तीसरेके लिए आठ आना क्योंकि एक रुमालसे वह एक रुपयेके बराबर तृप्ति की, दो रुमाल खरीदनेपर बारह आनेके बराबर तृप्तिमें वृद्धिकी अर्थात् १ रुपया १२ आनेके बराबर कुल तृप्तिकी और तीन रुमाल खरीदने पर आठ आनेके बराबर तृप्ति में वृद्धिकी अर्थात् २ रुपये ४ आनेके बराबर कुल तृप्तिकी आशा करता है। यदि बाजारमें प्रति रुमालका मूल्य आठ आना हो तो वह तीन रुमाल खरीदेगा, जिनका मूल्य डेढ़ रुपया हुआ। परन्तु उसको कुल तृप्ति सवा दो रुपयेके बराबर हुई क्योंकि वह तीन रुमालोके लिए सवा दो रुपये तक देनेको तत्पर था। अतएव उसको (सवा दो-डेढ़) अर्थात् १२ आनेकी वचत हुई। इस उदाहरणको रेखाचित्र द्वाराभी दिखाया जा सकता है।

इस रेखाचित्रमें उपभोक्ता एक रुमालके लिये १ रुपया तक मूल्य देनेको तत्पर है। उपयोगिताके रूपमें हम कह सकतेहैं कि वह एक रुमालसे 'म प' 'क य' उपयोगिता प्राप्त करनेकी आशा करता है। दूसरे रुमालसे १२ आने अथवा 'प फ' 'ख क' उपयोगिता और तीसरेसे ८ आने अथवा 'फ व' 'ग ख' उपयोगिताकी आशा करता है। तीन रुमालो पर ८ आना प्रति रुमालकी दर अर्थात् 'म ल' मूल्य पर कुल व्यय डेढ़ रुपया अर्थात् 'म व' 'ग ल' हुआ। उपयोगिताके शब्दोंमें उसको डेढ़ रुपया देनेसे अपनेको 'म व ग ल' के बराबर उपयोगितासे वंचित करना पडा। परन्तु उसको तीन रुमालोसे १ रुपया + १२ आने + ८ आने = सवा दो रुपया अथवा 'म व ग क य' क्षेत्रफलके बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। अतएव सवा दो रुपया - डेढ़ रुपया = १२ आने अथवा 'म व ग क य' - 'म व ग ल' = 'य क ग ल' क्षेत्रफलके बराबर उपभोक्ता की वचत हुई।



उपभोक्ताकी बचतको सख्याके रूपमें अथवा क्षेत्रफलके रूपमें प्रकट करनेमें कोई वास्तविकता नहीं है। हम जानतेहै कि उपयोगिताकी सख्यामें माप नहीं हो सकती है। यह कहना कि उपयोगिता कम या अधिक है; एक बातहै और यह कहना कि उपयोगिता १०० है अथवा ८० है, दूसरी बात है। इसी प्रकार उपयोगिताके आधारपर यह कहना कि वस्तुकी पहिली प्रतिके लिए कोई मनुष्य १० रुपये देनेको तत्पर है, दूसरीके लिए ६ रुपये इत्यादि औरभी भ्रम-मूलक है। समाजमें भिन्न भिन्न परिस्थिति, रुचि और आयके लोग रहते है, जिनके सम्बन्धमें किसीभी वस्तुकी भिन्न भिन्न प्रतिकोकी उपयोगिताकी सख्यामें अथवा मूल्यके रूप में प्रकट करना असम्भव कार्य है। इसके अतिरिक्त किसी वस्तुके लिए कोई मनुष्य कितना द्रव्य देनेको तत्पर है, यह उस वस्तुकी स्थानापन्न वस्तुओकी उपस्थिति और उनके मूल्य परभी निर्भर रहता है। यदि भूखके निवारणके लिए केवल रोटीही एक वस्तुहो तो एक भूखा मनुष्य एक रोटीके लिए सब कुछ देनेके लिए तत्पर होसकता है। परन्तु पेट भरनेके लिए अन्य वस्तुओकी उपस्थिति में

उसकी यह भावना नहीं होगी। एक भूगा धनी मनुष्य एक रोटी के लिए १००० रुपये तक देने को तत्पर हो सकता है परन्तु यदि रोटी १ आने की मिलती हो तो इस कथनको कि रोटीसे उमको ६६६ रुपये १५ आनेके बराबर उपभोगिता की वचत हुई, व्यवहारिक ज्ञान माननेको हम तैयार नहीं हो सकते हैं। उम प्रसंगमें हम यहभी बतला देना चाहते हैं कि हम मांगकी रेंगाको उन मूर्योके सम्बन्धमें नहीं बना सकते हैं जो व्यवहारमें कभी रहती नहीं। अर्थात् यदि रोटीका मूल्य १००० रुपये प्रति रोटीही तो कितनी माग होगी, यह अ हमें बतलाना असम्बद्ध बात है। जो चलते मूल्यहैं उन्ही के सम्बन्धमें मागका परिमाण बतलाया जा सकता है। इसीप्रकार एक भूखे आदमीको पहिली रोटीसे बेहिमाव उपयोगिता मिलती है। अतएव किसी वस्तुको मोल लेनेसे प्राप्त उपभोगिताकी वचतको निर्धारित करना असम्भव होजाता है।

तटस्थ रेखाएं


उपयोगिता का दोष

उपयोगिताका उपयुक्त माप न होनेके कारण तटस्थ रेखाओं द्वारा माग और माग के नियमोंका अध्ययन किया जाना लगा है। इन रेखाओंके जन्मदाता तो एजवर्थ थे परन्तु अर्थशास्त्रमें इनका प्रयोग पैरेटो और हिक्सने किया है।

एजवर्थ ने इन रेखाओंकी परिभाषा इस प्रकारकी है; तटस्थ रेखा वह पथ है जिसपर चलनेसे एक वस्तुके स्थानपर दूसरी वस्तुको किसीभी प्रकार और किसी भी मात्रामें प्रयोगमें लानेसे व्यक्ति विशेषको प्रत्येक स्थितिमें समान ही तृप्ति प्राप्त होती है। तटस्थ रेखा बनानेके लिए हमें तटस्थ तालिकाकी आवश्यकता पडती है। वह इसप्रकार बनायी जासकती है। मान लीजिए मेरे पास १०० ग्राम और आपके पास कुछ केले हैं। आप मुझे अपने भण्डारमें से केले उठानेकी आज्ञा देते हैं, किन्तु एक प्रतिबन्ध लगाकर। आपके भण्डारसे मैं केले तभी ले सकूंगा जब उन्हें अपनेलिए उपयोगी समझूंगा। आपका प्रतिबन्ध केवल इतना है; 'केले चाहे जितने उठालो परन्तु उनके समान उपयोगिता जितने आमोसे तुम्हें मिलती है, उतने आम मेरे भण्डार में रख दो।' मानलिया कि पहिला केला उठाकर मैंने २० ग्राम रख दिये। दूसरा उठाकर १६, तीसरा उठाकर १०, फिर दो उठाकर १२ इत्यादि। स्पष्ट है कि इस प्रकारके जितनेभी विनिमय होंगे उनके बाद प्रत्येकवार मेरेपास जितनेभी आम और केलोके समूह होंगे, उनसे कुल मिलाकर मुझे समान ही तृप्ति प्राप्त होती रहेगी क्योंकि आमोके रूपमें हम प्रत्येकवार जितनी उपयोगिता देते हैं, केलोके रूपमें ठीक उतनीही हमें मिलजाती है। पृष्ठपर एक तटस्थ तालिका दीगयी है:

१००	ग्राम	+	० केलो
८०	"	+	१ "
६४	"	+	२ "
५४	"	+	३ "
४२	"	+	५ "
३३	"	+	८ "
२१	"	+	१४ "
१६	"	+	१८ "
१२	"	+	२६ "
६	"	+	४४ "
२	"	+	५२ "
१	"	+	६० "


हर पक्तिमें दिये गये ग्रामों और केलोके समूहसे हमें एकही जैसी तृप्ति प्राप्त होती है। इन समूहोंको हम अपने ज्यामितिज्ञान द्वारा रेखांकित कागजपर इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं :



इस रेखाचित्रमें 'म, क' और 'म, ख' प्रधान रेखायें हैं जोकि एक दूसरे पर 'म' बिन्दुपर समकोण बनाती हैं। 'म' बिन्दुको आरम्भ स्थान कहते हैं। और 'म, क' रेखापर ग्राम दिखाये गये हैं और 'म, ख' रेखापर केलो।

तटस्थ रेखा का आकार

इस प्रकार ऊपर दिखायेगये प्रत्येक समूहके लिए हमें एक बिन्दु प्राप्त होगा। इन सब बिन्दुओं से होकर जानेवाली वक्ररेखा का नाम तटस्थरेखा है। आरम्भमें १०० ग्रामोंके हमारे पास होनेसे हमें एक तटस्थरेखा प्राप्त होती है। यदि आरम्भमें हमारेपास १०० ग्राम न होकर ८० ग्रामही होते तो दूसरी तटस्थरेखा बनती जो पहिली रेखाके बायीओर नीचे होती तथा १२० ग्राम होनेसे तीसरी और पहिली से ऊची। इस प्रकार बहुतसी रेखाओंके समूहसे हमें एक तटस्थ रेखाचित्र प्राप्त होता है। उसका आकार प्रकार निम्नांकित होगा :



ये रेखाएं आरम्भ स्थान 'म' की ओर उभरीहुई रहती हैं। ऊची और दायी ओरकी रेखाएं उन समूहोंकी द्योतक हैं जिनकी उपयोगिता नीची और बायी ओर की रेखाओं द्वारा द्योतक समूहोंसे अधिक है।

नीची रेखासे चाहे हम दायी ओर वढ़ें, चाहे ऊपरकी ओर, हम एक ऊची रेखापर पहुंच जायेंगे, इसका अर्थ यहहुआ कि एकवस्तु तो हमारेपास वैसीकी वैसी रहे, परन्तु दूसरी हमें और मिलजाये तो हमें अधिक तृप्ति प्राप्त होगी। उदाहरणके लिए ऊपर दीगयी तालिकाके अनुसार ३३ ग्राम और ८ केलोंके समूह के स्थानपर यदि ३३ ग्राम और १० केलोंके तो इस समूहसे हमें पहिले समूहकी

अपेक्षा अधिक तृप्ति प्राप्त होगी। उन रेखाओंका समानान्तर होना आवश्यक नहीं है।

पैरेटो का विचारया कि उपयोगिताको काममें लायेगिना तदर्थय रेखाओंको सहायतासे मापना पूरा मित्रान नजर्तिया जायता है परन्तु अधिक मिद्वान्तकी व्याख्या करने समय वह स्वय उपयोगिताको मापी जानकने वाली वस्तु ही मानता रहा। हिासने पैरेटोके उन विचारको कार्यरामे परिणत करनेका प्रयत्न किया है।

स्थानापन्नता की दर

इतनातो कहनेमें आपत्ति नहीं कि उपभोगता वस्तुओंके एक समूहको दूसरे समूहने वांछनीय समझता है। किन्तु वांछनीय समझना है, उससे हमारा प्रयोजन नहीं। इस सिद्धान्तके लिए इतनाही कहना पर्याप्तहै कि वह अधिक वांछनीय समझता है। वस्तुओंके संग्रहकी सीमान्त इकाई वह होतीहै जिसकी प्राप्ति या हानिपर विचार किया जा रहा हो। जब किसी समूहसे एक वस्तुकी इकाइयां निकालकर दूसरी वस्तुकी इकाइयोको रखा जा रहा होताहै तबहम पहिली वस्तुके स्थानपर दूसरी वस्तुको स्थानापन्न करना चाहते हैं। स्थानापन्नताकी दरसे हमारा तात्पर्य पहिली वस्तुकी उतनी इकाइयोसे है जिनके स्थानपर दूसरी वस्तुकी एक इकाईको स्थानापन्न कियाजाता है। हमारी तटस्थ तालिकामें हमारेपाम ८० ग्राम और १ केला था। उसके उपरान्त हमें १६ ग्राम देकर १ केला मिला। सीमान्त स्थानापन्नताकी दर १६-१ हुई तदनन्तर हमें १० ग्राम देकर १ केला मिला तब सीमान्त आमोके स्थानापन्नताकी दर १०-१ हुई। फिर दो स्थानमें १२ केले मिले अतएव सीमान्त स्थानापन्नताकी दर ६-१ हुई। इसके बाद ३-१ इत्यादि।

इस दरका एकगुण यहहै कि यह ठीक उसीप्रकार घटती जातीहै जैसेकि सीमान्त उपयोगिताका क्रमशः ह्रास होता चला जाता है। यदि हम उपयोगिताको भली-प्रकार मापनेमें असमर्थ हैं तो सीमान्त उपयोगिताको मापनाभी हमारे सामर्थ्य में नहीं है। परन्तु दो वस्तुओंकी सीमान्त उपयोगिताओंको पृथक पृथक मापनेमें असमर्थ होने पर भी उनके पारस्परिक अनुपातको ठीक प्रकारसे मापनेका तटस्थ रेखाओंद्वारा एक ढग है।

सीमान्त उपयोगिताओं का अनुपात

मानलीजिए हमारेपास 'क' और 'ख' दो वस्तुओंका एक समूह है और इस समूह से हमें कुछ उपयोगिता मिलरही है। हम 'क' की कुछ इकाइयोंके स्थानपर 'ख' की कुछ इकाइया लेनाभी चाहते हैं परन्तु इसप्रकार कि 'क' की इकाइया देकर हमें उपयोगिताकी जितनी हानिहुई वह सब 'ख' की इकाइयोसे पूरी होजायेगी अर्थात् हमें मिलनेवाली उपयोगितामें इस अदल-बदलके कारण हानि न हो या यो कहलीजिए कि इस अदल-बदलके होते हुएभी हम एकही तटस्थरेखा पर ऊपर नीचे होते रहे। इस लेनदेनमें हमें उपयोगिताका कुल लाभ 'ख' की कुल प्राप्त इकाइया × 'ख' की सीमान्त उपयोगिता होगी और उपयोगिताकी कुल हानि 'क' की कुल दीगयी इकाई × 'क' की सीमान्त उपयोगिता होगी। यह हानि-लाभ परस्पर बराबर होना चाहिए। इस सम्बन्धको नीचे दिये समीकरण द्वारा दिखाया गया है:


'ख' की प्राप्त इकाइया × 'ख' की सीमान्त उपयोगिता =

'क' की दीहुई इकाइया × 'क' की सीमान्त उपयोगिता

अथवा $\frac{\text{'क' की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{'ख' की सीमान्त उपयोगिता}} = \frac{\text{'ख' की प्राप्त इकाइया}}{\text{'क' की दीगयी इकाइया}}$

तटस्थ रेखा की स्पर्शरेखा और उसका ढलान

इसप्रकार सीमान्त उपयोगिताओंके पारस्परिक अनुपातको ठीक प्रकारसे मापने का एक ढग हमें प्राप्त होजाता है। इस अनुपातको तटस्थरेखा द्वारा दिखानेका भी एक ढग है। मान लीजिए 'ल' 'व' एक तटस्थ रेखा है। इस रेखापर 'प' कोई बिन्दु ले लीजिए। इस बिन्दुसे मुख्य रेखाओंपर 'प, च' और 'प, घ' दो लम्ब खींचिये। 'प, ल' रेखा इस प्रकार खींचिए कि वह तटस्थ रेखा को 'प' बिन्दु पर केवल स्पर्शही करे, जैसाकि पृष्ठपर के चित्रमें दिखाया गया है:



तब जिससमय किसी व्यक्तिके पास 'क' की 'प, घ' अथवा 'म, च' मात्रा और 'ख' की 'प, च' मात्रा हो तो :

$$\frac{\text{'क' की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{'ख' की सीमान्त उपयोगिता}} = \frac{\text{'प, च'}}{\text{'म, च'}}$$

इस अनुपातको 'प, ल' रेखाकी ढलान कहाजाता है और यह ढलान ज्यामिति के नियमके अनुसार भलीप्रकार मापा जासकता है। इससे सिद्धहुआ कि पृथक सीमान्त उपयोगिताके स्थानपर उन दोनोके अनुपातको केवल अनुमानसे ही नहीं प्रत्युत् गणित शास्त्रके नियमके अनुसार भलीप्रकार मापा जासकता है।


इसप्रकार तटस्थ रेखा, किसी बिन्दुपर उसकी ढलान और सीमान्त स्थानापन्नता की दरकी सहायतासे उपयोगिता, सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता के ह्रास नियमके बिनाही मागके सिद्धान्त को खड़ा किया जासकता है।

आय रेखा

मान लीजिए कोई उपभोक्ता अपनी कुल आय केवल दो वस्तुओं 'क' और 'ख' पर व्यय करता है और निम्नलिखित बातोंसे परिचित है :

- (१) तटस्थ रेखाचित्र, जो नीचे दिखाया गया है।
- (२) कुल आय।
- (३) 'क' और 'ख' का बाजार-मूल्य।


इस आयसे वह उपभोक्ता 'क' और 'ख' को किस मात्रामें खरीदेगा हम 'क' और 'ख' की उपयोगिताको जाने बिनाही मालूम करसकते हैं।



मान लीजिए उपभोक्ता अपनी कुल आयसे केवल 'क' की 'म, च' मात्रा खरीद सकता है और केवल 'ख' की 'म, छ' मात्रा। 'च', 'छ' को मिलानेसे जो रेखा प्राप्त होगी वह चित्रकी किसी एक तटस्थ रेखाको केवल स्पर्श ही करसकेगी। मान लीजिए 'च, छ' रेखा तटस्थ रेखा २ को 'प' पर स्पर्श करती है। 'प' से मुख्य रेखाओपर 'प, ल' और 'प, व' लम्ब खींचिये। तब अधिकसे अधिक उपयोगिता प्राप्त करनेके लिए वह व्यक्ति 'क' की 'प, व' अथवा 'म, ल' मात्रा और 'ख' की 'प, ल' अथवा 'म, व' मात्रा खरीदेगा। 'च, छ' रेखाको आयरेखा कहा जाता है।


आय-उपभोग रेखा

अब मान लीजिए, उग वस्तुकी आयमें क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। यदि बाजार भाव वैसेही रहें तो 'प' बिन्दु क्रमशः ऊनी तटस्थ रेखाओंपर चला जायेगा। निम्न चित्रमें तटस्थ रेखा १ और ३ पर 'क' और 'ख' उन प्रकारके बिन्दु हैं, जिनको मिलाने से 'प, फ, व' जो रेखा प्राप्त होगी, उसे आय-उपभोग रेखा कहते हैं :



मूल्य-उपभोग रेखा

अब मान लीजिए कि उपभोक्ताकी आय और 'ख' वस्तुके बाजार भावमें कोई अन्तर नहीं हुआ है परन्तु 'क' वस्तुका बाजार भाव गिर गया है अब वह अपनी कुल आयसे 'ख' वस्तुकी तो पूर्ववत् मात्रा खरीद सकता है पर 'क' वस्तुकी पहिले से अधिक। आय रेखा भी पहिलेसे अधिक ऊची तटस्थ रेखाको स्पर्श करेगी और जैसे जैसे 'क' का भाव गिरता जायेगा वैसे वैसे आयरेखा ऊची ऊची तटस्थ रेखाओंको स्पर्श करती चली जायेगी। यही बात सामनेके चित्रमें दिखायी गयी है :



'छ,प,फ' इत्यादिको मिलानेसे प्राप्त होनेवाली रेखाको मूल्य-उपभोग रेखाके नामसे पुकारा जाता है। हमने अबतक केवल दो वस्तुओं 'क' और 'ख' पर विचार किया है। यदि 'क' के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओंके वाजारभाव निश्चित रहें तो 'ख' वस्तु अन्य वस्तुओंका प्रतिनिधित्व कर सकती है और 'ख' का स्थान सामान्य क्रय-शक्ति लेसकती है। तटस्थरेखा तब अन्य सब वस्तुओंके स्थानपर 'क' की स्थानापन्नता दरकी द्योतक होजाती है और मूल्य-उपभोग रेखा 'क' की माग रेखाका रूप धारण करलेती है।

स्थानापन्नता की लोच

तटस्थ रेखाके प्रत्येक बिन्दुपर 'क' और 'ख' वस्तुओंमें एक विशेष अनुपात होता है। जब हम 'क' की थोड़ी मात्राके स्थानपर 'ख' की थोड़ी मात्राको स्थानापन्न करते हैं तो इस अनुपातमें परिवर्तन आजाता है और स्थानापन्नताकी दरमें भी। वस्तुओंके पारस्परिक अनुपातमें होनेवाले परिवर्तनकी मात्राको यदि हम सीमान्त स्थानापन्नताकी दरमें होनेवाले परिवर्तनकी मात्रासे भाग दें तो हमें उस विशेष बिन्दुपर 'क' के स्थानपर 'ख' का प्रतिस्थापन करनेकी स्थानापन्नताकी लोच प्राप्त होती है। उदाहरणके लिए नीचे दीगयी तालिकाका पाचवा समूह देखिए। इसमें

४२ ग्राम और पाच केलने हैं। केलने और ग्रामोंका अनुपात ५:४२ हुआ और सीमान्त स्थानापन्नताकी दर १:३ हुई। अब एक केलनेके स्थानपर एक ग्राम लीजिए। इस हिसाबसे नया अनुपात ४:४३ होजाता है और नयी सीमान्त स्थानापन्नताकी दर १:११ हुई।

इसप्रकार वस्तुओंके पारस्परिक अनुपातमें परिवर्तन

$$= \frac{५}{४२} - \frac{४}{४३} = \frac{४७}{१८०६}$$

सीमान्त स्थानापन्नताकी दरमें परिवर्तन

$$= \frac{१}{३} - \frac{१}{११} = \frac{८}{३३}$$

स्थानापन्नताकी लोच

$$= \frac{४७}{१८०६} \div \frac{८}{३३}$$

$$= \frac{४७}{१८०६} \times \frac{३३}{८}$$

$$= \frac{५१७}{४८१६}$$

$$= १(\text{लगभग})$$

बाज़ार

बाजारों के प्रकार

साधारण बोलचालमें बाज़ारसे हमारा अभिप्राय उस स्थानसे होताहै जिस स्थान पर किसी वस्तु अथवा वस्तुओके खरीदने तथा बेचनेवाले एकत्रित होतेहैं जैसे फलबाज़ार' सब्जीमंडी इत्यादि। अर्थशास्त्रमें बाज़ार किसी विशेष स्थानको नहीं कहते बल्कि कूर्मा के अनुसार, पृथ्वीका कोईभी छोटा या बड़ा भाग जिसपर खरीदने और बेचनेवाले इस प्रकार परस्पर व्यवहार कर सकतेहैं कि एकही प्रकारकी वस्तुओके मूल्य एकसे ही होते चले जायें, बाज़ार कहा जासकता है। बाज़ारोका उनके विस्तारके अनुसार वर्गीकरण किया जासकता है, जैसे प्रान्तीय बाज़ार, राष्ट्रीय बाज़ार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार। बाज़ारोमें जिन वस्तुओका ऋय-विक्रय होता है, उनके अनुसारभी वर्गीकरण किया जासकता है। जैसे गेहूँका बाज़ार, श्रमका बाज़ार, विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार, पूजीका बाज़ार, जायदाद का बाज़ार इत्यादि।

बाज़ार शुद्ध अथवा अशुद्धभी होसकते हैं। शुद्ध बाजारसे हमारा अभिप्राय उस बाजारसे है जिसमें:

- (१) प्रत्येक ग्राहक और विक्रेता बाज़ार भावसे भलीभाति परिचित होता है।
- (२) कोई भी ग्राहक किसीभी विक्रेतासे वस्तु खरीद सकता है।
- (३) कोईभी विक्रेता किसीभी ग्राहकको वस्तु बेच सकता है। ऐसी स्थिति में बाजारके पूरे विस्तारपर उस वस्तुका एकही मूल्य होनेकी प्रवृत्ति होगी। कारण यहहै कि यदि कोईभी विक्रेता इससे कम मूल्यपर बेचनेके लिए तैयार हो तो सबके सब ग्राहक उसीसे खरीदेंगे, जबतक कि उसका वस्तुसंग्रह समाप्त नहीं होजाता अथवा वह फिर वस्तुका मूल्य नहीं बढ़ा देता अथवा दूसरे विक्रेताभी मूल्य घटाकर उसके तुल्य नहीं कर देते। इसी प्रकार यदि कोई विक्रेता अधिक

मूल्य लेनेकी चेष्टा करनाहै तो उमके पाग कोई ग्राहक न आयेगा, जबतक कि दूसरे विक्रेताओंसे वस्तु कम मूल्यपर मिल सक्ती हो।

बाजारको शुद्ध उगसगम कहा जाताहै जबकि कतिपय ग्राहक या कतिपय विक्रेता या कतिपय ग्राहक तथा कतिपय विक्रेता बाजार भावमें अनभिन्न हो।

शुद्ध बाजार के लक्षण

शुद्ध बाजारके लिए आवश्यकहै कि उममें क्रय-विक्रय क्रिये जानेवाली वस्तुका भलीभाति वर्गीकरण किया जायके ताकि ग्राहको और विक्रेताओंको सुगमतासे पता चलसके कि वे क्या खरीद अथवा बेच रहे है। यदि एकही वस्तुके दो भिन्न भिन्न वर्ग पृथक पृथक मूल्योपर विक्रेते तो बाजार शुद्ध नहीं होजाता वे दो नमूने वास्तवमें दो भिन्न वस्तुए है। उदाहरणके लिए यदि कैप्स्टन और गोलडपलेक सिगरेटके मूल्य बाजारमें अलग अलग हों तो इममें परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि सिगरेटका बाजार शुद्धहै क्योंकि ये दो प्रकारकी सिगरेटें वास्तवमें दो भिन्न वस्तुए है। वर्गीकरण ग्राहक और विक्रेता दोनोंके लिए लाभदायक होता है और बाजारको विस्तृत करनेमें सहायता देता है। वर्गीकरण द्वारा भविष्य के देन लेनके सीदे करनेमें भी सुगमता प्राप्त होती है। बाजारकी शुद्धताके लिए यातायात और पत्र-व्यवहार इत्यादिके समुचित साधन होनाभी अत्यन्त आवश्यक है। इससे बाजारकी स्थितिका ग्राहको और विक्रेताओंको पता चलता रहता है। टेलीफोन, तार, रेडियो आदि आविष्कारोके कारण इन साधनोमें बहुत उन्नति हुई है। और इसी प्रकार मोटर, रेल, जहाज इत्यादि यातायातके साधनोमें उन्नतिके कारण बाजार विस्तृत होगये है। विशेषकर कच्चे माल, अनाज इत्यादिके बाजारो का अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार होचुका है।

शुद्ध बाजारके लिए यहभी आवश्यक है कि मूल्य प्रतिस्पर्धा द्वारा निश्चित हो। अर्थात् वस्तुओको एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जानेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु यदि कर लगानेपर भी किसी वस्तुका कर लगानेवाले देश अथवा प्रान्तमें आयात होता रहे, तो वह देश अथवा प्रान्त उस वस्तुके बाजारका भाग बना रहता है। करके कारण ऐसे देश अथवा प्रान्तमें वस्तुका मूल्य अवश्य

अधिक होगा परन्तु यदि किसी कारणसे वस्तु भेजनेवाले देशमें उसका मूल्य गिर जाताहै तो कर लगानेवाले देशमें वह वस्तु अधिक मात्रामे आने लगेगी और इस कारण वहाभी उस वस्तुका मूल्य गिरने लगेगा। परन्तु यदि उस वस्तुकी सख्या अथवा परिमाणपर नियन्त्रण लगादिये जाये तो नियन्त्रण लगानेवाला देश अथवा प्रान्त वाजारका भाग नही रहता। वह एक स्वतन्त्र वाजार बन जाताहै क्योकि उस देश अथवा प्रान्तमे वस्तुके मूल्यका शेष ससारमें उसी वस्तुके मूल्यसे कोई सम्बन्ध नही रहता।

शुद्ध वाजारके लिए यहभी आवश्यक समझा जाताहै कि वस्तुकी माग अथवा पूर्तिपर किसीभी प्रकारके नियन्त्रण नही होने चाहिए। परन्तु इसका यह अर्थ नहीहै कि मूल्यके कम या अधिक होनेके कारण विक्रेता अथवा ग्राहक वस्तुको बेचने अथवा खरीदनेके लिए विवश किये जायें। वस्तुका मूल्य घटानेकी इच्छा से मागको दबाये रखना अथवा उसका मूल्य बढ़ानेकी इच्छासे वस्तु को बेचने से इन्कार करना कृत्रिम साधन मानेजाते है।

शुद्ध वाजारके प्रत्येक भागमें वस्तुका एकमूल्य होनेसे अभिप्राय केवल वस्तु के वास्तविक मूल्यके एक होनेसे है। वाजारके विस्तृत होनेसे उत्पादनके स्थानसे उपभोगके स्थान तक ले जानेके लिये भाडा देना पडता है। उपभोगके स्थानोके समीप अथवा दूर होनेके कारण भाडेके न्यूनाधिक होनेसे मूल्यमें अन्तर होसकता है। वस्तुतः स्थान-भेद एव समय-भेदसे वस्तुही दूसरी होजाती है। स्थान-भेद होनेसे हमें उस वस्तुके मूल्यमें भाडा, बीमा, एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ले जानेवाले आढतियाका लाभ इत्यादि जोडना पडता है और समय-भेद होनेसे संग्रहकर्ताका लाभ, संग्रह करने का व्यय इत्यादि जोडना पडता है।

वाजार का विस्तार

वाजारके विस्तृत एव अन्तर्राष्ट्रीय होनेके लिए यह आवश्यकहै कि उसमें वे सब गुण उपस्थित हो जो एक शुद्ध वाजारमें होने चाहिए। परन्तु इसके अतिरिक्त ऐसे वाजारके लिए कुछ औरभी बातोंकी आवश्यकता है। सबसे पहिले तो यह आवश्यकहै कि उस वस्तुका व्यापार बड़े पैमानेपर होता हो। वस्तुकी बनावट और

गुणोंमें भेद नहीं होना चाहिए। सामान्य एकदही आवश्यकताओं मन्वत् करने ; प्रत्येक देश एवं प्रान्तमें उगता भिन्न प्रकारकी वस्तुओंमें उत्पादन विमीओं के मनमें प्रन्तर उदात्त करनेमें नव व वस्तुएं मानेंगे। उनके अनुगार माधुन बाजारमें मिलते हैं, वे भिन्न वस्तुएं तो अंतर्राष्ट्रीय होता है परन्तु अर्ध-कम और पूर्ण निर्मित वस्तुओंका उन्न विन्नेता कच्चे मालकी अपेक्षा पूर्ण-ग्राहकोंके मनमें विज्ञापन, व्यापार पृथकत्वका भाव उत्पन्न करनेमें अ

यदि वस्तुको एक स्थानमें दूसरे भी उसका बाजार विस्तृत होत वस्तुओंके बाजार प्रायः सकुचित लोहेका मूल्य उसकी तोलके हिस जानेके भाड़ेसे बचनेके लिए ईर् खोलते हैं, जहा इनकी खानें पायी सुगमता वस्तु विशेष, कितना स्थ आदिके बाजार प्रायः विस्तृत : में बहुत जगह घेरतीं है। और

विस्तृत बाजारके लिए वस् तरकारी इत्यादि वस्तुएं बहुत उत्पादनके स्थानके आस-पास साधनों द्वारा इस प्रकारकी न रहे हैं। फल, मास, मछली, साधनों द्वारा सुरक्षित करके उचित होगा कि ये साधन इ

कोई दूसरीही वस्तु बना देते हैं। उदाहरणके लिए, जमा हुआ दूध या मांस, ताजे दूध या माससे सर्वथा भिन्न वस्तु है। बैक तथा साखपत्रोंके विकाससे और तोल-मापके साधनोंके प्रमाणीकरणसे भी बाजारके विस्तृत होनेमें सहायता प्राप्त हुई है।

श्रम-बाजार

श्रमके बाजारभी नाशवान् वस्तुओंके बाजारके समान अत्यन्त सकुचित होने है। वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रकारके श्रमके लिए भिन्न भिन्न बाजार होते हैं। विशेषकर कुशल श्रमके बाजार तो भिन्न होते ही हैं। अकुशल श्रमके लिए भलेही एक बाजार होता हो, परन्तु श्रमजीवी प्रायः एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेमें हिचकिचाते हैं। यद्यपि यातायातके साधनोंमें उन्नति होनेके कारण श्रमजीवियोंके स्थान परिवर्तनके सम्बन्धमें गति शीलता बहुत बढ़ चुकी है, फिरभी श्रमके बाजार बहुत विस्तृत नहीं हो पाये हैं। श्रमके बाजारोंके अशुद्ध होनेका कारण यह है कि श्रम एक अत्यन्तही नाशवान् वस्तु है। यदि एक-दिनभी श्रम नहीं किया जाता तो वह सदैवके लिए नष्ट होजाता है। श्रमजीवीकी इस स्थितिके कारण एकही प्रकारके श्रमका एकही बाजारमें एकमूल्य नहीं होता और पहिले बताया जा चुका है कि शुद्ध बाजारके लिए एक वस्तुका एकही मूल्य होना अत्यन्त आवश्यक है।

बाजारों की व्यवस्था

बाजारोंकी व्यवस्थाके विषयमें ध्यान देनेकी बात है कि इस व्यवस्थामें दलालो और सट्टेवालोंको बहुत महत्व प्राप्त है। वस्तुओंकी निर्माण-विधिको कई भागोंमें बाटा जासकता है। कृषि द्वारा अथवा खानोंसे निकालकर कच्चा माल प्राप्त होता है। फिर उद्योग-धर्मों द्वारा इस कच्चे मालसे उपयोगके योग्य वस्तुएँ निर्माणकी जाती हैं। फिर इन निर्मित वस्तुओंको उपभोक्ताओं तक पहुँचानेका प्रबन्ध किया जाता है। प्राचीन कालमें जब वस्तुएँ कम मात्रामें तैयार होती थी, तो एकही मनुष्य स्वयं ही कृषक, उद्योगपति और उपभोक्ता होसकता था। ऐसी परिस्थिति में उत्पादनके एक विभागसे दूसरे विभागमें जानेके लिए विशेष अडचनों न थी। श्रम-विभाजन तथा वस्तु-निर्माण-विधिमें उन्नति होनेके कारण ऐसे लोगोंकी

गुणोमें भेद नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि ऐसा होनेपर वस्तु यद्यपि एकही आवश्यकताको सन्तुष्ट करनी ही, परन्तु यपनें विभिन्न स्वस्वकोके कारण प्रत्येक देश एव प्रान्तमें उसका भिन्न भिन्न बाजार होगा। इनीलिए यदि एकही प्रकारकी वस्तुओंमें उत्पादक किमीभी व्यापार-चिन्ह इत्यादि द्वारा उपभोक्ताओं के मनमें अन्तर उत्पन्न करनेमें सफल होजायें, तो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्हें भिन्न वस्तुए मानेंगे। उनके अनुगार साधन एक वस्तु नहीं है, जिनमेंभी प्रकारके साधन बाजारमें मिलते हैं, वे भिन्न वस्तुए हैं। यही कारण है कि कच्चे मालका विस्तार तो अंतर्राष्ट्रीय होता है परन्तु अर्थनिमित्त वस्तुओंके बाजारका विस्तार उनसे कम और पूर्ण निमित्त वस्तुओंका उनसे भी कम होता है। उमका कारण यह है कि विक्रेता कच्चे मालकी अपेक्षा पूर्णनिमित्त अथवा अर्थनिमित्त वस्तुओंके सम्बन्धमें ग्राहकोके मनमें विज्ञापन, व्यापार-चातुर्गं, व्यापार-चिन्ह इत्यादि प्रकारसे पृथक्त्वका भाव उत्पन्न करनेमें अधिक सफल होते हैं।

यदि वस्तुको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर सुगमतासे लेजाया जासकता है तो भी उसका बाजार विस्तृत होता है। भारी बोझवाली और कम मूल्यवाली वस्तुओंके बाजार प्रायः सकुचित होते हैं। उदाहरणके लिए कोयले और कच्चे लोहेका मूल्य उसकी तोलके हिसाबसे बहुत कम होता है। अतएव उनको दूर ले जानेके भाडेसे बचनेके लिए इनसे सम्बद्ध उद्योग धंधोंको ही ऐसे स्थानोंपर खोलते हैं, जहा इनकी खानें पायी जाती हैं। एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जानेकी सुगमता वस्तु विशेष, कितना स्थान घेरती है, इस बात पर निर्भर है। मेज-कुर्सियों आदिके बाजार प्रायः विस्तृत नहीं होते क्योंकि ये वस्तुए रेलगाडी, जहाज आदि में बहुत जगह घेरती हैं। और इसकारण भाडा बहुत देना पडता है।

विस्तृत बाजारके लिए वस्तुका चिरस्थायी होनाभी आवश्यक है। फल, फूल, तरकारी इत्यादि वस्तुए बहुत शीघ्र सड-गल जाती हैं। अतएव साधारणतः उत्पादनके स्थानके आस-पासही इनका बाजार सीमित रहता है। परन्तु वैज्ञानिक साधनों द्वारा इस प्रकारकी नाशवान वस्तुओंको सुरक्षित रखनेके ढंग निकाले जा रहे हैं। फल, मास, मछली, दूध तथा दूधसे प्राप्त होनेवाली अन्य चीजोंको इन साधनों द्वारा सुरक्षित करके-दूरदूर तक भेजाजाता है। परन्तु यहा इतना कहदेना उचित होगा कि ये साधन इस प्रकारकी अनेक वस्तुओंको उपभोक्ताओंकी दृष्टिमें

कोई दूसरीही वस्तु बना देते हैं। उदाहरणके लिए, जमा हुआ दूध या मास, ताजे दूध या माससे सर्वथा भिन्न वस्तु है। बैक तथा साखपत्रोंके विकाससे और तोल-मापके साधनोंके प्रमाणीकरणसे भी बाजारके विस्तृत होनेमें सहायता प्राप्त हुई है।

श्रम-बाजार

श्रमके बाजारभी नाशवान् वस्तुओंके बाजारके समान अत्यन्त सकुचित होते हैं। वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रकारके श्रमके लिए भिन्न भिन्न बाजार होते हैं। विशेषकर कुशल श्रमके बाजार तो भिन्न होते ही हैं। अकुशल श्रमके लिए भलेही एक बाजार होता हो, परन्तु श्रमजीवी प्रायः एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेमें हिचकिचाते हैं। यद्यपि यातायातके साधनोंमें उन्नति होनेके कारण श्रमजीवियोंके स्थान परिवर्तनके सम्बन्धमें गति शीलता बहुत बढ़ चुकी है, फिरभी श्रमके बाजार बहुत विस्तृत नहीं हो पाये हैं। श्रमके बाजारोंके अशुद्ध होनेका कारण यह है कि श्रम एक अत्यन्तही नाशवान् वस्तु है। यदि एक-दिनभी श्रम नहीं किया जाता तो वह सदैवके लिए नष्ट होजाता है। श्रमजीवीकी इस स्थितिके कारण एकही प्रकारके श्रमका एकही बाजारमें एकमूल्य नहीं होता और पहिले बताया जा चुका है कि शुद्ध बाजारके लिए एक वस्तुका एकही मूल्य होना अत्यन्त आवश्यक है।

बाजारों की व्यवस्था

बाजारोंकी व्यवस्थाके विषयमें ध्यान देनेकी बात है कि इस व्यवस्थामें दलालों और सट्टेवालोंको बहुत महत्व प्राप्त है। वस्तुओंकी निर्माण-विधिको कई भागोंमें बाटा जासकता है। कृषि द्वारा अथवा खानोंसे निकालकर कच्चा माल प्राप्त होता है। फिर उद्योग-धंधों द्वारा इस कच्चे मालसे उपयोगके योग्य वस्तुएँ निर्माणकी जाती हैं। फिर इन निर्मित वस्तुओंको उपभोक्ताओं तक पहुँचानेका प्रबन्ध किया जाता है। प्राचीन कालमें जब वस्तुएँ कम मात्रामें तैयार होती थी, तो एकही मनुष्य स्वयं ही कृषक, उद्योगपति और उपभोक्ता होसकता था। ऐसी परिस्थिति में उत्पादनके एक विभागसे दूसरे विभागमें जानेके लिए विशेष अडचनें न थी। श्रम-विभाजन तथा वस्तु-निर्माण-विधिमें उन्नति होनेके कारण ऐसे लोगोंकी

आवश्यकता हुई जो वस्तु को उत्पादक को उपभोगना तक पहुँचाने का प्रयत्न करें। ये लोग व्यापारी, दलाल उत्पादि हैं। सा माध्यमः गृह नगभा जाताहै कि इस प्रकारके लोग अथवा सम्भाए पार्थिक दृष्टिसे आवश्यक नहीं है। इनका काम केवल उतनाहै कि उत्पादकको मिलनेवाले मूल्य और उपभोगना द्वारा द्विगुण्ये मूल्यमें अधिकतम अधिक अन्तर दाल दें परन्तु इन प्रकारके विचारमें कोई नार नहीं है। ये व्यापारी और दलाल उत्पादन-पदा के आवश्यक मंग है। उत्पादनके एक विभागमें दूसरे विभागमें वस्तुओंका पहुँचाना उनका विशेष कार्य है। इस कार्यके विशेषज्ञ होनेसे ये लोग इसको अधिक कुशलतासे कर पाते हैं। इनके न होनेपर बड़े परिमाणमें उत्पत्तिका होना अगम्भव होजाना है। सम्भव है बहुतसे व्यापारी और दलाल निरर्थक हो, उनके न होनेसे उत्पत्तिमें तनिकभी बाधा न पड़तीहो और उनके होनेसे उपभोक्ताओंको अकारणही उपभोगनी वस्तुओंका अधिक मूल्य देना पड़ता हो, पर इस दोषका आरोपण उनके अस्तित्व पर नहीं, बाहुल्य पर किया जासकता है। आजकल बड़ी बड़ी संस्थाए कच्चे मालकी खरीद और निर्मित वस्तुओंकी बेचका कार्य इन लोगों द्वारा करानेके स्थानपर स्वयही करलेती है। परन्तु ऐसी संस्थाओंकी सख्या ससार भरमें बहुत थोड़ी है।

सट्टा

इसीप्रकार सट्टा करनेवालेभी इतने धृणाके पात्र नहीं जितना कि हम उन्हें समझते हैं। सच वाततो यह है कि आधुनिक उत्पादन-विधिकी नीवही सट्टा है। वस्तुओंकी मागके अनुमानके आधारपर उत्पादन-क्रिया प्रारम्भ होती है। उद्योगपति जनताकी आवश्यकताओं का अनुमान करके ही ऐसी वस्तुए निर्माण करता है, जो उसके विचारमें जनता द्वारा उपभोगकी जायेंगी। ऐसी वस्तुओंकी सख्या अथवा मात्राका भी पहिलेसे ही वह अनुमान करलेता है। कभी कभी तो वह नितान्त नयी वस्तुए इस आशासे निर्माण कर बैठताहै कि उनके बाजारमें आनेपर उनके लिए मांग पैदा होजायेगी। यह सब सट्टा नहीं तो और क्या है। परन्तु इस सट्टेकी जोखिम आजकल केवल उत्पादकको ही नहीं उठानी पड़ती बल्कि व्यापारी और सट्टेबाज लोग उसकी सहायता करते हैं।

सट्टेके कार्यका सर्वोत्तम लाभ यहहै कि इस क्रिया द्वारा वस्तुओंके मूल्यमें

स्थिरता बनी रहती है, अधिक अस्थिरता नहीं होने पाती। ये लोग जब किसी वस्तुकी पूर्तिमें न्यूनता और उसके कारण उसके मूल्य बढ़नेका अनुमान लगाते हैं तो उस वस्तुके पहिलेही भविष्यमें खरीदनेके सौदे करना आरम्भ कर देते हैं। इसप्रकार मागमें वृद्धि होनेके फलस्वरूप उस वस्तुका मूल्य वर्तमानमें ही बढ़ना आरम्भ होजाता है और उसमें आकस्मिक वृद्धि नहीं होपाती। इसी प्रकार जब ये लोग किसी वस्तुके मूल्यके गिरनेका अनुमान लगातेहैं तो उस वस्तुके भविष्यमें बेचनेके सौदे करलेते हैं। उनके इस कार्य द्वारा, पूर्तिमें वृद्धि होनेके कारण उस वस्तुका मूल्य वर्तमानमें ही गिरना आरम्भ होजाता है। उदाहरणके लिए मान लीजिये कि गेहूँका वर्तमान भाव १५ रुपये प्रतिमन है और सट्टा करनेवालो ने अपने अनुभव और निपुणताके आधारपर यह अनुमान किया कि ससारके प्रसिद्ध गेहूँ उत्पन्न करनेवाले प्रदेशोंमें किसी प्राकृतिक सकटके कारण गेहूँकी उत्पत्तिके परिमाणमें कमी आनेकी और फलस्वरूप उसका मूल्य १७ रुपये प्रतिमन होनेकी सम्भावना है। ऐसी परिस्थितिमें वे सट्टेवाले लोग जो चढते बाजारसे लाभ कमानेकी चेष्टा करतेहैं, गेहूँके वर्तमान मूल्यपर भविष्यमें गेहूँ खरीदनेके लिए अपनेको समनुबद्ध करलेते हैं। इनकी इस प्रकारकी-मागमें वृद्धिके कारण गेहूँके मूल्यमें वर्तमान कालसे ही वृद्धि होने लगती है। यदि इन लोगोका अनुमान ठीक निकला और गेहूँका मूल्य समनुबन्ध अवधिकी समाप्ति पर १७ रुपये प्रतिमन हो गया तो सट्टेवाले पूर्व निर्धारित मूल्य १५ रुपयेके भावसे गेहूँ मोल लेकर १७ रुपये प्रतिमनके हिसाबसे बेचकर २ रुपये प्रतिमन लाभ कमा लेते हैं। इस प्रकरणमें हम यहभी बता देना चाहतेहैं कि यह आवश्यक नहीं कि वस्तुतः गेहूँका हस्तान्तरण हो। ऐसा होसकता है और प्रायः होता भी है कि गेहूँके बिना बाजारमें आयेही २ रुपये प्रतिमनके हिसाबसे इन सट्टेवालोको रुपये मिल जायें।

इसीप्रकार यदि गेहूँका भाव भविष्यमें १५ रुपयेसे गिरकर १३ रुपये प्रतिमन होनेकी सम्भावना हो तो इस प्रकारके सट्टेवाले जो गिरते भावसे लाभ कमानेकी चेष्टा करते हैं, वर्तमान मूल्यपर भविष्यमें गेहूँ बेचनेके लिए अपनेको समनुबद्ध करलेते हैं। अवधि समाप्तिपर यदि भाव १३ रुपये प्रतिमन होगया तो वे इस भावपर गेहूँ मोल लेकर पूर्व-निर्धारित १५ रुपयेके हिसाबसे बेचलेते हैं और २ रुपये प्रतिमन लाभ कमा लेते हैं।

इस भावी त्रय-विषयसे उनका अभिप्राय तो होता है मृत्युकी घट-वृद्धिमें लाभ उठाना। परन्तु उनके इस स्वार्थ-सिद्धि के कार्यमें मृत्युमें स्थिरता आजाती है और सारे समाजका कल्याण होजाता है। उत्पादकी तो विशेष रूपमें इन लोगों द्वारा सेवा होती है। मृत्युकी स्थिरता तो उत्पादके लिए परमावश्यक है ही, पर ये लोग उसकी बहुत कुछ जाँचिम अपने ऊपर ले लेते हैं। शोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओंकी मागका अनुमान लगाना है और उस अनुमानके आधारपर उत्पादकोसे माल खरीदनेका मोदा करना है। उसीप्रकार उत्पादक इन लोगोंसे भविष्यमें कच्चा माल खरीदनेका मोदा कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें वस्तु-निर्माणकी सामग्रीके मूल्यमें आकस्मिक अस्थिरताका भय नहीं रहता।

सट्टेका कार्य सदा अच्छा नहीं होता, विशेषकर अनभिज्ञ सट्टे वालोंका। सट्टे वालोंमें मूल्योके घटने-बढनेका ठीक अनुमान करनेकी योग्यता होनी चाहिये। अन्यथा यदि उनके अनुमान सर्वथा उल्टे निकलेंगे तो मृत्युमें स्थिरताके स्थान पर और अधिक अस्थिरता आनेकी आशका हाँजायगी। सट्टे वालोंके पास पर्याप्त पूँजीका होना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि ऋणशोधनकी क्षमता न रहनेसे अन्य लोगों पर बुरा प्रभाव पडता है। सट्टेका कार्य जब केवल लाभ उठानेके उद्देश्यसे ही किया जाये, तो होसकता है वह समाजके लिए हानिकारक हो। कभी कभी ये लोग किसी वस्तुकी पूर्ति पर एकाधिकार जमानेके लिए उस वस्तुको खरीदते ही चले जाते हैं। इनकी इस कृत्रिम मागके कारण उस वस्तुके मूल्यमें कृत्रिम वृद्धि होती चली जाती है। यदि वह वस्तु जीवनके लिए आवश्यक वस्तुओंमेंसे हो, तो इस कृत्रिम मूल्य-वृद्धि के कारण समाजको कष्ट सहन करना पडता है।

प्रतिस्पर्धा

प्रतिस्पर्धा का अर्थ

प्रतिस्पर्धाका वर्तमान आर्थिक जीवनमें अत्यधिक महत्व है। प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थ-व्यवस्थासे सम्बन्ध रखती है। ऐसी अर्थ-व्यवस्थामें जिसमें उत्पादन केवल आवश्यकता-पूर्तिके लिए होता हो, प्रतिस्पर्धा का विकास असम्भव है। प्रतिस्पर्धाका अर्थ यह है कि वस्तुओंके क्रय-विक्रयमें प्रत्येक व्यक्तिको पूरा अधिकार और सुविधा हो कि वह चाहे जिससे सौदा निश्चित करे। पर प्रतिस्पर्धाकी यह व्याख्या केवल आर्थिक दृष्टिकोणसे की गयी है। यह उस अवस्थाकी ओर संकेत करती है जिसमें प्रत्येक आर्थिक क्रियामें बहुतसे व्यक्ति हो और प्रत्येकको अपने उद्देश्यों को इच्छित रीतिसे पूर्ण करनेका उतनाही अधिकार हो जितना दूसरेको। इस प्रकार एक उत्पादक न होकर कई उत्पादक हो और प्रत्येकको अपनी इच्छानुसार मितव्ययी रीतिसे अपनी उत्पादन-योजनाको पूरी करनेका अधिकार और सुभीता हो। इसी प्रकार बाजारमें बहुतसे विक्रेता और बहुतसे ग्राहक हो और वे जहाभी अपना सार्वजनिक लाभ देखें, वही क्रय-विक्रय कर सकें। यही बात प्रतिस्पर्धा पद्धतिमें आय तथा उत्पादन सम्बन्धी सेवाओंके उपयोगके विषयमें भी ठीक है। श्रमिक इच्छानुसार जहाभी चाहे, नौकरी कर सकता है और उत्पादक अनेक श्रमिकोंमें से जिसको चाहे उत्पादनमें लगा सकता है। व्यक्तियोंकी आयभी इसी पद्धतिपर निर्धारित होगी। कई प्रकारके उद्यमोंमें से जो जहापर जितना उपाजन करले, वही उसकी आय होगी अर्थात् आय व्यक्तियोंकी श्रम-शक्ति तथा अन्य गुणोपर निर्भर होगी। लेकिन इस श्रम-शक्ति और गुणोका मूल्य बाजारमें सापेक्षिक माग और पूर्ति द्वारा निश्चित होगा।

अर्थशास्त्रमें पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकारकी प्रतिस्पर्धा मानो जाती है। दो बातों के होनेसे प्रतिस्पर्धा पूर्ण मानी जाती है। पहिली यह है कि प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त

बाजारपर आश्रित है, इसलिए पूर्ण श्रौर रत्नन्त्र बाजार तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अनिवार्य आधार है। उत्पादनके साधनों तथा अन्य आर्थिक उपकरणोंकी गतिपर किसी प्रकारका कोई प्रतिबन्ध न हो। दूसरी यह कि उद्योग सरवाग्रामे अथवा उपभोक्ता वर्गमें कोई इतना बड़ा या प्रभावशाली न हो कि मध्य-विक्षय सम्बन्धी केवल उसके निश्चयका कोई प्रभाव प्रकलित मूल्यापर पड़े।

पहिली शर्तका अभिप्राय यह है कि गति स्वतन्त्र होनेके कारण प्रत्येक अपनी शक्ति और योग्यताके अनुसार अधिकसे अधिक आयवाला साधन प्राप्त कर सकता है। इसका यह भी अर्थ है कि प्रत्येक साधन निरन्तर विभाज्य हो नहीं तो उसका उपयोग अनेक प्रकारसे नहीं हो सकेगा। उसीलिए एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें उसका स्थानान्तरण भी अत्यन्त कठिन होगा। गतिशीलता प्रतिबन्ध-रहित हो। यह पूर्ण प्रतिस्पर्धामें आवश्यक इसलिए है कि बिना इसके सबको समान रूपसे साधन प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेका अवसर नहीं मिलेगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धाके लिए यह भी आवश्यक है कि आर्थिक लाभके अवसरोंके सम्बन्धमें सभी प्रतिस्पर्धियोंकी जानकारी बराबर हो और उस जानकारीको व्यवहारमें लानेके लिए आवश्यक है आर्थिक शक्तका समान रूपसे वितरित होना।

दूसरी शर्तका अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रतिस्पर्धीके पाम इतने अधिक साधन और अधिकार न हो कि या तो औरोंको अपनी प्रतिस्पर्धामें आनेही न दे या उनके लिए प्रतिस्पर्धाकी दशाए बदल दे। इसका यह अर्थ नहीं है कि माग और पूर्तिके सिद्धान्त काम न करे। मूल्य, माग और पूर्ति परही आश्रित होगा और उपभोक्ताओंकी मागमें परिवर्तन तथा उद्योगपतियोंकी प्रतिस्पर्धाके अनुरूप उसमें परिवर्तन भी होंगे पर पूर्ण प्रतिस्पर्धामें किसी एक व्यक्तिकी माग या पूर्तिकी योग्यताके द्वारा उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको समानरूपसे प्रयत्न करनेका अवसर मिल सकता है अन्यथा अन्य लोगोंके लिए प्रतिस्पर्धाकी दशाए और उनकी योग्यताए बदल जायेंगी। इसका फल यह होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धामें छोटे आकार की सस्थाए ही उचित होंगी।

पूर्ण प्रतिस्पर्धाका यह भी अर्थ हुआ कि प्रत्येक आयवाला व्यक्ति और उद्योगपति अपनी आय तथा उत्पादनके साधनोंका चाहे जिसप्रकार उपयोग करे अथवा न करे किन्तु इन निश्चयोंपर यदि किसी प्रकारके प्रतिबन्ध है तो प्रतिस्पर्धा अपूर्ण है।

यदि उत्पादन पूर्ण प्रतिस्पर्धाके आधारपर होरहा है, तो उसका लक्षण यह होगा कि औसत व्यय और सीमान्त व्यय दोनो बराबर होंगे। इसका कारण यह है कि यदि किसी सस्थाका सीमान्त व्यय औसत व्ययसे अधिकहै तो कुछ अन्य व्यापारी कम मूल्यपर बेचना आरम्भ करेंगे और फिर सबको वही मूल्य मानना पड़ेगा। अन्ततोगत्वा ऐसी उद्योग-संस्था या तो सीमान्त व्यय कम करेगी या नष्ट हो जायेगी। परन्तु यदि सीमान्त व्यय औसत व्ययसे कमहै तो उद्योग सस्थाका प्रसार होगा और प्रतिस्पर्धाका नियम है कि कोई सस्था बड़ी नहीं होसकती। यह नियम पूरा इसप्रकार होता है कि उत्पादन कार्य कम होनेके कारण उम उद्योगमें साधनो की माग बहुत अधिक होजाती है और इसप्रकार व्यय बढ़ने लगता है। अन्तमें औसत व्यय सीमान्त व्ययके समान होनेपर ही पूर्ण आर्थिक व्यवस्था साम्यावस्था में होगी।

यहभी कहा जाताहै कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मूलक अर्थ-व्यवस्थामें उपभोक्ताका प्रभुत्व होता है। ऐसा कहनेका तात्पर्य यहहै कि प्रतिस्पर्धा मूलक व्यवस्थामें उत्पादन बाजारके लिए होता है। इसलिए उद्योगपतियोके सारे निश्चय उपभोक्ताओकी मागपर निर्भर रहते हैं। इसप्रकार अन्ततोगत्वा किस वस्तुका और किस परिमाणमें उत्पादन होगा, यह उपभोक्ताही निश्चित करताहै और इम विषयमें उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है।

पूर्ण प्रतिस्पर्धा के फल

यदि औसत और सीमान्त आय बराबर हो तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाका फल यह होगा कि सभी उद्योग-सस्थाए सर्वोत्तम आकारकी होगी। उत्पादक साधनोकी विभिन्न उपयोगोंमें वितरणकी प्रवृत्तिभी सर्वोत्तमताकी ओर होगी। इसप्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उत्पादन अधिक से अधिक होसकता है। इसीप्रकार व्यय और मूल्यकी कमसे कम होनेकी प्रवृत्ति होगी।

सर्वाधिक उत्पादन होनेका कारण यहहै कि उपभोक्ता पूर्ण प्रतिस्पर्धामें अपनी आयका वितरण समसीमान्त उपयोगिताके नियमानुसार करताहै, इसलिए उपभोग के आधारपर साधन वितरण होनेके कारण प्रत्येक साधनका उसी उद्योगमें उप-

योग किया जाना है, जहां वह सबसे अधिक उत्पादक हो।

आधुनिक अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतिस्पर्धाको कल्पनामात्र ही मानते हैं। व्यवहारमें पूर्ण प्रतिस्पर्धाका अभाव है, क्योंकि हमकी शक्तें ऐसी हैं जो एकको पूरीभी नहीं हो सकती और दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। सबकी जानकारी एकही हो, गणितीयता पर कोई प्रतिबन्ध न हो, मागन निरन्तर विभाज्य हो तो उत्पादन विस्तृत क्षेत्रपर करनेके लिए प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। साधनभी निरन्तर विभाज्य हो ही नहीं सकते।

पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार

जब एकही व्यक्ति अथवा उद्योग-संस्था उत्पादन और पूर्ति सम्बन्धी अगने निश्चयों द्वारा मूल्यमें परिवर्तन कर सकती है अथवा मूल्य निर्धारित कर सकती है तो उसे एकाधिकारकी अवस्था कहते हैं। यदि हम प्रकारकी कई उद्योग संस्थाएं हो और प्रतिस्पर्धा उनके बीचमें हो तो उसे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा कहेंगे। जब बाजार अशुद्ध हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की शक्तें पूरी न हो रही हो तब हम उसे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा कहेंगे। एकाधिकारात्मक और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बहुत कुछ पर्यायवाची शब्द हैं और विद्वानोंने कुछ दिनोतक इन दो शब्दोंको एकही अर्थमें प्रयुक्त किया है। यद्यपि मतभेदोंके प्रवर्तक अब इनमें भेद करने लगे हैं।

एकाधिकार हम अर्थमें कि केवल एकही विक्रेता अथवा उत्पादक हो और वह मनमाना मूल्य निश्चित करे, बहुत कम पाया जाता है। पूर्ण एकाधिकार उस अवस्थामें हो सकता है, जब किसी वस्तु विशेषके स्थानापन्नोका पूर्णतया अभाव हो तथा वह लोगोके लिये अत्यन्त आवश्यक हो, ऐसा संयोग अलभ्य-सा है। सभी वस्तुओं की प्राप्ति ससारके अनेक भागोंमें है और यातायातके साधन सुलभ होनेके कारण एक भागकी वस्तुका मूल्य दूसरे भागके मूल्यसे स्वतन्त्र नहीं रखा जा सकता। फिर प्रत्येक वस्तुका कोई न कोई स्थानापन्न मिलही जाता है। इसकारण प्राकृतिक एकाधिकार कठिन है। कुछ वस्तुएं अवश्य ऐसी हैं जो एकही स्थानपर या कुछ थोड़े से स्थानों पर मिलती हैं पर उनकी स्थानापन्न वस्तुएं हैं।

एकाधिकारके मार्गमें यही दो कठिनाइयां हैं। एकतो वस्तुकी पूर्ण पूर्तिपर

अधिकार और दूसरी उसकी मागपर पूर्ण अधिकार। यहांपर हम फिर स्मरण करायेंगेकि अर्थशास्त्रमें एकाधिकार अथवा एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धाका महत्व मुख्यतया पूर्तिपर अधिक अधिकारकी दृष्टिसे नहीं है वरन् व्यापारीकी मूल्य पर शक्तिकी दृष्टिसे है। चूकि मूल्य निश्चित होनेमें पूर्तिका भी भाग होताहै, इस लिए पूर्तिके एक बड़े भागपर अधिकारभी आवश्यक होजाता है। पर मूल्य केवल पूर्तिही नहीं निश्चित करती इसलिए माग परभी कुछ अधिकार होना आवश्यक है।

उत्पत्ति विभेदीकरण

पूर्ति पर एकाधिकार पानेके लिए जिस उपायका अधिकतर आश्रय लियाजाता है, उसे उत्पत्ति विभेदीकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त विक्रय सेवाए भी एक अच्छा उपाय है। कभीतो यह उपाय उत्पत्ति विभेदीकरणका एक अगमात्र होताहै पर उमसे स्वतन्त्र भी इस उपायका प्रयोग होता है।

उत्पत्ति विभेदीकरणका तात्पर्य यहहै कि किसी वस्तुका नाम बदलकर उसे एक भिन्न वस्तु बनाकर बेचा जाय। उदाहरणके लिए सिगरेट अथवा चाय लीजिए। सिगरेट कई प्रकारकी मिलती है—कैप्सटेन, कैची, गोल्डफलेक इत्यादि। इसी प्रकार लिप्टन, ब्रुकवौन्ड, नीलगिरी आदि अनेको प्रकारकी चाय विकती है और इनमेंभी बहुतसे उपभेद होते हैं। अब खाद्य या पेय वस्तुकी दृष्टिसे इन अनेक प्रकारकी चायो अथवा सिगरेटोमें कोई विशेष अन्तर नहींहै पर नाम भिन्नहोनेके कारण ये भिन्न भिन्न वस्तुए मानी जाती है और इनके मूल्य पृथक पृथक होते हैं। अब यदि इनको अलग वस्तु मान लिया जाये तो पेटेंट और व्यापार चिह्न सम्बन्धी नियमोके अनुसार इन्हें बनानेवाली कम्पनिया एकाधिकारी हुई और इसप्रकार इन कम्पनियोमें परस्पर प्रतिस्पर्धा एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी। यहा स्मरण रखना चाहिए कि उत्पत्ति वहीहै अथवा भिन्न। इसकी कसीटी स्थानापन्नताकी लोच है। यदि दो विभेदीकृत वस्तुओके मूल्योमें परिवर्तनके फलस्वरूप एक वस्तु दूसरे के स्थानपर ग्रहण करली जाय तो अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे वे एक दूसरीसे भिन्न नहीं है। इनके गुण, नाम इत्यादिमें अन्तर हो अथवा न हो। पर यदि इस प्रति-स्थापनमें कठिनाईहै तो जितनी अधिक कठिनाई होगी, उमीके अनुसार वे वस्तुएं

एक दूसरे से उतनी भिन्न मानी जायेगी। उत्पत्ति विभेदीकरण अधिकतर विज्ञापन द्वारा किया जाता है। उपभोक्ताओं की मनोपत्ति, इच्छाओं और रुचियों का अध्ययन अथवा अनुमान करके उनके मनमें यह बैठा दिया जाता है कि विभिन्न नामों के विक्रेताओं वस्तुएं वास्तवमें एक दूसरे से भिन्न हैं और उनके मूल्यों का अन्तर उन के गुणों अथवा उपभोगिता के अन्तर का परिचायक है। विज्ञापन के अनिश्चित कुछ घोड़े बहुत बहिरंग अन्तर भी पैदा किये जाते हैं। पर उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक यह विश्वास करने कि निश्चय और झूठबोझ नाग परम्पर इतनी भिन्न है कि एक के स्थान पर दूसरी का उपभोग हो ही नहीं सकता। यह काम अधिकतर कुशल और निरन्तर विज्ञापन द्वारा होता है और जहाँ तक व्यापारी का इसमें सफलता मिलती है अर्थात् जहाँ तक वह स्थानापन्नता की लोच घटा सकता है, वहीं तक उत्पत्ति विभेदीकरण भी हो पाता है।

वस्तु के साथ कुछ सेवाएं जोड़करके भी उन्हें दूसरी वस्तुओं में भिन्न बनाया जाता है। बिना मूल्य के वस्तु को धरतक पहुंचा देना अथवा मरम्मत कर देना इत्यादि इन सेवाओं के उदाहरण हैं। ग्राहकों की इच्छानुसार विक्रय-समय निश्चित करना तथा दूकान में अनेक प्रकार की सुविधाओं का उपलब्ध करना भी इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में सबसे सामान्य सिद्धान्त न्यूनतम विभेदीकरणका है। उद्योगी और व्यापारी अपनी वस्तुओं को इतनी अधिक भिन्न नहीं बनाते कि उन्हें उसके लिए नई मांग उत्पन्न करनी पड़े अथवा पूर्तिके लिए नये साधन संग्रह करने पड़ें। उनका उद्देश्य मांग को अपनी ओर मोड़ लेना होता है। एकाधिकार का आधार सदैव उत्पादन सकुचन द्वारा मूल्य पर प्रभाव डालना होता है और यह मांग की दी हुई दशाओं में ही सार्थक हो सकती है। इस कारण प्रत्येक उत्पादक का यह उद्देश्य होगा कि उसकी वस्तु और उसके प्रतिस्पर्धियों की वस्तु में कमसे कम अन्तर हो पर वह अन्तर ऐसा हो कि उपभोक्ता उसकी वस्तु को अधिक अच्छी समझे और उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उसे खरीदने के लिए अधिक उत्सुक हो।

मूल्य-भेद

प्रतिस्पर्धामें एकाधिकार प्राप्त करने का दूसरा उपाय मूल्य-भेद है। विभिन्न वर्गों,

प्रायः और स्थानोंके व्यक्तियोंमें मांग की लोच विभिन्न होती है। कुछ लोग सस्ती वस्तु खरीदते हैं तो कुछ महंगी। सबसे अधिक परिमाणमें बेचनेका उपाय यह है कि वस्तुका मूल्य सदैव बाजारमें प्रचलित मांगके अनुसार हो। एकही वस्तुको कई मूल्योंपर बेचनेका उद्देश्य विभिन्न भागोंकी लोचका लाभ उठाना होता है। धनिक वर्गके लिए प्रायः दूसरे दाम बताये जाते हैं। चूकि धनी लोग सस्ते बाजारोंमें अधिकतर नहीं जाते इसलिए ऐसा कर सकना सम्भव होता है। रेलवे कम्पनिया प्रायः भिन्न भिन्न वस्तुओंके लिए अलग अलग भाड़की दर नियत करती हैं। कमी कमी भिन्न भिन्न वर्गोंके लिए अलग अलग मूल्य नियत कर दिये जाते हैं; क्योंकि इनमें वर्गगत अभिमानके कारण परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती। उसका लाभ उठाकर उत्पादक प्रत्येककी आर्थिक शक्तके अनुसार मूल्य नियत करनेमें न कि सीमान्त ग्राहककी मांगके आधार पर। उपयोग-भेदसे भी मूल्य-भेद स्थापित करके लाभ उठाया जा सकता है। गृहकार्यके लिए कम विद्युत् शक्तकी आवश्यकता होती है। इसीलिए गृहस्थोंसे उस शक्तके लिए अधिक दर नियतकी जा सकती है। औद्योगिक कार्योंमें अधिक मात्रामें विद्युत् शक्ति व्यय होती है, इस कारण उद्योगी लोग अधिक दर माननेके लिए तैयार न होंगे। इसलिए उनके लिए नीची दर नियतकी जाती है। इस प्रकार ऊँचे नीचे दोनों दामोंपर अधिकमें अधिक विक्रय-हो सकता है। स्थान भेदसे भी मूल्यमें भेद होता है। ग्रामों और नगरोंमें पृथक् पृथक् मूल्य उसी वस्तुके लिए बड़ी बड़ी उद्योग-संस्थाएँ रख सकती हैं। डम्पिंगकी प्रथा स्थान-गत मूल्य-भेदका बहुतही प्रसिद्ध और चरम उदाहरण है। अपने देशमें तो किसी उद्योगपतिका उस उद्योगमें सर्वाधिक अधिकार हो पर अन्य देशोंमें उसे कोई अधिकार न प्राप्त हो। इस स्थितिमें वह अपनी विक्री अन्य देशोंमें कमसे कम, उत्पादन-व्ययसे भी कम मूल्यपर बेचकर बढ़ा सकता है। इस प्रकार उसे जो हानि होगी उसे अपने देशमें अत्यधिक मूल्य नियत करके पूरा कर सकता है। इस मूल्यपर उसकी वस्तु कुछ कम विकेगी पर विक्रीकी यह कमी वह अन्य देशोंमें बहुत अधिक बेचकर पूरी कर लेता है।

काल-गति मूल्य-भेदका सबसे उत्तम और प्रसिद्ध उदाहरण पुस्तकोंके भिन्न नस्करणोंके लिए पृथक् पृथक् मूल्य नियत करना है। जिस समय पुस्तक प्रकाशित होती है, उस समय नवीनताके कारण पहिले लेनेकी इच्छाके कारण बहुतसे व्यक्ति

एक दूसरे से उतनी भिन्न मानी जायेंगी। उत्पत्ति विभेदीकरण अधिकतर विज्ञापन द्वारा किया जाता है। उपभोक्ताओंकी मनोवृत्ति, इच्छाओं और रुचियोंका अध्ययन अथवा अनुमान करके उनके मनमें यह वैठा दिया जाता है कि विभिन्न नामोंसे विकनेवाली वस्तुएँ वास्तवमें एक दूसरेसे भिन्न हैं और उनके मूल्योंका अन्तर उनके गुणों अथवा उपयोगिताके अन्तरका परिचायक है। विज्ञापनके अतिरिक्त कुछ थोड़ेबहुत बहिरंग अन्तरभी पैदा किये जाते हैं। पर उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक यह विश्वास करले कि लिफ्टन और द्रुकबीड चाय परस्पर इतनी भिन्न हैं कि एक के स्थानपर दूसरीका उपयोग हो ही नहीं सकता। यह काम अधिकतर कुशल और निरन्तर विज्ञापन द्वारा होता है और जहा तक व्यापारीको इसमें सफलता मिलती है अर्थात् जहा तक वह स्थानापन्नताकी लोच घटा सकता है, वही तक उत्पत्ति विभेदीकरण भी हो पाता है।

वस्तुके साथ कुछ सेवाएँ जोड़करके भी उन्हें दूसरी वस्तुओंसे भिन्न बनाया जाता है। विना मूल्यके वस्तुको घरतक पहुँचा देना अथवा मरम्मत कर देना इत्यादि इन सेवाओंके उदाहरण हैं। ग्राहकोंकी इच्छानुसार विक्रय-समय निश्चित करना तथा दूकानमें अनेक प्रकारकी सुविधाओंका उपलब्ध करना भी इस उद्देश्यको पूरा कर सकते हैं। इस सम्बन्धमें सबसे सामान्य सिद्धान्त न्यूनतम विभेदीकरणका है। उद्योगी और व्यापारी अपनी वस्तुओंको इतनी अधिक भिन्न नहीं बनाते कि उन्हें उसके लिए नई माग उत्पन्न करनी पड़े अथवा पूर्तिके लिए नये साधन संग्रह करने पड़ें। उनका उद्देश्य मागको अपनी ओर मोड़ लेना होता है। एकाधिकारका आधार सदैव उत्पादन सकुचन द्वारा मूल्यपर प्रभाव डालना होता है और यह माग की दी हुई दशाओंमें ही सार्थक हो सकती है। इसकारण प्रत्येक उत्पादकका यह उद्देश्य होगा कि उसकी वस्तु और उसके प्रतिस्पर्धियोंकी वस्तुमें कमसे कम अन्तर हो पर वह अन्तर ऐसा हो कि उपभोक्ता उसकी वस्तुको अधिक अच्छी समझे और उसी प्रकारकी अन्य वस्तुओंकी अपेक्षा उसे खरीदनेके लिए अधिक उत्सुक हो।

मूल्य-भेद

प्रतिस्पर्धामें एकाधिकार प्राप्त करनेका दूसरा उपाय मूल्य-भेद है। विभिन्न वर्गों,

श्राय और स्थानोके व्यक्तियोंमें माग की लोच विभिन्न होती है। कुछ लोग सस्ती वस्तु खरीदते हैं तो कुछ महगी। सबसे अधिक परिमाणमें बेचनेका उपाय यह है कि वस्तुका मूल्य सदैव बाजारमें प्रचलित मागके अनुसार हो। एकही वस्तुको कई मूल्योंपर बेचनेका उद्देश्य विभिन्न मागोकी लोचका लाभ उठाना होता है। धनिक वर्गके लिए प्रायः दूसरे दाम बताये जाते हैं। चूकि धनी लोग सस्ते बाजारोमें अधिकतर नहीं जाते इसलिए ऐसा कर सकना सम्भव होता है। रेलवे कम्पनिया प्रायः भिन्न भिन्न वस्तुओके लिए अलग अलग भाडेकी दर नियत करती है। कभी कभी भिन्न भिन्न वर्गके लिए अलग अलग मूल्य नियत कर दिये जाते हैं, क्योंकि इनमें वर्गगत अभिमानके कारण परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसका लाभ उठाकर उत्पादक प्रत्येककी आर्थिक शक्तके अनुसार मूल्य नियत करते हैं न कि सीमान्त ग्राहककी मागके आधार पर। उपयोग-भेदसे भी मूल्य-भेद स्थापित करके लाभ उठाया जासकता है। गृहकार्यके लिए कम विद्युत् शक्तकी आवश्यकता होती है। इसीलिए गृहस्थोसे उस शक्तके लिए अधिक दर नियतकी जासकती है। औद्योगिक कार्योंमें अधिक मात्रामें विद्युत् शक्ति व्यय होती है, इस कारण उद्योगी लोग अधिक दर माननेके लिए तैयार न होंगे। इसलिए उनके लिए नीची दर नियतकी जाती है। इस प्रकार ऊचे नीचे दोनो दामोपर अधिकसे अधिक विक्रय-होसकता है। स्थान भेदसे भी मूल्यमें भेद होता है। ग्रामो और नगरोंमें पृथक् पृथक् मूल्य उसी वस्तुके लिए बड़ी बड़ी उद्योग-संस्थाए रख सकती हैं। डम्पिंगकी प्रथा स्थान-गत मूल्य-भेदका बहुतही प्रसिद्ध और चरम उदाहरण है। अपने देशमें तो किमी उद्योगपतिका उस उद्योगमें सर्वाधिक अधिकार हो पर अन्य देशोंमें उसे कोई अधिकार न प्राप्त हो। इस स्थितिमें वह अपनी विक्री अन्य देशोंमें कमसे कम, उत्पादन-व्ययसे भी कम मूल्यपर बेचकर बढ़ा सकता है। इस प्रकार उसे जो हानि होगी उसे अपने देशमें अत्यधिक मूल्य नियत करके पूरा करसकता है। इस मूल्यपर उसकी वस्तु कुछ कम विकेगी पर विक्रीकी यह कमी वह अन्य देशोंमें बहुत अधिक बेचकर पूरी कर लेता है।

काल-गति मूल्य-भेदका सबसे उत्तम और प्रसिद्ध उदाहरण पुस्तकोंके भिन्न संस्करणोंके लिए पृथक् पृथक् मूल्य नियत करना है। जिस समय पुस्तक प्रकाशित होती है, उस समय नवीनताके कारण पहिले लेनेकी इच्छाके कारण बहुतसे व्यक्ति

अधिक मूल्यपर भी खरीद लेंगे। कुछ समय पश्चात् उसी पुस्तकका सस्ता संस्करण निकालकर विक्री पर्याप्त मात्रामें की जासकती है क्योंकि बहुतसे लोग जो अधिक मूल्य होनेके कारण पहिले न लेसके थे, अब लेसकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय पुस्तककी सम्भावित माग और उसके प्रति जनता की रुचिका भली प्रकार अनुमान लगाया जासकता है। और इस आधारपर अधिक विक्रीकी आशापर मूल्य कम किया जासकता है। यह आवश्यक नहीं कि पहिले संस्करणका ही मूल्य अधिक हो। दूसरे संस्करण अधिक मूल्यपर निकाले जासकते हैं। मूल्य-भेद पर आश्रित एकाधिकारके लिए आवश्यक है कि विभिन्न बाजारोकी मागकी लोचमें पर्याप्त अन्तर हो और वस्तु एक बाजारसे दूसरे बाजारमें फिर बेची न जासकती हो।

एकाधिकार तथा अपूर्ण प्रतिस्पर्धाका फल उत्पादन व्ययका बढ़ाना होता है। यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धामें कमसे कम उत्पादन व्यय वाली कुशल उद्योग संस्थाएं मिलती हैं तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धामें उत्पादन कम कुशल और अधिक व्ययशील होजाता है। 'विज्ञापन और विक्रय व्यय अधिकतर व्यर्थही होते हैं। उपभोक्ताकी तो हर रूपमें हानिही होती है। उपभोक्ताकी बचतका नितान्त लोप करनेकी चेष्टा कीजाती है। मूल्य ऊंचा रखनेके लिए वस्तुओको प्रायः नष्टभी कर दिया जाता है।

एकाधिकार के आधार

एकाधिकारका एक आधार कुछ प्राकृतिक सुविधाएं हैं जैसे संयुक्तराष्ट्रीय स्टील कौर्पोरेशनके पास निकेलकी लगभग सभी खानें हैं। इसी प्रकार हीरो की ससारमें बहुत कम खानें हैं और वे सब दो-तीन कम्पनियोके पास हैं।

कभी कभी एकाधिकार कुछ विशेष गुणो तथा परिस्थितियोपर आश्रित होता है। फिल्म-अभिनेता और अभिनेत्रिया, स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक सौन्दर्यके स्थानोपर होटेल आदिका स्वामित्व इस प्रकारके एकाधिकारके उदाहरण हैं।

अधिकतर एकाधिकार कानूनी अधिकारोपर आश्रित होसकता है। कोई विशेष उत्पादन-विधि अथवा आविष्कार किसी विशेष कम्पनीके पास सुरक्षित होसकता है। उत्पत्ति विभेदीकरण भी इसी नियमपर आश्रित है। राजाज्ञासे कभी

कभी इस कम्पनीको किसी क्षेत्र विशेषमें व्यापार करनेका एकाधिकार दिया जाता है। सुप्रसिद्ध ईस्ट-इंडिया कम्पनीका एकाधिकार इसी प्रकारका था। औद्योगिक क्रान्तिसे पूर्व इस प्रकारकी राजाज्ञासे सुरक्षित एकाधिकारके आश्रित बहुतसी सस्थाए थीं। कभी कभी यह राजाज्ञा इस कारणभी दीजाती है कि कोई कोई उद्योग प्रतिस्पर्धा द्वारा कुशलतापूर्वक नहीं चलसकते अथवा प्रतिस्पर्धा होनेसे उप-भोक्ताओंको कष्ट और हानि पहुंचनेकी सम्भावना रहती है। स्वास्थ्य सम्बन्धी, यातायातकी तथा समाजके लिए अन्य अत्यन्त आवश्यक सेवाए प्रायः राजाज्ञा द्वारा प्रतिस्पर्धासे सुरक्षित रखी जाती हैं। किसी वस्तुकी अत्यन्त कमी होनेपर अथवा अत्यन्त आवश्यकता होनेपर भी राजाज्ञा द्वारा एकाधिकार दिया जाता है। कुछ ऐसे उद्योग होतेहैं, जिनमें पूंजीकी बहुत आवश्यकता होतीहै परन्तु लाभकी सम्भावना अनिश्चित होती है। ऐसे उद्योग जनताके लिए आवश्यक होनेपर राजाज्ञा द्वारा सुरक्षित करदिये जाते हैं। रेलमें प्रतिस्पर्धासे सामाजिक हानि होसकती है अतएव रेलवे कम्पनियोंको भी राजाज्ञा द्वारा एकाधिकार प्राप्त होता है।

एकाधिकार बनानेका चौथा ढंग यहहै कि कई उद्योग-सस्थाए मिलकर एक संघ बना लेती हैं। अमेरिका और जर्मनी में इस प्रकारकी बहुतसी एकाधिकारी सस्थाओंकी नींव पड़ी थी। यह सघ एकही उद्योगकी कई सस्थाओंका होसकता है अथवा एक उद्योगके कई विभागोंका भी होसकता है। पहिलेको समतल सघ और दूसरेको लम्बरूप सघ कहते हैं। उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेश तथा बिहार चीनी सघ कुछ चीनी बनानेवाली मिलोंका एक सघ होनेके कारण समतल सघ है। परन्तु यदि ईख उगाने, चीनी बनाने और चीनी बेचनेसे सम्बन्धित सभी उद्योगोंका एक सघ बनाया जावे तो वह लम्बरूप सघ होगा। इंग्लैंडमें छोटे छोटे फुटकर बेचने वाले व्यारियोने सघ बनाकर बाजारमें एकाधिकारकी स्थिति पैदा करली है।

इस प्रकारके सघ बनानेके विरुद्ध सरकार प्रायः नियम बना देती है। पर उनसे बचनेका कोई न कोई ढंग व्यापारी लोग निकाल ही लेते हैं।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार की सीमा

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकारकी एक सीमा है। सम्भावित प्रतिस्पर्धा का

भय एकाधिकारीके लिए बहुत बडा अकुश है। नयी वस्तुओं और रथानापत्रोंका आविष्कार सदैव सम्भव है। अधिक मूल्य रखनेसे अथवा जन-हितका मनमाना निरा-दर करनेसे सदिच्छा खो देनेका भय रहता है। एकाधिकारीको राज्य-हस्तक्षेपका भी डर रहता है। एकाधिकारीके अत्यधिक लाभ प्राप्ति करनेकी नीतिका अनुसरण करनेपर सामाजिक शान्ति बनाये रखनेके लिए सरकारको हस्तक्षेप करना पडता है और एकाधिकारी पर कठिन प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। वर्तमान समयमें आर्थिक व्यवस्था इतनी अस्थिर और सकटमयी है कि अनेक प्रकारके सरकारी नियन्त्रण आवश्यक होगये हैं। इसके अतिरिक्त एकाधिकारीको मागपर बहुत कम अधि-कार प्राप्त रहता है। इस कारण उसकी मूल्यको निर्धारित करनेकी शक्ति सदैव सीमित होती है और मागके क्षेत्रमें उपभोक्ता सहकारी समितिया तथा राज्य-क्रय द्वारा प्राप्त एकाधिकार इस शक्तिको और भी सीमित करने हैं।

उत्पादक साधनों की गतिशीलता

पूर्ण प्रतिस्पर्धाका विवेचन करते समय कहा गयाथा कि इसके लिए उत्पादक साधनों का गतिशील होना अत्यन्त आवश्यक है। साधारणतया गतिशीलताका अर्थ स्थान परिवर्तनसे लिया जाता है परन्तु अर्थशास्त्रमें गतिशीलताका मुख्य तात्पर्य उपयोग परिवर्तनसे है। इस उपयोग परिवर्तनकी आवश्यकता साधनोंके सीमित होनेके कारण पडती है। यदि प्रत्येक साधन इच्छित परिमाणमें मिलसकता तो इस परिवर्तनकी आवश्यकताही न पडती। ऐसा नहोने के कारण उत्पादक साधन सदैव एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें स्थान, कार्य और समयके अन्तर द्वारा परिवर्तित होते रहते हैं। कुछ साधनोंकी गतिशीलता इसलिए कम होती है अथवा बिल्कुल नहीं होती क्योंकि वे किसी और उपयोगमें आ ही नहीं सकते अथवा केवल कुछही उपयोगोंमें आ सकते हैं जैसे भूमि। बीजरने ऐसे साधनोंको विशिष्ट साधन कहा है। उन साधनोंकी गतिशीलता अधिक होती है जिनका कई उपयोगोंमें वितरण किया जासकता है। बीजरने ऐसे साधनोंको अविशिष्ट साधन कहा है, जैसे श्रम।

गतिशीलता तीन प्रकारकी होती है। देशगत, कार्यगत और कालगत। देशगत गतिशीलतासे हमारा अभिप्राय उस गतिशीलतासे है, जिसके होनेसे साधनको एक

स्थानसे दूसरे स्थानपर लेजाया जासकता है। कार्यगत गतिशीलता दो प्रकारकी होसकती है। एकतो वह, जिसके होनेसे साधनको उसी उद्योगमें एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमे लगाया जासकता है और दूसरी वह जिसके होनेसे साधन एक उद्योगसे हटाकर किसी अन्य उद्योगमें लगाया जासकता है। कालगत गतिशीलता का तात्पर्य यहहै कि साधनका प्रयोग वर्तमान समयमें न करके भविष्यके लिए स्थगित करदिया जाय।

भूमि की गतिशीलता

भूमिका एक स्थानसे दूसरे स्थानपर लेजाना तो सम्भव नहीं है परन्तु किसी विशेष भूमि-भागका एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें परिवर्तन करना सम्भव है। यद्यपि इस परिवर्तनके लिए पूजाकी न्यूनाधिक मात्रामें आवश्यकता पडती है। इस के अतिरिक्त गतिशीलता का सम्बन्ध भूमिके क्षेत्रफलसे नहीं परन्तु उसकी उत्पादन शीलतासे है। यहतो स्पष्टही है कि पूजाकी सहायतासे कम उपजाऊ भूमियों को अधिक उपजाऊ बताया जासकता है। फिरभी किसीभी भूमि-भागके उसके प्राकृतिक गुणो तथा उस स्थानकी जलवायुके अनुसार थोडेही उपयोग हो सकते है, बहुत नहीं। इसीलिए भूमिको विशिष्ट साधन मानागया है। बहुतसे भूमि-भाग तो पूर्णतया विशिष्ट होते है। उदाहरणार्थ भारतवर्षकी उत्तरवर्ती पर्वतीय भूमियों पर वनोके अतिरिक्त और कुछ नहीं होसकता है।

श्रम की गतिशीलता

श्रमजीवीको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेके लिए दो बातोकी आवश्यकता होती है। एक तो यातायातके साधनोकी और दूसरे परिवार अथवा ग्रामके लिए मोह न होने की। यातायातके साधनोकी कमी तथा घर परिवारसे सम्बन्ध बनाये रखनेमें बड़ा व्यय होताहै और इसकारण श्रमजीवियोंकी देशगत गतिशीलता कम होती है। श्रमकी कार्यगत गतिशीलता विभिन्न व्यवसायो अथवा उद्योगो द्वारा प्राप्त होनेवाली आय तथा अन्य लाभोपर निर्भर करती है। अन्य लाभ

अधिक पारिश्रमिक द्वाराही नहीं मापे जाते हैं। उम उद्योगमें प्राप्त होनेवाली सभी सुविधाओंकी गणना कर लीजाती है। काम कितनाहै, छुट्टी कितनी मिलती है, उद्यम निश्चितहै अथवा नहीं, नौकरी सुरक्षाका कहातक प्रबन्ध है, मान-मर्यादा कैसीहै, इन सब बातोंपर विचार किया जाता है। कुछ कार्योंमें सीखनेकी सुविधाएँ, आवश्यक अभ्यास, शिक्षा और व्यय अधिक होताहै और कुछमें कम। कार्यगत गतिशीलता पर इसकाभी बहुत प्रभाव पडता है। उद्योग विशेषकी शिक्षामें जो व्यय होता है वह एक प्रकार से पूजी लगाया है। कभी कभी इसका प्रबन्ध उस उद्योग अथवा सरकारकी ओरसे होता है। पर अधिकतर यह व्यय श्रमिकको ही करना पडता है। कार्यगत गतिशीलता, श्रमजीवियोंके इस व्ययको करनेके सामर्थ्य तथा उससे प्राप्त होनेवाले लाभपर निर्भर रहती है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, जिनके लिए विशिष्ट गुणो तथा दीर्घकालीन अभ्यासकी आवश्यकता होती है। इनमें गतिशीलता बहुतकम होती है। इसप्रकार समाजमें श्रम समुदाय होतेहैं जिनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती।

समाजके व्यक्तियोंकी जातीय और व्यक्तिगत विशेषताएँ तथा सामाजिक विशेषताएँ और परम्पराएँभी गतिशीलतापर बहुत प्रभाव डालती हैं। उदाहरणार्थ भारतवर्षमें वर्ण और जाति तथा सयुक्त परिवार प्रथायें गतिशीलताका बहुत निरोध करती हैं। जातिके अनुसार आर्थिक और सामाजिक उन्नतिका न तो किसी व्यक्तिको अवसर मिलता है और न इस प्रकारकी वृत्तिको अच्छा समझा जाता है। घर और जन्मस्थानका मोह स्थानगत गतिशीलताके मार्गमें और पारिवारिक सम्बन्ध कार्यगत गतिशीलताके मार्गमें बाधक होते हैं।

पूजी की गतिशीलता

स्थायी पूजी अल्पकालमें तो अगतिशीलही होगी। कुछ स्थायी पूजी तो केवल एकही व्यवहारमें आसकतीहै और इसकारण वह सदैवही अगतिशील होगी। जिन यन्त्रोंके तैयार करनेमें अधिक व्यय होता है अथवा जो कठिनतासे और दीर्घ कालमें तैयार होतेहैं उनकी गतिशीलता तो कम होगी। स्थायी पूजीकी दीर्घ कालीन गतिशीलतापर सबसे अधिक प्रभाव नवीनताओंका पडता है। यदि

नवीनताओको उद्यममें अपनाने पर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न हो तो उनके द्वारा पूजा बहुत गतिशील होसकती है। स्थायी पूजाका निरन्तर उपयोगसे नाश होता रहताहै और यह आवश्यक नहीं कि उद्योगी उसका पुरानेही रूपमें पुनर्निर्माण करें। इसके अतिरिक्त बहुतसी पूजा कच्चेमाल और अर्थ-निर्मित वस्तुओके रूपमें होती है और उनका उपयोग विभिन्न उद्देश्योके लिए होसकता है। इसकारण एक उपयोगसे दूसरे उपयोगमें इनका परिवर्तन सुलभ है। इसप्रकार की पूजाकी गतिशीलता अधिक होती है।

पूर्ण उद्यम और गतिशीलता

पूर्ण उद्यमका अर्थ यह होताहै कि उत्पादनके सभी साधन सर्वोत्तम रूपसे उपयोग में लाये जा रहे हो और उनकी आय उनकी उत्पादन शीलता के बराबर हो। ऐसी स्थितिमें गतिशीलता व्यर्थ होगी परन्तु जबतक साधन गतिशील न होंगे पूर्ण उद्यमकी नीतिका सफल होना सम्भव नहीं। गतिशीलता प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का सिद्धान्त है और पूर्ण उद्यम स्थिर अर्थ-व्यवस्था का। दोनोमें बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मूल्य निर्धारण की विधि

मूल्य के प्रकार

किसी वस्तुका मूल्य तीन प्रकारका होता है। एक उस वस्तुका वास्तविक मूल्य; दूसरे उसका विनिमय साध्य मूल्य और तीसरे उसका मौद्रिक मूल्य।

वास्तविक मूल्य वस्तुके आन्तरिक गुणों पर निर्भर होता है और स्वयं सिद्ध है। किसी वस्तुके उपयोगी होनेका मूल आधार यही वास्तविक मूल्य है।

विनिमय साध्य मूल्यकी परिभाषा मार्शल ने इस प्रकारकी है 'किसी समय और स्थान पर किसी वस्तुका विनिमय साध्य मूल्य किसी दूसरी वस्तुकी उतनी मात्रा है जो पहिली वस्तुके विनिमयसे प्राप्तकी जासकती है'।

समाजमें अनेक वस्तुओंके होनेके कारण किसी एक वस्तुके अनेक विनिमय साध्य मूल्य होजाते हैं। जिसके कारण आर्थिक गणित क्लिष्ट होजाती है। इस बाधाको मिटानेका एक साधन यह है कि किसीभी वस्तु विशेषको अन्य वस्तुओंके विनिमय साध्य मूल्यका मापदंड मानलिया जाय। आधुनिक संसारके अधिकतर समाजोंमें द्रव्य द्वारा वस्तुओंके मूल्य निर्धारित करनेकी प्रणाली प्रचलित है। जब किसी वस्तुका मूल्य मुद्राओंके रूपमें आका जाता है तो उसे उस वस्तुका मौद्रिक मूल्य अथवा केवल मूल्य कहा जासकता है। 'द्रव्य' के अध्यायमें इस विषयका विशेष रूपसे विवेचन किया गया है।

मूल्य का महत्व

आधुनिक विनिमय प्रधान संसारमें उत्पत्ति और वितरणके सभी कार्य विनिमय द्वारा होते हैं। यह विनिमय वस्तुओं अथवा मानुषी सेवाओंके मूल्यके आधारपर होता है। कृषकके पास अन्न है और उसे कपड़ेकी आवश्यकता है। जुलाहेके पास

कपड़ा है और उसे अन्नकी आवश्यकता है। कृषक अपने अन्नके मूल्यका अनुमान, उसे उत्पन्न करनेमें जो श्रम करना पड़ा था, उसके मूल्यके आधारपर करता है और कपड़ेके मूल्यका अनुमान उससे मिलनेवाली उपयोगिता के मूल्यके आधार पर। उसीप्रकार जुलाहा अपने कपड़े और किसानके अन्नके मूल्योका अनुमान लगाता है। बहुतसे कृषको और जुलाहोके अनुमानोका बाजारमें एक दूसरेसे सम्पर्क होने पर अन्नका कपड़ेके रूपमें और कपड़ेका अन्नके रूपमें सर्वप्रिय मूल्य निर्धारित हो जाता है। वस्तुओका परस्पर वस्तुओसे ही विनिमय कष्टसाध्य है क्योंकि विनिमय कार्यके पूरा होनेके लिए यह आवश्यक है कि देनेवाले और लेनेवाले दोनोंके पास ऐसी वस्तुएँ हो, जो एक दूसरेको चाहिए। केवल यही नहीं वे वस्तुएँ दोनोंके पास इच्छित मात्रा में होनी चाहिए। इसकारण प्रत्येक वस्तुका मूल्य द्रव्यके रूप में प्रकट करलिया जाता है और उसके आधारपर उनका पारस्परिक विनिमय होता रहता है।

मांग, पूर्ति और मूल्य

मूल्य स्वयं माग और पूर्तिकी एक अंग है। वास्तवमें माग और पूर्तिकी मात्रायें किसी मूल्य विशेषसे सम्बन्धित करके प्रकट कीजाती हैं अर्थात् माग और पूर्ति दोनो मूल्यपर निर्भर हैं। मूल्यमें वृद्धि होनेपर माग कम होगी और पूर्ति अधिक। इसीप्रकार मूल्य कम होनेपर माग अधिक होगी और पूर्ति कम। दूसरी ओर मूल्य स्वयं माग और पूर्तिपर निर्भर है। पूर्ति कम होनेपर मूल्य अधिक होगा और अधिक होनेपर कम। इसके विपरीत माग कम होनेपर मूल्य कम होगा और अधिक होनेपर अधिक। माग, पूर्ति और मूल्य परस्पर एक दूसरेपर निर्भर हैं। इनमेंसे प्रत्येक शेष दो को निर्धारित करनेमें सहायता देता है और बाजारमें उनके पारस्परिक सम्पर्क से एक प्रकारका सन्तुलन सा स्थापित होनेकी सम्भावना बनी रहती है। पूर्ण सन्तुलनतो कभी स्थापित नहीं होपाता क्योंकि यहतो उस समय स्थापित होगा जबकि किसी मूल्य विशेष पर सम्पूर्ण पूर्ति, सम्पूर्ण मागको पूरा करनेके लिए केवल पर्याप्त मात्राही हो। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता। केवल इस सन्तुलनकी स्थितिसे इन तीनोंमें से एकभी बहुत आगे पीछे नहीं रहने पाता। यदि

पूर्ति मागसे अधिक होतो विक्रेताओंकी प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्य कम होने लगेगा। इसके फलस्वरूप पूर्ति कम और माग अधिक होने लगेगी। इसीप्रकार जब माग पूर्तिसे अधिक होगी तो ग्राहकोकी प्रतिस्पर्धाके फलस्वरूप मूल्यका बढ़ना आरम्भ होने लगेगा। इसके फलस्वरूप मागमें कमी और पूर्तिमें वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार हरसमय सन्तुलनके भंग होनेपर स्वयंही ऐसी शक्तियोंका प्रादुर्भाव होता रहताहै जो फिर सन्तुलन स्थापित करनेकी चेष्टा करती रहती है। ये शक्तिया वाजारकी भिन्न भिन्न स्थितियोंमें एकमा बल नहीं रखती। यदि विक्रेताओंमें और ग्राहकोमें परस्पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो ये शक्तियाभी पूरे बलसे कार्य करती है। यदि विक्रेताओंका एकाधिकार हो तो वे पूर्ति अथवा मूल्यमें से एकपर इन शक्तियों का पूरा प्रभाव नहीं पडने देते अर्थात् पूर्तिकी मात्रा अथवा मूल्यमें से एकको अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा सकते है। यदि ग्राहकोका एकाधिकार हो तो वे माग और मूल्यमें से एकका नियन्त्रण करसकते है। आधुनिक अर्थशास्त्रियोंका विचारहै कि व्यवहार में न तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा और न एकाधिकार ही होता है। जोन राविन्सन के कथनानुसार अपूर्ण प्रतिस्पर्धाका ही प्रभुत्व है। चेम्बरलेनने तो एकाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा इत्यादिका भी वर्गीकरण किया है।

काल-भेद और मूल्य

इसके अतिरिक्त कालकी गतिसे भी इस सन्तुलनपर प्रभाव पडताहै क्योकि पूर्ति, माग तथा मूल्यकी स्थितियोंमें अन्तर पडजाता है। समय व्यतीत होनेसे उत्पत्तिकी मात्रा तथा जनताके स्वभाव, रुचि इत्यादिमें परिवर्तन होनेकी सम्भावना रहती है। फलस्वरूप पूर्ति और मागकी स्थिति वैसी नहीं रहती जैसीकि पहिले थी। इन शक्तियोंके बदलनेसे सन्तुलनभी अपना पुराना स्थान बदललेता है।

अर्थशास्त्री कालके तीन भेद करते है। पहिला वहहै जिसमेंकेवल उन्ही वस्तुओं का लेनदेन होताहै जो उत्पन्नकी जाचुकी है और पहिलेसे ही बाजारमें उपस्थित है। दूसरा वह जिसमें पहिलेसे ही प्रस्तुत उत्पादक सामग्री द्वारा पैदाकी जा सकनेवाली वस्तुए बाजारमें लायी जा सकती है। तीसरा काल वहहै जिसमें नयी उत्पादक सामग्री द्वारा अथवा पुरानी सामग्रीकी उत्पादन शक्तिमें वृद्धि करके उत्पन्नकी जाने

वाली वस्तुएँ भी विनिमयके लिए उपलब्ध होजाती है। पहिलेको हम क्षणिक काल, दूसरेको अल्पकाल और तीसरेको दीर्घकाल कहेंगे। स्पष्ट है कि क्षणिक कालमें मूल्य निर्धारण करनेमें प्रभुत्व मागका होगा, दीर्घकालमें पूर्तिका और अल्पकालमें कभी माग और कभी पूर्तिका ग्रथवा दोनो का।

क्षणिक काल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य

क्षणिककाल में पूर्तिकी मात्रातो बाजारमें घटायी और बढ़ायी नहीं जासकती। अतः मूल्य-निर्धारण करनेमें सीमान्त ग्राहकका विशेष महत्व रहता है, उसकी मूल्य-निर्धारण करनेकी शक्तिपर विक्रेताका केवल इतना नियन्त्रण है कि वह ग्राहकके लगायेहुए मूल्यपर वस्तुको न बेचे परन्तु उनका संग्रह करले। इस सम्बन्धमें यह कहदेना है कि प्रत्येक विक्रेता अपने मनमें किसी वस्तुका एक न्यूनतम मूल्य निश्चित करलेता है, जिसके नीचे वह उस वस्तुको नहीं बेचता। वस्तु यदि नश्वरहो तो यह न्यूनतम मूल्य बहुत ही कम होता है परन्तु यदि वस्तु संग्रहशील हो तो अधिक। यदि विक्रेताके विचारानुसार उसे भविष्यमें मिलनेवाला मूल्य वर्तमानमें मिलनेवाले मूल्य और संग्रहके व्ययसे अधिक है तो वह वस्तु बेचने के स्थानपर वस्तुका संग्रह करना ही उचित समझेगा। भविष्यमें मिलनेवाले मूल्यका अनुमान भविष्यके लिए सौदा करनेवाले बाजारसे किया जासकता है। कृषि द्वारा उत्पन्न बहुतसी वस्तुओंका मूल्य इसीप्रकार निर्धारित होता है।

अल्पकाल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य

अल्पकालमें माग बढ़नेसे मूल्य बढ़ना आरम्भ होजाय तो पूर्तिभी बढ़ायी जासकती है। सन्तुलन उस स्थानपर स्थापित होता है जिस स्थानपर कि किसी विशेष मूल्य पर माग और पूर्ति दोनो सम होजायें। मान लीजिए कि खाड़की माग और पूर्ति की तालिकाएं हमें मालूम हैं अर्थात् हम जानते हैं कि दिये गये मूल्यपर खाड़की अमुक मात्रामें मांग होगी और अमुक मात्रामें पूर्ति। इन तालिकाओं द्वारा सिद्ध किया जासकता है कि सन्तुलन उनीममय स्थापित होसकता है जबकि किसी विशेष

मूल्य पर मांग और पूर्तिकी मात्रा सम होगी। मांग और पूर्तिके नियमांकी सहायतासे तालिकाए इसप्रकार बनायी जासकती हैं कि मूल्यके कम होनेपर मांग बढ़नी चाहिए और पूर्ति घटनी चाहिए। मूल्यके अधिक होनेपर मांग घटनी चाहिए और पूर्ति बढ़नी चाहिए।


खाउकी मांग और पूर्तिकी एकत्रित तालिका

मांगकी मात्राए (मन)	मूल्य (रुपये)	पूर्तिकी मात्राए (मन)
२००	५०	४,०००
३००	४६	३,८००
५००	४८	३,५००
१,०००	४७	३,०००
१,६००	४६	२,५००
२,०००	४५	२,०००
२,५००	४४	१,६००
३,०००	४३	१,०००


मान लीजिए कि मूल्य ४७ रुपये मन है। इस मूल्यपर मांग १,००० मनकी होगी और पूर्ति ३,००० मनकी। इस मूल्यपर मांगके परिमाणसे पूर्तिका परिमाण अधिक होनेके कारण विक्रेताओंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा होगी। अतएव वे मूल्य कम करके ग्राहकोको अपनी ओर आकर्षित करनेकी चेष्टा करेंगे। इस परिस्थितिमें ग्राहकलोग मूल्यके और भी गिरनेकी आशामें वस्तु खरीदना स्वगित करदेंगे परन्तु मूल्यकी हर कमीके साथ कुछ लोग खरीदनेके लिए उद्यतहो जायेंगे। दूसरीओर मूल्य के घटनेसे पूर्तिकी मात्रामें कमी होती जायेगी क्योंकि मूल्य घटते घटते कुछ विक्रेताओंके पूर्वनिर्धारित न्यूनतम मूल्यसे कम हो जायेगा। यह क्रिया तब तक होती रहेगी जबतक मूल्य ४५ रुपये प्रतिमन नहीं होजाता। विक्रेता इसममें सेल्य क न करेंगे क्योंकि इस मूल्यपर जितना वे बेचना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें ग्राहक मिल जायेंगे। इसीप्रकार यहभी प्रदर्शित किया जासकता है कि मूल्य ४५ रुपये प्रतिमनसे कम नहीं होसकता। मानलीजिए मूल्य ४३ रुपये मन है। इस मूल्य पर विक्रेता १,००० मन बेचना चाहते हैं और ग्राहक ३,००० मन लेना चाहते हैं।

इस मूल्य पर मागसे पूर्ति कम होनेके कारण ग्राहकोकी प्रतिस्पर्धाके फलस्वरूप मूल्यमें ४३ रुपये मनसे अधिक होनेकी प्रवृत्ति हो जायेगी। मूल्य बढ़नेसे माग कम होती चली जायेगी और पूर्ति बढ़ती चली जायेगी। यह क्रिया तबतक बन्द न होगी जबतक कि मूल्य ४५ रुपये मन नहीं होजाता। ग्राहकोमें प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्य बढ़ने और विक्रेताओंमें प्रतिस्पर्धाके कारण मूल्य घटनेकी प्रवृत्ति होजाती है। सन्तुलन उस मूल्यपर स्थापित होताहै जिसपर कि सीमान्त विक्रेता बेचनेके लिए उद्यत होजाते है। सीमान्त विक्रेता वह विक्रेता है जो किसी विशेष मूल्य पर केवल बेचने मात्रके लिए तैयार हो पाता है और सीमान्त ग्राहक वह ग्राहक है जो किसी विशेष मूल्य पर खरीदने मात्रके लिए तैयार हो पाता है। इस प्रकार हर मूल्यके लिए सीमान्त विक्रेता और सीमान्त ग्राहक होंगे। सन्तुलन उस मूल्य पर स्थापित होगा जो उस मूल्यके सीमान्त विक्रेताओ और सीमान्त ग्राहकोको अभीष्ट होगा। कारण यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें एक बाजारमें एकही वस्तुका एकही मूल्य होना आवश्यक है।

ज्यामितिकी सहायतासे सन्तुलन क्रियाको निम्नलिखित ढगसे दर्शाया जा सकता है:



'म ख' रेखापर मूल्य दिखाया गया है और 'म क' रेखापर माग तथा पूर्ति । माग रेखाका आकार 'द, द' रेखाके समान होगा और पूर्ति रेखाका 'प, प' रेखाके समान क्योंकि मूल्यके घटनेसे माग बढ़ती जाती है और पूर्ति घटती है । सन्तुलन 'ग' स्थान पर स्थापित होगा, जिग स्थानपर ये दोनो रेखाएँ परस्पर एक दूसरेको काटती हैं । इस चित्रमें माग रेखा नीचेकी ओर गिर रही है और पूर्ति रेखा ऊपर की ओर चढ़ रही है । परन्तु ऐसीभी स्थिति होगी है कि पूर्ति रेखाभी नीचेकी ओर गिर रही हो । ऐसा तब होता है जब किनी वस्तुके उत्पादनमें व्ययका क्रमागत ह्रासनियम लागू हो रहा हो । उससमय इन रेखाओंका आकार उभ्रप्रकार होगा :



परन्तु अबभी सन्तुलन उही स्थानपर स्थापित होगा जिसपर ये दोनो रेखाएँ आपसमें एक दूसरेको काटती हो ।

अल्पकाल, एकाधिकार और मूल्य

एकाधिकारसे हमारा अभिप्राय विक्रेताओंके एकाधिकारसे है अर्थात् वस्तु-विशेष का बाजारमें केवल एकही विक्रेता हो। जब एकही वस्तुके दो विक्रेता हो तो उसे द्वयाधिकार कहते हैं और जब दो से अधिक थोड़ेसे विक्रेता हो तो उसे बहवाधिकार कहा जाता है।

एकाधिकारमें विक्रेता पूर्ति अथवा मूल्यमें से एकका नियन्त्रण करसकता है। यदि वह कृत्रिम नियन्त्रणों द्वारा पूर्तिमें कमी करता है तो वस्तुका मूल्य उस स्थितिसे अधिकही होगा जबकि वह पूर्ण पूर्तिको बाजारमें उपस्थित होने देता है। एकाधिकारी विक्रेताका उद्देश्य अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करना होता है। वह मांगकी लोच इत्यादिका अध्ययन करके मूल्य इसप्रकार निश्चित करता है कि उसे अधिकतम शुद्ध लाभ मिलसके। मूल्य बढ़ाने से मागमें कमीतो अवश्य होती है परन्तु जब तक मागकी इस कमीसे होनेवाली हानि अधिक मूल्यके कारण मिलनेवाले लाभसे कम रहती है तबतक मूल्य बढ़नेमें उसका क्षेम निहित है। यदि मूल्य वृद्धिके कारण मागमें कमी आजानेसे होनेवाली हानि मूल्य-वृद्धिसे मिलनेवाले लाभके परिमाणसे अधिक हो तो ऐसी परिस्थितियों में एकाधिकारीके कुल शुद्ध लाभमें कमी आ जायेगी। अतएव उसको अधिकतम शुद्ध लाभ उस मूल्यपर प्राप्त होगा जहापर मागकी कमी से होनेवाली हानि मूल्य वृद्धिसे होनेवाले लाभके सम हो। मानलीजिए किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई पर एकाधिकारी की लागत ३ रुपए है और विविध मूल्योपर विकनेवाली मात्राए इसप्रकार है :

मूल्य प्रत्येक इकाई	लागत प्रत्येक इकाई	लाभ प्रत्येक इकाई	विक्री की मात्रा	कुल शुद्ध लाभ
१८)	३)	१५)	३००	४,५००)
१६)	३)	१३)	५००	६,५००)
१४)	३)	११)	७००	७,७००)
१२)	३)	९)	९००	८,१००)
१०)	३)	७)	१,१००	७,७००)

८)	३)	५)	१,३००	६,५००)
६)	३)	३)	१,५००	४,५००)

जब मागकी तालिका उपरिलिखित प्रकारसे ही तो अधिकतम लाभकारी मूल्य १२ रुपये हैं क्योंकि इस मूल्यपर उसे अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त होता है।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मूल्य

हम लिखचुके हैं कि प्रतिस्पर्धा उससमय अपूर्ण समझी जाती है जब ग्राहक वस्तु विशेषको न्यूनतम मूल्यपर बेचनेवाले विक्रेतासे नहीं लेते हैं। कई ग्राहक किसी विशेष विक्रेतासे वस्तु अधिक मूल्य देकरभी लेनेको इसलिए उद्यत रहते हैं क्योंकि वह विक्रेता वस्तुके साथ साथ कुछ ऐसी सेवाएँ भी ग्राहको को उपलब्ध करता है। जो उनको अभीष्ट है। इसके उदाहरण हम प्रतिस्पर्धाके अध्यायमें देचुके हैं। उसी अध्यायमें यह भी बताया जाचुका है कि बहुधा विक्रेता लोग विज्ञापन तथा व्यापार चिह्नो द्वारा ग्राहकोके मनमें वास्तविक या काल्पनिक गुणोके कारण अपनी वस्तुके लिए विशेष श्रद्धा उत्पन्न करनेमें समर्थ होजाते हैं। इस कारण भिन्न भिन्न चिह्नों वाली एकही वस्तुका न्यूनाधिक मूल्य लिया जासकता है। ऐसी विशेष चिह्नवाली वस्तुका विक्रेता एकाधिकारीके समान अपनी वस्तुका मूल्य निश्चित तो करसकता है परन्तु उस वस्तुका प्रतिस्थापन करनेवाली वस्तुओका अस्तित्व उसके द्वारा निश्चित मूल्यपर बिकनेवाली वस्तुकी मात्राको नियन्त्रित किये रहता है। यदि इस वस्तुको बेचनेवाले थोड़ेसे ही विक्रेता हो और उनमें से एक विक्रेता अधिक मात्रामें बेचने के लिए अपनी वस्तुका मूल्य कम करदे तो उसके प्रतिस्पर्धी भी अपने ग्राहक खो देने के भय से अपना मूल्य कम कर देने की सोचेंगे। ऐसा होनेपर वह मूल्यको कम करके भी अपनी वस्तुकी मागमें अधिक मात्रामें वृद्धि करनेमें समर्थ न हो पायेगा। इसके अतिरिक्त अपूर्ण प्रतिस्पर्धाकी दशामें मागकी लोच पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा की अपेक्षा बहुत कम होती है। अतएव वस्तुको पहिलेसे अधिक मात्रामें बेचनेके लिए मूल्यमें अधिक कमी करनी पडती है। इन कारणोसे ऐसी वस्तुका एक बार ऐसा मूल्य स्थापित होजानेसे जिसपर कि वह पर्याप्त मात्रामें बिक रही हो विक्रेता लोग मूल्य परिवर्तनसे बहुत घबराते हैं अन्यथा विक्रेताओ में मूल्य घटानेकी प्रति-

स्पर्धा यथातक बढ़ सकती है कि अन्ततोगत्वा सभीको हानि उठानेके कारण पश्चात्ताप करना पड़े। इसलिए ऐसी वस्तुओंके मूल्य प्रायः दीर्घकालके लिए स्थापित होजाते हैं।

बाजार-मूल्य और सामान्य-मूल्य

बाजार-मूल्य माग और पूर्तिके सन्तुलनसे स्थापित होता है। ऊपरकी पक्तियों में यह दिखलाया जाचका है। परन्तु इस प्रकरणमें यह मानलिया गयाथा कि किसी निश्चित उपभोग कालके लिए पर्याप्त मात्रामें उपभोग वस्तुएँ उपलब्ध हैं। दीर्घ काल में स्थापित होनेवाले मूल्यको सामान्य मूल्य या प्राकृतिक मूल्य कहते हैं। यह केवल बाजारमें उपस्थित माग और पूर्तिके सन्तुलनसे नहीं परन्तु उत्पादन और उपभोगके सन्तुलनसे स्थापित होता है। उत्पादनका सम्बन्ध उत्पादन-व्यय से होनेके कारण इस सन्तुलनके अध्ययनके लिए हमें उत्पादन-व्ययको ध्यानमें रखना होगा। इसके अतिरिक्त उत्पादक उत्पादन कार्यमें लाभ प्राप्त करनेकी इच्छा से सलग्न होता है। इसलिए हमें उत्पत्तिसे प्राप्त होनेवाली उत्पादककी आयपर औरभी ध्यान देना होगा। इस सम्बन्धमें सीमान्त उत्पादन-व्यय तथा सीमान्त-आयकी परिभाषाओंसे परिचय प्राप्त करना होगा। किसी वस्तुकी एक और इकाईके उत्पादनसे कुल व्ययमें जो वृद्धि होतीहै उसे सीमान्त व्यय और किसी वस्तुकी एक और इकाई बेचनेसे कुल आयमें जो वृद्धि होतीहै उसे सीमान्त आय कहते हैं। ये परिभाषाएँ नीचे दीहुई तालिकाओंसे भलीप्रकार समझमें आजायेंगी :

उत्पत्ति की मात्रा इकाइया	उत्पादन-व्यय प्रत्येक इकाई (रूपये)	कुल उत्पादन व्यय (रूपये)	सीमान्त उत्पादन-व्यय (रूपये)
१	१०)	१०)	...
२	८)	१६)	६)
३	७)	२१)	५)

४	७)	२८)	७)
५	८)	४०)	१२)
६	९)	५४)	१४)
७	१०)	७०)	१६)
८	११)	८८)	१८)

एक इकाईके उत्पन्न करनेके अनन्तर दूसरी इकाई उत्पन्न करनेके लिए ६ रुपये अधिक व्यय करना पडते है। इसलिए ६ रुपया दूसरी इकाईका सीमान्त उत्पादन व्यय हुआ। इसीप्रकार अगली इकाईया उत्पन्न करनेके अनन्तर छठी इकाई उत्पन्न करनेके लिए हमें १४ रुपये अधिक व्यय करने पडते है। इसलिए १४ रुपया छठी इकाईका सीमान्त उत्पादन व्यय हुआ।

अब आयको ले लीजिए :

वस्तु की मात्रा इकाईया	मूल्य प्रत्येक इकाई (रुपये)	कुल आय (रुपये)	सीमान्त आय (रुपये)
१	१८)	१८)	...
२	१६)	३४)	१४)
३	१४)	४२)	१०)
४	१२)	४८)	६)
५	१०)	५०)	२)
६	९)	५४)	४)
७	८)	५६)	२)
८	७।।)	५८)	२)

तीन वस्तुओके अनन्तर चौथी वस्तु बेचनेसे उत्पादकको ६ रुपये अधिक प्राप्त होतेहै इसलिए ६ रुपये चौथी वस्तुकी सीमान्त आय हुई। इसीप्रकार ६ वस्तुओके बेचनेके उपरान्त सातवी वस्तु बेचनेसे २ रुपये अधिक आय हुई। इसलिए २ रुपये सातवी वस्तुकी सीमान्त आय हुई।

स्मरण रहे कि सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त आय वस्तुकी प्रत्येक इकाईके लिए निर्धारित किये जासकते हैं।

औसत उत्पादन-व्यय और औसत आय


औसत उत्पादन-व्यय निकालनेके लिए कुल व्ययको कुल उत्पन्न वस्तुओकी मात्रासे और औसत आयको निकालने के लिए कुल आयको कुल वस्तुओकी मात्रासे भाग देदिया जाता है। स्पष्ट है कि औसत आय और मूल्य-एकही समान होंगे।

यदि किसी वस्तुके उत्पादनमें व्ययका क्रमागत-ह्रास-नियम लागू होरहा हो तो उस वस्तुकी अधिक मात्रामें उत्पत्ति किए जानेपर सीमान्त उत्पादन व्यय कम होता जायेगा और उस वस्तुके व्ययका क्रमागत-वृद्धि-नियम अनुपालन करनेपर अधिक मात्रामें उत्पत्ति होने पर सीमान्त उत्पादन व्ययभी अधिक होता जायेगा।

यदि अल्पकाल में निर्धारित मूल्य द्वारा उत्पादकको हानि होरही हो या यथेष्ट लाभ प्राप्त न होरहा हो, तो वह भविष्यमें होनेवाली पूर्तिकी मात्राको भविष्यकी भागके अनुसार न्यूनाधिक करनेका प्रयत्न करके अधिकसे अधिक लाभ उठानेकी चेष्टा करेगा।


दीर्घ कालमें मूल्यका सन्तुलन उससमय होगा जबकि सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त उपयोगिता सम होजाये अथवा जब सीमान्त उत्पादन व्यय और भाग द्वारा निर्धारित मूल्य सम होजाये। प्रत्येक उत्पादकका चरम उद्देश्य अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करना अथवा अपनी हानिको न्यूनतम करना होता है। यह उसी समय होसकता है जबकि सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त आय सम होजायें क्योंकि जबतक सीमान्त आय सीमान्त उत्पादन व्ययसे अधिक रहेगी, उत्पादक अधिक मात्रामें उत्पन्न करके कुल लाभको बढ़ानेमें अथवा कुल हानिको घटाने में समर्थ होसकेगा। ज्यामितिकी परिभाषामें कहा जासकता है कि उत्पादक उस बिन्दु तक उत्पन्न करता रहेगा जिसपर कि सीमान्त उत्पादन व्यय रेखा और सीमान्त आय रेखा परस्पर एक दूसरेको काटती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और पूर्ण एकाधिकार तीनों स्थितियोंमें दीर्घकालीन पूर्ति इस नियमद्वारा नियमित रहेगी। यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी तो उत्पादक बहुतेसे होंगे और सबके सब एकही

मूल्यपर बेचेंगे। यह मूल्य सब उत्पादकोंकी कुल पूर्ति और सब ग्राहकोंकी कुल मांगसे निर्धारित होगा। यदि इस प्रकारसे निर्धारित मूल्य सीमान्त उत्पादन व्यय से अधिक होगा तो नये उत्पादक लाभ उठानेकी इच्छामे इस वस्तुको उत्पन्न करना आरम्भ करदेंगे अथवा पुराने उत्पादक अधिक मात्रामें वस्तु उत्पन्न करके अधिक लाभ उठानेकी चेष्टा करेंगे। इसप्रकार वस्तुकी अधिक मात्रामें पूर्ति होनेसे मूल्य कम होने लगेगा और सन्तुलन उससमय स्थापित होगा जब प्रत्येक उत्पादकका सीमान्त उत्पादन व्यय और वस्तुका मूल्य समान हो जायेगा। सीमान्त उत्पादन व्यय का सीमान्त आयके सम होना अनिवार्य है अतएव पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें मूल्यभी इन दोनोंके बराबर होगा। इस सम्बन्धको नीचे दिये गये रेखाचित्र द्वारा दिखाया गया है :




म क रेखा वस्तुका परिमाण बताती है और म ख रेखा पर उसका मूल्य, आय और व्यय सूचित किये गये हैं। द द रेखा मागकी रेखा है। जैसाकि पहिले बताया जाचुका है पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें औसत आय वस्तुके मूल्यके बराबरही रहती है। प्रत्येक विक्रेताकी सीमान्त आयभी मूल्यके ही समान होगी क्योंकि वह अपनी

उत्पत्तिकी प्रत्येक इकाईसे मूल्यके समानही आय प्राप्त करता है। अतएव द द रेखा माग, सीमान्त आय और औसत आयकी द्योतक है। ल ल रेखा औसत व्ययकी रेखा है और व व रेखा तत्सम्बन्धी सीमान्त व्ययकी रेखा है। सीमान्त व्ययकी रेखा व व सीमान्त आयकी रेखा द द को ग बिन्दु पर काटती है। अतएव म त उत्पादनकी मात्रा होगी। इस परिस्थितिमें कुल उत्पादन व्यय म त प थ और कुल आय म त ग द होगी और प ग द थ अतिरिक्त लाभ होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी परिस्थितिमें यह अवस्था स्थायी नहीं रहसकती क्योंकि इसमें नये उत्पादको के आनेकी और पुराने उत्पादको के उत्पत्तिके परिमाणमें वृद्धि करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायेगी। इसके फलस्वरूप उस वस्तुका मूल्य गिरने लगेगा और तबतक गिरता जायेगा जबतककि अतिरिक्त लाभ लुप्त न होजाये। यह उसी दशामें होगा जहापर औसत आय रेखा द द औसत व्यय रेखा ल ल पर स्पर्श रेखा बन जाती है। स्पष्ट है कि यह बिन्दु ल ल रेखा पर सबसे नीचा बिन्दु होगा और यहीपर सीमान्त व्यय रेखा भी औसत व्यय रेखाको काटेगी। इस परिस्थितिमें रेखाचित्र इस प्रकार का होगा :



एकाधिकारी को यह म्बिधा प्राप्त है कि वह अधिकसे अधिक लाभ उठानेके लिए न केवल उत्पत्तिकी मात्राको न्यूनाधिक करके उत्पादन व्ययको न्यूनाधिक

करसकता है परन्तु मात्राको न्यूनाधिक करके वस्तुके मूल्य तथा अपनी श्रमश्रयको भी न्यूनाधिक कर सकता है। वह उत्पादन तो उतनी मात्रा में करेगा कि सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त श्रय सम होजायें। परन्तु वह उम मूल्य पर बेच सकेगा जहापर उसकी विक्रीके लिए लायी गयी वस्तुका परिमाण मागके परिमाणके सम हो। यदि वह अधिक मात्रामें बेचना चाहताहो तो उसका कम मूल्य प्राप्त होसकेगा और कम मात्रामें बेचनेपर वह अधिक मूल्य प्राप्तकर सकेगा। यह मूल्य सदैव सीमान्त उत्पादन व्ययसे और फलतः सीमान्त श्रयसे अधिक होगा। एकाधिकारीकी श्रमश्रय सीमान्त श्रयसे सदैव अधिक होगी। ज्यामितिकी परिभाषामें एकाधिकारकी दशामें सीमान्त श्रयरेखा श्रमश्रय रेखा से सदैव नीचे रहेगी क्योंकि एकाधिकारीको अधिक बेचनेके लिए अपने मूल्यको कम करना पडता है। स्मरण रहे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी अवस्थामें एक उत्पादक अधिक मात्रा को भी पूर्वनिर्धारित मूल्यपर बेच सकता है। इसीलिए उसकी श्रमश्रय रेखा और सीमान्त श्रय रेखा एकही होती है। नीचे दिये गये रेखाचित्रमें एकाधिकार की अवस्थामें मूल्य निर्धारण क्रियाको दिखाया गया है :



विविध रेखाएँ और उनके नाम ऊपर दिये गये हैं 'प' बिन्दु पर सीमान्त उत्पादन व्यय रेखा और सीमान्त आय रेखा परस्पर एक दूसरे को काटती हैं। एकाधिकारीको लाभ उस वस्तुकी म ल मात्रा उत्पन्न करनेमें है और इस मात्रा पर उसका मूल्य ल र होगा जो मांग द्वारा निर्धारित होगा। चित्रसे विदित है कि एकाधिकारीका अधिकतम लाभ वस्तुको अधिकसे अधिक मूल्यपर बेचनेमें नहीं होता जैसा कि साधारणतया लोग समझते हैं। रेखाचित्र में मूल्यको ल' र से ल' र' करने पर उसकी विक्री म ल' रह जायेगी। यहा पर उसकी सीमान्त आय उसके सीमान्त व्यय से अधिक है। अतएव अपने कुल लाभको अधिकतम करनेके लिए एकाधिकारीकी प्रवृत्ति अपनी उत्पत्तिकी मात्रा म ल' से बढ़ानेकी होगी और यह वृद्धि करने की प्रवृत्ति उस परिमाण तक बनी रहेगी जहा पर सीमान्त आय और सीमान्त व्यय सम होजायें। रेखा-चित्रमें यह 'प' बिन्दु है।

स्पष्ट है कि मूल्य बढ़नेसे यद्यपि प्रत्येक इकाई पर लाभ अधिक होता है परन्तु कुल लाभ कम होजाता है। इसीप्रकार म ल' से अधिक मात्रा उत्पन्न करनेपर एकाधिकारीको तबतक लाभ मिलता रहेगा जबतक कि औसत आय या मूल्य औसत व्ययसे अधिक रहेगा। परन्तु उसे अधिक से अधिक कुल लाभ म ल मात्रा उत्पन्न करने पर ही मिलेगा। रेखाचित्रके अनुसार म ह परिमाण तक एकाधिकारी को लाभ होता है परन्तु अधिकतम लाभ म ल परिमाण परही होगा। अतएव यदि एकाधिकारीने म ल से अधिक मात्रामें उत्पत्ति करली हो तो उसका क्षेम उसको कम करके म ल तक लानेमें होगा क्योंकि इस परिमाणके बाद सीमान्त व्यय सीमान्त आयसे अधिक रहता है।

यदि यह मानलिया जाये कि एकाधिकारीकी पूर्ति रेखा प्रतिस्पर्धी उत्पादकोके औसत उत्पादन व्यय की सहायतासे बनायी हुई पूर्ति रेखाके समानहोगी तो प्रतिस्पर्धाकी दक्षामें उत्पत्तिकी मात्रा म ह और मूल्य स ह होगा। विदित है कि प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें एकाधिकार की स्थितिसे उत्पत्तिकी मात्रा अधिक होगी और मूल्य कम।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता अपनी विशेष व्यापार चिह्नवाली वस्तुका अथवा बाजारके अपने भागमें एकाधिकारी सा होता है। इसलिए उसकी वस्तुके लिए मांग रेखाके पूर्ववत् रहने पर सन्तुलन उसी प्रकार

स्थापित होता है जैसेकि एकाधिकारकी स्थिति में। अन्तर केवल इतना है कि इस स्थिति में नये उत्पादक उम वस्तुका प्रतिस्थापन करनेवाली वस्तुके निर्माणमें सलग्न होकर वस्तुकी पूर्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं। एकाधिकारकी स्थितिमें ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि उस स्थितिमें स्थानापन्न वस्तुओंका अभाव मान लिया जाता है।

द्वयाधिकार तथा बहुवाधिकारकी परिस्थितिमें वस्तुका मूल्य साधारणतः तत्रतक निर्धारित नहीं किया जासकता जब तक कि उत्पादक बाजारको भागोंमें विभाजित करके अपने विशेष भागमें वस्तु बेचनेका अथवा वस्तुकी कुल उत्पत्तिमें से पहिलेसे ही निश्चित विशेष भागके उत्पन्न करनेका परस्पर समनुबन्ध न करले। इस स्थिति में प्रायः घातक प्रतिस्पर्धाके अनन्तर ऐसे उत्पादको को हानिसे बचनेके लिए ऐसा समनुबन्ध करनाही पडता है।

सम्मिलित उत्पत्ति और मूल्य

कई एक वस्तुएँ सम्मिलित रूपमें ही उत्पन्न की जासकती हैं; पृथक पृथक नहीं। जैसे गेहूँ और भूसा एकही साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसी सम्मिलित उत्पत्तिकी दशामें प्रत्येक वस्तुका सीमान्त या शीतत उत्पादन व्यय निकालना कठिन होजाता है। इस प्रकार सम्मिलित दशामें उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंका सन्तुलन उस समय स्थापित होगा जबकि उन वस्तुओंकी उत्पत्ति उस मात्रामें होगी कि उन वस्तुओंसे मिलनेवाली सीमान्त आय मिलकर उनके सम्मिलित सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होजाय। यदि उनमें किसीभी वस्तुकी मागमें परिवर्तन होता है तो उन सबकी उत्पत्तिकी मात्रामें परिवर्तन द्वारा नया सन्तुलन स्थापित होगा।

सम्मिलित मांग

कभी कमी दो या दो से अधिक वस्तुओंकी माग साथ साथ घटती बढती है। ऐसी स्थितिमें उनके मूल्यभी साथ ही साथ घटते बढते हैं। परन्तु यदि उनमेंसे एक वस्तुका मूल्य उस वस्तुकी पूर्तिमें न्यूनता या आधिक्यके कारण बढ़े या घटे तो

दूसरीके मूल्यमें पहिलीसे विपरीत दिशामें परिवर्तन होगा। चाय की पूर्ति अधिक होनेसे चायका मूल्य कम होगा। परन्तु खाडकी पूर्ति पूर्ववत् रहने पर उसकी मांग बढ़नेसे उसका मूल्य अधिक होजायेगा। इसके अतिरिक्त यदि सम्मिलित माग वाली दो वस्तुओं में से पहिलीका केवल एकही प्रयोग हो और दूसरीके बहुतसे प्रयोग हो तो मागके परिवर्तनसे पहिली वस्तुके मूल्यपर दूसरी वस्तु के मूल्यसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति प्रायः उस समय देखनेमें आतीहै जब उपभोग्य वस्तुकी मांग बढ़नेसे उसके उत्पादन में काम आने वाले साधनोंकी मांग भी बढ़ती है। पावरोटी की माग बढ़ने से गेहूँ और पावरोटी बनानेवालोंकी मांग बढ़ेगी। परन्तु गेहूँ के पावरोटी बनानेके अतिरिक्त औरभी बहुतसे प्रयोग होनेके कारण उसके मूल्यमें विशेष परिवर्तन न होगा। परन्तु रोटी बनानेवालो का श्रम विशिष्ट और कुशल होनेके कारण उसका मूल्य बहुत बढ़ जायेगा। अर्थात् उनकी मजूरी अधिक होजायेगी।

एक वस्तु के भिन्न भिन्न मूल्य

कभी कभी उत्पादक विशेषकर एकाधिकारी भिन्न भिन्न प्रकारके ग्राहकोसे या भिन्न भिन्न बाजारों में एकही वस्तुके भिन्न भिन्न प्रयोगोंके लिए भिन्न भिन्न मूल्य लेते हैं। जैसे कई उत्पादक अपने देशमें वस्तु महंगी और विदेशमें सस्ती बेचते हैं। विजली का किराया रोशनीके लिए पृथक और औद्योगिक प्रयोगोंके लिए पृथक दरसे लिया जाता है। उत्पादक का प्रयत्न यह रहता है कि जिस बाजारमें मागकी लोच कम हो और सीमान्त आय बड़ी शीघ्रतासे गिरती चली जातीहो उस बाजारमें वस्तु कम मात्रामें बेचे। इसके विपरीत जिस बाजारमें माग तथा उसकी लोच अधिकहो उसमें सीमान्त आयभी अधिक होती है। उस बाजारमें वह वस्तुको अधिक मात्रामें बेचता है। दोनों बाजारों में वह अपनी बिक्रीको इसप्रकार विभाजित करेगा कि उसकी दोनों बाजारोंमें सीमान्त आय उसके सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होजाये।

प्रतिस्थापना

प्रतिस्थापना का महत्व

आधुनिक अर्थशास्त्रमें प्रतिस्थापनाको विशेष महत्व प्राप्त है। तटस्थ रेखाओं द्वारा अर्थशास्त्रीय समस्याओं का विश्लेषण प्रचलित होनेके कारण पुराने सीमान्त उपयोगिता विश्लेषण का लोपसा होता जा रहा है। तटस्थ रेखाओंके अध्यायमें हम देख चुके हैं कि हिवस इत्यादि अर्थशास्त्री सीमान्त उपयोगिताके स्थानपर सीमान्त स्थानापन्नताकी दरका प्रयोग करते हैं।

वास्तवमें प्रतिस्थापना और तटस्थ-स्थितिके नियम भिन्न भिन्न नहीं हैं; परन्तु एकही नियमके दो भिन्न भिन्न नाम हैं। तटस्थ-स्थितिका नियम सन्तुलनकी अवस्थामें लागू होता है और प्रतिस्थापना का नियम सन्तुलनसे भिन्न अवस्थामें।

प्रतिस्थापना और तटस्थ-स्थिति

मनुष्यकी आवश्यकतायें बहुत हैं। परन्तु हर आवश्यकता को तृप्त करनेके लिए भिन्न भिन्न प्रकारके साधन भी हैं। इस प्रकारके साधन जो एकही आवश्यकताको तृप्त करनेमें एक दूसरेका प्रतिस्थापन कर सकतेहो, स्थानापन्न साधन कहे जा सकते हैं। जब किसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए इस प्रकारके स्थानापन्न साधन उपलब्ध हो और उनमें से प्रत्येक साधन प्रचलित मूल्योपर एकही जैसी तृप्ति देनेवाला हो तब उनमेंसे किसी एकका भी प्रयोग करनेके लिए मनुष्य तटस्थसा रहता है। इनमें से किसी साधनका प्रयोग करनेकी ओर उसकी विशेष प्रवृत्ति नहीं होती। यह तटस्थ स्थितिका नियम है। परन्तु ससारकी आर्थिक स्थिति सदैव एकसी नहीं रहती। समय समयपर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और उपलब्ध साधनोंमें से कोईएक उसके सापेक्ष मूल्यमें कमीके कारण अन्य सबसे उत्तम होजाता है और

इस कारण वह अन्याय सब साधनों का प्रतिस्थापन करने लगता है। यह प्रतिस्थापन का नियम है।

दो प्रकार की स्थानापन्न वस्तुएं

प्रतिस्थापन करनेवाली वस्तुएं या साधन दो प्रकारके होते हैं। मूल्यों को ध्यानमें रखते हुए कुछतो प्रयोग की जानेवाली वस्तुके समान अथवा उससे अधिक तृप्ति-दायक होती हैं। जैसे विद्युत-शक्ति और मिट्टीका तेल दोनो प्रकाशका गुण रखनेके कारण एक दूसरेका प्रतिस्थापन करसकते हैं परन्तु विद्युत-शक्ति, उसके मूल्यको ध्यानमें रखते हुए अधिक तृप्ति प्रदान करती है। कभी कभी एक वस्तु किसी विशेष उद्देश्यके लिए उत्तम होती है और उसका प्रतिस्थापन करनेवाली दूसरी वस्तु किसी दूसरे उद्देश्यके लिए; जैसे मनुष्य के लिए गेहूँ उत्तम है परन्तु घोडो के लिए चने।

मूल्योका ध्यान रखतेहुए कुछ वस्तुएं प्रयोग कीजाने वाली वस्तुसे कम तृप्ति देती हैं। जैसे शुद्ध घी और वनस्पति घी। ऐसी वस्तुओ का प्रयोग मनुष्य विवश होकरही करता है स्वतन्त्रतासे नहीं। शुद्ध घी का मूल्य बहुत बढ़जाने के कारण लोग भलेही वनस्पति घी का प्रयोग प्रारम्भ करदें परन्तु जिनकी आय पर्याप्त है वह शुद्ध घी का ही प्रयोग करेंगे। अथवा उत्तम वस्तुकी पूर्तिमें कमीके कारण भी हीन वस्तुओ का प्रयोग आवश्यकसा होजाता है। जैसे हमारे देशमें अन्नकी तृणता के कारण बहुतसे लोग गेहूँ के स्थान पर जौ, चने इत्यादि को प्रयोगमें लाने लग गये हैं। ऐसी घटिया वस्तुओकी एक उपयोगिता यहभी है कि बहुत से लोग जो उत्तम वस्तुके बहुमूल्य होनेके कारण उसका प्रयोग करनेमें असमर्थ थे, मूल्य कम होजाने से घटिया वस्तुका प्रयोग करसकते हैं। बहुतसे लोग जो घी का प्रयोग न कर सकते थे, वनस्पति घी का प्रयोग करने लग गये हैं।

प्रतिस्थापना और मूल्य

स्पष्ट है कि किसी वस्तुका प्रतिस्थापन करनेवाली वस्तुओ का अस्तित्व उस वस्तुके

मूल्य पर अपना प्रभाव मनस्य डालेगा। बाजार-मूल्य किंगी वस्तुकी पूर्ति और भागके पारस्परिक सम्बन्धनके निर्धारण होना है। पूर्तिमें हमारा अभिप्राय केवल उस वस्तुकी पूर्तिमें ही नहीं बल्कि उस सभी वस्तुओंकी पूर्तिमें है जो उर्मा आवश्यकता को तृप्त करनेकी सामर्थ्य रखती ही जिसे यह वस्तु तृप्त कर रही हो अर्थात् उस वस्तुका प्रतिस्थापन न कर सकी ही। हमपक्ष पर वस्तुका प्रतिस्थापन करने वाली वस्तुओंका परित्यक्त उस वस्तुकी पूर्ति बाजार पूर्तिके निम्नानुसार उस वस्तुका मूल्य कम कर देना है। किन्तु यह शक्तिपूर्ण नहीं है कि ऐसी स्थानापन्न वस्तुओंकी समस्त पूर्ति वस्तुनिर्जंघकी पूर्तिपर प्रभाव डाले ही। हो सकताहै कि ऐसी स्थानापन्न वस्तुओंका प्रयोग अन्य आवश्यकताओं की तृप्तिके लिएभी होताहो अथवा पहिली वस्तुका प्रयोग करनेवाले उस वस्तुका अन्य वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापन हितकर न समझते हो और ऐसी स्थानापन्न वस्तुओंके होतेहुए भी पहिली ही वस्तुका प्रयोग करते रहें। अतएव ऐसी स्थानापन्न वस्तुओंकी पूर्तिका उस वस्तुकी पूर्तिपर केवल आधिक प्रभावही पड़ेगा और उनी अशक अनुपातमें उस वस्तुका मूल्यभी कम होगा।

सीमान्त स्थानापन्नता

जब हम आर्थिक उद्देश्यके वाहुल्य और उन्हें सिद्ध करनेके साधनोंकी न्यूनताके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेते हैं तो प्रतिस्थापना का महत्व औरभी अधिक होजाता है क्योंकि इसकी सहायतासे हम साधनोंकी न्यूनताको सापेक्ष रूपसे कम करसकते हैं। मनुष्य का उद्देश्य उपलब्ध साधनों द्वारा अधिकसे अधिक तृप्ति प्राप्त करना है और साधनोंके पारस्परिक प्रतिस्थापनसे हम ऐसी अवस्थाको प्राप्त करसकते हैं कि विविध साधनोंको इस अनुपातमें प्रयोग करें, जिससे हमें अधिकतम तृप्ति मिले। इस अनुपात में किसीभी प्रकारका परिवर्तन होनेपर हमें प्राप्त तृप्तिमें ह्रास ही होगा। यह सत्यहै कि किसी एकवस्तु अथवा साधनका उससे सर्वथा भिन्न वस्तु अथवा साधन द्वारा प्रतिस्थापन कियाजाना सम्भवसा प्रतीत नहीं होता विशेषकर उस अवस्थामें जबकि प्रतिस्थापन के अनन्तर भी हमें पहिलेके समानही तृप्ति पाने की इच्छा हो। परन्तु किसी वस्तु अथवा साधनकी सीमान्त वृद्धिका किसी सर्वथा

भिन्न वस्तु अथवा साधनकी सीमान्त वृद्धि द्वारा, सम तृप्ति की उपलब्धि का नियन्त्रण होतेहुए भी, प्रतिस्थापन कियाजाना असम्भव नहीं। ऐसातो सदैव होता ही रहता है।

प्रतिस्थापना और उपभोग

घरेलू आय-व्ययके सम्बन्धमें हम समसीमान्त उपयोगिता नियमका उल्लेख करही चुके हैं। मनुष्य अपनी सीमित आयको अपने उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए विविध प्रकार के साधनों अथवा वस्तुओपर व्यय करता रहता है। और इस व्ययसे उसे कुछ तृप्ति प्राप्त होती रहती है। परन्तु उसका लक्ष्य अपनी सीमित आयसे अधिकतम तृप्ति प्राप्त करना है। इस लक्ष्यकी सिद्धिके लिए वह एकवस्तु या साधनका दूसरी वस्तु या साधनके स्थानपर प्रतिस्थापन करता रहता है। एक समय आता है जबकि प्रत्येक वस्तु या साधनपर किये जानेवाले सीमान्त व्ययसे प्राप्त होनेवाली तृप्ति सम होजाती है। यह वह स्थिति है जिसमें उसे अधिकतम तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य तटस्थ अवस्थापर पहुचनेके लिए प्रतिस्थापना द्वारा अपने विविध प्रकारके व्यय न्यूनाधिक करता रहता है।

प्रतिस्थापना और उत्पादन

प्रतिस्थापना का सिद्धान्त केवल घरेलू आय-व्ययमें अधिकतम तृप्ति प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है वरन् हर प्रकारकी आर्थिक घटनाओका प्रतिस्थापना से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वस्तुओका पारस्परिक विनिमय प्रतिस्थापना का ही रूपान्तर है। उत्पादन और वितरणमें तो प्रतिस्थापनासे बहुतही काम पडता है। इस स्थानपर शतना कहदेना आवश्यक है कि प्रतिस्थापनासे हमारा अभिप्राय प्रायः सीमान्त प्रतिस्थापना से ही होता है। उत्पादन को ले लीजिए। किसीभी उत्पादन के साधन का किसीभी उत्पादन की योजनासे पूर्णतया लोप करना सम्भव नहीं परन्तु उनमें से किसी एकके विशेष अंशका किसी दूसरेके विशेष अंशसे प्रतिस्थापन किया जा सकता है। जब किसी साधनकी पूर्ति न्यून होने लगती है तो उसका मूल्य बढ़ जाने

के कारण उसका प्रतिस्थापन करनेवाले साधन का प्रयोग आरम्भ होने लगता है। पहिले साधनोकी माग कम होनेसे उसका मूल्य गिरने लगता है और स्थानापन्न साधनकी माग बढ़नेसे उसका मूल्य चढ़ने लगता है और प्रतिस्थापन तबतक होता रहता है जबतक कि उक्त साधनो द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिकी मात्राओं और उनके मूल्योमें एकसा अनुपात नही होजाता है।

वैसेभी उत्पादक अधिकतम उत्पत्ति करनेके लिए प्रयुक्त साधनोके पारस्परिक अनुपातमें परिवर्तन करतेही रहते है और इन परिवर्तनो के कारण उत्पादन विधिमें परिवर्तन होते रहते है। इन परिवर्तनोका आधार किसी साधन विशेषकी सीमान्त-वृद्धि द्वारा प्राप्त होनेवाली उत्पत्तिकी मात्रा है। जबतक किसी साधन विशेषसे सम्बन्धित सीमान्त उत्पत्तिकी मात्रा अन्य साधनो से सम्बन्धित सीमान्त उत्पत्तिकी मात्रासे अधिक रहती है, उस साधन विशेषका अधिकाधिक मात्रामें प्रयोग किया जाता है और अन्य साधनोका कम या उतना ही। यह क्रिया तबतक समाप्त नही होती जबतक हर साधनोके सीमान्त प्रयोगसे प्राप्त होनेवाली उत्पत्तिकी मात्रा सम नही होजाती।

प्रतिस्थापना और वितरण

यदि प्रतिस्थापना उत्पादनमें काम आनेवाले विविध साधनोकी मात्रापर प्रभाव डालती है तो इसप्रकार कीगयी उत्पत्तिके वितरण पर अवश्यही प्रभाव डालेगी। जिन साधनोका प्रयोग कम होता जा रहा है, उनके भागमें कमी आती जायेगी। यदि श्रमके स्थानपर पूजीका प्रयोग अधिक होने लगेगा तो श्रमजीवियो को वेतन के रूपमें मिलनेवाला उत्पत्तिका भाग पहिलेसे कम होजायगा और पूजीपतियो को व्याजके रूपमें मिलनेवाला भाग अधिक।

प्रतिस्थापना को एक अन्य दृष्टिसे इसप्रकार भी देखा जासकता है। किसीभी वस्तु अथवा साधनको भिन्न भिन्न प्रकारके प्रयोगो में लगाया जासकता है। इस वस्तु अथवा साधनकी मात्राका इन भिन्न भिन्न प्रयोगो में इसप्रकार वितरण किया जाता है कि प्रत्येक प्रयोगसे प्राप्त होनेवाली सीमान्त तृप्ति या उत्पत्ति एकही जैसी होजाय। उदाहरणके लिए भूमिको अनेक कार्योंमें लगाया जासकता है। उसपर

खेतीकी जासकती है, मकान बनवाया जासकता है अथवा सडक बनवाई जासकयी है। इन् भिन्न भिन्न प्रयोगोमें भूमि का वितरण इसप्रकार होगा कि हर प्रयोगसे प्राप्त होनेवाली सीमान्त तृप्ति एकसी होजाये।

प्रतिस्थापना की विरोधी शक्तियां

इसप्रकार तटस्थ स्थिति और प्रतिस्थापना द्वारा मनुष्यका आर्थिक जीवन संगठित होता रहता है। कभी कभी यह नियम स्वयही हमारे अनजाने में अपना कार्य करते रहते हैं। ऐसा प्रायः वस्तुओके उपयोगके सम्बन्धमें होताहै। कभी कभी हमें सोच समझकर इनका आश्रय लेना पडता है। ऐसा प्रायः वस्तुओके उत्पादनके सम्बन्धमें करना पडता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह नियम सदैवही अपना कार्यकर पाते हैं। इनका विरोध करनेवाली शक्तियोका भी अभाव नहीं। मनुष्यके स्वभावको ही ले लीजिए। यह सुगमतासे परिवर्तित होनेवाला वस्तु नहीं। मनुष्य जब किसी वस्तुका प्रयोग दीर्घकाल तक करता रहताहै तो उसके स्थानपर किसी दूसरी वस्तुका प्रयोग करना उसकेलिए बहुत कठिन होजाता है; चाहे दूसरी वस्तु के प्रयोगमें उसका लाभही क्यों न हो और ऐसाभी असम्भव नहीं कि समय समय पर उसके स्वभावमें जो स्वयं परिवर्तन होते रहते हैं, वे प्रतिस्थापना के कार्यका विरोध करने लगें। इसके अतिरिक्त सब मनुष्योके स्वभावभी एकही जैसे नहीं होते। ऐसे मनुष्योकी भी कमी नहीं जो एक दूसरेका प्रतिस्थापन करनेवाली दो वस्तुओमें से किसी एकके प्रति विशेष श्रद्धा रखते हो और जबतक उनके मूल्योमें बडाभारी अन्तर न पडजाय, उसका प्रयोग बन्द न करें। कभी कभी प्रतिस्थापना द्वारा थोडासा ही लाभ प्राप्त होनेके कारण लोग इस क्रियाको आलस्यवश टाल जाते हैं। इसीप्रकार उत्पादनमें भी प्रतिस्थापना पूर्णरूप से कार्य नहीं करपाती। बहुतसे उत्पादक साहससे वंचित होते हैं और अधिक कुशल उत्पादन विधियोको प्रयोगमें लानेसे हिचकिचाते हैं। अथवा यदि मूल्यमें वृद्धि होनेके कारण उत्पादक पर्याप्त लाभ उठा रहाहो तो प्रतिस्थापना से मिलनेवाले छोटे मोटे लाभोकी ओर ध्यानही नहीं जाता।

आर्थिक सन्तुलन

मूल्यों का पारस्परिक सम्बन्ध

समस्त आर्थिक पद्धतिका भलीभांति विश्लेषण करनेसे यह स्पष्ट रूपसे विदित होजाता है कि हर वस्तु या सेवाका मूल्य अन्य वस्तुओं या सेवाओंके मूल्योंसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमें सम्बन्धित रहता है अर्थात् हमारी आर्थिक पद्धति परस्पर सम्बन्धित मूल्योंकी पद्धति है और इन मूल्योंका पारस्परिक सन्तुलन उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित होता है। यह आवश्यक नहीं है कि क्रय-विक्रय की वस्तुएँ उपभोग्य पदार्थ ही हों। केवल इतना आवश्यक है कि जन-समुदाय को उनके लेनेकी चाहहो और विभिन्न वस्तुओं अथवा वस्तुसमूहों के लिए चाहके न्यूनाधिक होनेका निश्चय किया जासके। स्मरण रहे कि चाहकी न्यूनाधिकता वस्तुओंके मूल्यपर निर्भर नहीं रहती अर्थात् किसी वस्तुके लिए चाहका उसके मूल्यसे कोईभी सम्बन्ध नहीं होता।

वस्तुओंके मूल्य उपभोक्ताओंकी आयपर निर्भर रहते हैं और उपभोक्ताओंकी आय उत्पादनके साधनोंके मूल्य तथा उनके उत्पादन कार्यमें प्रयुक्त मात्रापर निर्भर रहती है। इसप्रकार न केवल उपभोग्य पदार्थोंके मूल्योंमें ही पारस्परिक सम्बन्ध होता है वरन् उत्पादनके साधनों द्वारा प्राप्त सेवाओंके मूल्यभी इन मूल्योंसे सम्बन्धित रहते हैं। वास्तवमें उत्पादनके साधनों द्वारा प्राप्त सेवाओंके मूल्योंका निर्धारणभी उसी प्रकार माग और पूर्तिके सन्तुलनसे होता है जैसे कि अन्य वस्तुओंका। परन्तु उत्पादको द्वारा प्रयुक्त किये जानेवाले उत्पादनके साधनोंकी माग और पूर्तिमें कुछ विशेषताएँ होती हैं। उत्पादककी उत्पादनके साधनोंके लिए माग उसकी अपनी आवश्यकताओंकी तृप्तिके लिए नहीं होती बल्कि इसलिए होती है कि वह इनके प्रयोग द्वारा कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न करना चाहता है जो कि अन्य लोगोंकी किसी

आवश्यकताको तृप्ति करेगी। वह उत्पन्न वस्तुको बेचकर प्राप्त आयसे अपनी आवश्यकताओं को तृप्त करेगा। यदि उत्पन्न वस्तुके लिए मांग बढ़ जाती है तो उसकी उत्पादनके साधनोंकी मागमें वृद्धि होना आवश्यक होजाता है। उत्पादक को उत्पादनके साधनोंका मूल्य निर्धारित करते समय उनके द्वारा उत्पन्न वस्तुके मूल्यका ही सहारा लेना पड़ता है। उत्पन्न वस्तुके मूल्य जाने विना उत्पादकको उत्पादनके साधनोंका क्या मूल्य देना चाहिए, यह निश्चय करना सम्भव नहीं। इसप्रकार यहाँ अन्य वस्तुओंकी माग उनके लिए उपभोक्ताओंकी न्यूनाधिक चाहपर निर्भर है और इस चाहकी न्यूनाधिकता ही उन वस्तुओंके सापेक्ष मूल्यों तथा मागकी मात्राको निर्धारित करती है। उत्पादनके साधनोंके मूल्य तथा उनकी मागकी मात्राके निर्धारण करनेमें उनके द्वारा उत्पन्न कीगयी वस्तुके मूल्यको विशेष महत्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त विविध साधनोंके मूल्योंका परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहनाभी विशेष रूपसे ध्यानमें रखना चाहिए क्योंकि किसीभी एक साधन विशेषका मूल्य अन्य साधनोंके मूल्योंसे इतने घनिष्ट रूपसे सम्बन्धित है कि उसका पृथक निर्धारण करना सम्भव नहीं।

मूल्यों का सन्तुलन

इसकारण सन्तुलनके विग्लेषण कार्यको तीन भागोंमें विभाजित करनेकी प्रथा अर्थशास्त्रियों में चली आरही है :

- (१) पहिले भागमें केवल वस्तुओंके विनिमयके साधारण सन्तुलनका ही विग्लेषण किया जाता है।
- (२) दूसरे भागमें किसी विशेष उत्पादन की सत्वाओंका और :
- (३) तीसरेमें उत्पादनके साधारण सन्तुलन का।

विनिमयके साधारण सन्तुलनके सिद्धान्तके प्रथम निर्माता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वालरेस थे। मान लीजिए कि विनिमय करनेके लिए हमारे पास केवल दो वस्तुएं क और ख हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा या तो क की पूर्ति और ख की माग या ख की पूर्ति और क की मागका होना ही सम्भव हो सकता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थितिमें सन्तुलन उन मूल्यपर स्थापित होगा जबकि क की पूर्ति क की मांगके


सम और फलस्वरूप ख की पूर्ति ख की मागके सम होजायेगी। स्मरण रहे कि इन दो वस्तुओं में से एक (यहा ख ले लीजिए) को मूल्यके मापकके रूपमें माना जा रहा है। इस प्रकार यदि दो वस्तुओंमें विनिमय कार्य सम्पन्न हो रहा हो तो हमें केवल एकही वस्तुका मूल्य, और यदि तीन में यह कार्य हो रहा हो तो दो वस्तुओंका मूल्य, निकालना होगा। साधारणतया कहा जा सकता है कि जितनी वस्तुओंमें विनिमय-कार्य सम्पन्न हो रहा हो उनसे एक कम मूल्योंका मालूम करना आवश्यक है क्योंकि मूल्य उन वस्तुओंमें से एकको मापक मानकर ही निर्धारित किये जाते हैं। यदि विभिन्न वस्तुओंके मूल्य हमें मालूम हो तो किसी व्यक्ति विशेषकी उनके लिए न्यूनाधिक चाहका आश्रय लेकर हम यह मालूम कर सकते हैं कि जिन वस्तुओंसे वह व्यक्ति वंचित है, उनकी वह अमुक मात्रामें पूर्ति करनेके लिए तैयार है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी प्रत्येक वस्तुके लिए माग और पूर्ति निकालकर हम प्रत्येक वस्तुकी कुल माग और पूर्ति साधारण जोड़ द्वारा निकाल सकते हैं। यदि विभिन्न वस्तुओंके मूल्य इसप्रकार स्थापित होजायें कि प्रत्येक वस्तुकी माग उसकी पूर्तिके सम होजाये तो ऐसी स्थितिको सन्तुलनकी स्थितिके नामसे पुकारा जाता है और जबतक हम इस स्थितिको प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक कुछ वस्तुओंके मूल्य घटते और कुछके बढ़ते रहते हैं। सन्तुलनकी स्थितिमें हमें प्रत्येक वस्तुकी माग और पूर्तिमें समता होनेके कारण इतनी सामग्री उपलब्ध होजाती है कि गणितशास्त्रकी सहायतासे हम प्रत्येक वस्तुके अज्ञात मूल्यको मालूम करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। यह सन्तुलन स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। इसके स्थायी होनेके लिए परमावश्यक है कि इसके भंग होतेही इसप्रकार की स्वयंभू शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जो इसके पुनः स्थापन की भरसक चेष्टा करें अर्थात् यदि मूल्य सन्तुलनाभीष्ट मूल्योंसे अधिक होने लगे तो ये शक्तियां उन्हें कम करनेमें सलग्न होजायें। और यह कार्य तभी सम्पन्न हो सकता है, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी दशामें मूल्योंके बढ़तेही पूर्तिकी मात्रा मागसे अधिक होजाये। इसी प्रकार मूल्योंके कम होनेसे मांगका पूर्ति की मात्रासे अधिक होना आवश्यक है। अर्थशास्त्री हिक्सने मूल्योंमें परिवर्तन होनेवाले कारणों में माग अथवा पूर्तिपर पड़नेवाले प्रभावोंको आय-प्रभाव तथा स्थानापन्न-प्रभावमें विभाजित किया है। किसी वस्तुका मूल्य कम होनेके कारण लोग उसका अधिक प्रयोग करना आरम्भ कर देते हैं और दूसरी वस्तुओंका कम।

अह हुआ मूल्यके कम होनेका स्थानापन्न प्रभाव। इस प्रभावसे उस वस्तुकी मांग अधिक और पूर्ति कम होती है। किसी वस्तुका मूल्य कम होनेका यह अर्थभी हो सकता है कि खरीदनेवालो की आयमें वृद्धि हुई और बेचनेवालो की आयमें न्यूनता। मान लीजिए कोई व्यक्ति उस वस्तुपर मूल्य कम होनेसे पहिले १० रुपये खर्च करसकता था। मूल्य कम होनेसे वह उस वस्तुकी उतनीही मात्रा अब १० रुपये से कम खर्च करके प्राप्तकर सकता है। मूल्य कम होनेसे पहिले और बादके व्ययके अन्तरको उसकी आय-वृद्धि मान लीजिए। यदि इस वृद्धिको वह उसी वस्तुकी अधिक मात्रा खरीदनेमें प्रयुक्त करना चाहता है तो उस वस्तुकी मागमें आय-प्रभाव द्वाराभी वृद्धिही होगी और बेचनेवाले भी अपनी आयकी कमीको पूरा करनेके लिए उसकी अधिक मात्रामें पूर्ति करेंगे। और यदि इस प्रभाव द्वारा मांग और पूर्तिमें एकही जैसी वृद्धिही तो अन्ततोगत्वा केवल स्थानापन्न प्रभावही मागको बढ़ानेका कारण होगा, आय-प्रभाव नहीं। किन्तु यदि वह वस्तु घटियाहै और उसका अधिक मात्रामें प्रयोग इस व्यक्तिको अभीष्ट नहीं; तो होसकता है कि वह आय-प्रभाव द्वारा प्राप्त आयकी वृद्धिको किसी दूसरी वस्तुके खरीदनेमें प्रयोग करे और इसप्रकार उस वस्तुकी मागमें आय-प्रभाव द्वारा तनिकभी वृद्धि न हो। हम देखते हैं कि आय-प्रभावसे पूर्तिमें तो वृद्धि होगी ही। इसकारण उस वस्तुका मूल्य और भी कम होजाने की सम्भावना है।

संस्था का सन्तुलन


मनुष्य केवल विनिमय द्वाराही उन वस्तुओंको जो उसके पासहैं, देकर अन्य वस्तुएं जो उसके पास नहीं हैं और जिन्हें प्राप्त करनेकी उसकी इच्छाहै, प्राप्त नहीं कर सकता। इस क्रियाको पूरा करनेके लिए दूसरा साधन उसके पास अपनी वस्तुओंको उत्पादन द्वारा नयी वस्तुओं में परिवर्तन करलेना है। स्पष्टहै कि ऐसा वह तभी करेगा जबकि उत्पादन द्वारा उसे साधारण विनिमयसे अधिक लाभ मिलने की आशाहो अर्थात् जब उत्पादन द्वारा परिवर्तित वस्तुओंका विनिमय-साध्य मूल्य परिवर्तनके पश्चात् अधिक होजाये। उत्पादनका कार्य आधुनिक संसारमें विशेष संस्थाओं द्वारा हुआ करता है। उनके चलानेवाले उद्योगपति होते हैं। वे उत्पादन के साधनोंके प्रयोग द्वारा उत्पादन कार्यमें नलग्न होतेहैं और इन साधनोंमें प्राप्त

सेवाओंको नयी वस्तुओंमें परिवर्तित करते हैं। इन्हें लिए ऐसी उत्पादन-संस्था का मुख्य उद्देश्य उत्पादनके साधनोंको एकत्रित करके उनके द्वारा प्राप्त वस्तुओंको बेच कर साधनों तथा उत्पन्न वस्तुओंके कुल मूल्यमें अधिकसे अधिक अन्तर पैदा करना है। ऐसी संस्थाके सन्तुलनकी अवस्था प्राप्त करनेका विवेचन हिक्स इस प्रकार करता है। मान लीजिए कि एक उत्पादनके साधन 'क' को एक वस्तु 'ख' में परिवर्तित करनेके कार्यमें एक संस्था लगन है। पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थिति है और क साधन और 'ख' वस्तु दोनोंके मूल्य निश्चित रूपसे ज्ञात है, उत्पादन कार्य संस्थाके लिए उससमय तक लाभदायक है जबतक कि 'ख' वस्तु द्वारा प्राप्त कुलमूल्य उसके उत्पादन में प्रयुक्त 'क' साधनपर व्यय कियेगये कुल मूल्यसे अधिक है। संस्थाका श्रेय 'ख' वस्तुकी उतनी मात्रा उत्पन्न करने में है जितनी वस्तुसे प्राप्त कुल मूल्य और साधनपर व्यय कियेगये कुल मूल्यमें अधिकतम अन्तर हो। रेखाशास्त्र की सहायतासे सन्तुलनकी स्थितिको इस प्रकार दिखाया जा सकता है। मान लीजिए हम 'म, क' मुख्य रेखापर साधनकी प्रयुक्त मात्रा दिखाते हैं और 'म, ख' मुख्य रेखा पर इस मात्राके प्रयोगसे प्राप्त वस्तु की मात्रा दिखाते हैं। मान लीजिए प्रयुक्त



साधनकी मात्रा 'म, स' है और उसके प्रयोगसे प्राप्त उत्पन्न वस्तुकी मात्रा 'स, व' है। 'म, ल' को 'स, व' के सम बनाकर उसमेंसे 'ल, र' इतना काट लीजिए जिससे कि 'ल, र' द्वारा वस्तुकी उतनी मात्रा दिखायी जा रही हो, जिसका कि मूल्य प्रयुक्त साधन 'म, स' के मूल्यके सम हो। तब 'म, र' वस्तुकी उस मात्राका द्योतक है जो

संस्था को अधिक प्राप्त होती है और इसका कुल मूल्य उत्पादन व्यय और कुल प्राप्त आयके अन्तर का द्योतक है।



संस्थाके सन्तुलनके लिए आवश्यक है कि 'म,र' अधिकतम हो और सदा लाभ (न कि हानि) का द्योतक हो। यह अवस्था तभी प्राप्त होसकती है जब कि 'र,व' रेखा उत्पादन रेखाको दो या अधिक स्थानोम काटनेके स्थानपर केवल एकही स्थान 'व' पर स्पर्श ही करे। गणितशास्त्र की सहायतासे यह सिद्ध किया जासकता है कि यह अवस्था केवल उन समय प्राप्त होसकती है जब कि उत्पादनके साधनका मूल्य उसके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके सम होजाये अथवा उत्पन्न वस्तुका मूल्य उनके सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होजाये। इसके अतिरिक्त 'म,र' के अधिकतम होनेके लिए यहभी आवश्यकहै कि जित्त स्थानपर 'र,व' रेखाका उत्पादन रेखाने सम्पर्क हो उन स्थानपर उत्पादन-रेखा 'म,स' मुख्य रेखाकी ओर उभरी हुईसी हो साधारण शब्दोंमें हमका अर्थ यह होगा कि सन्तुलनकी स्थिति उमसमय प्राप्त होनीहै जबकि सीमान्त उत्पत्तिका क्रमः कमहोना आरम्भ होजाये अथवा सीमान्त उत्पादन-व्ययकी क्रमः बढ़िहै। इसके अतिरिक्त सन्तुलनकी अवस्था प्राप्त होने

पर यहभी आवश्यक है कि औसत उत्पत्तिका ह्रास होरहा हो अथवा औसत उत्पादन-व्ययकी वृद्धि ।

संस्थाके सन्तुलन प्राप्त करनेकी स्थितिको हिवसके अनुसार दो प्रकारसे दर्शाया जासकता है । एक तो :

१. जिससमय साधनका मूल्य उसके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके मूल्य के सम होजाये ।
२. सीमान्त उत्पत्तिका ह्रास होना आरम्भ होजाये ।
३. औसत उत्पत्तिका ह्रास होना आरम्भ होजाये ।

और दूसरे :

१. जब वस्तुका मूल्य उसके सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होजाये ।
२. सीमान्त उत्पादन-व्ययकी क्रमशः वृद्धि होना आरम्भ होजाये ।
३. औसत उत्पादन-व्ययकी वृद्धि होना आरम्भ होजाये ।

प्रायः उत्पादनके साधनो अथवा उत्पादन-विधियोंके छोटे छोटे अंशोंमें अवि-
भाज्य होनेके कारण और अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेसे उत्पादन-व्ययमें वाह्य
अथवा अभ्यान्तरिक वचतोके कारण उत्पत्ति की क्रमशः वृद्धि (अथवा उत्पादन-
व्यय का क्रमशः ह्रास) होजाता है और जबतक उत्पत्तिकी वृद्धिसे उत्पादन-व्यय
का ह्रास होता रहेगा, संस्थाका व्यवस्थापक उत्पत्तिकी मात्राको बढ़ानेकी ही चेष्टा
करता रहेगा । परन्तु ससारमें उत्पादनके साधनोका बाहुल्य नहीं ; न्यूनता है और
यदि हम वस्तु उत्पन्न करनेवाले साधनोमें से एक साधनका प्रयोग तो अधिकाधिक
मात्रा में करते चले जायें परन्तु अन्य साधनोकी मात्रा में तनिकभी परिवर्तन न करें
अथवा कम मात्रामें परिवर्तन करें तो उत्पादन का क्रमशः ह्रास अथवा उत्पादन-
व्ययकी क्रमशः वृद्धि होना शुरू होजाती है । यदि यहभी मानलिया जाये कि किसी
विशेष संस्थाको उत्पादनके सब साधन अधिकाधिक मात्रामें प्राप्त करनेमें कोईभी
आपत्ति नहीं तो भी उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ जानेपर संस्थाके प्रबन्ध-कार्यकी कठि-
नाइयोंके कारण सीमान्त उत्पादन-व्ययमें वृद्धिका होना समय आनेपर अनिवार्यसा
होजाता है । स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति आनेपर व्यवस्थापक उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि
करना बन्द करदेगा । परन्तु यदि सीमान्त उत्पादन-व्यय अपनी न्यूनतममें अवस्थासे
ओड़ाही अधिकहो तो हो सकताहै कि उसे अवस्थामें सीमान्त-उत्पादन-व्यय औसत

उत्पादन-व्ययसे कम हो और यदि संस्था वस्तुको सीमान्त-उत्पादन-व्ययके सम मूल्य पर बेचे तो उसे हानि होगी। इसी कारण संस्थाके सन्तुलनके लिए न केवल सीमान्त-उत्पादन-व्ययका बढ़ना आरम्भ हो जाना ही आवश्यक है बल्कि औसत उत्पादन-व्ययका भी।

उद्योग और उसका सन्तुलन

एकही प्रकारकी वस्तु उत्पन्न करनेवाली ऐसी बहुतसी संस्थाओंके समूहको उद्योग कहते हैं। यदि किसी उद्योगमें सलग्न संस्थाओंको उसके समानही उत्पत्तिकारक अन्य उद्योगमें सलग्न संस्थाओंसे अधिक लाभ प्राप्त हो रहा हो तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी दशामें उस उद्योगमें नयी संस्थाएं स्थापित होनेकी सम्भावना है और इसके विपरीत यदि उसमें कम लाभ प्राप्त हो रहा हो तो उसमें सलग्न कुछ संस्थाओंके बन्द हो जाने की सम्भावना है। इसकारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशामें किसी उद्योग को सन्तुलन की अवस्था उससमय प्राप्त होगी जबकि उस उद्योगमें सलग्न संस्थाओंकी संख्यामें और प्रत्येक संस्थाकी उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि अथवा ह्रासकी कोई भी सम्भावना न हो। स्मरण रहे कि एकाधिकारकी स्थितिमें औसत तथा सीमान्त उत्पादन व्यय का ह्रास होता रहनेपर भी सन्तुलनकी अवस्था प्राप्त होना सम्भव है। परन्तु इस स्थितिमें भी संस्था एकदम बढ़ती ही नहीं चली जाती। कही न कही तो उसे अपनी उत्पादनकी मात्रा बढ़ानेसे रुकना ही पड़ेगा। यदि इस सम्बन्धमें कि उसे अधिकसे अधिक कितनी मात्रामें उत्पादन करना चाहिए, बढ़ते हुए सीमान्त उत्पादन व्ययसे सहायता नहीं मिल पाती तो उत्पन्न वस्तुके बाजारके सीमित प्रभारसे तो मिल सकती है। वास्तवमें बाजारकी सीमा और सीमान्त उत्पादन व्यय दोनों साथ साथ कार्य-शील रहते हैं।

उत्पादन और उसका सन्तुलन

सांस्तविक आर्थिक समारमें साधारण मनुष्य और संस्थाओंके व्यवस्थापक दोनों प्रकारके व्यक्ति मिलते हैं। साधारण मनुष्य उपभोग्य वस्तुओं अथवा उत्पादनके

साधनो दोनोंका लेन-देन करतेहैं और इसीप्रकार व्यवस्थापक भी। साधारण मनुष्य उपभोग्य वस्तुएँ खरीदताहै तो निजी उत्पादनके साधनोंको बेचता है। सस्थाका व्यवस्थापक उत्पादनके साधन खरीदताहै तो उपभोग्य वस्तुओंको बेचता है। सेवाओं का लेन-देन केवल साधारण मनुष्यों द्वारा होता है और अर्धनिर्मित वस्तुओंका केवल सस्थाओं द्वारा। इन विभिन्न वस्तुओंके विभिन्न बाजार होतेहैं और सन्तुलन उस मूल्यपर स्थापित होताहै जिसपर कि प्रत्येक वस्तुकी माग और पूर्ति सम हो जाये। केवल उत्पादनके साधनोंके मूल्योंमें सन्तुलनके सम्बन्धमें कुछ कहना गेप है। सस्थाके सन्तुलन की विवेचना करते हुए हम देखही चुकेहैं कि किसी साधनके मूल्य का उस साधनकी सीमान्त उपयोगिता अथवा उत्पत्तिके मूल्यके सम होना आवश्यक है; क्योंकि यदि सीमान्त उत्पत्तिका मूल्य साधनके मूल्यसे अधिक होगा तो उस साधनका अधिक प्रयोग करनेसे व्यवस्थापककी आयमें उत्पादन-व्ययसे अधिक वृद्धि होगी और इससे व्यवस्थापकको उसका प्रयोग बढ़ानेकी प्रेरणा प्राप्त होगी। दूसरे सन्तुलन-प्राप्तिके लिए यहभी आवश्यकहै कि प्रत्येक साधनकी प्रत्येक इकाईका एकही जैसा मूल्यहो, अन्यथा व्यवस्थापक अधिक मूल्यवाली इकाइयोंके स्थानपर कम मूल्यवाली इकाइयोंका प्रयोग करना आरम्भ करदेगा और इसकारण उस साधनके बाजारका सन्तुलन भग होजायेगा। हम देखचुकेहैं कि साधारण वस्तुओंके बाजारमें भी सन्तुलन प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यकहै कि वस्तुकी प्रत्येक इकाई का एकही मूल्य हो।

इसके अतिरिक्त यहभी आवश्यकहै कि विभिन्न साधनोंके मूल्य और उनके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पादन शीलतामें एकही जैसा अनुपात होना चाहिए। अर्थात् यदि किसीभी साधनकी सीमान्त उत्पादन शीलता को उसके मूल्यसे भाग दियाजाये, तो फल हरबार एकही होना चाहिए चाहे साधन कोईभी हो। गणितशास्त्रकी भाषामें कहाजा सकताहै कि :

$$\frac{\text{साधन 'क' की सीमान्त उत्पादनशीलता}}{\text{साधन 'क' का मूल्य}} = \frac{\text{साधन 'ख' की सीमान्त उत्पादनशीलता}}{\text{साधन 'ख' का मूल्य}}$$

$$= \frac{\text{साधन 'क' की सीमान्त उत्पादनशीलता}}{\text{साधन 'ग' का मूल्य}}$$

$$= \dots\dots\dots$$

इसीप्रकार जितनेभी साधनोंका प्रयोग किया जा रहा हो। कारण यह है कि एक साधनसे सम्बन्धित यह अनुपात अन्य साधनोंसे सम्बन्धित इसी प्रकारके अनुपातोंसे अधिक होजाना है तो व्यवस्थापकको उस साधनका और अधिक प्रयोग करनेसे लाभ प्राप्त होता है।

अन्तमें सन्तुलनके लिए यहभी आवश्यक है कि कभीभी साधनकी उन समस्त इकाइयोंका जो बाजारभाव या उनसे कम मूल्यपर प्राप्त हो रही हो, उत्पादन कार्य में प्रयोग किया जाये। क्योंकि यदि ऐसी इकाइयोंका प्रयोग न किया जायेगा तो उन के स्वामी उनका मूल्य कम करके स्थापित सन्तुलनको भंग कर देंगे।

मूल्य और उसके सिद्धान्त

मूल्य का अर्थ

अर्थशास्त्रमें मूल्य एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम उसे समस्त शास्त्रका आधार भी कहें तो अत्युक्ति न होगी। पुस्तकमें इस शास्त्रके चार भाग मिलते हैं। उपभोग, विनिमय, उत्पादन और विनरण। इनमेंसे किसी एकको भी भलीभांति समझनेके लिए मूल्यका यथेष्ट ज्ञान अनिवार्य है।

अभाग्यवश बहुत समयतक अर्थशास्त्रियोंमें मूल्यके यथार्थ परही मतभेद रहा। सोभाग्यवश यह मतभेदों अब मिटचुका है। अर्थशास्त्रकी परिभाषामें किसी वस्तुके मूल्यमें हमारा अभिप्राय उस वस्तुकी उस शक्तिसे है जिसके द्वारा हम उस वस्तुके बदलेमें दूसरी वस्तुएँ या सेवाएँ प्राप्त करसकते हैं अर्थात् किसी वस्तुकी एक इकाईके बदलेमें हमें किसी दूसरी वस्तुकी चार इकाइयाँ मिल सकती हैं या कोई मनुष्य हमारी दो दिनतक सेवा करनेके लिए उद्यत होजाता है तो हम कहने हैं कि पहिली वस्तुका मूल्य दूसरी वस्तुकी चार इकाइयाँ अथवा उस मनुष्यकी दो दिनों की सेवा है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक वस्तुके उतनेही मूल्य हाँगा जितनी कि उसके बदलेमें मिलनेवाली वस्तुएँ अथवा सेवाएँ। इस कठिनाईका सुलभाव किसी वस्तु विशेषको माप मानकर कियाजाता है। अन्य सब वस्तुओंके मूल्य इस मापक वस्तुद्वारा आके जाते हैं। यदि यह मापक वस्तु द्रव्यका रूप धारण करले तो मूल्यके शास्त्रीय और साधारण बोलचालके अर्थमें कोई भी अन्तर नहीं रहता। इसीलिए कईएक अर्थशास्त्रियोंके मतमें विशेषकर कैसल प्रभृतिके, साधारण मूल्य ही वास्तविक तत्व है। इसके आगे वास्तविक मूल्यकी खोज करना व्यर्थ है।

प्रश्न उठता है कि प्रत्येक वस्तुकी विनिमय-शक्तिका कारण क्या है। एक ओर तो वस्तुएँ हमारी आवश्यकताओं को तृप्त करती हैं। दूसरी ओर, हमें वस्तुओंको

प्राप्त करनेके लिए कुछ न कुछ उद्योग करना पड़ता है। 'स्वाभाविक था कि वस्तुओं के मूल्य-तत्त्वकी खोजमें सर्वप्रथम इन्हीं प्रत्यक्ष गुणोंकी ओर दृष्टि जाती और आजतक मूल्यके जितनेभी सिद्धान्त निर्माण कियेगये हैं, उन सबमें केवल गणितप्रधान अर्थशास्त्रको छोड़कर इन्हीं दो में से किसी एकको मूल्यका मुख्य कारण निर्धारित करने की चेष्टा कीगयी है।

मूल्य का श्रम सिद्धान्त

पाश्चात्य अर्थशास्त्री, विशेषकर अंग्रेजी विद्वान, एडम स्मिथको अपने शास्त्रका जन्मदाता मानते हैं। परन्तु इस महापुरुषमें पहिलेभी आर्थिक समस्याएँ हुआही करती थी और लोग उनपर विचार कियाही करते थे। मूल्यके सम्बन्धमें भी ऐसा ही हुआ है। पश्चिममें जबतक धर्म और धार्मिक मन्थाओंका बोलवाला रहा, तबतक मूल्यको न्याय और औचित्यमें सम्बन्धित किया जाताथा अर्थात् यदि किसीभाँ वस्तुका मूल्य न्याय-युक्त और उचित नहीं तो ऐसा मूल्य पानवाला व्यक्ति अपनाही समझा जाताथा और उसे उचित दंड दिया जाताथा। परन्तु न्यायाधीशोंके मनमें प्रबल उठा कि मूल्यके उचित और न्याय-युक्त होनेकीभी तो कोई रगौटी होनी चाहिए। कुछ समयतक वे लोग परम्पराको रगौटी मानने रहें, परन्तु जब अपनाधियोंने अपने बचावके लिए यह कहना आरम्भ किया कि अमुक वस्तुका मूल्य मैंने इसलिए अधिक कियाहै कि मुझे उसे प्राप्त करनेके लिए अधिक श्रम करना पड़ा था तो मूल्यके उन सिद्धान्तकी नींव पड़ी, जिसे हम श्रम-सिद्धान्तके नाममें पुकारते हैं। एडम स्मिथमें परवर्ती अर्थशास्त्रियोंमें उन सिद्धान्तके अनुयायी नहीं पाये जाते, जहाँ जहाँ आदि थे। एनीनका, ब्रीदोन वीव और निकोलस, वगैरह। उनोंने और आगे बढ़ाया कि किसी वस्तुकी उपयोगितामें ही उसके मूल्यका वास्तविक कारण है। एडम स्मिथ ने श्रम-सिद्धान्तका परिष्कार करनेका भी प्रयत्न किया। एडम स्मिथके सिद्धान्तके अनुसार मूल्य निर्धारित किया। यद्यपि इस समय हमें यह पता चलता है कि एडम स्मिथके सिद्धान्तके अनुसार मूल्य निर्धारित करनेका प्रयत्न किया।

‘राष्ट्रो की सम्पत्ति’ नामक अगनी पुरतकमें वह निगने हे: किसी वस्तुके मूल्य मे हमारा अभिप्राय दो प्रकारके मूल्यमे होना है। एकतां उम वस्तुका औपयोगिक मूल्य और दूसरे उराका विनिमय-माध्य मूल्य। व वस्तुएं जितना औपयोगिक मूल्य अधिकतम होनाहै उनका विनिमय-माध्य मूल्य प्रायः कुछभी नही होना। पानीमें अधिक उपयोगी वस्तु कठिनतामें ही मिलेगी परन्तु इनके बदलेमे किसी वस्तुको पाना असम्भवना ही है। हीरे मनुष्य जीवनके लिए तनिक भी उपयोगी नही परन्तु उनकी विनिमय-माध्य जित अपार है”।

इतना कहकर एडम स्मिथने औपयोगिक मूल्यको तो तिलाजलि दे दी और उसके उपरान्त विनिमय-साध्य मूल्यके तत्त्वानुगन्धान की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। उनके मतानुसार किसी वस्तुके विनिमयमाध्य मूल्यका कारण श्रम तो है ही परन्तु कभीतो वह उम वस्तुके प्राप्त करनेमे जो श्रम करना पडताहै उमे मूल्य का कारण और माप मानते है जैसे इस दृष्टान्तसे विदितहै कि यदि एक पछीके शिकार करनेमें शिकारी लोगोंको एक मृगके शिकार करनेमे दुगना श्रम करना पडे तो एक पछीके बदलेमें दो मृग मिलने चाहिए तथा कभी वह वस्तुके बदलेमें जितना श्रम प्राप्त किया जासके, इस अर्थमें श्रमका प्रयोग करतेहै अर्थात् वस्तु लेकर जितना श्रम कोई मनुष्य हमारे लिए करनेको उद्यत होजाता है, उसे उस वस्तुके मूल्यका कारण और माप मानते है। इस मापके अनुसार यदि एक मृग दस शिकारियोंका पेट भर सकताहै और एक पछी केवल एक शिकारी का तो एक मृगके बदलेमे पाच पछी तो अवश्य ही मिलने चाहिए। कोई सा भी श्रम लेलीर्जिए, श्रम वस्तुओंके वास्तविक मूल्यका कारण तो है ही। द्रव्य केवल नाममात्रके मूल्यका द्योतक है। इसमें तनिकभी सन्देह नही।

रिकाडोने एडम स्मिथके प्रथम मापको ठीक माना है और माल्थसने द्वितीय मापको। रिकाडोका मत था कि उपयोगिता मूल्यके लिए आवश्यक भलेही हो, पर वह मूल्यका माप नही है। विनिमय-साध्य मूल्यका केवल एक मापहै और वहहै वस्तुओंमें खपा हुआ श्रम।

समाजवादके प्रवर्तक कार्ल मार्क्सने स्मिथ और रिकाडो दोनोसे प्रेरणा लेकर मूल्यके श्रम-सिद्धान्तको औरभी पुष्ट करनेका प्रयत्न किया। वस्तुओं के वास्तविक मूल्यका कारण श्रम तो है ही। परन्तु उसके मतानुसार पूजी भी सचित श्रमके

है कि इन विविध माधनों को व्यवस्थापक या उपयोगपति एकत्रित करता है। इन्हें एकत्रित करनेके लिए उसे भूमिपतिको कर, श्रमजीवीको मजूरी, पूजीपतिको व्याज और अपने आप को लाभ देना पड़ताहै और वह इन्हें देता है द्रव्यके रूपमें परिणत करके। उपनिष्-उत्पादन-व्ययको प्राप्तने समय हमें कष्ट, वेदना, जोखिम उत्पादिके स्थान पर उनके भौतिक स्वरूपकी योग्यी स्थान देना चाहिए। अर्थशास्त्रकार अर्थशास्त्री केवरी और वाकरने उम सिद्धान्त में यह सशोधन किया कि मूल्य उत्पादन-व्ययपर निर्भर नहीं बल्कि पुनःउत्पादन-व्ययपर निर्भर होता है।

श्रम और उत्पादन-व्यय सिद्धान्तों की त्रुटियाँ

१ विनिमय-साध्य मूल्यके सिद्धान्तका मुख्य कार्य यहहै कि वस्तुओंके विशेष अनुपातमें पारस्परिक विनिमय और इस अनुपातमें समय समय पर होनेवाले परिवर्तनों को भलीप्रकार बुद्धिग्राह्य बना दे। स्पष्ट है, श्रम-सिद्धान्त इस कार्यमें सफल नहीं होपाता।

२ भिन्न भिन्न प्रकारके श्रममें भेद होता है। कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रम एकही प्रकारके नहीं होते। श्रम-सिद्धान्तके मानने से यह भेदभाव मिटजाता है।

३ ऐसी वस्तु जो मनुष्य जीवन के लिए तनिकभी उपयोगी नहीं, चाहे कितनेही श्रमसे उत्पन्न कीजाये, कभीभी मूल्यवान नहीं होपाती।

४ श्रम-सिद्धान्त केवल वस्तुओंकी पूर्तिकी ओर ध्यान देता है। मागकी ओर नहीं।

५ किसी वस्तुकी न्यूनताभी उसके मूल्यका एक कारण मानीजाती है। इस कारणके अनुसार, तो श्रम उत्पत्ति द्वारा इस न्यूनताको कम करके मूल्य-सृजनके स्थानपर मूल्य-नाशका कारण बनता है।

६ यहभी माननाही पड़ता है कि श्रमके अतिरिक्तभी अन्य उत्पादनके साधनहै ही। इसलिए केवल श्रमही मूल्यका कारण और माप तो नहीं बनसकता।

उत्पादन-व्यय सिद्धान्त द्वारा इस त्रुटिको दूर करनेका प्रयत्न कियागया है। परन्तु यह सिद्धान्तभी श्रम-सिद्धान्तकी तरह उसकी अन्य त्रुटियोंसे दूषित है। इसके

प्रतिग्विन थ्रम, उभोग-व्याधेप जोरिम इत्यादि अभिन्न वस्तुओंको पररपर जोड़ना असम्भव है। और यदि मार्शलका अनुसरण करते हुए हम इनका द्रव्यके रूपमें मूल्य निर्धारित करनेका प्रयत्न करते हैं तो मूल्य द्वाराही मूल्यके कारण और मापकी जिज्ञासा तकंयुक्त नहीं अतः व्यर्थ है। इसके प्रतिरिक्त कई एक वस्तुएँ साथ साथ उत्पन्न होती हैं इसलिए उनमेंसे प्रत्येकका उत्पादन-व्यय निर्धारित करना कठिन होजाता है।

सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त

उन वृष्टियोंको दूर करनेके लिए जीवन्सने इंग्लैन्ड में, मँगरन आगिट्ट्यामें और बालरमने स्विटजरलैन्डमें मूल्यके सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्तको प्रचलित किया। उम सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तुका मूल्य किसी कार्यके लिए उसकी सीमान्त उपयोगिताके तुल्य होता है। यह सिद्धान्त पूर्तिके स्थानपर माग को अधिक महत्व प्रदान करता है। बीजर वामपावक और विकम्प्रीड डम सिद्धान्तके बड़े बडे अनुयायियों में से हैं।

एडम स्मिथ ने औपयोगिक मूल्य और विनिमयमाध्य मूल्यमें पारस्परिक विरोध की धारणा की थी। स्मिथके मतानुसार विनिमयमाध्य मूल्य औपयोगिक मूल्यसे अधिक नहीं होसकता क्योंकि कोई भी वस्तु अधिक उपयोगी वस्तु देकर कम उपयोगी वस्तु लेने के लिए उद्यत न होगा। एसी तरह औपयोगिक मूल्य विनिमयमाध्य मूल्यसे कम भी नहीं होसकता क्योंकि देनेवाला उपयोगिताकी हानि महत् नहीं करता तो लेनेवालाभी नहीं करेगा। इसलिए उन दोनों मूल्योंमें समानता ही होना आवश्यक है; परन्तु व्यवहारमें तो ऐसा होता नहीं। कारण यह है कि प्रत्येक वस्तुकी उपयोगिता न केवल भिन्न पुरुषोंके लिए, भिन्न होती है बल्कि एक ही पुरुषके लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों और भिन्न भिन्न समयोंमें भिन्न होसकती है। उपयोगिता अपनी धारणी होती है। विनिमयमाध्य माध्य किसी पदसमय पर रहता बरता होती है और इस कारण ही उपयोगिता के कारण नहीं बल्कि उन वस्तुकी उन समयकी सीमान्त उपयोगिता के कारण होता है। सीमान्त उपयोगिता हम देखते हैं, किसी वस्तुके लिए ही रहता है और समयके सम्बन्धित है। इसलिए हम सिद्धान्तके अनुसार भी व्यवहार नहीं कि मूल्य न केवल उपयोगिता बल्कि मूल्यके कारण

न्यूनतापर भी निर्भर है क्योंकि जिन वस्तुओंकी न्यूनता होगी उनकी सीमान्त उपयोगिता और फलतः मूल्यभी अधिक होगा और जिन वस्तुओंका बाहुल्य होगा, उनकी नीमान्त उपयोगिता और फलतः मूल्यभी कम होगा। इसीकारण हीरे बहुमूल्य है और पानीका कुल्लुभी मूल्य नहीं।

मार्शलने इन सिद्धान्तोंके पारम्परिक विरोधको मिटाने की कोशिशकी। उनके मतानुसार न तो केवल उपयोगिता और न केवल उत्पादन-व्ययही परन्तु दोनों मिलकर किसी वस्तुका मूल्य निर्धारित करते हैं। मूल्य, माग तथा पूर्ति दोनों पर निर्भर है। मागपर सीमान्त उपयोगिताका प्रभाव पड़ता है और पूर्तिपर उत्पादन-व्यय का औरइसलिए मूल्य निर्धारण कार्यमें हमें दोनोंको एकही जैसा महत्व प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मार्शलने अल्पकालीन और दीर्घ कालीन मूल्यमें भेद किया, उनके मतानुसार अल्पकालमें तो सीमान्त उपयोगिताका प्रभाव प्रबल रहता है और दीर्घकालमें उत्पादन-व्ययका।

आधुनिक अर्थशास्त्रीभी मूल्यके लगभग इसी सिद्धान्तको मानते हैं। केवल उत्पादन-व्यय और सीमान्त उपयोगिताकी परिभाषामें सजोधन कियेगये हैं। प्राचीन कालमें हम देख चुकेहैं, उत्पादन-व्ययको श्रम, उद्योग-व्याधेय, जोखिम आदि उत्पादनके साधनोंसे होनेवाले कष्ट, वेदना इत्यादिसे सम्बन्धित करनेकी परिपाटी थी। आधुनिक अर्थशास्त्री इस परिपाटीमें विश्वास नहीं रखते। उनका कथनहै कि आर्थिक साधनोंकी ससामय न्यूनता है। उनके द्वारा सिद्ध किये जानेवाले मानुषी उद्देश्योंका बाहुल्य है। जब किसी एक साधनको हम किसी विशेष उद्देश्यको पूरा करनेके लिए प्रयोगमें लातेहैं तो उसके द्वारा सिद्ध होनेवाले दूसरे एक अथवा एकसे अधिक उद्देश्योंकी पूर्ति नहीं होपाती। यदि हमारा उद्देश्य उन साधन द्वारा अपनी आवश्यकताओंको तृप्त करनेवाली वस्तुएँ उत्पन्न करना था तो उन वस्तुओंका उत्पादन-व्यय उन वस्तुओं द्वारा निर्धारित कियाजाये जो हम उस साधन द्वारा उत्पन्न कर सकते थे परन्तु हमने नहीं की अर्थात् किसीभी साधनके अन्य प्रयोगका त्याग उस साधनके किसी विशेष प्रयोगसे होनेवाले उत्पादनका उत्पादन-व्यय है। इन्हें अवसर-व्यय, तुलनात्मक-व्यय या वैकल्पिक-व्ययके नामोंसे पुकारा जाता है। ये व्यय वस्तुओंकी पूर्तिपर उनकी न्यूनता या आधिक्यको घटा बढ़ाकर मूल्यपर प्रभाव डालते हैं। चूंकि किसी साधन विशेषका किसी वस्तु विशेषके उत्पादनमें प्रयोग उस

वस्तुकी मांग देखकर ही किया जाता है इसलिए पूर्ति और तुलनात्मक-व्ययभी परस्पर विरोधी मांगों द्वारा ही निर्धारित होता है।

उपयोगिताको मांगका मूल कारण तो माना ही जाता है परन्तु उपयोगिताका सम्बन्ध है मनोविज्ञानमें और मनोवैज्ञानिक इच्छाओं इत्यादिकी निर्बलता और प्रबलताको ठीक मापना सम्भव नहीं है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अमुक इच्छा किसी दूसरी इच्छासे न्यून या अधिक है। इससे लाभ उठाकर पैरेटो, हिक्स आदि अर्थशास्त्रियोंने अपने गाम्त्रमें इच्छाओंकी निर्बलता और प्रबलताके तुलनात्मक परिमाण, वस्तुओं और साधनोंके स्थानापन्नकी सजाओंका प्रयोग किया है। इसका विवेचन हम पीछे कर चुके हैं।

उत्पादन के साधन—भूमि

उत्पादन का अर्थ

साधारणतया उत्पादनका अर्थ किसी वस्तुको उत्पन्न करना होता है। परन्तु किसी वस्तुकी सर्वथा नवीन सृष्टि नहीं होसकती, उसके निर्माणके लिए जिन मूल उपादानोंकी आवश्यकता पडतीहै वह सबकेसब हमको प्रकृतिद्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्राकृतिक सामग्रीकी अनेक प्रकारसे क्रमव्यवस्था करके उसको इच्छित रूप देना उत्पादन कहलाता है। हम कह सकतेहै कि मनुष्य उत्पन्न नहीं करता, केवल वस्तुओंका व्यवस्थाक्रम इसप्रकार बदल देताहै कि वह उसकी तत्कालीन अथवा भविष्यगत इच्छाओंके क्रमके अधिक अनुकूल होजाती है। अपने आर्गिरिक श्रम मस्तिष्क अथवा उपभोग-व्याप्तकी सहायतासे मनुष्य वस्तुएं उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उन वस्तुओंमें पूर्वनिहित उपयोगिताको उत्पन्न करता है। इस स्थानपर यह कहदेना भी अनुचित न होगा कि आर्थिक दृष्टिसे उत्पादन क्रिया उस समयतक समाप्त नहीं होती जबतक कि वस्तु उसका प्रयोग करनेवाले के पास नहीं पहुच जाती। इस कारण उत्पादन क्रियाओंमें केवल कृषि, उद्योग-धंधे और खानो द्वारा वस्तुओंका उत्पन्न करनाही नहीं वरन् ऐसी वस्तुओंका उनके प्रयोग करनेवालो तक पहुचाने का प्रबन्ध करनाभी सम्मिलित है।

हम देखचुके हैं कि मनुष्य अपने श्रमद्वारा केवल वस्तुओंको अपनी इच्छाओंके अनुकूल बना सकता है अर्थात् आर्थिक दृष्टिसे उनकी उपयोगितामें वृद्धि करसकता है। यह उपयोगिता अनेक प्रकारसे बढ़ायी जासकती है। अर्थशास्त्रियोंने इस उपयोगिताकी वृद्धिको भिन्न भिन्न दृष्टियोंसे देखा है। कुछ लोगोंने उपयोगिताको रूप, स्थान तथा समय परिवर्तन द्वारा बढ़ाना सम्भव माना है। रूप-परिवर्तन द्वारा, प्राकृतिक सामग्रीको इसप्रकार का रूप देदिया जाता है जिससे वह मनुष्यकी,

दनका साधन नहीं माना है। तुरी, मीनिंग और मिलने पूजाओं उत्पादन करनेका साधनतो मानलिया परन्तु भूमि और श्रमके समान रखनेका साधन नहीं। 'मिल' का कहनाथा कि वास्तवमें उत्पादनके साधन दो ही हैं—भूमि तथा श्रम। पूजा उत्पादनके लिए आवश्यकहै परन्तु वह भूमि और श्रमके समकक्ष नहीं। मार्गलने एक चोथा साधन व्यवस्था अथवा गचालन माना है। इस समय उत्पादनके पांच साधन बतलाये जाने हैं—भूमि, श्रम, पूजा, व्यवस्था और उद्योग-माह्य। व्यवस्था और उद्योग-साहसमें कुछ विद्वान भेद करते हैं और कुछ नहीं।

कुछ विद्वानोंने जिनमें बीजर नामक जर्मन विद्वानका नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है, विशिष्ट और अविशिष्ट केवल दो ही वर्गोंमें उत्पादनके साधनोंका विभाजन किया है। विशिष्ट साधन वे साधनहै जिनका प्रयोग केवल किसी विशेष उद्देश्य के लिएही कियाजाता है। बीजरके मतानुसार भूमि विशिष्ट साधनहै परन्तु श्रम और पूजा अविशिष्ट साधनहै क्योंकि उनका प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जासकता है। उसकारण अविशिष्ट साधनों के सम्बन्धमें तो उद्देश्यों के बाहुत्य और उनको सिद्ध करनेके साधनोंकी न्यूनता और उसके फलस्वरूप वैकल्पिक उत्पादन-व्ययका प्रश्न उठसकता है परन्तु विशिष्ट साधनोंके सम्बन्धमें उनके द्वारा सिद्ध होने वाते उद्देश्यकी एकताके कारण वैकल्पिक उत्पादन-व्ययका प्रश्न उठना सम्भव नहीं है। साधारणतया यन्त्र, उपकरण तथा अर्धनिर्मित वस्तुएँ सापेक्ष रूपमें कच्ची सामग्रीसे अधिक अविशिष्ट हुआ करती हैं।

आधुनिक अर्थशास्त्री न पहिले वर्गीकरणमें विश्वास रखतेहै और न दूसरे में। उनके मतानुसार उद्योगपति ही उत्पादनका सक्रिय अभिकर्ता है। भूमि, श्रम, पूजा इत्यादि केवल उत्पादन-सामग्रीके रूपमें उनके सामने आतेहै और इनके प्रयोग द्वारा वह अपने कतिपय उद्देश्योंकी सिद्धिका इसप्रकार प्रयत्न करताहै कि उसे न्यूनतम उत्पादन-व्यय उठाना पड़े। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वह एक साधनके स्थान पर दूसरेका परिस्थापन करता रहता है। हम पहिले देखही चुकेहै कि इन साधनों के विभिन्न जातीय होनेपर भी इनका सीमान्त प्रतिस्थापन किया जासकता है।

उत्पादनके साधनोंके उपर्युक्त वर्गीकरणके तर्क-सगत न होनेपर भी पाठ्य पुस्तकोंमें भूमि, श्रम, पूजा, व्यवस्था इत्यादिको पृथक पृथक माननेकी ही परम्परा

स्थानसे दूसरे स्थानतक लाना पड़ता है तथा एक रूपसे दूसरे रूपम परिवर्तित करना पड़ता है। उन्हें अपनी आवश्यकताओंको तृप्त करनेके माग्य बनानेके लिए, मनुष्यको श्रम और पूजीकी सहायता लेनी पड़ती है।

उत्पत्ति का क्रमागत-हाम सिद्धान्त

रिकाडोने भूमिको सीमित मानकर कृषिमें प्राप्त उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक सिद्धान्तका विवेचन किया है जिसे उत्पत्तिका क्रमागत-हाम नियम कहते हैं। उसका विचारथा कि ससारकी जनसंख्या में वृद्धि होनेमें कृषिसे प्राप्त उत्पत्ति की मागमें वृद्धि होगी, परन्तु ससारमें भूमिकी मात्रा सीमित होनेके कारण उससे प्राप्त उत्पत्तिमें मागकी वृद्धिके अनुसार वृद्धि नहीं की जासकती क्योंकि जैसे जैसे कृषि करनेवालों की संख्या बढ़ती जायेगी वैसे वैसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रामें न्यूनता आती जायेगी। रिकाडोने इसके दो कारण बताये हैं। एकतो अधिक उत्पादक भूमिभागों पर काम करनेवालों की संख्यामें वृद्धि और दूसरे कम उत्पादक भूमि-भागोंपर कृषि का किया जाना। वास्तवमें कम उत्पादक भूमि भागों पर कृषि उमोसमय प्रारम्भ कीजाती है जबकि अधिक उत्पादक भूमि भागोंसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उत्पत्ति की मात्रामें कमी आने लगतीहै जिसके कारण अधिक उत्पादक भूमि भागपर काम करनेवालों की संख्यामें वृद्धि करने अथवा किसी नये किन्तु कम उत्पादक भूमि भाग पर कृषि करने में कोई अन्तर नहीं रहता। रिकाडोका मत था कि नये देशों में सबसे पहिले अधिकतम उत्पादक भूमि भाग परही कृषि कार्य प्रारम्भ किया जाता है। शनैः शनैः जनसंख्यामें वृद्धि होनेके कारण कम उत्पादक भागोंपर भी कृषि कीजाती है। इसप्रकार की कृषि को उन्होंने वितत-कृषि का नाम दिया है। प्राचीन देशोंमें कृषि योग्य भूमिकी न्यूनताके कारण पुरानीही भूमिपर अधिक पूजी तथा श्रमका व्यय करके उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ानेकी चेष्टा कीजाती है। इसप्रकार की कृषिको उन्होंने प्रकृष्ट कृषि का नाम दिया है। यहतो स्पष्टहै कि कम उत्पादक भूमिपर अधिक उत्पादक भूमिके समानही श्रम तथा पूजी व्यय करनेसे कम उत्पत्ति प्राप्त होगी। परन्तु अनुभवसे यहभी भलीभांति विदित होचुका है कि अधिक उत्पादक भूमिपर भी श्रम तथा पूजीकी मात्रा दुगनी-

की संख्याके अनुपातमें कमी तथा नगरोंमें रहनेवालों की संख्यामें वृद्धिका होना स्वाभाविक है।

इस सिद्धान्तका विवेचन प्रायः कृषिसे प्राप्त उत्पत्तिके सम्बन्धमें ही किया जाता है। परन्तु उसका कार्यक्षेत्र कृषितक ही सीमित नहीं। खानों, जलाशयों, वनों इत्यादिसे प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रामें भी अधिकतमिक श्रम और पूँजीका व्यय करने पर क्रमागत ह्रासही होना चला जाना है। खानों भूमिकी तरह प्रकृति-प्रदत्त अवश्य है परन्तु दोनों समकक्ष नहीं। लगातार कृषिसे लुप्त होनेवाली भूमिकी उत्पादक शक्तिका प्राकृतिक कारणोही से पुनरुत्थान होता रहता है। खानोंमें स्थित सम्पत्तिको एकवार पूर्णतया समाप्त करदेने पर उसकी पुनः सृष्टि नहीं होती। खानोंके सम्बन्धमें उत्पत्तिका क्रमागत ह्रास इसप्रकार कार्य करता है कि अत्यन्त मुलभ सम्पत्तिके समाप्त होनेपर कष्टसे प्राप्त होनेवाली उत्पत्ति पर श्रम और पूँजीका अधिक व्यय करना ही पडता है।

जलाशयोसे मछलिया प्राप्त कीजाती है। जलाशयों और भूमिमें यह अन्तर है कि मनुष्यने वर्षोंके अनुसन्धान और अनुभवके अनन्तर कृषिसे प्राप्त उत्पत्तिकी पूर्ति पर न्यूनाधिक नियन्त्रण प्राप्त करलिया है। परन्तु जलाशयोसे प्राप्त मछलियोंके सम्बन्धमें वह अभी ऐसा नहीं करपाया है। नदी नालोसे प्राप्त मछलियोंकी पूर्तिका तो थोडा बहुत नियन्त्रण कियाभी जासकता है परन्तु समुद्रोसे प्राप्त मछलियोंकी पूर्तिपर मनुष्यका तनिकभी वश नहीं। जलाशयो और खानोंमें यह भेद है कि खानों की सम्पत्ति एकवार निकाल लेनेपर वह सदैवके लिए समाप्त होजाती है परन्तु मछलिया पकडनेवाले स्थानोपर यदि कुछ समयके लिए मछलिया पकडना बन्द करदिया जाये तो वे स्थान फिर मछलियोसे भरपूर होजाते हैं।

परिवर्तनीय अनुपात का सिद्धान्त

आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्तिके क्रमागत ह्रास सिद्धान्तको कुछ अन्य दृष्टिसे देखते हैं। किसीभी उत्पादन-क्रिया को चलानेके लिए हमें एकमे अधिक उत्पादनके साधनोंकी आवश्यकता होती है। कृषिसे उत्पत्ति प्राप्त करनेके लिए हम केवल भूमि ही नहीं अपितु श्रमभी आवश्यक है। कपडा बुननेके लिए केवल श्रमही


वल्कि कपडा बनाने के यन्त्रादि भी जरूरी हैं। कभी कभीतो भिन्न भिन्न साधनोंको निश्चित अनुपातमें एकत्रित करना पड़ता है। परन्तु प्रायः इस अनुपातमें परिवर्तन किया जासकता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचारहै कि यदि हम अन्य साधनोंको स्थायी रखकर किसी साधन विशेषकी मात्राको बढ़ाते चलेजायें तो एक समय ऐसा आताहै कि उन साधन द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रा क्रमागत ह्रास होने लगता है। उदाहरणके लिए हम पूँजीकी मात्रामें तो परिवर्तन करने चलेजायें परन्तु श्रम और भूमिको स्थायी रखें तो हमें उत्पत्तिमें क्रमिक ह्रास प्राप्त होगा। परन्तु कभी कभी साधन विशेषके अधिकाधिक प्रयोगसे प्राप्त उत्पत्तिमें ह्रास होनेसे पूर्व कुछ कालतक वृद्धिभी होती रहतीहै और फिर कुछ कालतक वृद्धि नह्रास। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों नियमोंको केवल एकही सिद्धान्त या अग्र मानतेहै जिसे वे उत्पत्तिके परिवर्तनीय अनुपातके सिद्धान्तका नाम देते हैं।

जबकि उत्पादन कई साधनोंके परस्पर सहयोगसे सम्भव होता है तब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनीय होतेहैं। यदि उत्पादनके साधनोंमें किसी विशेष परिमाण को स्थायी मानलिया जाये, तो उस परिमाणके उपयोगसे प्राप्त उत्पत्तिको कुल उत्पत्ति कहाजाता है। इस उत्पत्तिको उन साधनोंकी न्यूनतासे जाग देनेपर अगमन उत्पत्ति प्राप्त होती है। उत्पादन-साधनोंमें एक इकाईकी वृद्धि करनेसे फलस्वरूप जो कुल उत्पादनमें वृद्धि होतीहै, उसे सीमान्त उत्पत्ति कहाजाता है। उन्नीसवाँ साधनोंके इस परिमाण का अर्थ कुल व्यय होगा। उस कुल व्ययको साधनोंकी न्यूनतासे जाग देनेपर अगमन तथा प्राप्त होताहै और एक इकाईकी वृद्धि करनेके फलस्वरूप उत्पत्तिमें होनेवाली वृद्धि सीमान्त-व्यय प्राप्त होता है। हम पहिले लिए चुने हुए सीमान्त अनुपात समुदाय जिनका उपयोग किसी इलाक़ामें विद्यमान होता है। सीमान्तवर्ती व्ययना उन्नीसवाँ समुदाय में मौजूद है जबकि किसी वस्तुके उपयोगमें परिवर्तन निम्नतर होतेहैं तो और जब उ परिवर्तन व्यय बढ़ते और परिवर्तन में है। उदाहरणके लिए यदि कोई वस्तुका व्यय अगमन तथा निश्चित साधनों का व्यय परम सीमान्त व्यय से उच्च सम्भव इकाईकी सीमान्त उत्पादन की है तो उन्नीसवाँ समुदाय में उत्पत्ति में व्यय परम सीमान्त व्यय होगा।

यदि हम उत्पत्ति के सीमान्त व्यय को अगमन व्यय के समान मानें तो उत्पत्ति में व्यय परम सीमान्त व्यय होगा। उदाहरणके लिए यदि किसी वस्तुके उपयोगमें परिवर्तन निम्नतर होतेहैं तो और जब उ परिवर्तन व्यय बढ़ते और परिवर्तन में है। उदाहरणके लिए यदि कोई वस्तुका व्यय अगमन तथा निश्चित साधनों का व्यय परम सीमान्त व्यय से उच्च सम्भव इकाईकी सीमान्त उत्पादन की है तो उन्नीसवाँ समुदाय में उत्पत्ति में व्यय परम सीमान्त व्यय होगा।

वात स्पष्ट नहीं थी कि ह्याम औसत उत्पत्तिमें होता है या सीमान्त उत्पत्तिमें। आधुनिक अर्थशास्त्री सीमान्त उत्पत्तिके ह्याम नियम को ही दृष्टिगत रखना अधिक समीचीन समझते हैं क्योंकि सीमान्त उत्पत्तिमें यह पता चलता है कि औसत किम दरों पर उत्पत्ति हो रहा है।

उत्पादनकी बहुतसी अवस्थाओंमें हम बहुतसी उत्पादक सेवाओंके परिमाणमें परिवर्तन करते रहते हैं परन्तु उनमेंमें एकके परिमाणको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, स्पष्ट है कि फलभी समानुपातिक न होंगे। यदि कुछ उत्पादन-साधनोंको समान भागमें बढ़ाया जाये और कुछको वैसाही रहने दिया जाये तो किसी बिन्दुके अनन्तर उत्पत्ति अनुपाततः कम होने लगेगी। उत्पत्तिके इस नियमको परिवर्तनीय अनुपातका नियम कहते हैं। रेखाचित्र की सहायतासे इस नियमको इसप्रकार दिखाया जासकता है:



मान लीजिए किसी उद्योगमें अन्य सब उत्पादनके साधन स्थायी हैं, केवल एकही साधन परिवर्तनीय है। 'म, क' रेखा पर उस साधनके परिमाणमें परिवर्तनोंको और 'म, ख' रेखा पर उसके प्रयोगसे प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राको दिखाकर 'प, स' और

'प,म' क्रमशः मीमान्त उत्पत्ति और श्रीमन्त उत्पत्ति छोटक रेखाएँ प्राप्त की जाती हैं। रेखाओंके आकारमें विदितहै कि आरम्भमें तो मीमान्त तथा श्रीमन्त उत्पत्ति बढ़ती है; उसके अनन्तर मीमान्त उत्पत्ति घटना आरम्भ कर देतीहै, परन्तु श्रीमन्त उत्पत्ति बढ़तीही जाती है। फिर एक समय ऐसा आताहै जबकि मीमान्त और श्रीमन्त उत्पत्ति सम होती है। चित्रमें यह बिन्दु 'र' से अंकित किया गया है। इन बिन्दुके अनन्तर मीमान्त उत्पत्ति और श्रीमन्त उत्पत्ति दोनों लगातार गिरतीही चलीजाती है परन्तु मीमान्त उत्पत्ति अधिक वेगसे गिरतीहै, कुछ अर्थशास्त्रियोंमें 'र' बिन्दुको भी उत्पत्ति की मात्राके अनुपातनः कम होनेका प्रदर्शक माना है।

उत्पत्तिके परिवर्तनीय अनुपातके नियममें यह मानलिया जाताहै कि जिन उत्पादनके साधनोंका प्रयोग किया जा रहा है वे सभी समरूप हैं। इसके अतिरिक्त यह नियम मूलतया यश-विज्ञान का नियम है। और इसकारण अर्थशास्त्रके लिए उसका महत्व परोक्ष रूपसे ही है। यतनो विदित ही है कि इसके लागू होनेके लिए कम से कम एक साधन स्थायी होना चाहिए और उनके विनियोगता अनुपात बंधन होना चाहिए।

सर्वोत्तम विनियोग का सिद्धान्त

यद्य उत्पादनके सभी साधन परिवर्तनीय होंगें, तब भी उनमें से प्रत्येकको पट्टाया बंधना आवश्यक है तो सर्वोत्तम विनियोगका नियम लागू होता है। सर्वोत्तम क्रमसे उस नियमका प्रयोग तब पचासही समझाया जावे तो नुनभानेके लिए किया जाता है -

- (१) सर्वोत्तम समुद्रकन अथवा निर्धारित करनेके लिए।
- (२) जलसंचयन की सर्वोत्तम भाषा निर्धारित करनेके लिए।
- (३) उत्पादनके साधनोंकी विविध उपयोगों तथा उपयोगोंमें विभक्त करनेके लिए।

उत्तम समुद्रकन (अथवा सर्वोत्तम भाषा) और समुद्रकन अथवा निर्धारित करनेके लिए (अथवा जल संचयन) और जल संचयन अथवा निर्धारित करनेके लिए (अथवा उत्पादनके साधनोंकी विविध उपयोगों तथा उपयोगोंमें विभक्त करनेके लिए) के लिए सर्वोत्तम क्रमसे उपयोगोंमें विभक्त करनेके लिए।

और यदि सीमान्त व्यय औसत व्ययसे नीचा है तो उमे बढ़ानेका प्रलोभन मिलता रहेगा। क्योंकि बढ़ानेसे औसत-व्यय कम होता जायेगा। प्रत्येक स्थितिमें मस्याको निम्नत प्रथमा संकुचित करनेकी आशांता बनी रहती है। मन्गुलनकी परम्परा उगी ममय प्राप्त होती है जब दोनो सम होजाते है और वही सर्वोत्तम स्थिति होती है, जैसाकि मन्तुलनके अध्यायमें विम्नृत रूपसे बताया गया है।

उत्पादनके साधनोका विभिन्न उपयोगो और उद्योगोंमें सर्वोत्तम विभाजन उम ममय होता है जबकि प्रत्येक साधनकी प्रत्येक उपयोगमें सीमान्त उत्पत्ति बराबर होती है क्योंकि अन्यथा कुछ म्यानोपर विभाजनमें अन्तर करनेसे उत्पत्ति बढ सकती है। परन्तु सर्वोत्तम विभाजनका प्रथं नो यह है कि उसमें किसीभी प्रकारका परिवर्तन होनेसे लाभ प्राप्त होनेकी कोईभी आशा न हो। उत्पादनके साधनो का विनियोग इसप्रकार निर्धारित होता है कि उनमें परस्पर प्रतिस्थापना उम ममय तक चलती रहती है जबतक कि किसी दिये हुए विनियोगमें और परिवर्तन करनेसे कोई लाभकी आशा न रहे अर्थात् जब सब साधनोकी सीमान्त उत्पत्ति सम होजाये। इसीप्रकार कितना और कौनसा साधन किस प्रयोग या उद्योगमें लगना चाहिए, इस बातसे निश्चित कियाजाता है कि उस साधनके सीमान्त प्रयोगसे विकल्प रूपमें जो उत्पत्ति होसकती थी उसका महत्व प्रस्तुत उपयोगसे अधिक है अथवा कम, इसी कारण वोल्लिंगने इस नियमको समान लाभका नियमभी कहा है। उसका कहना है कि प्रत्येक उत्पादनके साधन अथवा सेवाके लिए व्यवसाय विशेषमें कुछ लाभ प्राप्त होते रहते है। सम्पूर्ण लाभोको दृष्टिगत रखते हुए जिस विभाजन-द्वारा उत्पादन क्रियाके प्रत्येक सहयोगीको परस्पर समान लाभ मिले वही सर्वोत्तम विभाजन है।

साधनो की अविभाज्यता

उत्पादन क्षेत्रमें सबसे बडी कठिनाई अविभाज्यताओ द्वारा उत्पन्न होती है। अविभाज्यताए दो प्रकारसे पैदा होती है। एकतो कुछ साधन किसी विशेष कार्यके अतिरिक्त अन्य कार्यमें लगाए नही जासकते और कुछ एक विशेष अनुपातमें ही प्रयुक्त होसकते है। बहुतसी मशीनें किसी विशेष मात्रामें ही उत्पत्ति करसकती है अथवा किसी विशेष गतिसे ही चलसकती है। ऐसी स्थितिमें सर्वोत्तम विनियोगकी समस्या

बड़ी कठिन होजाती है। कुछ अविभाज्यताएं विज्ञापन और विक्रय सम्बन्धी भी हैं और बहुतसी अर्थसम्बन्धी भी। उनको इच्छानुसार घटाया बढ़ाया नहीं जासकता। वैज्ञानिक गवेषणा इत्यादि कुछ ऐसी वस्तुएं नहीं कि उनपर जितना व्यय कीजिए उमी अनुपातमें फल प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े वैज्ञानिकके ज्ञानका लाभ उठानेके लिए जितना व्यय करना पड़े, उमने कम लाभ मामूली वैज्ञानिककी सेवाओंके लिए व्यय करके उठाया जासके। अधिक सम्भव यही है कि मामूली वैज्ञानिकपर कियागया व्यय व्यर्थ ही हो।

अविभाज्यताएं दो प्रकारसे कठिनाइया उपस्थित करती हैं। एकतो विनियोगनी समानुपातकता नष्ट करके, और दूसरे साधनोंकी गतिशीलता नष्ट करके। गतिशीलता नष्ट होनेसे प्रतियोगिता अपूर्ण होने लगती है और सर्वोत्तम विनियोग अथवा विभाजनके लिए पूर्ण प्रतियोगिता और समानुपातकता दोनों आवश्यक हैं।

आर्थिक साधन—श्रम

श्रम की परिभाषा

यह तो स्पष्ट ही है कि मारा उत्पादन मानव-प्रयास का फल है। यद्यपि तात्विक दृष्टिसे ऐसा सोचा जासकता है कि किसी प्रागैतिहासिक कालमें मानव आवश्यकताओंकी पूर्ति पूर्णतया प्रकृति द्वारा और अनायाम ही होती रही होगी। परन्तु इतिहास किसी ऐसे कालका साक्षी नहीं है। प्रकृतिको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनानेके लिए मनुष्यको प्रयास और परिश्रम करना ही पड़ता है। इसका प्रमाण हम प्रागैतिहासिक कालीन यन्त्र तन्त्र तथा कला कौशलके रूप में पाते हैं।

हमारी जितनी भी श्रियाए होती हैं, हम उन सभीको प्रयास अथवा श्रमके अन्तर्गत मान सकते हैं, फिरभी अर्थशास्त्र में श्रमको इस विस्तृत अर्थमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने उस प्रकारके प्रयासको श्रमकी कोटिमें रखा है जो किसी प्रकारके लाभकी आशासे किया जाये। उपयोगी और अनुपयोगी श्रमका भेद अर्थशास्त्रके इतिहासमें काफी पुराना है। फिजियोक्रैट्स ने केवल कृषिगत श्रमको सार्थक माना है। ऐडम स्मिथ ने उत्पादक और अनुत्पादक श्रमका भेद करतेहुए बतलाया है कि जिस श्रमके फलस्वरूप वस्तुओंकी उत्पत्ति हो, वह उत्पादक है, किसी अन्य प्रकारका श्रम व्यर्थ है। श्रमका यह भेद बहुत दिनोत्तक माना जाता रहा। परन्तु मिलके अनन्तर इसकी बड़ी आलोचना हुई क्योंकि उत्पादक और अनुत्पादक श्रममें सेवाओंका कोई स्थान नहीं रखाजाता था। परन्तु यह कहना कठिन है कि सेवाएँ सुखकी उतनी साधक नहीं हैं जितनी कि वस्तुएँ। टॉसिग का मत है कि वह सभी श्रम जिसके फलस्वरूप उपयोगिता की सृष्टि हो, उत्पादक है और उसकी परिभाषाके अनुसार उपयोगिता वह है जिसके द्वारा हमारी इच्छाओं की तुष्टि हो

श्रमकी मांग कई बातों पर निर्भर है। अन्य सहयोगी उत्पादन साधनों की उपलब्ध मात्रासे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। उत्पादन रीतियों में परिवर्तनके साथ साथ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। किसी विशेष उद्योग धंधे में श्रमकी मांग उस उद्योग धंधे की उत्पत्तिके लिए मांगकी लोचसे सम्बन्धित है। श्रमकी पूर्ति श्रम-जीवियों की संख्या और फलस्वरूप कुल जनसंख्या, काम करनेके घंटों तथा श्रम-जीवियों की कुशलता पर निर्भर है।

जन-संख्या

यद्यपि मान्यमके पहिलेभी पैटो तथा गाडविन आदिने जन-संख्या तथा आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामें उसके प्रभावपर कुछ विचार कियाथा, पर विस्तृत रूपसे जन-संख्या का आर्थिक महत्व दर्शानेवाले पहिले व्यवितयोंमें मान्यम का ही नाम अधिक प्रसिद्ध है। संक्षेपमें, उनका मत इसप्रकार है कि जन-संख्या की स्वाभाविक वृद्धि-दर बहुत नीच है। अनेक प्राकृतिक और मानुषी कारण उसे अपनी स्वाभाविक नीच गतिमें निर्गूढ़ करने हैं, फिरभी जिस दरसे मनुष्यके जीवन-निर्वाह की सामग्री बढ़ती है, उसकी अपेक्षा जन-संख्या की वृद्धि-दर अधिक ही रहती है। यदि जन-संख्या की वृद्धि-दर २, ४, ८, १६ इसप्रकार मानें तो उत्पादन-वृद्धि की दर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, इसप्रकार होगी। यहाँ नहीं जासकता कि कतानक मान्यम या शक्तिप्राय संस्था कि जन-संख्या और उत्पादनकी सापेक्ष वृद्धि-दरोंमें ठीक-ठीक समतोलवर्तित सम्भव है धारणातक उसने गणित का साहाय्यकेवल उस दोनों दरोंका भारी संस्कारको समझ और प्रभावपूर्ण दर्शनेमें प्रयत्न करनेके लिए किया। मान्यम की जो दो चीजों का यह सम्बन्ध निर्णय-सुलभ गणिताने मानना सम्भव है। आरंभकी समीचीनता इस संस्था पर निरर्थक विचारोंके सम्बन्धमें तो उसने मानना भी नहीं करती अप्रसंगिक रीतिसे प्रस्तावित किया है। दूसरे सम्बन्धमें उसने बहुत कुछ सुझाव इसमें प्रयत्न मानना भी करके दिया है। तबन्तु मान्यम मुख्य-प्रमाण ईशान्वर देशमें सर्वोत्तम ऐतिहासिक सामग्री है।

सर्वेक्षण यह मानते कि जन-संख्या और उत्पादन की वृद्धिके दरोंमें समतोल-वर्तित करने का एक निश्चयकर प्रयत्न कि किसी समय मान्यममें जन-संख्या बढ़ती बढ़

जायेगी कि उराके लिए रात्र सामग्रीका मिलना लगभग अगम्य ही होगा। माल्थसके प्रनुसार इस निष्कर्षमें कोई दोष नहीं। यदि वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ तो उसका कारण गनुष्यता गीभास्य है कि महामारी, दुर्भिक्ष, भयंकर युद्ध, बाढ़, आग इत्यादि आपत्तियोंसे गनुष्यता बचाव नहीं। जन-संख्या वृद्धिपर उमप्रकार के प्रतिबन्धको मान्य प्राकृतिक प्रतिबन्ध कहता है। इसके अनिश्चित कुछ निरोधात्मक प्रतिबन्धभी हैं। अधिक गन्तानोत्पत्ति पर नैतिक निर्गोध, सयम, ब्रह्मचर्य इत्यादि। माल्थस गन्तान और गर्भनिरोधके कृत्रिम उपायों को बहुत नुरा गमभङ्गा था। नगभवतः इसीलिए उमने इनकी प्राकृतिक प्रतिबन्धों की सूचीमें रखदिया है। उन दो प्रकारके प्रतिबन्धों का भेद हम दूगरे ढगरे भी करसकते हैं। प्राकृतिक प्रतिबन्ध वे हैं जो मृत्यु दर बढ़ाकर जन-संख्याकी वृद्धि रोकते हैं और निरोधात्मक प्रतिबन्ध वे हैं जो जन्म-दर घटाकर जन-संख्या सकुचित करते हैं।

माल्थसके मतका आधार उत्पादनकी ह्रासशीलता का नियम है। जिसको उसने स्पष्टतया तो प्रस्तुत नहीं किया, पर वह उमके उत्पादन-दर-वृद्धिके उदाहरणमें निहित है। जब यह कहाजाता है कि उत्पादन १, २, ३, ४... उमप्रकार बढ़ता है तब इस कथनके विश्लेषणसे यहवात स्पष्ट है कि उत्पादनकी दरमें क्रमशः ह्रास होता जाता है। यदि यह नियम व्यापक एव अनिवार्य हो तो यहभी सत्य है कि जन-संख्याकी अत्यधिक वृद्धिका भय सदैव बनाही रहेगा।

माल्थसके इस मतकी आलोचना उस समयसे आजतक होती आई है। सबसे प्रचलित आलोचना यह है कि उत्पादनके साधनोंमें उन्नति होसकती है और इस उन्नतिके फलस्वरूप जन-संख्याकी वृद्धिको रोके बिनाभी जीवन-स्तर ऊचा रखा जासकता है। दूसरा आक्षेप यह कियाजाता है कि क्रमागत उत्पत्ति ह्रासका नियम अनुपातिकता का एक पक्ष है और इसलिए उसके आधारपर आश्रित प्रवृत्ति सदैव चरितार्थ नहीं होसकती। इसीसे सम्बन्धित और सबसे महत्वपूर्ण युक्ति यह है कि माल्थसने सापेक्ष और निरपेक्ष जन-संख्याका भेद नहीं किया। कोई देश अधिक जन-संख्यासे पीडित है अथवा नहीं, यह इस बातपर निर्भर होगा कि वहाका उससमय जीवन-स्तर क्या है और कितने आर्थिक साधन उपलब्ध है। यहवात उत्पादन-प्रणाली, वितरण-प्रणाली और जन-संख्याके वितरण और धनत्व परभी निर्भर करेगी। इसकारण महत्वपूर्ण बात सापेक्ष जन-संख्या आधिक्य है।

कुछ लोगोंने यहभी आपत्ति उठाई है कि जन-उत्पत्ति-वृद्धिकी दर जिस प्रकार माल्थुस सिद्धान्तमें मापी जाती है, वह सदीप है। उनके अनुसार आवश्यक बात यह है कि किम दरसे एक दीहूई जन-संख्या पुनर्जीवित रखी जाती है और यह बात जनन-शक्तिपर निर्भर होगी।

अन्य विचारकों ने यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि जन-संख्याकी वृद्धि अथवा ह्रास जिन कारणोंसे होता है, उनके आधारपर कहा जासकता है कि सदैव वृद्धिशील जन-संख्या का भय निर्मूल है। वातावरण, जीवन-स्तर, मजूरी की दर, ये सभी बातें जन-संख्याकी वृद्धि-दर निर्धारित करती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यहभी मत है कि जन-संख्याकी वृद्धि-दर धनिकोमें कम और निर्धनों में अधिक होती है। मीनियरने यह दिखाया है कि जब जन-संख्या बहुत बढ़ने लगती है अथवा जब एक स्थानमें अधिक घनी होजाती है तो अपनेआप कुछ विरोधी शक्तियोंका प्रादुर्भाव होता है जो जन-संख्याकी वृद्धिको रोकती है। इनमें उठते हुए जीवन-स्तर और नयी ग्रहणकी हुई इच्छाओंका बहुत महत्व है। प्रश्न यह गती कि किमी देशकी जन-संख्या घटायी जाये या बढ़ायी जाये। समस्या यह है कि अर्थ-व्यवस्था कि अन्य अर्थोंके साथ जन-संख्याका किसप्रकार सामञ्जस्य किया जाये कि आर्थिक सम्पन्नता सर्वोत्तम बिन्दुपर रहे। कहनेका अभिप्राय यह है कि किसी दीहूई अर्थ-व्यवस्थामें एक विशेष परिमाणमें श्रमकी आवश्यकता होती है और एक विशेष आकारकी जन-संख्या सर्वोपयुक्त होसकती है। उममें छोटी जन-संख्या उतनीही व्यर्थ है जितनी उममें बड़ी। अर्थ-व्यवस्था और उत्पादनके साधन यदि बढ़सकते तो उमीके अनुसूप जनसंख्याका आकारभी बढ़सकता पड़ेगा। इस नाम-अर्थमें जन-संख्याका केवल आकारही महत्वपूर्ण नहीं है बरन् जन-संख्या का प्रकार, व्यक्तियोंके गुण और उमका स्वरूप और संयोजन भी आवश्यक है।

ऐसाकि सर्वोत्तमताके निदानमें अनिवार्य है, जन-संख्याके इस निदानतया व्यवहार में सर्वोपरि उद्देश्य मान लेनेपर ही होता है। यह उद्देश्य प्रति व्यक्ति, सर्वोपरि प्राप्त सामान्यता है। उनके अनुसार जिस बिन्दुपर जन-संख्या और अन्य साधनोंके सांभोका इस प्रकार सामञ्जस्य होजाये कि अन्योत्पत्ति श्रम पर निर्भर नो, उसे इस दर सर्वोत्तम दिनु है।

कुछ लोगोंने अन्य सिद्धान्तोंमें निर्दोष विवे है। उनके अनुसार यदि जीवन

की दृष्टिसे देरों तो सर्वाधिक जीवनाशा, सामाजिक दृष्टिमें देखें तो सर्वाधिक अवकाश, और सामान्य हित एवं सम्पन्नता, युद्धकी दृष्टिमें देखें तो सर्वाधिक सुरक्षा इत्यादि उद्देष्ट्य सर्वोत्तम जन-संख्याके हो सकने हैं।

जन-संख्या में परिवर्तनों का महत्व

माल्थस और अन्य विचारकोके मतोंकी जो विवेचना हमने की है, उसमें मानव-हित और आर्थिक सम्पन्नताके लिए उचित जनसंख्याका कितना महत्व है, यह बहुत कुछ स्पष्ट होगया है। माल्थसके अनुसार तो दरिद्रता-निवारण का उपायही यही है कि जन-संख्याको राकुचित करनेका भरसक प्रयत्न किया जाये, यद्यपि अन्य बहुतसे विचारको ने माल्थसके बताये उपायोंका समर्थन नहीं किया है (उन्होंने गर्भनिरोध के कृत्रिम उपायोंकी ही अत्रिक उपयोगिता मानी है) पर उन्होंने भी माल्थसके सिद्धान्तका महत्व स्वीकारही किया है। इस तथ्यसे इन्कार नहीं किया जासकता कि मतोंका उद्भव और उनका प्रसार बहुत कुछ तत्कालीन परिस्थितियोंसे प्रभावित होता है। जिस समय माल्थसने अपना मत प्रचलित कियाथा, जन-वृद्धिका भय अधिक था और इसप्रकार अर्थशास्त्रमें जनसंख्या पर वृद्धि और आधिक्यकी दृष्टिसे अधिक विचार हुआ। परिस्थितियोंमें परिवर्तन होनेपर स्थायी और ह्लासशील जन-संख्याकी ओर भी विचारकोका ध्यान गया। जन-संख्याकी पुरानी प्रवृत्ति श्रमजीवियोंकी अवस्था तथा मजूरीकी दरके दृष्टिकोणसे करनेकी ओर थी। सामान्य रूपसे कहा जासकता है कि सामाजिक आय और सम्पत्तिके परिमाणके सम्बन्धमें ही जन-संख्या का महत्व अधिकतर देखागया है। आर्थिक परिवर्तन और प्रगति के सम्बन्धमें भी जन-संख्याको देखनेकी प्रथा प्रचलित रही है।

वृद्धिशील जनसंख्या

कुछ लोगोंके मतमें जनसंख्या का सम्पूर्ण माग और पूजा लगानेके अवसरो पर प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिसे वृद्धिशील जन-संख्याका प्रथम और स्पष्ट प्रभाव तो सम्पूर्ण माग और पूजा लगानेके अवसरो को बढ़ाना है। वृद्धिशील जन-

सख्यामें ध्यय और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी और साथही भविष्यकी चिन्ताके कारण बचत और इसलिए पूजा निर्माण भी। यदि हम वितरण-रीतिकी अपूर्णताओंको छोड़ें, तो यह फल तभी प्राप्त होसकता है जब वृद्धिशील जन-सख्याके साथ साथ नवीनताओंकी गति और श्रमजीवियोंकी उत्पादन-शक्ति बढ़े। पर जन-सख्या और नवीनताओंका सम्बन्ध सरल नहीं। एक ओर तो बढ़ती हुई जनसख्याके कारण पूजा लगानेके अवसरके बढ़जाने में उद्योगपतियोंको नवीनताएँ अपनानेका अधिक मौक़ा होताहै पर दूसरी ओर ह्यासशील जनसख्याका भी यही प्रभाव होसकता है। मन्दी होनेके कारण उद्योगपतियोंको श्रमकी बचत करनेवाले उपाय ढूँढने पड़ते हैं। उनके अतिरिक्त वृद्धिशील जनसख्याका एक प्रभाव श्रमका मूल्य घटादेना होसकता है। और उस स्थितिमें मशीनरीके स्थानपर श्रमका उपयोग अधिक होने की सम्भावना है। साधारणतया कहा जासकता है कि यदि बेकार उत्पादनके साधन न हों, तो वृद्धिशील जन-सख्या सामाजिक और आर्थिक हितकी बाधक और अकारण बड़े बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनोंका मूल होगी।

ह्यासशील जन-सख्या

प्रोफ़ेसर हंनमनके मतानुसार आर्थिक प्रगतिके मुख्य तीन कारण हैं—एक आविष्कार, दूसरा नवीन साधनों तथा भूभागोंका पता लगना और तीसरा जन-सख्या। यदि जन-सख्या ह्यासशील हो, तो पूजाका निर्माण कम होगा और इसकारण आर्थिक प्रगति रुकेगी। प्रसारके अवसर जितनेही कम होंगे, प्रगति उतनीही कम होगी। पर जेम्स गिबार्डो ने पहिलेही कहाथा, प्रगतिशील सीमा केवल भौगोलिक अथवा जन-संख्या सम्बन्धी वस्तु नहीं है। आर्थिक आवस्थासे भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसा हमने अभी देखा है जनसंख्याकी दर और आर्थिक प्रगति का सम्बन्ध बड़ा जटिल है। सामान्य रूपसे यह कहसकते हैं कि यदि हम प्रगतिका मोह छोड़ें, तो जन-संख्याही दर नपत्ती रखनी होगी और वृद्धिशील जन-संख्याकी अपेक्षा ह्यासशील जनसंख्या वास्तवीय होगी। पर प्रगतिकी इच्छा रहतेहुए ह्यासशील जन-संख्या का प्रभाव बुरा ही है।

कुशलता

हम लिख चुके हैं कि श्रमकी पूर्ति श्रमजीवियोंकी कुशलता परभी निर्भर है। श्रमकी कुशलताके मुख्य मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

१ व्यक्तिगत। कुशलताके लिए दो गुणोंकी सर्वोपरि आवश्यकता होती है। एकतो अभ्यास और परिश्रमकी क्षमता और दूसरे ममभदारी। जिस व्यक्ति अथवा जातिमें लगातार कामकरते चलेजाने का स्वभावहै, उसके प्रतिरूप कुशल होनेकी सम्भावना है और ममभदारीकी कमसे कम उत्पादनके उन विभागोंके लिए जहां संयोजन और निर्णयका अधिक काम पड़ताहै, आवश्यकता है।

२ वातावरणगत। वातावरणसे हमारा तात्पर्य उन दशाओंसे है जिनमें श्रमजीवी जीवन-यापन करताहै अथवा जिनमें वह उत्पादन-कार्य करता है। जीवन-यापनकी दशाएँ कुछ तो ऐसीहैं जो उत्पादन प्रणालीही से सम्बन्धित हैं और कुछ उससे स्वतन्त्र हैं। जलवायुका प्रभाव एक ऐसा कारणहै जो स्वतन्त्र रूपसे श्रमकी कुशलता निश्चित करता है। प्रसिद्ध विद्वान् हार्टिग्टनने जलवायुका स्वास्थ्य और श्रम-कुशलतासे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है।

उत्पादन-प्रणालीसे सम्बन्धित दशाएँ दो प्रकारकी हैं—एकतो वेह जो श्रमिकोंके कार्य, स्थान इत्यादिसे और दूसरी वे जो श्रमिकोंके जीवन-यापनसे सम्बन्ध रखती हैं। पहिलीके अन्तर्गत कार्य स्थानमें रोगनी, तापमान, सफाई इत्यादिका उचित प्रबन्ध, काम करनेके घंटे दीर्घ न होना, कामका उचित नियन्त्रणादि। यहातक उत्पादन-प्रणालीसे श्रमिकोंके जीवन-यापनकी दशाएँ उत्पन्न होतीहैं, मजूरीका कम होना, जिसके फलस्वरूप श्रमजीवियोंके लिए उचित घरका न होना, उचित खाना न मिलना तथा अन्य असुविधाओंका होना और उनके बच्चोंके लिए उचित शिक्षा की कोई व्यवस्था न होना, ये वाते-ध्यान देने योग्य हैं।

३ समाजगत। श्रमजीवियोंकी कुशलताका कारण मजूरीका कम होना तथा तदुत्पन्न अशिक्षा, अस्वास्थ्य-कर वातावरण एव व्यापक दरिद्रता है। इस सम्बन्धमें यह लिख देना भी अनुचित न होगा कि कुछ लोगोंका यहभी मतहै कि श्रमिकोंकी अकुशलताही उनके अल्प पारिश्रमिकका कारण है।

श्रमको विभाजन द्वाराभी अधिक कुशल बनाया जासकता है। श्रम विभाजनसे

हमारा तात्पर्य यह है कि किसी वस्तुके बनानेमें जितने और जिस प्रकारके श्रमकी आवश्यकता है, वह एकही व्यक्तिके ऊपर न छोड़कर कई व्यक्तियों या वर्गोंमें बांट दिया जाये। श्रमविभाजन कई प्रकारका होसकता है।

१ व्यक्तिगत। जब विशेष गुणोंके आधारपर कुछ कार्य-विशेष केवल कुछ व्यक्तियोंके लिए सुरक्षित करदिये जातेहैं तब हम उसे व्यक्तिगत श्रमविभाजन कहते हैं। यह सम्भव होसकता है कि एकही व्यक्ति अथवा परिवार कृषक, लुहार और बटईके कार्य करे, पर यदि ये व्यापार भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें बांट दियेजाये तो श्रमकी वृत्त होगी। इसप्रकार का श्रमविभाजन वर्गगतभी होसकता है। जब समाजके आर्थिक कार्य विभिन्न जन-वर्गोंमें बंटजाते हैं तो उसे वर्गगत श्रमविभाजन कहतेहैं, उदाहरणके लिए वर्तमान फैक्ट्री प्रणालीमें श्रमका विभाजन बहुत कुछ व्यक्तिगत है। मध्ययुगीन योरोपकी अर्थ व्यवस्थामें कला-कौशल विभिन्न वर्गोंमें बटा हुआ था, जिन्हें गिल्ड या गोष्ठियां कहतेथे, उस प्रकारके श्रमविभाजनको वर्गगत कहेंगे।

२ प्रक्रियागत। एकही कार्यको जब कई छोटे-छोटे कार्योंमें बांट दियाजाता है और प्रत्येक उपविभागको भिन्न भिन्न व्यक्ति सम्भालतेहैं तो उसे हम प्रक्रियागत श्रमविभाजन कहते हैं। ऐडम स्मिथ इसीकी विशेष चर्चा करते हैं। उन्होंने पिन बनानेका उदाहरण दियाहै जिनमें २१ उपविभागों का वर्णन किया है। पिन पर टोपी रखनेका कार्य एक व्यक्ति-समूह करता है, उसपर नोक दूसरा बनाता है, उन्हें पालिश तीव्रता करता है, पैक चौथा करता है। इसप्रकार अनेक उपविभागोंमें बंट कर अनेक मनुष्यों द्वारा पिनका निर्माण होता है। कोईभी कार्य कहांतक विभाजित अथवा उपविभाजित होसकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। उत्पादन-प्रक्रिया का अधिकाधिक भागों और उपविभागोंमें बंटने चलेजाना वर्तमान उत्पादन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है।

३ भौगोलिक प्रवृत्त क्षेत्रगत। जब आर्थिक व्यापार कला कौशल, उद्योग वधे विशेष क्षेत्रोंमें बंट जानेहैं तो इन उद्योगोंमें उपयोगी श्रमका भी इन्ही क्षेत्रों में विभाजन होजाता है। उस प्रकारके विभाजनको भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत श्रमविभाजन कहते हैं। उदाहरणार्थ, भारतमें सूती कपड़ेके कारखाने अधिकतर दक्षिण में, चीनीके उद्योगों में चीन प्रदेशके उत्तर पूर्वमें हैं। इसप्रकार के श्रम विभाजनके

कई कारण होसकते हैं। मुख्यतः कुछ विशेष उद्योगोंमें दक्ष श्रमिकोंका किसी क्षेत्र विशेषमें रहना या उम उद्योगके लिए आवश्यक कच्ची सामग्रीका उम क्षेत्र या उमके निकट मिलना महत्वपूर्ण कारण है।

श्रमविभाजन के लाभ

१ समयकी बचत। श्रमविभाजन द्वारा समय बहुत बचाया जासकता है। उम के कई कारण हैं। एक कार्यके कई भागोंको जब एकही व्यक्ति करताहै तो उसे एक भागके अनन्तर दूसरे भागकी तैयारी करनेमें थोडा समय लगता है। श्रम विभाजन द्वारा यह समय बचजाना है। इसके अतिरिक्त यदि एकही आदमी पूरा कार्य करे तो कार्यकी बदलती आवश्यकताओंके अनुसार उमे विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्रिन करनी पडेगी। इसमें कार्यकी निरन्तरता टूटतीहै और बहुत कुछ समयभी व्यर्थ जाता है। कार्यको अनेक भागोंमें बाटलेने से यह समय बचजाता है परन्तु समयकी बचतका सबसे बडा कारण यहहै कि एकही प्रकारके कार्यको करते रहनेसे अभ्यासकी अधिकताके कारण उस कार्यको करनेकी गति तीव्र होजाती है।

२ कौशलकी वृद्धि। यह तो ज्ञातही है कि श्रमविभाजनके द्वारा श्रम अधिक कुशल होजाता है। जब कार्य अनेक उपविभागोंमें बट जानाहै तो कार्यप्रणाली बहुत कुछ यन्त्रवत् होजाती है। ऐसी अवस्थामें अभ्यासके कारण गति तीव्र हो सकती है। परन्तु यदि कौशलका अर्थ कार्यको कम समयमें ही नही बरन् अधिक सुन्दर कर सकनेकी क्षमताहै तो इस क्षमतामें वृद्धि के स्थानपर ह्रास ही होगा।

३ नवीन आविष्कारों की सम्भावना। श्रमविभाजन द्वारा कार्य कई भागोंमें बट जाताहै, इसकारण कार्य करनेवाले को कार्यके उस विभागको अत्यन्त सूक्ष्मता पूर्वक देखने, समझनेका अवसर मिलताहै और इसप्रकार उसके सुधार अथवा उसमें नवीन अनुसन्धानकी सम्भावना बढजाती है। श्रमविभाजनसे उस प्रकारके आविष्कारोंकी सम्भावना अधिक होजाती है जो यान्त्रिक हो, क्योंकि इसके कारण उत्पादनमें श्रमके स्थानपर यन्त्रोंके प्रयोगमें सुविधा होतीहै और यही कारणहै कि पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्थामें श्रमविभाजन बडा महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। एकही कार्यको अथवा किसी कार्यके एक छोट्टेसे विभागको बारबार दुहरानेसे वह

कार्य यन्त्रवत् हो जाता है और कुछत्ती उस बार बार के दुहरानमें ऊबकर और कुछ्छ बार बार देखनेमें यांत्रिक सिद्धान्त अधिक स्पष्ट हो जानेमें कार्य करनेवाला उस कार्यके यन्त्र द्वारा हो सकने के उपाय सोचने लगता है। इस प्रकार एक नये यन्त्र का—अर्थात् श्रम यन्त्रानेके एक नये साधनका आविष्कार हो जाता है।

श्रमविभाजन उगी अवस्थामें सम्भव है, जब उत्पादनका क्षेत्र चार परिमाण पर्यन्त विस्तृत हो। बहुत छोटे परिमाणमें उत्पादन होनेपर कार्य करने अधिक नहीं होते कि उन्हें अनेक व्यक्तियोंमें बाटा जाये और दूसरे कार्यको अनेक भागों तथा उपविभागमें बाटनेमें समय श्रम और धन तीनोंकी अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस कारण श्रमका अधिकधिक विभाजन सुदैव उत्तरोत्तर वृद्धिशील और बड़े पैमानेमें उत्पादनमें सम्बन्धित होता है।

श्रमविभाजनकी सीमा रेखा बाजारका विस्तार है। उस कथनका आधार श्रम-विभाजन और उत्पादन-परिमाणका सम्बन्ध है। उत्पादन जितनेही विस्तृत परिमाणमें होगा, श्रमविभाजन उतनाही अधिक लाभप्रद होगा। परन्तु यदि उस उत्पादनकी खपतके लिए सुदूरस्थायी और विस्तृत बाजार न हो, तो उत्पादनका अनिवार्यतः सकृद्विना करना पड़ेगा और तदनुसार श्रमविभाजन प्रमत्तः कम लाभप्रद होनेके कारण सकृद्विना जायेगा। इस सम्बन्धमें यह कह देना अनुचित न होगा कि जब उत्पादन सुदूरस्थायी खपतके लिए होता है और मानवीय आवश्यकताओं और उपयोगिताओंमें उसका सम्बन्ध नाष्ट हो जाता है, उन्हीं समय ही उसका प्रत्यक्ष मानवजीवन और समाज-व्यवस्था पर सर्वोपरि हो जाता है। और ऐसी ही क्षणिकतामें श्रमविभाजनका श्रम और सीमा रेखा बाजारके विस्तारमें निश्चित होते हैं।

उत्पादन के साधन—पूँजी

अधिकतर विचारकोंने पूँजीको श्रमका एक रूप माना है और संक्षिप्त श्रम, भूत श्रम इत्यादि नाम दिये हैं। कुछ लोगोंने उभे भूमि और श्रम दोनों का मिश्रित रूप माना है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने पूँजीको मुख्यतया श्रमिकों को काममें लगाये रखनेवाले कोषके रूपमें देखा है, जिसमें उन्होंने मशीनरी इत्यादि को भी सम्मिलित किया है।

उत्पादनका एक रूप तो वह है जिसमें उत्पादन और उपभोगके बीचमें कमसेकम समयका अन्तर पड़ता है और इसकारण उस प्रणालीमें भूमि और श्रमके अतिरिक्त किसी अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। स्पष्ट है कि इस प्रणालीमें भूमि और श्रमका सम्बन्ध एक दूसरेसे सीधा होगा। इस प्रणालीको हम अपरोक्ष प्रणाली कहेंगे। उदाहरणके लिए, मछुएँको लीजिए जो हाथसे मछली पकड़ता है। उत्पादनकी यह प्रणाली होसकता है कठिनही और मछलियाँ बहुत कम पकड़ी जासकें तथापि इसमें कमसेकम प्रतीक्षाकी आवश्यकता है और भूमि (नदी अथवा समुद्र) तथा श्रमके अतिरिक्त अन्य किसी साधनकी सहायता की आवश्यकता नहीं। थोड़ी देरके लिए कल्पना कीजिए कि कोई आदमी एक जालका आविष्कार करता है। अब यदि मछली पकड़नेकी प्रणाली बदलती है और हाथके बजाय जालकी सहायता से मछली पकड़नी है तो इसकेलिए यह आवश्यक है कि या तो मछली पकड़नेवाला स्वयम् मछली पकड़नेका काम छोड़कर जाल बुननेका कामकरे और जाल तैयार होनेपर मछली पकड़ना आरम्भ करे अथवा मछली पकड़नेवाला किसी दूसरे आदमी से जाल बुनवाये और जाल तैयार होनेके समय तक उसके जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध करे। दोनों अवस्थाओंमें यह आवश्यक है कि जाल तैयार होनेतक प्रतीक्षा करनेकी क्षमता उत्पादक वर्गमें हो—अर्थात् कुछ अवकाश-काल उसे उपलब्ध हो। और आर्थिक दृष्टिसे अवकाश-काल का अर्थ हुआ वर्तमान आवश्यकताओं से अधिक उत्पत्ति। इस अवस्थामें श्रमविभाजन आवश्यक है। अवकाश-काल और श्रम-

‘किसी भी अवधि-विशेष में जितने भी उत्पादनके रथायी उपकरणों की सेवाएं उपलब्ध हैं, उतनी सेवाओंके समूहको शुद्ध उत्पादन-सामग्री कहेंगे। जब स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकारके उपकरणोंकी सेवा प्राप्त होतीहै तो उसे मिश्रित उत्पादन सामग्री कहेंगे।’ उस अवधि विशेषमें उत्पादन सामग्रीके प्रयोगद्वारा उत्पत्ति प्राप्त करनेकी क्रियाको तो ही अभंगारण की परिभाषामें हम उत्पादन कहतेहैं। उत्पत्तिसे अभिप्राय है उत्पादन सामग्रीके प्रयोगद्वारा उपभोक्ता को उपलब्ध सेवाओं धारणे। प्रत्येक उत्पादन क्रिया और उत्पत्तिके बीच जो काल बीतताहै उसेही उत्पादन-अवधि कहेंगे। ये अवधिया भिन्न भिन्न प्रकारके उत्पादनके अनुसार भिन्न होंगी और इनमें एकत्रपता अवधि समानताकी कलना व्यर्थ है। आदर्श रूपसे दो प्रकारकी परिस्थितिया होसकती है : एक तो ये कि किसी एक समयमें उत्पादनके उपकरणोंका उपयोगहो और फिर बहुत कालतक सेवाएं मिलती रहें, जैसे कोई मनुष्य पेडसे एक डाली तोड़ले और फिर बहुत दिनतक उसका प्रयोग छड़ीके रूपमें करता रहे। दूसरी वे कि बहुत कालतक उत्पादन-उपकरणोंका उपयोग करते जायें और उनका फल एकसाथ ही एकक्षणमें उपलब्ध हो। परजैसा हमने कहा ये आदर्श परिस्थितिया है और वास्तवमें इन्ही दोनोंके बीचकी विभिन्न दशाएं मिलती हैं।

हमने ऊपर कहा कि पूजा उत्पादन प्रणालीमें उत्पादन-अवधि बढ़ जाती है। अब प्रश्नहै कि इसप्रकार की प्रणाली क्यों अपनायी जाती है। आर्थिक दृष्टिसे इसका एकही उत्तर होसकता है और वह यहकि उत्पादन अवधिके बढ़नेके साथ साथ उत्पादनभी बढ़जाता है। ऊपरी तौरपर देखनेसे यह अर्थार्थ सा लगसकता है कि आविष्कारों और नवीनताओंके द्वारा उत्पादन-काल घटनेके स्थानपर और बढ़ जाये। पर ध्यानपूर्वक देखनेसे इस मतकी यथार्थता स्पष्ट होजायेगी—जहातक आविष्कार (जिनका पदार्थगत रूप पूजा होती है) श्रम और भूमिका सम्बन्ध अपरोक्षसे परोक्ष करदेते हैं, वे अनिवार्यतः उत्पादन-अवधि बढ़ा देते हैं। यहा यह बात समझ लेनेकी है कि जब हम उत्पादन-अवधिके बढ़जाने की बात कहतेहैं तो हमारी दृष्टिमें तुलनाके लिए उत्पादनकी वह प्रणाली है जिसको हमने ऊपर अपरोक्ष कहा है। यह सदैव सम्भवहै कि दो पूजावादी प्रणालियों में से एक कम और दूसरी अधिक समय लेनेवाली हो।

धमकी वचन अथवा प्रतिस्थापना दो प्रकार-में हो सकती है। एक तो उद्योग-अपना निर्माण बढ़ाये और प्रस्तुत धम और भूमि उतनीही रखे, दूसरे कुछ प्रस्तुत धम नटा दे। दूसरे मन्शमें या तो कम धममें पहिलेही जितना उत्पादन करे अथवा उनमें धममें पहिलेसे अधिक उत्पादन करे। इन विस्नेषणमें स्पष्ट है कि प्रत्येक दनामें पूजी (मैशीनरीके नाममें आविष्कार) केवल धमका प्रतिस्थापन करती है।

पूजी की वैकल्पिक परिभाषा

हम देखचुके है कि पूजीके प्रयोगका अर्थ उत्पादन-काल को बढ़ा देना है। इसकारण इस चीजमें जब बस्तुएं तैयार नहीं हुईं, धमिकोके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध होना आवश्यक है। पूजी मूलक उत्पादन प्रणालीमें इसीकारण प्रायः पूजीको श्रमजी-वियोंको अग्रिम पारिश्रमिक प्राप्त करानेवाला अथवा जीवन-निर्वाह कोष माना जाता है। इसी दृष्टिसे पूजीकी एक दूसरी परिभाषाभी दीजाती है। पूजी उत्पादक साधनों, सेवाओं और उपकरणों की वह कोटिहै जो अस्थायी और अनित्य हो। आर्थिक दृष्टिसे इसका यह अभिप्राय हुआ कि जिनके वर्तमान और भविष्य उपयोग में न्यूनाधिक लाभ होसकता हो और जिनके रक्षणके लिए धमकी आवश्यकता होती हो। पूजीकी पहिली और इस परिभाषामें कोई मौलिक भेद नहींहै, यद्यपि पूजीका उदभव अथवा अविष्कार द्वारा होताहै, फिरभी उत्पादनमें उसका रूप अनिवार्यतः कालवृद्धि का होताहै और इसप्रकार पूजी कालाश्रित होजाती है। कालाश्रित होनेसे वह अवश्य अस्थायी होगी और अस्थायी वस्तुके होनेसे उसके सरक्षणकी भी आवश्यकता होगी।

विभिन्न प्रकार की पूजी

१. स्थायी और प्रत्यावर्तनशील। स्थायी पूजीकी परिभाषा इस प्रकार है। उत्पादन-प्रक्रियामें जिस पूजीका एकही रूपमें अधिक कालतक व्यवहार हो सके, वह स्थायी पूजी है। मैशीनरी, फैक्ट्रीकी इमारत, इत्यादि स्थायी पूजीके उदाहरण हैं। यद्यपि इनकेभी कई उपयोग होसकते हैं और पर्याप्त समय मिलनेपर इनको एक

४. उत्पादन तथा उपभोग-पूजा। पहिली प्रकारकी पूजीमें कच्ची सामग्री, भीगीमती, उपकरण इत्यादि मनुष्यी तो सम्मिलित किया जा सकता है, जिनका कि उत्पादन-निर्माण उपभोग होगा। और दूसरी प्रकारकी पूजीमें साधु पदार्थों, कपडों और सामग्रीों जो प्रत्यक्ष रूपमें मनुष्य की आवश्यकताओं की तुष्टि करते हैं।

५. पारिवारिक पूजा तथा महात्मक पूजा। पहिली प्रकारकी पूजीका प्रयोग धनवीरियों तो पारिवारिक क्षेत्रों में ही किया जाता है और दूसरी प्रकारकी पूजा उत्पादन कार्यमें उनकी सहायता करती है। भौतिकी, कच्ची सामग्री, उपकरण इत्यादि इसके मुख्य उदाहरण हैं।

पूजा और वचत

पूजा का निर्माण अनसमय होता है जब उत्पादन उपभोगों अधिक हो। दूसरे शब्दों में पूजा का निर्माण और गहन वचत द्वारा होता है। वचत का अर्थ अर्थशास्त्र में आयको दत्तान व्ययमें हटाकर भविष्य व्ययमें लगाना है। वचत एकओर तो किसी व्यक्ति अथवा समाजकी वचत करनेकी शक्तिपर निर्भर करती है और दूसरी ओर वचत करनेकी इच्छा पर। वचत करनेकी शक्ति उत्पादनमें वृद्धि अथवा उपयोगमें ह्रास होनेसे बढ़ती है। उसका प्राधार किसी देश विशेषमें मिलने वाली प्राकृतिक सामग्री तथा अन्य उत्पादन-साधन हैं। वचत करनेकी इच्छा पूजा के निर्माण द्वारा लाभ प्राप्त करनेकी आशा तथा भविष्यके लिए प्रबन्ध करनेकी चिन्तापर निर्भर है। सन्तानके लिए कुछ सम्पत्ति छोड़ जानकी लालसा भी इस इच्छाको पुष्ट करती है। आधुनिक विश्लेषणके अनुसार वचतका परिमाण समाजकी आयपर निर्भर रहता है और आयका परिमाण इस बातपर कि वस्तु कितने मनुष्य उद्योग बंधोंमें उचित पारिश्रमिकपर लगे हुए हैं और कितने बेकार अथवा अनुचित पारिश्रमिक पर काम कर रहे हैं।

पूजा का संरक्षण

पूजाके संरक्षणसे हमारा तात्पर्य मुख्यतया उसके द्वारा पुनरुत्पादनके प्रबन्धसे है।

पूँजीके पुनः स्थापन और संरक्षण का प्रबन्ध तीनप्रकार से होसकता है। प्रत्यक उपयोगमें एक कोष उस धनके लिए रखा जाताहै कि उसके द्वारा आवश्यकता पडनेपर मशीनरी तथा अन्य स्थायी पूँजीकी मरम्मत होसके। दूसरे समाजकी आय तथा प्रस्तुत परिश्रम और भूमिका उपयोग दो मुख्य भागोंमें बटा रहता है। एकतो उपभोग्य वस्तुएं बनानेमें और दूसरे उत्पादक वस्तुएं अथवा स्थायी पूँजी उत्पन्न करनेमें। उदाहरणके लिए समाजको मछलिया प्राप्त होनी रहें, ज्योकिण जड़ी आवश्यक नहीं कि कुछलोग मछलिया पकडने रहें परन्तु यहभी आवश्यक है कि कुछलोग जानभी बनाते रहें ताकि जब प्रस्तुत जान ध्वंश होजायें तो नये जाल बनकर उनका रक्षण लेसकें। उनका यह अर्थ हुआ कि सामाजिक आयका विभाजन प्रस्तुत और भविष्य उपभोगके बीच किसी उचित अनुपातमें होना चाहिए। जो आय भविष्य उपभोगके लिए उपयुक्त होतीहै, उनेही हम बचत कहते है।

सामाजिक व्यवसायको भी बचतका आधार माना जानसकता है। उनीमें ज्ञान अधिष्ठाण सम्भव है। अधिष्ठाणों द्वारा न केवल पूँजीका संरक्षण ही होता है बरन् उसकी उत्पत्ति भी होती है। व्यवसायके प्रभावमें वस्तुभी सम्भव न होती।

भविष्य उपभोगके लिए बचत करनेमें निम्नलिखित चार माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है :

१. उपभोग में बचत करने द्वारा बचत होसकती है। उपभोग में बचत करने का अर्थ है कि समाज को उपभोग्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त पूँजी उत्पन्न करनी, उपभोग्य वस्तुओं के लिए बचत करनी।

२. पूँजी उत्पन्न करके बचत करनी है। बचत करके पूँजी उत्पन्न करने का अर्थ है कि समाज को उपभोग्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त पूँजी उत्पन्न करनी।

३. पूँजी उत्पन्न करके बचत करनी है। बचत करके पूँजी उत्पन्न करने का अर्थ है कि समाज को उपभोग्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त पूँजी उत्पन्न करनी।

४. पूँजी उत्पन्न करके बचत करनी है। बचत करके पूँजी उत्पन्न करने का अर्थ है कि समाज को उपभोग्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त पूँजी उत्पन्न करनी।

४ उत्पादन तथा उपभोग-पूजी । पहिली प्रकारकी पूजीमें कच्ची सामग्री, मशीनरी, उपकरण इत्यादि मनुष्योंको मम्मिलित किया जागता है, जिनका कि उत्पादन-निर्माणमें उपभोग होता है और दूसरी प्रकारकी पूजीमें साधु पदार्थों, कपड़ों और मत्स्यों आदी प्रत्यागताओंमें मनुष्य की सावधानताओं की तुष्टि करते हैं ।

५ पारिश्रमिक पूजी तथा महायत्न पूजी । पहिली प्रकारकी पूजीका प्रयोग धनजीवियोंको पारिश्रमिक देनेके लिए किया जाता है और दूसरी प्रकारकी पूजी उत्पादन कार्यमें उनकी महायत्ना करती है । मशीनरी, कच्ची सामग्री, उपकरण इत्यादि उनके मुख्य उत्पादन हैं ।

पूजी और वचत

पूजीका निर्माण उनसमय होता है जब उत्पादन उपभोगसे अधिक हो । दूसरे शब्दोंमें पूजीका निर्माण और गहन वचन द्वारा होता है । वचतका अर्थ अर्थशास्त्रमें आयको वर्तमान व्ययसे हटाकर भविष्य व्ययमें लगाना है । वचत एकत्र तो किसी व्यक्ति अथवा समाजकी वचत करनेकी नित्यपर निर्भर करती है और दूसरी ओर वचत करनेकी इच्छा पर । वचत करनेकी शक्ति उत्पादनमें वृद्धि अथवा उपयोगमें ह्रास होनेसे बढ़ती है । इसका आधार किसी देश विशेषमें मिलने वाली प्राकृतिक सामग्री तथा अन्य उत्पादन-साधन हैं । वचत करनेकी इच्छा पूजीके निर्माण द्वारा लाभ प्राप्त करनेकी आशा तथा भविष्यके लिए प्रबन्ध करनेकी विन्तापर निर्भर है । सन्तानके लिए कुछ सम्पत्ति छोड़ जानकी लालसा भी इस इच्छाको पुष्ट करती है । आधुनिक विश्लेषणके अनुसार वचतका परिमाण समाजकी आयपर निर्भर रहता है और आयका परिमाण इस बातपर कि वस्तुतः कितने मनुष्य उद्योग बंधोंमें उचित पारिश्रमिकपर लगे हुए हैं और कितने बेकार अथवा अनुचित पारिश्रमिक पर काम कर रहे हैं ।

पूजी का संरक्षण

पूजीके संरक्षणसे हमारा तात्पर्य मुख्यतया उसके द्वारा पुनः उत्पादनके प्रबन्धसे है ।

पूँजीके पुनः स्थापन और सरक्षण का प्रबन्ध तीनप्रकार से होसकता है। प्रत्यक उपयोगमें एक कोष इस बातके लिए रखा जाताहै कि उसके द्वारा आवश्यकता पडनेपर मैशीनरी तथा अन्य स्थायी पूँजीकी मरम्मत होसके। दूसरे समाजकी आय तथा प्रस्तुत परिश्रम और भूमिका उपयोग दो मुख्य भागोमे बटा रहता है। एकतो उपभोग्य वस्तुए बनानेमें और दूसरे उत्पादक वस्तुए अथवा स्थायी पूँजी उत्पन्न करनेमें। उदाहरणके लिए समाजको मछलिया प्राप्त होती रहें, इसकेलिए यही आवश्यक नही कि कुछलोग मछलिया पकडते रहें परन्तु यहभी आवश्यक है कि कुछलोग जालभी बनाते रहें ताकि जब प्रस्तुत जाल व्यर्थ होजायें तो नये जाल बनकर उनका स्थान लेसकें। इसका यह अर्थ हुआ कि सामाजिक आयका विभाजन प्रस्तुत और भविष्य उपभोगके बीच किसी उचित अनुपातमें होना चाहिए। जो आय भविष्य उपभोगके लिए उपयुक्त होतीहै, उसेही हम वचत कहते है।

सामाजिक अवकाशको भी वचतका ग्राधार माना जासकता है। इसीके द्वारा आविष्कार सम्भव है। आविष्कारो द्वारा न केवल पूँजीका सरक्षण ही होता है वरन् उसकी उन्नति भी होती है। अवकाशके अभावमें वचतभी सम्भव न होगी।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिलने पूँजीके सम्बन्धमें निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित किये है .

१ उद्योग सदैव पूँजीके द्वारा सीमित होता है। इसका अभिप्राय यहहै कि समाज को कालविशेषमें जितनी पूँजी उपलब्ध होगी, उद्योगका विस्तारभी वही तक होसकेगा।

२ पूँजी वचतका परिणाम है। वचत और पूँजीके सम्बन्धमें ऊपर विवेचन किया जाचुका है।

३ जो कुछभी उत्पादन द्वारा प्रस्तुत होताहै उस सभीका उपभोग होता है। इसप्रकार वचत और पूँजीभी व्यय और उपभोगका रूप है।

४ वस्तुओके लिए माग श्रमके लिए माग नही है अर्थात् यदि किसी समयमें समाजको अधिक वस्तुओ की आवश्यकता हो तो इसका अर्थ यह नही कि उसे अधिक श्रमजीवियो की भी आवश्यकता होगी। इसप्रकार मिलके अनुसार अधिक माग और अधिक व्ययका परिणाम अनिवार्यतः यह नही होसकता कि समाजमें बेकारी की कमी हो।

व्यवस्था

व्यवस्था की आवश्यकता

यद्यपि उत्पादनके चौथे साधन व्यवस्थाका, विकासल आदि अनेक अर्थशास्त्रियोंने मार्शलसे मतभेद प्रकट करतेहुए, स्वतन्त्र रूप माननेसे उन्कार कियाहै परन्तु फिर भी वर्तमान समयकी उत्पादन-प्रणालीमें श्रम और पूजीको उत्पादन-क्रियाओंमें संयोजित करनेका कार्यभी महत्वपूर्ण होगया है। उत्पादनका क्षेत्र और परिमाण जितनाही विस्तृत होता जायेगा, श्रमही उचित देगभाल, श्रमजीवियोंके पारस्परिक सम्बन्धका उचित प्रबन्ध, उनके कार्यकी जाच इत्यादि कार्य आवश्यक होते जायेंगे। व्यवस्थासे तात्पर्य उन प्रबन्धोंसे है जो उत्पादनार्थ भूमि, श्रम और पूजी के लाभकारी उपयोगके लिए आवश्यक है और पूजीमूलक उत्पादन प्रणालीमें व्यवस्थाको बहुत अधिक महत्व प्राप्त होजाता है। वास्तवमें उत्पादनमें भूमि, श्रम और पूजीको किसप्रकार सम्बन्धित किया जाये और किस प्रणालीसे एक दूसरेको सर्वोत्तम सहयोगी बनाया जाये, यही व्यवस्थाका अभिप्राय है। मार्शल व्यवस्थाके अन्तर्गत उद्योग-साहसको भी रखता है और उसका अनुसरण करतेहुए कुछलोग व्यवस्थासे उद्योगपतियोंकी कार्यकुशलता, दृढता, दूरदर्शिता तथा अन्य आवश्यक गुणोंका अर्थ लेते हैं। उद्योग-साहससे तात्पर्य उद्योगपतिकी उस विशेषतासे है जिसके फलस्वरूप वह उद्योगकी हानि लाभ तथा अनिश्चितताका सामना करनेको उद्यत होता है। इसप्रकार नवीन आविष्कारों तथा अन्य प्रकारकी नवीनताओंका उत्पादन में उचित प्रयोग इसी साहस द्वारा सम्भव होता है। सक्षेपमें व्यवस्थापक अथवा उद्योगपतिके मुख्य कार्य ये हैं :

- (१) उद्योगके आकार तथा परिमाणका निश्चय करना।
- (२) श्रम और पूजीके सम्बन्धोंको बनाये रखना।

(३) क्रय-विक्रय, पूजा तथा उत्पादन-परिमाणके सम्बन्धमें निश्चय करना ।

(४) उत्पादन-साधन किस मात्रा और किस अनुपातमें प्रयुक्त होंगे, इसका निर्णय करना वास्तवमें व्यवस्थापकके सब कार्योंका सार यह है कि उसे निर्णय करना पड़ता है कि क्या, कितना और किस भाँति उत्पादन करना है और किसप्रकार उसे बेचना है ।

बड़े परिमाण में उत्पत्ति

हम लिखचुके हैं कि व्यवस्थापक अथवा उद्योगपति का मुख्य कार्य उद्योगके आकार तथा परिमाण का निर्णय करना होता है । उत्पादनका परिमाण विस्तृत कर देने से उत्पादन-कौशलमें बहुत वृद्धि होसकती है और साधारणतया बड़े बड़े उद्योगोंको छोटीसे कहीं अधिक लाभ प्राप्त होता है । इसीकारण पूजामूलक उत्पादन-प्रणाली की प्रवृत्ति बड़े बड़े उद्योगोंको स्थापित करनेकी ओर रहती है । बड़े परिमाण में उत्पत्ति करनेसे दो प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं । मार्शल एकको आन्तरिक और दूसरेको बाह्य लाभ कहता है । आन्तरिक लाभ वे हैं जिनको केवल बड़े परिमाणमें उत्पत्ति करनेवाले उद्योगविशेष ही उठासकते हैं । इसके अतिरिक्त-कुछ ऐसेभी लाभ हैं जो पूर्ण उत्पादन प्रणालीको प्राप्त होते हैं । बाह्य लाभ उद्योगधन्वों के स्थानविशेष में एकत्र होजाने से प्राप्त होनेवाली सुविधाएँ हैं । उद्योगधन्वों के एक स्थानपर एकत्र होनेसे पहिला लाभ तो यह है कि उस स्थानकी उद्योग-कुशलता वश-गत होजाती है । बहुतसी बातें वच्चे बिना सिखाये सीखजाते हैं । हर एकको उस स्थानकी विशेष कला सीखनेके लिए सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं क्योंकि वहापर उस कलाके विशेषज्ञ रहते हैं । इस स्थानीकरणसे दूसरा लाभ यह है कि उस स्थानपर बहुत से सहायक उद्योगोंके विकासका भी अवसर रहता है । प्रायः देखनेमें आया है कि जहा एक मुख्य उद्योग स्थापित हुआ वहा अथवा उसके आस पास उमने मन्वन्वित अनेक सहायक उद्योग विकसित होजाते हैं । तीसरा लाभ यह है कि विशेषज्ञ श्रम-जीवियोंको नौकरी मिलनेके अनेक अवसर प्राप्त होते रहते हैं । इसकारण उन्हें जीविकाके सम्बन्धमें चिन्ता नहीं रहती । एक उद्योगपतिके साथ न बननेपर बिना किसी विशेष भ्रष्टके दूसरे उद्योगमें स्थान मिलजाता है । इन लाभोंके अतिरिक्त

उद्योगोंके एकत्र होनेसे नये नये आविष्कारोंकी सम्भावना रहती है। कुछनो इस लिए कि उस स्थानपर बहुतसे विज्ञेपज्ञ रहते हैं, उनका सहयोग और स्पष्टता दोनों ही आविष्कारोंके लिए सहायक होनेके और कुछ उम्मीदिए कि उद्योगके एकत्र होने से मूल्यवान् और बहुमती विनिष्ट प्रकारके यन्त्रोंका प्रयोग सम्भव होता है।

बड़े परिमाणमें उद्योग होनेसे दो प्रधान आन्तरिक लाभ प्राप्त होते हैं। पहला कच्चे माल तथा अन्य उपकरणोंकी नगन और दूसरा निपुणताका अधिक उपयोग। यद्यपि आरंभमें अधिक परिमाणमें उत्पात्ति करनेमें अधिक मान, श्रमजीवियों और व्ययकी आवश्यकता होती है पर नर दृष्टिसे उन सबकी वचन होती है। अर्थात् इन का उपयोग कम मूल्यमें होना सम्भव होता है। बहुतसा मान इकट्ठा मगवानेमें बड़े उद्योगपतिको भाव करनेमें कुछ अधिक लाभप्रद स्थिति प्राप्त होजाती है। वह दूर से और अच्छेमें अच्छा माल मगवा सकता है। अधिक मान खरीदनेपर मूल्य कम देना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वह विनिष्ट और मूल्यवान् यन्त्रोंका प्रयोग कर सकता है। छोटे उद्योगोंको न्यायी पूजा विस्तृत करनेका अवसर कठिनतासे मिलता है क्योंकि स्थायी पूजा सदैव श्रमकी वचन करती है और इसकारण उत्पादक को स्थायी पूजा बढ़ानेके लिए अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे यन्त्र हैं जिनका प्रयोग किसी कार्यके एक छोटे भागके लिए होता है। ऐसे यन्त्रोंका लाभ केवल बड़े बड़े उद्योग और कारखानेही उठासकते हैं। कारण यह है कि श्रम-विभाजन और श्रमविशिष्टता और निपुणताका पूरा लाभ बड़े बड़े उद्योगोंमें ही मिल सकता है। यह बात हम श्रमविभाजनकी चर्चा करतेहुए समझा चुके हैं। विशेषज्ञों का ज्ञान और सेवाओंका लाभ उठानेके लिए उद्योगपतिको उन्हें अधिक वेतन देना पड़ता है। अधिक वेतन बड़े बड़े कारखानेही सुविधा और लाभपूर्वक देसकते हैं। इसकारण छोटे उद्योगधन्धे इन सेवाओंसे वंचितही रहजाते हैं। आधुनिक उत्पादन पद्धतिका एक बड़ा आधार आविष्कार और नवीनताए है। उत्पादन-प्रणालीमें नवीनताओंका समावेश करनेकी क्षमताके अभावमें वर्तमान आर्थिक व्यवस्था जीवनहीन होने लगती है। बड़े परिमाणमें उद्योग होता है तो उसमें वैज्ञानिक अनुसन्धान आदि करानेका अवसर मिलता है। वैज्ञानिक अनुसन्धान व्यय-साध्य काम है और जबतक छोटे उत्पादनका क्षेत्र बड़ा न हो, इसका कोई सुचारुरूप असम्भव है। यही नहीं, नये आविष्कारोंका, नयी उत्पादन रीतियों और अच्छे यन्त्रोंका उप-

योगभी छोटे छोटे उद्योगधन्धे नहीं करसकते। अधिक परिमाणमें उत्पादनकी कुछ अनिवार्य हानियाभी हैं। बड़े उद्योगोका उत्पादन आवश्यकतासे बहुत अधिक होगा। इसकारण मन्दीके समय जब विक्री बहुत कम होजाती है, ऐसे उद्योगोको बहुत हानिया सहनी पडती है। बहुत अधिक स्थायी पूजी लगे रहनेका अर्थ यहहै कि बहुत ऐसे व्यय जो स्थायीहैं विना उद्योग बन्द किये घटाये नहीं जासकते। उत्पादन-परिमाण कम हो या अधिक, ऊचा वेतन पानेवाले पदाधिकारियोको अलग नहीं किया जासकता, यद्यपि उससमय उनकी सेवाओकी आवश्यकता न हो। इसके अति रिक्त जहा बड़े बड़े उद्योग नये आविष्कारोसे लाभ उठासकते हैं वहा उन्हें हानिभी होसकती है, क्योकि आविष्कार शीघ्रतापूर्वक भी होसकते हैं और इस दशामें उन को अपनापनेमें पुरानी स्थायी पूजीकी क्षति होगी। पर यह हानि सामाजिक दृष्टिसे अधिकहै, भिन्न भिन्न उद्योगोकी दृष्टिसे कम; क्योकि नये आविष्कारोका वे पेटेन्ट राइट खरीद सकतेहैं और इसप्रकार वे उनका उपयोग स्थगित रखसकते हैं। फिर भी यह निर्विवादहै कि उद्योग अपनेही नियमोंसे बद्ध होतेहैं और उनमें परिवर्तन-शीलता तथा गत्यात्मकताका अपेक्षाकृत अभाव होता है। यहभी न भूलना चाहिए कि जहा बड़े उद्योग प्रत्येक विभागका सुचारु वैज्ञानिक प्रबन्ध करसकते हैं, ऊचे वेतन देकर शिक्षा और अनुभव प्राप्त कुशल प्रबन्धक रखसकते हैं, वहा उत्पादन क्षेत्रके विस्तारके साथ प्रबन्ध और शासन-व्यय बढ़ता चलाजाता है। तब फिर यहभी आवश्यक होजाता है कि छोटे पदाधिकारियो पर निर्णय और अन्य महत्व-पूर्ण उत्तरदायित्वके कार्य छोड़ेजायें। इसप्रकार उद्योगको बड़ी हानि होजाने की सम्भावना रहती है।

व्यवस्था के रूप

बड़े परिमाणमें जब उत्पात्ति होतीहै तो उसका स्वामित्व और प्रबन्ध एक व्यक्तिके चयकी बात नहीं रहती। एक तो उत्पादन व्यवस्थाकी एकस्वामित्व रीतिमें पूजीकी नर्दव कठिनता रहती है क्योकि इसप्रकारके उद्योगो को बैंक ऋण कठिनतासे देते हैं। दूसरे स्वामीका आर्थिक दायित्व असीमित होता है। इन कारणोंसे बड़े बड़े उद्योगो को व्यवस्था साभेदारी, सम्मिलित पूजी-रूपनी और कारपोरेशनके रूपमें

अधिकतर होनी है। महाकारी भूमितियां भी व्यवस्थाका एक रूप हो सकती हैं। पर बहुत बड़े उद्योगोंमें यह रूप गफलतापूर्णक कम अपनाया गया है।

साभेदारोंमें दो या दोसे अधिक व्यक्ति उद्योगके मान साथ रखामी होते हैं। उन दोनोंके बीच समनुबन्ध होजाता है, जिनके आधारपर यह निश्चित होताहै कि प्रत्येक साभेदार कितना रुपया अथवा पूजी व्यापारमें लगावेगा, उसके और क्या क्या उत्तरदायित्व तथा अधिकार होंगे तथा लाभमें उसका कितना भाग रहेगा। साभेदारोंके बीच पूजी, नकदी और सेवा तीनोंका विभाजन होसकता है। और ऐसाभी होसकताहै कि कुछ साभेदार केवल पूजी लगायें और कुछ केवल सेवाएं। साभेके समनुबन्धमें अधिकतर साभेदारोंके दायित्वका मान निश्चित करदिया जाताहै और उद्योगके लाभ और उनकी रखायी पूजीमें उनका भाग उनकी पूजीके अनुपातमें बाँध दिया जाता है। साथही अधिकतर समनुबन्धोंमें यह स्पष्ट तथा निश्चित करदिया जाता है कि उद्योगमें हानि होनेपर किस साभेदारको हानिका कितना भाग भरना पड़ेगा। अधिकतर राजनियमों द्वारा सरकार समनुबन्धोंका पालन कराती है। पर यदि कोई साभेदार अपना भाग न चुका सके तो राजनियम द्वारा हर साभेदार अपनी सारी व्यक्तिगत सम्पत्तिके मूल्यके बराबर हानि पूरी करनेके लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

साभेदारीमें प्रत्येक साभेदार उद्योग सम्बन्धित कार्यके लिए उत्तरदायी होता है। यदि एक साभेदार कोई वस्तु किसी मूल्यपर खरीद लेताहै तो मूल्य देनेके लिए सभी साभेदार उत्तरदायी होंगे, चाहे यह खरीद उन्हें पसन्द हो अथवा नहीं। यह दूसरी बातहै कि उद्योगके नामपर कोई व्यापारिक बातचीत करनेसे पहिले सभी साभेदार एक दूसरेसे राय लेलें। पर यदि वे ऐसा न करसके अथवा यदि उनमें परस्पर मतभेदहो तो इसके कारण दूसरो तथा जनताके प्रति उनके उत्तरदायित्व में कोई भेद नहीं पड़ता। साभेदारी का एक औरभी रूप होता है। इससे ऐसा होताहै कि कुछ साभेदार सीमित उत्तरदायित्वके साथ उद्योगमें भागीदार होसकते हैं। घाटा होने पर ऐसे साभेदारों को उनके भागके अनुपातमें ही हानि भरनी पड़ती है। ऐसी अवस्थामें प्रायः तीन शर्तें लगाई जाती हैं। (१) उद्योगमें उसका भाग नकदके ही रूपमें हो, सेवाओंके रूपमें नहीं (२) उद्योगके नाममें उसका नाम न आवे और (३) वह उद्योगके नामपर किसी प्रकारका लेनदेन न करे।

साभेदारीसे कई लाभ है। इस व्यवस्था द्वारा अधिक पूजा उपलब्ध होसकती है। सभी साभेदार कुछ न कुछ पूजा लगाते है और इसके अतिरिक्त वेकोसे भी सुगमतासे ऋण मिलजाता है। दूसरी बात यहहै कि इसप्रकार उद्योग,को विभिन्न प्रकारकी योग्यताओका लाभ मिलता है। इसके साथ इसप्रकार की व्यवस्थामें व्यक्तिगत व्यापारका बहुत कुछ स्वरूप बना रहता है।

साभेदारी प्रथाकी कुछ हानिया भी है। इसमें पूजा प्राप्त करनेकी क्षमता अपेक्षाकृत कम रहती है। साधारणतया यह होताहै कि उद्योग वढनेपर और फलतः पूजाकी अधिक आवश्यकता होनेपर साभेदारोकी सख्या वढानी पडती है। इस दशामें प्रवन्धमें भी कठिनाई होतीहै और अधिक सख्या होनेके कारण आपसमें मत-भेद भी बहुधा हुआ करता है। मतभेदोंका यदि निपटारा न होसका तो साभेदारी ही समाप्त करनी पडती है। इसके अतिरिक्त किसीभी साभेदारको यह अधिकार नही होता कि उद्योगमें वह अपना भाग विना साभेदारोकी सहमतिके अन्य किसी को वेच दे। इसकारण अलग होनेके लिए या तो वह अन्य साभेदारोके भागोको खरीदले या स्वयं अपने भागोको उनके हाथ उनके इच्छित मूल्यपर वेचदे अथवा साभेदारी ही समाप्त कर दीजाये। इसके अतिरिक्त साभेदारोकी एक दूसरेके कार्यके लिए सहमति तथा उनका असीमित ऋणदायित्व भी इस व्यवस्थाको दोष पूर्ण बनाते है।

सम्मिलित पूजा कम्पनीसाभेदारी और कारपोरेशनके मध्यकी अवस्था है। इसमें दोनो प्रकारकी व्यवस्थाओकी विशेषताएं मिलती है। सम्मिलित कम्पनीके स्वामीके ऊपर ऋण तथा अन्य दायित्व उतनेही होतेहै, जितने साभेदारीमें। भेद इतनाहै कि साभेदारीमें स्वामित्वका अधिकार एक समनुबन्धके आधार पर होता है और सम्मिलित पूजा कम्पनीमें स्वामित्व पूजा बाजारमें खरीदे जासकनेवाले हिस्सो द्वारा प्राप्त कियाजाता है। जिन लोगोके पास हिस्सा है, उनके द्वारा निर्वाचित सचालकोकी समितिके हाथमें प्रवन्ध और शासनका कार्य होता है। इन प्रकारकी व्यवस्थाको सीमित ऋण-दायित्वको छोडकर और वे सारे लाभ होतेहै जो कारपोरेशन द्वारा प्राप्त होसकते है।

कारपोरेशन राजनियम द्वारा कुछ विशेष उद्देश्योकी पूर्तिके लिए निर्माणित संस्था होती है। आरम्भिक कारपोरेशन व्यापारी नही थे। वे धार्मिक दानपुण्यके

अथवा जिज्ञा सम्बन्धी थे। वे राजाज्ञा अथवा सरकारी दानपत्र द्वारा स्थापित किये जाते थे और राजस्वद्वारा उन्हें कुछ विशेषाधिकार और संरक्षा मिलनी थी। मध्ययुगके जिल्प-मघ मन्त्रों प्रथम कारपोरेशनोंमें वे हैं जिनकी गणना व्यापारिक कारपोरेशनोंकी जासानी है। इसप्रकार की व्यवस्थामें यह होताहै कि कुछ मनुष्य राज्यको एक प्रार्थना पत्र भेजते हैं जिसमें एक राजाज्ञाकी प्रार्थना की जाती है, जिसके द्वारा उन्हें कारपोरेशनके रूपमें व्यापार करनेकी आज्ञा दीजाये। अगर प्रार्थना स्वीकृत होजाती है तो व्यापार चालू करदिया जाता है। कारपोरेशन की विशेषता यहहै कि यद्यपि यह कई व्यक्तियोंसे मिलकर बनता है और अनेक प्रकारके वाड, रटाक, शेर तथा अन्य प्रकारके ऋण-माधनोंके द्वारा पूजी इकट्ठा करता है, फिरभी उसका दायित्व सीमित रहता है। जातनकी दृष्टिमें वह एक व्यक्ति माना जाता है।

कारपोरेशन पूजीकी दृष्टिसे व्यवस्थाका अत्यन्त उत्तम रूप है। पर इस रूपमें धोका करनेके अवसर बहुत रहते हैं। कारपोरेशनके अधिकतर दाय डायरेक्टर या अन्य कर्मचारियोंकी कपट-नीतिके कारण होते हैं। बहुत बड़ी होजानेपर कारपोरेशन के चलानेका व्यय आवश्यकतासे अधिक बढ़जाता है। और फिर बड़े बड़े कारपोरेशनोंसे वे हानिया तो है ही जिनकी चर्चा हम बड़े परिमाणमें उत्पादन के सम्बन्धमें करआये हैं।

उत्पादन-व्यय

उत्तम व्यवस्था का उद्देश्य न्यूनतम उत्पादन-व्ययसे अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करना होता है। उत्पादन-व्ययकी प्राचीन तथा आधुनिक परिभाषाओंका विवेचन हम इस पुस्तकमें भिन्न भिन्न स्थानोंपर करचुके हैं। विषय महत्वपूर्ण है इसकारण पुनरुक्ति का दोष होनेपर भी उत्पादन-व्ययका एकत्रित विवरण आवश्यक प्रतीत होता है। जो कुछभी उत्पादनमें काममें आये उसे हम लागत कहते हैं और उसके फलस्वरूप जिन वस्तुओंका उत्पादन हो उन्हें हम उत्पत्ति कहेंगे। जो मूल्य हमें लागतके लिए देना पड़े वह उत्पादन-व्यय है। व्यय की आवश्यकता इसकारण होतीहै कि सारी वस्तुएँ, सारे उत्पादनके साधन मनुष्यको प्रकृति द्वारा अनायास

ही नहीं मिल जाते। इसप्रकार उत्पादन-व्यय अन्ततोगत्वा इस बातसे निश्चित होता है कि इच्छित वस्तुके निर्माणमें जो श्रम करना पडा है, उसका क्या मूल्य है। उत्पादन केवल रूप-परिवर्तन मात्र करता है। श्रम और अन्य सामग्रीके एकरूप की जो उपयोगिता हम समझते हैं यदि उसके किसी दूसरे रूपकी उपयोगिता हमारी समझमें अधिक है तो पहिले रूपको हम दूसरे रूपमें परिवर्तित करनेका प्रयत्न करेंगे। इस प्रयत्न का अर्थ यह होगा कि हम पहिले रूपका नाश कर दें और इसका कारण स्पष्ट है कि एक उपयोगिताका बलिदान करकेही हम दूसरी उपयोगिता प्राप्त करसकते हैं। जबतक कुछ वस्तुएं अपने प्राप्त रूपमें बिल्कुल ही उपयोगिता हीन न हो, उत्पादन सदैव व्यय-साध्य होगा। बलिदानकी हुई उपयोगिताको मापनेकी कई रीतिया होसकती है। इन्ही रीतियोंको लेकर अर्थशास्त्रियोंमें कुछ मतभेद हैं; व्ययके स्वरूपके सम्बन्धमें कोई मौलिक मतभेद नहीं है। एक रीतिके अनुसार उत्पादन-व्ययके मापनेके लिए पहिले हमें देखना चाहिए कि उनके निर्माणके लिए उत्तरदायी व्यक्ति अथवा वर्गको किन किन वस्तुओंको खरीदना पडता है और किन किन मूल्यों पर। इन सब मूल्योंका जोड़ही उत्पादन-व्यय होगा। इस रीतिमें दो प्रकारकी कठिनाइया हैं, एकतो यहकि इस बातका निर्णय कठिन है कि कौनसी वस्तुएं उत्पादक गिनी जायें। कुछ लोगोंने भूमि, श्रम और पूजा, कुछने व्यवस्था और उद्योग-साहसभी और अन्यने केवल श्रमको उत्पादक माना है और इन्हीके मूल्यको वास्तविक उत्पादन-व्यय माना है। कुछलोग इस सूचीमें यातायात, बीमा, घिसावट आदिके व्ययको भी सम्मिलित करते हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि कुछ उत्पादक सेवाएं भी हैं और उनका मूल्य निश्चित नहीं हो पाता। इसप्रकार लाभ इत्यादि भी व्ययमें सम्मिलित करना पडता है और यह कुछ तर्कके विरुद्ध है।

मार्शलने वास्तविक और मौद्रिक व्ययका भेद किया है। उनकी परिभाषाके अनुसार सभी प्रकारके श्रम जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे किसी वस्तुके निर्माणमें आवश्यक है तथा आवश्यक पूजाके लिए कीगयी प्रतीक्षा—ये दोनों साथ साथ उस वस्तुके निर्माणका यथार्थ व्यय होंगे। हरप्रकार का श्रम और पूजा उपलब्ध करने के लिए जितने द्रव्यकी आवश्यकता है उनको उत्पादन व्ययका मौद्रिक माप कहेंगे। अब कठिनाई यह है कि विभिन्न वारखानोंके उत्पादन व्ययमें अन्तर पडसकता है।

मेंनी अवस्थामें किन्तु का व्यय मृत्युका निर्धारक माना जाये। मार्शलने इस कठिनाईका समाधान प्रतिनिधि उद्योग संस्थाकी कल्पना द्वारा किया है। प्रतिनिधि उद्योग संस्था वह है जिग ही व्यवस्था न बहुत गन्दगी और न बहुत बुरी हो। इस प्रतिनिधि संस्थाका जो व्यवहारी उद्योगको उत्पादन-व्यय माना जासकता है। परन्तु वास्तविक व्यय ही कल्पनाही व्यय है। किसी वस्तुके निर्माणमें कितना कष्ट उठाना पडा उनका कोई नयेमान्य मापदण्ड नहीं होनाचना। मापनेकी दूररी रीति यह है कि उत्पादनके लिए उद्योगमें कष्टोंको न मापकर उन वस्तुओंको मापनेकी चेष्टा कीजाये जो उगी उत्पादन साधनसे बनसकती थी, पर बनायी नहीं गयी। इस मतका आधार यह है कि एतन्ही उत्पादन-साधनसे कई वस्तुएं बनसकती थी। इसप्रकार किसी सेवा अथवा साधनको उत्पादनके लिए उपयोगमें लाकर बहुतसी वस्तुओंका वनिदान करना पडता है। जब हम एक सेवाको किसी उपयोगमें लातेहैं तो उसका अर्थ यही हुआ कि अन्य उपयोगमें लानेका अवसर जाता रहा। इसप्रकार कोई वस्तु बनाकर जिन वस्तुओंके निर्माणका त्याग कियागया, इन्ही अन्य वस्तुओंका मूल्य उस वस्तुका उत्पादन-व्यय हुआ। उत्पादन-व्ययके मापनेका यह सिद्धान्त अक्सर अथवा वैकल्पिक व्यय कहलाता है। यद्यपि वैकल्पिक व्ययका सिद्धान्त आज प्रायः सभी लोग मानतेहैं परन्तु यह निश्चित करना कठिनसा है कि एक उत्पादन के साधन या उत्पादनके साधनोके सहयोगसे दूसरी कितनी वस्तुएं बनसकती है। फिर इन विभिन्न वस्तुओंके मूल्यको द्रव्यमें परिवर्तित करनेपर मौद्रिक व्ययही वास्तविक वस्तु रहजायेगी, वैकल्पिक वस्तुएं और अक्सर केवल निरर्थक कल्पना मात्र होंगे। इसप्रकार मार्शलके वास्तविक व्यय और आधुनिक वैकल्पिक व्ययमें कोई अन्तर नहीं रह जायेगा।

उत्पादन-व्ययके सम्बन्धमें सामाजिक व्ययका विवेचन करदेना भी आवश्यक है। बहुतसे ऐसे व्यय है जो किसी विशेष उत्पादन संस्थाको नहीं करने पडते। वरन् इनका भार सम्पूर्ण समाजको सहना पडता है। उदाहरणके लिए यदि कोई संस्था कुछ श्रमजीवियोंको हटादे तो उनके जीवन-निर्वाहका व्यय किसी उद्योग संस्थाको भले ही न देनापडे, पर समाजको अवश्य देनापडता है। इसीप्रकार उद्योगोंमें दुर्घटना बढजाने से, गन्दगी और धुएसे, नकली चीजोंके बनानेसे और अत्यधिक विज्ञापन बाजीसे जो हानिया होतीहैं, होसकताहै कि वे किसी उद्योग विशेषको न सहनीपडें

पर समाज इनसे नहीं बचसकता। यह सामाजिक व्यय है। --

व्ययका विश्लेषण करतेहुए अर्थशास्त्रियोंने कई प्रकारके व्यय माने हैं। प्रत्येक वस्तुके बनानेमें जितना व्यय हुआ, उसकी जितनी वस्तुएँ बनीहैं उनसे गुणा करेंतो गुणनफल कुल व्यय होगा। दूसरी रीतिसे यही बात इसप्रकार कही जासकती है कि प्रत्येक उत्पादनके साधन और सेवाका उपयोग करनेमें जितना व्यय हुआ है, उसे यदि प्रयुक्त साधनों और सेवाओंकी कुल सख्यासे गुणा करदे तो गुणनफल कुल व्यय होगा। कुल व्यय उत्पत्तिके अनुसार घटता बढ़ता रहेगा परन्तु उत्पत्तिके शून्य होनेपर भी कुल व्यय शून्य न होगा।

उत्पत्तिकी सख्यासे यदि कुल व्ययको भाग दियाजाये तो भागफल औसत व्यय होगा। औसत-व्ययभी उत्पत्तिके अनुसार घटता बढ़ता रहता है।

कुल उत्पत्तिमें यदि वृद्धि करें तो उस वृद्धिके अनुसार कुल व्ययमें वृद्धि होती है। व्यय-वृद्धिको यदि उत्पत्ति-वृद्धिसे भागदे तो भागफल सीमान्त व्यय होगा। मानलीजिए उत्पत्ति पच्चीससे तीस इकाई होगयी और कुल व्यय पचाससे पचपन रूपया होगया तो $\frac{5}{5} = 1$ र० सीमान्त व्यय होगा।

ऐसे व्यय जो उत्पत्तिके साथ नहीं घटते बढ़ते, स्थायी व्यय कहलाते हैं। मशीनो और इमारतोंकी देखरेख, मैनैजरो और कुछ अन्य श्रमजीवियोंपर व्यय उत्पत्तिका परिमाण घटानेसे परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तनशील व्यय वहहै जो उत्पत्तिके परिमाणके साथ घटता बढ़ता रहता है। अविभाज्य व्यय कुछ ऐसे व्ययहै जो यदि सस्था बन्दही करदेने का निश्चय न कर लियाजाये, तो सस्थाको हर दशामें करने पडेंगे। अविभाज्य व्ययको छोडकर अन्य व्यय पूरक व्यय कहलाते हैं।

हमने सीमान्त व्ययकी परिभाषा करतेहुए कहाहै कि यह व्यय उत्पत्तिमें वृद्धि करनेका व्यय है। इसकारण केवल परिवर्तनशील व्ययसे सम्बन्धित है। स्थायी और परिवर्तनशील व्ययका विभेद केवल अल्पकालकी दृष्टिमें कियाजाता है। दीर्घकाल में उत्पत्ति बढ़ाने या घटानेमें स्थायी व्ययमें भी अन्तर आयेगाही।

उद्योग धन्धों का अभिनवीकरण

अभिनवीकरण का अभिप्राय

अखिल विश्व आर्थिक सम्मेलन १९२७ म उद्योग धन्धोंके अभिनवीकरण की परिभाषा इसप्रकार कीगयी थी :

‘यह वह साधनहै जिसके द्वारा उद्योग धन्धोंकी उत्पादन विधि और सगठनमें श्रम तथा सामग्रीका न्यूनतम अपव्यय होता है। इसमें श्रमका वैज्ञानिक सगठन, उत्पादन-सामग्री तथा उत्पन्न वस्तुओंका माननयन, उत्पादन की क्रियाओंका सरल बनाना और यातायात तथा विश्व प्रणालीको उन्नत करना इत्यादि सम्मिलित है।’

वर्तमान शताब्दीमें औद्योगिक सगठनको निर्धारित करनेवाली शक्तियोंमें महान् परिवर्तन हुए हैं। इनमेंसे मुख्य बाजारोका विस्तार, उद्योग धन्धोंमें विज्ञानका प्रयोग, श्रमजीवियोंकी शक्तिका वर्धन, प्रवन्धको तथा स्वामियोंका पार्थक्य और यदभाव्य नीतिका पतनोन्मुख होना है। अभिनवीकरणका अभिप्राय इन परिवर्तनोंसे समझ बूझकर कियेगये नियन्त्रण द्वारा समन्वय प्राप्त करना है। अभिनवीकरणके दो पक्ष हैं। एकतो स्वतन्त्र तथा परस्पर प्रतिस्पर्धी उद्यमोंको एक दूसरेसे सम्बन्धित करके उनमें आवश्यक एकता स्थापित करना और दूसरे प्रत्येक उद्यमकी उत्पत्ति, अर्थवहन, कर्मचारी मडल और वितरण इत्यादिको कुशलतापूर्वक सगठित करना।

अभिनवीकरण के मुख्य अंग

निर्धारित कार्यक्रम, पुर्नव्यवस्था तथा विकास, ये तीन अभिनवीकरणके प्रधान अंग हैं। कार्यक्रम को निर्धारित करनेमें प्रथम स्थान वर्तमान तथा भावी बाजारो की जाच को दियाजाता है और उपभोक्ताओंके स्वभाव, रुचि इत्यादि पर निर्भर माग

की लोचका ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्योंकि इसीके आधारपर वस्तुका मूल्य न्यून-अधिक किया जाता है। बाजारोकी जाचसे किसप्रकार की वस्तुको किस मात्रामें उत्पन्न करना चाहिए, उत्पादनविधि मे कौन कौनसे परिवर्तनोंकी आवश्यकता है, भिन्न भिन्न कौशलवाले श्रमजीवियोंकी कितनी सख्यामें नियुक्ति कीजाये, कितने कच्चे माल तथा पूजीकी आवश्यकता होगी, आदि उत्पादनसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओंका निर्णय करनेमें सहायता मिलती है। आय-व्यय-लेखे (बजट) द्वारा नियन्त्रण पद्धतिसे यह निर्णय अत्यन्त सरल होजाता है; क्योंकि व्यक्तिगत नियन्त्रण के स्थानपर अब आकडो द्वारा नियन्त्रण होताहै। इस नियन्त्रण पद्धतिके कई लाभ है:

(१) अत्यधिक उत्पत्तिके करनेकी सम्भावना कम रहती है। क्योंकि उत्पत्तिका प्रत्याशित विक्रीसे समन्वय किया जासकता है।

(२) उत्पादनके प्रत्येक विभागके उत्पादन-व्यय, कार्यक्रमका अनुमानित तथा वास्तविक खर्चों और कार्योंकी तुलना द्वारा नियन्त्रण किया जासकता है।

(३) इसके द्वारा विकेंद्रीकरणमें सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक विभागकी आर्थिक क्षेत्रमें स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करनेकी अवधि निश्चितकर दीजाती है।

(४) इसके द्वारा विभिन्न भागोंमें पारस्परिक सहयोग स्थापित किया जासकता है।

विक्री की मात्राका भलीप्रकार अनुमान करलेनेसे उत्पादनके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उमसे वस्तु निर्माण करनेके लिए उचित सस्थाकी स्थापना और उसके लिए आवश्यक श्रम, अर्थ, निरीक्षण, नियन्त्रण इत्यादि का अनुमान करना कठिन नहीं होता। यहतो निश्चितही है कि अधिक मात्रामें उत्पन्न करनेसे उत्पादन व्ययमें कमी की जासकती है परन्तु यह कमी केवल वर्तमान मस्थाओंके एकीकरण से नहीं बरन् उत्पत्तिका कुशलतम सस्थाओंमें समाहार करनेसे प्राप्त होसकती है। अभिनवीकरण द्वारा इस समाहार को प्राप्त करनेकी चेष्टा कीजाती है। इसकारण वर्तमान मस्थाओंके पुनः संगठनके लिए निम्नलिखित सुधारोकी आवश्यकता होती है :

(१) प्रकुशल मस्थाओंको बन्दकरके उत्पादन कार्यको कुशलतम मस्थाओं द्वारा चरवाना; क्योंकि इनप्रकार उन मस्थाओंकी पूर्ण उत्पादन शक्तिका प्रयोग होसकेगा।

(२) उत्पादन-व्यय को कम करनेके लिए नवीनतम यन्त्रो अथवा उपकरणोंका प्रयोग करना।

(३) वैज्ञानिक अनुसन्धान विभागोंका स्थापित करना।

(४) वस्तुओंके अतिरिक्त माननयन द्वारा उत्पादन व्यय कम करना।

(५) नियन्त्रण यन्त्रियं परिवर्तन करके उपयुक्त नियन्त्रणों का चुनाव करना। अभिनवीकरण नवयुवकों द्वाराही गुणात्मक में किया जानकता है। वृद्धावस्थामें नये औद्योगिक यानावरणका भलीप्रकार में अध्ययन करनेका उत्पादक नहीं रहता परन्तु अतिमात्रा में होनेके कारण वृद्ध प्रबन्धक लोग नवयुवकों को उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानोंपर नियुक्त नहीं करने, अभिनवीकरणकी दृष्टिमें यह उचित नहीं। तीस से चालीस वर्ष की आयुके लोगोंको यानी योग्यता दिलानेके लिए अधिक प्रवसर मिलाने चाहिए।

अभिनवीकरण के लाभ तथा हानिया

भय प्रकट कियाजाता है कि अभिनवीकरणके कारण एकाधिकारोंका सृजन होगा और एकाधिकारी मनमाने मूल्य लेकर उपभोक्ताओं का अहित करेंगे। परन्तु अभिनवीकरणका उद्देश्य तो कुशलपूर्वक उत्पादन द्वारा मूल्योंका कम करनाहै न कि अधिक। आर्थिक अभिनवीकरणके कारण कई लोगोंकी हानि अवश्य होती है। यदि एक उद्योग धन्धे द्वारा उत्पन्न वस्तुएँ किसी दूसरे अभिनवीकृत उद्योग धन्धेमें कच्चे मालके रूपमें प्रयुक्त होतीहैं तो दूसरे उद्योग धन्धे वालोंको पहिले उद्योग धन्धे वातों की वस्तुएँ खरीदनेका एकाधिकार प्राप्त होजायेगा और वह इस अधिकार का दुर्लभयोग करके पहिले उद्योग धन्धे वालोंकी हानि करसकते हैं।

अभिनवीकरण द्वारा बेकारी फैलनेकी सम्भावना है। अकुशल सस्थाओंके बन्द करदेने से और उत्पत्तिके नियन्त्रण तथा यन्त्रोंके नवीकरणसे कुछ लोगोंका अनावश्यक होजाना अनिवार्य है। अभिनवीकरण द्वारा अन्ततोगत्वा उत्पादन-व्यय और फलस्वरूप मूल्यमें कमी होनेसे मागमें वृद्धि होगी और इसकारण उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ानेके लिए अधिक लोगोंको नियुक्त करनेकी आवश्यकता होगी। परन्तु आरम्भमें तो कुछ लोगोंको बेकारीकी पीड़ा सहन करनी ही पड़ेगी। इस समस्याको सुलझानेके

लिए बेकारीकी वृत्ति देनी होगी या श्रमके समयको कमकरके लोगोको बेकारीसे वचाना होगा। इसीप्रकार पूजीपतियो को भी आरम्भमे हानि होगी।

एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ मिस्टर वात्री ने अभिनवीकरणके लाभ और हानियां इसप्रकार एकत्रित की है। पुनरुचितके दोषकी चिन्ता न करतेहुए उनका उल्लेख किया जा रहा है :

लाभ :

- (१) उत्पत्तिका कुशलतम सस्थाओमें समाहार।
- (२) वस्तुनिर्माण का विकेन्द्रीकरण।
- (३) वस्तुनिर्माण का माननयन।
- (४) यन्त्रोका नवीकरण।
- (५) शक्तिका मितव्यय।
- (६) प्रबन्ध विषयक व्ययकी कमी।
- (७) अत्यधिक मात्रामें उत्पत्तिका अभाव।
- (८) विक्रीका समाहार।
- (९) निरर्थक भाडा इत्यादिकी वचत।
- (१०) पूजी-उपलब्धिका मीकर्य।
- (११) अधिक अनुसन्धान।
- (१२) अधिक मात्रामें वस्तुका क्रय।
- (१३) पूर्ति और मागका समन्वय इत्यादि।

हानिया :

- (१) अकुशल संस्थाओका अधिक मूल्यपर क्रय।
- (२) अनिश्चित उत्पादन शक्तिका नाश।
- (३) अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेके कारण भूलने होनेवाली हानि।
- (४) आरम्भिक व्ययकी अधिकता।
- (५) संगठनकी कठिन समस्याए।
- (६) योग्य प्रबन्धका अभाव।
- (७) सरकारी हस्तक्षेपकी सम्भावना।
- (८) बेकारीमें वृद्धि।

- (६) पूर्णोत्पाद प्रभृत् ।
- (१०) अर्थशास्त्रकी इत-कण्ट ।
- (११) एकाधिकारकी स्थापना ।
- (१२) शान्ति-प्रभिनती-कर्म-हे-दोष ।
- (१३) अन्वयितनन नियन्त्रण इत्यादि ।

वैज्ञानिक प्रबन्ध का अर्थ तथा उद्देश्य

उत्तरीय शताब्दीमें व्यवस्थापक उत्पादन-व्ययमें कमी करनेकी इच्छासे उद्योग-पालाश्रीणि इमारतो, गन्धो इत्यादिपर होनेवाले व्ययकी ओरही केवल ध्यान देते थे। परन्तु वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें ही श्रमजीवीके कौशलमें वृद्धि करके उत्पादन-व्यय कम करनेकी चेष्टा कीजाने लगी। श्रमजीवीकी उत्पादनशक्ति में वृद्धिकरके उत्पादन-व्यय को कम करनेवाली पद्धतिको वैज्ञानिक प्रबन्धका नाम दियाजाता है। टेलरके मतानुसार श्रमजीवीकी क्षमता बढ़ानेके लिए निम्नलिखित प्रयत्नोका कियाजाना आवश्यक है :

- (१) प्रत्येक कार्यको करनेके लिए वैज्ञानिक ढंगोका निकालना।
- (२) प्रत्येक श्रमजीवीकी योग्यताके अनुसार उसे उपयुक्त कार्यमें लगाना।
- (३) श्रमजीवियोंका उत्पादन-कार्य में पूर्ण सहयोग प्राप्त करना।

वैज्ञानिक प्रबन्धका सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यक्रम को पहिले से ही निर्धारित करदेना है। इस कार्यको चलानेके लिए एक पृथक विभाग स्थापित करनेकी आवश्यकता है। प्रतिदिन श्रमजीवीको उसके द्वारा किये जानेवाले काम तथा उस कामको करनेके लिए उपयुक्त विधि तथा लगनेवाले समयका काम आरम्भ होनेसे पहिलेही पता लगजाना चाहिए। कार्यक्षमतामें वृद्धिकी दृष्टिसे सर्वप्रथम श्रमजीवीके स्वास्थ्यकी ओर ध्यान देना चाहिए। थकावटके कारण मालूम करके उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करना आवश्यक है। थकावट अधिक श्रम करनेके कारण कार्यक्षमता में अवनतिके रूपमें प्रकट होती है। इसके कारण उत्पत्तिकी मात्रामें न्यूनताही नहीं आती बल्कि दुर्घटनाओ के होनेकी सम्भावनाभी बढ़जाती है। थकावट अधिक समयतक अविरत श्रमके कारण तथा विश्रामके अभावके कारण होती है। इसके

अतिरिक्त श्रमजीवीकी शारीरिक अवस्था तथा उसके खानपान से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए श्रमजीवीके विश्रामके लिए समय समय पर प्रबन्ध करदेना चाहिए। उद्योगशालामें वातावरणको आरोग्यविज्ञान के नियमोंके अनुसार शुद्ध एवं पवित्र बनानेका प्रयत्न करना चाहिए ताकि श्रमजीवी स्वस्थ रहें और उनके शारीरिक बलमें वृद्धि हो। कार्यकी नीरसताको भी दूर करनेकी आवश्यकता है। समय समय पर श्रमजीवीके कार्यमें परिवर्तन करदेना चाहिए। कार्य करनेके समयमें कमी करदेनी चाहिए। किसीभी कार्यको करनेके लिए श्रमजीवीका चुनाव उसके शारीरिक तथा मानसिक बलके आधारपर करना चाहिए। कुछ लोगोको एकरूपता और पुनरावृत्ति प्रिय होतीहै और कुछको नहीं। इसकारण कुछतो नीरसतासे पीडित होते हैं और कुछ उसीमें आनन्दका आस्वादन करते हैं।

उद्योगशालाके वातावरणके माननयनके पश्चात् वस्तु-निर्माण विधिका माननयन आवश्यक है। वस्तुका माननयनभी अधिक मात्रामें कम उत्पादन-व्ययसे उत्पत्ति करनेके लिए आवश्यक सा ही समझा जाताहै परन्तु यह कार्य वैज्ञानिक प्रबन्धसे सम्बन्धित नहीं। वैज्ञानिक प्रबन्धका क्षेत्र वस्तु-निर्माण-विधिके माननयन तकही सीमित समझा जाता है। वस्तु-निर्माण-विधिके माननयनमें उस विधि में प्रयोग किये जानेवाले यन्त्रों, उपकरणों इत्यादिका माननयनभी सम्मिलित है। माननयन गत्याध्ययन तथा समयध्ययन द्वारा किया जाता है। गत्याध्ययनमें श्रमजीवीकी गतियोंको सरल बनानेका प्रयत्न कियाजाता है। उसके उठने बैठनेके ढंग में परिवर्तन कियेजाते हैं। सामग्री रखनेके स्थानोंको ऊचा नीचा कियाजाता है। इस सम्बन्धमें टेलरका फावड़ोपर और गिल्बर्थका ईटोपर अध्ययन प्रसिद्ध है। टेलर ने फावड़ेकी सहायतासे अधिकतम कौशल द्वारा अधिकतम बोझ उठानेकी मात्रा निश्चितकी थी और फिर भिन्न भिन्न प्रकारकी सामग्री उठानेके लिए फावड़ोके आकारको निर्धारित किया था। उनीप्रकार गिल्बर्थने ईटें लगानेवालो को ईटें पहचाने, उनके रगाने तथा लगानेकी विधिमें परिवर्तन प्रस्तुत किये थे। पणिगाम यह हुआ कि टेलरके परिवर्तनोंके कारण प्रत्येक श्रमजीवीकी बोझ उठानेकी दैनिक क्षमितामें ४३ टनकी वृद्धि हुई अर्थात् वह अब १६ टनके मानपर ५९ टन बोझ दिन भरमें उठाने लगा। उनीप्रकार गिल्बर्थके परिवर्तनोंके अनन्तर प्रत्येक कार्यकर्ता ६५.० ईटें प्रतिघंटा लगाने लगा जबकि वह पहिले केवल १२.० ईटें प्रतिघंटा लगा

पाता था। कहा जाता है कि गिन्नाथने एक लडकी को गोल डिब्बोपर कामज बिठाता देगा। वह भी प्रथम कार्य करनेवाली लडकी बतायी जानी थी और ४० रीतिष्ठोंमें २४ डिब्बे तैयार करनेकी थी। गिन्नाथ ने उन लडकीके सामग्री रखनेके स्थान और लडकीकी जायेंशस्तीमें कुछ परिवर्तन सूचित करने का साहम किया और इन परिवर्तनोंके कारण वही लडकी २० रीतिष्ठोंमें २४ डिब्बे पहिनेके समान श्रमसे ही तैयार करनेमें सफल हुई।

उत्पत्ता रत्वाध्ययन करके किसी कार्यको करनेके लिए एक प्रामाणिक विधि निश्चित करनी जाती है और तदनन्तर इस विधिके प्रत्येक अंगको कमसे कम समय में पूरा करनेके लिए समयता अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक कार्यको कमसे कम समयमें करनेके समर्थो को एकत्रित करके कुल कार्य को करनेके लिए कमसे कम समय निकाल लिया जाता है।

कार्य-कौशलमें वृद्धिके लिए श्रमजीवीको मजूरी देनेके ढंगोंमें उत्पत्ता के परिवर्तन करना कि श्रमजीवीको तन मनसे कार्य करनेमें तत्पर होनेके लिए प्रोत्साहन मिले, वैज्ञानिक प्रबन्धकी दृष्टिसे आवश्यक समझा जाता है। इन विविध ढंगोंका विवरण मजूरीके अध्यायमें किया जायेगा।

वैज्ञानिक प्रबन्ध के दोष

इसमें सन्देह नहीं कि कार्य करनेकी विधिको उत्तम बनानेके कार्य करना सुगम हो जाता है और उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि की जासकती है। परन्तु समयाध्ययन और गत्याध्ययन द्वारा श्रमजीवीको यन्त्रके रूपमें ही परिणत कर दिया जाता है। इसकारण वस्तुनिर्माण में उसके व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यको पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है। हम देख चुके हैं कि उत्पादन-विधिके माननयनके लिए वस्तुका माननयन भी आवश्यक है। बहुतसे लोगोका विचार है कि यद्यपि इस माननयन द्वारा वस्तुकी उत्पत्तिकी मात्रा में वृद्धि की जासकती है परन्तु उसके गुणोंमें अवनति हो जाती है। वैज्ञानिक प्रबन्ध के प्रतिपादकोकी धारणा है कि इन आलोचनाओंमें कुछ सत्य भलेही हो परन्तु व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यका नाश किये बिना भी वैज्ञानिक प्रबन्ध सम्भव है और यह अवश्य करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा श्रम और शक्तिके व्ययमें बचत और श्रम-

जीवीके कौशल एव उपाजन शक्तिमें वृद्धि होमकती है। इसीप्रकार बहुतसे लोगों के मतानुसार वस्तुकी मात्रामें माननयन द्वारा वृद्धिकरके भी उसके गुणोमें वृद्धि करना सम्भव है। कार्यकौशलमें अत्यधिक वृद्धि होनेसे बेकारी फैल सकती है। इस प्रकार श्रमजीवी वैज्ञानिक प्रबन्धको शकाकी दृष्टिसे देखते हैं। परन्तु उत्पादन व्ययमें कमी होनेसे वस्तुके मूल्यमें कमी होजाती और फलस्वरूप कालान्तरमें मात्रामें वृद्धि होनेसे बेकारी फैलनेकी सम्भावना नही रहती।

वैज्ञानिक प्रबन्धके कारण श्रमके विशिष्टीकरणसे श्रमजीवियोंकी पराधीनता औरभी अधिक होजातीहै और इसकारण उत्पादक उत्पत्तिका अधिकतर भाग स्वलाभके रूपमें ले सकते हैं। इसके विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबन्धकोका कहनाहै कि मजूरीमें अन्याययुक्त कमी न होनेदेना उनके कार्यक्रमका एक अंग है। इसके अतिरिक्त सामूहिक सौदा करनेकी शक्तिका श्रमिक सघोके सगठनो द्वारा पैदा करना वैज्ञानिक प्रबन्धके प्रतिकूल नही। वैज्ञानिक प्रबन्धके केवल श्रमजीवियों और व्यवस्थापकों के मध्य सामजस्य स्थापित करनेके इच्छुक हैं।

श्रमजीवीको एक नही वृद्धतसे निरीक्षकोके आधीन होकर कार्य करना पडता है वैज्ञानिक प्रबन्धके अनुसार निरीक्षकमें किसी विशेष योग्यताका होना आवश्यक है इसकारण श्रमजीवी प्रत्येक निरीक्षकको शिक्षक समझकर उससे अपने कार्यके विविध अंगोके सम्बन्धमें शिक्षा प्राप्त करसकता है। वैज्ञानिक प्रबन्धका उद्देश्य उत्तम वस्तु उत्तम विधिसे अधिकतम मात्रामें पैदा करना है और अकुशलता का राष्ट्रीय अपराध समझ लेनेपर वैज्ञानिक प्रबन्धको प्रचलित करना ही प्रत्येक उत्पादकका परम कर्तव्य है।

आर्थिक पद्धतियां

पूजीवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद

पूजीवाद का अर्थ

पूजीवादका उद्भव सामन्तवादके विरुद्ध प्रतिप्रियाके रूपमें हुआ था। पाचवीं शताब्दी ईसवी में रोमका साम्राज्य भ्रष्ट होनेके कारण योरोपकी व्यापारिक तथा राजनैतिक एरुता भंग होचुकी थी। केन्द्रीय शासनका अभाव था और समाजका संगठन सामन्तिक ढंगमें होचुका था। प्रत्येक व्यक्तिका समाजमें स्थान निश्चित था। शिक्षार्थीके द्वारा शिक्षककी, कमियेके द्वारा ग्रामाधीश की, ग्रामाधीशके द्वारा प्रान्ताधीश की और प्रान्ताधीशके द्वारा राजाकी कीजानेवाली सेवाओं और उन्नके स्थानपर मिलनेवाले पुरस्कार उनमेंसे प्रत्येकको भलीप्रकार से विदित होतेथे और उनमें परिवर्तन अमम्भव था। उत्पादन प्रायः तात्कालिक उपभोग अथवा वस्तु विनिमयके लिएही कियाजाता था। वस्तुका निर्माण और व्यापार प्रायः शिल्प सस्थाके हाथमें था, जिनके स्वामियोंको श्रम-पूर्ति, कच्चे मालका प्रयोग और वस्तुओं के मूत्य निश्चित करनेके पूर्णाधिकार प्राप्त थे। यातायातका सुप्रबन्ध न होनेके कारण तथा चोर डाकुओंके भयसे व्यापार अधिकन होपाता था। तेरहवीं शताब्दी ईसवी के लगभग व्यापारके पुनरुज्जीवन से सामन्तवादको भारी धक्का लगा। व्यापार का पुनरुत्थान होनेके साथ साथ व्यापारियों और अर्थार्थीध्यक्षोंका प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने सामन्त कुलीन तन्त्र और सामन्त प्रणाली द्वारा वस्तु निर्माण तथा वस्तु-व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धोंका विरोध करनेके लिए एक नये वाद की नींव डाली और इस वादको उदारवादके नामसे पुकारा गया। इस वादके अनुसार समाजका कल्याण व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामें ही निहित है। आर्थिक क्षेत्रमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अर्थ जन-समुदायकी उत्पादन सम्बन्धी तथा व्यापारिक योजनाओंमें सरकारी हस्तक्षेपका अभाव था। क्योंकि आर्थिक सिद्धान्तोंके पूर्ण

रूपेण कार्यान्वित होनेपर अधिकतम उत्पत्ति और न्याययुक्त वितरणका होना प्राकृतिक समझा जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्योग स्वातन्त्र्यके प्राप्त होनेपर प्रत्येक व्यक्तिको अपने भौतिक कल्याणके लिए अधिकतम प्रयत्न करनेका प्रोत्साहन मिलेगा और पूर्ण प्रतिस्पर्धसे माग और पूर्तिकी शक्तियों द्वारा उत्पत्ति और मूल्य निश्चित होंगे। आधुनिक पूजीवाद उदारवादके इन्ही सिद्धान्तों पर अवलम्बित है। पूजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है जिसके अनुसार उद्योगी पूर्ण प्रतिस्पर्धिकी स्थितिमें अधिकतम लाभ कमानेके लिए बिना रोक टोक अग्रसर हो सकता है।

पूजीवाद के लक्षण

पूजीवादियोंका विश्वास है कि व्यक्तिगत कल्याणमें ही सामाजिक कल्याण निहित है। इनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्तिको प्रकृतिकी ओर से कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिनका प्रयोग करनेके लिए उसका पूर्णतया स्वतन्त्र होना आवश्यक है। इन अधिकारोंमें मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं :

(१) निजी सम्पत्तिपर स्वामित्वाधिकार—निजी सम्पत्ति दो प्रकारकी हो सकती है। एकतो उपभोग्य वस्तुओंकी और दूसरी उत्पादक वस्तुओंकी। उत्पादक वस्तुओंको अर्थशास्त्रीय परिभाषामें उत्पादनके साधनोंके नामसे पुकारा जाता है। इन्ही उत्पादनके साधनोंका स्वामित्व व्यक्तिगत रूपमें लोगोंको प्राप्त होना पूजीवादके अनुसार आवश्यक है। उपभोग्य वस्तुओंमें स्वामित्वाधिकार तो समाजवादके अनुसार भी व्यक्तिगत रूपमें ही जन-समुदायको प्राप्त होंगे परन्तु उत्पादनके साधनों पर प्रभुत्व पूरे समाजका होगा।

(२) उद्योग-स्वातन्त्र्य—उद्योगी लोग अपनी निजी सम्पत्तिकी प्रयोग किसीभी क्षेत्रमें, लाभ कमानेकी इच्छासे करते हैं। इसप्रकार के प्रयोगने हानि होनेकी सम्भावनाका भयभी उन्हेंही उठाना पड़ता है। अपना उत्पादन-कार्य चलानेके लिए उन्हें न्यून अथवा अधिक मानामें उत्पत्ति करनेकी और अपनी वस्तुओंके मूल्य निश्चित करनेकी पूरी स्वतन्त्रता होती है। इसीप्रकार प्रत्येक व्यक्ति दो चाहे वह विद्येताही अथवा ग्राहक, व्यवस्थापक हो अथवा श्रमजीवी अपने आपको किसीभी

प्रकारके समनुवन्नामें बहू करनेके लिए, कोईभी नहीं रोक सकता जबकि वह समनुवन्ना प्रचलित विधानके विपक्ष में हो।

(३) लाभ प्राप्ति का उद्देश्य—केवल निर्वाह मातके लिए पर्याप्त मात्रामें अधिक लाभ प्राप्त करने ही उद्देश्य पूजावादके अनुसार मनुष्यमें स्वाभाविक रूपसे वर्तमान है, सम्पत्ति प्राप्त करने ही उद्देश्य उत्पादकके लिए, श्रेष्ठतम प्रांत्माह्वन है। लाभ प्राप्त करनेके लिए उत्पादक अधिकतम प्रयत्न करेगा और अत्यन्त आवश्यकताके काम केपर अपने उद्यमको सफल बनानेकी चेष्टा करेगा।

(४) पूर्ण प्रतिस्पर्धा द्वारा स्वतन्त्र बाजारमें मूल्य, लाभ और उत्पादन-व्यय स्थिरता प्राप्त करते हैं—व्यवस्थापकोंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्य कम होतेहैं परन्तु उपभोक्ताओंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा द्वारा मूल्य बढ़ते हैं। उर्मीप्रकार श्रमजीवियों में परस्पर प्रतिस्पर्धिके कारण मजूरी घटती है और पूजापतियोंमें परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण मजूरी बढ़ती है। परन्तु स्मरण रहे कि ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त होसकती है जबकि पूर्ण और श्रम गतिशील हो, सब लोगोंमें सौदा करनेकी शक्ति सम हो और एकाधिकार का अभाव हो।

(५) मजूरी भुगतान प्रणाली—पूजापति उद्यम की जोशिम उद्यम है और इस कारण अपने आपको प्राप्त लाभका अधिकारी मानते हैं। वे श्रमको केवल उत्पादन व्ययका एक अंग मानते हैं और इसकारण इस व्ययको न्यूनतम रखनेकी इच्छासे श्रमजीवी को कमसे कम मजूरी देना चाहते हैं। परन्तु श्रमजीवी अपने जीवन-स्तर को उत्कृष्ट करनेके लिए अधिकतम मजूरी लेनेका इच्छुक रहता है। इसकारण श्रमजीवियों और पूजापतियोंमें एक विरोध सा खडा होजाता है।

(६) विनिमय विधि—विनिमयके लिए वस्तुओंके मूल्य द्रव्यके रूपमें परिणत करदिये जाते हैं। धातु मुद्राओंके अतिरिक्त सरकारी अथवा बैंकोंके नोटों और हुडियो इत्यादि का प्रयोग कियाजाता है। बैंक साख-सृजन द्वारा उद्योग धन्धोंका अधिक अर्थवाहन करते हैं।

(७) अभिनवीकरण तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध—पूजापति अपने मुख्य उद्देश्यकी उपलब्धिके लिए उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ाने और उत्पादन-व्यय कम करनेमें निरन्तर तत्पर रहते हैं। वैज्ञानिक प्रबन्धके नियमों द्वारा सस्थाओंका प्रबन्ध, उत्पादन विधिका अभिनवीकरण, कच्चे मालका अधिक मात्रामें और फलतः सस्ते मूल्यपर

क्रय और वस्तु विक्रयके लिए नये नये बाजारोकी खोज इत्यादि उनके उद्देश्योके साक्षात्कारमें सहायता देते हैं।

पूजीवाद का विकास

पूजीवादका भी अन्य वादोकी तरह क्रमशः विकास हुआ है, यह हम देखही चुके हैं कि पूजीवादका श्रीगणेश करनेवाले योरोपके व्यापारी थे। अठारहवीं गताब्दी ईसवीके मध्यसे लेकर बड़ी बड़ी कर्मशालाओकी स्थापना प्रारम्भ हुई। नये नये यन्त्र निकाले गये। बड़े परिमाणमें उत्पत्ति कीजाने लगी। यातायातके साधनोमें आश्चर्यजनक उन्नति हुई। बाजारोके प्रसारमें इतनी वृद्धि हुई कि वह ससारव्यापी होगये। यह काल औद्योगिक पूजीवादका था। गत महायुद्धके कालसे अभिनवीकरण और वैज्ञानिक प्रवन्धके सिद्धान्तोके प्रयोग द्वारा उत्पत्तिकी मात्रामें गगनचुम्बी वृद्धि हुई परन्तु इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा और बाजारोकी स्वतन्त्रतामें न्यूनता आने लगी। छोटी सस्थाओको मिलाकर बृहत् सस्थाओका संगठन होनेलगा और इन सस्थाओका अर्थवाहन करनेवाली सस्थाओको विशेष महत्व प्राप्त होनेलगा। इसकारण इस युगको अर्थवाहन पूजीवादका युग कहने हैं। अब इस युगकी प्रवृत्ति सरकारी पूजीवादकी ओर है। व्यापारिक अपकर्षो की रोकथाम, युद्धकालमें राष्ट्रीय उत्पत्तिका नियन्त्रण श्रमजीवी सघोके बढ़तेहुए प्रभावके कारण सरकार का मूल्य, मजूरी और सामाजिक सुरक्षा इत्यादिके विषयमें उत्तरदायित्व स्वीकार करना, सरकारद्वारा ऐसे उद्योग धन्धोकी स्थापना जिनका निजी उद्यम द्वारा स्थापित होना असम्भव है, उपभोक्ताओके हितका बड़े बड़े एकाधिकारो से संरक्षण इत्यादि इन प्रवृत्तिके मुख्य कारण हैं। सरकारी पूजीवादमें सरकार यातायातके साधनो, वैकां मुख्य मुख्य प्राकृतिक सामग्रियो इत्यादिमें स्वामित्वके अधिकार ग्रहण करलेती हैं। बरतक वस्तुओके उत्पादनमें विशेषकर मादक वस्तुओ और युद्ध सामग्रीमें सरकार को एकाधिकार प्राप्त होजाता है और अन्य उत्पादनके क्षेत्रोंमें सरकार भी अपनी गजब नीति द्वारा हस्तक्षेप करती रहती है। सरकारी पूजीवाद और सरकारी समाजवाद का प्रायः एकही अर्थमें प्रयोग कियाजाता है। कई लेखक सरकारी समाजवादकी यह विशेषता बतलाते हैं कि सरकारी समाजवादमें उद्योग धन्धोका

राष्ट्रीकरणही मुख्य तथा अन्तिम उद्देश्य होताहै और इसी उद्देश्यकी उपलब्धि के लिए आरम्भमें मोलान उद्योग मन्त्रोंमें स्वामित्व तथा नियन्त्रण के अधिकार सरकार ग्रहण करनेती है।

माक्सवाद

माक्सवादका मुख्य उद्देश्य पूजीवादी उत्पादन पद्धतिकी कड़ी आलोचना करना, पूजी-पतियों द्वारा श्रमजीवियोंके शोषण और उन पद्धतिका अन्तर्निहित कारणों द्वारा नाश निवृद्ध करना है। माक्सके अनुसार सम्पत्ति-नृजन पद्धतिमें नये आविष्कारों द्वारा हरगमय परिवर्तन होते रहतेहै और उन परिवर्तनोंके कारण सामाजिक सम्बन्धोंमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। इस उत्पादन कार्यमें भाग लेनेवाले लोग भिन्न भिन्न वर्गोंमें विभाजित होजाते हैं। प्राचीनकालमें स्वामियों तथा सेवकों और आधुनिक कालमें पूजीपतियों और श्रमजीवियोंके पृथक पृथक वर्ग देखनेमें आते हैं। वर्गोंके प्रत्येक सदस्यके हितोंमें एकता इस वर्गीकरणकी जड़ है। प्रत्येक वर्ग उत्पन्न आयका अधिकतम अंश प्राप्त करनेकी चेष्टा करताहै और इसकारणसे ही बलवान तथा दीन वर्गमें सघर्ष होताहै जिसमें दीन वर्ग बलवान वर्गकी शक्ति और सम्पत्ति को नष्ट करनेकी ताकमें रहता है। समाजका इतिहास इसप्रकार के सघर्षोंसे परिपूर्ण है। पूजीवादके प्रभुत्वकालमें उत्पादनके साधनोंका स्वामित्व तो थोड़ेसे पूजी पतियोंको प्राप्त होताहै और सर्वसाधारण समाजका अधिकांश श्रमजीवियोंके रूप में अपना श्रम बेचकर जीविका पाता रहता है। श्रमजीवी वर्गका पूजीपतियों द्वारा शोषण सिद्ध करनेके लिए माक्सने अतिरिक्त मूल्यके सिद्धान्तकी रचना की। मूल्यके श्रम-सिद्धान्तके अनुसार किसी वस्तुका मूल्य उसे उत्पन्न करनेके लिए आवश्यक श्रम से निर्धारित होता है। पूजीपति श्रमजीवियोंको केवल निर्वाह-मात्रके लिए मजूरी देकर उनसे इतना श्रम करवातेहै कि उसके द्वारा उत्पन्न वस्तुओंका बाजार मूल्य उनकी मजूरीसे अधिक होता है। इन अतिरिक्त मूल्यको पूजीपति हड़प करलेते हैं। परन्तु इसप्रकार अनुचित आय का वे लोग प्रायः उपभोग नहीं करपाते हैं। श्रम जीवियोंके हाथमें क्रय-शक्तिकी न्यूनताके कारण अत्यधिक उत्पत्तिका सकट विद्यमान होनेलगता है। आरम्भमें तो नये बाजारोंकी उत्पत्ति, भोगविलासकी वस्तुओंका

उत्पादन और उधारपर वस्तुओंकी विक्री इत्यादि ढंगोंसे इस सकटको स्थगित करने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु अन्तमें श्रमजीवियोंके स्थानपर यन्त्रोंके प्रयोग, एकाधिकारोंकी स्थापना और विदेशी बाजारोंकी खोजके कारण न केवल पूँजीपति शक्तियोंमें युद्ध छिड़ जाता है वरन् मुट्ठीभर पूँजीपतियों और अगणित श्रमजीवियों में संघर्ष उत्पन्न होजाता है। मार्क्सका विश्वासथा कि इस संघर्षमें अन्ततोगत्वा विजय श्रमजीवियोंको ही प्राप्त होती है। पूँजीपतियोंकी पराजय होनेपर उत्पादन के साधनोंका स्वामित्व समाजको प्राप्त होजाता है और उत्पादन, लाभ प्राप्तिके लिए नहीं परन्तु लोकहितके लिए किया जाता है।

मार्क्सवाद की शाखाएं

मार्क्सवाद जिसे वैज्ञानिक समाजवादका भी नाम दिया जाता है, कई शाखाओंमें विभाजित है। उनमें से दो मुख्य शाखाएं विकासवादी समाजवाद और क्रान्तिकारी समाजवादके नामोंसे प्रसिद्ध हैं।

समाजवाद

विकासवादी समाजवादी वर्गोंमें संघर्षके अस्तित्वको तो स्वीकार करते हैं परन्तु इसे विशेष महत्व प्रदान नहीं करते। मार्क्सवादियोंके समान ये लोगभी श्रमको ही मूल्य-सृजनका चरम कारण स्वीकार करते हैं और भूमि-कर व्याज और लाभमें सृष्ट मूल्यका विभाजन न्याययुक्त नहीं मानते। लाभप्राप्तिके उद्देश्यसे उत्पादन इन लोगों की दृष्टिमें सर्वथा त्याज्य है क्योंकि उत्पादक लोग प्रायः थोड़ी मात्रामें उत्पत्ति करके अधिक मूल्यपर बेचते हैं नकि अधिक मात्रामें उत्पत्ति करके कम मूल्य पर। इसका समर्थन समाजवादी पर्याप्त भूमि, श्रम इत्यादिके होते हुए भी उपभोग के लिए पर्याप्त मात्राकी उपलब्धि और मूल्य उच्च रखनेके लिए वस्तुओंको जान-बूझकर किये गये नाशके उदाहरणों द्वारा करते हैं। उनके मतानुसार तो उत्पादन विधिके उन्नत करनेवाले ऐसे आविष्कार जिनके कारण लाभकी मात्रामें कमी होने की सम्भावनाएँ प्रचलित होनेसे पहिले ही रोक्निये जाते हैं। समाजवादी प्रतिस्पर्धा

गोभी विद्याग नहीं रखते। उनका विचार है कि प्रतिस्पर्धाके कारण उत्पादन तथा वितरणमें भारी प्रपञ्च होना है जिसके कारण प्रतिस्पर्धा केवल अनावश्यकही नहीं किन्तु रणपटतया हानिकारक है। इसके अनिश्चित एकाधिकारिक प्रभुत्वने प्रतिस्पर्धा के रद्देमते कार्यको तो नैमभी नष्ट भष्ट कर दिया है। वाजारपर एकाधिकारियोंका पूर्णरूपसे नियन्त्रण होनेसे मन्थोका पूर्ति और माग द्वारा निर्धारित होना अब स्वप्न साही प्रतीत होता है। उद्योग धन्धोके सामाजिक स्थायी अब उद्योगपति नहीं किन्तु अर्थ बहन करनेवाली बड़ी बड़ी मन्थाएँ हैं और मन्त्र उद्यम केवल घोषवाक्य मात्र रह गया है। इसकारण धर्मः धर्मः उत्पादन कार्य करनेकारको अपने हाथमें ले लेना चाहिए। राष्ट्रीय उत्पादन सामग्री और मुख्य मुख्य उद्योग धन्धो का स्वामित्व प्राप्त कर लेना चाहिए। विशेष कर यातायातके साधनो, वृद्ध-नामगो, बैंको, प्राकृतिक सामग्री तथा उत्पादक वस्तुओंका संचालन अथवा उत्पादन-कार्य सन्हालना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। छोटे परिमाण में उत्पत्ति तथा कृषि उत्पादिका प्रबन्ध भी सहयोग समितियों द्वारा होना आवश्यक समझा जाता है। इन लोगोका विश्वास स्वामित्व और संचालन कार्यके सर्वथा केन्द्रीकरणमें नहीं परन्तु उसके स्थानीय, प्रांतीय और केन्द्रीय सार्वजनिक सस्थाओं में विभाजित करनेमें है। इन सबके कार्यको परस्पर सम्बन्धित करनेके लिए राष्ट्रीय योजना समितिकी स्थापना आवश्यक है। यह समिति उपभोक्ताओं तथा उत्पादकोकी आवश्यकताओंका अनुमान करके विभिन्न प्रकारकी वस्तुओंका विभिन्न मात्रामें उत्पन्न करनेका निश्चय करेगी। उत्पादक सस्थाओंके पारस्परिक सहयोग तथा न्याययुक्त वितरण द्वारा समाजवादी व्यापारिक अपकर्षों तथा उत्कर्षोंका अन्त करके उनके कारण होनेवाले सकटोसे समाजकी रक्षा करनेकी आशा बाधते हैं। उत्पत्तिकी वृद्धि करना समाजवादियोंको पूजीवादियोंसे भी अधिक प्रिय है।

साम्यवाद

क्रान्तिकारी जिन्हे प्रायः साम्यवादी भी कहते हैं और विकासवादी समाजवादियोंके आर्थिक सिद्धान्तोंमें तो विशेष अन्तर भी नहीं परन्तु साम्यवादी अनुक्रमिक समाज सुधारमें विश्वास नहीं रखते। वे हिसक क्रान्ति द्वारा पूजीपतियोंसे शक्ति तथा

सम्पत्ति छीन लेनेके पक्षपाती है। साम्यवादी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्व देना इतना आवश्यक नहीं समझते जितना कि समाजवादी। राजनैतिक दृष्टिसे समाजवादी लोकतन्त्रवादके और साम्यवादी अधिनायकवादके समर्थक हैं।

आर्थिक उन्नति और पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम

आर्थिक उन्नतिको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमके अनुसार प्राप्त करनेकी चेष्टा करनेवाली आर्थिक पद्धतिको प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रौविन्सने अपनी पुस्तक 'बड़ा अपकर्ष' में समाजवादका ही रूपान्तर माना है। हम देखचुके हैं कि समाजवादी इस पद्धतिके प्रतिपक्षी है परन्तु दोनोको एक मानना बड़ी भूल है। समाजके आर्थिक जीवनके नियन्त्रणमें विश्वास पुरातनकालसे चलाआता है। पुराने नीतिशास्त्रोंमें तत्कालीन समाजके आर्थिक जीवनका जो विवरण मिलताहै, उसके आधारपर यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उस समयभी जीवन नियमबद्ध था। इसीप्रकार समय समय पर बुद्धिमान लोगोंने वास्तविक समाजोंमें नियन्त्रणके अभावके दोषोंको मुधारनेके लिए नियन्त्रित काल्पनिक समाजोंका निर्माण कियाहै। आधुनिक राष्ट्रों में सरक्षण नीतिके अनुकरणकी प्रथा आर्थिक जीवनका नियन्त्रण नहीं तो और क्या है? अर्वाचीन कालमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा और यदभाव्य नीतिके विरुद्ध प्रतिक्रियाके रूपमें नियन्त्रण नीतिका पुनर्जन्म हुआ है। मनुष्य जीवनको सुखी बनानेके लिए उनके भौतिक आधारोंको विज्ञानकी सहायतासे विस्तृत करना आवश्यक है और उत्पत्तिकी मात्राको अधिकतम करना, आर्थिक पद्धतिको स्थिर बनाना तथा राष्ट्रीय आयके न्याययुक्त वितरण द्वारा आयमें साम्याभावता दूरकरना इस विस्तारको प्राप्त करनेके साधन हैं। परन्तु इन साधनोंका प्रयोग उनी अवस्थामें सम्भवहै जब जन मनुष्योंके आर्थिक जीवनका नियन्त्रण करके निर्धारित कार्यक्रमके अनुसार उसे उन्नत करनेका प्रयत्न किया जाय। इन कार्यक्रमके अनुसार राष्ट्रकी प्रत्येक मनुष्या, उद्यम प्रयत्न उद्योग प्रधियोंके जन मनुष्योंकी मन्दस्त्रकलाओंकी अधिकतम क्षमतिके लाभार्थ उन्नत प्रयत्न द्वारा अधिकतम उत्पादन करनेवाली पूर्ण पद्धति का विकास मनुष्योंकी अग्रगण्य मानाजाता है। उत्पादन और उपभोग का मनुष्यगत स्थापित कियाजाता है। भिन्न भिन्न मनुष्योंके कार्यक्रमोंके परस्पर सम्बन्धित करनेके लिए तथा

प्रावश्यक सन्तुलन रथागित करनेके लिए एक केन्द्रीय मन्थाका होना आवश्यक है। संक्षेपमें कुशल उत्पादन स्थिर आर्थिक जीवन और न्याययुक्त वितरण इस कार्य-क्रमके मुख्य उद्देश्य हैं :

कुशल उत्पादन करनेके लिए उपयुक्त उद्योग धन्धोंका चुनाव, उनका उपयुक्त स्थानीकरण, कच्चे मान, श्रम, पूंजी उत्पादिकी आवश्यक पूर्ति इन साधनोंका कुशलतम मन्थाओंमें विभाजन और फिर इन मन्थाओंका मिनव्ययिता की दृष्टिमें संगठन करना प्रावश्यक होना है। उद्योग धन्धोंके स्थानीकरणके सिद्धान्तोंका तथा अभिनवीकरण और वैज्ञानिक प्रबन्ध द्वारा मन्थाओंके संगठनका विवेचन इस पुस्तकके अन्य अध्यायोंमें मिलता है।

आर्थिक जीवनमें स्थिरता वस्तुओंके मूल्योंमें स्थिरता ग्रानेमें उपलब्ध होसकती है। उसे प्राप्त करनेके साधनोंका विवेचन द्रव्यकी क्रयशक्ति वाले अध्यायमें किया गया है। इस स्थानपर केवल इतना उल्लेख करदेना पर्याप्त है कि वस्तुओंके मूल्यों में उतारचढाव को न्यूनतम करना राष्ट्रीय द्रव्य-नीतिका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और इस कार्यमें तभी सफलता प्राप्त होसकती है जब इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो।

न्याययुक्त वितरण

वितरणके न्याययुक्त होनेसे हमारा अभिप्राय श्रमजीवियों को प्राप्त होनेवाले राष्ट्रीय आयके भागकी मात्रामें वृद्धि करनेसे है। यह वृद्धि एकतो श्रमजीवियों की उत्पादन शक्तिमें उचित शिक्षा द्वारा वृद्धि करके प्राप्त होसकती है। इसके अतिरिक्त नौकरीमें नैरन्तर्य देकर, श्रमजीवीके सामाजिक स्थान, मजूरी तथा गतिशीलता में वृद्धि करके, कार्य करनेके समयको कम करके तथा कार्य-स्थानके वातावरणको उन्नत करके भी यह अवस्था प्राप्तकी जासकती है। नौकरीमें नैरन्तर्य अत्यन्त आवश्यक है। उत्पादन कार्यमें श्रमकी उतनीही आवश्यकतोहै जितनी अन्य साधनोंकी। इसकारण श्रमजीवीको भी समाजमें वही स्थान मिलना चाहिए जो अन्य साधनोंके स्वामियोंको मिलता है। इसके लिए श्रमजीवियों की सौदा करनेकी शक्तिमें श्रमिक सघों की स्थापना द्वारा वृद्धि करना आवश्यक है। इसके

अतिरिक्त उद्योग-धन्धोके संचालन कार्यमें श्रमजीवियों का भी हाथ होना चाहिए। उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होनेके साथ साथ श्रमजीवीकी मजूरीमें वृद्धि होनी चाहिए। यन्त्रोंके अधिकाधिक उपयोगके कारण श्रम करनेके स्थानका वातावरण उन्नत अव्यय हुआ है परन्तु श्रमके कारण होनेवाली थकावटमें वृद्धि हुई है। उत्पादन विधिमें उन्नति होनेके कारण श्रम करनेके घटोको उत्पत्तिकी मात्रामें कमी किये बिनाही कमकिया जा सकता है। श्रमकी गतिशीलता बढ़ानेके उद्देश्यसे न केवल एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेके लिए वरन् एक व्यवसायसे दूसरे व्यवसायकी अपनाने के लिए सुगमता प्राप्त होनी चाहिए।

उत्पादन विधिमें परिवर्तनोंके कारण माग और पूर्तिका पूर्ण समन्वय न होनेसे थोड़ी बहुत बेकारीका किसीभी समाजमें रहना अनिवार्य है। यदि समाज किसी व्यक्तिको श्रम करनेका अवसर देकर आजीविका कमानेके योग्य नहीं बनाता तो समाजका यह प्रथम कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को निर्वाह मात्रके लिए जीवन सामग्री दे। इसके लिए बेकारी बीमा करवाना आवश्यक है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस कार्यक्रमको व्यावहारिक रूपमें परिणत करने और इसकी सफलताके लिए उचित वातावरण उत्पन्न करनेका उत्तरदायित्व किसे सौंपना चाहिए। सरकारको समाजके प्रतिनिधिके रूपमें इस कार्यको अपने हाथमें ले लेना चाहिए। सरकार इस उत्तरदायित्वका विकेन्द्रीकरण स्थानीय और प्रान्तीय सस्थाओंके मृजन द्वारा कर सकती है। केन्द्रीय सस्था योजनाको तैयार करने, इसको कार्य रूपमें परिणत करनेका प्रबन्ध करने, स्थानीय तथा प्रान्तीय सस्थाओंके कार्यमें परस्पर सहयोग स्थापित करने इत्यादिका उत्तरदायित्व ले सकती है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय और स्थानीय सस्थाओंमें श्रमविभाजन समाजवादियोंके मतानुसार किस प्रकार होना चाहिए, इनका विवेचन पहिले ही हुआ है। व्यक्तिगत प्रयत्नमें विश्वास रखनेवाले अंधशक्तिवादी मन्थाओंका मन्कार द्वारा इस प्रकार नियन्त्रण करनेका मन प्रकट करते हैं कि वे स्वार्थसिद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा द्वारा अन्य सस्थाओंको हानि न पहुँचाने के लिए सहयोग द्वारा अपना तथा जनसाधारणका उपयोग करनेके लिए विवश हो जायें।

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय का अर्थ

किसी देशके निवासियोंके हितार्थ किन्नी निश्चिन्त समयके भीतर उत्पन्न कीगयी वस्तुओं तथा सेवाओंको उस देशकी राष्ट्रीय आयके नामसे पुकारा जाता है। मार्शलने राष्ट्रीय आयकी परिभाषा इसप्रकार की है। 'किसी देशमें प्राप्त धर्म तथा पूजाद्वारा वर्षभर में उमकी प्राकृतिक सामग्रीमें विविध प्रकारकी स्थूल तथा सूक्ष्म वस्तुएँ, जिनके अन्तर्गत विविध प्रकारकी सेवाएँ भी आती हैं, उत्पन्न कीजाती हैं। इन उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओंकी मात्राका नामही उस देशकी राष्ट्रीय आय है। आयको प्रायः द्रव्यके रूपमें परिणत करके दिखानेकी प्रथा प्रचलित है। स्मरण रहे कि उत्पादन सामग्रीके व्यवहारमें आनेके कारण प्रतिवर्ष उसके मूल्यमें जो ह्रास हो जाता है उसको उस वर्षमें उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओंके कुल मूल्यसे निकालकर शेष बचेहुएँ मूल्यको ही राष्ट्रीय आय मानाजाता है।

ऐसाभी होसकता है कि एक देशके वासियोंने किसी अन्य देशमें भूमि, उत्पादन नस्थाओं अथवा अन्य उत्पादनके साधनोंपर स्वामित्व प्राप्त करलिया हो और इस कारण विदेशमें उत्पन्न कीगयी वस्तुओं तथा सेवाओंपर उनका अधिकार हो। इस प्रकारकी उत्पत्तिको भी पहिले देशकी आयमें गणना करनेकी प्रथा है। इसीप्रकार पहिले देशमें उन साधनों द्वारा प्राप्त उत्पत्तिको जिनके स्वामी अन्य देशके वासी हों, उस देशकी राष्ट्रीय आयसे निकाल देना चाहिए।

इस सम्बन्धमें यह कहदेना भी आवश्यक है कि फिशर राष्ट्रीय आयकी मार्शल द्वारा दीगयी परिभाषासे मतभेद प्रकट करता है। मार्शलके अनुसारतो एकवर्ष वर्षभर में उत्पन्न कीगयी वस्तुओं और कृत सेवाओंकी सूची बना लीजिए और दूसरी ओर सग्रहीत पूजीमें होनेवाले ह्रासकी सूची। इन दोनोंका अन्तरही राष्ट्रीय आयका

परिमाण है। परन्तु फिशरके मतानुसार राष्ट्रीय आयमें केवल उन वस्तुओं और सेवाओंकी गणना होनी चाहिए जिनका कि वर्षभर में उपभोग किया जाता है। इस प्रकार यदि हम किसी वर्षमें एक मकान बनवाये तो मार्शलके मतानुसार उस मकान का कुल मूल्य उस वर्षकी राष्ट्रीय आयमें शामिल करना चाहिए। परन्तु फिशरके मतानुसार मकानके केवल उस अंशका मूल्य शामिल करना चाहिए जिसका कि वर्षभर में प्रयोग किया गया है। तर्ककी दृष्टिसे फिशरकी परिभाषा अधिक सराहनीय प्रतीत होती है, परन्तु इसके व्यावहारिक प्रयोगमें इतनी कठिनाइयाँ हैं कि राष्ट्रीय आयका परिमाण मालूम करनेके लिए प्रायः मार्शलकी ही परिभाषा काममें लायी जाती है।

राष्ट्रीय आय की माप-विधि

राष्ट्रीय आयका परिमाण मापते समय इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वस्तुके मूल्यकी दो या दो से अधिक बार गणना न होजाये। ऐसा होनेकी सम्भावना इनकारण रहती है कि एक उद्योग धन्धे द्वारा उत्पन्न वस्तुएँ किसी दूसरे उद्योग धन्धेमें कच्चे मालकी तरह काम आती हैं। सूत कातनेवाली सस्थाओं द्वारा उत्पन्न किया हुआ सूत कपडा बुननेवाली सस्थाओंके लिए कच्चा मालही तो है। यदि एक वर्षमें उत्पन्न सूत उमी वर्षमें उत्पन्न कपडेमें परिणत होजाता है तो राष्ट्रीय आय में कपडेके मूल्यकी गणना करलेने पर सूतके मूल्यकी गणना नहीं करनी चाहिए।

पीनूके मतानुसार राष्ट्रीय आयको आकते समय केवल उन वस्तुओं और सेवाओंकी गणना करनी चाहिए जिनका कि द्रव्यके रूपमें मूल्य निकालकर लेन देन होता है। परन्तु उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि उनके मतमें बहुतसी मुटियाँ हैं। वय-प्रक्रय की जानेवाली और न कीजानेवाली वस्तुओं और सेवाओंमें कोई स्वभाव-निष्ठ अन्तर नहीं होता और प्रायः एक प्रकारकी वस्तुओं और सेवाओंका दूसरे प्रकार में परिणत होना प्रसंगिक नहीं। यदि कोई मनुष्य किनारेके भ्रमणमें रहता है तो उस भ्रमणमें प्राप्त होनेवाली सेवाओंका राष्ट्रीय आयमें समावेश होना है परन्तु यदि वह भ्रमण उसका प्यता ही तो नहीं। इसीप्रकार यदि कोई मनुष्य दिनानुदिन प्राप्तिके रूप में या अपने वृद्धिनिर्भारी सेवा करता है तो उसके मूल्यकी राष्ट्रीय आयमें गणना

नहीं होती परन्तु यदि वही सेवा वेतन लेकर किसी दूसरेकी कीजाय तो उसी राष्ट्रीय आयमें गणना होगी। बिना वेतन प्राप्त विधे लोक-सेवाके लिए कियेगये राज-नीति, ज्ञान-विज्ञान इत्यादिमें सम्बन्ध रखनेवाली सेवाओंका भी राष्ट्रीय आयमें सम्मिलित नहीं किया जाता। कारण यह है कि इसप्रकार की सेवाओंके मीट्रिक मूल्यका अनुमान करना कठिन है। कृपिद्वारा उत्पन्न उन वस्तुओंका जिनको कृषक अपने उपभोगके लिए रखा कर मंत्रीमें नहीं देना, राष्ट्रीय आयमें सम्मिलित करना ही उचित समझा जाता है। परन्तु आवश्यक प्राकडे न मिलनेके कारण कृषि प्रधान देशोंकी राष्ट्रीय आयको ठीक ठीक आकना मुनभ नहीं। कमसेकम वास्तविक आयका आकीहुई आयमें अधिक होनातो निश्चितही है।

सरकार द्वारा प्राप्त सेवाओंकी गणनाभी कठिनायोंसे खाली नहीं। दान्तिके समयमें भी यह निश्चित करना कठिन है कि उन सेवाओंका कितना प्रंग देगके उत्पादन कार्यको सुचारु रीतिसे चलानेके लिए प्रादव्यक था और इसलिए उसका मूल्य उत्पन्न वस्तुओंके मूल्यमें आका जा चुननेके कारण दोबारा न आकना चाहिए। युद्ध-सामग्रीको राष्ट्रीय आयमें सम्मिलित करलेना ही अदतक उचित समझाजाता है। राष्ट्रीय आय प्रायः वर्षभर के लिए आकने ही प्रथा है। वस्तुओंका यदि वर्ष भरमें क्रय-विक्रय हुआतो तो उनका विक्रय-मूल्य अन्यथा उनका उत्पादन-व्यय उनके मीट्रिक मूल्यका घोनक है।

वैकल्पिक माप-विधिया

उत्पादन कार्य उत्पादनके साधनोंसे सम्पन्न होता है। उत्पादन कार्यमें साधनोंकी नियुक्ति उन साधनोंके स्वामियोंको भूमि-कर, वेतन, व्याज, लाभ इत्यादि देकर कीजाती है। साधनोंके स्वामियोंको इसप्रकार प्राप्त कुल आय उन साधनों द्वारा उत्पन्न कुल उत्पत्तिके मूल्यके सम होती है। किसीभी सस्था द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का मूल्य या तो उपभोक्ताओंसे मिलताहै या दूसरी सस्थाओंसे। और इसप्रकार प्राप्त कुलमूल्य एकतो भूमि-कर, वेतन, व्याज, लाभ आदि देनेमें, दूसरे अन्य सस्थाओं से वस्तुए खरीदनेमें और तीसरे पूजीके ह्रासको पूरा करनेमें व्यय कियाजाता है। इसप्रकार प्राप्त कुल मूल्यका उपरिलिखित तीन व्ययोंके समान होना आवश्यक

है। हिसाब किताबके बहीखातोमें इस आय व्ययको सम-दिखाया जाता है। यदि व्यय आयसे अधिकहै तो दोनोका अन्तर हानिके रूपमें दिखाकर आय व्ययको सम करदिया जाताहै। वस्तुओं और सेवाओंके मूल्य तथा उत्पादनके साधनोंके स्वामियोंको दियेगये भुगतानमें समता होनेके कारण किसी देगके वासियोंकी मौद्रिक आय मालूम करनेसे भी उस देशकी राष्ट्रीय आय मालूम की जासकती है। वल्कि इस प्रकार राष्ट्रीय आयकी गणना करनेमें भूलचूक की कम सम्भावना है। यह आयभी दो ढगसे मालूमकी जासकती है। एक ढगतो यहहै कि आय-कर देनेवाले और आयकर न देनेवाले लोगोकी आयको जोडलिया जाय और दूसरा ढग यहहै कि विभिन्न प्रकारके उत्पादन सम्बन्धी कार्योंमें भाग लेनेवालो की सख्या तथा आय मालूम कर लीजाये। परन्तु यह ध्यान रखना आवश्यकहै कि विना सेवाकिये प्राप्त आय, वृद्धावस्थाके कारण प्राप्त सरकारी वृत्ति, युद्ध-ऋणसे प्राप्त व्याज और छल कपट से पायीहुई आय इत्यादिकी गणना नहीं करनी चाहिए।

राष्ट्रीय आयको आकनेका एक ढग यहभी होसकताहै कि प्रत्येक सस्था या उद्योग धन्धे द्वारा उत्पन्न कीगयी वस्तुओंकी मात्राके मूल्यमें से उन वस्तुओंकी मात्राका मूल्य निकाल दियाजाये जिनका कि उस सस्था या उद्योग धन्धोमें प्रयोग कियागया है। परन्तु यह ढग आजतक व्यावहारिक दृष्टिसे असफलसा रहा है।

राष्ट्रीय आय और भौतिक कल्याण

राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्रकी उत्पत्तिका परिमाण होनेके कारण उस राष्ट्रके भौतिक कल्याणकी द्योतक होसकती है परन्तु इसके द्रव्यके रूपमें परिणत करदेने से ऐसा होनेकी भी सम्भावनाहै कि वस्तुओंकी उत्पत्तिकी मानामें तो तनिकभी वृद्धि न हो, फिरभी उनके मूल्यमें वृद्धिके कारण राष्ट्रीय आयके मौद्रिक रूपमें वृद्धि होजाये। इस कारण एक वर्ष या राष्ट्रकी आयकी किसी दूसरे वर्ष या राष्ट्रकी आयमें तुलना करनेसमय इस ध्यानका ध्यान रखना चाहिए कि वस्तुओंके मूल्यमें होनेवाले परि-
 वर्तनोंके प्रभावको निकाल दियागया है। ऐसा तभी होसकता है जबकि हम दूसरे वर्ष या राष्ट्रमें उत्पन्न वस्तुओंको द्रव्यके रूपमें परिणत करने समय उन्ही मूल्याज्ञा प्रयोग करें जो पहिले वर्ष या राष्ट्रमें प्रचलित थे। दो राष्ट्रोंकी राष्ट्रीय आयकी

तुलना तो औरभी कठिन है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय आयको मॉद्रिक रूपमें निकालते समय अपने निजी द्रव्यका प्रयोग करता है। एक राष्ट्रके द्रव्यको विदेशी विनिमयकी दरकी सहायतासे दूसरे देजके द्रव्यमें परिणत करनेसे भी तुलना सम्भव नहीं क्योंकि विदेशी विनिमयकी दरपर राष्ट्रकी उत्पत्तिके केवल उस थोड़ेसे अंशका प्रभाव पड़ता है जिसका कि आयात-निर्यातके लिए क्रय-विक्रय होता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न राष्ट्रोंके लोगोंकी रुचियोंमें अन्तर होनेके कारण उनमें उत्पन्न वस्तुओंकी मात्रा एव गुणोंमें भी अन्तर होनेकी सम्भावना है। इसीप्रकार एकही राष्ट्रके लोगोंकी रुचियोंमें समय समयपर परिवर्तन होमकता है और यदि यहभी मानलिया जाये कि उपभोक्ताओंकी रुचिया तथा आवश्यकताए दोनो राष्ट्रों या वर्षों में एकसी ही थी तोभी उनके द्वारा उपभोग कीजाने वाली वस्तुओंके समूहमें मूल्य-परिवर्तनोंके कारण परिवर्तन होनेकी सम्भावना है। किसी वस्तुका मूल्य न्यूनाधिक होनेसे आय तथा स्थानापन्न प्रभावों द्वारा उन वस्तुओंके समूहमें उस वस्तुकी मात्रा के न्यूनाधिक होनेका विवेचन पहिले किया जाचुका है।

राष्ट्रीय आय द्वारा हम यहतो मालूम करसकते है कि अमुक राष्ट्र या वर्षमें उत्पत्तिकी मात्रा अमुकथी परन्तु इस मात्राको उत्पन्न करनेके लिए कितना परिश्रम करना पडा, इस बातका ज्ञान राष्ट्रीय आयके आंकड़ोंसे नहीं होता। दो राष्ट्रोंमें राष्ट्रीय आयकी मात्रा एकसी होनेपर भी उसके द्वारा प्राप्त भौतिक कल्याणमें भिन्नताका होना असम्भव नहीं क्योंकि होसकता है कि उस मात्राकी प्राप्तिके लिए उनमें से एकको दूसरेसे अधिक श्रम अथवा समयका व्यय करना पडाहो। अथवा एक राष्ट्रमें किसी वस्तुके प्राकृतिक बाहुल्यके कारण उस वस्तुकी प्राप्ति बिना मूल्य दिये सम्भव होनेसे लोगोंके भौतिक कल्याणमें तो वृद्धि होगी, यद्यपि उस वस्तुकी राष्ट्रीय आयमें गणना करना सम्भव नहीं।

राष्ट्रीय आयकी वृद्धिकी मात्राको भौतिक कल्याणकी वृद्धिकी मात्राका द्योतक मानने में एक औरभी अड़चन है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आयकी मात्रा बढ़तीजाती है, वैसे वैसे उसकी वृद्धिसे प्राप्त होनेवाले भौतिक कल्याणकी मात्रामें सीमान्त उपयोगिता के क्रमशः ह्रासका नियम लागू होनेके कारण कमी होती चलीजाती है। राष्ट्रीय आय यदि १०० करोड रुपये से बढ़कर १५० करोड रुपये होजाये तो भौतिक कल्याण में वृद्धि अवश्य होगी परन्तु जब राष्ट्रीय आय १५० करोड रुपये से बढ़कर

२०० करोड़ रुपये होजाये तो इस ५० करोड़ रुपये की वृद्धिसे भौतिक कल्याणमें उतनी वृद्धि न होगी जितनी कि उस ५० करोड़ रुपये की वृद्धिसे हुईथी, जब आय १०० करोड़ से १५० करोड़ रुपये हुईथी।

राष्ट्रीय आयकी गणना करनेके लिए विभिन्न प्रकारकी पूजीका वर्षके आरम्भ तथा अन्तमें मूल्य आकना पडता है। मूल्य आकनेके लिए कोई एक निश्चित विधि नहीं है। इसकारण विविध प्रकारकी विधियोंका प्रयोग करनेसे राष्ट्रीय आयकी गणनामें भारी अन्तर होना असम्भव नहीं।

राष्ट्रीय आय मापने के लाभ

इन सब त्रुटियोंके होतेहुए भी राष्ट्रीय आयकी गणना नितान्त निष्फल नहीं। इसके द्वारा निरपेक्ष उत्पत्तिकी मात्राका नहीं तो कमनेकम सापेक्ष उत्पत्तिकी मात्राका तो पता चलसकता है और इसकारण दो राष्ट्रों या वर्षोंमें तुलनाकी जासकती है। राष्ट्रीय आयके मोडिक रूपका निकालनाभी कई कारणोंसे आवश्यकसा है। इससे हम यह मान्न करसकते हैं कि राष्ट्रीय आयका कितना अंश उपभोग्य पदार्थोंकी उत्पत्तिके रूपमें था और कितना उत्पादन-मामगीके रूपमें। मोडिक रूप द्वारा हम यहभी जान प्राप्त करसकते हैं कि राष्ट्रीय आयका कितना अंश व्यवस्थापकोंको, कितना पूजीपतियों को, कितना भूमि-स्वामियोंको और कितना श्रमजीवियोंको मिला—यद्यत् इन आयका वितरण किसप्रकारसे हुआ? भूमि-कर, मजूरी, व्याज तथा लाभ इत्यादि उत्पादनके साधनोंको मिलनेवाले राष्ट्रीय आयके भागोंकी मात्रा निश्चित करनेके लिए समय समयपर भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंका सृजन होतारहा है। उनका विवेचन आगामी अध्यायोंमें कियाजायेगा। इन स्थानपर केवल इतना कह देना आवश्यकहै कि अन्य वस्तुओंके समानही उत्पादनके साधनोंका भी मूल्य होना है और यह मूल्य उसीप्रकार निर्धारित होताहै, जैसे अन्य वस्तुओंका मूल्य। इसके निर्धारणकी विषयाका हम किसी अन्य स्थानपर भनीपत्र विवेचन करचुके हैं। हम देखचुके हैं कि पूर्णतः अज्ञाने वस्तुके सीमान्त उत्पादन-व्ययको और सामग्री आरामे सीमान्त उपयोगिताको महत्व दियाजाना है। इसीप्रकार उत्पादनके साधनों के स्वामियोंको भी साधन-विषयके उत्पादनके लिए विभिन्न प्रकारका व्यय करना

पडताहै और वह अपने साधनको उसके सीमान्त-उत्पादन-व्ययसे कम मूल्यपर देने के लिए उद्यत नहीं हो सकते। इसलिए पूर्तिकी ओरमे उस साधनका सीमान्त उत्पादन-व्ययही उसके मूल्यको निर्धारित करता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न सिद्धान्त उस उत्पादन व्ययकी भिन्न माधनोंके लिए भिन्न भिन्न प्रकारमे गणना करते है। परन्तु गणना चाहे किसीभी ढंगमे हो, हममें सन्देह नहीं कि साधन विशेषके मूल्यको निर्धारित करनेमें उसके सीमान्त उत्पादन-व्ययसे सहायता लेनी पडती है। हम यहभी देख चुकेहै कि मूल्यके सीमान्त-उत्पादन व्यय सिद्धान्तमें यह दोषथा कि यह सिद्धान्त केवल वस्तुओंकी पूर्तिको महत्व प्रदान करताथा, मागको नहीं। मागको मूल्य निर्धारणकी क्रियामें स्थान देनेके लिए उपयोगिताके क्रमगः ह्रास नियमसे सहायता लेकर सीमान्त उपयोगिताको वस्तुओंके मूल्यका कारण और माप ठहराया गयाथा। वस्तुओंकी माग इसलिए होतीहै कि उनसे उपयोगिता प्राप्त होती है। उत्पादनके माधनोंकी माग इसलिए होतीहै कि उनके नियोगसे उत्पादन होता है। अन्य साधनोंकी मात्रामें परिवर्तन क्रियेविना किसी साधन विशेषकी मात्रामें वृद्धि करते रहनेसे उसके द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रामें क्रमगः ह्रास होने लगता है। कोईभी व्यवस्थापक उस साधनकी मात्रामें तबतक वृद्धि करता रहेगा जबतक कि उसके द्वारा प्राप्त उत्पत्तिका मूल्य उस साधनकी वृद्धिकी मात्रापर कियेगये व्ययके सम नहीं होजाता। साधनकी उस इकाईको जिसे कोई व्यवस्थापक किसी विशेष मूल्यपर उत्पादन कार्यमें नियुक्त करनेके लिए केवल उद्यतमात्र ही होपाता है, सीमान्त इकाई कहतेहै और इस इकाई द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राके मूल्यको उस साधनकी सीमान्त उत्पत्ति कहते है। अन्य साधनोंको ज्योंका त्यों रखकर साधन विशेषकी मात्रामें एक और इकाईकी वृद्धि करनेसे उत्पत्तिकी मात्रामें जो वृद्धि प्राप्त होतीहै, उसके मूल्यको भी उस साधनकी सीमान्त उत्पत्ति कहा जासकता है। जिसप्रकार वस्तुकी सब इकाइयोंका मूल्य सीमान्त इकाईसे प्राप्त होनेवाली उपयोगिताके सम होता है, उसीप्रकार साधनकी सब इकाइयोंका मूल्य उसकी सीमान्त इकाईसे मिलनेवाली उत्पत्तिके मूल्यके भी सम होता है।

हम देखचुके है कि वस्तुओंके मूल्यके सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्तमें कईएक दोष थे। साधनोंके मूल्यके सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्तमे उससेभी अधिक दोष है। उत्पादन के लिए चारो साधनोंका सहयोग आवश्यक है। किसी एकही साधन द्वारा वस्तुओं


का उत्पादन सम्भव नहीं। इसकारण साधन विशेषकी मात्रामे वृद्धिसे प्राप्त होने वाली अधिक उत्पत्तिको उसी साधनकी उत्पत्ति मानना तर्कयुक्त नहीं क्योंकि उसमे अन्य साधनोका सहयोगभी वर्तमान है, उत्पत्ति अधिकतम प्राप्त करनेके लिए साधनोको विशेष अनुपातमें एकत्रित करना आवश्यक है। ऐसी दशामे एकही साधनेकी मात्रामे वृद्धि करनेसे इस अनुपातको भंग करनेके कारण उत्पत्तिकी मात्रा में वृद्धिके स्थानमें ह्रास होनेकी भी सम्भावना है। इसकारण कईएक अर्थशास्त्रियोंके विचारमें साधन विशेषकी मात्राको न्यूनाधिक करना सम्भवही नहीं, क्योंकि किसी कालमें प्रचलित उत्पादन-विधिके अनुसार चारो साधनोको विशेष अनुपातमें एक-त्रित करनेसे ही प्राप्त होसकता है अन्यथा नहीं। इसकारण साधन-विशेषकी मात्रा को न्यूनाधिक करके उसकी सीमान्त उत्पत्ति मालूम करना सम्भवही नहीं। ऐसाभी होसकताहै कि साधनविशेष की किसी विशेष सस्थामे सीमान्त उत्पत्ति तो कमहो किन्तु पूरे उद्योगमें अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेसे प्राप्त होनेवाली मितव्ययिताके कारण अधिक। इसकारण जबतक उत्पत्तिकी क्रमशः वृद्धिका नियम लागू होता रहताहै तबतक सीमान्त उत्पत्तिको निश्चित रूपसे मालूम करना कठिन है। साधनो के मूल्यका सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्त केवल उनकी मागकी ओर ध्यान देताहै, पूर्ति की ओर नहीं। मूल्यको सम्यक् रीतिमे निश्चित करनेके लिए हमें माग और पूर्ति दोनोको एकही सा महत्व देना होगा। किसी उत्पादनके साधनका मूल्य किसी अन्य वस्तुके मूल्यके समानही उससमय सन्तुलनकी अवस्था प्राप्त करेगा जबकि उस मूल्यपर उत्पादन-व्यय द्वारा निश्चित उस साधनकी पूर्ति, सीमान्त उत्पत्ति द्वारा निश्चित उन साधनकी मागके सम होजायेगी।

भूमि-कर

रिकार्डों का भूमि-कर सिद्धान्त

त्रयशास्त्रकी भाषामें भूमि-कर उम पुरस्कारको कहा जाता है जो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधनोंके स्वामियोंको इन साधनोंके उत्पादन-कार्यमें सहायता देनेके फलस्वरूप प्राप्त होता है। रिकार्डोंके मतानुसार भूमि-कर भूमिद्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी उस मात्राको कहते हैं जो भूमिपतियोंको भूमिकी प्राकृतिक तथा मनातन वस्तियोंका उपयोग करनेकी अनुमति प्रदान करनेके बदले दी जाती है। रिकार्डों और उसके अनुयायियोंका विश्वास था कि किसी देशमें कुल उपलब्ध भूमिका कृषिके उपयोगमें लाया जाना आवश्यक नहीं है। आरम्भमें तो केवल अधिक उत्पादन भूमि पर खेती की जाती है क्योंकि उससे प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रा जन-समुदायकी आवश्यकताओंको तृप्त करनेके लिए पर्याप्त होती है। परन्तु जनसंख्यामें वृद्धि होनेपर अधिक उत्पादक भूमि अपर्याप्त मात्रामें उपलब्ध होनेके कारण, अधिक मात्रामें उत्पत्ति प्राप्त करनेके लिए अधिक उत्पादक भूमि परही अधिकाधिक मात्रामें श्रम और पूजाका व्यय करना होगा, अथवा कम उत्पादक भूमिके भागोपर कृषि करनी होगी। दोनों स्थितियोंमें पहिलेके समानही श्रम और पूजा लगानेपर प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रामें कमी आने लगेगी अर्थात् सीमान्त उत्पादन व्ययमें वृद्धि होने लगेगी। हम देख चुके हैं कि उत्पत्ति का मूल्य उसके सीमान्त उत्पादन व्ययसे निर्धारित होता है, इसलिए कृषिकी उत्पत्तिका मूल्यभी उस उत्पादन व्यय द्वारा निर्धारित होगा जो न्यूनतम उत्पादक भूमिपर कृषि करनेके लिए उठाना पड़ता है अथवा श्रम तथा पूजाके निम्नतम प्रयोगपर किये गये व्ययके सम होगा। सीमान्त कृषक अन्य कृषकोकी प्रतिस्पर्धके कारण अपने सीमान्त उत्पादन व्ययसे अधिक मूल्य नहीं ले सकता और इसकारण सीमान्त भूमि या श्रम और पूजाके सीमान्त प्रयोगपर कोई कर नहीं

मिलता। इसी कारण रिकार्डिंग उत्पादन व्ययमें भूमि-कर का समावेश न होनेके सिद्धान्तकी रचना की। मूल्य तो निर्धारित होता है सीमान्त भूमि अथवा श्रम और पूँजीके सीमान्त प्रयोगमें जिस पर कोई कर नहीं मिलता। इस कारण अधिक उत्पादक भूमिभागों पर अथवा पूँजी और श्रमके अधिक लाभदायक प्रयोगों पर कर मिलता है क्योंकि उनके उत्पादन व्यय तो सीमान्त उत्पादन व्ययकी अपेक्षा कम होने हैं परन्तु बाजारभाव सीमान्त उत्पादन व्ययके सम होते हैं। फलतः भूमि-कर उत्पादकोंकी वृत्त है और यह मूल्य द्वारा निर्धारित होता है न कि वह स्वयं मूल्यको निर्धारित करता है। रेखाशास्त्रकी सहायतासे भूमि-कर उसी प्रकार



श्रमाया जागृता २ जैमिनि उपभोक्ताकी वृत्त। 'मूल्य' मुख्य रेखापर निम्न प्रयोगों के प्राप्त भूमि अथवा पूँजी और श्रमकी प्रयोग प्रयुक्त सामान्य श्रमाया जागृता के मूल्य रेखापर प्राप्त उपत्ति का मूल्य। उपत्ति की उपलब्ध मात्रा में प्रयोग, तब ही होना चाहता है कि उपभोक्ताकी वृत्तमें उपलब्ध उपभोगिताया

क्रमशः ह्रास होता जाता था। प्रत्येक प्रकारकी भूमि अथवा श्रम और पूँजीके प्रयोगपर व्यय तो एकसा होताहै परन्तु उपलब्ध उत्पत्तिकी मात्रामें अन्तर होनेके कारण कुल प्राप्त मूल्यमें अन्तर होता है, जिस भागको रेंवायो द्वारा अकित किया गया है वह प्राप्त भूमि-कर का द्योतक है।

भूमि-करके अस्तित्वकी व्याख्या इसप्रकार भी की जासकती है। मानलीजिए किसी भूमिपतिके पास भिन्न भिन्न उत्पादन शक्तिवाले भिन्न भिन्न भागहै और वह उनपर स्वयत्तो कृपि नहीं करता परन्तु उन सबको आसामियोंको कृपि करनेके लिए देता है। अधिक उत्पादक भूमि भागोपर अधिक उत्पत्ति होगी और कम उत्पादक भूमि भागोपर कम यद्यपि उन सबपर एकसा ही श्रम तथा पूँजीका प्रयोग कियाजाता है। अथवा कम उत्पादक भूमिभागोपर अधिक श्रम और पूँजीका प्रयोग करके भी सबपर एकसी ही उत्पत्तिकी मात्रा उत्पन्नकी जासकती है। इसकारण अधिक उपजाऊ भूमिवाले आसामी न्यूनतम उत्पादक भूमिसे अधिक प्राप्त होनेवाली उत्पत्तिकी मात्राको भूमिपतिको भूमि-करके रूपमें देनेके लिए उद्यत् होजायेंगे क्योंकि इसमें उनकी कुछ भी हानि नहीं। मान लीजिए कि अधिकतम उत्पादक भूमिपर ८० मन गेहूँ उत्पन्न होताहै और अन्य भागोपर क्रमशः ७०, ६०, ५०, ४० मन। विभिन्न भूमि-भागोसे इस अवस्थामें भूमिपतिको ४०, ३०, २०, १० मन गेहूँ भूमि-करके रूपमें प्राप्त होगा।

इससे स्पष्टहै कि किसी विशेष आसामीके हानि लाभके व्योरेमें भूमि-करको व्ययके रूपमें दिखाना ही पडेगा। अर्थात् उसके उत्पादन व्ययमें भूमि-करभी एक अगके रूपमें शामिल होगा और इसकारण उसकेलिए मूल्यका एक अग होगा। परन्तु उपभोक्ताओसे लिया जानेवाला मूल्य लीमान्त उत्पादन व्यय द्वारा निर्धारित होता है और हम देखचुके है कि सीमान्त उत्पादन व्यय उस भूमि अथवा श्रम और पूँजी के उस प्रयोगपर होनेवाले व्ययको कहते है जिससे कोई भूमि-कर प्राप्त नहीं होता। इसकारण भूमि-कर भिन्न भिन्न उत्पादन शक्तिवाली भूमियो अथवा श्रम और पूँजीकी मात्राओके भिन्न भिन्न प्रयोगोपर होनेवाले व्ययको एकसा बनादेता है अर्थात् भूमि-करके कारण प्रत्येक आसामीको एकसा ही उत्पादन व्यय उठाना पडता है यद्यपि भिन्न भिन्न आसामियोंको मिलनेवाली भूमियोकी उत्पादनशक्ति एकसी नहीं होती।

रिकार्डों के सिद्धान्त की आलोचना

रिकार्डोंके भूमि-कर सिद्धान्तकी कई आलोचनाएँ की गयी हैं। इस सिद्धान्तके मुख्य अंग दो हैं। एकतो यह है कि भूमि-कर किमी भूमिकी प्राकृतिक स्थिति अथवा सनातन उत्पादन शक्तिके कारण प्राप्त होनेवाला मापेक्ष अतिरिक्त लाभ है और दूसरे ऐसी भूमियोका अस्तित्व जिनसे भूमि-कर प्राप्त नहीं होता।

कई लोगोका विचार है कि भूमिकी उत्पादन शक्ति सनातन नहीं। उसमें ह्रास होता रहता है और श्रम तथा पूजीके प्रयोगसे उसका पुनर्नवीकरण किया जाता है। इस प्रकार श्रम और पूजीके व्ययसे प्राप्त भूमिकी स्थायी उन्नतिका उसकी प्राकृतिक शक्तियोंसे भेद करना असम्भव हो जाता है। भूमिकी उत्पादन शक्ति सनातन हो अथवा न हो परन्तु भूमिमें कुछ गुण ऐसे अवश्य होते हैं जो अन्य माधनोंमें नहीं होते। रिकार्डोंका सकेत इन गुणोंकी ओर था। स्थायी उन्नतिके लिए किये गये भुगतानको रिकार्डोंने भी भूमि-करमें सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया है। इस दृष्टिसे एडम रिमथने भूमि-करकी रिकार्डोंमें अधिक उपयुक्त परिभाषा की है। उसके मतानुसार भूमि-कर कुछतो किमी समाजकी सामान्य परिस्थितिपर निर्भर है और कुछ भूमिकी प्राकृतिक एवं कृत्रिम उत्पादन शक्तिपर। कृत्रिम उत्पादन शक्तिमें स्थायी उन्नति द्वारा और समाजकी सामान्य परिस्थितिमें जन-संख्यामें वृद्धि द्वारा भूमि-करपर पडनेवाले प्रभावकी ओर सकेत है।

कुछ लोगोके विचारानुसार यह सत्य नहीं कि सर्वप्रथम अधिकतम उत्पादक भूमि पर ही कृषि-कार्य प्रारम्भ किया जाता है और फिर धीरे-धीरे कम-से-कम उत्पादक भूमियोपर। बल्कि वास्तवमें प्रायः कम उत्पादक भूमिभागोका उपयोग पहिले किया जाता है और अधिक उत्पादक भूमिभागोका उसके बाद। सिद्धान्तकी निरिक्तके लिए इस प्रसङ्ग को ही महत्त्व नहीं है। केवल भूमिभागोकी उत्पादन शक्ति में भिन्नताके अस्तित्वकी आवश्यकता है। जयतक यह भिन्नता प्रियमान है तबतक अधिक उत्पादक भागोकी भूमि-कर प्राप्त होता रहेगा।

ऐसा भी कहा जाता है कि समाजमें कोई भी भूमिभाग उपरदन नहीं जिसके प्रयोग के लिए कुछ न कुछ भूमि-कर प्राप्त न होता हो। मिथने अनुसार इसका कारण यह है कि समाजमें भूमि-कर प्राप्त न करनेवाले भागोका भूमि-कर प्राप्त करने

वाले भागोंसे सम्मिश्रण होनेके कारण प्राप्त प्राप्त भूमि-करमें न्यूनता प्राजाती है। यहभी सम्भवहै कि भूमि-करके रूपमें किया जानेवाला भुगतान केवल उम भूमिकी श्रम और पूजा द्वारा कीगयी उन्नतिका ही पुररकार मात्र हो। उनके अतिरिक्त यदि यहभी मानलिया जाये कि भूमि चाहे किसीभी प्रकारकी हो उसको उपयोगमें लानेके लिए ग्रामाभी भूमिपतिको कुछ न कुछ करके रूपमें देताहै तो भूमि-कर वचित भूमिमें रिकार्डोंका अभिप्राय उस भूमिसे था, जिमसे प्राप्त उत्पत्ति केवल उत्पादन व्ययको पूरा करनेके लिए पर्याप्तभर हो। उत्पादन-व्ययमें भूमिपतिको दिया जानेवाला कभी सम्मिलित करलिया जाताहै परन्तु ऐसी भूमिसे ऐसी कोई भी प्राप्ति नहीं होनी जिसे अर्थशास्त्रकी परिभाषामें भूमि-कर कहाजाता है और इस दृष्टिसे उमे हम भूमि-कर वचित भूमि कहसकते हैं।

किसी विशेष भूमि भागका भूमि-कर ज्ञात करनेके लिए भूमि-कर वचित भूमि की उत्पत्ति आवश्यक नहीं। उस भूमि भागपर श्रम और पूजाके सीमान्त प्रयोग द्वारा प्राप्त उत्पत्ति भूमि-कर वचित भूमिसे प्राप्त उत्पत्तिके सम है। कुल उत्पादन व्यय मालूम करनेके लिए श्रम और पूजाकी सीमान्त मात्रासे प्राप्त उत्पत्तिको सीमान्त मात्राके सम लगायीगयी कुल मात्राओंसे गुणा करदेना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक मात्रापर कियागया व्यय सीमान्त मात्रासे प्राप्त उत्पत्तिके सम होता है। इस उत्पादन व्ययमें कृषककी मजूरीभी सम्मिलित है। उत्पत्तिकी कुल उपलब्ध मात्रा इस उत्पादन व्ययसे अवश्यही अधिक होगी क्योंकि सीमान्त मात्रासे पहिले प्रयोगकी जानेवाली श्रम और पूजाकी मात्राओंसे क्रमशः अधिक उत्पत्ति प्राप्त होनी है। उत्पत्तिकी कुल उपलब्ध मात्रा और कुल उत्पादन व्ययमें अन्तरकी मात्रा भूमिपति को भूमि-करके रूपमें दी जासकती है। कृषकको इसमें कोई आपत्ति न होगी क्योंकि वह श्रम और पूजाके सीमान्त प्रयोगसे मिलनेवाली मजूरीसे सन्तुष्टहै और इसकारण वह सीमान्त प्रयोगसे पहिलेके प्रयोगोंके लिएभी उतनीही मजूरीपर श्रम करता रहेगा। इसके अतिरिक्त भूमिके वैकल्पिक प्रयोग होसकते हैं। एक प्रयोगके लिए वही भूमिभाग भूमि-कर वचित भूमि होसकता है और दूसरे प्रयोगके लिए भूमि-कर प्राप्त करनेवाली भूमि। इसकारण यहभी होसकता है कि प्रत्येक भूमिभागको उम प्रयोगमें लाया जा रहा हो जिसके कारण कि उससे भूमि-कर प्राप्त होता हो। इस सम्बन्धमें यह उल्लेखनीयहै कि एक कृषिफलके लिए प्राप्त भूमि-कर दूसरे कृषिफलके

मूल्यपर प्रभाव डालसकता है। गेहूँकी माग बढ़नेसे गेहूँ उत्पन्न करनेवाली भूमि का भूमि-कर बढ़ने लगेगा और इसकारण गन्ना उत्पन्न करनेवाली भूमिका गेहूँ उत्पन्न करनेमें प्रयोग किया जाने लगेगा। गन्नेकी पूर्तिको स्थित रखनेके लिए गन्ना उत्पन्न करनेके लिए कम उत्पादक भूमिभागको प्रयुक्त किया जायेगा और इसकारण गन्नेके मूल्यमें भी वृद्धि होगी। इसप्रकार गेहूँ उत्पन्न करनेवाली भूमिके भूमि-करमें वृद्धिका गन्नेके मूल्यमें समावेश होता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न फसलोंमें प्रतिस्पर्धाके कारण हरप्रकार की भूमिसे भूमि-कर प्राप्त होता रहता है।

भूमि-कर का आधुनिक सिद्धान्त

आधुनिक अर्थशास्त्री भूमि-कर का सापेक्ष लाभके रूपमें अस्तित्व मानतेहैं परन्तु उनका विचार है कि सापेक्षताके सिद्धान्त द्वारा हम केवल इतना कहसकते हैं कि अधिक उत्पादक भूमिका कम उत्पादक भूमिसे भूमि-कर अधिक होना चाहिए। अर्थात् रिकार्डों का सिद्धान्त केवल इतना सिद्ध करता है कि उत्तम वस्तुका मूल्य निम्न वस्तुसे अधिक होना चाहिए। मूल्य कम अधिक होना चाहिए इसका उत्तर इस सिद्धान्तसे नहीं मिलता क्योंकि यदि सब भूमि भागोंको उत्पादन बक्ति समान ही होतीतो रिकार्डोंके मतानुसार किसीभी भूमि भागके प्रयोगके लिए भूमि-कर न देना पडता। आधुनिक सिद्धान्तके अनुसार भूमि भागोंके समान रूपमें उत्पादक होनेपर भी भूमि-कर का अस्तित्व सम्भव है क्योंकि भूमि-कर अधिक उत्पादक भूमि भागोंको सापेक्ष न्यूनताका नहीं बल्कि भूमिमें प्राप्त होनेवाली वस्तु विशेषकी सापेक्ष न्यूनताका परिणाम स्वरूप है। भूमि-कर तबतक मनातन रूपमें विद्यमान रहना जरूरी है कि भूमिसे उत्पन्न होनेवाली किसी वस्तुकी माग उन वस्तुकी पूर्तिमें अधिक है क्योंकि मागमें अधिकवके कारण वस्तुके मूल्यमें वृद्धि होगी और भूमि-पतियोंको मूल्यमें वृद्धिके कारण पहिलेसे अधिक आय भूमि-करके रूपमें प्राप्त होगी। मूल्यमें वृद्धिके कारण पूर्ण प्रतिस्पर्धी स्थितिमें अप्रयुक्त भूमिभागों को प्रयोगमें लाकर या प्रयुक्त भूमिभागमें अम धीरे धीरे अधिक मात्रा गणाकर पूर्ति करने की चेष्टा कीजायेगी और पूर्ति करनेपर भूमि-करको प्राप्ति बन्द हो जायेगी। इस सिद्धान्तमें हम उत्पादक भूमियोंको पैदाव इतना महत्व प्राप्त है कि इनके कम

उत्पत्ति मिलनेके कारण पूर्तिमें कमी आजाती है और इसकारण प्राप्त भूमि-कर की मात्रामें वृद्धि होजाती है।

भूमि-करको इस दृष्टिसे देखनेसे उसे केवल भूमि तथा अन्य प्राकृतिक देनसे सम्बन्धित करनेकी आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उमप्रकार के अतिरिक्त लाभ अन्य उत्पत्तिके साधनोंको भी उनके द्वारा उत्पन्न वस्तुओंकी पूर्तिमें सापेक्ष न्यूनताके कारण प्राप्त होते रहते हैं। मार्शलने ऐसे अतिरिक्त लाभको आभास करोकी उपाधिदी थी। हम पहिले देखचुके हैं कि भूमि-करको इस दृष्टिसे देखने पर भूमिके वैकल्पिक प्रयोगोंके अस्तित्वके कारण भूमि-करके मूल्यमें समावेश होने की तनिकभी शका नहीं रहती।

कहा जाता है कि भूमि-करका आधुनिक सिद्धान्त सामान्य उत्पादन-व्यय और अतिरिक्त लाभमें भेदभाव पर आधारित है। सामान्य उत्पादन-व्यय उत्पादनके साधनोंके उस सामान्य मूल्यपर निर्भरहै जो साधन विशेष की आवश्यक मात्रामें पूर्ति करदे। साधारणतया यह मूल्य उस साधनकी कार्यक्षमताको पूर्णरूपेण स्थिर रखनेके लिए पर्याप्त होना चाहिए। उस मात्रा विशेष द्वारा उससे अधिक प्राप्त होनेवाली आयको अर्थशास्त्र की परिभाषामें 'कर' कहा जासकता है चाहे यह अधिक आय प्राकृतिक गुणो अथवा स्थितिके कारण प्राप्तहो, चाहे किमी आकस्मिक लाभ के रूपमें और चाहे एकाधिकारके लाभके रूप में।

भूमि-करको इस दृष्टिसे देखनेसे आभास-करो की कल्पनाभी व्यर्थही सिद्ध होती है। आभास-करका प्रयोग मार्शलने उत्पादनके साधनोंकी उस आयको दिखानेके लिए कियाथा जो उनको उनकी पूर्ति अस्थायी रूपमें सीमित होनेके कारण होती है। मार्शलका कहनाथा कि भूमिको प्राप्त होनेवाले अतिरिक्त लाभ तथा अन्य साधनोंको प्राप्त होनेवाले अतिरिक्त लाभमें भेदहै क्योंकि भूमिकी पूर्ति प्रकृतिकी देन होनेके कारण निश्चितहै और अन्य साधनोंकी पूर्ति मनुष्य द्वारा न्यूनाधिक की जासकती है। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री भूमिकी पूर्तिको अन्य साधनोंकी पूर्तिसे अधिक सीमित नहीं स्वीकार करते। उनके मतानुसार यदि किसी विशेष समय और स्थानपर अन्य साधनोंकी पूर्तिमें वृद्धि सुगम रीतिसे होसकती है तो अन्य समय और स्थानपर भूमि की। इस भेदभाव को मिटा देनेसे भूमि-कर तथा आभास करोंमें केवल इतना भेद है कि भूमि-कर अन्य करोंसे अधिक स्थायी है।

कृषि-सम्बन्धी समुन्नति और भूमि-कर

कृषिसे सम्बन्ध रखनेवाली समुन्नतिका भूमि-कर पर क्या प्रभाव पडता है, इसका उत्तर रिकार्डोंके सिद्धान्तके अनुसार दो प्रकारसे दिया जासकता है। यदि अधिक उत्पादक भूमिको औरभी उन्नत कियाजाये तो भूमि-करमें वृद्धि होगी और यदि निम्न कोटिकी भूमिको उन्नत कियाजाये तो भूमि-करमें कमी होगी। परन्तु आधुनिक सिद्धान्तके अनुसार दोनो अवस्थाओंमें भूमि-करमें न्यूनताही रहेगी क्योंकि किमीसी प्रकारकी भूमिको उन्नत करनेका अर्थ उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि द्वारा पूर्तिको बढाना होगा। पूर्ति बढनेसे मूल्य कम होंगे और मूल्य कम होनेसे भूमि-करभी कम होगा। केवल अधिक उत्पादक भूमियोंको उन्नत करनेसे उत्पत्तिकी मात्रामें अधिक वृद्धि होगी और इसकारण भूमि-कर अधिक गिरेगा और कम उत्पादक भूमियोंको उन्नत करनेकी चेष्टासे उत्पत्तिकी मात्रामें कम वृद्धि होगी और इसकारण भूमि-करमें भी अधिक न्यूनता न होगी।

अबतक भूमि-करको भूमिके सम्बन्धमें ही प्रयुक्त किया जा रहा था। उन जवदका प्रयोग इमारतोंके सम्बन्धमें भी कियाजाता है। जिस भूमिपर इमारत खडी है उसके कारण प्राप्त होनेवाला करतो पारिभाषिक भूमि-कर है जो उन भूमिकी भगी घुरी स्थितिके कारण प्राप्त होता है। नगरोंके उन भागमें जहा कि व्यापार होता है, उन करोंकी मात्रा अधिक होती है परन्तु इमारतमें प्राप्त होनेवाला कर उमान्त बनाने या खरीदनेके लिए व्यय कीगयी पूजीका द्वाज है, भूमि-कर नहीं। इसीप्रकार गानोंके प्राप्त कर में भूमि-कर के अतिरिक्त भी कुछ अन्न होता है कारण कि गनिज पदार्थोंको एकवार निकाल लेनेपर गानके मूल्यमें न्यायी गानमें हानि हातना है। इसकारण गानोंके करमें उलती स्थिति तथा मरुतिके लिए प्राप्त कर के अतिरिक्त गानके पदार्थोंके निवारण लेनेके लिए भी कुछ भुगतान मरुतिके होगा। यदि भूमिगानोंके एकही मरुतमें दो अग्या दो में अधिक प्रदान के कर प्राप्त होसकते हैं। जोसकता है कि जोई भूमिभाग अधिक उत्पादक भी तो, उसकी निर्मा भी सुन्दरता और पक्ष उन्नतभी मरुतमें उपनकर हो। इसकारण भी भूमिके उत्पादन मरुत, निर्मा और जवनयित अंशोंके लिए तीन दरानके कर प्राप्त होगे होंगे।

मजूरी (पारिश्रमिक) और उसके सिद्धान्त

मजूरी की परिभाषा

मजूरी श्रमजीवी द्वारा किये गये श्रमका मूल्य है और इस कारण मजूरीका निर्धारण भी श्रमकी पूर्ति और मागके सन्तुलनसे उसी प्रकार होता है जैसे कि अन्य वस्तुओंके मूल्यका। केवल श्रमवाजारकी उन विशेषताओंको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है जिनका विवेचन हम वाजारके अध्यायमें कर चुके हैं।

मजूरीके विभिन्न सिद्धान्तोंका उल्लेख करनेके पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अर्थशास्त्री इस शब्दका प्रयोग विभिन्न अर्थोंमें करते हैं। मौद्रिक मजूरीसे उनका अभिप्राय द्रव्यकी उस मात्रासे है जो श्रमजीवीको किसी निश्चित समयतक श्रम करनेके पारिश्रमिकके रूपमें मिलती है और वास्तविक मजूरीसे वस्तुओं और सेवाओंकी उस मात्राका जो उस मिले हुए द्रव्य द्वारा खरीदी जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्रमजीवीको किसी विशेष उद्योग धन्धेमें काम करनेसे कुछ ऐसी सुविधाएँ और असुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं जो केवल उसी उद्योग धन्धेसे सम्बन्धित होती हैं। श्रमजीवीकी वास्तविक आयको आकते समय इन सुविधाओं और असुविधाओंकी गणना भी अवश्य कर लेनी चाहिए क्योंकि होसकता है कि एक उद्योग धन्धेमें दैनिक मजूरी तो अधिक हो परन्तु काम वर्षमें केवल छमासतक ही मिलता हो और दूसरेमें दैनिक मजूरी तो कम हो परन्तु काम वर्षभर मिलता रहता हो। इस कारण पहिले उद्योग धन्धेमें काम करनेवाले की वार्षिक आय दूसरे उद्योग धन्धेमें काम करनेवाले मजूरीकी वार्षिक आयसे कम होसकती है। इसी प्रकार कुछ उद्योग-धन्धेके स्वामी अपने श्रमजीवियोंके रहनेका तथा उनकी सन्तानके सुचारु शिक्षण इत्यादिका भी प्रबन्ध कर देते हैं। ऐसे उद्योग-धन्धेमें मौद्रिक मजूरी कम होनेपर भी वास्तविक आय अधिक होसकती है।

मजूरी का लोह सिद्धान्त

मजूरीके लोह सिद्धान्तके जन्मदाता फ्रासके अधिभूतवादी अर्थशास्त्री थे। तत्कालीन फ्रासमें कृपक लोगोंकी दशा अत्यन्त गौचनीय थी। उनके परिश्रम द्वारा उत्पन्न सम्पत्तिकी मात्रामें उतनी उनके पास शेष छोड़ी जातीथी जो केवल उनके जीवित रहनेके लिए पर्याप्त मात्र होनीथी बाकी मात्राको सरकार कर लगाकर लेलेती थी। अधिभूतवादी अर्थशास्त्रियोंने समझा कि प्रकृतिका नियमही है कि बेचारे कृपको को जीवित मात्र रहनेके लिएही वृत्ति प्राप्त हो। यदि सरकार करभी न लगाये तोभी कृपकोको प्राप्त उनकी उपजके भागमें वृद्धि तो अवश्य होगी परन्तु इसके फलस्वरूप उनकी जन्मदर में भी वृद्धि होगी। इसके कारण कृपकोकी जन-संख्या बढ़ जायेगी और प्रत्येक कृपकको प्राप्त होनेवाला भाग फिर पहिलेके समानही होजायगा। जर्मनीके समाजवादी अर्थशास्त्रियोंने इस नियमकी क्रियाचरित को पूजीमूलक आर्थिक पद्धतिमें भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया। उनके मतानुसार जब तक मूल्य, भाग और पूर्ति द्वारा निश्चित होनेरहेंगे, तबतक पूजी तथा भूमिपति कुन उत्पत्तिकी मात्रामें श्रमजीवियोंको केवल धुधानिवारणके लिए देकर शेष मात्रा को स्वयं ग्रहण करते चलेजायेंगे। इनमें से कुछके मतानुसार मजूरीका केवल आर्थिक जीवनको मृत्युसे बचानेके लिए पर्याप्त मात्रामें होना आवश्यक है। उन्होंने अपने सिद्धान्तको लोह सिद्धान्तका नाम दिया। कुछका विचारथा कि मजूरी नैतिक प्रथा नहीं है सम्बन्ध रखनेवाली धान्णाओं द्वारा जो लोगोंकी रुचियों तथा नीति विशिष्टता निर्धार है, निश्चित होती है। उन्होंने अपने सिद्धान्तको वास्तव-सिद्धान्त कहना उचित समझा। पसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथका मजूरीके लोह सिद्धान्त आर्थ-सिद्धान्तके मतभेद था। उनके अनुसार मजूरीका केवल जीवित मात्र रहनेके लिए पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। वह अधिकभी हुनकीनी है परन्तु न्यायीता में उनका जीवितमात्र रहनेके लिए पर्याप्त होना सम्भव नहीं क्योंकि श्रमजीवी लोग उनके दुःखद्वारा जीवित रहना अपने पूर्तिके लिए आवश्यक है। इनका मत, मजूरी और बेतारकी एक भागको जिनके द्वारा श्रमजीवी केवल अपने आपको और अपने दुःखद्वारा धुध-सम्बन्ध में स्थित रहते, एक सीमा माननेका चाहिए। जिनके मत मजूरीका होना सर्वदके लिए सम्भव नहीं।

मजूरी कोप सिद्धान्त

पारतत्वमें मजूरी दो बातोंपर निर्भर है। एकतो श्रमजीवी की उत्पादन-शक्तिपर और दूसरे उस कोपपर जो श्रमजीवियोंके पालनार्थ लभ्य है। हम देखचुके हैं कि पूजा दो प्रकारकी होती है। एकतो स्थायी पूजा और दूसरे प्रत्यावर्तनशील पूजा। हम यह भी देखचुके हैं कि पूजाकी महायत्नासे उत्पादन करनेमें समय लगना है। श्रमजीवी के पास इतनी पूजा तो होती नहीं कि वह वस्तुओंके तैयार होनेसे लेकर विक्रानेके समय तक प्रतीक्षा करले। इसकारण व्यवस्थापकको उत्पादनके लिए केवल स्थायी पूजाका ही प्रबन्ध नहीं करना पडना है परन्तु श्रमजीवियोंको अपनी दिन प्रतिदिनकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए भुगतानभी देना पडना है। यह भुगतान वह अपनी प्रत्यावर्तनशील पूजामें से करता है। इसकारण प्राचीन अर्थशास्त्रियोंने समझा कि मजूरी पूजाकी उस मात्रासे सीमित है जो व्यवस्थापकको श्रमजीवियोंका भुगतान करनेके लिए उपलब्ध है। इस उपलब्ध मात्राका नाम उन्होंने मजूरीकोप रखा। इस कोपकी मात्रामें परिवर्तन न होनेपर मजूरी श्रमकी पूर्तिपर निर्भर रहती है। यदि श्रमजीवियोंकी संख्यामें वृद्धि होजाये तो मजूरी कम होजायेगी और यदि उन की संख्यामें कमी होजाये तो अधिक। परन्तु मजूरी कोप सिद्धान्तके प्रतिपक्षियोंके मतमें भी मजूरीका जीवित मात्र रहनेसे अधिक होना तबतक सम्भव नहीं जबतक कि पूजाकी वृद्धि जन-संख्या में वृद्धिसे अधिक न हो। परन्तु माल्यसके जन-संख्या सिद्धान्तके अनुसार पूजामें वृद्धिका जन-संख्यामें वृद्धिसे अधिक होना तो दूर रहा सदैव न्यून रहनाही निश्चित था। इसकारण श्रमजीवियोंकी मजूरीका केवल जीवित रहनेके लिए पर्याप्त मात्रासे अधिक होना प्रायः असम्भवसा ही मानाजाता था। अन्ततोगत्वा लोह-सिद्धान्त और मजूरी कोप सिद्धान्त दोनों मजूरीको श्रमजीवी और उसके कुटुम्बके पालन पोषणके व्ययसे सम्बन्धित करते थे।

सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्त

एडम स्मिथने मजूरीके श्रमजीवी द्वारा उत्पत्तिपर निर्भर होनेकी ओरभी संकेत किया था। श्रमजीवीको मजूरी इसलिए मिलती है क्योंकि वह ऐसी वस्तुओंके उत्पा-

दनमें सहायता देता है जिनका मॉट्रिक मूल्य होता है। कोईभी व्यवस्थापक किसी विशेष श्रमजीवीको उसके नियांगके कारण प्राप्त उत्पत्तिसे अधिक मजूरी नहीं देता। हम यहभी जानतेहैं कि यदि अन्य उत्पादनके साधनोंमें परिवर्तन किये बिना श्रमजीवियोंका अधिकाधिक मात्रामें नियोग करते चलेजायेंगे तो उनके नियोग द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रामें क्रमशः ह्रास होता चलाजाता है। इसप्रकार व्यवस्थापक सीमान्त श्रमजीवीको उसके नियोगके कारण प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राके मूल्यसे अधिक मजूरी तो देगा नहीं। परन्तु हम यहभी जानतेहैं कि एकही बाजारमें एकही समय पर एकही वस्तुका एक मूल्य होनाभी आवश्यक है। इसकारण सब श्रमजीवियोंको वही मजूरी मिलेगी जो सीमान्त श्रमजीवी को। इसप्रकार सीमान्त श्रमजीवी द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राके मूल्यसे मजूरी निर्धारित करनेवाले सिद्धान्तको मजूरीका सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्त कहते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें मजूरी सीमान्त श्रम द्वारा उत्पत्तिके मूल्यसे न अधिक होसकती है और न न्यून। यदि सीमान्त श्रमजीवी द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राका मूल्य मजूरीसे अधिकहो तो व्यवस्थापकके दृष्टि-बोधमें एक और श्रमजीवीको नियुक्त करनेमें लाभ होगा। यदि मजूरी सीमान्त श्रमजीवीकी उत्पत्तिकी मात्राके मूल्यसे अधिकहो तो एक श्रमजीवीकी उत्पत्तिसे व्यवस्थापक उसके नियोगसे होनेवाली हानिको वचामकता है।

उन सब सिद्धान्तोंमें गुणभी है और दोषभी। मजूरीके वेदन जीवित मात्र रहने के लिए पर्याप्त मात्र होनेका सिद्धान्त तभी पूर्णतया लागू होसकता है जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो, भूमिहीन अत्यन्त न्यूनता हो और जनसंख्या पूरे वेगसे बढ़तीचली जा रही हो। परन्तु व्यवहारमें उन तीनोंमें से एकभी पूर्णरूपेण अपना प्रभाव नहीं दिखना पाताहै परन्तु इस सिद्धान्तमें रहना सत्य प्रबन्धहै कि उत्पादन कार्यमें अन्य साधनाशील श्रमजनों प्राप्ति न्यूनताको मजूरी निर्धारित करनेमें विशेष महत्त्व प्राप्त है। मजूरी सेव सिद्धान्त हमारा ध्यान इस सत्यपरि आकृष्ट करताहै कि वास्तविक मजूरी अर्थात् वस्तुतः और नैदान जिनका श्रमजीवियों द्वारा उपभोग होताहै सर्वसाधारणमें विशेषसे श्रम लागती नहीं परन्तु भूमिगतमें विशेषसे श्रमसे भी उत्पन्न कीगयी थी। इस सिद्धान्त द्वारा मजूरीके श्रमजीवियोंको प्राप्त होनेकी विधि से भी हम परिचित होजाते हैं। परन्तु वास्तविक मजूरीपर प्रत्यक्ष सत्य परीक्षण के प्रभाव शक्यतासे परसताया इस सिद्धान्तके तमिषनी ज्ञान प्राप्त नहीं होता।

इसीप्रकार मजूरी कोपको गदैवके लिए स्थिर माननाभी भूल है। राष्ट्रीय दायमें परिवर्तन होनेसे इसमें परिवर्तन होतेरहते है। इसका समर्थन इस बातसे होता है कि आर्थिक दृष्टिसे उत्तमिशील देशोंमें प्रायः मजूरी बढनीही रहती है क्योंकि श्रमजीवियोंके नियोगके लिए उपलब्ध पूजीमें वृद्धि होती रहती है। बहुतसे अर्थशास्त्री तो सीमान्त उत्पत्ति सिद्धान्त और मजूरी कोप सिद्धान्तमें एकता सिद्ध करनेका प्रयत्न करते है क्योंकि दोनोंके अनुसार श्रमजीवियोंकी संख्यामें वृद्धि होनेके कारण उनकी मजूरीमें कमी होनेकी सम्भावना है। सीमान्त उत्पत्तिके सिद्धान्तका विवेचन हम अन्य स्थानपर कर चुके है। इस स्थानपर केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि श्रमजीवी द्वारा प्राप्त उत्पत्ति केवल श्रमजीवीकी कुशलता परही नहीं परन्तु अन्य साधनोंके कुशल प्रयोग परभी निर्भर रहती है। इन साधनोंमें परिवर्तनके कारणभी श्रमजीवीकी उत्पादन शक्तिमें परिवर्तन होसकता है। कई एक अर्थशास्त्रियोंने श्रमजीवी वर्गको राष्ट्रीय उत्पत्तिका केवल शोषाधिकारी मात्र ठहराया है। उनके कथनानुसार अन्य साधनोंके अधिकार पहिलेसे ही निश्चित तथा अग्रिम है। उनका भुगतान दिये जानेके अनन्तर जो जोप रहता है वह श्रमजीवी वर्गका भाग है और कुशलतामें वृद्धिका सम्पूर्ण लाभ इसी वर्गको मिलता है। इस सिद्धान्तको मजूरीका शोषाधिकार सिद्धान्त कहते है।

मजूरी का आधुनिक सिद्धान्त

आधुनिक अर्थशास्त्री श्रमकी पूर्ति, माग तथा मूल्योमें सन्तुलनके स्थापित होनेको ही मजूरी का पूर्ण सिद्धान्त मानते है। किसी विशेष समय पर अन्य साधनोंकी मात्राको परिवर्तनरहित रखनेसे किसी विशेष मूल्य पर श्रमकी सम्पूर्ण पूर्तिका नियोग सम्भव होसकता है। इस मूल्यको सन्तुलन मूल्य कहते है। इस मूल्यपर श्रमकी माग और पूर्ति सम होजाती है। इस माग और पूर्तिमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते है और इनके कारण नये नये सन्तुलन स्थापित होते रहते है।

पूर्तिकी दृष्टिसे किसी उद्योगधन्धेमें किये जानेवाले प्रयास तथा श्रमको और श्रमजीवीके जीवन स्तरको विशेष महत्व प्राप्त है। श्रम कार्य करने की अवधि, कार्यकी आकृष्टता तथा मात्रा, कार्यस्थानके वातावरण, शिक्षण-व्यय

और नौकरीके नैरन्तर्यसे न्यूनाधिक रोचक होसकता है। जीवन स्तर प्रचलित रुद्धियोसे निर्धारित होता है। इसीप्रकार मागकी दृष्टिसे उत्पत्ति महत्वपूर्ण है और उत्पत्ति कार्य कौशल पर निर्भर है। इन सबका उचित स्थानपर विवेचन करदेने से पूर्व यह कह देना आवश्यकहै कि माग और पूर्तिके द्वारा निर्धारित मूल्योका एकसा होनाभी पीगूके मतानुसार आवश्यक नहीं। मजूरीकी प्रवृत्ति किसी विशेष विन्दुकी ओर नहीं होती। परन्तु वह दो विन्दुओके मध्यवर्ती प्रदेशमें अनिश्चित सी रहती है। सीमान्त उत्पत्ति द्वारा निर्धारित व्यवस्थापकोका विन्दु उम अधिकतम मजूरीका द्योतकहै जो व्यवस्थापक देसकते है श्रमकी न्यूनाधिक रोचकता तथा जीवनस्तर श्रमिक द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजूरीकी विन्दुके द्योतक है। सन्तुलनका विन्दु इन दो विन्दुओके मध्यमें कहीपर होगा। उसका स्थान व्यवस्थापको और श्रमजीवियों की सापेक्ष सौदा करनेकी शक्ति पर निर्भर रहता है। श्रमजीवियोंके अधिक शक्तिशाली होनेपर मजूरी उनकी सीमान्त उत्पत्तिके लगभग होगी और व्यवस्थापकोके अधिक शक्तिशाली होनेपर उनके जीवन स्तरपर होनेवाले व्ययके आसपास। अल्पकालमें मजूरी ऊपर कहेगये प्रकारसे निश्चित होतीहै परन्तु दीर्घकाल में माग और पूर्तिमें परिवर्तनोके कारण श्रमकी कार्य कुशलतामें और फलस्वरूप मजूरीमें भी परिवर्तन होनेकी सम्भावना रहती है।

प्राचीन अर्थशास्त्री विशेषकर रिकार्डों और उसके अनुयायी ऐमा विद्वान् प्रकट करतेथे कि मजूरीमें स्थायी रूपसे वृद्धि होना असम्भवहै क्योंकि इस वृद्धिके कारण जनगणना और फलतः श्रमकी पूर्तिमें वृद्धि होनेके कारण मजूरी फिर मौलिक स्तरको प्राप्त करलेती है। परन्तु श्रमजीवियों की कार्य-कुशलताके फलस्वरूप उनके मजूरी-स्तर में भी वृद्धि होसकती है। मजूरीमें वृद्धि होनेसे जीवन-स्तर में भी स्थायी रूपसे उत्कृष्टता आसकती है और उनके कारण कार्य कुशलतामें औरभी वृद्धि होसकती है। उनके मतमें ऊंची मजूरी द्वारा उपलब्ध मितव्ययिताके सिद्धान्तका आविष्कार हुआ। इस सिद्धान्तके अनुसार अधिक मजूरी देनेने किन्ही दरनुके उत्पादन-अवयवों श्रमके व्ययको कम किया जासकता है क्योंकि अधिक मजूरी देनेने श्रमजीवियोंकी कार्य-कुशलतामें सापेक्ष रूपमें अधिक उत्पत्ति होनेसे उत्पात्तिये मागमें वृद्धि होगी और इसकारण मजूरी अधिक होतीहै भी दरनुकी प्रत्येक सापेक्ष ऐनेवाले व्यय में कमी होगी। भावार्थके विचारमें तो किन्हीभी व्ययनायमें मजूरी कीमत स्तरमें

इसीप्रकार मजूरी को फल
वर्तन होनेसे उसमें परि-
श्रमिक दृष्टिसे उत्पत्ति
वियोंके नियोगके लिए
तो सीमान्त उत्पत्ति मि-
करतेहै क्योंकि दोनों
मजूरीमें कमी होनेसे
अन्य स्थानपर कर-
श्रमजीवी द्वारा प्रा-
साधनोंके कुशल प्र-
श्रमजीवीकी उत्-
श्रमजीवी वर्गको
कथनानुसार अन्-
भुगतान दिये जा-
कुशलतामें वृ-
शेषाधिकार मि-

आधुनिक मजूरी का परिवर्तन होसकता है पूर्ण और पूर्ण और की

कारण। व्यवहारमें भी देखनेमें आता है कि कई व्यवसायोंमें मजूरी इसकारण अधिक होती है कि उनमें काम करनेवाले श्रमजीवियों का जीवन-स्तर और फलस्वरूप का अंश अधिक है। परन्तु अन्य व्यवसायोंमें विशेषकर सार्वजनिक पदाधिकारियों को मजूरी इसलिए अधिक दी जाती है कि उनका जीवन-स्तर उच्च हो। परन्तु वे विद्वान भी जो जीवन-स्तरको उत्पादन शक्ति फलतः मजूरीका फल मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि दीर्घकालमें जीवन-स्तर जर्नसख्या पर प्रभाव डालकर श्रमकी पूर्तिमें परिवर्तनो द्वारा मजूरीके न्यूनधिक होनेका कारण होसकता है। यदि जीवन-स्तरको सुरक्षित रखनेके लिए श्रमजीवी सन्तति निरोध आदि उपायोंसे श्रमकी पूर्तिमें न्यूनता उत्पन्न करनेमें सफल होसकें तो श्रमद्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिमें वृद्धि होनेके कारण मजूरीमें भी वृद्धि होसकती है। पाश्चात्य देशोंके श्रमजीवियों ने कुटुम्बको सीमित रखकर जीवन-स्तर पतनकी प्रवृत्तिको रोकनेका प्रयत्न किया है।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मजूरी

उपरि विरचित सिद्धान्तोंकी केवल पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें त्रियान्दिनि सम्भव है परन्तु श्रम-वाजारमें इस स्थितिको प्राप्त करनेके पथमें अनेक बाधाएँ हैं। सबसे पहिले गतिशीलता को ही लेलीजिए। श्रमजीवीको एकस्थानसे दूसरे स्थानपर जानेके लिए, विशेषतः विवाहित श्रमजीवीको, प्रायः उसकी मजूरीमें आघाती वृद्धिका प्रयोग भी उद्यत करनेमें असमर्थ निरुद्ध होता है। यातायातके साधनोंमें आश्चर्यजनक उन्नतिके कारण गतिशीलता बढ़नेपर भी प्रतिस्पर्धाकी मजूरी समीकरण शक्ति पूर्णतया कार्य नहीं करपाती, एक व्यवसायको छोड़कर दूसरेको अपनाता को शीघ्र भी कठिन है। इसीकारण केरनग ने अप्रतिस्पर्धी यूथोंके सिद्धान्त की रचना की थी। उनके मतानुसार उत्पादक वर्गों में उनप्रकार यूथोंमें विभाजित क्रिया पायना है कि प्रत्येक यूथके सदस्योंमें परस्पर तो प्रतिस्पर्धा सम्भव है परन्तु एक यूथ को दूसरे यूथों से। सत्यभी है कि अतिशय श्रमजीवी निरुद्ध श्रमजीवीके प्रति प्रतिस्पर्धा होसपती है जब परस्पर निरुद्ध होलाए। परन्तु निरुद्ध पायन परस्पर सुविधाएँ बढ़ जानेपर भी यह कार्य शक्य नहीं।

एक ही रूपके सदस्योंमें भी कार्यकी शक्यता सम्भव नहीं। कुछ

उस समय तक कम होती है जबतक कि मजूरीमें वृद्धि करनेसे कार्य कौशल में सापेक्ष रूपसे अधिक उन्नति होती रहती है। यह उन्नति कम मजूरी पानेवाले श्रम-जीवियों की मजूरीमें वृद्धि करनेसे तो अवश्यम्भावी है, क्योंकि उस वृद्धिका आहार, वस्त्र और निवासस्थान आदिको श्रेष्ठ बनानेके लिए प्रयोगम लायाजाना निश्चितसा ही है। परन्तु श्रमजीवियोंकी सामाजिक स्थितिमें उन्नति होनेके अनन्तर कीगयी मजूरीमें वृद्धि पूर्ववत् लाभदायक नहीं होती क्योंकि अब इस वृद्धिका अधिकारा भोगविलास पर खर्च होनेकी सम्भावना है। इनप्रकारका व्यय कमसे कम पहिलेके समान प्रत्यक्ष रूपमें उत्पादन शक्तिपर प्रभाव नहीं डालता। स्मरण रहे कि मजूरीमें वृद्धिसे हमारा अभिप्राय मॉद्रिक मजूरीमें वृद्धिसे नहीं किन्तु श्रमिक की वास्तविक आयमें वृद्धिसे है और यह कई प्रकारसे की जासकती है, केवल मॉद्रिक मजूरीमें वृद्धि करनेसे नहीं। मॉद्रिक मजूरी पूर्ववत् रहने देकर भी श्रमजीवीके लिए अधिक अवकाश, श्रेष्ठ आहार तथा निवासस्थान, उत्तम शिक्षा और इसीप्रकारकी अन्य सुविधाओंका जो उसकी कार्य-क्षमता बढ़ानेमें सहायता दें, प्रबन्ध करदेनेका अर्थभी उस आयमें वृद्धि करदेना ही होगा।

इस स्थानपर हम यह उल्लेख करदेना आवश्यक समझते हैं कि पूर्तिकी दृष्टिसे मजूरी स्तरके उस समय उच्चतम होनेकी सम्भावनाहै जबकि किसी विशेष समय पर श्रमकी पूर्ति केवल उतनीही जितनी उस समय उपलब्ध उत्पादनके अन्य साधनोंसे अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करनेके लिए आवश्यक है। जबतक श्रमकी पूर्ति इस मात्रासे कम होगी तो उसकी मात्रामें वृद्धि होनेपर भी मजूरीकी वृद्धि होनेकी सम्भावना है।

जीवन-स्तर और मजूरी

जीवन-स्तर और मजूरीमें परस्पर कार्य कारणके सम्बन्धको सभी अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं परन्तु इनमेंसे कौनसा कार्य और कौनसा कारण है उसपर मतैक्य नहीं। हम देखही चुकेहैं कि जीवन-स्तर को कार्यकुशलता का कारण भी माना जासकता है और फल भी। इसकारण मजूरी जो उत्पादन शक्तिपर निर्भर रहती है, किसी समयपर जीवन-स्तर का फल होसकती है और किसी अन्य समयपर

कारण। व्यवहारमें भी देखनेमें आता है कि कई व्यवसायोंमें मजूरी इसकारण अधिक होती है कि उनमें काम करनेवाले श्रमजीवियों का जीवन-स्तर और फलस्वरूप कार्यक्षमता अधिक है। परन्तु अन्य व्यवसायोंमें विशेषकर सार्वजनिक पदाधिकारियों को मजूरी इसलिए अधिक दी जाती है कि उनका जीवन-स्तर उच्च हो। परन्तु वे विद्वान भी जो जीवन-स्तरको उत्पादन शक्ति फलतः मजूरीका फल मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि दीर्घकालमें जीवन-स्तर जर्नसख्या पर प्रभाव डालकर श्रमकी पूर्तिमें परिवर्तनो द्वारा मजूरीके न्यूनाधिक होनेका कारण होसकता है। यदि जीवन-स्तरको सुरक्षित रखनेके लिए श्रमजीवी सन्तति निरोध आदि उपायोसे श्रमकी पूर्तिमें न्यूनता उत्पन्न करनेमें सफल होसकें तो श्रमद्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिमें वृद्धि होनेके कारण मजूरीमें भी वृद्धि होसकती है। पाश्चात्य देशोंके श्रमजीवियों ने कुटुम्बको सीमित रखकर जीवन-स्तर पतनकी प्रवृत्तिको रोकनेका प्रयत्न किया है।

अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मजूरी

उपरिलिखित सिद्धान्तोंकी केवल पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें त्रियान्दिनि सम्भव है परन्तु श्रम-बाजारमें इस स्थितिको प्राप्त करनेके पथमें अनेक बाधाएँ हैं। सबसे पहिले गतिशीलता को ही लेलीजिए। श्रमजीवीको एकस्थानसे दूसरे स्थानपर जानेके लिए, विधेयत, विवाहित श्रमजीवीको, प्रायः उसकी मजूरीमें आगामी वृद्धिका पर्याप्त भी उचित करनेमें असमर्थ सिद्ध होता है। यानाचानके साधनोंमें आश्चर्यजनक उन्नतिके कारण गतिशीलता बढ़नेपर भी प्रतिस्पर्धाकी मजूरी समीकरण शक्ति पूर्णतया कार्य नहीं करपाती, एक व्यवसायको छोड़कर दूसरेको अपनाना तो शीर भी कठिन है। इसीकारण केरलन ने अप्रतिस्पर्धी व्यूहके सिद्धान्तकी रचना की थी। उसके मतानुसार उत्पादक वर्गको उपग्रन्थर व्यूहोंमें विभाजित किया जासकता है कि प्रत्येक व्यूहके सदस्योंमें परस्पर तो प्रतिस्पर्धा सम्भव है परन्तु एक व्यूहकी दूसरे व्यूहसे नहीं। सत्यनी है कि अधिष्ठित श्रमजीवीकी विभिन्न श्रमजीवीने भी प्रतिस्पर्धा होसकती है जब वह स्वयं विभिन्न होसकत। परन्तु निम्ना प्रस्तुत होती सुनिश्चय बट जानेपर भी यह कार्य शक्य नहानेगी।

पूर्ण व्यूहके सदस्योंमें भी कार्यको मत या एका ही रीति सम्भव नहीं। दुः

सदरय दूसरोसे अधिक कुशल होंगे। यदि सबको एकसी मजूरी दीजाय तो अधिक कुशल श्रमजीवियोंको उनके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे कम मजूरी मिलेगी और कम कुशल श्रमजीवियोंको उनकी सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे अधिक। अधिक कुशल लोग कार्यत्यागकी धमकी देकर अपनी मजूरी सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यके सम करवा लेंगे और कम कुशल लोगोंको व्यवस्थापक उन्मृष्टिका भय देकर मजूरी उनकी सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यके सम करदेगा और इनप्रकार एकही यूथके सदस्योंकी भिन्न भिन्न मजूरी होगी। इस भिन्नताकी व्याख्या अर्थशास्त्रियोंने इस प्रकार की है कि प्रतिस्पर्धाके कारण अकुशलतम श्रमजीवियों को तो एकसी मजूरी मिलती है। यदि हम मजूरीको प्रमाण मान लियाजाय तो अधिक कुशल श्रमजीवी अपनी अपनी कुशलताके अनुसार मजूरी प्राप्त करपातेहैं अथवा प्रतिस्पर्धा द्वारा समकुशल श्रमजीवियों की मजूरी एकसी होनेके अतिरिक्त उनका कुशलताके अनुसार वर्गीकरणभी होजाता है। यो तो फिर एकही यूथके सदस्योंमें क्या असम्बन्धित श्रम करनेवालोंमें परोक्षरूपमें प्रतिस्पर्धा विद्यमानही रहतीहै! क्योंकि व्यवस्थापक भी तो निश्चित नही करपाने कि उन्हें इसप्रकार का श्रम करनेवाले एक और श्रमजीवीकी नियुक्ति करनी चाहिए अथवा उसप्रकार का श्रम करनेवाले की। व्यवस्थापको तथा श्रमजीवियोंमें सगठनके कारणभी श्रमवाजारोमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा कार्यशील नही होपाती। व्यवस्थापक लोग व्यवस्थापक सघोको स्थापित करके श्रमजीवियों को उनके द्वारा प्राप्त सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे कम मजूरी देनेका प्रयत्न करतेहैं और यदि श्रमजीवी इस मजूरीपर काम करना स्वीकार न करके मजूरी बढ़ानेके लिए आग्रह करें तो व्यवस्थापक सघ द्वारताल की घोषणा करदेते हैं। व्यवस्थापकोके पास तो वेकारी सहन करनेके लिए पर्याप्त मात्रामें पूजा होतीहै परन्तु श्रमजीवियोंको यह सौभाग्य प्राप्त नही होता। उन्हें अन्तमें व्यवस्थापकोके आगे झुकनाही पडता है। उनके इस दौर्बल्यको दूर करनेके लिए श्रमजीवियोंको श्रमजीवीसघो द्वारा सगठित करनेका प्रयत्न कियागया है। यदि व्यवस्थापक संघ श्रमजीवियोंको उनकी सीमान्त उत्पत्तिके मूल्यसे कम मजूरी देना निश्चित करतेहैं तो श्रमजीवी सघ हडतालकी घोषणा करदेते हैं। मजूरी इसकारण व्यवस्थापक और श्रमजीवी सघोके तुलनात्मक सघर्षसे निर्धारित होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धासे नही। श्रमजीवी सघ अपने व्यवसायमें नये लोगोंके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगाकरभी पूर्ण

प्रतिस्पर्धाके कारण होनेवाले पूर्ति परिवर्तनो का नियन्त्रण करनेमें सफलता प्राप्त करलेते हैं। सुशिक्षित और विगिष्ट श्रमजीवियोंके सघ विशेष रूपसे शक्तिशाली होते हैं।

इस स्थानपर यह कहदेना आवश्यक होगा कि व्यवस्थापक और श्रमजीवी सघो की सहायतासे प्रतिस्पर्धा द्वारा निश्चित मजूरी-स्तरसे कम अथवा अधिक मजूरी देने लेनेकी शक्ति सीमित है। मान लीजिए कि व्यवस्थापक सघ अपने उद्देश्यकी पूर्ति करनेमें सफल होजाते हैं। मजूरी, प्रतिस्पर्धा द्वारा निश्चित स्तरसे कम होनेके कारण व्यवस्थापको को अधिक लाभ प्राप्त होगा। नये व्यवस्थापक नयी सस्थाओं को स्थापित करदेंगे और श्रमकी मागमें वृद्धि होनेसे मजूरी फिर बढ़जायेगी। यदि श्रमजीवी सघ प्रतिस्पर्धा द्वारा निश्चित मजूरी स्तरसे अधिक मजूरी प्राप्त करलेते हैं तो व्यवस्थापकोके लाभमें कमी होगी। इस कमीसे बचनेके लिए उनके पास तीन प्रतिकार हैं। पहिलातो यह कि वे श्रमके स्थानपर पूजीकी प्रतिस्थापना करनेकी चेष्टा करेंगे। श्रमकी मागमें कमी होनेके कारण मजूरी कम होजायेगी अथवा लाभ में कमी आनेसे बहुतसे व्यवस्थापक अधिक लाभप्रद धन्योंमें पूजीका परिवर्तन कर लेंगे। इसकारण भी श्रमकी मांगमें कमी होगी। ऐसाभी होसकता है कि व्यवस्थापक उत्पन्न वस्तुके मूल्यमें वृद्धि करके उच्च मजूरीके भारको उपभोगताओंके कंधो पर उतारनेका प्रयत्न करें, परन्तु यह तभी सम्भवहै जब वस्तु विजेषकी माग लोचरहित हो अन्यथा उच्च मजूरीके कारण श्रमजीवियोंकी बेकारीमें वृद्धि हानेकी ही सम्भावना है। इसकारण सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम मजूरी श्रमजीवियोंका हित करनेके रथान हानिकर होसकती है। वे श्रमजीवी जिनकी सीमान्त उत्पत्तिको मात्राका मूल्य इसप्रकार निश्चित न्यूनतम मजूरीसे कमहै, उत्सृष्ट करदिये जायेंगे और मर्दबके लिए बेकार रहेगे। परन्तु न्यूनतम मजूरी प्रायः स्वेदपूर्ण श्रम लेनेवाने उद्योग-धन्योंमें काम करनेवालोंके लिएही निश्चित कीजाती है। ऐसे उद्योग धन्यों द्वारा निर्मित वस्तुओंके मूल्यमें वृद्धि करना प्रायः सम्भव होता है। उनकारण व्यवस्थापक मजूरीमें वृद्धिवा दोष उन वस्तुओंका उपभोग करनेवालोंके कंधोपर उतारनेमें सफल होपाते हैं। इनके प्रतिरित्त यदि मजूरी श्रमजीवियोंके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्यको उपयुक्त स्तरपर स्थित रखनेके लिए पर्याप्त न हो तो उनमें श्रमिके कारण उत्पादन-शक्तिमें वृद्धि होनेमें बास्तविक उपभोग-व्ययमें कमी हो

सकती है और यदि व्यवस्थापक असामान्य लाभ उठाकर श्रमजीवियोंका शोषण कर रहे हों तो भी मजूरी अधिक कर देने पर उनके द्वारा प्राप्त श्रमकी मागमें कमी होनेकी सम्भावना नहीं है।

नये आविष्कार और मजूरी

नये नये आविष्कारों द्वारा उत्पादन विधिमें होनेवाले परिवर्तनोंका मजूरीपर मिश्रित सा प्रभाव पड़ता है। आविष्कृत यन्त्र या तो श्रमकी वचन करनेवाले होते हैं या पूंजीकी। श्रमकी वचन करनेवाले यन्त्रोंके प्रचलित होनेसे प्राप्त श्रमकी मात्रा आवश्यकतासे अधिक होजाती है और पूंजीकी वचन करनेवाले यन्त्रोंके प्रचलित होनेसे पूंजीकी मात्रा आवश्यकतासे अधिक होजाती है। पहिली अवस्थामें मजूरी कम होगी और दूसरीमें व्याज। अधिकतर यन्त्र, श्रम और पूंजी दोनोंकी वचन करते हैं। मजूरीपर उन यन्त्रोंकी प्रतिक्रिया प्रतिकूल होगी, जो पूंजीसे श्रमकी अधिक वचन करते हैं। दीर्घकालमें आर्थिक प्रगति श्रमजीवियोंकी वास्तविक मजूरीमें वृद्धिका ही कारण होगी, क्योंकि अधिक उत्पादनकारी यन्त्रोंके आविष्कृत होनेपर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और इसकारण श्रमजीवियोंको मिलनेवाले राष्ट्रीय आयके भागमें निरपेक्ष रूपमें तो अवश्य ही वृद्धि होगी। सापेक्ष रूपमें उनका भाग पहिलेसे भी कम होसकता है क्योंकि यदि उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धिका अधिकांश पूंजीपति ही हड़प कर लें तो श्रमजीवियोंको थोडाही अंश प्राप्त होगा।

मजूरी-भुगतान

मजूरीका भुगतान दो प्रकारसे कियाजाता है। एकतो समयके अनुसार और दूसरे उत्पत्तिकी मात्राके अनुसार। पहिली अवस्थामें श्रमजीवीको प्रतिघंटे अथवा प्रतिदिनके श्रमकी निश्चित मजूरी दीजाती है और दूसरी अवस्थामें एक ऐसे श्रमजीवीकी मजूरी जो न अत्यन्त कुशल हो न अत्यन्त अकुशल, उसके द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्राकी सहायतासे निश्चित करली जाती है और उसे प्रामाणिक मानकर अधिक उत्पादन करनेवाले को अधिक और न्यून उत्पादन करनेवाले को कम मजूरी दी

जाती है। भुगतानके इन दोनों ढगोंको एकत्रितभी किया जासकता है। न्यूनतम मजूरी तो समयके अनुसार निश्चित की जासकती है और फिर उत्पत्तिकी मात्राके अनुसार मजूरी पूरकके रूपमें दी जासकती है। कभी कभी श्रमजीवियोंको प्राप्त लाभका कुछ भाग वाट दियाजाता है। यह सब ढग श्रमजीवियोंको प्रोत्साहन देने के है। श्रमजीवियोंको उत्पत्तिकी मात्राके अनुसार मजूरी भुगतानका ढग प्रायः प्रिय नहीं होता; क्योंकि उनके मतानुसार व्यवस्थापक उन्हें अधिक मजूरी कमाते कर प्रामाणिक मजूरी कम करदेते है।

हडताल अथवा द्वारतालसे होनेवाली हानिको रोकनेके लिए श्रमजीवियों और पूंजीपतियोंके आपसी भगड़ोको निपटानेका कार्य सौमनस्य स्थापन सभाओं और पंचोंको सांपा जाता है। पंचनिर्णय उसी दगामें सफल होसकता है जबकि पंच स्वयं दोनों दलोंके विश्वासका पात्र ही।

व्याज और उसके सिद्धान्त

शुद्ध तथा मिश्रित व्याज

पाश्चात्य देशोंमें जब औद्योगिक क्रान्ति हुई तो उद्योगधन्वोंके व्यवस्थापक तथा प्रबन्धक प्रायः पूजीपतिही थे। इसकारण तत्कालीन अर्थशास्त्रियों ने व्याज और लाभको एकही समझकर लाभको पूजीसे सम्बन्धित करनाही उचित समझा। परन्तु सन् १८५० में सीमित दायित्व विधानके पास होनेके अनन्तर संयुक्त पूजी कम्पनियों का प्रादुर्भाव हुआ और पूजी उधार लेकर उद्योगधन्वोंको स्थापित करना अथवा व्यापार चलाना सम्भव होगया। पहिले व्यवस्थापक अथवा उद्योगपति पूजीपति होना आवश्यक था। अब वह पूजी ऋणके रूपमें प्राप्तकर अपना कार्य चला सकता था। इसकारण व्याज और लाभमें भेद करनेकी आवश्यकता हुई। शुद्ध व्याजका तात्पर्य उस भुगतानसे है, जो उद्योगपति द्वारा पूजीकी उत्पादनके साधनके रूपमें सेवा प्राप्त करनेके लिए पूजीपतिको दियाजाता है। वास्तवमें पूजीपतिको किये जानेवाले भुगतानमें शुद्ध व्याजके अतिरिक्त उसके द्वारा प्राप्त कई अन्य सेवाओंके परितोषणका अंश भी सम्मिलित होता है। पूजी ऋणपर देनेके लिए ऋणदाताको कई प्रकारके कष्ट तथा आपत्तियां उठानी पडती है। ऋणका हिसाब किताब रखनेके लिए बहीखाते रखने पडते हैं। दियेहुए ऋणकी उद्योग धन्वोंके सफल न होनेपर अथवा ऋणीके छलकपट के कारणभी न मिल सकनेकी सम्भावना रहती है। इन सब कारणोंसे मिश्रित व्याजकी दर बहुत अधिक होनेपर ऐसाभी होसकता है कि शुद्ध व्याजकी दर बहुत अधिक न हो। ऋणदाता इसप्रकार की आपत्तियोंसे अपने आपको बीमा कम्पनियों द्वारा सुरक्षित करसकते हैं; परन्तु बीमा कम्पनियोंको दिया जानेवाला अधिक शुल्क शुद्ध व्याजमें सम्मिलित करना आवश्यक होजाता है। यही कारणहै कि उस ऋणके व्याजकी दरमें जिसमें कि परिश्रम आपत्ति इत्यादिके अंश सम्मि-

लित होते हैं, भिन्न भिन्न स्थानोपर ही नहीं परन्तु एकही स्थानपर भिन्न भिन्न व्यवसायो और भिन्न भिन्न पुरुषोके लिए उनकी जोखिम तथा साखके अनुसार भिन्नता होती है। परिश्रम और जोखिमके लिए प्राप्त अगको निकाल देनेके वाद शुद्ध व्याजका पूर्ण प्रतिस्पर्द्धाकी दगामें एकही बाजारमें एकही होना न्याययुक्त है। कठिनता यह है कि परिश्रम और जोखिमके लिए प्राप्त अगका पृथक करना इनता सरल नहीं, जितना कि प्रतीत होता है।

व्याज की दर

समय समय पर शुद्ध व्याजकी दरमें भी माग तथा पूर्तिमें परिवर्तनोके कारण परिवर्तन होते रहते हैं। अल्पकालमें इस दरमें परिवर्तन ऋण लेनेवाले व्यवस्थापक इत्यादि लोगोकी आवश्यकताओ और ऋण देनेवाले बैको इत्यादिके सामर्थ्यमें दिन प्रतिदिनके परिवर्तनों पर निर्भर रहते हैं। परन्तु दीर्घकालमें इनका सम्बन्ध उद्योग धर्मो द्वारा माग और वान्तविक वचतकी पूर्तिसे होता है। मागमें वृद्धि, जननस्या में वृद्धि होनेके कारणभी होसकती है और पूर्तिमें वृद्धि जनसंख्या की चिरसाल तक जीवन रहनेकी आगामें वृद्धि होनेके कारण भी। क्योंकि इन दगामें लोग भविष्यके लिए अधिक वचत करनाही उचित नमर्भेंगे। ऐसाभी विचार प्रकट किया जाताहै कि दीर्घकालमें शुद्ध व्याजकी दरकी गिननेकी ओन्ही प्रवृत्तिहै क्योंकि पूर्ण की पूर्तिमें उनको मागसे अधिक वृद्धि होती रहती है। प्राचीन अर्थशास्त्रियोंकी भविष्यवाणीके अनुसार यद्यपि इन प्रवृत्तियां शुद्ध तथा व्यापारकी मन्दी इत्यादिग निरोध होनाहै, फिरभी एहसमय ऐसा आनेवाला है जबकि शुद्ध व्याजकी दर अनुसन्ध होजायेगी। यो तो शुद्ध व्याजके बाका मन्दाकरणको प्राप्त करनाभी असम्भव नहीं यदि प्रत्येक व्यक्ति जसव करनेकी ही टालने और साधोके आसपास-कताओ में उस योगसे वृद्धि न होे जिनके विपक्षमें, तो हास्यकत है कि उद्योगार्थ विना व्याजकी पूँजीभी खीरान करनेके हकदार नमें परन्तु व्यापारमें तभी पूँजी हूषा मरी। मूल दरके कारण उद्योगकी मागमें तभी होजाती है और माग कम मगमें है। पूँजीका बाहुल्य होनेपर लोग इसके लिए अधिक उत्पनिप्रद प्रवास (निर्वास) करेंगे है। मध्य मदे आर्थशास्त्रो द्वारा ऐसेवाले उद्योग-विकासके परिणामको

द्वारा व्याजकी दरपर प्रभाव पड़ता है इन आविष्कारोके प्रयोगके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पडती है। इसकारण पूजीकी मागमें वृद्धि होनेसे व्याजकी दरमें भी वृद्धि होनेकी सम्भावना रहती है। परन्तु नवीनतायो का प्रयुक्त कियाजाना उसी दशामें सम्भवहै, जबकि उनसे अधिक उत्पत्ति प्राप्त होनेकी आशाहो। दीर्घ कालमें उत्पत्तिमें वृद्धि होनेके कारण लोगोकी पूजी सचय करनेकी शक्ति बढती है और फलस्वरूप उसकी पूर्तिमें मागसे अधिक वृद्धि होती है। इसलिए होसकताहै कि अन्तमें उत्पादन विधिमें उन्नति व्याजकी दरके गिरनेका कारण बने।

व्याजकी दरका हमारे आर्थिक अथवा सामाजिक जीवनसे घनिष्ट सम्बन्ध है। हम देखचुके है कि हमारा भौतिक कल्याण हमारी राष्ट्रीय आय तथा हमारी उत्पत्ति की मात्रापर निर्भर है। व्याजकी दर कम होनेसे उद्योगपतिको उत्पादन कार्यमें अधिकाधिक पूजीका प्रयोग करनेकी प्रेरणा मिलती है और पूजीका अधिक प्रयोग होनेके कारण उत्पत्तिकी मात्रामें भी वृद्धि होती है। उत्पादक पुरानी उत्पादन विधियोको तिलाञ्जलि देकर नयी नयी उत्पादन विधियोको अपनाते है। इसके अतिरिक्त पुरानी सस्थाओकी उत्पत्ति बढनेके साथ साथ नयी सस्थाएभी स्थापित होने लगती है। व्याजभी वस्तुओके उत्पादन-व्ययका एक अंश है। इसमें कमी होने से उत्पादन-व्ययमें कमी होतीहै और उत्पादन-व्ययमें कमी होनेसे वस्तुओके मूल्यमें कमी। फलस्वरूप उनकी माग बढतीहै और उसे पूरा करनेके लिए नयी सस्थाओका स्थापित करना अनिवार्य होजाता है। हम भलीप्रकार जानतेहै कि उद्योग धन्धोमें काम करनेवाले श्रमजीवियोको ऐसी वस्तियोमें रहना पड़ताहै जो मनुष्य तो मनुष्य पशुओके भी रहनेके योग्य नही। व्याजकी दर गिरनेसे उनके लिए अच्छे मकान बनाये जानेकी सम्भावना है। जहातक राष्ट्रीय आयके वितरणका सम्बन्धहै, व्याज की दरके अधिक होनेसे राष्ट्रीय आयका अधिकांश पूजीपतियोको प्राप्त होताहै परन्तु इसके न्यून होनेसे श्रमिको को। क्योकि प्रायः ऐसा देखनेमें आताहै कि जिन कारणोसे व्याजकी दरमें वृद्धि होतीहै उन्ही कारणोसे श्रमजीवियोकी जीविकामें ह्रास होता है। इसकारण व्याजकी दर बढनेपर राष्ट्रीय सम्पत्तिका अन्यायपूर्ण वितरण होनेकी सम्भावना है।

शुद्ध व्याजकी सामान्य दर किसप्रकार निर्धारित होतीहै इसकेलिए आजतक विभिन्न सिद्धान्त निर्मित किये जाचुके है। हम देखचुके है कि शुद्ध व्याज पूजीका

मूल्यहै और अन्य मूल्योकी भाति पूजीकी मांग और पूर्तिके सन्तुलनसे निर्धारित होता है। प्रस्तुत सिद्धान्तोमें से कुछ मागको महत्त्व प्रदान करते हैं और कुछ पूर्ति को।

पूजी की उत्पादनशीलता और व्याज

शुद्ध व्याज इसलिए दियाजाता है क्योंकि पूजीकी सहायतासे श्रमकी उत्पादन शक्ति में यन्त्र उपकरण इत्यादि उत्पादन सामग्री द्वारा वृद्धि होतीहै क्योंकि इन उपकरणों की सहायतासे श्रमिक द्वारा प्राप्त उत्पत्तिकी मात्रा उस समयसे अधिक होतीहै जब कि उसे यह उपकरण शून्यथे। कार्ल मैंगर ने उत्पादन कार्यमें प्राप्त पूजीकी सेवाओका औरभी गम्भीर विश्लेषण किया है। उनका कथनहै कि अन्तमें उपभोग कीजानेवाली वस्तुओको उत्पन्न करनेके लिए कच्ची सामग्रीको कई एक मध्यवर्ती श्रवन्त्याओमें से होकर जाना पडता है। उदाहरणके लिए कपामको ही लेनीलिए। पहिले इसे कातकर नूत बनाया जाताहै, फिर नूतमे कपडा और अन्तमें कपडेमे बन्ध जिनका उपभोग कियाजाता है, पूजीकी सहायतामे उत्पादक लोग इन मध्यवर्ती वस्तुओको उत्पन्न करनेके लिए लगनेवाले समयकी श्रवधि तक उनको उत्पन्न करनेके लिए श्रमिकोको प्रयुक्त करनेकी सामर्थ्य प्राप्त करतेहैं और शुद्ध व्याज पूजी मे प्राप्त इस सेवाका शुल्क रूप है। वाहमवावक ने भी व्याज दिये जानेके कारण बतलाते हुए मैंगर का समर्थन किया है। उनका मतहै कि पूजीकी सहायता से कपडो की वस्तुओ मध्यवर्ती श्रवन्त्याओमें से निकालकर उत्पन्न करनेमे उस वस्तुकी उत्पात्तिकी मात्रामें वृद्धि होजाती है। इन सिद्धान्तोंकी विशेषता यहहै कि ये उत्पादन कार्यमें समयके अभाव भी समावेश करदेते हैं। पूजीकी सहायतामे वस्तुओके उत्पादनको दिनम्बित किया जानासकता है और श्रम-पिनाजन तथा विशिष्टीकरण द्वारा शुन स्वस्तिकी मात्रामें वृत्ति की जानसकती है सोन वही वृद्धि व्याजका आधार है। यदि व्याजका कारण पूजीमें प्राप्त उत्पात्तिकी मात्रामें मात्र निरवधार्य तो व्याजका मात्र पूजीके शोभान्त प्रयोगसे प्राप्त उत्पत्ति होगी। इन प्रकार इन सिद्धान्तोंमें व्याजका शोभान्त उत्पत्ति निरवधार्य तथा इच्छित न होगी। अतः इनमें जो शुन धीन शेष निरवधार्य है, शिवाय विशेषण इस धर्म्य स्वतन्त्र रूपमें है।

उपभोग-व्याक्षेप, वट्टा और व्याज

पूतिका दृष्टिसे व्याजका उपभोग-व्याक्षेप तथा वट्टा सिद्धान्त प्रसिद्ध है। सीनियरका मतथा कि व्याज पूजापति को उपभोग-व्याक्षेप द्वारा उपभोगकी तृष्णा तृप्त न करनेके प्रयत्नका पुनस्तार मान है। उपभोग-व्याक्षेप द्वारा वचन करनेके लिए पूजापतिको कष्ट महन करना पडनाहिं जिक्रकेलिए उमको व्याजका प्रलोभन दियाजाना आवश्यक है। सीनियरसे पहिले मिन उत्थादिने उपभोग-व्याक्षेप करनेके लिए कियेगये प्रयत्न को श्रम मानकर इसी सिद्धान्तको श्रम सिद्धान्त का नाम दिया था। उपभोग-व्याक्षेप में कष्टका समावेश होनेके कारण यह आलोचनाकी जानेवगी कि उम शब्दका प्रयोग उचित नही: क्योकि वचनका अधिकारा ऐसे धनीलोगो द्वारा कियाजाता है जो अपनी श्रायको उपभोग्य नामकी पर खर्च करती नही पाते और इसकारण उन्हें वचन करनेके लिए तनिकभी कष्ट नही उठाना पडता। मार्शलने उपभोग-व्याक्षेपके स्थान पर प्रतीक्षा शब्द को और कैनन ने राचय को प्रयुक्त करनेकी सम्मतिदी है। बाहम वावर्कके वट्टा सिद्धान्तका सकेत वर्तमानकाल और भविष्यकाल में परस्पर वट्टेसे है। मनोवैज्ञानिको का कथनहै कि प्रत्येक प्राणी किसी वस्तुका वर्तमानमें ही उसके पास होना उस वस्तुके भविष्यमें उमे मिलनेसे अधिक श्रेयस्कर समझताहै क्योकि मनुष्य स्वभावतः वर्तमानमें उपभोगको भविष्यमें उपभोगसे वरीयता देता है। पूजापति वे लोगहै जिनके पास वर्तमानमें वेचनेके लिए वस्तुएहै क्योकि उन्हें उनकी वर्तमानमें आवश्यकता नही है। मानलीजिए उन वस्तुओ का वर्तमानमें मौद्रिक मूल्य १०५ रुपये और वर्ष भरके अनन्तर भविष्यमें केवल १०० रुपये अनुमान कियाजाता है। उस पूजापतिको ऐसेभी मनुष्य मिल जायगे जिन्हे उन वस्तुओकी वर्तमानमें ही आवश्यकताहै और जो साल भरके अनन्तर १०५ रुपये देनेका वचन देकर उन वस्तुओको प्रसन्नता से वर्तमानमें ही ग्रहण करलेंगे पूजापति को भी देनेमें बाधा न होगी क्योकि जिन वस्तुओके मूल्य वह सालभरके अनन्तर १०० रुपये अनुमान करता है उसके उसे १०५ रुपये दियेजाने का वचन दिया जा रहा है। अथवा इसप्रकार कह लीजिए कि वर्ष भरके अनन्तर भविष्य उसके लिए वर्तमान होजायेगा परन्तु तबभी देनेमें उसकी हानि नही क्योकि वर्तमानमें भी तो उसके लिए उन वस्तुओ का मूल्य १०५ रुपये ही है।

इस सिद्धान्तकी इसप्रकार भी व्याख्या की जासकती है। वर्तमानमें पूजापति ने १०० रुपये लेनेके लिए हमें साल भरके अनन्तर उसे १०० रुपयेसे अधिक लौटा देनेका वचन देना होगा क्योंकि इस सिद्धान्तके अनुसार हाथमें १०० रुपये भविष्यमें मिलनेवाले १०० रुपयेसे अधिक मूल्यवान है। उसके अनुमानमें वर्तमानके २५ रुपये भविष्यके १०० रुपयेके समझे तो ऋण लेनेवालेको २५ रुपये लेकरही भविष्यमें १०० रुपये देनेका वचन देना होगा अन्यथा पूजापति ऋण देनेके लिए उद्यत न होगा।

बृहस्पतिवचनके सिद्धान्तसे मिलना जुलता फिगरका समयवरीयता सिद्धान्त है। इसके अनुसार सगरमें दो प्रकारके मनुष्य मिलते हैं। एक तो वे जो बृहस्पतिवचनमें पाण्डारिक उत्तरदायित्व बढ़ने तथा उपाजन मभितमें ह्रास होनेके कारण भविष्य में मिलनेवाली आयको अधिक वाञ्छनीय समझते हैं। ऋणों की पूर्ति और उत्तका पूर्वमूल्य इन लोगोंकी समयवरीयतामें निर्धारित होगा। कुछ ऐसीही लाग होने जो भविष्यमें अपनी आयको बढानेके लिए अथवा अपनी संस्थाओं इत्यादि को विस्तृत करनेके लिए वर्तमानमें ऋण लेनेके उच्छुक होंगे। ये लोग ऋणोंकी मात्रा और उनका मागमूल्य निर्धारित करते हैं।

इसप्रकार पूर्तिकी औरसे व्याजकी दर लोगोंकी मचय करनेकी उच्छा तथा मभित पर निर्भर है। जितनीही लोगोंमें यह उच्छा तथा मभित प्रचल होगी, उतनीही उन व्याजकी दरनी कम होगी जो लोगों को वचन करनेवा प्रलोभन देनेके लिए चावश्यक होगी। दर उतनी होनी चाहिए जो सीमान्त वचन करनेवाले को प्रलोभन देनेके लिए पर्याप्त हो।

मागरी औरसे यह दर पूजापति उत्पादनमक्ति पर निर्भर है। उत्पादक लोग अन्य माधनोंके स्वयंसेवक पूजापति परनिश्चयना उन समय तक परते रहते हैं, जबतक कि पूजापति सीमान्त उत्पत्ति अन्य माधनोंकी सीमान्त उत्पत्तिके सम मारी हो जाती। परन्तु पूजापति अधिनासिक प्रयोग होनेके कारण उनकी सीमान्त उत्पत्ति में उग्रम होता चला जाता है और उसकारण व्याजकी दर उतनी होना आवश्यक है जो सीमान्त लेनेवालेको पूजापति स्वयंसेवक उत्पत्ति परनिश्चयने भागको प्रदानके सममें लेनेवा प्रलोभन दे सके। सन्तुलन इस दरपर स्थापित होजाता है किमपर कि पूजापति को मार धार पूर्ति दोनों मम होजाती है।

व्याज और द्रव्य-वरीयता

कीन्स के मतानुसार व्याजकी दर एक शुद्ध द्रव्यात्मक घटना है और द्रव्यकी पूर्ति और मागसे निर्धारित होती है। द्रव्यकी पूर्तिने उसका तात्पर्य द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रासे है जिसमें सरकारी द्रव्यके अतिरिक्त वैकोका राग्य द्रव्यभी सम्मिलित है। द्रव्यकी मांग जन-समुदायके उस स्वभावसे निश्चित होती है जिसे उन्होने द्रव्य-वरीयताका नाम दिया है। प्रत्येक प्राणी अपनी सम्पत्तिके कुछ अंशको या तो द्रव्यके रूपमें रखनेका इच्छुक होता है या कमसे कम उस रूपमें कि वह स्वेच्छानुसार तुरन्तही उसे द्रव्यके रूपमें परिणत कर सके, इनके उसने चार कारण बताये हैं :

(१) आय—उद्देश्य, प्रायः मनुष्यकी आय तो निश्चित तिथियोंपर प्राप्त होती है परन्तु व्यय दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। इसकारण कुछ द्रव्य सदैव उसे अपने पास रखना पड़ता है। (२) व्यापार—उद्देश्य, व्यापार में द्रव्यका व्यय तो पहिले करना पड़ता है और प्राप्ति शनैः शनैः विक्री होनेके अनन्तर होती रहती है। इस कारण व्यापारी लोगोको कुछ सम्पत्ति द्रव्यके रूपमें रखना आवश्यक होजाता है। (३) पूर्वावधारणा—उद्देश्य, कई व्यय अकस्मात् करने पड़जाते हैं। कभी कभी व्यापारी लोगोको अकस्मात् लाभ प्राप्त करनेके अवसर मिलजाते हैं। द्रव्यका अभाव होनेपर ऐसे अवसरोपर हानिकी सम्भावना रहा करती है। (४) सट्टेका उद्देश्य—सट्टा करनेके लिए भी द्रव्यके रूपमें सम्पत्तिका रखना अनिवार्य सा ही है।

इन उद्देश्योंकी शक्ति आयकी मात्रा परही निर्भर नहीं वरन् इस बातपर भी निर्भर है कि वह आय कितने कितने समयके अनन्तर प्राप्त होती है। आर्थिक व्यवस्थाकी प्रगति मन्दी अथवा चढाईकी ओर होनेका भी इस शक्तिसे घनिष्ट सम्बन्ध है।

कीन्स के मतानुसार व्याजकी दर पूजीका वह मौद्रिक मूल्य नहीं है जो पूजीकी उत्पादन-शक्ति द्वारा निर्धारित माग और उपभोग-व्याक्षेप द्वारा कृत बचत अर्थात् पूर्तिमें सन्तुलन स्थापित करता है परन्तु वह मौद्रिक मूल्य है जो सन्तुलन तो स्थापित करता है परन्तु यह सन्तुलन लोगोकी द्रव्यके रूपमें सम्पत्तिको अपने आधीन रखनेकी इच्छाके कारण द्रव्यकी माग और द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रामें होता है। इसका अर्थ

यह हुआ कि यदि व्याजकी दर कम होजाये तो लोगोंको अपनी सम्पत्तिका द्रव्यके रूप में रखनेकी इच्छा को पूरा करनेके लिए कम हानि उठानी पड़ेगी। अथवा सम्पत्ति को द्रव्यके रूपमें न रखकर उद्योगपतियोंको ऋण पर देनेसे अपनी इच्छा को दवाने के लिए उन्हें व्याजके रूपमें कम पुरस्कार मिलेगा। इसकारण वे द्रव्यके रूपमें अपनी सम्पत्ति रखना उचित समझेंगे। फलतः द्रव्यकी माग द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रा से अधिक होगी। इसके विपरीत यदि व्याजकी दर बढ़जाय तो उपलब्ध द्रव्यकी कुछ मात्रा ऐसी शेष रहेगी जो कोईभी अपने पास द्रव्यके ही रूपमें रखनेके लिए उद्यत न होगा। इससे स्पष्ट है कि कीन्सके अनुसार द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रा द्रव्यकी पूर्ति है और सम्पत्तिकी वह मात्रा जो लोग द्रव्यके रूपमें रखनेके इच्छुक हो, द्रव्यकी माग है और इन दोनोंमें व्याजकी दरसे सन्तुलन स्थापित होता है।

व्याज और पूंजी की उत्पादनशीलता

इस रथानपर यह उल्लेख आवश्यक होगा कि कीन्सके सम्पत्तिको द्रव्यके रूपमें रखनेके पहिले उद्देश्यकी सहायतासे कीन्ससे पहिलेही वेकस्टीडने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न कियाथा कि व्याज प्राप्त करनेके लिए पूंजीका उत्पादक होना आवश्यक नहीं है अर्थात् पूंजी उत्पादन-शक्तिसे वंचितभी होती तोभी उसे ऋणपर देनेके लिए व्याज प्राप्तही होता। इस ससारमें दो प्रकारके मनुष्य मिलते हैं। एकतो वे जिन्हें आय तो निश्चित समयपर प्राप्त होती है परन्तु व्यय दिन प्रतिदिन अथवा अनियमित ढंगसे भिन्न भिन्न अवसरोपर करना पड़ता है। दूसरे वे जिनको जीवनभर अपने व्ययको चलानेकी सामग्री आरम्भसे ही द्रव्यके रूपमें लभ्य होती है। पहिले प्रकारके मनुष्योंकी जीवनभर में उपाजित आय जीवनभर किये जानेवाले व्ययके सम होनकती है परन्तु अल्पकालमें व्यय आयसे अधिकभी होनकता है। इसकारण अल्पकालमें उन्हें ऋण लेनेकी आवश्यकता रहती है। दूसरे प्रकारके मनुष्य जीवनभरभी आवश्यकताओंको सन्तुष्ट करनेके लिए वस्तुओंकी तो खरीद नहीं मगने इस कारण उनके पास कुछ द्रव्य बेकारही पड़ा रहता है। पहिले प्रकारके मनुष्योंको ऋण लेनेमें लाभ है और दूसरे प्रकारके मनुष्योंको ऋण देनेमें यदि लाभ नहीं तो बसने नम एगिनभी नहीं है। यही कारण है कि प्रायः ऋण देनेवालों की देने की रक्षा

व्याज और द्रव्य-वरीयता

कीन्स के मतानुसार व्याजकी दर एक शुद्ध द्रव्यात्मक घटना है और द्रव्यकी पूर्ति और मागसे निर्धारित होती है। द्रव्यकी पूर्तिमें उमना तात्पर्य द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रासे है जिगमें सरकारी द्रव्यके अतिरिक्त वैजोका माग द्रव्यभी सम्मिलित है। द्रव्यकी मांग जन-समुदायके उस स्वभावसे निश्चित होती है जिसे उन्होंने द्रव्य-वरीयताका नाम दिया है। प्रत्येक प्राणी अपनी सम्पत्तिके कुछ अंशको या तो द्रव्यके रूपमें रखनेका इच्छुक होता है या कमसे कम उस रूपमें कि वह स्वेच्छानुसार तुरन्तही उसे द्रव्यके रूपमें परिणत कर सके, उसके उमने चार कारण बताये हैं :

(१) आय—उद्देश्य, प्रायः गनुष्यकी प्राय तो निश्चित तिथियोंपर प्राप्त होती है परन्तु व्यय दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। इसकारण कुछ द्रव्य सदैव उसे अपने पास रखना पड़ता है। (२) व्यापार—उद्देश्य, व्यापार में द्रव्यका व्यय तो पहिले करना पड़ता है और प्राप्ति शनैः शनैः विक्री होनेके अनन्तर होती रहती है। इस कारण व्यापारी लोगोको कुछ सम्पत्ति द्रव्यके रूपमें रखना आवश्यक होजाता है। (३) पूर्वाविधारणा—उद्देश्य, कई व्यय अकस्मात् करने पड़जाते हैं। कभी कभी व्यापारी लोगोको अकस्मात् लाभ प्राप्त करनेके अवसर मिलजाते हैं। द्रव्यका अभाव होनेपर ऐसे अवसरोपर हानिकी सम्भावना रहा करती है। (४) सट्टाका उद्देश्य—सट्टा करनेके लिए भी द्रव्यके रूपमें सम्पत्तिका रखना अनिवार्य सा ही है।

इन उद्देश्योंकी शक्ति आयकी मात्रा परही निर्भर नहीं चरन् इस बातपर भी निर्भर है कि वह आय कितने कितने समयके अनन्तर प्राप्त होती है। आर्थिक व्यवस्थाकी प्रगति मन्दी अथवा चढाईकी ओर होनेका भी इस शक्तिसे घनिष्ठ सम्बन्ध है।

कीन्स के मतानुसार व्याजकी दर पूजीका वह मौद्रिक मूल्य नहीं है जो पूजीकी उत्पादन-शक्ति द्वारा निर्धारित माग और उपभोग-व्याक्षेप द्वारा कृत वचत अर्थात् पूर्तिमें सन्तुलन स्थापित करता है परन्तु वह मौद्रिक मूल्य है जो सन्तुलन तो स्थापित करता है परन्तु यह सन्तुलन लोगोकी द्रव्यके रूपमें सम्पत्तिकी अपने आधीन रखनेकी इच्छाके कारण द्रव्यकी माग और द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रामें होता है। इसका अर्थ

यह हुआ कि यदि व्याजकी दर कम होजाये तो लोगोको अपनी सम्पत्तिका द्रव्यके रूप में रखनेकी इच्छा को पूरा करनेके लिए कम हानि उठानी पड़ेगी। अथवा सम्पत्ति को द्रव्यके रूपमें न रखकर उद्योगपतियोको ऋण पर देनेसे अपनी इच्छा को दवाने के लिए उन्हें व्याजके रूपमें कम पुरस्कार मिलेगा। इसकारण वे द्रव्यके रूपमें अपनी सम्पत्ति रखना उचित समझेंगे। फलतः द्रव्यकी माग द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रा से अधिक होगी। इसके विपरीत यदि व्याजकी दर बढ़जाय तो उपलब्ध द्रव्यकी कुछ मात्रा ऐसी शेष रहेगी जो कोईभी अपने पास द्रव्यके ही रूपमें रखनेके लिए उद्यत न होगा। इससे स्पष्ट है कि कीन्सके अनुसार द्रव्यकी कुल उपलब्ध मात्रा द्रव्यकी पूर्ति है और सम्पत्तिकी वह मात्रा जो लोग द्रव्यके रूपमें रखनेके इच्छुक हों, द्रव्यकी माग है और इन दोनोंमें व्याजकी दरसे सन्तुलन स्थापित होता है।

व्याज और पूँजी की उत्पादनशीलता

इस स्थानपर यह उल्लेख आवश्यक होगा कि कीन्सके सम्पत्तिको द्रव्यके रूपमें रखनेके पहिले उद्देश्यकी सहायतासे कीन्ससे पहिलेही वेकस्टीडने यह निश्चय करनेका प्रयत्न कियाथा कि व्याज प्राप्त करनेके लिए पूँजीका उत्पादन होना आवश्यक नहीं है अर्थात् पूँजी उत्पादन-शक्तिसे वचितभी होती तोभी उसे ऋणपर देनेके लिए व्याज प्राप्तही होता। इन नसारमें दो प्रकारके मनुष्य मिलने हैं। एकतां वे निरर्थक श्रम तो निश्चित समयपर प्राप्त होती है परन्तु व्यय दिन प्रतिदिन अथवा आनय-मित ढंगमें भिन्न भिन्न अवसरोंपर करना पड़ता है। दूसरे वे जिनको जीवनभर अपने व्ययको खानेकी सामग्री आरम्भसे ही द्रव्यके रूपमें लब्ध होती है। पहिले प्रकारके मनुष्योंकी जीवनभर में उपाजित श्रम जीवनभर सिधे खानेके लिये प्रयोग किया जाता है परन्तु अन्ततन्त्रमें व्यय श्रममें अधिकनी होसकता है। इनका अन्ततन्त्रमें उन्हें ऋण देनेकी आवश्यकता पड़ी है। दूसरे प्रकारके मनुष्य जीवनभर ही आरम्भसे ही मनुष्य होनेके लिए मनुष्योंकी ही तरीक नहीं करते इस कारण इनके पास कुछ द्रव्य खानेकी शक्त रहता है। पहिले प्रकारके मनुष्यों को ऋण देनेमें लाभ है और दूसरे प्रकारके मनुष्योंको ऋण देनेमें यदि लाभ नहीं तो उनके लक्ष्य नहीं है। यही कारण है कि प्रायः ऋण देनेवालों को देनेकी दरता

उतनी तीव्र नहीं होती है जितनी कि ऋण लेनेवालोंकी लेनेकी इच्छा। इन दोनों इच्छाओंकी तीव्रताको सम करनेके लिए लेनेवाले देनेवालोंको कुछ प्रलोभन देते हैं। इसी प्रलोभनका नाम व्याज है।

व्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूजाकी माग पूजाकी पूर्ति से सदैव अधिक रहती है। व्याज पूजाका मूल्य होनेके कारण उपलब्ध पूर्तिको त्रयशक्ति युक्त माग के सम कर देता है। पूर्तिकी तुलनात्मक न्यूनताके कारण पूजाका किसी विशेष उद्देश्यके लिए नियोग करनेसे उस पूजाका अन्य उद्देश्योंके लिए नियोग अमम्भव हो जाता है। इसकारण व्याज द्वारा यह निर्णय करनेमें सहायता मिलती है कि पूजाका किन उद्देश्योंके लिए नियोग किया जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टिसे प्रतिस्पर्धी नियोगों में से वह नियोग श्रेष्ठतम समझा जायगा जिसमें पूजा लगानेसे अधिकतम लाभ प्राप्त होनेकी आशा हो। सामाजिक दृष्टिसे भी वह नियोग श्रेष्ठतम है या नहीं यह निर्णय करना अर्थशास्त्रका नहीं वरन् समाजशास्त्र इत्यादि अन्य शास्त्रोंका विषय है।

लाभ

गुद्ध और मिश्रित लाभ

उत्पादन कार्यको चुच्चारु रूपसे चलानेके लिए व्यवस्थापको अथवा उद्योगपतियों की आदश्यकता होती है। ये लोग अन्य उत्पादनके माधनको एकत्रित करके उत्पादन कार्यमें मलग्न करने हैं। उत्पत्तिकी भविष्यमें होनेवाली मागका अनुमान लगाकर उनके आधारपर उत्पत्तिकी मात्रा निश्चित करते हैं। आर्थिक क्षेत्रमें अगुओवा रूप धारण करके नित नयी उत्पादन-विधियोंका प्रयोग करते हैं और नयी नयी यन्त्रुएँ उत्पन्न करते हैं। इन सब कारणोंसे उन्हें ऋणपर पूजी देनेवालोंके अधिक जोखिम उठानी पडती है जिसके पुरस्कारके रूपमें उन्हें लाभ प्राप्त होता है। अर्थ-धारकी गुद्ध लाभ और मिश्रित लाभमें भेद करते हैं। मिश्रित लाभमें गुद्ध लाभ के अनिश्चित व्याज तथा मजूरीके अंशभी सम्मिलित होते हैं। कई एक उद्योगपति अपने उद्यममें निजी पूजीका भी प्रयोग करते हैं। इन पूजीको यदि वे ऋणमें देदेते तो उन्हें व्याज प्राप्त होता। इसकारण उद्योगपतियोंको प्राप्त कुल लाभमें वे उस व्याजकी मात्राको निकाल देना आवश्यक है। उन्नीप्रकार प्रत्येक उद्योगपतिको उद्यमके निरीक्षण आदिका कार्य करनाही पडता है। यदि उनकी श्रमता उद्यम न होना तो वह प्रबन्धकके रूपमें उस कार्यके लिए वेतन पाता। उन्मात्तण वृत्त प्राप्त लाभमें वे उद्योगपतिको प्रबन्धकके रूपमें मिल सकनेवाले वेतनको भी मिलान देना चाहिए। शेष बची हुई मात्रा उद्योगपतिके जोखिम उठाने तथा उद्योग-साहसिकता का पुरस्कार है और उसे गुद्ध लाभ कहा जाता है।

लाभ का भूमि-कर सिद्धान्त

अनिरुध्द धर्मेस्मिन् अर्थशास्त्रो सायबरका मतया हि लाभकी मात्रा ही उद्योगपति

निश्चित होती है जैसे भूमि-कर की। किन्ती विशेष उद्योग धन्धे में होनेवाला उत्पादन-व्यय उस उद्योग धन्धे की सीमान्त मरथाके उत्पादन-व्ययसे निश्चित किया जाता है और उस उत्पादन-व्ययके सम मूल्यपर उत्पन्न वस्तु बाजारमें विक्रिती है क्योंकि सीमान्त सस्था सीमान्त भूमिके समान केवल अपने उत्पादन-व्ययको ही पूरा कर पाती है। सीमान्त सस्थामे ऊपरकी मस्थाओंकी उनके व्यवस्थापकों में अधिक योग्यता के कारण उत्तम व्यवस्था होती है और उनके उत्पादन-व्यय प्रत्येक व्यवस्थापकके कार्यकीशलके अनुसार कम होते हैं। वे सीमान्त मस्थाके उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित मूल्यपर भी वस्तु बेचकर उत्पादककी वचतके रूपमें लाभ प्राप्त करते हैं। अपने मतकी पुष्टिके लिए वाकरने एक ऐसे व्यवस्थापककी कल्पनाकी है जिसे तनिकभी लाभ प्राप्त न होता हो। ऐसे लोग व्यर्थही उत्पादन कार्यमें सलग्न होने का कष्ट लेते हैं। परन्तु उनकी सस्थाओंका आर्थिक दृष्टिसे महत्त्व है क्योंकि उस उद्योग धन्धे द्वारा उत्पन्न वस्तुओंका मूल्य इसी प्रकारकी सस्थाओंके उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होता है। इसीकारण वाकरने इन सस्थाओंको सीमान्त सस्था माना है। इनसे ऊपर वे सस्थाएँ हैं जिनको मार्शल ने प्रतिनिधि सस्था कहा है। यह सस्था नतो वाकरकी सीमान्त सस्थाके समान ऐसीही होती है कि इसके व्यवस्थापकको कुछ लाभही प्राप्त नहो और न बड़ी बड़ी समृद्ध सस्थाओंके समान ऐसी कि इसके व्यवस्थापक बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हो बल्कि ऐसी जो दीर्घकालसे तो स्थापित हो, सामान्य योग्यतासे उसका प्रबन्ध हो रहा हो, सामान्य उत्पादन-विधि को प्रयुक्त कर रही हो और अधिक मात्रामें उत्पन्न करनेकी सामान्य मितव्ययिता इसे प्राप्त हो रही हो। ऐसी सस्थाओंसे ऊपर वे सस्थाएँ होती हैं जिनके व्यवस्थापक अत्यन्त योग्य होते हैं और अपनी योग्यताकी सहायतासे बड़े बड़े लाभ प्राप्त करते हो और इनसे भी ऊपर उन दिडनागोंकी सस्थाएँ होती हैं जिनके लाभकी सीमा बाधनाही असम्भव है।

हम देखचुके हैं कि बाजारभाव तो निश्चित होता है सीमान्त सस्थाके उत्पादन-व्ययसे। इसकारण सीमान्त सस्थासे ऊपरकी सस्थाएँ उन व्यवस्थापकोंकी योग्यता के अनुसार ठीक उसी प्रकार लाभ उठाती हैं जिस प्रकार सीमान्त भूमिसे ऊपर की भूमियोंको उनकी उत्पादनशक्तिके अनुसार भूमि-कर प्राप्त होता है। इस सिद्धान्तके अनुसार लाभको योग्यताका कर कहना अत्युक्ति न होगी।

इस सिद्धान्तके अनुसार वस्तुशोका मूल्य निर्धारित करनेमें भूमिकरके समानही लाभका तनिकभी हाथ नहीं क्योंकि मूल्य निर्धारित करनेवाली सीमान्त संस्थाके उत्पादन-व्ययमें लाभका अभाव होता है। इसके विपरीत लाभ स्वयं मूल्यसे निर्धारित होता है, क्योंकि मूल्य गिरनेसे सीमान्त संस्थाएँ तो बन्द होजाती हैं और उनका स्थान थोडा बहुत लाभ प्राप्त करनेवाली संस्थाएँ ग्रहण कर लेती हैं। परोक्ष रूप में भलेही लाभका मूल्योपर प्रभाव पड सकना सम्भव होसकता हो। क्योंकि अपनी योग्यताके कारण अधिक लाभ उठानेवाले व्यवस्थापक उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि करके उत्पादन-व्ययमें क्रमशः ह्रास होनेकी सम्भावनाका लाभ उठानेके उद्देश्यसे अपनी त्रिकी बढ़ानेके लिए सीमान्त संस्थाके उत्पादन-व्ययसे कम मूल्यपर वस्तु बेच सकते हैं।

प्राचीन अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार वाकरकी लाभसे वञ्चित संस्थाका अस्तित्व असम्भव था क्योंकि कोई भी व्यवस्थापक तबतक व्यर्थही अपनी योग्यता एवं श्रम का व्यय करनेके लिए उद्यत न होगा जबतक कि उसे किसी विशेष उद्योग धन्धेमें प्राप्त होनेवाले औसत लाभके मिलनेकी आशा न हो। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विश्वासथा कि किसीभी व्यवस्थापकको किसीभी उद्योग धन्धेमें उसमें प्राप्त होनेवाले औसत लाभसे अधिक लाभ प्राप्त नहीं होसकता। अल्पकालमें भलेही कोई व्यवस्थापक इस औसत लाभसे न्यून अथवा अधिक लाभ प्राप्त करले परन्तु दीर्घकालमें औसत लाभसे कम लाभ प्राप्त करनेवाली संस्थाएँ स्वयंही बन्द हो जायेगी और यदि प्राप्त लाभ औसत लाभसे अधिक होगा तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी परिणाममें नयी संस्थाएँ उस उद्योग धन्धे की ओर आकर्षित होंगी जिनकी स्थापना लाभ पुनः अपने प्राकृतिक स्तरपर आजायेगा। इसप्रकार नयी संस्थाओंकी स्थापना अथवा पुनर्जागरण मर्यादाओंका लोप होनेसे प्रत्येक उद्योग धन्धेमें मिलनेवाले औसत लाभ में एक मनुमान ना स्थापित होजायेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक उद्योग धन्धेमें कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होनेकी आशा न प्रेरित होकर व्यवस्थापक उन धन्धेकी ओर आकृष्ट होंगे परन्तु सभी उद्योग धन्धे में कि उस उद्योगधन्धेमें मिलनेवाले औसत-लाभका स्तर उनका नियत होगा किन्तु कि प्राचीन अर्थशास्त्री मानते थे। और निम्न निम्न संस्थाओंके लाभमें अंतर पड़ा तो स्वाभाविक ही है। इनके निर्धारण सामान्य अथवा असाधारण

का निश्चित करना करना सरल नहीं जितना कि प्राचीन अर्थशास्त्री समझते थे। व्यवस्थापकों की बुद्धि एवं योग्यता में अन्तर होनेके कारण भिन्न भिन्न संस्थाओंके लाभोंमें अन्तर होना आवश्यक सा है। इस कठिनाई को मार्शल ने प्रतिनिधि सस्थाकी कल्पना द्वारा दूर करनेकी चेष्टाकी थी। उस संस्थाको प्राप्त होनेवाले लाभको उस उद्योग धन्धेमें मिलनेवाला सामान्य लाभ मानना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह कहेना अनुचित न होगा कि वाक्की लाभ-वंचित सस्थाका अस्तित्व भी इतना अमम्भव नहीं जितना कि प्राचीन अर्थशास्त्री और उनके अर्वाचीन अनुयायी मानते हैं। किसी सस्थामें एकवार नियुक्त पूजिका, विशेषकर रथायी रूपमें नियुक्त पूजिका किसी अन्य उद्योग धन्धेमें परिवर्तन कठिन होजाता है। इसकारण लाभ के अभावकी स्थितिमें भी कई सस्थाएँ उत्पादन कार्य बन्द नहीं करनी। इसी प्रकार कई व्यवस्थापक केवल अपनी नियुक्त पूजिकपर व्याज प्राप्त करकेही सन्तुष्ट होजाते हैं। इसके अतिरिक्त यहभी आवश्यक नहीं कि कोई सस्था सदैवके लिए लाभ-वंचित सस्थाही रहे। प्रत्येक उद्योग धन्धेमें नित नयी सस्थाएँ स्थापित होती रहती हैं। बहुतसी अस्थायी संकटों से ग्रस्त होजाती हैं, बहुतसी पतनोन्मुख होती हैं। ऐसी सस्थाओंको लाभ प्राप्त नहीं होता परन्तु कालान्तरमें इनमें से बहुतसी कुछ लाभ उपार्जन करने योग्य होजायेंगी और अन्य अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगी और उनका स्थान अन्य सस्थाएँ ग्रहण करलेंगी।

किन्तु मार्शलके अनुसार किसी उद्योग धन्धेमें पूजिका विनियोग उस उद्योग धन्धे की प्रतिनिधि-सस्थाके उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होता है। इस उत्पादन-व्यय में उस प्रतिनिधि सस्थाको प्राप्त होनेवाला सामान्य लाभभी सम्मिलित होता है और मूल्यभी इसी प्रतिनिधि सस्थाके उत्पादन-व्यय द्वाराही निर्धारित होता है। इसकारण सामान्य लाभभी मूल्य में शामिल होता है। प्रतिनिधि सस्थासे अधिक कुशल सस्थाओंको प्राप्त अतिरिक्त लाभका मूल्यमें समावेश सम्भव नहीं।

जोखिम और लाभ

एक और सिद्धान्तके अनुसार शुद्ध लाभ केवल वह पुरस्कार है जो उद्योगपतिको सस्था स्थापित करनेकी जोखिम उठानेके लिए प्राप्त होता है। नाइट ने जोखिम

भी दो प्रकारकी बताई है। एकतो वह जोखिम जिसके कारण होनेवाली हानिकी गणना गणितशास्त्रके नियमों द्वारा निश्चित रूपसे की जासकती है और इस कारण उससे बचनेके लिए बीमा इत्यादि साधनोंका उपयोग किया जासकता है। बीमाके कार्यके लिए विशेष सम्थाए होतीहैं और उनको दियागया अधिक शुल्क व्यवस्थापकके उत्पादन-व्ययमें सम्मिलित करलिया जाता है। परन्तु दूसरी जोखिम इस प्रकारकी होती है कि उसके कारण होनेवाली हानिकी गणना असम्भव होतीहै यद्यपि मनुष्य त्रिकालदर्शी तो है नही कि भविष्यमें होनेवाली सब घटनाओं का पूर्णरूपसे वर्तमान में ही ज्ञान प्राप्त करले। इस प्रकारकी जोखिमसे होनेवाली हानि की गणना करनेमें गणितशास्त्रभी असमर्थ है और इसकारण उससे बचाव का कोईभी साधन नही। नाइत्ने इस प्रकारकी जोखिमको अनिश्चितताका नाम दियाहै और उसका मतहै कि शुद्ध लाभ व्यवस्थापकको इस अनिश्चितता स्पी जोखिम उठानेका पुरस्कार मात्र है। यदि अनिश्चिततान होती तो लाभका अभाव जाता।

व्याज का प्रगतिशील सिद्धान्त

इस सिद्धान्तका जन्मदाता प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री क्लार्क था। उनमें अर्थ व्यवस्थाके दो भेद किये हैं। एकतो स्थिर और दूसरा प्रगतिशील। स्थिर अर्थ-व्यवस्था वहहै जिसमें जनसंख्या और पूँजीमें किसीभी प्रकारकी वृद्धि नहीं होती; नये आविष्कारोंका अभाव रहता है; उत्पादन रीतियाँ ज्यों की त्यो रहती हैं। नक्षेपमें स्थिर अर्थ-व्यवस्थामें परिवर्तनोंका अभाव रहता है। यद्यपि ऐसी व्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थितिमें उत्पादनके माधन गतिशील होनेहैं किन्तु गतिता अभाव रहताहै यद्यपि प्रत्येक व्यवस्थामें श्रम और पूँजी उत्पादन-रीतियाँ सम शक्तो हैं। इस प्रकार की स्थिर अर्थ-व्यवस्था में कर्ताओंके मतानुसार शुद्ध लाभका अभाव अस्मभव है और सम्पूर्ण उत्पत्ति श्रम और पूँजी हानिही होगी और श्रम शक्तिमें एक पूँजीशक्तियोंमें उत्पत्ति अलग-अलग होगी है। ऐसी स्थितिमें लाभ का अभाव ही नहीं उठता। पूर्ण प्रतिस्पर्धाके कारण मजूरी और व्याज श्रम और पूँजी शक्तों के प्रति समानानुपातित्वमें वृद्धि कर लेते हैं। अस्मभविकों और पूँजीशक्तियों

में वितरित होनेके अनन्तर राष्ट्रीय आयका कोईभी अतिरिक्त भाग शेष नहीं रहता जिसका कि लाभके रूपमें वितरण किया जासके। परन्तु क्लार्कका मतथा कि कोईभी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं होती। जनसंख्या और पूँजीमें वृद्धि, उत्पादन रीतियोंमें उन्नति, प्रौद्योगिक व्यवस्थाके रूपोंमें और उपभोजनाओंकी आवश्यकताओंमें परिवर्तन प्रत्येक अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाये रखनेके मुख्य कारण है। उद्योगपति का कर्तव्य अर्थ-व्यवस्था में होनेवाले इन्हीं परिवर्तनोंसे सम्बन्धित है। उसे अपने कर्तव्य-पालनके लिए साधारण श्रमिकोंके ममान श्रम नहीं करना पड़ता वरन् उसका अस्तित्व श्रम और पूँजीको उत्पादनशील बनानेके लिए आवश्यक होता है। श्रम और पूँजीको उन्नित अनुपातमें संयोजित करनेसे ही उनकी उत्पादनशीलतामें वृद्धि होजाती है और यही बढीटुई उत्पत्ति उद्योगपति को उसके साहसके बदले लाभके रूपमें प्राप्त होती है। उदाहरणके लिए नये नये आविष्कारों को उत्पादन कार्यमें प्रयुक्त करनेके लिए साहसकी आवश्यकता होती है। जो उद्योगपति किसी नवीनताका सर्वप्रथम प्रयोग करनेके लिए उद्यत होजाता है वह उस प्रयोग द्वारा प्राप्त अधिक उत्पत्तिकी मात्राको लाभके रूपमें पाता है। ज्ञानैः जनैः अन्य लोगभी उस नवीनताका प्रयोग करने लगतेहैं और उसे प्राप्त होनेवाला लाभ न्यून अथवा शून्य होजाता है।

द्रव्य

द्रव्य की आवश्यकता

आधुनिक आर्थिक व्यवस्थामें द्रव्यका एक विशेष स्थान है। यह कहना अति-पयोक्त न होगा कि यदि हमारे बीचसे द्रव्यको उठालिया जाय तो हमको अपने आर्थिक कार्योंके सम्पादनमें बहुत कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा और आर्थिक व्यवस्थाभी अव्यवस्थित होजायगी। कुछ साधारण उदाहरणोंसे हम इस स्थितिको समझा सकतेहैं। अनेक लोग अपनी आजीविकाके लिए वृत्ति करते हैं और उनको द्रव्यके रूपमें आय मिलतीहै। यदि द्रव्यका प्रयोग समाजमें न होता तो यह आय वस्तुओंके रूपमें दी और लीजाती। इससे लेनेवाले और देनेवाले दोनोंको परेशानी उठानी पड़ती। यदि कोई मजदूर कपड़ेके कारखानेमें कार्य करताहै तो कारखाने का मालिक उसकी मजदूरी कपड़ेके रूपमें देसकता है। परन्तु मजदूरोंको कपड़ेके अतिरिक्त भोजन की सामग्री, रहनेका स्थान इत्यादि अनेक वस्तुओंकी आवश्यकता है। अतएव उसको अतिरिक्त कपड़ेके बदले इन वस्तुओंको प्राप्त करना पड़ेगा। स्थिति धीरेधीरे विपन्न होजाती है जबकि हम एक अध्यापकका मामला लेते हैं। विश्व विद्यालय का अध्यापक कारखानेके मजदूरकी तरह कोई ऐसी वस्तु तों बनाना नहीं जो उसको पारिश्रमिकके रूपमें दी जासके। तब फिर रजिस्ट्रार अथवा बोपाध्यक्ष मिल प्रसार उमको पारिश्रमिक दे। यही होसकता है कि विद्यार्थियोंने कहाजाय और सरकारने भी प्रार्थना कीजाय कि यह भिन्न भिन्न वस्तुओंके रूपमें पौन और आर्थिक सहायता प्रिन्सिपलानय को दें और इन्हीका मिली प्रकार अध्यापकोंमें गया विषय विद्यालयके फन्ड कार्यकर्तृगणोंमें वितरण हो। द्रव्यके प्रयोगने अनप्रकार की परि-कारण्य उदाहरण नहीं होती है। एसीप्रकार उत्पत्तिके कारणसे वस्तु अपने मूल्यका समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि उत्पत्ति का श्रेय जानाहो तो इन सामग्रियोंकी बड़ी मात्रा

में आवश्यकता होती है। द्रव्यके द्वारा इन साधनोंके इकट्ठा करनेमें बहुत सुगमता होती है। यदि द्रव्य नहो तो उत्पादकों को कच्चा मान, मशीन, मजदूर इत्यादि साधनोंको उपयुक्त मात्रामें कारखानोंमें पाठ्य करनेमें बहुत प्रशुविधा होगी। जब हम बाजार जानेंहें तो अपने मान द्रव्य लेजाते हैं और भिन्न वस्तुओंको भिन्न भिन्न परिमाणमें माल लेते हैं। यदि द्रव्य नहो तो इन कार्योंमें बड़ी कठिनाई पैदा होजाय। इसप्रकार हम आजकल अपनी वचनभी द्रव्यके रूपमें करतेहैं और भविष्यमें इसके बदले आवश्यक वस्तुएँ लेनेन हैं। द्रव्यके अभावमें हमको इसप्रकार की वस्तुओंका ही साक्ष्य करना पड़ता। उनको रगनें ता प्रबन्ध करना पड़ता, टूट, फूट, सड़ने-गलने और विगडनेसे बचाना पड़ता अर्थात् बड़ी भ्रष्ट और उलझनमें फसना पड़ता। हमलोग आजकल द्रव्यके प्रयोगके उत्तने अभ्यस्त होगये हैं कि हम अनुमानही नहीं करसकते हैं कि द्रव्यके बिना हमको कितनी श्रमुविधाएँ होती। आर्थिक विकासमें एक समयथा, जबकि समाजमें द्रव्य नहीथा और आर्थिक कार्य बिना इसकी सहायता के होते थे।

वस्तु विनिमय की प्रथा

हम इसप्रकारकी आर्थिक व्यवस्थाकी कल्पना करसकते हैं जिसमें द्रव्यकी आवश्यकता ही न पड़े। यदि किसी कुटुम्बके लोग स्वयंही अपनी आवश्यकताओंकी वस्तुओंको उत्पन्न करले तो उनको द्रव्यकी आवश्यकता नहीं जान पड़ेगी। इसीप्रकार यदि समाजकी इस प्रकारकी व्यवस्था होजाय कि समाजके प्राणी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार राज्यके अन्तर्गत उद्योग करें और राज्यके द्वाराही उनकी आवश्यकतानुसार वितरणहो तोभी शायद द्रव्यकी आवश्यकता न जानपड़े। वास्तवमें इस प्रकारकी आर्थिक व्यवस्थाओंके उदाहरण बहुत कम पायेजाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अथवा कुटुम्ब अपनी आर्थिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए कम या अधिक मात्रा में दूसरोपर निर्भर रहता है। उसको अपनी वृत्ति अथवा वस्तुओंके बदले दूसरोकी वृत्ति और वस्तुएँ प्राप्त करनी पड़ती है। इसप्रकार के आदान-प्रदानको हम विनिमय कहते हैं। द्रव्यके बिना जो विनिमय होताहै उसको अदल-बदलकी प्रथा कहते हैं। प्राचीनकाल में इसी प्रथा द्वारा लोग एक दूसरेसे वस्तुओं अथवा सेवाओंका

विनिमय करके अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति करलेते थे। आजभी अनेक असभ्य जानिया है जिनमें द्रव्यका चलन गहीहै और जो कुछभी विनिमयका कार्य उनमें पायाजाता है वह अदल-बदलकी प्रथा परही निर्भर है। खेतीके कार्यमें कही कहीं अभीतक मजदूरको अनाजके रूपमें पारिश्रमिक दियाजाता है। विदेशी व्यापारमें भी राज्योंके बीच आपसमें इसप्रकार की स्वीकृतिया होतीहै जिनके अनुसार एक राज्यकी कुछ वस्तुएँ किमी निश्चित परिमाणमें दूसरे राज्यकी अन्य वस्तुओंके निर्धारित परिमाणमें बदल लीजाती है।

विनिमय का माध्यम

यदि हम अदल-बदलकी प्रथाका विश्लेषण करें तो हमको इसमें अनेक कठिनाइयाँ और अनुविधाएँ दिखलाई देती हैं। एक कठिनाई यहहै कि अदल-बदलकी क्रियाके चरितार्थ होनेसे पहिले इस प्रकारके दो व्यक्तियोंका मिलनहो जिनको एक दूसरेकी वस्तुओंकी आवश्यकता हो। उदाहरणार्थ मानलीजिए कि किसी किसानके पास गेहूँ है और वह उसके बदलेमें कपडा चाहता है। अब उसको एक ऐसे व्यक्तिको ढूँढना पड़ेगा जिसको गेहूँकी आवश्यकता हो और जिसके पास देनेके लिए अतिरिक्त कपडा हो। इस कार्यमें समयकी बरबादी होतीहै और परेजानीभी हाँती है। प्राचीनकालमें बड़े बड़े मेलोंके लगनेका शायद एककारण यहभी रहाहो कि मेलोंमें सभी तरहकी वस्तुएँ एक स्थानपर इकट्ठा होतीहै और इसने अदल-बदलके कार्यमें सुविधा रोजाती है। अबहम यह बतानेकी चेष्टा करेंगे कि द्रव्यके प्रयोगमें किन प्रकार के अनुविधाको दूर कियागया है। पूर्वलिखित उदाहरणका विस्तार करनेहुएँ ध्यान कीजिए कि जिन जुलाहेके पास कपडाहै उसको किसानके गेहूँकी आवश्यकता पसनाती है परन्तु उनको तेल चाहिए। यहभी मानलीजिए कि मेलीको गेहूँ चाहिए। रफ्तार कि यदि किसान अपने गेहूँके बदले मेलीसे तेल प्राप्त करने तो वह तेलको घर लानेसे देकर कपडा प्राप्त करसकता है। यह एक गेहूँके बदले तेल प्राप्त करनेकी दोनयी विनिमयकी क्रिया बड़े महत्त्वकी है। गेहूँ और कपड़ेका एक दूसरेसे परस्पर विनिमय न होकर तेलके माध्यम द्वारा हुआ। किसानको तेलकी आवश्यकतासे बरदा प्राप्त करनेमें सुविधा प्राप्त हुई। विनिमयके यहाँपर दो भाग

होजाते हैं। पहिला गहू का तेनमें विनिमय और दूसरा तेलका कपड़ेमें विनिमय। तेल यहापर विनिमयके माध्यमका काम कर रहा है। किसानको तो तेलकी आवश्यकता नहीं है परन्तु वह उसको कपडा प्राप्त करनेके लिए ही लेता है। यही क्रिया आजकल द्रव्य द्वारा होती है। इसको क्रय-विक्रय कहा जाता है। किसान अपने गेहू को द्रव्यमें विनिमय (विक्रय) करता और द्रव्यको पुनः कपड़ेमें विनिमय (क्रय) करता है। आजकल हम द्रव्यको मुद्रा नोट और बैंक-धरोहरके रूपमें पाते हैं। परन्तु एक व्यापक अर्थमें कहा जासकता है कि पूर्वोक्त उदाहरणमें तेलसे भी द्रव्य का ही काम लिया जा रहा है। अतः जिससमय समाजने किसी माध्यम द्वारा विनिमय करना आरम्भ किया उसी समयसे द्रव्यका सूत्रपात होगया। बादमें द्रव्य कई रूपमें भिन्न भिन्न समाजोंमें प्रयोगमें आया और विकसित होकर आजकल मुद्रा, नोट और बैंक धरोहरके रूपको प्राप्त हुआ। इस विकासकी कथाको हम आगे लिखेंगे।

मूल्य का माप-दंड

वस्तु-विनिमयकी प्रथामें एक कठिनाई और भी है। कितने तेलके लिए कितना गेहूँ दिया जाय और कितने तेलके बदले कितना वस्त्र मिल सकता है इस हिसाबके बिना अदलबदलकी क्रिया सम्पादित नहीं होसकती है। एक वस्तुके एक इकाईके परिमाण के विनिमयमें जितनी परिमाणमें दूसरी वस्तु मिल सकती है उसको हम पहिली वस्तुका अर्थ कहेंगे। यदि एकसेर गेहूँके बदले आधासेर तेर मिलसकता है तो गेहूँका अर्थ आधासेर तेल हुआ और यदि एकसेर तेलके विनिमयसे दो गज कपड़ा मिल सकता है तो तेलका अर्थ दो गज कपड़ा हुआ इत्यादि। स्पष्ट है जितनी भी वस्तुएँ विनिमयके निमित्त हैं उन सबके सम्बन्धमें प्रत्येक वस्तुका अर्थ स्थापित किये बिना अदलबदलका कार्य पूरा नहीं होसकता है। हम इस कठिनाईके गुरुत्वका आजकल की व्यवस्थामें अनुमानही नहीं करसकते हैं क्योंकि आजकल प्रत्येक वस्तुके अर्थको हम द्रव्यके रूपमें प्रकट करते हैं जिसको हम उस वस्तुका मूल्य कहते हैं। जैसे एक सेर गेहूँका मूल्य आठआना, एकसेर तेलका मूल्य दोरुपया, एकगज कपड़ेका मूल्य एकरुपया इत्यादि। परन्तु जिस समाजमें द्रव्यका प्रयोग न होताहो उसमें तो

प्रत्येक वस्तुका अर्थ अन्य सभी वस्तुओंमें निर्धारित करना पड़ता है। इससे विनि-
 मयक कार्यमें अनुविधा हांजाती है। यह अनुविधा दूर होस-ती है यदि समाजके
 लोग किसी एक वस्तुको प्रामाणिक मानकर अन्य वस्तुओंका अर्थ उसी एक प्रामाणिक
 वस्तुके परिमाणमें प्रकट करें। उदाहरणके लिए कल्पना कीजिए किसी समाजमें
 गेहूँको प्रमाण-वस्तु मान लिया और अन्य वस्तुओंके अर्थको गेहूँके रूपमें प्रकट करने
 की प्रथाको स्वीकार कर लिया। किन्तीगमय वियोगमें मात्र लीजिए एकमेर नेलका
 अर्थ दोमेर गेहूँ और एक गज कपड़ेका अर्थ एकमेर गेहूँहै तो हम कह सकेंगे कि
 एकमेर गेहूँके बदले दोमेर तेल मिलसकता है अथवा एकमेर तेलके बदले आधागज
 कापड़ा मिलसकता है। उर्माप्रकार यदि सभी वस्तुओंका अर्थ गेहूँके रूपमें जानहै
 तो सभी वस्तुगताने एक वस्तुका अर्थ दूसरी वस्तुके परिमाणमें जाना जासकता है
 और वस्तु-विनिमयके कार्य अधिक सुविधाके साथ होसकते हैं। यह आदर्शक नहींहै
 कि गेहूँ विनिमयका माध्यम हो। विनिमयकी प्रथा परस्परबदलेकी हीनते परन्तु
 वस्तुओंका अर्थ गेहूँ द्वारा निर्धारित हो। यहाँपर गेहूँमें मूल्य-बदला कार्य किया
 जासकता है। आजकल भी द्रव्यमें यह कार्य कियाजाता है अतएव हम कहसकते हैं
 कि मात्र लोग एक वस्तुका अर्थ नीचे दूसरे वस्तुके परिमाणमें प्रकट न कर किसी
 अन्य प्रामाणिक वस्तुके व्यवधानमें निर्धारित करने लगतेहैं यह प्रामाणिक वस्तु
 बदला कार्य करने समर्थ है। यह कल्पना कठिनहै कि समाजमें प्रथम आदर्श
 विनिमयके माध्यममें अर्थमें हुआ अथवा दूसरे माध्यमद्वारा अर्थ समझाया करने
 के विनिमय प्रथा। इसके दोनो धर्म बड़े मात्र बने हैं। ऐसीभी होसकता है कि किसी
 समाजमें प्रथम प्रयोग आदर्शमें विनिमयके माध्यमके लिए हीन निर्धारित माध्यम
 में किए प्रथा ही। आधुनिक समाजमें दूसरे द्वारा दोनो कार्य माध्य माध्य समझाया
 होत है। इसके अर्थमें किसीकी वस्तुका मात्र प्रकट किया जासकते हीन एकमे
 माध्यममें विनिमय का कार्यभी होसकते हैं। माध्यम अर्थमें ही समझायाव प्रथम माध्यमहै
 दोनो धर्म एक समाजकी समझाया करनेकी प्रथा मात्र परतीने उदाहरणार्थ गेहूँके
 अर्थमें दूसरे प्रकट कियाजाता और उर्माके माध्यममें दूसरी वस्तुका अर्थ हो।

इसके अर्थ में समाजमें एक धर्म हीन प्रथा अर्थ में दूसरे वस्तुका मात्र प्रकट किया जासकते हीन एकमे
 माध्यममें विनिमय का कार्य भी होसकते हैं। माध्यम अर्थमें ही समझायाव प्रथम माध्यमहै
 दोनो धर्म एक समाजकी समझाया करनेकी प्रथा मात्र परतीने उदाहरणार्थ गेहूँके
 अर्थमें दूसरे प्रकट कियाजाता और उर्माके माध्यममें दूसरी वस्तुका अर्थ हो।

जाता है और नुकता किया जाता है। उपभोक्ताके सामने जब भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य द्रव्यके रूपमें रहता है और द्रव्यके रूपमें ही उसको आय मिलती है तो उसको भिन्न भिन्न वस्तुओंके मूल्योंकी तुलना करनेके उनको भिन्न भिन्न मात्रामें मोल लेनेकी सुगमता रहती है। इसीप्रकार में यदि उत्पादकोंका उत्पत्तिके साधनोंका मूल्य मालूम हों और उनकी सहायतामें बनायी हुई वस्तुओंका मूल्य भी, तो वह उनके आधारपर अपने उद्योग धन्योंकी उत्पत्तिकी मात्रा और उत्पादनकी रीतिको इसप्रकार से निश्चित करनेका प्रयत्न करेगा जितने उसको अधिकतम लाभ हो। द्रव्यकी सहायताके बिना इसप्रकारके गणित करनेमें बहुत अशुविधा हो जाती है।

कालयापन माप-दण्ड

मूल्यके माप-दण्डका कार्य करनेके कारण द्रव्य द्वारा ऋण और उधार सम्बन्धी कार्य भी सुगम हो जाते हैं, आजकल की आर्थिक व्यवस्थामें ऋण और उधारके बिना काम नहीं चलता है। द्रव्यके रूपमें ऋण लेनेसे बड़ी सुविधा होती है। मान लीजिए किसी किसानको बैल खरीदना है। द्रव्यके रूपमें ऋण पानेमें वह बैल खरीदसकता है और उसकी सहायतासे उसको जो आय होती है उससे ऋण चुकता करसकता है। यदि द्रव्यका प्रयोग न रहता तो किसी बैलवालेसे उसको बैल उधार मोल लेना पड़ता और यह भी निश्चय करना पड़ता कि भविष्यमें किस वस्तुको कितने परिमाणमें देकर वह उऋण होसकता है। यह भ्रष्टका काम है। अतएव द्रव्यहीन समाजमें लेनदेन का काम सीमित मात्रामें ही होसकता है। द्रव्यके रूपमें ऋण लेने और वापस करनेमें सुभीता रहता है। इसीप्रकार हम दुकानदारोंसे अनेक वस्तुएँ उधार लेते हैं और भविष्यमें द्रव्य द्वारा उसका भुगतान करते हैं। दुकानदारोंको भी भरोसा रहता है कि उनको जो द्रव्य मिलेगा उससे वह विक्रीकी अथवा अपनी उपभोगकी वस्तुएँ प्राप्त करसकेंगे। इसप्रकार द्रव्यके द्वारा भविष्यके लेनदेन सम्बन्धी कार्य सुगमतासे सम्पादित होते रहते हैं। लोग समझते हैं कि अन्य वस्तुओंकी अपेक्षा द्रव्यके अर्थमें परिवर्तन कम होता है। अतएव द्रव्यसे कालयापन माप-दण्डका काम भी लिया जासकता है। यहापर हम यह भी कह देना चाहते हैं कि द्रव्यके अर्थमें सदैव स्थिरता नहीं रहती है। समय समयपर परिवर्तन होनेसे भिन्न भिन्न व्यक्तियोंको आर्थिक

वह पहिले उस वस्तुको किसी लोकप्रिय वस्तुसे विनिमय करने तो लोकप्रिय वस्तु की सहायतासे उसको अपनी आवश्यकताकी वस्तुओंको प्राप्त करनेमें मुविधा होगी और यह लोकप्रिय वस्तु विनिमयके माध्यम अर्थात् द्रव्यका कार्य करने लगेगी।

अनैः अनैः कुछ वस्तुएं अनुभवसे द्रव्यके कार्योंके लिए अधिक उपयुक्त ज्ञात होने लगी। यदि अन्नको द्रव्य माना गया तो अनावृष्टिके वर्षे द्रव्यके परिमाणमें कमी होजाती है और सुवृष्टिके वर्षे प्रचुरता। इसप्रकार द्रव्यके परिमाणमें अधिक मात्रामें परिवर्तन होने लगता है जोकि वाछनीय नहीं होना। इसके अतिरिक्त अन्न द्रव्यको सुरक्षित रखनेका प्रबन्ध करनाभी एक समस्या होजाती है। इसीप्रकार यदि गाय, बकरी इत्यादि पशुओंसे द्रव्यका कार्य लिया जाय तबभी अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पडता है। यदि किसी सकामक रोगके कारण पशु मरने लगे तो द्रव्यके परिमाणमें भी क्षति होती जायगी। इसके अतिरिक्त गाय अथवा बकरी भिन्न आकार प्रकार और रूपरंग की होती है। किसप्रकार को प्रामाणिक माना जाय? इसीप्रकार अन्य वस्तुओंमें भी द्रव्यके रूपमें काममें लानेके लिए कुछ नकुछ वृष्टिया ज्ञात होने लगी। अनुभवके आधार पर धातुएं उनमें भी सोना और चादी द्रव्यके कार्यके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। अतएव प्रन्ततोगत्वा सभी समाजोंमें इन्हीं वस्तुओंसे द्रव्यका काम लियाजाने लगा।

धातु-द्रव्य

सोने और चांदीमें अनेक गुणहै जिनके कारण इन धातुओंका प्रयोग द्रव्यके लिए होता आया है। इनमें एक प्रधान गुण यहहै कि ये सभीको प्रिय पदार्थ है। हम पहिले ही बता चुके है कि जो पदार्थ लोकप्रिय होगा उससे द्रव्यका कार्य लेनेमें सुगमता होगी। सोने और चांदीमें एक गुण यहभी है कि ये बहुमूल्य धातुएं है अतएव इनके छोटे परिमाणमें अधिक मूल्य निहित रहता है। इससे यह लाभ होता है कि अधिक परिमाणमें द्रव्य संचय करनेके लिए अधिक स्थानकी आवश्यकता नहीं होती है और एक स्थानसे दूसरे स्थानको द्रव्य भेजनेमें भी सुगमता होती है। सोना और चांदी बहुत टिकाऊ पदार्थ है। ये बहुत धीरे धीरे घिसते है और युगों तक रखे रहनेपर भी इनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता है। अतएव भविष्य

माणके अर्घके बराबर हो। यदि मुद्राको गला दिया जाय तो धातुके टुकड़ेका उतना ही अर्घ होगा जितना कि उस मुद्राका था अर्थात् दोनोंकी क्रयशक्ति समान होगी। इसका प्रधान कारण यह है कि प्रामाणिक मुद्राके सम्बन्धमें लोगोंको स्वतन्त्रता रहती है कि वह किसी परिमाणमें प्रामाणिक धातुको टुकड़ामें ले जाकर उसकी प्रामाणिक मुद्राएँ ढलवा सकते हैं और उनको गलाकर फिरने अमुद्रित रूपमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब यदि प्रामाणिक मुद्राकी क्रय शक्ति उसमें स्थित धातुकी क्रय शक्ति से अधिक हो तो लोग उस धातुको मुद्राके रूपमें रखना चाहेंगे और यदि मुद्राकी अपेक्षा धातुका अर्घ अधिक हो तो मुद्राको गला डालेंगे। इसप्रकारके बदलाव-बदलाव से दोनोंका मूल्य समान रहेगा।

इसके प्रतिकूल साकेतिक मुद्राका अर्घ उसमें स्थित धातुके अर्घसे कहीं अधिक होता है। यदि हम साकेतिक मुद्राको गला डालें तो उससे जो अमुद्रित धातु प्राप्त होगी उसका अर्घ उतना नहीं होगा जितना कि उसका मुद्राके रूपमें था। साकेतिक मुद्राका प्रयोग अधिकतर छोटे मूल्यके विनिमय कार्योंके लिए होता है। अतएव इन मुद्राओंको तावा, गिल्ट जैसे अल्पार्थ धातुसे बनाते हैं। इसप्रकार की मुद्राओंकी ढलाई राज्य स्वयं करता है जिससे कि इनके परिमाणपर नियन्त्रण रहे और मुद्राका अर्घ धातुके अर्घसे अधिक बना रहे।

राज्य द्वारा निर्मित और अकित मुद्राको चलनमें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो जाता है। इस द्रव्यको लेनेसे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसप्रकार के द्रव्यको हम राज-प्रामाणिक ग्राह्य द्रव्य कहेंगे अर्थात् ऐसा द्रव्य जो कि राज्यसे प्रमाणित होने के कारण सभीको ग्राह्य होजाता है। यदि हमें किसी महाजन या दुकानदारको ऋण अथवा मूल्य चुकाना है तो हम इस प्रकारके द्रव्य द्वारा चुका सकते हैं और दुकानदार अथवा महाजन उसको अगीकार करनेको न्यायतः बाध्य किया जा सकता है, हाँ, एक बात यह है कि साकेतिक मुद्राएँ एव मुद्राया अतएव यह पद साकेतिक से नीचे साकेतिक

मुद्रा परिमाणमें दी जा सकती है और रूपया प्रारम्भमें प्रामाणिक १८६३ के पश्चात् इसका में ग्राह्य है। अठन्नी ग्राह्य है। मूल्यके

सामने बहुत कम है। आधुनिक कालमें द्रव्य अधिकतर नोट प्रौर सात-द्रव्यके रूप में अधिक मात्रामे चलनमे पायाजाता है। अतएव अब हम इनका विवेचन करेंगे।

नोट

कागजपर छपेहुए द्रव्यको हम नोट कहते हैं। आधुनिक कालमें नोट छापनेका कार्य राज्य स्वयं करताहै अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा करवाता है। नोटोको राज-प्रमाणित ग्राह्य द्रव्यका पदभी प्राप्त है। नोटका रंग पदतक पहुचनेका एक बडा इतिहास है। सक्षेपमें प्रारम्भमें नोट धात्विक द्रव्यके स्थानापन्नके रूपमें काममें लायागया। धात्विक द्रव्यको बडे परिमाणमें एक स्थानमे दूसरे स्थानको लेजानेमें व्यय, असुविधा और भय रहता है। अतएव धात्विक द्रव्यको किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा सस्था के पास धरोहरके रूपमें रखकर उसके स्थानमें कागजकी रसीदो द्वारा विनिमयके माध्यमका कार्य लेनेकी प्रथा चलपडी। जिस व्यक्ति अथवा सस्थाके पास धात्विक द्रव्य रखा जाताथा वह धरोहर रखनेवालोको एक लिखित पत्र देतेथे जिसके अनुसार वह पत्र-वाहकोको उसपर लिखित धातु-द्रव्य देनेकी प्रतिज्ञा करते थे। आधुनिक नोटोंमें भी इस प्रकारका वाक्य लिखा रहताहै 'मैं वाहकोको... रुपये देनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ' और उसमें रिजर्व बैंक (जो भारतका केन्द्रीय बैंकहै) के गवर्नरके हस्ताक्षर रहते हैं। इस प्रकारके लिखित प्रतिज्ञा-पत्र व्यापार और लेनेदेने की सुविधा के लिए भिन्न भिन्न मूल्योवाले बनाये जानेलगे। आजकल भी एक रुपया, दो रुपये पाच रुपये, दस रुपये और सौ रुपयेके नोट चलनमें हैं। आधुनिक नोटोके इतिहास का यही श्रीगणेश है।

जो व्यक्ति अथवा सस्था इस कार्यको करने लगी उसको अनुभवसे ज्ञात हुआ कि जो धात्विक द्रव्य उनके पास धरोहरके रूपमें रखा रहताथा उसका कुछ हिस्सा उनके पास निश्चेष्ट-पडा रहताहै क्योंकि उनके दियेगये सभी प्रतिज्ञा-पत्र धात्विक द्रव्यमें परिवर्तन कराये जानेके लिए एक साथही नहीं समर्पित किये जातेथे। अर्थात् कुछ नोट (इन प्रतिज्ञा-पत्रोको अब हम नोटके नामसे ही सम्बोधित करेंगे) बराबर चलनमें रहते थे। उदाहरणके लिए यदि किसी सस्थाने दस लाख रुपये (धात्विक) की धरोहरके स्थानपर दस लाख रुपयेके नोट चलनमें डालदिये तो इन नोटोका

सकता है। अनेक बैंकोंने अपनी इस शक्तिका दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने लाभ के लिए इतनी प्रचुरतासे नोट चलनमें डालदिया कि उनको बदलनेके लिए उनके पास धात्विक द्रव्य बहुत अपर्याप्त मात्रामें रहगया। नोटोंके बदले धात्विक द्रव्य न देसकने के कारण अनेक बैंक फेल होगये और उनको अपना व्यवसाय बंद करना पडा। बैंकोंके फेल होनेसे आर्थिक कार्योंमें भी गड़बड़ी आजाती है। समाजको इस गड़बड़ीसे बचानेके लिए नोट छापने और प्रचलित करनेका काम राज्यने अपने हाथमें लेलिया अथवा केन्द्रीय बैंकको सौंप दिया। इन नोटोंको राज-प्रमाणित ग्राह्य द्रव्यका पदभी मिलगया।

विनिमय साध्य नोट

प्रारम्भमें नोट विनिमय साध्य थे अर्थात् उनको प्रचलित करनेवाले बैंकोंको मागने पर उनके बदले धात्विक द्रव्य देने को बाध्य रहना पडता था। इन बैंको द्वारा प्रचलित नोटोंको राज-प्रमाणित ग्राह्य द्रव्यका स्थान तो प्राप्त था नहीं। अतएव इन नोटोंको विनिमय-साध्य बनाये रखनेके लिए इनको पर्याप्त मात्रामें मुद्राकोष रखना पडता था। जब राज्य अथवा केन्द्रीय बैंको द्वारा नोटोंका प्रचलन होनेलगा और इन नोटोंको राजप्रमाणित ग्राह्यताका पदभी प्राप्त होगया इसपरभी प्रारम्भमें ये नोट प्रामाणिक मुद्रा अथवा धातुमें एक निश्चित दरपर विनिमय साध्य बने रहे। राज्य अथवा केन्द्रीय बैंकोको अपने मुद्रा अथवा धातुकोष को इतने परिमाणमें रखना पडता था जिससे नोटोंको इनमें विनिमय करनेकी माग को वे पूरा कर सकें।

नोटोंके पीछे कितना कोष रखाजाय इस सम्बन्धमें दो प्रधान मत रहे हैं। एक मतको करेंसी सिद्धान्त और दूसरेको बैंकिंग सिद्धान्त कहते हैं। करेंसी सिद्धान्त के अनुसार-नोटोंके पीछे शत-प्रतिशत प्रामाणिक द्रव्यका कोष रहना चाहिए जिससे नोटोपर जनताका विश्वास बनारहे और प्रत्येक अवस्थामें नोटोंके बदले प्रामाणिक द्रव्य दिया जासके। बैंकिंग सिद्धान्तके अनुसार प्रामाणिक-द्रव्य कोषका परिमाण सचित नोटोंके परिमाणके बराबर होनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी नोट एकवारगी ही प्रामाणिक द्रव्यमें परिवर्तित होनेके लिए नहीं लायेजाते

है। इसके अतिरिक्त आगिक कोष रखनेसे द्रव्यके परिमाणमें लोच रहती है। व्यवहारमें नोटोंके प्रचलनका आधार बैकिंग सिद्धान्त ही है।

नोटोंके परिमाणका कुछ भाग प्रामाणिक द्रव्यके आधारपर स्थित रहता है। कितना भाग किमके आधारपर रहे इस सम्बन्धमें दो मुख्य रीतिया व्यवहारमें लायीजानी हैं। एक रीति जिसका प्रमुख उदाहरण इंग्लैंड रहा है, यह है कि साख द्रव्यके आधारपर जितने नोट प्रचलित किये जाय, उनका परिमाण राजनियमसे निश्चित कर दिया जाय। उसके ऊपर जितनेभी नोट हो उतनेही परिमाणमें प्रामाणिक मुद्रा अथवा धातु रखा जाय। इस नियमके अनुसार बर्तने से जबतक साखपत्र के आधार पर प्रचलित नोटोंका परिमाण निर्धारित सीमातक न पहुँचजाय तबतक टमना परिमाण बड़ी मुगमताके साथ बढ़ाया और घटाया जासकता है। परन्तु जब टमका परिमाण निर्धारित सीमापर पहुँच जाता है तो उसके पश्चात् नोट-द्रव्य के परिमाणको बढ़ानेकी आवश्यकता होनेपर उसी परिमाणमें प्रामाणिक धातु-द्रव्य की आवश्यकता हो जाती है जिसके फलस्वरूप द्रव्यमें लोच कम होजाती है। दूसरी रीति प्रधत्ततः नद्युक्त राज्य अमेरिकामें वर्ती गयी है। इसके अनुसार जितनाभी नोट-द्रव्य संचालित किया गया है उसके एक निर्धारित भागसे कम अनुपातमें प्रामाणिक द्रव्य-कोष न रहे और शेषभाग साख-पत्रके आधारपर रहसकता है। इसको अनुपातिक-नोट-पद्धति कहते हैं। उदाहरणके लिए यदि २५ प्रतिगत नोट द्रव्यके प्रति प्रामाणिक द्रव्य-कोष रखना अनिवार्य हो तो ७५ प्रतिगत साख-पत्रके आधार पर संचालित किया जासकता है। इस पद्धतिके अनुसार नोट संचालित करनेसे भागके परिमाणमें अधिक मुगमताके वृद्धिकी जासकती है। प्रामाणिक द्रव्यकी एक इकाई कोषमें धानेपर चार इकाई तक नोट संचालित किये जासकते हैं परन्तु साथ ही साथ इस धानेपर कोषमें एक इकाई प्रामाणिक द्रव्यके हान होनेपर चार इकाई नोटोंको ख खसे आपस लेना पड़ेगा।

अविनिमय-नाय्य नोट

प्रामाणिक द्रव्यके नोट अविनिमय-नाय्य होना है अर्थात् इसके बदलेमें राज्य प्रामाणिक द्रव्यके द्रव्य लेनेकी वाध्य नहीं है। प्रारम्भमें जब नोट चलनमें आया

उस समय नोटमें जनताका विश्वास उत्पन्न करने और बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक प्रतीत होता था कि उनको संचालित करनेवाली संस्था उसके बदले एक निर्धारित मात्रा सोने अथवा चादीकी प्रामाणिक मुद्राओं अथवा अमुद्रितरूपमेंही सोना चादी देनेको बाध्य हो। सोने-चादीका, द्रव्य सम्बन्धी मूल्यके साथ साथ स्वाभाविक मूल्यभी होता है। अतएव लोगोंकी ऐसी धारणा होगयी थी कि नोटकी क्रय शक्ति उस प्रामाणिक मुद्राके अन्तर्गत है जो उसके बदलेमें प्राप्त होसकती है। इसी धारणाके अनुसार प्रारम्भमें नोट विनिमय-माध्य बनाये गये। कभी कभी युद्धकाल में नोटोकी इसप्रकारकी विनिमय माध्यता हटाभी लीजानी थी परन्तु अनुकूल अवस्था लौट आनेपर विनिमय साध्यता पुनः स्थापित करदी जाती थी। शनैः शनैः लोगोंकी यह धारणा बदलने लगी कि नोट की क्रय-शक्ति सोने-चादीके अधीन है जब उन्होंने देखाकि धात्विक द्रव्यमें अविनिमय साध्य नोटसे भी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जासकती है तो उनकी समझमें आनेलगा कि नोटमें विश्वास बनाये रखनेके लिए मूल बात यहहै कि वह अन्य वस्तुओंमें विनिमय साध्य बना रहे अर्थात् उसके विनिमयसे अन्य वस्तुएं प्राप्त होती रहें। द्रव्यसे हम यही चाहतेहैं कि उसकी सहायतासे हमको वाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त करनेमें सुविधा हो। जबतक द्रव्य से यह कार्य होता रहताहै तबतक द्रव्य किस पदार्थ का बना हुआहै इसका विशेष महत्त्व नहीं है। वह चाहे सोने का, चाहे चमड़ेका और चाहे कागजका ही बना हुआ क्यों नहो, यदि उसके बदलेमें हमको अन्य वस्तुएं मिल सकतीहैं तो द्रव्यका कार्य चलता रहता है। इस विवेचनाके आधारपर हम एक महत्त्वपूर्ण निर्णयपर पहुंचते हैं। वह यहकि द्रव्यकी क्रय-शक्ति अर्थात् अन्य वस्तुओंको प्राप्त करनेकी शक्ति उस पदार्थपर अवलम्बित नहींहै जिससे उसका निर्माण हुआ है। दस रुपये का नोट जिस कागजपर छापा गयाहै उसकी निजी क्रय-शक्ति लगभग कुछभी नहींहै परन्तु नोटकी क्रय-शक्ति तो बहुत है। कागज का नोट जिसकी स्वयंकी कोई क्रय शक्ति नहीं और जिसके बदलेमें द्रव्याधिकारी सोना-चादी देनेको उद्यत नहीं किस कारणसे क्रय-शक्तिशाली होजाता है; उसका विवेचन बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक कारण यहहै कि हम द्रव्यको अपने आर्थिक कार्योंमें लानेके इतने अभ्यस्त होगये हैं और हमारी आर्थिक पद्धति इतनी द्रव्यमयी होगयी है कि बिना द्रव्यके हम एक पगभी आगेको नहीं बढ़सकते हैं। अतएव किसी प्रकारकाभी द्रव्य क्यों नहो

हमको उसका प्रयोजन है, उसका मूल्य और उसकी क्रय-शक्ति इस प्रयोजनने उत्पन्न होजाती है। इसके अनिश्चित राज्य-नियमोंके द्वारा प्रमाणित होनेके कारण हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अतएव जदतक राज्यकी प्रतिष्ठा है और उसका व्यवस्था है तदन्तक उसके द्वारा प्रमाणित द्रव्य मूल्यवान रहेंगा। यह हमारी धारणा कि उसका कय मूल्य होगा परन्तु कुछ त कुछ मूल्य अवश्यही रहेगा। हम प्रथममें यह धारणा समझमें आजाती है कि द्रव्यमें विश्वास बनाये रखनेके लिए आवश्यकता उस बातकी है कि उसकी क्रय-शक्ति बनीरहे और उसमें स्थिरताभी रहे। यदि नोट द्रव्यमें अनिश्चिता बनावीता समायेन रहे तो हमने अधिक नोटने प्राप्त करनेके लिए कुछ और वागी नहीं रहजाता है। द्रव्यके मूल्यमें स्थिरताका महत्त्व और अनिश्चिताके उत्पन्न होजानेके कारणकी विवेचना हम द्रव्यके प्रयोगके अध्यायमें करेंगे। यदापर एतना निश्चयता पर्याप्त है कि अविनिमय-साध्य नोट द्रव्यकी क्रय-शक्तिको बनाने रखनेके लिए प्रत्याधिकारियों को विशेष प्रयत्न और नियन्त्रण करनेकी आवश्यकता होती है।

विनिमय-साध्य नोट परन्तुमें प्रत्याधिकारियोंकी आधिकारिक शक्तिसे अनुसार द्रव्यके परिमाणकी व्यवस्थापन करनेमें कठिनता पडती है, अविनिमय-साध्य नोट परन्तुमें द्रव्यके परिमाण की उत्पत्ति, व्यापार संचालिक अनुष्ठान बनानेमें सुविधा रहती है। परन्तु इन परन्तुमें एक घातना घाते कि माने अर्थही भूरा वाले मूल्य होकर द्रव्य का परिमाण करती प्रयुक्तानि राजस्वित्वा तय जिनमें द्रव्य स्थिति (बी) समझा उपलब्ध होजाय। आधिकारिक शक्तिकाने पास बनना है कि मूल्यवान् और अन्य आधिकारिक शक्तिको, अद्वयत्व, तय प्रत्येक राज्य पट्टन रहे परिष्कारमें ही निश्चयता प्राप्त और समस्त व्यवस्था में समर्थन है जिनके प्रत्येकी उपलब्धता का प्रमाण ही जाया है और आधिकारिक व्यवस्थापन इत्यत्र होजाती है। हमने यह निश्चय कर लेते हैं कि प्रयुक्तानि का परिमाण ही पर्याप्त ही होजाता है। व्यवस्थापन का एक कारण ही है कि मूल्य ही समस्त तय एक प्रत्येक शक्तिको उपलब्धता में जाया जाय।

वस्तु-द्रव्य

हमने द्रव्यकी प्रकृति का अध्ययन करके हमें यह पता है कि द्रव्य ही वस्तु है जिसका प्रयोग ही हमें करता है।

जाता है। इस द्रव्यका सम्बन्ध बैंकोसे है। हम बैंकमें रकमा जमा करते हैं। वह हमारी धरोहर है जिसको हम बैंकसे वापस लेसकते हैं। एक धरोहर चालू-हिस्साव वाली है तीहें जिसको कर्मो भी बिना पूर्वसूचनाके वापस लिया जासकता है। दूसरी प्रकारकी धरोहर एक निर्धारित समयके लिए बैंकके पास जमाकी जातीहै जिसको साधारणतः उस समयके बीतने परही वापस मागाजा सकता है। इस धरोहरको द्रव्यके रूपमें काममें लानेका प्रिया चेक द्वारा होती है। चेकके द्वारा धरोहर रखने वाला बैंकको आदेश देताहै कि वह उसके धरोहरमें से चेकमें लिखी रकम नामांकित व्यक्तिको अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्तिको दे दे। चेकके द्वारा धरोहरके अन्तर्गत कोईभी रकम सुविधापूर्वक दी जासकती है। इस प्रवन्धमें धनको खोनेकी आशकाभी नहीं रहतीहै क्योंकि वहतो बैंकमें सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त चेकका सरलतासे जेबमें लेजायी जासकती है। यदि कोई व्यक्ति चेकके रूपमें अपना पावना स्वीकार करताहै तो उसके मूलमें साख और विश्वास रहता है। चेक तो राज-प्रमाणित द्रव्य नहीं है। यहभी होसकताहै कि जिस व्यक्तिको चेक दियाहै उसके नामपर बैंकमें धरोहर जमा न हो अथवा उपयुक्त मात्रामें नहो। अतएव जब हम चेक स्वीकार करतेहै तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम चेक देनेवालेकी साखपर विश्वास रखते है। इसी कारणसे हमने इस द्रव्यको साख-द्रव्यका नाम दिया है।

साख-द्रव्य का सृजन

हम चेक द्वारा केवल उतनेही द्रव्यके परिमाणको हस्तान्तरित नहीं करसकते है जितना हमने धरोहरके रूपमें रखा है। यदि हम बैंकोके लेनीदेनी के लेखोको देखें तो हमको पता लगताहै कि इनमें दीगयी धरोहरका कुल परिमाण राज्यद्वारा प्रचलित द्रव्यके परिमाणसे कईगुना अधिक पाया जाताहै जबकि उस द्रव्यका एक बड़ा हिस्सा बैंकोमें जमा नहीं कियाजाता है। इससे यह ज्ञात होताहै कि बैंक स्वयं भी साख-द्रव्यका सृजन करते है। यह कार्य दोप्रकार से होता है। जब बैंक ऋण देतेहै तो ऋण लेनेवालेको अधिकार देदेते है कि वह बैंकपर ऋणके परिमाण तक चेक लिख सकताहै और बैंक उन चेकोका भुगतान करदेगा। जिसप्रकार बैंकमें धरोहर रखनेवाला अपनी धरोहरको बैंक द्वारा वापस लेसकता है अथवा हस्तान्तरित

भी कुछ भाग तो राज-प्रामाणित द्रव्यमें मागा जाता है और शेष भाग बैंकोमें ही एक ग्रासामीसे दूसरे ग्रासामियोंके नामपर जमाहोता है। उदाहरणके लिए मोहनने ये जो ५००० रुपये इलाहाबाद बैंकसे ऋण लियाथा उसमेंसे यदि वह बैंक द्वारा ५०० रुपये रामको हस्तान्तरित करता है और राम उस बैंकको अपने नामपर बैंकमें जमा करता है तो रामके नाममें ५०० रुपयेकी धरोहर जमा होजाती है। अब यदि इस धरोहरमें से राम ५० रुपयेका बैंक ग्यामको देता है और ग्याम उस बैंकको बैंकमें जमा करनेके लिए भेज देता है तो बैंकके खातेमें रामकी धरोहरमें ५० रुपये को घटाकर ग्यामकी धरोहरमें ५० रुपये जोड़ दियाजाता है। इसप्रकार राज-प्रामाणित द्रव्यको बैंकोके कोषसे निकाले बिनाही लेन-देन का काम चलता रहता है।

इस विवेचनसे यह नहीं समझलेना चाहिए कि कुल साख-द्रव्य इसीप्रकार एक व्यक्ति अथवा सस्थाके नामसे अन्य व्यक्तियों अथवा सस्थाओंके नामपर बैंकोके खातों में विचरता रहता है। इसका कुछ अंशतो अवश्यही राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें मागा जाता है। अनेक व्यक्तियोंका बैंकोमें हिसाब नहीं रहता है। अतएव इनको जो बैंक मिलतेहैं उनको ये लोग भुनालेते हैं। इसके अतिरिक्त सभीलोग बैंक लेना स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे घोड़ी, नाई, सेवक, दूधवाला। इस प्रकारके लोगोंको धात्विक अथवा नोटके रूपमें ही इनका पावना देना पड़ता है। इन कार्योंके लिए बैंकोसे राज-प्रामाणित द्रव्य लेना पड़ता है।

अनुभवके द्वारा बैंकोको पता चलजाता है कि समय समयपर कुल साख-द्रव्यका कितना भाग राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें मागाजाता है। यदि पाचवां भाग मागा जाय तो बैंकोको कुल साख-द्रव्यका २० प्रतिशत राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें रखना पड़ेगा और यदि दसवां भाग मागाजाय तो बैंकोको केवल १० प्रतिशत इस रूपमें रखना होगा। इस विवेचनसे हमको यहभी ज्ञात होजाता है कि बैंक किस सीमातक साख-द्रव्यकी सृष्टि करसकते हैं। बैंक जिस परिमाणमें साख-द्रव्यकी वृद्धि करतेहैं उसी परिमाणमें वे अपने को राज-प्रामाणित द्रव्य देनेका देनदार बनाते रहते हैं। अब चूंकि बैंकोके पास राज-प्रामाणित द्रव्य सीमित परिमाणमें रहता है अतएव वे अपरिमित परिमाणमें साख-द्रव्य चलनमें नहीं डालसकते हैं। यदि साख-द्रव्यके स्वामी उसका दसवां भाग राज-प्रामाणित द्रव्यमें मागतैहैं तो जितना राज-प्रामाणित

द्रव्य वंकोके पानहैं उनके दमगुने तक नाग-द्रव्यके मृदनकी सीमा होनायगी । हमने छपिण मृदन करनेपर वैक राज-प्रामाणित द्रव्य देनेमें अममर्थ होजायगै । हमने यह परिणाम निरूप्यताहै कि वैकोंकी नाग-द्रव्य मृदनकी शक्ति दो गुणर वाणीपर निर्भर रहती है । एकता यहहै कि उनके पान राज-प्रामाणित द्रव्यका कोष निरूप्यताहै और दूसरा हम द्रव्यका नाग-द्रव्यके बरा अनुपात आवश्यक है ।

तिसी सम्यक्विमेषमें नाग-द्रव्य किन् परिमाणमें होना यह वेदक दृष्टिसे दो वासंथरही निर्भर नहीं करता है । यदि शक्ति अक्षयमें मग्नी होजाये तो प्रत्येक नाग अटजाती है श्राव्य नाग द्रव्यका परिमाणभी अटजाता है शक्ति अक्षयमें शो दोरभी प्रकृष्टता पसन्द नहीं करने है । केन्द्रोप देवकी अक्षय उपायकी प्रयोग में नाग-द्रव्यके परिमाणको नियंत्रित करने रहे ।

द्रव्य पद्धतियां

द्रव्य पद्धतियों के प्रकार

भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न समयोंमें भिन्न भिन्न द्रव्य-पद्धतियोका चलन रहा है। इनको हम दो मुख्य विभागोंमें बाट सकते हैं। पहिले विभागमें धात्विक द्रव्य-पद्धतियां हैं और दूसरे विभागमें अविनिमयसाध्य द्रव्य-पद्धतियां। धातु-पद्धति में केवल एकधातु सोना अथवा चादी प्रामाणिक माना जासकता है अथवा दोनो धातु साथ साथ प्रामाणिक माने जासकते हैं। पहिलको एक धातु-पद्धति और दूसरेको द्विधातु-पद्धति कहते हैं। एक धातु-पद्धतिमें सोना अथवा चादी प्रामाणिक द्रव्यके काममें लायेजाते हैं। इनमेंसे स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति स्वयं तीन रूपमें रही है:

१. स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति।
२. अमुद्रित-स्वर्ण-पद्धति।
३. स्वर्ण-विनिमय-पद्धति।

चादीवाली द्रव्य-पद्धतिके भी इसीप्रकार तीनरूप होसकते हैं। परन्तु व्यवहारमें यह मुद्रा-पद्धतिके रूपमें ही रही है। भारतमें १८३५ से १८६२ तक यही पद्धति रही है। द्विधातु-पद्धतिके भी दोभाग किये जासकते हैं। एक स्थिति तो शुद्ध द्विधातु-पद्धतिकी है जिसमें सोना और चादी दोनोकी मुद्राओंको प्रामाणिक मानाजाता है और दोनोकी ढलाई अमर्यादित परिमाणमें होती है, दूसरी अवस्था वह है जिसमें दोनो धातुओंकी मुद्रायें चलनमें तो रहती हैं किन्तु केवल सोनेकी मुद्राओंको अमर्यादित परिमाणमें ढलवाया जासकता है। चादीकी मुद्राओंका स्वतन्त्र रूपसे ढलवाना बन्द कर दिया जाता है। इस प्रकारकी द्विधातु-पद्धतिको हम अपूर्ण द्विधातु-पद्धति कहेंगे।

यह होगा कि बाजारमें चादीका परिमाण कम और सोनेका अधिक होनेसे उनमें १:२० का अनुपात पुनः स्थापित होने लगेगा। इस तर्कमें कुछ सार अवश्य है परन्तु सोने और चादीके पारस्परिक मूल्यको बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक है कि अनेक देशोंमें द्विधातु-पद्धति चलनमें हो और ये देश सहकारितासे सोने और चादीकी टकसाली दर नियत करें और उसको बनाये रखनेके लिए चेष्टा करें। यदि विशेष कारणसे किसी एक धातुका मूल्य और उसकी माग गिरती जा रही है, तो टकसाली दरमें भी परिवर्तन करना आवश्यक होजायेगा।

द्विधातुवादमें एक विशेष दृष्टि यह है कि जब जब सोने और चादीके टकसाली और बाजार दरमें भिन्नता आजाती है तब तब उग धातुकी मुद्रा जिसका बाजारमें अधिक मूल्य रहता है, चलनसे लुप्त होने लगती है और चलनमें वही मुद्रा रहजाती है जिसका बाजारभाव गिर गया हो। उसप्रकारकी परिस्थितिमें चलनमें कभी केवल चादीकी ही और कभी केवल सोनेकी ही मुद्रायें पायीजाती हैं।

ग्रेगम-नियम

इंग्लैंडके एक वाणिज्य-मंत्री सर टॉमस ग्रेगमने इस सम्बन्धमें एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसको ग्रेगम-नियम कहते हैं। इसके अनुसार जब अच्छी और बुरी दोनों प्रकारकी मुद्राओंका चलन हो, तो अच्छी मुद्राएं चलनसे लुप्त होने लगती हैं और बुरी मुद्राएं चलन में रहजाती हैं। यद्वात प्रत्यक्ष देखीगयी है कि लोग पूरी तैलवाली नयी मुद्राओंका संग्रह करते हैं, उनको पिघलाते हैं अथवा दूसर देशोंमें भेजते हैं जहां उनमें स्थित धातुका मूल्यही मान्य होता है और चलनमें पुरानी, घिसी अथवा कटीहुई मुद्राएं रहजाती हैं। द्विधातुवादमें जिस धातुकी बाजार दर गिरजाती है उस धातुकी मुद्रातो चलनमें रहती है और जिस धातुकी दर टकसाली धातुसे अधिक रहती है उसकी मुद्राएं चलनसे लुप्त होने लगती हैं।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति

एक धातु-पद्धतिमें स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। २० वर्ष

लगाना पड़ता है। दूसरे, चलनमें रहनेके कारण, धिगनेसे भी धातुकी हानि होती है। तीसरे, यहकि इस पद्धतिके अन्तर्गत द्रव्यके परिमाणका आर्थिक परिस्थतिके अनुकूल बनानेमें कठिनाई होती है। अनुभवसे यहभी ज्ञात हुआ कि देशके भीतर चलनके कार्यके लिए स्वर्ण-मुद्राकी कोई आवश्यकता नहीं हाती, विनिमयके कार्यके लिए कागजकी बनी मुद्रा अर्थात् नोटसे भी काम चलसकता है जैसाकि युद्धकालमें हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन की विपमता दूर करनेके लिए धातुकी मुद्राकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अतएव युद्धकालके बाद जो स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति प्रचलित हुई उसको अमुद्रित स्वर्ण-पद्धतिका नाम दिया गया। इसके अन्तर्गत चलनेमें तो नोट और साकेतिक मुद्राएँ रही, परन्तु इनके बदलेमें द्रव्याधिकारी स्वर्ण-मुद्राएँ देनेको बाध्य नहीं थे। स्वर्ण मुद्राके स्थानपर अमुद्रित स्वर्ण एक निर्धारित दरसे दियाजाता था। किसी किसी देशमें इसप्रकार का प्रवन्व हुआ कि स्वर्ण एक विशेष परिमाणसे कम परिमाणमें नहीं दियाजाता था। इसका यह उद्देश्य था कि द्रव्याधिकारियोंके पासजो स्वर्णकोप जमा रहताथा उसका प्रयाग देशके भीतरके कार्यके लिए नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्यके लिए कियाजाये। अमुद्रित स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति से कम व्ययवाली हुई। परन्तु स्वर्णकोप की आवश्यकतातो इसमेंभी बनी रहती है और द्रव्यका परिमाणभी इस कोपसे सलग्न रहता है।

स्वर्ण-विनिमय-द्रव्य-पद्धति

युद्धकालके बाद कुछ देशोंने स्वर्ण-विनिमय-पद्धतिको ग्रहण किया। इस पद्धतिवाले देशोको न तो स्वर्ण मुद्राओको चलनमें लाना पड़ता है और न अन्य प्रकारके द्रव्यके बदलेमें अमुद्रित सोना देना पड़ता है। देशके द्रव्यके बदलेमें राज्य किसी ऐसे देशके द्रव्यको देनेकी प्रतिज्ञा करताहै जिसमें स्वर्ण-मुद्रा अथवा अमुद्रित-स्वर्ण-पद्धतिका चलन हो। भारतमें प्रथम महायुद्धके पूर्व एक प्रकारसे स्वर्ण-विनिमय-द्रव्य-पद्धति थी। रुपयेके बदले भारत सरकार १ शि० ४ पे० की दरसे स्टर्लिंग (इंगलैडका द्रव्य) देनेको उद्यत रहतीथी और स्टर्लिंग सोनेकी मुद्रामें परिवर्तनशील था। इसप्रकार की द्रव्य-पद्धतिमें अप्रत्यक्ष रूपसे स्थानीय द्रव्यके बदलेमें एक निर्धारित दरपर सोना मिल सकताथा। इस पद्धतिको कार्यान्वित करनेके लिए राज्यको स्वर्ण-पद्धति

मूल्य धातुका बनाहो। जहातक विश्वासका प्रश्नहै, जबतक द्रव्यके बदलमें अन्य वस्तुएं और सेवाएं मिलती रहेंगी, तबतक उस द्रव्यमें विश्वास बनारहेगा। अतएव विश्वास बनाये रखनेके लिए द्रव्यकी ऋण-शक्तिको बनाये रखनाहै न कि उसको सोनेका बनाना।

यहभी कहा जाताहै कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत द्रव्य-स्फीतिका भय नहीं रहता और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें भी अधिक परिवर्तन नहीं होता। चूकि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिमें द्रव्यका परिमाण सोनेके परिमाणसे सलग्न रहताहै और सोनेका परिमाण राहसा प्रचुरतासे बढ़ाया नहीं जासकता, अतएव यह ठीक प्रतीत होताहै कि इस पद्धतिमें एकवारगी द्रव्य-स्फीतिकी आशका नहीं रहती। परन्तु यदि सभी स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिवाले देश सोनेका भाव बढ़ादें तो उतनेही परिमाणके स्वर्ण-कोप के आधारपर वह अधिक नोट प्रचलितकर द्रव्य-स्फीतिकी अवस्था उत्पन्न करसकते हैं। जहातक इस पद्धतिमें द्रव्य-मूल्यकी स्थिरताका प्रश्नहै उसका खडन हम १९२९-१९३२ के विश्वव्यापी आर्थिक सकटके उदाहरणसे करसकते हैं। सन् १९२९ के बाद मूल्य-स्तर गिरनेलगा और द्रव्यका विनिमय-मूल्य बढ़नेलगा जबकि ससारके सभी राज्योंमें स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति प्रचलित थी। इससे हम इस परिणामपर पहुंचतेहैं कि द्रव्यका विनिमय मूल्य केवल द्रव्यके परिमाणपर ही अवलम्बित नहीं रहता बल्कि इराको निर्धारित करनेमें अन्य कारणोंका भी हाथ रहताहै जिनका विवेचन हम 'द्रव्य का विनिमय-मूल्य' वाले अध्यायमें करेंगे।

इस पद्धतिमें एक बड़ा लाभ यहहै कि विदेशी-विनिमयकी दरमें स्थिरता आजाती है। यदि अनेक राज्य अपने अपने द्रव्यमें सोनेका भाव निर्धारित करदें और इस भावपर बेरोकटोक सोना बेचने और मोल लेनेको बद्ध हो और सोनेके आयात-निर्यातपर कोई प्रतिबन्ध न लगायें, तो ऐसी स्थितिमें स्वर्ण-द्रव्यवाले देशोंके द्रव्यमें विदेशी विनिमयकी दर स्वयमेव निर्धारित होजायेगी और उसमें बहुत कम परिवर्तनकी आशका रहेगी। उदाहरणके लिए मान लीजिए भारत और इंग्लैंडमें स्वर्ण द्रव्य-पद्धतिका चलनहै और भारत सरकार एकतोले सोनेका मूल्य १०० रुपया निर्धारित करतीहै और इंग्लैंडकी सरकार एकतोले सोनेका मूल्य १५० शि०। ऐसी अवस्थामें स्वयमेव भारत और इंग्लैंडकी विदेशी विनिमय-दर १ रु० = १ शि० ६ पे० हुई। इस दरको 'टकसाली विनिमय-दर' कहते हैं। जबतक भारत और

१ शि० ६ पे० से ऊगी उठने लगेगी। परन्तु १ शि० ६ १/४ पे० पर पहुँचनेपर यह वृद्धि रुक जायेगी, क्योंकि इससे ऊचीदर होनेपर इंग्लैंडसे भारतको सोना भेजना सस्ता पड़ेगा इसका कारण यह है कि इंग्लैंडसे भारतको सोना भेजनेका व्यय जोड़कर १ शि० ६ १/४ पे० में इतना सोना इंग्लैंड वागियोंको अपनी सरकारसे मिलजाता है जिससे उनको भारतमें १ रु० प्राप्त होजाता है। अतएव वे एक रु० प्राप्त करने के लिए १ शि० ६ १/४ पे० से अधिक स्टर्लिंग नहीं देंगे। १ शि० ६ १/४ पे० की मर्यादा भारतके लिए स्वर्ण-आयात मर्यादा हुई।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति के व्यावहारिक नियम

उपरोक्त व्याख्यासे यह सिद्ध होजाता है कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति वाले देशोंकी विदेशी विनिमय-दर स्वर्ण-आयात-निर्यात मर्यादाके अन्तर्गत रहती है। इस पद्धतिके अनुयायी यह भी बताते हैं कि सोनेके आयात और निर्यातसे अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनीका सन्तुलन भी यथार्थ होजाता है। इस सन्तुलनको पुनः प्राप्त करनेके लिए जो आर्थिक क्रियाएँ इन देशोंमें चरितार्थ होती हैं, उनके आधारपर स्वर्ण द्रव्य पद्धति के व्यावहारिक नियम बनाये गये हैं जिनका पालन करना इन देशोंका धर्म होजाता है। मान लीजिये भारतको लेनीदेनी की विषमताके कारण इंग्लैंडको पर्याप्त मात्रा में सोना भेजना पडा। चूकि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिमें द्रव्यका परिमाण सोनेके कोष से सम्बद्ध रहता है, अतएव सोनेके आधारकी क्षति-होनेके कारण चलनमें द्रव्यके परिमाणमें भी कमी आजायेगी। यह कमी निर्यात किये सोनेके मूल्यसे कही अधिक होगी क्योंकि प्रचलित द्रव्यका आशिक मूल्यही स्वर्णके रूपमें कोषमें रहता है। यदि कोषमें एक स्वर्ण मुद्राके आधारपर चलनमें पाच नोट प्रचलित हैं तो कोषसे एक मुद्राकी क्षति होनेपर सोना और चलनमें स्थित द्रव्यका अनुपात बनाये रखनेके लिए पाच नोटोको चलनसे निकालना पड़ेगा। (यहापर हमने यह मानलिया है कि कोषमें अतिरिक्त सोना नहीं है) अब यदि भारतसे इंग्लैंडको सोना निर्यात होने लगा तो यहा चलनमें द्रव्यका सकुचन होने लगेगा। इसके फलस्वरूप यहाके आय-स्तर और मूल्य-स्तर गिरने लगेंगे। आयका स्तर गिरनेसे यहाके लोग इंग्लैंडसे उतने परिमाणमें सामान नहीं मोल ले सकेंगे जितना पहिले लिया करते थे। अतएव भारतमें

है कि इसके अन्तर्गत द्रव्यके परिमाणको बदलती हुई आर्थिक स्थितिके अनुकूल करनेमें सुविधा नहीं रहती है। हम ऊपर बता चुके हैं कि इस पद्धतिवाले देशोको विदेशी विनिमयकी दर बनाये रखनेके लिए एक बड़ा मूल्य देना पड़ता है और यह मूल्य आन्तरिक आर्थिक व्यवस्थामें अस्थिरता उत्पन्न कर देता है।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति का अन्त

सन् १६३१ में इंग्लैंडने स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिका परित्याग किया और धीरे धीरे सभी देशोंने इसका अनुसरण किया। इसके तीन प्रधान कारण हैं। एक कारण यह है कि इस पद्धतिके निर्वाहित रूपसे चलनेके लिए जिस आर्थिक वातावरणकी आवश्यकता होती है, वह वातावरण प्रथम महायुद्धके बादकी आर्थिक पद्धतिमें न प्राप्त हो सका। दूसरा कारण यह है कि इस कालमें अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनी की विपमता इतनी अधिक होगयी कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति उसके भारको सहन करनेमें असमर्थ प्रतीत होने लगी और तीसरा कारण यह था कि कोई भी देश अपनी आर्थिक व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-पद्धतिके नियमोंके आधीन करनेको प्रस्तुत नहीं था।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके ठीक प्रकारसे कार्य कर सकनेके लिए यह आवश्यक है कि सोनेके आयात और निर्यातका पूरा प्रभाव इन देशोंकी आन्तरिक आर्थिक स्थितिपर पड़ने दिया जाये और आय, लागत तथा मूल्यके स्तरोंको तदनुसार बढ़ाया अथवा घटाया जाये। परन्तु इस कालमें जिन देशोंसे सोना बाहर जाने लगा, उन देशोंने इस आशका से कि उनमें बेकारी और आर्थिक मन्दी न आजाये द्रव्यके परिमाण और मूल्य-स्तरोंमें कमी नहीं आने दी। और जिन देशों को सोना प्राप्त हुआ, उन देशोंने भी द्रव्य-स्फीति की आशका से द्रव्यके परिमाण एव मूल्य-स्तरोंमें वृद्धि नहीं होने दी। इसके अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्थामें भी महायुद्धके पहिलेकी स्थिति नहीं रह गयी थी जिसमें लागत व्यय और मूल्योंको सुगमतासे बदला जा सके। मजदूर संघ और एकाधिकारियोंका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। स्वर्ण-पद्धतिमें अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनी का सन्तुलन बनाये रखने का मार्ग केवल मुक्त-द्वार व्यापार-नीति है। परन्तु इस कालमें साहूकार देशों ने ऋणी देशोंसे वस्तुओंके रूपमें अपना पावना लेनेसे इन्कार कर दिया और सोनेके रूपमें लेनेका आग्रह किया। ऋणी देशोंने

महत्त्व दिया जाने लगा। इस पद्धतिके अन्तर्गत द्रव्यका परिमाण सोनेके कोषक-परिमाणसे सम्बन्धित नहीं रहता। यह सोनेकी शृंखलाओंसे मुक्त होजाती है, सन् १९३१ से पहिलेभी युद्ध इत्यादि आर्थिक सकटोंके अवसरोपर अनेक देशोंने स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिका त्याग करदिया था। परन्तु यह त्याग सकटकालीन ही था। सन् १९३१ के बाद सदैवके लिए इस पद्धतिका त्याग करदिया गया है। जब द्रव्यके परिमाणको इसप्रकार स्वतन्त्र करदिया गया तो उसका प्रबन्ध और नियन्त्रण अन्य आर्थिक उद्देश्योंके अन्तर्गत करना आवश्यक होजाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति प्रबन्धित नहीं थी। प्रबन्ध तो उसमेंभी करना पड़ता था परन्तु आधुनिक प्रबन्धित द्रव्य-पद्धतिकी अपेक्षा उसमें प्रबन्धकी मात्रा और उद्देश्यमें अन्तर है। स्वर्ण द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत इस प्रकारका प्रबन्ध करना पड़ताथा कि द्रव्यका परिमाण सोनेमें विनिमयमाध्य बनारहे और विदेशी विनिमयकी दरमें स्थिरता बनी रहे। इन्ही उद्देश्योंके आधारपर द्रव्य-नीति का प्रयोग कियाजाता था। प्रबन्धित द्रव्य-पद्धतिमें प्रबन्धके उद्देश्य दूसरे प्रकारके हैं। कुछ अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार द्रव्यका इसप्रकार प्रबन्ध कियाजाये कि वह आर्थिक क्रियाओं एवं सम्बन्धोंमें विकार न उत्पन्न करे अर्थात् वह तटस्थ रहे। यह निर्विवादहै कि आर्थिक कार्योंमें द्रव्यका उपयोग होनेसे आर्थिक व्यवस्थाके भिन्न भिन्न अवयवोंका सम्बन्ध उसी प्रकारका नहीं रहसकता जैसाकि अदल-बदल प्रथाके अन्तर्गत रहता था। अर्थात् द्रव्यका अपना निजी प्रभावभी आर्थिक सम्बन्धोंपर पड़ता है। तटस्थ द्रव्य-नीतिके मतावलम्बियोंका कहनाहै कि आर्थिक अस्थिरताओंका प्रधान कारण यहीहै कि द्रव्य और विशेषकर साख-द्रव्यका परिमाण आर्थिक सम्बन्धोंमें व्याघात पहुँचाकर आर्थिक प्रगतिमें अस्थिरता उत्पन्न करदेता है। अतएव यदि द्रव्यका प्रबन्ध इसप्रकार किया-जाये कि द्रव्यसे आर्थिक कार्य लेते रहनेपरभी आर्थिक सम्बन्ध उसी प्रकारके बनेरहें जैसाकि द्रव्यहीन आर्थिक पद्धतिमें होतेतो इसप्रकार द्रव्यकी तटस्थता बनी रहेगी। सैद्धान्तिक रूपमें यदि हम द्रव्यकी तटस्थता की नीतिको महत्त्वपूर्ण मानभी लें तो भी व्यवहारमें द्रव्यका इसप्रकार प्रबन्ध करना कि वह पूरा रूपसे तटस्थ रहे, बहुत कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त यह मानलेना भी असंगत जानपड़ता है कि द्रव्यहीन आर्थिक व्यवस्थामें जो सम्बन्ध उसके विविध अवयवों में स्थापित होजाते थे, उनको बनाये रखनेसे आर्थिक प्रगति अवरोध रूपसे होती रहेगी।

पहुंचते हैं कि जब पूर्वोक्त कारणोंसे उत्पादकता की वृद्धि हो और प्रति इकाई लागत व्यय कम होजाये, तो मूल्य-स्तरमें भी कमी आनी चाहिए। ऐसा न होनेपर आर्थिक सम्बन्धोंमें अन्तर होजाता है जिससे आर्थिक व्यवस्थामें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहाजाता है कि जिन लोगोंकी बची हुई आय होती है उनको वैज्ञानिक उन्नतिसे उत्पादकतामें जो वृद्धि होती है उसका लाभ तभी मिल सकता है जब मूल्य-स्तरमें कमी आये।

यदि इस बातको मानभी लियाजाये कि मूल्य-स्तर को द्रव्य-नीति द्वारा स्थिर रखनेका प्रयत्न करना चाहिए तो प्रश्न यह होता है कि किस स्तरपर स्थिर रखना चाहिए। भारतमें मूल्य-स्तर इससमय बहुत ऊंचा है। सभी लोग चाहते हैं कि इसमें कमी हो, परन्तु यह बताना बहुत कठिन है कि किस स्तर तक कमी कीजानी चाहिए जिससे समाजका अधिकतम क्षेम हो। इसीप्रकार जब १९२६-३२ की आर्थिक मन्दीके अवसरपर प्रबन्धित द्रव्य-पद्धति द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड मूल्य-स्तरको बढ़ानेका प्रयत्न कर रहे थे, इस बातपर एकमत नहीं था कि मूल्य-स्तरको किस स्तरतक चढ़ाकर स्थिर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम अगले अध्यायमें बतावेंगे, मूल्यस्तर अनेक मूल्योंका औसत मात्र है। अतएव प्रश्न यह होता है कि क्या औसत मूल्य-स्तरको स्थिर रखनेसे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा। सूचक अंक (जिससे द्रव्य-स्तर का गणित किया जाता है) बनानेमें ही अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूचक अंकोके समान रहनेसे यह परिणाम नहीं निकलता कि मूल्य-स्तरोंमें और उनके आपसके सम्बन्धोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उदाहरणके लिए यदि एक वस्तुका मूल्य २५ प्रतिशत बढ़ गया और दूसरी वस्तुका मूल्य २५ प्रतिशत घट गया तो औसत मूल्य-स्तर तो समान रहेगा परन्तु इन दो वस्तुओंके मूल्योंके सम्बन्धमें परिवर्तन होनेसे इनके उत्पादन और मागमें परिवर्तन की प्रवृत्ति होजायेगी। वास्तवमें समस्या औसत मूल्य-स्तरको स्थिर रखनेकी नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न मूल्योंका आपसमें ठीक ठीक सम्बन्ध ज्ञात करना और उस सम्बन्धको स्थिर बनाये रखना है। आर्थिक विषमताओं और अस्थिरताओंका एक प्रधान कारण यही है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओंके मूल्य असम्बन्धित होजाते हैं। इनके कारणोंको जानना और इनको ठीक प्रकारसे सम्बन्धित करनाही सबसे कठिन कार्य है।

पहुँचते हैं कि जब पूर्वोक्त कारणोंसे उत्पादकता की वृद्धि हो और प्रति इकाई लागत व्यय कम होजाये, तो मूल्य-स्तरमें भी कमी आनी चाहिए। ऐसा न होनेपर आर्थिक सम्बन्धोंमें अन्तर होजाता है जिससे आर्थिक व्यवस्थामें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहाजाता है कि जिन लोगोंकी बधी हुई आय होती है उनको वैज्ञानिक उन्नतिसे उत्पादकतामें जो वृद्धि होती है उसका लाभ तभी मिल सकता है जब मूल्य-स्तरमें कमी आये।

यदि इस बातको मान भी लियाजाये कि मूल्य-स्तर को द्रव्य-नीति द्वारा स्थिर रखनेका प्रयत्न करना चाहिए तो प्रश्न यह होता है कि किस स्तरपर स्थिर रखना चाहिए। भारतमें मूल्य-स्तर इससमय बहुत ऊँचा है। सभी लोग चाहते हैं कि इसमें कमी हो, परन्तु यह बताना बहुत कठिन है कि किस स्तर तक कमी कीजानी चाहिए जिससे समाजका अधिकतम धेम हो। इसीप्रकार जब १९२६-३२ की आर्थिक मन्दीके अवसरपर प्रवन्धित द्रव्य-पद्धति द्वारा सयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड मूल्य-स्तरको बढ़ानेका प्रयत्न कर रहे थे, इस बातपर एकमत नहीं था कि मूल्य-स्तरको किस स्तरतक चढ़ाकर स्थिर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम अगले अध्यायमें बतावेंगे, मूल्यस्तर अनेक मूल्योंका औसत मात्र है। अतएव प्रश्न यह होता है कि क्या औसत मूल्य-स्तरको स्थिर रखनेसे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा। सूचक अंक (जिससे द्रव्य-स्तर का गणित किया जाता है) बनानेमें ही अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूचक अंकोके समान रहनेसे यह परिणाम नहीं निकलता कि मूल्य-स्तरोंमें और उनके आपसके सम्बन्धोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उदाहरणके लिए यदि एक वस्तुका मूल्य २५ प्रतिशत बढ़ गया और दूसरी वस्तुका मूल्य २५ प्रतिशत घट गया तो औसत मूल्य-स्तर तो समान रहेगा परन्तु इन दो वस्तुओंके मूल्योंके सम्बन्धमें परिवर्तन होनेसे इनके उत्पादन और मागमें परिवर्तन की प्रवृत्ति होजायेगी। वास्तवमें समस्या औसत मूल्य-स्तरको स्थिर रखनेकी नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न मूल्योंका आपसमें ठीक ठीक सम्बन्ध ज्ञात करना और उस सम्बन्धको स्थिर बनाये रखना है। आर्थिक विषमताओं और अस्थिरताओंका एक प्रधान कारण यही है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओंके मूल्य असम्बन्धित होजाते हैं। इनके कारणोंको जानना और इनको ठीक प्रकारसे सम्बन्धित करना ही सबसे कठिन कार्य है।

अब प्रश्न यह है कि क्या हम एक विशिष्ट द्रव्य-पद्धति और द्रव्य-नीति द्वारा मूल्य-स्तरमें स्थिरता लासकते हैं। पहिली बाततो यह है कि मूल्य-स्तर केवल द्रव्य द्वाराही निर्धारित नहीं होता है। जैसाकि 'हम द्रव्यका विनिमय-मूल्य' नामक अध्यायमें बतायेंगे, द्रव्यके अतिरिक्त औरभी अनेक विचारणीय विषय हैं जिनसे मूल्य-स्तर सम्बन्धित हैं। उदाहरणके लिए, यदि मूल्य-स्तरमें गिरनेकी प्रवृत्ति देखकर द्रव्यके प्रबन्धकर्ता द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि करे परन्तु जिनको इस द्रव्यकी प्राप्ति होती है वे लोग अथवा सस्थाए इस द्रव्यको काममें न लाकर संचित करने लगे तो इससे मूल्य-स्तरके ह्रासमें रोकथाम नहीं हो सकेगी, अतः हम इस परिणाम पर पहुचते हैं कि केवल द्रव्यके संचालनमें ही परिवर्तन करनेसे मूल्य-स्तरमें परिवर्तन अथवा स्थिरता आना अनिवार्य नहीं है। और जब हम मूल्य-स्तरमें नहीं बल्कि विविध मूल्योके सम्बन्धोको ठीक करके उनमें स्थिरता लाना चाहते हैं तबतो द्रव्य द्वारा यह कार्य औरभी कठिन होजाता है।

अभीतक द्रव्य-शास्त्रियो और द्रव्य-प्रबन्धको ने द्रव्यके आर्थिक अवस्थाके सम्बन्ध और क्रिया-प्रतिक्रियाके विषयमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करपाया है। विशेष कर केन्द्रीय बैंक जिसे द्रव्य-नीतिको आर्थिक अवस्थाके अनुकूल बनानका भार सौपा गया है, अभीतक द्रव्य-नियन्त्रणके उपकरणो को इस अवस्थातक नहीं ला सका है जिससे उसको इस महत्त्वपूर्ण कार्यमें पूर्ण सफलता प्राप्त होसके। परन्तु प्रत्येक देशके केन्द्रीय बैंक अपने उत्तरदायित्व को समझनेकी चेष्टा कर रहे हैं और अनेक उपकरणोकी कार्यक्षमता भी बढार रहे हैं और आशा कीजाती है कि निकट भविष्यमें यह सस्था जहातक द्रव्य-पद्धति और द्रव्य-नीति द्वारा आर्थिक स्थिरता की समस्याका समाधान होसकता है, वहातक यथाशक्ति सहायता करनेका प्रयत्न करेगी।

अविनिमयसाध्य द्रव्य-पद्धतिके सम्बन्धमें अनेक आलोचनाएं सुनीजाती है। यह खेदका विषय है कि भूतकालमें सकटकालके समयही द्रव्य-पद्धतिया अविनिमय-साध्य बनायी गयी और अनेक देशोमें इस पद्धतिके अन्तर्गत द्रव्य-स्फीति की समस्या उत्पन्न हुई। अतएव यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि इस पद्धतिको जन-साधारण आर्थिक संकट और द्रव्य-स्फीतिसे सम्बन्धित करता है। यही कारण है कि इसप्रकार की पद्धतिमें वह विश्वास नहीं रहता जो स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिमें रहता है।

परन्तु इसमें द्रव्य-पद्धतिका दोग नहीं है, यदि दोपहै तो द्रव्य-प्रबन्धकोंका जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया। उचित प्रकारसे प्रबन्ध होनेपर इस पद्धतिमें अनेक गुण पाये जाते हैं। एकतो यहहै कि इन पद्धतिमें लागत-द्रव्य बहुत कम रहता है। सोना चादी बहुमूल्य वस्तुएँ हैं। उनकी अन्य आर्थिक कार्योंमें भी आवश्यकता रहती है। इस पद्धतिके अन्तर्गत बहुतसा सोना चादी जो द्रव्यके काममें आता था अब दूसरे कामोंमें गगाया जानकता है। इसके अतिरिक्त इस पद्धतिको आर्थिक अवस्था-ओं के अनुकूल बनानेमें अधिक सुविधा और स्वतन्त्रता रहती है। हम देखचुके हैं कि स्वर्ग-द्रव्य-पद्धति वाले देतोंको इन प्रकारकी सुविधा और स्वतन्त्रता बहुत कम मात्रामें रहती है।

द्रव्य का विनिमय-मूल्य

मूल्य और विनिमय-मूल्य

एक वस्तुमें अन्य वस्तुओंको बदलेमें प्राप्त करनेकी जो शक्ति होती है उसको हम उस वस्तुका विनिमय-मूल्य कहेंगे। यदि एक सेर गेहूँके बदलेमें दोगज कपडा मिल सकता है तो एकसेर गेहूँका विनिमय-मूल्य दोगज कपडा और एकगज कपडेका विनिमय-मूल्य आधासेर गेहूँ हुआ। हम पहिले अध्यायमें बता चुकेहैं कि यदि सभी वस्तुओंके विनिमय-मूल्यको एकही वस्तुके परिमाणमें प्रकट किया जासके, तो इससे आर्थिक क्रियाओंमें बहुत सुविधाए प्राप्त होजाती है। आर्थिक विकासमें यही हुआभी है। समाजने द्रव्यके रूपमें वस्तुओंका विनिमय-मूल्य प्रकट करना प्रारम्भ करदिया। इसप्रकार जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, उसको हम मौद्रिक मूल्य कहते हैं अर्थात् विनिमय-मूल्य द्रव्यके रूपमें प्रकट कियाजाता है, तो वह मौद्रिक मूल्य कहलाता है। जिस वस्तुसे द्रव्यका काम लियाजाता है, उसको एक ऊचा पद प्राप्त होजाता है। द्रव्यके विकासके सम्बन्धमें हम देखचुके हैं कि किसप्रकार सोनेचादी ने द्रव्यके रूपमें काममें लायेजानेके कारण एक विगिष्ट स्थान प्राप्त करलिया। आधुनिक कालमें तो अधिकतम द्रव्य कागजका बना हुआहै अथवा केवल बैकोंके खातोंमें दर्ज है। उसका कोई निज का मूल्य नहीं है। फिरभी उसकी इतनी मान्यता है। अन्य आर्थिक वस्तुओं और द्रव्यके बीच एक बडा भेद यहहै कि अन्ततोगत्वा अन्य आर्थिक वस्तुओंके अन्तर्गत कुछ ऐसे गुण निहितहैं जिनमें हमारी कोई न कोई आवश्यकताको तृप्त करनेकी शक्ति होती है। गेहूँ, दूध, लकडी इत्यादि वस्तुएं इसका उदाहरण हैं, जिनमें कुछ ऐसे नैसर्गिक गुण वर्तमानहैं जिनके उपभोगसे हमको तृप्ति मिलती है। इन्ही गुणोंके आधारपर उनकी उपयोगिता टिकीहुई है। परन्तु आधुनिक द्रव्यमें कोई इस प्रकारकी तात्त्विक विशेषता नहींहै जिसके कारण

हम उसको उपयोगी समझते हैं। हम द्रव्यकी मान्यता तभीतक करेंगे जबतक उसके विनिमयसे हमको अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो सकें अर्थात् जबतक द्रव्यकी क्रय-शक्ति बनी रहे। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि द्रव्यकी कोई स्वतः उपयोगिता नहीं है बल्कि उसकी उपयोगिता उन वस्तुओंकी उपयोगितापर निर्भर है जो उसके विनिमयसे प्राप्त हो सकती है। यही एक प्रधान भिन्नता द्रव्य और अन्य आर्थिक वस्तुओंके बीच है, जिसके कारण हम द्रव्यको एक पृथक् वर्गमें रखते हैं।

द्रव्य का विनिमय-मूल्य

अभी हमने बताया कि अन्य वस्तुओंके विनिमय-मूल्यको द्रव्यके रूपमें प्रकट किया जाता है और उनको उन वस्तुओंका मॉड्रिक मूल्य अथवा केवल मूल्य कहा जाता है। द्रव्यका भी विनिमय-मूल्य होता है। द्रव्यकी इकाईसे जिस परिमाणमें वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं, वही द्रव्यका विनिमय-मूल्य है। द्रव्यके विनिमय-मूल्यसे जो वस्तुएं प्राप्त होनी हैं, उसको हम द्रव्यका विनिमय-मूल्य कहेंगे। संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि द्रव्यका विनिमय-मूल्य उसकी क्रय-शक्ति है। द्रव्यकी एक इकाई से हमें किस परिमाणमें अन्य वस्तुएं मिल सकती हैं, यह उन वस्तुओंके मूल्य-स्तरपर निर्भर करता है। यदि मूल्य-स्तरमें वृद्धि होजाये तो द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें कमी आजायेगी और यदि मूल्य-स्तरमें कमी होजाये, तो द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें वृद्धि होजायेगी। अर्थात् मूल्य-स्तर और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें प्रतिलोम सम्बन्ध है।

यदि हम ध्यानसे देखें तो हमको ज्ञात होता है कि द्रव्यके विनिमय-मूल्यका निर्धारण इतनी सरलतासे नहीं होता है। उदाहरणके लिए, यदि सूचक-अंकोंकी सहायतासे हमें यह ज्ञात होता है कि मूल्य-स्तरमें वृद्धि होगयी तो क्या इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सभी मनुष्योंके लिए द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें उसी अनुपातमें कमी होगयी। वास्तवमें ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक वस्तुका मूल्य किसी समय विशेषमें एकही अनुपातमें नहीं घटता बढ़ता और प्रत्येक मनुष्य एकही प्रकारके वस्तु-समुच्चयको नहीं मोल लेता। अतएव ऐसा हो सकता है कि जब सूचक-अंक मूल्य-स्तरमें वृद्धि बताते हैं तो सभी मनुष्योंके द्रव्यका विनिमय-मूल्य एकही अनुपातमें नहीं घटता। यदि कोई मनुष्य केवल उन्ही वस्तुओंको मोल लेता

है जिनका मूल्य राज्य द्वारा निर्धारित और नियन्त्रित है तो उसके लिए द्रव्यका विनिमय-मूल्य पूर्ववत्ही रहेगा और एक दूसरा व्यक्ति जो अनियन्त्रित वस्तुओंको भी मोल लेता है जिनके मूल्यमें वृद्धि आगयी हो, तो उसके द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें कमी आजायेगी। इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यका कोई ऐसा एकाकी विनिमय-मूल्य नहीं होसकता जो सभी व्यक्तियोंके द्रव्यके सम्बन्धमें समान रूपसे लागू हो। सैद्धान्तिक रूपसे कहा जासकता है कि द्रव्य द्वारा अनेक प्रकारकी वस्तुएँ और सेवाएँ मोलली जासकती हैं, अतएव द्रव्यका विनिमय-मूल्य उन सभी वस्तुओंके मूल्यपर अवलम्बित रहना चाहिए। इस प्रकारके सूचक-अंक प्राप्तभी कियेजाते हैं जो सभी वर्गोंकी प्रतिनिधि वस्तुओंके आधारपर गणित कियेजाते हैं। परन्तु इस प्रकारके सूचक-अंकोसे जो द्रव्यका विनिमय-मूल्य इंगित होता है उसका व्यवहारमें अधिक महत्त्व नहीं होसकता क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकारकी वस्तुओं और वस्तु-समुच्चयोंके मूल्यसे प्रभावित होते हैं। अतएव व्यावहारिक उपयोगिता और आर्थिक विश्लेषणके लिए भी द्रव्यका विनिमय-मूल्य हमको भिन्न भिन्न वस्तु-वर्गों और सेवा-वर्गोंके रूपमें निकालना पड़ेगा।

सूचक-अंक

किसी समय विशेषमें द्रव्यका विनिमय-मूल्य क्या है उसको व्यक्त करना दुष्कर कार्य है क्योंकि द्रव्यसे विविध प्रकारकी वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त होसकती हैं। परन्तु द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें सापेक्ष परिवर्तनको जानना सम्भव है। उदाहरणके लिए यदि हम यह जानना चाहें कि सन् १९४८ की तुलनामें सन् १९४९ में द्रव्यका विनिमय कम है या अधिक, और कितनी मात्रामें तो इसका हिसाब सूचक-अंकोकी सहायतासे लगाया जासकता है। सूचक-अंकोसे मूल्य-स्तरोंमें औसत बदलाव मापा जाता है और इसके अनुलोम-अंकोसे द्रव्यके विनिमय-मूल्यके परिवर्तनको गणित करलिया जासकता है। उदाहरणके लिए यदि १९४२ की अपेक्षा १९४४ में मूल्य-स्तर दुगना होगया है (यदि १९४२ के सूचक-अंकको १०० मानलिया तो १९४४ का सूचक २०० होगा) तो हम कहसकते हैं कि १९४४ में १९४२ की अपेक्षा रुपयेका विनिमय-मूल्य आधा रहगया (यदि १९४२ में रुपयेका मूल्य १०० था

लियाजाय, तो १९४४ में ५० रह जायेगा)।

सूचक-अंक निकालनेके पूर्व इस बातका निश्चय करलेना पडताहै कि किस काल को प्रामाणिक काल मानाजाये जिससे अन्य कालोकी तुलनाकी जासके। कुछ काल स्वयमेव प्रामाणिक प्रतीत होनेलगते है। उदाहरणके लिए सन् १९३९ (सितम्बर से पूर्व) प्रामाणिक बनगया है क्योंकि इसके बादही द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होगया था। प्रामाणिक काल ऐसा होना चाहिए जिसमें युद्ध, आर्थिक उत्कर्ष-अपकर्ष आदि प्रकारकी असाधारण घटनाए न घटी हों। आधुनिक कालमें ४-५ वर्षोंके श्रीसतको प्रामाणिक काल माननेकी प्रथा चलपडी है। प्रामाणिक काल स्थिरकर लेनेके पश्चात् हमको उन वस्तुओ और सेवाओकी एक ऐसी सूची बनानी पडनीहै जिसके आधारपर सूचक-अंक बनाये जायेंगे। जिस प्रयोजनके लिए सूचक-अंक और तत्सम्बन्धित द्रव्यके विनिमय-मूल्यको जाननेकी आवश्यकता हो, उसीसे सम्बन्धित वस्तुएभी होनी चाहिए। उदाहरणके लिए यदि हम किसानोंके द्रव्य विनिमय-मूल्यमें बदलाव जानना चाहते है, तो हमें उन्ही वस्तुओको सूचीमें रखना पडेगा जिनका उपयोग किसान लोग साधारणतः करते है। इन वस्तुओ और सेवाओकी एक लम्बी सूची होगी। अतएव सूचक-अंकको प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यक होजाता है कि इन वस्तुओमें से कुछ ऐसी छांट लीजायें जो सब का प्रतिनिधित्व करसकें। इन वस्तुओकी सख्या बहुत कम नहीं होनी चाहिए, नहीतो इनको प्रतिनिधित्व प्राप्त नही होसकेगा। जितनी अधिक सख्याहो, उतना अच्छा है। परन्तु इतनी अधिक भी न हो कि कार्य सामर्थ्यके बाहर होजाये। अब इन छँटीहुई वस्तुओका मूल्य मालूम करना है। यदि पूर्वोक्त उदाहरणके अनुसार हमें १९४४ की १९४२ से तुलना करनीहै तो हमको इन दोनो वर्षोंमें जो इन वस्तुओ का मूल्य रहाहो, उसको मालूम करना पडेगा। इसमें बहुत सावधानीकी आवश्यकता है। पहिलेतो हमें किसीभी वस्तुके जिस प्रकारको एक वर्षमें लेते है, उसी प्रकारको दूसरे वर्षमें भी लेना चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि १९४२ में तो शुद्ध घी का मूल्य लियाजाये और १९४४ में वनस्पति घी का। इसके अतिरिक्त जिस प्रकारका मूल्य एक वर्षमें लियागया हो, उसी प्रकारका मूल्य दूसरे वर्षभी लेना चाहिए। एक वर्षमें थोक भाव और दूसरे वर्षमें फुटकर भाव लेनेपर सूचक-अंकमें अशुद्धता आजायेगी। साधारणतः सूचक-अंक थोक मूल्योके आधारपर बनाये जाते

है क्योंकि इन मूल्योंका इकट्ठा करना सुगम होता है। परन्तु जीवन-स्तरके सम्बन्ध में जाननेके लिए फुटकर भाव अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि उपभोक्ता वर्ग इसी भावपर सामान मोललेता है। जब इसीप्रकार छँटी हुई वस्तुओंके दोनो वर्षोंके मूल्य ज्ञात होगये, तो इसके पश्चात् गणितका कार्य आरम्भ होजाता है। पहिला काम है, प्रत्येक वस्तुका सापेक्ष मूल्य गणित करना। इसके लिए, प्रामाणिक वर्षमें प्रत्येक वस्तुका मूल्य १०० इकाई मानकर दूसरे वर्षमें उस वस्तुके भावका सापेक्ष अक प्राप्त कियाजाता है। उदाहरणके लिए, यदि लकड़ीका भाव १९४२ में २ रुपये मन हो और १९४४ में बढ़कर २ रुपये ८ आने मन होगया हो, तो २ रुपयेको १०० इकाई मानकर २ रुपये ८ आनेको १२५ इकाईसे सूचित करेंगे। इसीप्रकार सभी वस्तुओंके सापेक्ष मूल्यके अक निकाल लिये जायेंगे। इन सापेक्ष-अकोसे भिन्न भिन्न वस्तुओंके मूल्योंमें बदलाव जानाजाता है। परन्तु हमको औसत बदलाव मालूम करना है अतएव हम इनका औसत निकाल लेते हैं। यही औसत सूचक-अक है। नीचे दीगयी तालिकामें सूचक-अकोको गणित करनेकी रीति दीगयी है।

सन् १९४२				सन् १९४४		
१	२	३	४	५	६	७
मान	वस्तुएं	मूल्य	गुण	मूल्य	सापेक्ष मूल्य	१. × ६- गुण
अक						
१०	चना	४ आ. सेर,	१००	६ आ सेर	१५०	१५००
६	बाजरा	५ ,,	१००	५ ,,	१००	६००
५	लकड़ी	२ रु मन	१००	२ १/२ रु मन	१२५	६२५
१	गुड	३ आ सेर	१००	६ आ सेर	२००	२००
३	घोतीजोडा	५ रु	१००	६ रु	१२०	३६०
२५	५	-		कुल	६६५	३२८५

$$\frac{\text{साधारण सूचक-अक } ६६५}{५} = १३३$$

$$\frac{\text{सप्रभाव सूचक-अक } ३२८५}{२५} = १३१$$

इस उदाहरणमें १३६ साधारण सूचक-अंकहें अर्थात् १६४२ की अपेक्षा १६४४ में मूल्य-स्तरमें ३६ प्रतिशत वृद्धि हुई। साधारण सूचक-अंकोंको प्राप्त करनेमें हम प्रत्येक वस्तुको समान माननेसे हैं। परन्तु वास्तवमें प्रत्येक वस्तुका मान हमारे लिए बराबर नहीं होता और प्रत्येक वस्तुमें बदलाव होनेसे हम समान रूपसे प्रभावित नहीं होते। उदाहरणके लिए यदि दिगासलार्डका मूल्य ५० प्रतिशत घटजाये और गेहूँका मूल्य ५० प्रतिशत बढ़जाये तो औसत मूल्य-स्तर तो इनदो वस्तुओंका समानही रहेगा परन्तु जितना व्यय हमारा गेहूँमें अधिक होगा उतनी बचत दियासलार्डके मूल्यमें कमी होनेसे नहीं होगी। उस दोषको दूर करनेके लिए सप्रभाव सूचक-अंककी गणना की जाती है। ऊपरके उदाहरणमें कोष्ठक (१) में पाचो वस्तुओंका मान-अंक दिया है। यह मान अंक साधारणतः अनुमानके आधारपर निर्धारित किया जाता है और कभी कभी प्रत्येक वस्तुपर व्ययके अनुपातसे निर्धारित किया जाता है। सप्रभाव सूचक-अंक प्राप्त करनेके लिए सापेक्ष मूल्य-गुणो (कोष्ठक ६) को प्रत्येक वस्तुके मान-अंकसे गुणा कर गुणनफलोंको जोड़कर मान-अंकके योग से भाग दिया जाता है। भजनफल सप्रभाव सूचक-अंक है। ऊपरके उदाहरणमें यह अंक १३१ है। स्पष्ट है कि सप्रभाव सूचक-अंक साधारण सूचक-अंकसे अधिक उपयोगी होता है।

सूचक-अंकोका प्रयोग सावधानीसे करना चाहिए। ये भिन्न भिन्न प्रयोजनोंके लिए बनाये जाते हैं। प्रतिनिधि वस्तु-वर्गके बदलावसे, नवीन वस्तुओंके आजानेसे आर्थ और रुचिमें बदलाव होनेसे, वस्तुओंके महत्वमें बदलाव होजाने से, सूचक-अंक यथार्थताको प्रकट करनेमें पूर्णरूपसे सफल नहीं हो पाते। फिरभी आर्थिक विश्लेषणके कार्यमें और तुलनात्मक कार्यमें इनका बहुत महत्व है।

द्रव्य के विनिमय-मूल्य का पारिमाणिक सिद्धान्त

यह तो जानी हुई बात है कि द्रव्यका विनिमय-मूल्य कभी स्थिर नहीं रहता। यह कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस सम्बन्धमें अनेक मत हैं। एक सिद्धान्त जो बहुत लोकप्रिय रहा है और जिसको आधुनिक रूपमें प्रतिष्ठादान करनेका श्रेय अमेरिकाके अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशरको प्राप्त है, द्रव्यके

विनिमय-मूल्यमें बदलावको द्रव्यके परिमाणसे सम्बन्धित करता है। अतएव इस सिद्धान्तको द्रव्यका पारिमाणिक सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार अन्य बातें समान रहनेपर, द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होनेसे मूल्य-स्तरमें वृद्धि और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें कमी होजायेगी और द्रव्यके परिमाणमें कमी होनेसे मूल्य-स्तर में कमी और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें वृद्धि होजायेगी। इस सिद्धान्तको निम्नलिखित समीकरणके रूपमें प्रदर्शित किया जाता है :

द्रव्यका परिमाण \times चलनका औसत वेग

$$= \text{मूल्य स्तर} \times \text{कुल व्यापार।}$$

द्रव्यके परिमाणमें धात्विक द्रव्य, नोट और साख-द्रव्य सभी सम्मिलित है। किसी समय विशेषमें द्रव्यका परिमाण स्थिर रहता है। परन्तु किसी कालावधिमें जैसे एक वर्ष, उसी द्रव्यसे अनेकवार काम लिया जासकता है। उदाहरणके लिए यदि किसी समाजमें चलनमें ३० करोड़ रुपया है और उसकी सहायतासे सालभरमें ३०० करोड़ रुपयेका आर्थिक व्यवसायोंमें लेनदेन हुआ, तो औसतन प्रत्येक रुपया १० बार चलनमें आया। इसको हम द्रव्यका चलन-वेग कहते हैं। पूर्वलिखित समीकरणमें द्रव्यका परिमाण \times चलनका औसत वेगसे यह तात्पर्य निकला कि सालभर में कितना रुपया लिया और दिया गया। जितना रुपया लिया और दिया गया होगा, वह उस व्यापारसे सम्बन्धित होगा, जो द्रव्य द्वारा कार्यान्वित हुआ होगा और इसकुल व्यापारके एक औसत मूल्य अथवा मूल्य-स्तरकी कल्पना की जासकती है। अब यदि कुल व्यापारके परिमाण को औसत मूल्यसे गुणा कर दें, तो कुल व्यापारका मूल्य निकल आयेगा। सालभर में जितना रुपया लिया और दिया गया होगा, वह इसकुल व्यापारके सम्बन्धमें ही रहा होगा। अतएव इस समीकरणके दो भागोंका परिमाण अवश्यही बराबर होगा। इस समीकरणको सुगम भाषामें इसप्रकार कहसकते हैं: किसी कालावधिमें जितना द्रव्य लिया दिया जाता है उसका परिमाण कुल द्रव्य सम्बन्धी व्यापारके मूल्यके बराबर होगा।

इस समीकरणसे एक दूसरा समीकरण प्राप्त होता है जोकि महत्वपूर्ण है। उसका रूप निम्नलिखित है :

$$\frac{\text{मूल्य स्तर} = \text{द्रव्य} \times \text{वेग}}{\text{व्यापार}}$$

इस समीकरणसे यह तात्पर्य निकलता है कि यदि मूल्य-स्तरमें परिवर्तन होगया हो, तो हमको उसके कारणोंको रोजनेके लिए द्रव्यका परिमाण अथवा उसका वेग अथवा व्यापारकी मात्रा अथवा इन सभीके सम्बन्धोंके परिवर्तनका अध्ययन करना पड़ेगा द्रव्यके पुराने पारिमाणिक सिद्धान्तके अनुसार मूल्य-स्तर केवल द्रव्यके परिमाणपर अवलम्बित मानाजाता था। परन्तु आधुनिक कालमें इस सिद्धान्तके अन्तर्गत द्रव्यके परिमाणके अतिरिक्त उसके चन्दनका वेग और उससे सम्पादित होनेवाले व्यापारके परिमाणको भी सम्मिलित कियाजाता है। परन्तु इस सिद्धान्तके कुछ अनुयायी यह मानलेते हैं कि दीर्घकालमें द्रव्यका आगत वेग और व्यापारकी मात्रामें अधिक परिवर्तन नहीं होता है और यदि होताभी है, तो उसका सीधा सम्बन्ध मूल्य-स्तरसे नहीं होता। अब यदि हम चन्दनके वेग और व्यापारकी मात्रा पर ध्यान न दें तो, यदि मूल्य-स्तरमें वृद्धि होगयी है तो उसका कारण द्रव्यके परिमाणमें वृद्धिही होसकता है, इस प्रकारके तर्कमें अनेक त्रुटियाँ एव अपवाद हैं। पहिले तो यह मानलेना कि द्रव्यका वेग और व्यापारकी मात्रा समान रहेगी, असंगत है। इन दोनोंमें भी परिवर्तन होता रहता है जिससे मूल्य-स्तर प्रभावित होता है और मूल्यके प्रभावित होनेसे ये दोनोंभी प्रभावित होने हैं। इनके अतिरिक्त द्रव्यके परिमाणमें जो परिवर्तन होता है उसका पूरा प्रभाव मूल्य-स्तरपर न पड़ने देनेमें भी इनका हाथ रहता है। उदाहरणके लिए, कल्पना कीजिए कि आर्थिक मन्दीका अवसर है तथा मूल्य-स्तर नीचे गिरगया है और इसलिए आवश्यकता इस स्तरको ऊँचा करनेकी है। अब यदि द्रव्य प्रवन्धक द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि कर दें तो यह अनिवार्य नहीं है कि मूल्य-स्तर अवश्य ऊँचा होजायेगा। आर्थिक मन्दीके अवसर पर निरुत्साहकी भावना रहती है। अतएव यह होसकता है कि नया द्रव्य क्रियाशील न बनकर बेकार संचित पडा रहे। यदि ऐसा हुआ तो द्रव्यके प्रसारसे मूल्य-स्तर ऊँचा नहीं उठने पायेगा। इसके अतिरिक्त यदि समाजके साधन बेकार पडे हों तो जैसे जैसे नया द्रव्य पूजीके रूपमें लगाया जायेगा वैसे वैसे उत्पादन कार्यमें भी वृद्धि होने लगेगी। यदि द्रव्यके परिमाणमें वृद्धिके साथ साथ उत्पत्तिके परिमाणमें भी वृद्धि होती रहे तो मूल्य-स्तरमें अधिक वृद्धि नहीं होने पायेगी। जब सभी आर्थिक साधन पूर्णरूपसे काममें नियुक्त हों, तभी द्रव्यके परिमाणमें वृद्धिके फलस्वरूप उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि न होनेके कारण मूल्य-स्तरमें भी वृद्धि होने लगेगी।

— यदि द्रव्यके प्रसारसे मूल्य-स्तरमें वृद्धि होजाती है तो मूल्य-स्तरमें वृद्धिके कारण उत्पत्तिकी मात्राको बढ़ानेमें प्रोत्साहन भी मिलता है। मूल्य-स्तरमें वृद्धि होनेके कारण चलनके औसत वेगमें भी वृद्धि होसकती है। इसका प्रधान कारण यहहै कि जब मूल्य-स्तरमें वृद्धिके कारण लाभकी मात्रा बढ़ने लगतीहै तो उत्पादक वर्ग अपने सचित द्रव्यको भी पूजीके रूपमें लगाने लगते हैं। उपभोक्ताभी इस आशकासे कि कही भविष्यमें अधिक मूल्य-वृद्धि न होजाये, वर्तमानकालमें ही अपने द्रव्यको वस्तुओंमें बदलनेकी चेष्टा करते हैं। इसप्रकार हम देखतेहै कि व्यवसायका परिमाण और द्रव्यके चलनका वेग दोनोका मूल्य-स्तरसे घनिष्ट सम्बन्ध है। कभी कभी ऐसाभी होताहै कि व्यवसायकी वृद्धिके कारण व्यवसायी वैकोसे अधिक परिमाणमें द्रव्यकी प्रार्थना करतेहै और यदि उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, तो इससे द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होजाती है। इसप्रकार हम देखतेहै कि द्रव्यका परिमाण कारण न होकर कार्य बनजाता है।

वास्तवमें बात यहहै कि मूल्य-स्तर और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें परिवर्तन करने में पूर्वोक्त समीकरणके चारो अवयवोका हाथ रहता है। प्रत्येक अवयव एक दूसरे से घनिष्ट रूपसे सम्बन्धित है, वह उनपर अपना प्रभाव डालताहै और स्वयं उनसे प्रभावित होता है। यह प्रभाव भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओंमें भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्रत्येक अवयवमें बदलावके अपने निजी कारणभी होते हैं। उदाहरण के लिए, उत्पत्तिकी मात्रा बढ़ानेके लिए, उत्पत्तिके साधन चाहिए, धन चाहिए, लाभ की आशा होनी चाहिए इत्यादि।

सक्षेपमें हम यह कहसकते हैं कि फिशरके समीकरणसे हमको इतना तो अवश्य ही ज्ञात होजाता है कि यदि मूल्य-स्तरमें कमी या वृद्धि हुई, तो हमको कारणकी खोज कहा करनी चाहिए। परन्तु जिन चार बड़े आर्थिक अवयवोकी ओर सकेत मिलताहै, वे वास्तवमें किसप्रकार एक दूसरेको प्रभावित करतेहुए द्रव्यका विनिमय-मूल्य निर्धारित करतेहै, इस विषयपर अधिक प्रकाश नहीं पडता। इसके अतिरिक्त यहभी कहा जाताहै कि द्रव्यका जो विनिमय-मूल्य इस समीकरणमें निहितहै वह द्रव्य की वास्तविक क्रय-शक्ति नहींहै क्योंकि द्रव्यका लेनदेन केवल उपभोगकी वस्तुओं और सेवाओंके लिएही नहीं बल्कि ऋणकी अदायगी, सिक्कुरिटी इत्यादि साख-पत्रोको मोल लेनेमें और सट्टेके काममें भी होता है। अतएव इस समीकरणके

अन्तर्गत जो मूल्य-स्तर है उसमें प्रत्येक प्रकारके द्रव्य-विनिमय-सम्बन्धी व्यवसाय निहित है जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, इस प्रकारके मूल्य-स्तरमें कोई वास्तविकता नहीं होती है।

द्रव्य का संचयन सिद्धान्त

केम्ब्रिज विश्वविद्यालयके कुछ अर्थशास्त्रियोंने द्रव्यके पारिमाणिक सिद्धान्तको दूसरेही रूपमें प्रतिपादित किया है। इनके विचारमें द्रव्यकी माग उसको अपने पास रखनेके लिए होती है। द्रव्यको अपने पास रखनेसे वस्तुओं और सेवाओंपर अपना अधिकार बना रहता है। व्यक्ति और सस्थाएँ अनेक प्रयोजनोंके लिए द्रव्य का सचय करते हैं और इस सचयकी मात्रा आर्थिक अवस्थाके अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। यदि द्रव्यके परिमाणमें परिवर्तन न हुआ हो तो द्रव्यको अधिक मात्रामें सचय करनेका अभिप्राय हुआ कि उसके व्ययको कमकरना अर्थात् चलनके वेगमें कमी आजाना। इसके प्रतिकूल सचयकी मात्रामें कमी करने से अभिप्राय होता है व्यय अधिक मात्रामें करना अर्थात् चलनके वेगको बढ़ाना। इसप्रकार हम देखते हैं कि चलनके वेगमें और संचयकी मात्रामें अनुलोम सम्बन्ध है।

जितना द्रव्य चलनमें रहता है, वह किसी न किसीके पास रहता ही है। किसी समय विशेषमें जो मूल्य-स्तर रहता है उसके हिसाबसे इस द्रव्यके परिमाण द्वारा वस्तुओं और सेवाओंके कुछ परिमाण पर अधिकार रहता है। सुविधाके लिए हम मान लेते हैं कि वस्तुओं और सेवाओंका वह परिमाण जिसपर समाजका अधिकार द्रव्यके रूपमें रहता है वार्षिक उत्पत्तिका एक अंश है। इस अंशको हम 'अ' कहेंगे और कुल वार्षिक उत्पत्तिको 'उ' कहेंगे। स्पष्ट है कि कुल द्रव्यकी क्रयशक्ति 'अ उ' होगी, द्रव्यकी एक इकाई का विनिमय-मूल्य अउ/द्रव्यका परिमाण होगा और मूल्य-स्तर द्रव्यका परिमाण/अउ होगा। इस सम्बन्धको एक समीकरणके रूपमें प्रकट किया जाता है जिसको केम्ब्रिज-समीकरण कहते हैं। इस समीकरणके अनेक रूप हैं। एक सुगम रूप निम्नलिखित है:

$$\text{मूल्य-स्तर} = \frac{\text{द्रव्य का परिमाण}}{\text{अ उ}}$$

यदि लोग यह चाहतेहैं कि वे द्रव्यके रूपमें अधिक मात्रामें वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकार रखें, तो वे द्रव्यके सचयमें वृद्धि करने लगेंगे जिसके फलस्वरूप व्यय के परिमाणमें कमी आजानेके कारण मूल्य-स्तर नीचे गिरने लगेगा। और यदि वे द्रव्यके रूपमें पहिलेसे कम मात्रामें वस्तुओं और सेवाओंपर अधिकार रखना चाहतेहैं तो वे अपने सचयको व्यय करने लगेंगे जिससे मागमें वृद्धि होगी और मूल्य-स्तरमें भी वृद्धि होने लगेगी। साधारणतः यह देखागया है कि आर्थिक उत्कर्षके समय द्रव्यके सचयकी मात्रामें कमी करनेकी प्रवृत्ति होतीहै जिससे मूल्य-स्तरमें वृद्धि होने लगतीहै और आर्थिक अपकर्षके कालमें द्रव्यका सचय बढ़ने लगताहै जिससे मूल्य-स्तर घटने लगता है।

यदि द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होजाये परन्तु समाजके लोग पहिलेके परिमाणमें ही द्रव्यके रूपमें वस्तुओं और सेवाओंपर अपना अधिकार बनाये रखना चाहें तो तात्कालिक मूल्य-स्तरके हिसाबसे उनकेपास अतिरिक्त द्रव्य जमाहो जायेगा जिसको वे व्यय करने लगेंगे जिससे मूल्य-स्तरमें वृद्धि होने लगेगी। यह वृद्धि तबतक होती रहेगी जबतक मूल्य-स्तर इतना ऊचा न होजाये जहापर बढेहुए द्रव्यके परिमाणसे पूर्वोक्त मात्रामें ही वस्तुओं और सेवाओंपर अधिकार हो। द्रव्यके परिमाणमें कमी होजानेसे विपरीत प्रवृत्ति होगी। इसप्रकार द्रव्यके सचयन सिद्धान्तके अनुसारभी द्रव्यके परिमाणमें कमी और वृद्धि होजानेसे मूल्य-स्तर और उसके सम्बन्धित द्रव्यका विनिमय-मूल्य प्रभावित होता है।

इस सिद्धान्तके अनुयायी यह नहीं कहतेहैं कि द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होजाने से उसी अनुपातमें मूल्य-स्तरमें भी वृद्धि होजायेगी क्योंकि यदि समाजमें बेकार आर्थिक साधन पडेहो तो उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धिभी होसकती है और लोग द्रव्यके रूपमें कितने परिमाणमें वस्तुओं और सेवाओंपर अधिकार रखना चाहतेहैं, इस निश्चयको भी बदल सकते हैं।

द्रव्यके पारिमाणिक सिद्धान्तका जो यह दूसरा रूप द्रव्य-सचयन सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित कियागया है इसमें एक विशेष बात यहहै कि यह हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करताहै कि लोगोको द्रव्यकी माग क्यों होतीहै और इस मागमें परिवर्तन होनेसे किसप्रकार मूल्य-स्तर प्रभावित होताहै परन्तु इस प्रकारके प्रतिपादनमें उसी प्रकारकी त्रुटियाहैं जो फिशरके समीकरणके अन्तर्गत पायीगयी हैं। केम्ब्रिज समी-

करणभी मूल्य-स्तरके सम्बन्धमें उन अवयवोंकी ओर उगित करताहै जिनपर मूल्य-स्तर निर्भर करता है। परन्तु विविध आर्थिक अवस्थाओंमें इन अवयवोंका सम्बन्ध किसप्रकार बदलनाहै और एक दूसरेको प्रभावित करनेहुए, द्रव्यके विनिमय मूल्यको निर्धारित करनाहै उगता पर्याप्त विश्लेषण उग सिद्धान्तमें भी नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस समीकरणवाला मूल्य-स्तरभी उपभोगकी वस्तुओं और सेवाओंके ऊपर द्रव्यके विनिमय-मूल्यको नहीं बताता क्योंकि द्रव्यका सचय अन्य प्रयोजनोंके निमित्तभी होना है।

उपर्युक्त विवेचनसे हम उग परिणामपर पहुँचतेहै कि मूल्य-स्तर और द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें क्यो और किसप्रकार परिवर्तन होजाता है। उसका पूरा पूरा पता लगाना एक गहन विषय है। आर्थिक अवस्था बदलती रहती है। लोगोंके निश्चय बदलते रहते है। उनकी वचतकी मात्रा और पूजीके प्रयोगकी मात्रामें भी परिवर्तन होते रहतेहै अतएव उपभोगकी वस्तुओंकी और उत्पादक वस्तुओंकी माग और पूर्तिमें भी परिवर्तन होतेरहते है। द्रव्यका परिमाण और व्याजकी दर जो उसको प्राप्त करनेके लिए देनी पडतीहै, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। इन सभी परिवर्तनोंका प्रभाव मूल्य-स्तर और द्रव्यके विनिमय-मूल्यपर भी पडता है। भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओंमें इन आर्थिक अवयवोंमें किस प्रकार परिवर्तन होता है इसका विवेचन हम 'आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्ष' नामक अध्यायमें करेंगे जिसमें आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके कारणोंका विश्लेषण किया जायेगा और तत्सम्बन्धी द्रव्यके विनिमय-मूल्य परभी अधिक प्रकाश पडेगा।

द्रव्यके विनिमय-मूल्यमे परिवर्तन का प्रभाव

हम ऊपर लिख आयेहै कि सभी वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य समान परिमाणमें घटता और बढता नहीं है। जिस कालमें मूल्य-स्तर बढने लगताहै उससमय कुछ ऐसे मूल्य होतेहै जो शीघ्रतासे और पर्याप्त परिमाणमें बढजाते है और कुछ ऐसे मूल्य होतेहै जो कुछ समयावधिके बाद धीरे धीरे बढने लगतेहै और कुछतो बिल्कुल नहीं बढते। इसीप्रकार जब मूल्य-स्तर गिरने लगताहै तो कुछ वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य तुरन्तही गिरजाता है और कुछ मूल्य धीरे धीरे गिरतेहै और कुछ

पूर्ववत् रहते हैं। भिन्न भिन्न मूल्योंके इसप्रकार आचरणसे आर्थिक स्थिति तथा भिन्न भिन्न वर्गोंपर भिन्न भिन्न प्रकारका प्रभाव पडता है। प्रायः यह देखागया है कि आर्थिक उत्कर्षके कालमें मूल्य-स्तर बढ़ा रहता है। प्रारम्भमें लागत-व्यय जिसमें पारिश्रमिक, व्याज, किरायों आदि शामिल हैं, तुरन्तही नहीं बढ़ते हैं। अतएव उत्पादक वर्गोंकी लाभकी मात्रा बढ़ने लगतीहै, जिससे वे उत्पत्तिके कार्यमें अधिक पूजी लगानेको उत्साहित होतेहैं और राष्ट्रीय आयमें वृद्धि होने लगती है। परन्तु इस कालमें जिन वर्गोंकी आयमें अनुपातमें वृद्धि नहीं हुईहो जिस अनुपातमें मूल्य-स्तरमें वृद्धि हुईहै, उन वर्गोंके व्यक्तियोंकी वास्तविक आय कम होजाती है। उदाहरणके लिए यदि मजदूरोंके जीवन-स्तरवाली वस्तुओंके मूल्य-स्तरमें ७५ प्रतिशत वृद्धि हुई हो परन्तु उनके पारिश्रमिकमें केवल २५ प्रतिशत वृद्धिहो तो इस वर्गको आर्थिक क्षति होगी। इसके साथ एकबात और ध्यानमें रखने योग्यहै कि जिस कालमें मूल्य-स्तर में वृद्धि होनेके कारण लाभकी मात्रा बढ़ी रहतीहै उस कालमें उत्पादक वर्ग अपने उद्योग धर्मों में भी वृद्धि करता है। अतएव मजदूरोंमें बेकारी कम होजाती है, जिससे मूल्य-स्तरमें वृद्धिसे जो क्षति होजाती है उसकी कुछ अंशमें पूर्ति होजाती है। परन्तु जिन लोगोंकी आयमें कुछभी वृद्धि नहीं होतीहै जैसे पेन्शनवाले, इनकी आर्थिक क्षति सबसे अधिक होती है। लाभकी वृद्धिके कारण शैयरोके मूल्यमें भी वृद्धि होजाती है। अतएव इस वर्गको भी मूल्य-स्तरमें वृद्धिके कालमें लाभ होता है। इस कालमें साहूकार वर्गको क्षति होतीहै और ऋणी वर्गके ऋणके भारमें कमी होजाती है। इसका कारण यहहै कि द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें ह्रास होनेके कारण मूलधन और व्याजकी क्रय-शक्ति कम होजाती है। ऋणी लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओंको बढ़ेहुए मूल्यपर बेचकर अधिक सुगमतासे उऋण होसकते हैं। उदाहरणके लिए, यदि किसी किसानने १०० रु० ऋण ऐसे कालमें लियाहो, जब गेहूँका मूल्य २ रु० प्रतिमन हो तो उसको ५० मन गेहूँ बेचनेपर १०० रु० प्राप्त होते। अब यदि ऋण चुकानेके समय गेहूँका भाव १० रु० प्रतिमन हो, तो वह केवल १० मन गेहूँ बेचकर उऋण होसकता है। कहा जाताहै कि द्वितीय महायुद्धके समय और उसके पश्चात्के कालमें वृद्धि होनेके कारण भारतवर्षमें अनेक किसानोंने अपने ऋणका भार बहुत कुछ हलका कर लिया है। इसके विपरीत जब मूल्य-स्तर गिरने लगताहै तो उत्पादन वर्गकी लाभकी मात्रा

गिरने लगती है क्योंकि लागत-व्ययको तुरन्तही कम नहीं किया जा सकता। जिन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की आय उसी अनुपातमें नहीं घटती है जिरा अनुपातमें मूल्य-स्तरमें ह्रास होता है, उनके आर्थिक क्षेममें वृद्धि होगी। परन्तु जब मूल्य-स्तर में अधिक कमी आने लगती है तो उत्पादक वर्ग अपने उद्योग धन्योंकी माशामें कमी करने लगते हैं। अनेक आर्थिक साधन बेकार होजाने हैं। अतएव केवल उन्ही व्यक्तियोंको लाभ होसकता है जो पुनः पारिश्रमिकके हिमावसे काममें बने रहें, जैसेकि स्थायी राज-कर्मचारी, कल कारखानोंके उर्जीनिग्र इत्यादि जिन्हें कम मात्रा में उत्पत्ति होनेपर हटाया नहीं जासकता। इस कालमें शेरोंके मूल्य गिरजानेमें शेरपतियोंको हानि होती है। ऋणका भार बढ़जाता है। माहूकार वर्गको लाभ होता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यके विनिमय मूल्यमें अधिक माशामें कमी अथवा वृद्धि होनेसे भिन्न भिन्न वर्गोंपर भिन्न भिन्न प्रकारका प्रभाव पड़ता है जिससे वास्तविक आयके वितरणमें भी परिवर्तन होजाता है। इस परिवर्तन का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि एकही व्यक्ति अनेक वर्गोंका सदस्य रहता है। एक सरकारी कर्मचारी एकही साथ शेरपति और माहूकारभी होसकता है और भिन्न भिन्न वृत्तियोंमें भिन्न भिन्न प्रकारसे प्रभावित होता है। हम केवल इतनाही कहसकते हैं कि पूजावादके अन्तर्गत आय और सम्पत्तिके वितरणमें बहुत असमानता होनेके कारण यदि द्रव्यके विनिमय-मूल्यमें परिवर्तन होनेके कारण इस असमानता में कमी आसके तो इसप्रकार का परिवर्तन समाजके हितके निमित्त होगा। उत्पत्ति के परिमाण और आर्थिक साधनोंकी पूर्ण नियुक्तिके दृष्टिकोणसे कहाजाता है कि मूल्य-स्तरमें वृद्धिकी प्रवृत्ति अधिक वाछनीय है क्योंकि यदि मूल्य-स्तरमें कमी आगयी तो इससे आर्थिक अपकर्ष और मन्दीका संचार होनेलगेगा जिससे राष्ट्रीय आयमें कमी और बेकारी उत्पन्न होजाती है। यह एक बहुत गहन और पेचीला प्रश्न है कि समाजके हितके लिए मूल्य-स्तरमें ह्रास, वृद्धि अथवा स्थिरता रहनी चाहिए। हम इतना कहना चाहेंगे कि भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओंमें भिन्न भिन्न प्रकारका मूल्य-स्तर वाछनीय रहेगा। इस विषयपर भी हम 'आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्ष' वाले अध्यायमें कुछ प्रकाश डाल सकेंगे।

साख और साख-पत्र

वर्तमान आर्थिक प्रणालीमें बैंकोको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। पाश्चात्य देशोंमें तो बैंकोका और आर्थिक कार्योंका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होगया है कि कुछ अर्थ-शास्त्रियोंके मतानुसार आर्थिक अस्थिरताओंका एक प्रधान कारण बैंकजनित होता है। प्राचीनकाल में उद्योग धन्ये छोटे परिमाणमें किये जातेथे और व्यापारभी सीमित रहता था। अतएव बैंकोका अधिक कार्य और महत्व नहीं था। परन्तु श्रमविभागमें वृद्धि होनेसे, आर्थिक क्रियाओंके विशिष्टीकरणसे कल-कारखाने, विद्युत्शक्ति और यातायातके त्वरितगामी साधनोंके प्रयोगसे उत्पत्ति और व्यापार की मात्रामें बहुत वृद्धि होगयी है। इन कार्योंको सुगमतासे सम्पादित करवानेके लिए विशिष्ट सस्थाओंकी भी आवश्यकता होने लगी। इसी सम्बन्धमें बैंको और अनेक प्रकारके साख-पत्रोंका भी विकास होने लगा।

उत्पत्ति और व्यापारके कार्य साखके विना चल नहीं सकते हैं। किसीभी किसान, दुकानदार और कारखानेके मालिकको लेलीजिए। हम देखतेहैं कि अपने कार्यके निमित्त उनको प्रथम ऋण लेना पडताहै और अपनी बनायीहुई वस्तुओंको भी साख के आधारपर (अर्थात् उधार) बेचना पडता है। भारतवर्षमें अनेक प्रकारके लोग उधार देनेका कार्य करतेहैं जिनको महाजन, साहूकार, सर्राफ, चेटी, नानावती और काबुली इत्यादि नामोंसे पुकारा जाताहै। जमीन्दार और दुकानदार भी इस कामको करते हैं। आधुनिक कालमें यह कार्य अधिकतर बैंको द्वारा सम्पादित होने लगा है।

उधार चाहे द्रव्यके रूपमें अथवा वस्तु रूपमें दियाजाय, साखपर ही अवलम्बित रहता है। बिना साखके कोई व्यापारी बिना तत्काल मूल्य लिये अपना सामान

हस्तान्तरित नहीं करेगा और न कोई बैंक अथवा महाजन उधार देगा। साख-सम्बन्धी कार्योंकी वृद्धिके कारण अनेक प्रकारके गान-पत्रोंकी सृष्टि होगयी है। नोट-द्रव्यभी एक प्रकारका साख-पत्रही है। यदि हम नोटोंपर निम्ना लेख पढ़ें तो उसमें केन्द्रीय बैंककी ओरसे उसके गवर्नरका हस्ताक्षरयुक्त प्रतिज्ञापत्र रहताहै कि वह गानेपर नोट-चाहकको उमपर लिखाहुआ रुपया देगा। आधुनिक कालमें नोट के अविनिमय साध्य होनेके कारण इन प्रतिज्ञाका कोई महत्व नहीं रहगया है परन्तु पूर्वकालमें नोटोंके बदले चांदीके रुपये दियेजाने थे। आजकल भी नोटोंके अन्तर्गत सरकार और केन्द्रीय बैंककी माल हैं। चेकभी एक महत्वपूर्ण गान-पत्र है। इसके द्वारा बड़ीसे बड़ी रकमभी स्थानान्तरित अथवा हस्तान्तरित की जासकती है। जिस व्यक्ति अथवा सस्थाकी बैंकमें धरोहर जमा है अथवा जिसको बैंकने ऋणदेना स्वीकार करलियाहै वह चेक द्वारा बैंकको आदेश देताहै कि बैंक चेकपर लिखीहुई रकमको चेकपर नामांकित व्यक्ति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तिको देदे। चेक तो द्रव्य नहीं है। इसको जो व्यक्ति द्रव्यके स्थानमें स्वीकार करताहै उसका आधारभी साखही है। कभी कभी बैंक चेकके बदलेमें रुपया देनेसे इन्कार करदेते हैं क्योंकि चेक लिखनेवाले की बैंकके पास पर्याप्त मात्रामें धरोहर नहीं रहती है।

हुंडी एक विशेष प्रकारका साख-पत्रहै जिसका प्रयोग देशी और विदेशी व्यापार में होता है। इसके द्वारा वस्तुओका विक्रेता उनके मूल लेनेवाले को आदेश देताहै कि वह उनका मूल्य एक निर्धारित काल (साधारणतः तीन महीने) के बाद उसको अथवा उसके बैंकके पास जमा करदे। जब क्रेता इस हुंडीपर अपने हस्ताक्षर करके उसको स्वीकार करलेताहै तब इस स्वीकृत हुंडीको बैंकमें भुनाया जासकता है। आगे चलकर हम बतायेंगे कि बैंक किसप्रकार इन हुंडियोंको भुनाकर अपनीभी आय करतेहै और व्यापारके लिए द्रव्य प्रदान करते है। कभी कभी जब एक बैंक दूसरे बैंकसे ऋण लेताहै अथवा सकटके समय एक बैंक दूसरे बैंककी सहायता करता है तो इस सम्बन्धमें जिस प्रकारके साख-पत्रका प्रयोग होताहै उसको हम बैंककी हुंडी कहसकते है।

दीर्घकालके लिए पूजी प्राप्त करनेके लिएभी अनेक प्रकारके साख-पत्रोंका सृजन हुआ है। इनमेंसे मुख्य विविध प्रकारके शेयर, बौड और डिबेंचर कहलाते है। बौड और डिबेंचर ऋण-सूचक साख-पत्र है। यदि किसी कम्पनी अथवा सरकार

को दीर्घकाल के लिए ऋणकी आवश्यकता होती है तो वह इनको बेचती है। इनको मोल लेनेवालोको एक निर्धारित दरसे व्याज दिया जाता है। शेयर स्वामित्व-सूचक साख-पत्र है। इनको मोल लेनेवालो को शेयर बेचनेवाली कम्पनियोंमें स्वामित्व का अधिकार रहता है और इनको लाभांश मिलता है।

बैंकों का विकास और उनके कार्य

आधुनिक बैंकोके-व्यापारी, स्वर्णकार और साहूकार-ये तीन पूर्वज बताये जाते हैं। प्राचीन कालमें बड़ी बड़ी व्यापारी कोठिया हुडियोका व्यापार करती थी और विदेशी व्यापारकी व्यवस्था करती थी। कुछ पाश्चात्य देशोंमें लोग धात्विक द्रव्य स्वर्णकारोंके पास सुरक्षाके लिए जमा करते थे जिसके आधारपर शनैः शनैः नोट और साख-द्रव्यकी सृष्टि हुई। साहूकार ऋण देनेका कार्य करते हैं। आधुनिक बैंकोमें यह तीनों कार्य निहित हैं। इन प्रधान कार्योंके अतिरिक्त अन्य कार्योंके द्वारा भी बैंक समाजकी सेवा करते हैं। वैसे तो बैंकोके अनेक प्रकार हैं। परन्तु इनके दो बड़े वर्गीकरण किये जा सकते हैं। एकको तो हम व्यापारिक बैंक कहेंगे जो अल्पकालीन ऋणसे सम्बन्धित हैं। दूसरे वर्गका सम्बन्ध दीर्घकालीन पूजी इकट्ठा करने और उसको उत्पत्तिके कार्योंके लिए प्रस्तुत करनेसे है। इनमें व्यापारिक बैंकोसे अधिक प्रगतिशीलता होती है।

प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्तियों और सस्याओंके पास चालू-व्यय करनेके बाद कुछ द्रव्य बच जाता है जिसकी उनको वर्तमान कालमें आवश्यकता नहीं रहती है। इसके कुछ भागकी उनको निकट भविष्यमें आवश्यकता पडती है और कुछ भागकी दीर्घकाल तक आवश्यकता नहीं पडती है। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति और संस्थाएँ होती हैं जिनको अपने आर्थिक कार्योंके लिए अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋणकी आवश्यकता रहती है। बैंकके द्वारा इन दोनों प्रकारके लोगोंका कार्य सिद्ध हो जाता है। छितरी हुई छोटी मोटी सभी प्रकारकी बचत बैंकोमें धरोहरके रूपमें जमा होती है। सबको चालू हिसाब कहते हैं जिसका धन कभीभी बिना पूर्व सूचना के चेक द्वारा वापस लिया जा सकता है अथवा हस्तान्तरित किया जा सकता है। इसपर बैंक साधारणतः व्याज नहीं देते हैं फिर भी लोग चालू हिसाबमें धरोहर इस

निए रमतेहै कि भुगतान सम्बन्धी अनेक गुविधाओंके साथ साथ लपया बैंकमें सुर-
क्षित रहता है। दूसरी प्रकारकी धरोहरको हम दीर्घकालीन धरोहर कह सकतेहै जो
कि एक निर्धारित समयके लिए बैंकके पास छोड़दी जातीहै और उस समयसे पूर्व
चापन मागनेके लिए बैंककी रसीदकी आवश्यकता होती है। उम प्रकारके धरो-
हरपर बैंक व्याज देते है। धरोहर रखनेका कार्य बैंकोका एक प्रधान कार्य है। उम
कार्यके सम्पादनके बैंक बचत करनेमें प्रोत्साहन देतेहै और बचत करनेवालो को
व्याज देकर उनकी आयमें भी वृद्धि करने है। बैंकोके न होनेपर समाजकी बचतका
कुछ हिस्सा अव्ययमेव बेकार धरोमें पडा रहता जो न बचत करनेवालोकी आय
में वृद्धि करता और न समाजके आर्थिक कार्योंमें लगने पाता। बैंकोके द्वारा बेकार
संचित पडाहुआ द्रव्य प्रचालित होना है। उम प्रचालनका कार्य बैंक विविध प्रयोजनों
के लिए व्यक्तियों अथवा सस्थाओंको ऋण देकर, हुडिया भुनाकर और भिक्पूरिटिया
खरीदकर सम्पादित करते है। उमसे उत्पादन-कार्य और व्यापारमें वृद्धि होती है।
ऋण देकर और अन्य प्रकारमे भी धरोहर-द्रव्यको आर्थिक कार्योंमें लगवाना यह
बैंकोका दूसरा प्रधान कार्य है।

बैंक केवल दूसरोकी धरोहरको ही प्रचालित नहीं करतेहै, परन्तु जैसाकि हम
साख-द्रव्यके सम्बन्धमें लिख आयेहै वे एक नये प्रकारके द्रव्यका भी सृजन करतेहै
और उसकोभी आर्थिक कार्योंके लिए उपलब्ध करते है। हम देखचुके है कि इस
साख-द्रव्यके प्रयोगसे धात्विक द्रव्यकी बचत होजाती है और सोने चादीका एक
बडा भाग द्रव्यके कार्यसे निकलकर अन्य आर्थिक कार्योंके लिए उपलब्ध होजाता
है। प्रगतिशील आर्थिक कार्योंके लिए प्रगतिशील द्रव्य-पद्धतिभी चाहिए। साख-
द्रव्यका समावेश करनेसे द्रव्य-पद्धतिमे यह गुण आजाता है। यहापर हम यहभी
लिखदेना चाहतेहै कि बैंकोकी इस साख-द्रव्य सृजन करनेकी शक्तिका बहुधा
दुरुपयोगभी होजाता है। कुछ अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार आर्थिक अस्थिरताओंका
एक प्रधान कारण साख-द्रव्यकी अस्थिरतासे सम्बन्धित किया जासकता है। अतएव
इस साख-द्रव्यमे प्रबन्ध और नियन्त्रणकी आवश्यकता रहती है। यह कर्तव्य केन्द्रीय
बैंकका है और उस प्रकरणमें हम उन उपायो और उपकरणोंकी विवेचना करेंगे
जिनका प्रयोग आधुनिक केन्द्रीय बैंक करते है।

बैंकोके द्वारा द्रव्यको एक स्थानसे दूसरे स्थानोंमें भेजा जासकता है। बैंक अपने

आसामियोंकी विविध प्रकारसे सेवा और सहायताभी करते हैं। उनके चेक और लाभाशका धन वसूलकर उनके नामपर जमा करते हैं। उनके आदेशानुसार उनकी चीमा-किस्त अदा करते हैं। उनके शेयर, बौड, इत्यादि प्रकारके साख-पत्रोको खरीदने और बेचनेका प्रबन्ध करते हैं। उनके आभूषण, जवाहिरात और वसीयत-नामा इत्यादि लेख्य-पत्रोको सुरक्षित रखनेका प्रबन्ध करते हैं। अपने साख-पत्र द्वारा विदेश-यात्रामें दूसरे देशोके द्रव्यको प्राप्त करनेमें सहायता करते हैं। अन्त-राष्ट्रीय व्यापारमें विदेशी हुडियोको अपने आसामियोंकी ओरसे स्वीकार करके ओत्साहन देतेहैं। इन कार्योंके लिए बैंकोको कमीशन मिलता है।

बैंको की लेनी-देनी

बैंक समय समयपर अपनी आर्थिक स्थितिका विवरण एक लेख-पत्रके रूपमें देते हैं जिसके एक भागमें उसकी देनदारीकी भिन्न भिन्न मदें दीजाती है और दूसरे

देनी की मदें		लेनी की मदें और सम्पत्ति	
आप्त हिस्सा पूजी	२,००,००० रु	बैंकमें स्थित और केन्द्रीय बैंकमें स्थित धरोहर	२,४०,००० रु.
रक्षा कोष	२,००,००० रु	अन्य बैंकोमें जमा तथा वसूल न हुए चेक	१०,००० रु.
धरोहर	२०,००,००० रु	तुरन्त-देय और अल्प-कालीन ऋण	१,००,००० रु.
स्वीकृतिया	४०,००० रु	भुनाई हुडिया	२,००,००० रु.
अन्य मदें	६०,००० रु	लगी पूजी	४,५०,००० रु.
कुल	२५,००,००० रु	उधार	१२,००,००० रु.
		स्वीकृतिया	६०,००० रु.
		सम्पत्ति (मकान, फर्नीचर इत्यादि)	२,४०,००० रु.
		कुल	२५,००,००० रु.

भागमें बैंककी सम्पत्ति और पावनोंकी मदें दीजाती हैं। उम लेनी-देनीके लेखोंसे बैंककी आर्थिक-स्थिति और उसके कार्योंका भी बोध होता है। पिछले पृष्ठपर दीगयी तालिकामें लेनी और देनीकी मुख्य मदें दीगयी हैं और उनके अपने कल्पित आकड़ेभी दिये गये हैं :

अब हम इन मदोंका संक्षिप्त विवरण और उनके महत्वकी विवेचना करेंगे। प्राप्त-हिस्सा पूजा बैंककी वह पूजा है जो उसके हिस्सेदारोंने शोधरके मूल्यके रूपमें दी है। यह देनदारी बैंकके अपनेही हिस्सेदारोंके सम्बन्धमें है। परन्तु यह तुरन्त देय देनदारी नहीं है। बैंकको रोलनेके लिए पर्याप्त पूजाकी आवश्यकता होती है। इससे बैंकपर विश्वास रहता है। भारतवर्षमें एक निर्धारित पूजा इकट्ठा किए बिना बैंक अपना कार्य आरम्भ नहीं करसकते हैं। रक्षा-कोष बैंकके लाभका वह संचित भाग है जो उसके हिस्सेदारोंको न देकर एक कोषके रूपमें बैंकमें जमा रहता है। यह देनदारीभी बैंककी अपने हिस्सेदारोंके प्रति है। सकटके समय और आसामियोंमें विश्वास बनाये रखनेके लिए इस कोषसे सहायता मिलती है। धरोहर देनदारीकी सबसे बड़ी मद होती है इसमें राज-प्रामाणित द्रव्यमें रखी धरोहर तथा बैंक द्वारा सृजित साख-द्रव्य भी शामिल है। यह देनदारी बैंककी अपने धरोहर वालोंके प्रति है। चालू धरोहरको मागनेपर तत्काल राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें देना पड़ता है। अपनी इस ऋण-शोधन क्षमताको बनाये रखनेके लिए बैंकको पर्याप्त मात्रामें नकदी रखनी पड़ती है। हुडियोंको अपने आसामियोंके निमित्त स्वीकार करनेके कारण बैंक हुडियोंके मालिकका देनदार बनजाता है परन्तु अपने आसामियों से वह उतनीही रकमका लेनदार भी रहता है। अतएव यह मद लेनीकी मदोंके साथभी दिखायी गयी है। अन्य छोटी मोटी देनदारीकी मदें भी होती हैं जो कि बैंकको अपने व्यवसायके सम्बन्धमें स्वीकार करनी पड़ती हैं।

बैंककी सम्पत्ति और लेनीकी मदोंमें नकदीको प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसका लेखा राज-प्रामाणित द्रव्य-मुद्रा और नोटके रूपमें बैंकमें ही रहता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकमें भी किसी बैंककी जो धरोहर है उसकोभी बैंक नकदी ही समझता है क्योंकि वह इसी रूपमें मागी जासकती है। अन्य बैंकोंमें जमा धरोहर और वह चेक जो अन्य बैंकोंसे वसूल करनेके निमित्त पड़ेहुए हैं, नकदीके ही रूपमें हैं। नकदी बैंककी सबसे अधिक द्रव्य-सम्पत्ति है। इसके परिमाणपर बैंककी ऋण-

शोधन क्षमता प्रधान रूपमें अवलम्बित रहती है। अतएव बैंकोको अपनी धरोहर की देनदारीका एकभाग इस रूपमें रखना पडता है। इसका परिमाण बैंक अपने अनुभवके आधारपर जानसकते हैं। बैंक इस मदको अधिक परिमाणमें नहीं रखना चाहतेहैं क्योंकि इससे उनको कोई आय नहीं होती है। अतएव कुछ अदूरदर्शी बैंक नकदी इतने कम परिमाणमें रखतेहैं कि वे अपने धरोहर रखनेवालो को राज-प्रामाणित द्रव्य देनेमें असमर्थ होजातेहैं जिसके फलस्वरूप उनको अपना व्यापार बन्द करनेको बाध्य होना पडता है। इस परिस्थितिसे बचनेके लिए अनेक देशोंमें राज-नियम द्वारा इस मदका न्यूनतम परिमाण निर्धारित करदिया जाता है। यदि किसी बैंकमें नकदीका अनुपात कम होनेलगे तो लोग उसको सदिग्ध दृष्टिसे देखने लगते हैं।

बैंक कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों और सस्थाओंको नाम-मात्र व्याजपर इस शर्तपर ऋण देतेहैं कि वह मागनेपर तुरन्तही अथवा कुछ दिनोंकी नोटिस मिलनेपर (एक दिनसे सात दिनतक) इस रकमको लौटा देंगे। इस प्रकारका ऋण प्रधानतः स्टॉक-एक्सचेंजसे सम्बन्धित लेनदेनके कार्यमें लिया जाता है। इस प्रकारके ऋणमें बहुत द्रवता रहतीहै अर्थात् आवश्यकता पडनेपर थोड़े समयके अन्दर बैंकको यह द्रव्य वापस मिल सकता है। बैंक, हुडी भुनानेका भी काम करते हैं। साधारणतः इन हुडियोकी अवधि तीन महीनेकी होती है। बैंक हुडीकी रकमका वर्तमान मूल्य हुडीके स्वामीको देतेहैं और अवधि पूरी होनेपर पूरा मूल्य वसूल करलेते हैं। इन दो मूल्योका जो अन्तर होताहै वही बैंककी आय है। इन हुडियोमें अपनी सम्पत्ति रखनेसे बैंकको एक यह सुविधा होतीहै कि आवश्यकता पडनेपर बैंक इन भुनायी हुई हुडियोको केन्द्रीय बैंकके पास दुबारा भुनाकर अपनी देनदारी पूरी करसकता है। लगी पूजीका आशय बैंक द्वारा मोल लोगयी सरकारी सिक्कूरिटिया, वौड, डिबेंचर और कभी कभी औद्योगिक सिक्कूरिटिया भी है। इन सिक्कूरिटियोसे बैंक को पूर्वलिखित मदसे अधिक आय होतीहै और आवश्यकता पडनेपर इनको बेच कर अथवा केन्द्रीय बैंकके पास इनको बन्धकके रूपमें रखकर द्रव्य प्राप्त होसकता है। परन्तु इस मदमें एक त्रुटि यहहै कि इन सिक्कूरिटियोका मूल्य बदलता रहता है। अतएव कभी कभी मूल्य घटजाने से हानि होनेकी सम्भावनाभी रहती है। अधिकतर बैंककी लेनीकी मदका सबसे बड़ा परिमाण उधारकी मदका होता है।

अपने आगामियोंको ऋण देकर बैंक उनसे व्याज वसूल करते हैं। इस मदसे सबसे अधिक आय होती है। परन्तु इस मदमें सबसे कम द्रवता और सबसे अधिक खतरा भी रहता है। इसके अतिरिक्त जितने कालके लिए ऋण दिया गया हो उससे पहिले आवश्यकता पडनेपर भी बैंकको धन वापस नहीं मिलसकता है। अबधि पूरी होने परभी प्रायः ऋणी अबधि बढ़ानेकी प्रार्थना करते हैं। कुछ ऋणी ऋण-शोचनमें असमर्थ होजाते हैं। साधारणतः बैंक इस प्रकारके खतरोंसे अपनी रक्षा करनेके लिए ऋणी लोगोंसे नाना, चांदी, आभूषण और मिन्यूरेटी इत्यादि बन्धकके रूपमें रखवालेते हैं। व्यापारिक बैंकप्रायः थोड़ी अबधि (एक वर्षसे कम) के लिए ही ऋण देते हैं।

बैंकके लेनी-देनीके लेखोंके दोनों भागोंका योग बराबर होताहै क्योंकि इसका हिसाबही इस प्रकारसे रखाजाता है। परन्तु एक दूरदर्शी बैंकको अपनी सम्पत्ति और लेनीके मदोंके अनुपातपर दृष्टि रखनी पडती है। कुछ मदोंसे आय नहीं होती है परन्तु उनको रखना बहुत आवश्यक है। कुछ मदोंसे आय तो अधिक होतीहै परन्तु उनमें जोखिम अधिक रहता है। बैंकके प्रबन्धकको समय समयपर सभी मदोंको इस अनुपातसे बदलते रहना पड़ताहै कि उनमें पर्याप्त मात्रामें द्रवता अर्थात् द्रव्य-विनिमय क्षमता रहे जिससे वह अपने देनदारोंकी मांगोंको पूरी करनेमें समर्थ रहे और साथही साथ उन मदोंसे इतनी आयहो कि बैंक सम्बन्धी व्ययको चुकाकर हिस्सेदारोंके लिए पर्याप्त मात्रामें लाभभी बचा रहे।

केन्द्रीय बैंक

आधुनिक कालमें प्रायः सभी देशोंमें द्रव्य और बैंक-पद्धतिका प्रबन्ध और नियन्त्रण करने और इनको आर्थिक स्थितिके अनुकूल बनाये रखनेकी चेष्टा करनेका कार्य केन्द्रीय बैंकको सौपागया है। प्रथम महायुद्धके पश्चात् इस प्रकारके बैंकोंकी स्थापना शीघ्रतासे होनेलगी। प्रारम्भमें अनेक देशोंमें हिस्सेदारों वाले केन्द्रीय बैंकोंकी स्थापना हुई। परन्तु अब इन बैंकोंको राष्ट्रीय बैंकके रूपमें रखनेकी प्रवृत्ति होरही है। भारतके केन्द्रीय बैंक, रिज़र्व-बैंक का भी राष्ट्रीयकरण होगया है। वैसे भी जब केन्द्रीय बैंक हिस्सेदारोंके स्वामित्वमें थे उनके प्रबन्ध करनेमें राज्यका हाथ

सदैव रहता था। उसकी नीति राज्यकी नीतिके अनुसारही बनायी जातीथी और व्यवहारमें लायीजाती थी। राज्यके आर्थिक कार्योंमें अधिक भाग लेनेके कारण और आर्थिक योजनाके महत्वके कारणभी केन्द्रीय बैंकको राज्यका ही एक विभाग बनाना आवश्यक होगया।

केन्द्रीय बैंकसे यह आशा कीजाती है कि वह द्रव्य और बैंकोंके सम्बन्धमें इसप्रकार की नीतिको व्यवहारमें लाये जिससे द्रव्यका परिमाण आर्थिक अवस्थाके उपयुक्त हो, मूल्य-स्तरमें अधिक अस्थिरता न आने पावे और जहातक होसके, विदेशी विनिमय की दरमें भी स्थिरता बनी रहे। इस कार्यके सम्पादनके हेतु केन्द्रीय बैंकोको नोटोंके छापने का एकाधिकार रहता है। आधुनिक कालमें राज-प्रामाणित द्रव्य अधिकांश मात्रामें नोटके रूपमें ही रहता है। अतएव नोटको चलनमें लाने पर अधिकार होनेसे और द्रव्य-पद्धतिके प्रबन्ध करनेका भार अपने ऊपर आजाने से केन्द्रीय बैंक का उत्तरदायित्व बहुत बढ़गया है। चूकि वर्तमान द्रव्य-पद्धतिमें साख द्रव्यका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है अतएव उसपर नियन्त्रण करनेका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्धमें केन्द्रीय बैंक अनेक साधनों और उपकरणोंका प्रयोग करता है।

यदि बैंक आवश्यकतासे अधिक मात्रामें साख-द्रव्यका सृजन कर रहे हो तो केन्द्रीय बैंक उनकी गतिमें रोकथाम करनेकी चेष्टा करेगा और यदि आर्थिक कार्यों के लिए द्रव्य अपर्याप्त है तो केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकोंको अधिक मात्रामें साख-द्रव्य सृजन करनेके लिए उत्साहित करेगा। इस कार्यके सम्पादनके लिए केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित साधनोंका प्रयोग करते हैं :

(१) केन्द्रीय बैंकके व्याजकी दरमें परिवर्तन। हम जानतेहैं कि जब बैंक अपनी व्याजकी दर कम कर देते हैं तो उधारका परिमाण बढ़जानेसे साख-द्रव्यका परिमाण भी चलनमें बढ़जाता है और जब बैंक व्याजकी दर बढ़ा देतेहैं तो साधारणतः उधार का परिमाण कम होजानेसे साख-द्रव्यके परिमाणमें भी कमी आजाती है। अब यदि केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकोंकी व्याजकी दरको पर्याप्त मात्रामें प्रभावित करसके तो वह साख-द्रव्यके परिमाणको नियन्त्रण करनेमें भी सफल हो सकेगा। केन्द्रीय बैंककी अपनी निजकी भी व्याजकी दर होतीहै जिसके हिसाबसे वह अन्य बैंकोंकी ढुंडियों को भुनाताहै अथवा उनको उधार देताहै। जिन देशोंमें केन्द्रीय-बैंकप्रणाली विकसित

होचुकी है वहाँ अन्य बैंकोंकी व्याजकी दर और केन्द्रीय बैंककी व्याजकी दर माध्या-
रणतः एकही दिशामें बदलती है। अतएव यदि केन्द्रीय बैंक साम-द्रव्यकी मात्राको
कम करना चाहताहै तो वह अपनी व्याजकी दरको बढ़ादेता है और यह आशा करता
है कि अन्य बैंकभी अपनी व्याजकी दर बढ़ा देंगे और इस प्रकार उधारकी मात्रा
(जिस पर अधिकतर साम-द्रव्यका परिमाण निर्भर रहता है) घट जायगी। इसके
प्रतिकूल यदि केन्द्रीय बैंक साख-द्रव्यके मृजनको प्रोत्साहित करना चाहताहै तो वह
अपनी व्याजकी दरको घटादेता है और आशा करताहै कि अन्य बैंकभी उसका
अनुकरण करेंगे और इसके फलस्वरूप उधारकी माग बढ़ जायगी और अधिक साम-
द्रव्य चलनमें आजायगा। केन्द्रीय बैंककी ये आशाएँ नभी अवस्थाओंमें पूर्ण नहीं
होती हैं। यदि अन्य बैंकोंके पास पर्याप्त नकदीहै और उनको केन्द्रीय बैंककी सहायता
की आवश्यकता नहींहै तो वे केन्द्रीय बैंकके व्याजकी दर बढ़जाने परभी अपने व्याज
की दर पूर्ववत् रख सकतेहैं अथवा उस अनुपातपर न बढ़ावें जिस अनुपातपर केन्द्रीय
बैंक बढ़वाना चाहता है। इसीप्रकार जब केन्द्रीय बैंक अपनी व्याजकी दर कम
करदेते हैं तो यह आवश्यक नहींहै कि अन्य बैंकभी पर्याप्त मात्रामें अपनी व्याजकी
दर कम करदें। केन्द्रीय बैंकका कार्य लाभ-उपार्जनके लिए नहीं होता है अतएव
वह व्याजकी दरको बहुत कम करसकता है। परन्तु अन्य बैंकतो लाभकी आशासे
बैंकके कार्यको करते हैं। वे अपने व्याजकी दर इतनी कम नहीं करसकते कि उनको
बैंकके व्ययको पूरा करके हिस्सेदारोको उपयुक्त लाभ न प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त
यदि अन्य बैंक केन्द्रीय बैंककी इच्छानुसार व्याजकी दरको कमभी करदें तो यह
आवश्यक नहींहै कि उधारकी मात्रामें वृद्धि हो ही जायगी। आर्थिक मन्दीके अवसर
पर जबकि उत्पादकोमें नैराश्य छाया रहताहै व्याजकी दर कम होनेसे भी पूजी
लगानेकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अतएव व्यापारी लोग उधार लेतेही नहीं अथवा
पर्याप्त परिमाणमें नहीं लेते हैं। इसी प्रकार आर्थिक उत्कर्षके अवसरपर जब मूल्य-
स्तर और लाभ-स्तरमें बढ़नेकी प्रवृत्ति रहतीहै उस अवसरपर व्याजकी दरको बढ़ा
देनेपर भी उधारकी मागमें कमी नहीं आती है। इसप्रकार हम देखतेहैं कि केन्द्रीय
बैंक अपनी व्याजकी दरको घटाने और बढ़ानेसे प्रत्येक अवस्थामें साख-द्रव्यके
परिमाणको नियन्त्रित करनेमें सफल नहीं होता है।

(२) साधारणतः केन्द्रीय बैंक अपने बैंक सम्बन्धी कार्यों द्वारा अन्य बैंकोंके साथ

प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। परन्तु यदि उनको किसी समस्याका सामना करनाहो तो वह खुले तौरपर इन कार्योंमें भाग लेसकता है। हम इस साधनको 'खुले हाटकी क्रियाएँ' कहेंगे। इसका आशय यहहै कि किसी असाधारण द्रव्य-सम्बन्धी अवस्था का प्रतिकार करनेके लिए केन्द्रीय बैंक बिना किसी प्रकारकी रकावटके सिक्कूरिटियो को स्वयं निर्धारित मूल्यपर मोल लेसकता और बेच सकताहै और इस क्रिया द्वारा अन्य बैंकोको अपने साख-द्रव्यमें वृद्धि अथवा कमी करनेको बाध्य करनेकी चेष्टा करता है। इस खुले हाटकी क्रियाके मूलमे प्रधान बात यहहै कि व्यापारिक बैंक नकदीके आधारपर साख द्रव्यका सृजन करते है। यदि उनके पास नकदीकी मात्रामें वृद्धि होजाय तो वे साख द्रव्यमें भी वृद्धि करसकेंगे और यदि नकदीकी मात्रामें कमी आजाय तो उनको साख द्रव्यके परिमाणको घटाना पडेगा केन्द्रीय बैंक खुले हाटकी क्रियाके द्वारा व्यापारिक बैंकोके नकदीके कोषमें आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कमी करनेकी चेष्टा करताहै और आशा करताहै कि नकदीकी वृद्धि होनेसे साख द्रव्यके परिमाणमें भी कमी आजायेगी। इस स्थितिको लानेके लिए खुले हाटकी क्रियाके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा सिक्कूरिटियोको पर्याप्त मात्रामें मोल लिया अथवा बेचा जाता है। यदि केन्द्रीय बैंक नकदीकी मात्रामें वृद्धि करना चाहताहै तो वह सिक्कूरिटियोको मोल लेने लगता है। यदि व्यापारिक बैंक सिक्कूरिटिया बेचें तो तुरन्तही उनके नकदीके परिमाणमें वृद्धि होजाती है। यदि केन्द्रीय बैंक राज-प्रामाणित द्रव्यके रूपमें इन सिक्कूरिटियोके रूपमें इन सिक्कूरिटियोका मूल्य चुकायें तो इस परिमाणकी नकदी व्यापारिक बैंकोके पास आजायगी। अथवा यदि केन्द्रीय बैंक अपने हिसाबमें इन बैंकोकी धरोहरमें वृद्धि करदे तबभी इस धरोहरको व्यापारिक बैंक नकदीही समझते है। यदि अन्य बैंक अथवा सस्थायें केन्द्रीय बैंकको सिक्कूरिटिया बेचतीहै तबभी प्राप्त मूल्यका कुछ न कुछ हिस्सा व्यापारिक बैंकोमें अवश्य जमा होजाता है जिससे उनके नकदीके कोषमें वृद्धि होती है। इसके प्रतिकूल सिक्कूरिटियोके बेचनेसे केन्द्रीय बैंक व्यापारिक-बैंकोकी नकदी अपने पास खीचने लगता है। यदि केन्द्रीय बैंक पर्याप्त मात्रामें आकर्षक मूल्यपर सिक्कूरिटिया बेचे अथवा मोलल तो वह बैंकोके नकदीके कोषको पर्याप्त मात्रामें प्रभावित करसकता है। परन्तु ऐसाभी होसकताहै कि केन्द्रीय बैंकके पास पर्याप्त मात्रामें बेचनेके हेतु सिक्कूरिटिया न हो। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्रीय बैंक एक

और मित्यूनिटियां बेचकर नकदीके कोषमें कमी नाने को चेष्टा करें परन्तु दूसरी ओरसे व्यापारिक बैंक इन मित्यूनिटियोंके आधारपर केन्द्रीय बैंकसे नाडी प्राप्त करगएँ तो गुने व्यापारकी क्रिया सकल नहीं होगी। अतएव मित्यूनिटियोंको बेचनेके साथ साथ केन्द्रीय बैंकको अपनी व्याजकी दरमें भी वृद्धि करनी होगी। उनके अनिश्चित महभी अवश्यम्भावी नहीं हैं कि नकदीके कोषमें वृद्धि होनेके फलस्वरूप साख-द्रव्यके परिमाणमें वृद्धि होती जायगी। गार्गिक मन्दीके अवसम्पर दैकोमें बहुत नर शील कोष बेकार गनित रहना है और केन्द्रीय बैंकभी उसमें वृद्धि करने को प्रन्तुन रहनेहें फिरभी चलनमें साख-द्रव्यके परिमाणमें विशेष वृद्धि नहीं होती है। इसका कारण यहहै कि उधार लेनेवालों का पक्ष लाभ न होनेके कारण नये साख-द्रव्यको उत्पत्तिके कार्योंमें लगाने को प्रवृत्त नहीं रहता है। इनप्रकार हम देखते हैं कि गुने हाटकी क्रियाभी प्रत्येक अवस्थामें साख-द्रव्यके प्रबन्धमें पूर्णरूपसे सफल नहीं होती है।

(३) सयुक्त राज्य अमेरिकामें केन्द्रीय बैंकको यह अधिकार मिला हुआहै कि वह अपने मदस्य व्यापारिक बैंकोको बाध्य कर सकताहै कि वे अपनी देनदारीका एक न्यूनतम निर्धारित भाग नकदीके रूपमें रखें। इस अनुपातमें केन्द्रीय बैंक परिवर्तन भी करसकते हैं और इस परिवर्तनके फलस्वरूप साख-द्रव्यके सृजनको प्रोत्साहित अथवा सकुचितभी करसकते हैं। उदाहरणके लिए व्यापारिक बैंकोको अपनी देनदारीका २० प्रतिशत नकदीके रूपमें रखना पडताहै तो वे किन्हीभी नकदीकी मात्रा के आधारपर अधिकसे अधिक पाचगुने साख-द्रव्यका सृजन करसकते हैं। परन्तु यदि केन्द्रीय बैंक इस अनुपातको घटाकर दस प्रतिशत करदे तो उसी नकदीकी मात्राके आधारपर दस-गुने साख-द्रव्यका सृजन होसकता है। इसके प्रतिकूल यदि इस अनुपातमें वृद्धि करदी जाय तो बैंकोके साख-द्रव्यकी मात्रामें भी कमी करनी पडेगी। परन्तु यदि बैंकोके पास अतिरिक्त नकदी प्रचुर मात्रामें है तो इस अनुपात में वृद्धि होनेपर भी बैंक साख-द्रव्यके परिमाणको कम करनेको बाध्य नहीं होंगे। अनेक अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार अन्य देशोंके केन्द्रीय बैंकोको भी अन्य साधनोंके साथ साथ इस साधनका प्रयोगभी साखके नियन्त्रणके सम्बन्धमें करना चाहिए।

इन तीन साधनोंके अतिरिक्त यहभी कहा जाताहै कि केन्द्रीय बैंकको अन्य बैंको पर अपने ऊचे और सम्मानित पद का भौतिक प्रभावभी डालना चाहिए। यदि

देशमें द्रव्य-सम्बन्धी दुरावस्था उत्पन्न होनेकी आशकाहो तो केन्द्रीय बैंकको चाहिए कि अन्य बैंकोका ध्यान इस ओर आकर्षित करे और उनको उचित सलाह दे। केन्द्रीय बैंक कहातक इस कार्यमें सफलहो सकेगा यह केन्द्रीय बैंकके सामर्थ्य, प्रभाव और अन्य बैंकोके साथ उसका किसप्रकार सम्बन्ध है, इन बातोपर निर्भर रहेगा।

केन्द्रीय बैंक राज्य-सम्बन्धी आर्थिक कार्य भी करते है। आधुनिक कालमें राज्य, कर द्वारा देशकी आयका एक बडा हिस्सा प्राप्त करता है और इस आयको व्यय करता है। ऋण लेकरभी राज्य देशके द्रव्य सम्बन्धी कार्यमें हस्तक्षेप करता है। अतएव यह आवश्यक होजाताहै कि राज्यके इस प्रकारके द्रव्य-सम्बन्धी कार्य केन्द्रीय बैंक द्वारा सम्पादित हो। केन्द्रीय बैंक राज्यकी आयको अपनेपास धरोहर के रूपमें रखता है। राज्यके ऋणका प्रबन्धभी केन्द्रीय बैंक करते है। अन्य देशोसे जो राज्यका द्रव्य-सम्बन्धी लेनदेन होताहै वहभी केन्द्रीय बैंक द्वाराही किया जाता है।

केन्द्रीय बैंकको बैंकोका बैंकभी कहते है। इस रूपमें केन्द्रीय बैंक अपने पास अन्य बैंकोकी धरोहर रखते है। किसी किसी देशमें बैंकोको एक न्यूनतम धरोहर केन्द्रीय बैंकके पास रखनी पडती है। भारतमें शेडयूल्ड बैंको (जिनकी पूजी और संचित कोष ५ लाखसे अधिक हो) को अपनी तत्काल देय धरोहरका ५ प्रतिशत और दीर्घकालिक धरोहरका २ प्रतिशत रिजर्व बैंक (भारत का केन्द्रीय बैंक) के पास बनाये रखना पडता है। अमेरिकाके सयुक्त्त राज्यमें भी इसी प्रकारकी प्रथा है। अन्य देशोमें अपनी सुविधाके लिए बैंक केन्द्रीय बैंकमें धरोहर रखते है। इस प्रकार बैंकोकी धरोहरका एकत्रीकरण और केन्द्रीयकरण होजाने से केन्द्रीय बैंक किसी बैंककी सकटकी अवस्था पर आर्थिक सहायता करनेमें समर्थ होता है।

यदि बैंकोपर सकट आताहै तो वे अन्ततोगत्त्वा केन्द्रीय बैंककी गरण लेते है। इसलिए केन्द्रीय बैंकको अन्तिम ऋणदाता कहाजाता है। केन्द्रीय बैंकको अधिकार रहताहै कि वह कुछ परिमाण तक सिक्कूरिटियोके आधारपर नोट छाप सकता है। अतएव जब बैंकोके ऊपर सकट आताहै तो केन्द्रीय बैंक उनकी भुनायीहुई हृडियो को फिरसे भुनाकर अथवा उनकी सिक्कूरिटियोको बन्धकके रूपमें अपनेपास रखकर उनके आधारपर बैंकोको ऋण देकर उनकी सहायता करता है। भारतके रिजर्व बैंकका एक यहभी कर्तव्यहै कि वह समय समयपर बैंकोंका निरीक्षण करता रहे,

उनको उचित सलाह दे और इसप्रकार सफ़्ट उत्पन्न होनेके कार्योंकी प्रभावरहित करता रहे।

केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकोंके लिए क्लियरिंग हाउसका कार्यभी करते है। क्लियरिंग हाउस एक ऐसी मन्था होतीहै जहापर बैंकोंकी आपसी लेनी-देनीका भुगतान होता है। उदाहरणके लिए यदि लगनऊ नहरमें २० बैंकहै तो प्रत्येक दिन प्रत्येक बैंकके पास अन्य बैंकपर लिगेहुए बैंक जमा होंगे जिन्हें बसूल करनेके लिए उनको प्रबन्ध करना पड़ेगा। क्लियरिंग हाउससे यह कार्य बड़ी सुगमतासे होजाता है। सभी बैंक क्लियरिंग हाउसमें अपना हिसाब रगते है। मानलीजिए लखनऊमें उम्पीरियल बैंक क्लियरिंग हाउसका कार्य करता है। प्रत्येक बैंकका एक प्रतिनिधि अन्य बैंको पर लिखेहुए प्राप्तहुए बैंकोको लेकर उम्पीरियल बैंक पहुचेगा। मान लीजिए सेन्ट्रल बैंकके पास इलाहाबाद बैंकपर १००० रुपयेके चेकहै और इलाहाबादके पास सेन्ट्रल बैंकपर ८०० रुपयेके चेक है। अब ८०० रुपयेका तो आपसमें ही हिसाब होजाता है। शेष २०० रुपयेका चेक इलाहाबाद बैंक सेन्ट्रल बैंकको क्लियरिंग हाउसपर देदेगा और क्लियरिंग हाउसके खातेमें इलाहाबाद बैंककी धरोहरमें २०० रुपये कम करदिया जायगा और सेन्ट्रल बैंकके हिसाबमें २०० रुपये जोड़ दिया जायगा। इसीप्रकार अन्य बैंकोकी भी आपसकी लेनी-देनीका हिसाब होजाता है। दूरके बैंकोके सम्बन्धमें केन्द्रीय बैंक क्लियरिंग हाउसका काम सुविधापूर्वक कर सकताहै वयोकि इसके पास अन्य बैंकोकी धरोहर रहती है।

अन्य बैंकोकी तरह केन्द्रीय बैंकभी अनेक प्रकारके बैंक सम्बन्धी कार्य करता है। परन्तु विशेष उत्तरदायित्व और कर्तव्य होनेके कारण इसके कार्योंमें कुछ प्रतिबन्ध लगायेजाते है। यह किसी उद्योग धन्धे अथवा वाणिज्य व्यवसायमें भाग नहीं ले सकते है। विना पूर्व स्वीकृत जमानतके ऋण नहीं देसकते है। सब प्रकारकी हुडियो को नहीं भुना सकते है। धरोहर पर व्याज नहीं देते है। इन प्रतिबन्धोका अभिप्राय यहहै कि केन्द्रीय बैंकको राष्ट्रीय बैंक होनेके कारण सदैव इस योग्य बना रहना पडता है कि वह न केवल अपनी ऋण शोधन-क्षमता बनाये रखे वरन् जैसाकि ऊपर लिखा जाचुका है, सकटके अवसरपर अन्य बैंकोकी सहायता करें। अतएव केन्द्रीय बैंक जोखिमके कार्योंमें अपना रुपया नहीं फसा सकता है।

केन्द्रीय बैंकोसे आर्थिक व्यवस्थाको अस्थिरतासे बचानेमें बहुत कुछ आशाकी

जाती है। जहातक द्रव्य-जनित अस्थिरता का सम्बन्ध है केन्द्रीय बैंक इस कार्यमें सहायता करसकता है परन्तु भविष्यमें किस प्रकारकी आर्थिक स्थिति होगी इसका पूर्वज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। भिन्न भिन्न आर्थिक अवयवोंके उपकरणों के आधारपर अनुमान लगाया जाता है और तब द्रव्य-नीति को आर्थिक अवस्थाके अनुकूल बनानेकी चेष्टा कीजाती है। केन्द्रीय बैंक इस सम्बन्धमें अब विशेष रूपसे गवेषणा कर रहे हैं और अपने साधनों और उपकरणोंको भी उपयुक्त बनानेकी चेष्टा कर रहे हैं। अभीतक इस कार्यमें अधिक सफलता प्राप्त नहीं होसकी है परन्तु आशा कीजाती है कि भविष्यमें केन्द्रीय बैंक इस कार्यमें उत्तरोत्तर सफल होंगे।

विदेशी विनिमय

विदेशी विनिमय की आवश्यकता

आधुनिक कालमें कोईभी देश अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों और परिस्थितियोंसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहसकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजीके आयात और निर्यातके फलस्वरूप प्रत्येक देशमें अन्य देशोंके साथ लेनी देनीसे सम्बन्धित प्रश्न तथा समस्याएँ उत्पन्न होजाती हैं। यदि सभी देशोंमें एकही प्रकारकी द्रव्य-पद्धति होती और एकही प्रकारका द्रव्य होतातो इस प्रकारकी लेनी देनीकी अनेक मस्या-ओका समाधान सुगमतासे होसकता। परन्तु वास्तवमें ऐसी स्थिति नहीं पायीजाती। प्रत्येक देशमें आर्थिक, सामाजिक एव ऐतिहासिक कारणोंसे भिन्न भिन्न प्रकारके द्रव्य और द्रव्य-रीतियाँ विकसित हुई हैं। अतएव राज्यकी सीमा द्रव्यकी सीमाभी बन गयीहै एक देशका राज्य-प्रामाणित द्रव्य दूसरे देशमें द्रव्यके रूपमें काममें नहीं लाया जासकता। यदि सोनेकी मुद्राभी हो, तो एक देशकी मुद्रा दूसरे देशोंमें द्रव्यका काम नहीं देसकती क्योंकि वहाकी सोनेकी मुद्राकी तौल, सोने की शुद्धता इत्यादि भिन्न होते हैं। एक देशकी सोनेकी मुद्रा अन्य देशोंमें द्रव्यके रूपमें नहीं वलिक वस्तुके रूपमें स्वीकार कीजाती है। कागजका नोट तो केवल अपनेही देशमें द्रव्यका काम देसकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम भारत और पाकिस्तानमें देख सकतेहैं जिनमें दो ढाई वर्ष पूर्व एकही प्रकारका द्रव्य था। अब पाकिस्तानके नये नोट और भारतके नये नोट भिन्न भिन्न प्रकारके होगये हैं और अपने अपने देशमें ही प्रामाणित मानेजाते हैं। अतएव यदि भारतवासियोंको पाकिस्तानसे मोल लीगयी वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य चुकानाहै तो उनको पाकिस्तानके द्रव्यकी आवश्यकता होगी और यदि पाकिस्तान वालोको भारतसे प्राप्त वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य चुकानाहै तो उनको भारतके द्रव्यकी आवश्यकता होगी। दूसरे देशके द्रव्यको प्राप्त करनेके लिए उसका

मूल्य देनापडता है। विदेशी द्रव्यको विदेशी विनिमयभी कहतेहैं और जिस मूल्यपर वह प्राप्त होताहै उसको विदेशी विनिमयकी दर कहते हैं।

वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय लेनी देनीका भुगतान वस्तु तथा सेवाके विनिमय द्वाराही सम्पादित होता है। ऐसा बहुत कम होताहै कि देनदार देश अपने देशका द्रव्य लेन-दार देशको भेजे और जैसा हम आगे चलकर बतायेंगे, इसकी आवश्यकताभी नहीं होती। अभी हमने बताया कि एक देशका द्रव्य दूसरे देशमें प्रामाणिक नहीं होता। सोने चादीकी मुद्राएँभी यदि देनदारी पूरी करनेके लिए अन्य देशको भेजी जातीहैं तो उनको द्रव्य न कहकर हमको धातु-वस्तुही समझना चाहिए। जिसप्रकार चाय के निर्यातसे हम अपनी देनदारी चुका सकतेहैं, यही काम सोनेके निर्यातसे भी हो सकता है। परन्तु सोनेके निर्यात और चाय अथवा अन्य वस्तुओंके निर्यातसे देन-दारी चुकानेमें एक महत्वपूर्ण भिन्नता यहहै कि सम्भवहै लेनदार देशको हमारी वस्तुओंकी आवश्यकता न हो अथवा किन्हीं कारणोंसे वह इन वस्तुओंको अस्वीकार करदे परन्तु जहातक सोनेका प्रश्नहै उसको वह अवश्य स्वीकार करलेगा क्योंकि सोना एक ऐसा पदार्थहै जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमें प्रत्येक देशमें द्रव्यके रूपमें होताहै और सम्भवत होता रहेगा। सोनेके निर्यातसे अन्य देशोंके द्रव्य को प्राप्त करना सुगम होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनी का सामंजस्य

यदि दो देशोंमें कुल लेनी-देनी वस्तु तथा सेवा-विनिमय द्वाराही चुकता कीजाये तो भी इस बातकी आवश्यकता रहेगी कि दोनों देशोंके द्रव्यका आपसका मूल्य जाना जाये क्योंकि अपने अपने देशकी वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य अपनेही द्रव्यमें प्रकट किया जाता है। अतएव किसी देशकी वस्तुओंके कितने परिमाणके विनिमयमें अपने देशकी वस्तुओंको कितने परिमाणमें दियाजाये इसका हिमाव बिना विदेशी विनिमय की दर निर्धारित किये नहीं होसकता। यदि विनिमयकी दरमें बदलाव आजाये तो विदेशी पावनेको पूरा करनेके लिए स्वदेशने कम या अधिक मात्रामें वस्तुओंका निर्यात करना पड़ेगा। अतएव इस विषयका विवेचन करना कि विदेशी विनिमयकी दर किसप्रकार निर्धारित होतीहै, बड़े महत्वका है। वस्तुओंके मूल्य-निर्धारणके

प्रकरणमें मांग और पूर्ति का महत्व समझाया जा चुका है। इसी मांग और पूर्तिके गिद्दालान्तक प्रयोग विदेशी द्रव्यके मूल्य अर्थात् विदेशी विनिमयकी दरको निश्चित करनेके सम्बन्धमें भी किया जा सकता है। पहिले हम यह बतायेंगे कि किसी देशकी विदेशी द्रव्यकी मांग कितनी कितनी कारणोंसे होती है। इनका एक मुख्य कारण वस्तु-श्रोता आयात है। जिन देशोंमें हम वस्तुएं मंगल लेते हैं उनका मूल्य चुकानेके लिए हमें उन देशोंके द्रव्यकी आवश्यकता होती है। यदि आयातका परिमाण बढ़ जाये, तो विदेशी द्रव्यकी मांग भी बढ़ जायेगी। पिछले दो-तीन वर्षोंसे भारतको बाहरसे अनाज मंगाना पडा है अतएव विदेशी विनिमयकी मांग भारतमें बढ़ गयी। दूसरे देशकी वस्तु-श्रोके अतिरिक्त हम उनकी सेवाश्रोता भी उभांग करते हैं। इनका भी मूल्य चुकाना पडता है। उनमें प्रधान सेवाएं विदेशी जहाजों, बीमा कम्पनियों और बैंकों की सेवाएं हैं। इनका हिसाब चुकता करनेके लिए भी हमको विदेशी विनिमयकी मांग रहती है। इन वस्तुओं और सेवाओंके अतिरिक्त सोने और चांदीका भी आयात होता है। इस सम्बन्धमें भी देनदारी होती है और विदेशी द्रव्यकी आवश्यकता पडती है। हम अभी बता चुके हैं कि सोनेचांदी को अन्य वस्तुओं और सेवाओंसे विशिष्ट स्थान क्यों प्राप्त है। इसी कारणसे इसका हिसाब अलगही रखा जाता है।

यदि किसी देशके लोग अन्य देशोंमें विद्योपार्जन अथवा भ्रमण करनेके लिए जायें अथवा विदेशी सस्थाओंको दान भेजें तब भी उनको विदेशी विनिमयकी आवश्यकता होगी। यदि विदेशी द्रव्य उधार लिया गया हो अथवा विदेशी पूजा अपने देशके उद्योग धन्धोंमें लगी हुई हो, तो उन विदेशियोंको व्याज और लाभाश देना पडता है। यदि राज्यने दूसरे देशों अथवा सस्थाओंसे ऋण लिया हो जैसाकि भारत सरकारने विश्वकोपसे लिया है, तो उसपर व्याज देनेके लिए भी विदेशी विनिमय चाहिए। इसी प्रकार कभी कभी युद्धमें हारे हुए देशोंको क्षतिपूरक धन देना पडता है। इन सभी प्रकारकी अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियोंको चालू हिसाबकी देनदारी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त विदेशी विनिमयकी पूजाके हिसाबके सम्बन्धमें भी आवश्यकता पडती है। यदि किसी देशमें लगी हुई विदेशी पूजाको लौटाना पड़े और विदेशमें लिए हुए ऋणकी अवधि पूरी होजाने पर मूलधनका भुगतान करना पड़े तो उन देशोंके द्रव्यकी आवश्यकता होती है। यदि किसी देशके निवासी अन्य देशोंके शेर, बौड और हुडियां खरीदकर उन देशोंके उद्योग धन्धों में अपनी पूजा लगाए

अथवा उनके बैकमें अपना धन रखना चाहें तोभी उनको विदेशी विनिमयकी आवश्यकता होती है।

इसीप्रकार अनेक मदोसे किसी देशको विदेशी विनिमयकी प्राप्ति होती है। व्यापारिक वस्तुएँ, सोना और चादीके निर्यातसे तथा दूसरे देशवासियोंको सेवाएँ देकर से उन देशको द्रव्य प्राप्त होती है। यदि विदेशी लोग अपने देशमें पर्यटनके लिए आयेँ तो उनके व्ययसे भी उन देशका द्रव्य प्राप्त होता है। विदेशोसे दानके रूपमें अथवा क्षतिपूरक धनके रूपमें भी विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। विदेशोको दिये हुए ऋणसे व्याज और विदेशोमें लगी हुई पूजीपर लाभांशभी विदेशी विनिमयकी पूर्ति करता है। ये सभी लेनीकी मदें चालू हिसाबकी कही जाती हैं। इसके अतिरिक्त लेनीकी कुछ मदें पूजीसम्बन्धी हिसाबमें रहती हैं। यदि किसी देशके निवासी अन्य देशके शेयर, बॉन्ड इत्यादि साख-पत्रोको बेचें तो उनको अन्य देशका द्रव्य प्राप्त होजायेगा। इसीप्रकार ऋणकी अवधि पूरी होनेपर साहूकार देशको ऋणी देशका द्रव्य मिलजाता है।

यदि किसी देशकी चालू तथा पूजीसे सम्बन्धित लेनी और देनीकी मदोका ठीक ठीक हिसाब रखाजाये, तो इन दोनों पक्षोका योग बराबर होगा। इसका कारण यह है कि यदि किसी कालमें किसी देशकी चालू हिसाबकी देनदारी अन्य देशोके चालू हिसाबकी लेनदारीसे अधिक हो तो शेष देनदारीके सम्बन्धमें यह समझना चाहिए कि यह रकम उन देशोने ऋणके रूपमें दी है। इसप्रकार हिसाब रखनेपर किसीभी देशकी अन्य देशोसे लेनी और देनी बराबर होंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय लेनी देनीकी मदोमें व्यापारिक वस्तुओंके आयात और निर्यातको बहुत महत्वपूर्ण समझा जाताथा। आयात और निर्यातकी वस्तुओंका मूल्य साधारणतः समान नहीं रहता है। इस प्रकारके वैषम्यको हम व्यापारिक विषमता कहेंगे। यदि किसी देशकी निर्यातकी वस्तुओंका मूल्य आयातकी वस्तुओंके मूल्यसे अधिक हो, तो कहाजाता है कि व्यापारिक विषमता उसके पक्षमें है और यदि आयातकी वस्तुओंका मूल्य निर्यातकी वस्तुओंके मूल्यसे अधिक है, तो व्यापारिक विषमता उस देशके विपक्षमें होगी। पूर्वकालमें एक आर्थिक विचारधाराने अनुसार यदि किसी देश की व्यापारिक विषमता उसके पक्षमें हो, तो यह उस देशकी समृद्धिका द्योतक समझाजाता था। वस्तुओंके निर्यात और आयातके मूल्यके अन्तरको दूसरे

देशोंसे मोनं और शान्दीके रूपमें बमूल लिया जानाया और धानुओंका यह सचय आणिक शक्तिका अधिक समझा जाता था। यह धारणा वास्तवमें युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि जैमाति हम लेनी देनीकी मदोंके सम्बन्धमें देगनुते हैं, व्यापारिक वस्तुओंके प्रायान और निर्यातके अतिरिक्त शोकाओंका भी आयात निर्यात होता है और अन्य प्रकारमें भी चान् हिमाना लेनी देनी उत्पन्न होजाती है। भारतवर्षमें व्यापारिक विपमता हमारे पक्ष में ही रही है परन्तु हमारा देगती समृद्धिवाली नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि हमको अप्रत्यक्ष आयातकी मदोंके रूपमें विदेशोंको एक बड़ी राकम देनी पड़ती थी।

व्यापारिक विपमता-सिद्धान्त

विदेशी विनिमयकी दरको निर्धारित करनेके सम्बन्धमें एक मत यह है कि यदि किसी देशकी व्यापारिक विपमता उमके पक्षमें हो तो उमके द्रव्यकी विदेशी विनिमय की दरमें वृद्धि होगी। अर्थात् विदेशी द्रव्यकी इकाईको प्राप्त करनेके लिए स्वदेश का द्रव्य कम परिमाणमें देना पड़ेगा और अन्य देशोंको इस देगके द्रव्यकी इकाई प्राप्त करनेके लिए पहिलेसे अधिक द्रव्य अपने देशका देना पड़ेगा। इसके प्रतिकूल यदि किसी देशकी व्यापारिक विपमता उमके विपक्षमें हो तो उस देशकी विदेशी विनिमयकी दर गिरने लगेगी अर्थात् इन देशको अन्य देशके द्रव्यकी इकाईके लिए पहिले से अधिक अपना द्रव्य देना पड़ेगा और अन्य देशोंको उस देशके द्रव्यकी इकाई प्राप्त करनेके लिए पहिलेसे कम मात्रामें अपने देशका द्रव्य देना पड़ेगा। विदेशी विनिमय की दरमें इस प्रकार बदलाव होनेका कारण यह बतलाया जाता है कि जब व्यापारिक विपमता किसी देशके पक्षमें होती है तो उस देशके द्रव्यकी माग बढजाती है और इस कारणसे उसको प्राप्त करनेके लिए अधिक विदेशी द्रव्य देना पडता है। और इसीप्रकार यदि व्यापारिक विपमता किसी देशके विपक्षमें होती है तो उस देशको विदेशी द्रव्यकी माग अधिक होजाती है अतएव उसके द्रव्यका विदेशी मूल्य अन्य द्रव्योंमें गिरने लगता है।

इस मतमें कुछ सार अवश्य है। यदि किसी देशमें अन्य देशोंके द्रव्यकी माग किसीभी कारणसे बढजाये और उस देशके पास उसकी पूर्तिके साधन नहीं हो तो विदेशी

विनिमयकी दरमें गिरनेकी प्रवृत्ति होगी और यदि उस दशके द्रव्यकी माग अन्य देशोंमें बढजाये और अन्य देशोको इस देशका द्रव्य उस परिमाणमें प्राप्त न होसके, तो अवश्यही इस देशके विदेशी विनिमयकी दरमें वृद्धि होने लगेगी (इस प्रकरणमें हमने यह मान लियाहै कि विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन होनेमें स्वतन्त्रता है; नियन्त्रित विदेशी विनिमयकी बात दूसरीही है जैसाकि हम आगे चलकर बतायेंगे।) परन्तु यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंतो पता चलताहै कि व्यापारिक विषमता और विदेशी विनिमयकी दरका सम्बन्ध पारस्परिक है। ऐसाभी होताहै कि किसी देशके निर्यात और आयातका परिमाण और मूल्य स्वयमेव विदेशी विनिमयकी दरसे प्रभावित होता है। वास्तवमें हमको इस बातकी छानबीन करनी पडतीहै कि अन्तर्राष्ट्रीय लेनी देनी की मदोमें किन कारणोसे परिवर्तन होरहा है। इन्ही कारणोके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमयकी माग और पूर्तिके परिमाणमें वैषम्य उत्पन्न होजाताहै और विदेशी विनिमयकी दरमें भी परिवर्तन प्रारम्भ होजाता है। अतएव हम कहसकते है कि व्यापारिक विषमता सिद्धान्त समस्याकी गहराई तक न जाकर केवल ऊपरी कारणोपर प्रकाश डालता है।

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति और विदेशी विनिमय

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके गुण और दोषोकी विवेचना करनेके प्रकरणमें हमने बतायाथा कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत विदेशी विनिमयमें स्थिरता रहती है। यदि दो स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिवाले देश अपने अपने देशोमें सोनेका मूल्य अपने अपने द्रव्यके रूपमें निर्धारित करदें और उस मूल्यपर किसीभी परिमाणमें सोना बेचने और मोल लेनेके लिए प्रस्तुत रहें, तो इन दो देशोके द्रव्यके बीच स्वयमेव एक विनिमय की दर निर्धारित होजायेगी जिसका सम्बन्ध उन देशोके प्रामाणिक द्रव्यमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे स्थित सोनेके परिमाण पर होगा। उदाहरणके लिए स्वर्ण-मुद्रा-पद्धति कालमें इंग्लैंडकी प्रामाणिक स्वर्ण-मुद्रा सावरेनमें ११३ ०० १६ ग्रेन शुद्ध सोना रहताथा और अमेरिकाके संयुक्त राज्यकी प्रामाणिक स्वर्ण-मुद्रा डालर में २३. २२ ग्रेन शुद्ध सोना रहता था। अतएव एक सावरेनमें स्थित सोना

$\frac{113.0016}{23.22} = 4.86$ डालरमें रिगत सोनेके बराबर हुआ। स्टलिंग और

डालरकी इस पारस्परिक दरको विदेशी विनिमयकी टांगसाली दर अथवा विदेशी विनिमयकी मम-मूल्य दर कहते हैं। यहनी दुई आधारभूत दर, वास्तविक दर इस आधारभूत दरके आगपास ही रहनी हैं। बात यहहै कि इंग्लैंडसे अमेरिकाको अथवा अमेरिकासे इंग्लैंडको सोना भेजनेमें जहाजका तथा अन्य कई प्रकारका व्यय होता है। मानलीजिए ११३.००१६ ग्रॅम सोनेके अमेरिकासे इंग्लैंड भेजनेका व्यय .०४ डालर अर्थात् ४ सेट होता है। ऐसी प्रवस्थामें इंग्लैंड और अमेरिका के बीच विदेशी विनिमयकी दर ४ ९० डालरसे अधिक नहीं बढ़ने पायेगी और ४ ८२ डालरसे कम नहीं होने पायेगी। इसका कारण यहहै कि यदि इंग्लैंड वालोंकी डालरकी मांग इतनी बढ़गयी कि उनको एक पीउसे ४.८२ से कम डालर मिलने लगा, तो वे अपनी देनदारी सोनेके निर्यातसे करने लगेंगे अतएव ४ ८२ डालरकी दर इंग्लैंडके लिए स्वर्ण-निर्यात मर्यादा और सयुक्त राज्यके लिए स्वर्ण-आयात मर्यादा निर्धारित करती है। इसीप्रकार यदि सयुक्त राज्यमें पीउकी मांग इतनी बढ़जाये कि एक पीउ प्राप्त करनेके लिए ४ ९० डालरसे अधिक देनापड़े तो सयुक्त राज्यके देनदार अपनी देनदारीके भुगतानके लिए सोनेका निर्यात करने लगेंगे। अतएव ४ ९० डालर सयुक्त राज्यके लिए स्वर्ण-निर्यात-मर्यादा और इंग्लैंडके लिए स्वर्ण-आयात-मर्यादा होजाता है। वास्तविक विदेशी विनिमयकी दर इन्ही दो स्वर्ण-आयात और स्वर्ण-निर्यात मर्यादाओंके भीतर रहती है। यदि डालरकी मांग अधिकहो, तो विदेशी विनिमय की दर ४ ८२ डालरके निकट रहेगी और यदि पीउकी मांग अधिक हो, तो विनिमयकी दर ४ ९० डालरके निकट रहेगी। इसी बातको हम दूसरी प्रकार से भी कह सकते हैं। यदि इंग्लैंडमें डालरकी मांग बढ़ जातीहै तो इंग्लैंडसे सयुक्त राज्यको सोना भेजकर किसीभी परिमाणमें डालर प्राप्त किये जासकते हैं। जब विदेशी विनिमयकी दर १ पी० = ४.८२ डालर होगयी तो इस भावपर डालरकी पूर्ति किसीभी परिमाणमें होसकती है। इसीप्रकार यदि सयुक्त राज्यमें पीउकी मांग बढ़गयी तो वहा से इंग्लैंडको सोना भेजकर किसीभी परिमाणमें पीउ प्राप्त किये जासकते हैं। जब विदेशी विनिमयकी दर १ पी० = ४ ९० डालर पर पहुच जातीहै तो इस दरपर किसीभी परिमाणमें पीउके मांगकी पूर्ति सोनेके निर्यातसे होसकती है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिवाले देशोंमें सोनेके आयात और निर्यातके फलस्वरूप विदेशी विनिमयकी दरमें विनिमयकी सम-मूल्य दरके आस पास स्थिरता रहती है। स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके प्रकरणमें हम बता चुके हैं कि कभी कभी देशोंको इस स्थिरताको बनाये रखनेके लिए अपनी आर्थिक अवस्थामें अस्थिरताका समावेश करना पड़ता है। यही कारण है कि आधुनिक विचारधारा स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत प्राप्त होसकने वाली स्थिर विदेशी विनिमयकी दरका समर्थन नहीं करती।

नियन्त्रित विदेशी विनिमय

जिसप्रकार सरकार देशकी सीमाके अन्तर्गत वस्तुओंका मूल्य नियन्त्रित करसकती है उसीप्रकार विदेशी मूल्यका भी नियन्त्रण करसकती है। कभी कभी दो देशोंकी सरकार आपसमें एकमत होकर विदेशी विनिमयकी दर निर्धारित करलेती है और इस प्रकारका प्रबन्ध करती है कि यह दर व्यवहारमें बनी रहे। भारतवर्ष और इंग्लैंडके द्रव्यमें सन् १९२६ से लेकर अबतक १ रु० = १ शि० ६ पैसे की दर बनी हुई है। सन् १९३१ के बाद इंग्लैंडके स्वर्ण-पद्धति छोड़ देनेपर भी यही दर बनी रही। इसीप्रकार द्वितीय महायुद्धके कालमें सयुक्तराज्य और इंग्लैंडकी सरकारों ने १ पा० का मूल्य ४ डालरके लगभग निर्धारित करलिया और इस विनिमयकी दरको बनाये रखा। इसप्रकार विदेशी विनिमयकी दरको किसी विशेष स्तरपर बाधदिया जाता है। यदि यहदर आर्थिक परिस्थितियोंके अनुकूल न हुई तो या तो दरको बदलना पड़ता है अथवा आर्थिक अवयवोंमें इस प्रकारका नया सम्बन्ध स्थापित होनेलगाता है (चाहे वह सम्बन्ध बाधितहो अथवा अबाधित) जिससे इसप्रकार निर्धारित विदेशी विनिमयकी दर बनी रहे।

विदेशी विनिमयकी दरका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारपर, पूंजीके आयात और निर्यात पर और इनके द्वारा देशके भीतरके उद्योग धन्धों, वाणिज्य-व्यवसायोपर प्रभाव पड़ता है। अतएव इस दरको स्वाधीनतापूर्वक किसीभी मात्रामें बदलने देना आर्थिक स्थिरताकी दृष्टिसे बाधित नहीं है। अविनिमय-साध्य पद्धतिके अन्तर्गत विदेशी विनिमयमें अस्थिरता आनेकी बहुत आशंका रहती है। यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि विदेशी विनिमयसे दो पक्षोंका लगाव रहता है एक स्वदेशी और दूसरा विदेशी।

किमीभी पक्षसे सम्मानिता उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियाँ उत्पन्न होगयी हैं। अतएव यह दोनों पक्षोंके हितमें है कि वे आपसमें विचार विमर्शके बाद विनिमयकी दरको निर्धारित करें और उनमें बदलाव करें। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोषका आयोजन जिसका वर्णन आगे नन्द कर दिया जायेगा, इसी दृष्टिकोणको सामने रखकर किया गया है।

आर्थिक इतिहासमें ऐसे उदाहरण मिलतेहैं जबकि कोई देश विदेशी विनिमयका नियन्त्रण अपने निर्यात व्यापारको बढ़ाने अथवा आयात व्यापारको कम करनेके लिए करता है। यदि अन्य देशोंमें कोई बदलाव न हों जो देश अपने द्रव्यके विदेशी मूल्यको घटाताहै अर्थात् विदेशी विनिमयका अवमूल्यन करताहै उससे उसकी वस्तुओंके निर्यात व्यापारको प्रोत्साहन मिलताहै क्योंकि उमकी वस्तुओंका मूल्य अन्य देशोंके द्रव्यमें सस्ता होजाता है और उनका आयात व्यापार कम होने लगताहै क्योंकि विदेशी वस्तुओंका मूल्य उम देशके द्रव्यमें बढ़जाता है। उम प्रकारका लाभ स्थायी नहीं होसकता क्योंकि इससे अन्य देशोंपर जिससे इस देशका आर्थिक सम्बन्ध है, प्रभाव पडताहै और अपने आयात निर्यातकी रक्षाके लिए इनको भी अपने द्रव्य का अवमूल्यन करना पडताहै अथवा आयात-कर लगाने पडते हैं। इनका परिणाम यह होताहै कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका परिमाण घटने लगताहै और देशोंमें आपस में विद्रोहकी भावना उत्पन्न होजाती है। दो महायुद्धोंके बीचके कालमें इसप्रकार के बहुतसे उदाहरण मिलते हैं।

विदेशी विनिमयके नियन्त्रणकी पराकाष्ठा उस अवस्थापर समझी जातीहै जब कि देशमें विदेशी विनिमयका स्वतन्त्र हाट नहीं रहताहै और जितनाभी विदेशी द्रव्य उस देशको प्राप्त होताहै उसपर राज्यका अधिकार होजाता है। इम विदेशी द्रव्य का वितरणभी राज्यकी इच्छाके अनुसार होता है। द्वितीय महायुद्धक समयसे अनेक देशोंने इसप्रकार विदेशी विनिमयका पूर्णरूपसे नियन्त्रण किया और अभीतक यह नियन्त्रण चला आरहा है। भारतवर्षमें विदेशी विनिमयपर नियन्त्रण है। पूजीके निर्यातके लिए विदेशी विनिमय नहीं दियाजाता है। विविध वस्तुओंके आयातके लिए बिना पूर्ण अनुमतिके विदेशी द्रव्य नहीं दियाजाता है। इसप्रकार हम देखतेहैं कि विदेशी विनिमयके नियन्त्रणके साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय लेनी देनीकी मदोका भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमें नियन्त्रण कियाजाने लगा है।

द्वितीय महायुद्धके पूर्व जर्मनीने पहिले पहिले बडी मात्रामें विदेशी विनिमयके नियन्त्रणको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इसकी सहायतासे जर्मनी कुछ अशतक अपनी आर्थिक शक्तकी वृद्धि करनेमें और विदेशी देनदारीके भारको कम करनेमें समर्थ हुआ था। जर्मनीमें जिस किसी व्यापारीको विदेशी द्रव्यपर अधिकार प्राप्त होताथा उसे वह अधिकार राज्य द्वारा निर्धारित सस्थाको राज्य द्वारा निर्धारित दरपर बेचनेको बाध्य होना पडता था। इस प्रकारसे सचित विदेशी विनिमयका उपयोग राज्यकी अनुमतिसे ही होसकता था। राज्यकी समझमें जिन विदेशी वस्तुओं की अधिक उपयोगिता रहतीथी उन वस्तुओके आयातके लिए विदेशी विनिमय प्रचुरतासे दियाजाता था और सस्ते भावपर दियाजाता था। जिस विदेशी वस्तुको राज्य अनावश्यक समझे उसके लिए यातो विदेशी विनिमय उपलब्धही नहीं होताथा अथवा उसको महगी दरपर दियाजाता था। इसप्रकार एक विदेशी द्रव्यके भिन्न भिन्न प्रयोजनोके लिए भिन्न भिन्न दरोंका प्रयोग होता था।

विदेशी विनिमयके नियन्त्रणकी एक यह रीतिभी काममें लायीगयी थी कि जर्मनी के बाहर रहनेवाले लोगोको जर्मनीके द्रव्य (मार्क) पर जो अधिकार प्राप्त होताथा उसको वे विदेशी विनिमयमें परिवर्तित करके वापस नहीं लेसकते थे। इस प्रकारका प्रतिबन्धित द्रव्य या तो जर्मनीमें ही व्यय किया जासकता था अथवा भविष्यमें वापस लेनेके निमित्त वही जमा किया जासकता था। इसका एक परिणाम यहहुआ कि विदेशोमें जर्मनोके शेयर, बौड इत्यादि साख-पत्रोके मूल्यमें कमी होनेलगी और कम मूल्यपर इन साख-पत्रोको खरीदकर जर्मनीके विदेशी ऋणका भार हलका पडगया।

विदेशी विनिमय नियन्त्रणक अन्तर्गत देशोके बीच एक प्रकारका समझौताभी होनेलगा। जो देश इस समझौतेको स्वीकार करलेते थे, वे किसी कालावधिमें एक दूसरेसे एक निश्चित परिमाणमें वस्तुओका आयात स्वीकार करलेते थे। परन्तु इन के मूल्यका भुगतान आयात और निर्यात करनेवाले व्यक्ति आपसमें नहीं करसकते थे। इनका हिसाब राज्यों द्वारा होता था। आयात करनेवाले व्यक्ति आयातकी वस्तुओका मूल्य अपने द्रव्यमें राज्य द्वारा निर्धारित बैकमें जमा करदेते थे। इस कोपसे निर्यात करनेवाले व्यक्तियो द्वारा निर्यात कीगयी वस्तुओका मूल्य देदिया जाता था।

हिमीभी पत्रोंमें अभियन्ता उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियों उत्पन्न
 पताएँ यह दोनों पत्रोंके हिामें हैं कि वे आगतमें निर्यात निर्यातके व
 दरको निर्धारित करें और उनमें बदलाव करें। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य की
 जिनका वर्णन आगे चलकर किया जायेगा, उन्ही दृष्टिकोणको सामने
 रगा है।

आर्थिक उन्नततामें ऐसे उदाहरण मिलतेहैं जहाँकोई देश वि
 नियन्त्रण अपने निर्यात व्यापारको बढाने अथवा आयात व्यापार
 लिए करता है। यदि अन्य नाशोंमें कोई बदलाव न होतो जो
 विदेशी मूल्यको घटाताहै अर्थात् विदेशी विनिमयता अवमूल्यन
 की वस्तुओंके निर्यात व्यापारको प्रोत्साहन मिलताहै क्योंकि उस
 अन्य देशोंके द्रव्यमें सस्ता होजाता है और उनका आयात व्यापार
 क्योंकि विदेशी वस्तुओंका मूल्य उस देशके द्रव्यमें बढजाता है।
 स्वाधी नहीं होमकता क्योंकि उसरो अन्य देशोंपर जिसरो इस देश
 है, प्रभाव पडताहै और अपने आयात निर्यातकी रक्षाके लिए
 का अवमूल्यन करना पडताहै अथवा आयात-कर लगाने पडते
 यह होताहै कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका परिमाण घटने लगत
 में विद्रोहकी भावना उत्पन्न होजाती है। दो महायुद्धोंके बी
 के बहुतेसे उदाहरण मिलते हैं।

विदेशी विनिमयके नियन्त्रणकी पराकाष्ठा उम प्रवस्था
 कि देशमें विदेशी विनिमयका स्वतन्त्र हाट नहीं रहताहै और
 उस देशको प्राप्त होताहै उसपर राज्यका अधिकार होजा
 का वितरणभी राज्यकी इच्छाके अनुसार होता है। द्वितीय
 देशोंने इसप्रकार विदेशी विनिमयका पूर्णरूपसे नियन्त्रण
 नियन्त्रण चला आरहा है। भारतवर्षमें विदेशी विनिम
 निर्यातके लिए विदेशी विनिमय नहीं दियाजाता है।
 लिए बिना पूर्ण अनुमतिके विदेशी द्रव्य नहीं दियाजाता
 कि विदेशी विनिमयके नियन्त्रणके साथ साथ अन्तर्राष्ट्र
 प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमें नियन्त्रण कियाजाने लग

सन्तुलित विनिमय की दर स्थापित होगयी है और फिर उनमें जो परिवर्तन होगा, वह उन देशोंके पारस्परिक मूल्य-स्तरोके परिवर्तनका द्योतक होगा अर्थात् विदेशी विनिमयका क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त मूल्य-स्तरोके परिवर्तन पर न कि मूल्य-स्तरो पर चरितार्थ किया जाता है।

इस सिद्धान्तमें अनेक त्रुटियाँ और रुकावटें पायी जाती हैं। किसी समय विशेष में विदेशी विनिमयकी दरको समझनेके लिए हमको एक प्रामाणिक समयकी विनिमयकी दरको आधारभूत मानकर मूल्य-स्तरोके परिवर्तन का अध्ययन करना पड़ेगा। पहिले तो समस्या उस समयको ज्ञात करनेकी है जिसको प्रामाणिक माना जाये। यदि यह समय दूर भूतकालमें हुआ तो इस कालान्तरमें आर्थिक अवस्थामें बहुत परिवर्तन होसकता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या यह है कि किन वस्तुओंके मूल्य-स्तरके आधारपर विदेशी विनिमयकी दर सम्बन्धित है। यदि सभी वस्तुओंसे सम्बन्धित सूचक अंकोके आधारपर इस विषयकी विवेचना करें तो ज्ञात होता है कि अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट नहीं होती। उनका व्यापार देश के अन्दर ही होता है। ऐसी वस्तुओंके मूल्य-स्तरोका विदेशी विनिमयकी माग और पूर्तिपर प्रभाव नहीं पडता है। यदि हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट होने वाली वस्तुओंके मूल्य-स्तरको लें तो इससे भी विदेशी-विनिमयकी दरपर प्रकाश नहीं पडता क्योंकि इन वस्तुओंके मूल्य-स्तरमें यातायात-व्यय और आयात निर्यात-कर का हिसाब कर लेने पर तथा चालू विदेशी विनिमय की दरसे भिन्न भिन्न देशोंमें द्रव्यके रूपमें परिवर्तन करनेपर समानता आनेकी प्रवृत्ति होगी। इसके अतिरिक्त एक वस्तु एक विदेशी विनिमयकी दरपर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट होजाती है और दूसरी दरपर वहासे हटजाती है। दो देशोंके मूल्य-स्तरोमें समानता बनी रहनेपर भी विनिमयकी दरमें अन्तर होसकता है क्योंकि भिन्न भिन्न देशोंकी वस्तुओंकी माग का परिमाण केवल मूल्य-स्तर पर ही अवलम्बित नहीं रहता। मागके परिमाणमें अधिक मात्रामें परिवर्तन होजानेके कारण विदेशी विनिमयकी मांग और पूर्तिमें अन्तर होजाता है और उसकी दरमें भी परिवर्तन होजाता है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमयकी दर पूँजीके आयात निर्यातसे और क्षतिपूरक धन देनेके कारण से भी प्रभावित होती है। इस सम्बन्धमें क्रय-शक्ति समता सिद्धान्तसे कोई सहायता नहीं मिलती है।

इसप्रकार विदेशी विनिमयके नियन्त्रणमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुदेशीय न हो कर द्विदेशीय होनेलगा। जगमें कुछ देशोंको अत्यन्त लाभ हुआ परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके दुर्घटनोपने आर्थिक वित्तीय दुर्घटन होनेलगा और निरपेक्षी मात्रा बढ़ने लगी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूँजीके लगावकी प्रगतिने लिए शुद्ध आर्थिक वातावरणकी आवश्यकता है जिनमें नियन्त्रण कमसे कम हो। इस उद्देश्यको सामने रख कर अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-पद्धति स्थापना हुई है।

अविनिमयमाध्य द्रव्य-पद्धति और विदेशी विनिमय

हमने देखाकि स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत विदेशी विनिमयकी एक आधारभूत दर स्थापित होजाती है और वास्तविक दर उसके आसपास ही रहती है। अविनिमय-साध्य द्रव्य-पद्धतिवाले देशोंमें विनिमयकी दर निमप्रकार स्थिर होतीहै, उस सम्बन्ध में हम एक सिद्धान्तकी विवेचना करेंगे जिनको क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार दो देशोंके द्रव्योंकी विनिमयकी दर उन द्रव्योंकी आन्तरिक क्रय-शक्तिपर निर्भर रहती है। उदाहरणके लिए, यदि किसी वस्तुवर्गको मोनलेने के लिए सधुनत राज्यमें ४ डालर देने पडतेहैं और उसी वस्तुवर्गको इंगलैंडमें १ पाँड देकर खरीदा जासके तो ४ डालरकी क्रय-शक्ति १ पाँडकी क्रय-शक्तिके बराबरहुई। तो यही इन द्रव्योंकी विनिमयकी दर होगी अर्थात् १ पाँड = ४ डालर। अब यदि किसी कारणसे इंगलैंडका मूल्य-स्तर दुगुना होगया और अमेरिकामें पूर्ववत्ही रहा तो अब एक पाँडकी क्रय-शक्ति दो डालरके बराबर रहगयी। और इन दो देशोंकी विदेशी विनिमयकी दर अब १ पाँड = २ डालर होजायेगी।

स्वीडनके अर्थशास्त्री प्रोफेसर कैंसलने सन् १९१४-१९२३ के कालमें द्रव्य स्फीति जनित मूल्य-स्तरों में परिवर्तन और विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन का विशेष रूपसे अध्ययन करके उनमें यह सम्बन्ध ज्ञात किया कि जैसे जैसे किसी देशके मूल्य-स्तरमें अन्य देशोंके मूल्य-स्तरों की अपेक्षा वृद्धि होनेलगती है वैसे वैसे उसके द्रव्य की विदेशी विनिमयकी क्रय-शक्तिका ह्रास होनेलगता है। प्रो० कैंसलने यह नहीं कहाहै कि दो द्रव्योंकी आधारभूत विनिमयकी दर उनकी आन्तरिक क्रय-शक्तिसे निर्धारित होती है। उनका कहना यहहै कि यदि किसी समय दो द्रव्योंके बीच कोई

सन्तुलित विनिमय की दर स्थापित होगयी है और फिर उनमें जो परिवर्तन होगा, वह उन देशोंके पारस्परिक मूल्य-स्तरोके परिवर्तनका द्योतक होगा अर्थात् विदेशी विनिमयका क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त मूल्य-स्तरोके परिवर्तन पर न कि मूल्य-स्तरो पर चरितार्थ किया जाताहै।

इस सिद्धान्तमें अनेक त्रुटियाँ और रुकावटें पायी जाती हैं। किसी समय विशेष में विदेशी विनिमयकी दरको समझनेके लिए हमको एक प्रामाणिक समयकी विनिमयकी दरको आधारभूत मानकर मूल्य-स्तरोके परिवर्तन का अध्ययन करना पडेगा। पहिलेतो समस्या उस समयको ज्ञात करनेकी है जिसको प्रामाणिक मानाजाये। यदि यह समय दूर भूतकालमें हुआ तो इस कालान्तरमें आर्थिक अवस्थामें बहुत परिवर्तन होसकता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या यहहै कि किन वस्तुओंके मूल्य-स्तरके आधारपर विदेशी विनिमयकी दर सम्बन्धित है। यदि सभी वस्तुओंसे सम्बन्धित सूचक अंकोके आधारपर इस विषयकी विवेचना करें तो ज्ञात होताहै कि अनेक वस्तुएं ऐसीहैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट नहीं होती। उनका व्यापार देश के अन्दरही होता है। ऐसी वस्तुओंके मूल्य-स्तरोका विदेशी विनिमयकी माग और पूर्तिपर प्रभाव नहीं पडता है। यदि हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट होने वाली वस्तुओंके मूल्य-स्तरको लें तो इससेभी विदेशी-विनिमयकी दरपर प्रकाश नहीं पडता क्योंकि इन वस्तुओंके मूल्य-स्तरमें यातायात-व्यय और आयात निर्यात-कर का हिसाब करलेने पर तथा चालू विदेशी विनिमय की दरसे भिन्न भिन्न देशोंमें द्रव्यके रूपमें परिवर्तन करनेपर समानता आनेकी प्रवृत्ति होगी। इसके अतिरिक्त एक वस्तु एक विदेशी विनिमयकी दरपर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रविष्ट होजाती है और दूसरी दरपर वहासे हटजाती है। दो देशोंके मूल्य-स्तरोमें समानता बनी रहनेपर भी विनिमयकी दरमें अन्तर होसकता है क्योंकि भिन्न भिन्न देशोंकी वस्तुओंकी माग का परिमाण केवल मूल्य-स्तर परही अवलम्बित नहीं रहता। मागके परिमाणमें अधिक मात्रामें परिवर्तन होजानेके कारण विदेशी विनिमयकी माग और पूर्तिमें अन्तर होजाता है और उसकी दरमें भी परिवर्तन होजाता है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमयकी दर पूँजीके आयात निर्यातमें और क्षतिपूरक धन देनेके कारण से भी प्रभावित होती है। इस सम्बन्धमें क्रय-शक्ति समता सिद्धान्तमें कोई नहायता नहीं मिलती है।

उसप्रकार विदेशी विनिमयके निगन्धनमे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुदेशीय न हो कर द्विदेशीय होनेलगा। इसमे कुछ देशोंकी अथर्व्य लाभ हुआ परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके दृष्टिकोणसे आर्थिक वातावरण दूबिन होनेलगा और विदेशकी मात्रा बढ़ने लगी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूँजीके लगावकी प्रगतिके लिए मुद्रा आर्थिक वाता-
 चरणकी आवश्यकता है जिनमे निगन्धन कमसे कम हो। उग उद्देश्यको सामने रख कर अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-पद्धती स्थापना हुई है।

अविनिमयसाध्य द्रव्य-पद्धति और विदेशी विनिमय

हमने देखाकि स्वयं-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत विदेशी विनिमयकी एक आधारभूत दर स्थापित होजाती है और वास्तविक दर उमके आसपास ही रहती है। अविनिमय-साध्य द्रव्य-पद्धतिवाले देशोंमें विनिमयकी दर किसप्रकार स्थिर होतीहै, इन सम्बन्ध में हम एक सिद्धान्तकी विवेचना करेंगे जिनकी क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार दो देशोंके द्रव्योंकी विनिमयकी दर उन द्रव्योंकी आन्तरिक क्रय-शक्तिपर निर्भर रहती है। उदाहरणके लिए, यदि किसी वस्तुवर्गको मोललेने के लिए सयुक्त राज्यमें ४ डालर देने पड़तेहैं और उसी वस्तुवर्गको इंग्लैंडमें १ पौंड देकर खरीदा जासके तो ४ डालरकी क्रय-शक्ति १ पौंडकी क्रय-शक्तिके बराबरहुई। तो यही इन द्रव्योंकी विनिमयकी दर होगी अर्थात् १ पौंड = ४ डालर। अब यदि किसी कारणसे इंग्लैंडका मूल्य-स्तर दुगुना होगया और अमेरिकामें पूर्ववत्ही रहा तो अब एक पौंडकी क्रय-शक्ति दो डालरके बराबर रहगयी। और इन दो देशोंकी विदेशी विनिमयकी दर अब १ पौंड = २ डालर होजायेगी।

स्वीडनके अर्थशास्त्री प्रोफेसर कैसलने सन् १९१४-१९२३ के कालमें द्रव्य स्फीति जनित मूल्य-स्तरों में परिवर्तन और विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन का विशेष रूपसे अध्ययन करके उनमें यह सम्बन्ध ज्ञात किया कि जैसे जैसे किसी देशके मूल्य-स्तरमें अन्य देशोंके मूल्य-स्तरों की अपेक्षा वृद्धि होनेलगती है वैसे वैसे उसके द्रव्य की विदेशी विनिमयकी क्रय-शक्तिका ह्रास होनेलगता है। प्रो० कैसलने यह नहीं कहाहै कि दो द्रव्योंकी आधारभूत विनिमयकी दर उनकी आन्तरिक क्रय-शक्तिसे निर्धारित होती है। उनका कहना यहहै कि यदि किसी समय दो द्रव्योंके बीच कोई

सन्तुलित विनिमय की दर स्थापित होगी है और फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि वह उन देशोंके पारस्परिक मूल्य-स्तरोंके परिवर्तनका अंशक है कि वह विनिमयका ऋण-शक्ति समता सिद्धान्त मूल्य-स्तरोंके परिवर्तन पर चरितार्थ किया जाता है।

इस सिद्धान्तमें अनेक त्रुटियाँ और खराबटें पाये गयी हैं। इनमें से एक है कि विनिमयकी दरोंके परिवर्तनमें अनेक वस्तुओंके मूल्य-स्तरोंके परिवर्तनका अंशक ही नहीं है। पहिले तो समस्या उस समयको ज्ञात करनेकी है कि मूल्य-स्तरोंके परिवर्तन यदि यह समय दूर भूतकालमें हुआ तो इस बातका अर्थ क्या होगा कि परिवर्तन होसकता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या यह है कि मूल्य-स्तरके आधारपर विदेशी विनिमयकी दर सम्बन्धित सूचक अत्रिकोंके आधारपर उस विषयकी विवेचना की जा सकती है कि अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रभावित नहीं होती हैं। इनके अन्दरही होता है। ऐसी वस्तुओंके मूल्य-स्तरोंका विदेशी विनिमयकी दरोंके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके अंशक वाली वस्तुओंके मूल्य-स्तरको लें तो इससे भी विदेशी-विनिमयकी दरोंके परिवर्तन पड़ता क्योंकि इन वस्तुओंके मूल्य-स्तरमें यातायात-योग्य और अयोग्य वस्तुओंका हिसाब करलेने पर तथा चालू विदेशी विनिमय की दरमें भिन्न भिन्न देशोंके मूल्य-स्तरोंके परिवर्तन करनेपर समानता आनेकी प्रवृत्ति होगी। दूसरी समस्या यह है कि एक विदेशी विनिमयकी दरपर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें प्रभावित वस्तुओंके मूल्य-स्तरपर वहासे हटजाती है। दो देशोंके मूल्य-स्तरोंमें समानता आनेकी प्रवृत्ति ही विनिमयकी दरमें अन्तर होसकता है क्योंकि भिन्न भिन्न देशोंकी वस्तुओंके मूल्य-स्तरोंका परिमाण केवल मूल्य-स्तर पर ही अवलम्बित नहीं रहता। माँगके अभावके अति अधिक मात्रामें परिवर्तन होजानेके कारण विदेशी विनिमयकी दरमें अन्तर होजाता है और उसकी दरमें भी परिवर्तन होजाता है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमयकी दर पूँजीके आयात निर्यातसे और क्षतिपूर्तिक्रम देनेके अभावसे भी प्रभावित होती है। इस सम्बन्धमें ऋण-शक्ति समता सिद्धान्तमें की गई धारणा नहीं मिलती है।

नारतनम अंगीकारि हम ऊपर निगमांग है यदि विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन होनेकी पूर्ण स्वतन्त्रतासे तो जिन जिन कारणोंसे विदेशी विनिमयकी माग और पूर्ति प्रभावित होतीहै उन्ही कारणोंसे उसकी दरभी प्रभावित होगी। इन कारणोंमें अन्तर्राष्ट्रीय मंगी रंगी की सभी मध्ये शामिल हैं। उन मध्येके परिमाण बदलने रहने है और ये विदेशी विनिमयकी माग और पूर्तिके परिमाणोंको भी बदलने रहने है। यथापय विदेशी विनिमयकी दरभी स्वतन्त्रतासे बदलती रहती है, यथाजाता है कि यदि विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन होने दियाजाये तो कोईभी देश अपनी द्रव्य-नीतिको अन्तर्राष्ट्रीय दबावोंसे स्वतन्त्र करके अपनी आर्थिक अवस्थाके अनुकूल बनानेमें अधिक समर्थ होगा। परन्तु हम देनातेहैं कि स्वतन्त्रतापूर्वक बदलनेवाली विदेशी विनिमयकी दर वाछनीय नहीं समझी जाती। इसका प्रधान कारण यहहै कि इन प्रकारकी विदेशी विनिमयकी पद्धतिने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूजीके लगावमें अनिश्चिनता आजातीहै और समायका समावेश होजाता है। आधुनिक आर्थिक प्रियामें वैसेभी पर्याप्त अनिश्चिनता रहतीहै क्योंकि उत्पत्ति के कार्यमें समयका अन्तराय बढ़गया है और दूर देशोंके लिए उत्पादन करनेमें भी आशंका बनी रहतीहै अब यदि विदेशी विनिमयकी दरमें भी अधिक मात्रामें अस्थिरता होनेलगे तां इससे न केवल आयात-निर्यातकी वस्तुओंके मूल्य और उत्पत्तिमें अस्थिरता आजायेगी बल्कि जिन देशोंमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आर्थिक प्रगतिका प्रधान अंग है (जैसा कि इंगलैंड में) उनकी आन्तरिक अवस्थामें भी अस्थिरता आ जायेगी। इसीप्रकार दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय पूजीके लगावको भी घबका पहुचनेकी सम्भावना होजाती है। हमने देखाकि राष्ट्र विदेशी विनिमयकी दरमें न तो स्वर्ण पद्धतिवाली दृढता चाहते है और न स्वतन्त्र रूपसे बदलनेवाली चचलता चाहते है। इससे प्रतीत होताहै कि इन दोनोंकी मध्यस्थ नीति अधिक अनुकूल होगी अर्थात् विदेशी विनिमयकी दरमें न तो बड़ी मात्रामें अनपेक्षित बदलावहो और न ऐसाहो कि उसमें कोई परिवर्तन ही न किया जासके। इसके लिए कुछ प्रबन्ध करनेकी आवश्यकता पडती है।

विदेशी विनिमय-नियन्त्रण-कोष

सन् १९३१ के बाद स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति छोड़नेपर अनेक देशोंको इस प्रकार की

परिस्थिति का सामना करना पडा। विदेशी विनिमयकी दरमें अस्थिरता कम करनेके लिए इंग्लैंड, सयुक्तराज्य, फ्रान्स इत्यादि देशोंने एक विशेष कोषकी स्थापनाकी जिसको हम विदेशी विनिमय नियन्त्रण कोष कहेंगे। यह कोष सरकार के आधीन रहताहै और इसका प्रयोग विदेशी विनिमयकी दरमें आकस्मिक बडी मात्रामें बदलाव रोकनेमें होता है। यह कोष स्वदेशी द्रव्य, विदेशी द्रव्य, सोना और ट्रेजरी विलसे सम्पन्न रहता है।

कल्पना कीजिए किसी राजनैतिक सकटके कारण अथवा और किसी कारणसे इंग्लैंडके लोग अपने धनको सुरक्षित रखनेके लिए अथवा लाभकी आशासे सयुक्त राज्यमें रखना चाहते है। इससे डालरकी मागमें अचानक बडी मात्रामें वृद्धि होजायेगी। विदेशी विनिमयके हाटमें पर्याप्त डालर न होनेके कारण डालरके मूल्य में वृद्धि और पीडके मूल्यमें कमी होने लगेगी। यहापर इंग्लैंड अपने विदेशी विनिमय कोषका प्रयोग करता है। वहभी विदेशी विनिमयके हाटमें उतर पडताहै और विदेशी विनिमयकी दरमें बडी मात्रामें परिवर्तन को रोकनेकी चेष्टा करता है। पूर्वोक्त अवस्थामें इंग्लैंडका विदेशी विनिमय कोष डालर बेचना प्रारम्भ करेगा क्योंकि डालरकी माग बढनेके कारण विनिमय दरमें परिवर्तन होनेकी आशका हुई है। हम पहिले लिख आयेहै कि इस कोषमें विदेशी द्रव्यभी रहता है। अतएव कोष अपने डालरको बेचने लगेगा। यदि उसके पास पर्याप्त डालर न हों तो वह सयुक्तराज्य में चालू दरसे सोना बेचकर डालर प्राप्त करेगा। मानीहुई बातहै कि यह कोष कहातक पीडको गिरनेसे बचा सकताहै, यह कोषके डालर उपलब्ध करनेकी शक्तिपर निर्भर है। परन्तु यहतो निश्चितहै कि कुछ अग्रतक कोष को अपने कार्यमें सफलता मिलेगी। और यदि विदेशोंमें पीडकी माग अचानक अधिक मात्रामें बढजानेके कारण पीडके विदेशी विनिमय मूल्यमें अवाञ्छित वृद्धि होनेलगे तो कोष स्वयं विदेशी द्रव्य खरीद लेगा और कोषसे पीड उपलब्ध करेगा। रूपरे देगके द्रव्यको उपलब्ध करना कठिन नहीं है। यदि कोषमें पर्याप्त पीड न हों, तो ट्रेजरी विल बेचकर अथवा केन्द्रीय बैंकसे उधारलेकर काम चलाया जानकता है। पीड बेचनेसे कोषमें विदेशी विनिमयके परिमाणमें वृद्धि होजायेगी। यदि कोषको विदेशी द्रव्यकी इतने परिमाण में आवश्यकता न हो तो कोष अतिरिक्त विदेशी द्रव्य से उस देशमें चालू भावपर सोना मोललेकर उसको अपने कोषमें जमा करसकता है।

वासनवम अंशार्थि इयं ऊपर विनियामे हे यदि विदेशी विनिमयकी दरमें परि-
 चनेन तानेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है तो जिन जिन कारणोंसे विदेशी विनिमयकी मांग
 और पूर्ति प्रभावित होतीहै उसी कारणोंसे उसकी दरभी प्रभावित होगी। इन
 कारणोंमें अन्तर्राष्ट्रीय लेनों देनों की सभी मरें शामिल है। उन मदोंके परिमाण
 बढ़नेसे बढ़ते है और वे विदेशी विनिमयकी मांग और पूर्तिके परिमाणोंको भी
 बढ़ानेसे बढ़ते है। अतएव विदेशी विनिमयकी दरभी स्वतन्त्रतासे बढ़लती रहती
 है। कहाजाता है कि यदि विदेशी विनिमयकी दरमें परिवर्तन होने दियाजाये तो
 कोईभी देश अपनी द्रव्य-नीतिको अन्तर्राष्ट्रीय दवावोंमें स्वतन्त्र करके अपनी आर्थिक
 अवस्थाके अनुकूल बनानेमें अधिक समर्थ होगा। परन्तु हम देगतेहै कि स्वतन्त्रता-
 पूर्णक बदलनेवाली विदेशी विनिमयकी दर वास्तविक नहीं समझी जाती। इसका
 प्रधान कारण यहहै कि इन प्रकारकी विदेशी विनिमयकी पद्धतिमें अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार और पूँजीके लगावमें अनिश्चितता आजातीहै और सहायका समावेश होजाता
 है। आधुनिक आर्थिक जियामें वैशेभी पर्याप्त अनिश्चितता रहतीहै वयोकि उत्पत्ति
 के कार्यमें समयका अन्तराव बढ़गया है और दूर देशोंके लिए उत्पादन करनेमें भी
 आसानी बनी रहतीहै अब यदि विदेशी विनिमयकी दरमें भी अधिक मात्रामें अस्थिरता
 होनेलगे तो इससे न केवल आयात-निर्यातकी वस्तुओंके मूल्य और उत्पत्तिमें अस्थिर-
 ता आजायेगी बल्कि जिन देशोंमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आर्थिक प्रगतिका
 प्रधान अंग है (जैसा कि इंग्लैंड में) उनकी आन्तरिक अवस्थामें भी अस्थिरता आ
 जायेगी। इसीप्रकार दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीके लगावको भी बक्का पहुचनेकी
 सम्भावना होजाती है। हमने देखाकि राष्ट्र विदेशी विनिमयकी दरमें न तो स्वर्ण
 पद्धतिवाली दृढता चाहते है और न स्वतन्त्र रूपसे बदलनेवाली चंचलता चाहते है।
 इससे प्रतीत होताहै कि इन दोनोंकी मध्यस्थ नीति अधिक अनुकूल होगी अर्थात्
 विदेशी विनिमयकी दरमें न तो बडी मात्रामें अनपेक्षित बदलावहो और न ऐसाहो
 कि उसमें कोई परिवर्तन ही न किया जासके। इसके लिए कुछ प्रबन्ध करनेकी
 आवश्यकता पड़ती है।

विदेशी विनिमय-नियन्त्रण-कोष

सन् १९३१ के बाद स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति छोड़नेपर अनेक देशोंको इस प्रकार की

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष और विश्वबैंक

द्रव्य-कोष

हमने पिछले अध्यायमें बताया कि प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्धके कालाभ्यन्तरमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण बहुत दूषित होने लगा था। विदेशी विनिमयका नियन्त्रण, उसकी दरका प्रतिस्पर्द्धिक अवमूल्यन, द्विपक्षी व्यापार-ऐक्य और आयात-विरोधी कर लगाना—इसप्रकार की क्रियाएँ दृष्टिगोचर होने लगी थी। इनके फलस्वरूप आर्थिक सहयोगका स्थान आर्थिक विद्वेषने लेलिया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके परिमाण एव मूल्यमें ह्रास होनेलगा। अतएव द्वितीय महायुद्धके समाप्त होनेके पूर्वही इस बातका प्रयत्न किया जानेलगा कि युद्धके पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्योंके सम्पादनमें अधिक सुविधा प्राप्त होसके। इसके लिए दो योजनाएँ— एक योजना जो 'केन्स योजना' कहलाती है इंग्लैंडके विद्वानोंने बनायी और दूसरी 'व्हाइट योजना' सयुक्त राज्यके विशेषज्ञोंने बनायी। प्रत्येक योजनाके अन्तर्गत इस प्रकारके प्रस्ताव रखेगये जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय विकृतिया कमकी जासकें। इन दोनों योजनाओंके कुछ प्रस्ताव एक दूसरेसे मिलते जुलते थे और कुछ भिन्नभी थे। अतएव इन दोनों योजनाओंके आधारपर एक सम्मिलित योजना बनायी गयी जिसमें अधिक प्रस्ताव सयुक्तराज्यकी योजनामें लियेगये थे। यह सम्मिलित योजना जुलाई १९४४ में ब्रेटनवुड् नामक स्थानमें एक अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-सम्मेलनके सामने रखी गयी जिसमें ४४ मित्र-राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। विचार-विमर्शके पश्चात् सम्मेलनने एक अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष और एक विश्वबैंककी स्थापनाके लिए स्वीकृत धाराएँ लेखबद्धकी और उनको सम्मेलनमें भाग लेनेवाले राज्योंके पाम हस्ताक्षरकें लिए भेजा। २७ दिसम्बर १९४५ के दिन जबतक कि २८ ऐसे राज्योंकी स्वीकृतियां प्राप्त होचुकी थी जिनका चन्दा कोषके कुल परिमाण का ८० प्रतिशतके लगभग

इसी प्रकार विदेशी द्रव्य यंत्रणमें कोषमें अपने देशका द्रव्य आवश्यकतासे अधिक परिमाणमें समा-योग्या होने अनिश्चि- द्रव्यको केन्द्रीय बैंकके सिलसिलेमें अथवा देशकी वित्तके दृष्टमें खरना आम-जना है।

इस प्रकारमें विदेशी विनिमयकी दरको प्रवर्धित करनेका यह प्रयत्न नहीं है कि इसमें कभी परिवर्तन ही न होने-दिवा जाये। यदि किसी देशमें मौलिक कारणोंसे आर्थिक सन्तुलन बिगड़ जाये और वर्तमान विनिमयकी दर तत्कालीन आर्थिक परिस्थितिसे असम्भव हो-गयी हो, तो उस कोषके द्वारा विदेशी विनिमयकी दरको पूर्व-वन् बढाये-गनेका हठ नहीं किया जायेगा। विनिमयकी दरको सन्तु-लित होने-दिवा जायेगा और इस-नती-जमें अधिक परिवर्तन न होने-दिवा कोषका कर्तव्य होगा। तदनुसार अभिप्राय यह है कि विदेशी विनिमयमें जो परिवर्तन आर्थिक स्थितिके बदलनेसे हैं, उनको-तो होने-दिवा जायेगा। परन्तु जो परिवर्तन अल्पकालीन विशेषकर मट्टे की भावनासे हो-जाते हैं उनको रोकनेकी चेष्टा ही जायेगी।

हमने अभी बताया कि कोषकी सफलता उसकी पूंजीके परिमाणपर बहुत-अस-में निर्भर करती है। परन्तु नाथही साथ-कोषके अधिकारियोंको सन्तुलित विदेशी विनिमयकी दरका पता चलाना चाहिए। यह एक बहुत-कठिन काम है। कोई एक-ऐसा सूचक आर्थिक अ-प्रयव नहीं है जिसके आधारपर सन्तुलित दरकी गणना की जा-सके। साधारणतः इस-बातको ध्यानमें रखा-जाता है कि स्वीकृत विनिमय दर की सहायतासे देशको आर्थिक स्थिरता प्राप्त करनेमें सहायता मिले और उस दर को बनाये रखनेमें देशके सोनेके और विदेशी द्रव्यके कोषको विशेष-क्षति न-पहुंचे। इसके अतिरिक्त दर-ऐसी-होनी चाहिए जिसमें प्रतिस्पर्द्धात्मक अवमूल्यन की प्रवृत्ति न-हो।

कोषको अपने उद्देश्यमें सफलता प्राप्त करनेके लिए यह भी आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न-देशोंके कोष-आपसमें सहयोगसे काम करें। विदेशी विनिमयकी दरसे कमसे-कम दो-देश सम्बन्धित है। यदि इन-देशोंके कोष-विपरीत नीतियोंका प्रयोग-करें-तो परिस्थिति और भी-विगड़-जायेगी। यही कारण है कि सन् १९३६ में फ्रान्स, संयुक्त-राज्य और इंग्लैंडमें त्रिपक्षी ऐक्य हुआ जिसके अनुसार इनमेंसे कोई-भी-देश-विना-दूसरेकी-सम्मति-प्राप्त-किये-विदेशी-विनिमयकी-दरमें-परिवर्तन-नहीं-कर-सकता-था। बादमें-इस-ऐक्यमें-और-भी-देश-सम्मिलित-हुए।

डालर है। रूस अभी तक इस कोषका सदस्य नहीं बना है अतएव इस समय भारत पाचवां बड़ा सदस्य है।

कोषके सदस्योंके हिस्सेका बहुत महत्व है। एकतो यह कि कोषके गवर्नरोंकी सभामें जिसमें प्रत्येक सदस्य देशको प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अपने हिस्सेके परिमाणके आधारपर मत देनेका अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य देशको २५० वोट और उसके ऊपर प्रत्येक एकलाख डालरके हिस्सेके पीछे एक वोट देनेका अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रारम्भके पाच बड़े हिस्सेदारोंको कोषकी १२ सदस्योंकी कार्यकारिणी सभामें स्थायी स्थान प्राप्त है। परन्तु हिस्सेका सबसे बड़ा महत्व यह है कि प्रत्येक सदस्य कोषसे किसीभी १२ महीनेकी अवधिमें अपने हिस्सेके २५ प्रतिशत परिमाण तकही अपने द्रव्यके बदले दूसरे देशोंका द्रव्य प्राप्त करसकता है। उदाहरणके लिए, भारतका हिस्सा ४० करोड़ डालर है तो भारतवर्ष किसीभी १२ महीनेकी अवधिके अन्दर इस कोषसे पर्याप्त मात्रामें रुपया जमाकरके १० करोड़ डालरतक प्राप्त करसकता है। इसके अतिरिक्त जब कोषमें किसी सदस्य देशका अपना द्रव्य अपने हिस्सेके परिमाणसे दुगना जमा होजाता है तो इसकेबाद उस देशको कोषसे विदेशी विनिमय मोल लेनेका अधिकार नहीं रहजाता अर्थात् कोषके पास किसीभी समयमें किसी सदस्य देशके हिस्सेके २०० प्रतिशतसे अधिक उसका अपना द्रव्य जमा न होना चाहिए।

कोष और विदेशी विनिमय की दर

जहानक किमी सदस्य देशके द्रव्यके विदेशी विनिमयकी दरका प्रश्न है, प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्वयमेव अपने द्रव्यका मूल्य सोनेमें अथवा न्युक्त्त राज्यके डालरमें निर्धारित करके उसकी सूचना कोषके अधिकारियोंके पास भेजदे। भारतने जो विदेशी विनिमयकी दर चली आरही थी, अर्थात् १३ ३३ ३३ ३० = १ पी० (१ रु० = १ गि० ६ पे०) उनीके आधारपर यह दर निर्धारितकी। इस हिमावने एक रुपयेका विदेशी विनिमय ३०.६७ सेन्टके बराबर अर्थात् एक डालरका मूल्य ३ ३०.६५ रुपया होता है। इस हिमावसे एक रुपयेका विनिमय-मूल्य ८ १ ८४ १ ८२ ८५.५ सेन्टके बराबर होता है। इसीप्रकार अनेक सदस्य देशों

था, ये स्थीकृत धाराएं कार्यक्रममें परिणत होगयीं और अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोषकी स्थापना हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोषके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(१) अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-सम्बन्धी सहयोगको डग संख्या द्वारा प्रोत्साहन देना।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी सन्तुलित रूपमें वृद्धि करनेमें सहायता देना जिससे सदस्य देशोंकी वास्तविक आय और उद्योगों में स्तरमें वृद्धि और स्थिरता प्राप्त हो सके।

(३) विदेशी विनिमयमें स्थिरता प्राप्त करवानेकी चेष्टा करना, सदस्य देशोंमें व्यवस्थित रूपसे विदेशी विनिमयका प्रबन्ध करना, प्रतिस्पर्द्धात्मक विनिमय-अव-मूल्यनको दूर करना।

(४) सदस्य देशोंके चानू लेनदेनको विभिन्न रूपोंमें चुकता करनेकी प्रणाली स्थापित करनेमें सहायता करना और इस प्रकारके विदेशी विनिमय नियन्त्रणको हटानेका प्रयत्न करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें रुकावट उत्पन्न हो।

(५) सदस्योंको कोषसे द्रव्य उपलब्ध कराना जिससे कि वे बिना इसप्रकार के उपक्रमोंके प्रयोगसे जिनसे अपने देश और अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धिको धक्का पहुंचे, अपने अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनकी विपमताको ठीक कर सकें और फलस्वरूप उनमें विश्वास उत्पन्न हो सके।

(६) इन सब बातोंको ध्यानमें रखतेहुए सदस्योंकी अन्तर्राष्ट्रीय लेनी-देनीके सन्तुलनकी हानिको यथाशीघ्र ठीक करना और कम करना।

इस कोषकी कुल सम्पत्ति ८८० करोड़ डालर निर्धारित कीगयी थी, जिसका प्रधान भाग सदस्य देशोंके द्रव्यके रूपमें और शेष भाग सोनेके रूपमें रखनेका प्रबन्ध है। अप्रैल १९४८ तक इसको ७६० करोड़ डालरके बराबर द्रव्य प्राप्त हो चुका था। प्रत्येक सदस्यका हिस्सा निर्धारित करदिया गया है। प्रत्येक सदस्य अपने भाग का २५ प्रतिशत अथवा अपने सोने और डालरके सचयका १० प्रतिशत जो भी कमहो, सोनेके रूपमें जमा करेगा और शेष भाग अपने द्रव्यके रूपमें जमा करेगा। सदस्योंमें से पांच बड़े हिस्सेवाले सदस्योंमें संयुक्तराज्यका २७५ करोड़, इंग्लैंडका १३० करोड़, रूसका १२० करोड़, चीनका ५५ करोड़ और फ्रान्सका ४५ करोड़ डालर निर्धारित किया गया। भारतका छठा नम्बर है और उसका हिस्सा ४० करोड़

विषमता प्रतिवर्ष बढ़तीही जा रही है और वह पर्याप्त मात्रामें विदेशी विनिमय उपाजित नहीं कर पा रहा है तो इसका आशय यह निकला कि उस देशका आर्थिक सन्तुलन विकृत होगया है। इसप्रकार देश को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय देनीकी पूर्तिके लिए कोषपर ही निर्भर न रहकर आर्थिक सन्तुलनकी चेष्टा करनी चाहिए। इस कार्यमें कोष इस प्रकारके सदस्यको उपयुक्त परामर्श देकर सहायता करेगा। वास्तव में इस परिस्थितिमें पड़ेहुए देशको कोषपर ही निर्भर रहनेकी प्रवृत्तिको कम करने के लिए इसप्रकार का प्रबन्ध किया गया है कि जैसे जैसे कोषके पास ऐसे देशके द्रव्यके परिमाणमें वृद्धिहोती रहेगी (अन्य देशोके द्रव्य मोल लेनेके कारण) उसको अतिरिक्त वृद्धि (अर्थात् अपने हिस्सेके ऊपर) पर सोनेके रूपमें एक निर्धारित दरसे शुल्क देना पड़ेगा। इस शुल्ककी दर $1/2$ प्रतिशतसे आरम्भ होकर अतिरिक्त वृद्धिके परिमाण और अवधिके अनुसार ४ प्रतिशत तक होसकती है। यदि किसी का द्रव्य कोषमें इतना अधिक और इतने अधिक समयसे जमा होगया है कि यह दर ४ प्रतिशत तक पहुचगयी है तो कोष इस देशको आदेश देगा कि वह इस अवस्थाको ठीक करे। कोईभी देश कोषमें अपने अतिरिक्त द्रव्यको सोनेसे अथवा किसी अन्य विनिमयसाध्य द्रव्यसे पुनः मोल लेसकता है।

यदि कोषके पास किसी सदस्य देशके द्रव्यकी माग बहुत बढ़जाये और कोष सभी प्रार्थी देशोकी माग पूरी करनेमें असमर्थ हो तो इस प्रकारके द्रव्यको अपर्याप्त घोषित करदिया जाता है और प्रार्थी देशोको उनकी आवश्यकतानुसार वाट दिया जाता है। कोष अपर्याप्त द्रव्यवाले देशके द्रव्यको सोना बेचकर अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त करनेकी भी चेष्टा करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोषके प्रबन्धमें सोनेको विशिष्ट स्थान प्राप्त है। सोना इस कोषकी सबसे अधिक द्रव्य सम्पत्ति है जिमसे किसी भी देशका द्रव्य प्राप्त कियाजा सकता है भिन्न भिन्न देशोके द्रव्योकी आपसी विनिमयकी दरको निर्धारित करनेके लिए सोना माध्यमका कामभी करता है। क्योंकि प्रत्येक सदस्य देशके द्रव्यका मूल्य सोने (अथवा संयुक्तराज्य के डालर) के परिमाणमें निर्धारित रहता है। अतएव इस आधारपर भिन्न भिन्न द्रव्योका आपसका विनिमय-मूल्य स्वयंही निर्धारित हो जाता है।

परन्तु सोनेके इस स्थानने यह परिणाम निकालना ठीक न होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय

के लिए उपलब्ध करना।

(३) सन्तुलित प्रकारसे दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी वृद्धि करवाना और सदस्योंकी उत्पत्तिके साधनोंकी उन्नतिके लिए और इसके द्वारा उनके जीवन-स्तरको ऊंचा करनेके लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीको प्रोत्साहितकर उनकी अन्तर्राष्ट्रीय लेनीदेनीके सन्तुलनको बनाये रखना।

(४) स्वयं अपने पाससे अथवा अपनी जमानतपर दियेगये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण का इस प्रकारसे प्रबन्ध करना कि अधिक उपयोगी बड़ी अथवा छोटी आवश्यक योजनाको प्रथम स्थान दियाजाये।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी लगानेसे उत्पन्न प्रभावोंको ध्यानमें रखतेहुए अपना कर्तव्य पालन करना और युद्ध समाप्तिपर युद्धकालीन आर्थिक व्यवस्थाको शान्ति-कालीन व्यवस्थामें परिणत करनेमें सहायता देना।

विश्व बैंककी अधिकृत पूँजी १० अरब डालरहै जो अन्तर्राष्ट्रीय कोषकी भाँति सदस्य देशोंसे हिस्सोंके रूपमें प्राप्त होनी चाहिए। भारतका हिस्सा ४० करोड़ है। प्रत्येक देशको अपने हिस्सेका केवल २० प्रतिशत (१८ प्रतिशत अपने द्रव्यमें और २ प्रतिशत सोनेके रूपमें) बैंकको देना पड़ता है। शेष ८० प्रतिशतको बैंक उधार लिएहुए अथवा गारंटी कियेहुए ऋणके भुगतानके लिएही माग सकता है।

बैंक जिस देशको पूँजी उधार देताहै अथवा जिस देशसे पूँजी प्राप्त करताहै, उसे उस देशकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। बैंक सदस्य देशोंकी सरकारकोही ऋण देता है। वहभी उसकी ऋणकमेटी से स्वीकृत कार्योंके निमित्तही। अन्य संस्थाएँभी बैंकसे ऋण प्राप्त करसकती हैं यदि उनकी सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक, मूलधन व्याज और अन्य व्यय देनेकी गारंटी लें। बैंकको इस बातका भी प्रबन्ध करना पड़ताहै कि जिस कार्यके लिए ऋण दियागया हो, वह उसी कार्यपर उचित ढंगसे लगाया जाये। बैंकका एक मुख्य कार्य यहभी है कि वह प्रार्थना करनेपर सदस्य देशोंमें यथार्थना-ज्ञात करनेवाले कमीशनको भेजे। प्रत्येक ऋणके सम्बन्धमें उसकी अवधि, व्याजकी दर और मूलधन लौटानेका समय बैंक निश्चित करेगा। गारंटी कियेगये ऋणपर १० वर्षतक बैंक १ से १ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष ऋणी देशमें कमीशन लेगा।

विश्व बैंककी स्थापना जून १९४६ में हुई। तबसे इसने अनेक सदस्योंको ऋण

द्रव्य-कोषके आरम्भ में द्रव्य-सम्पन्नी प्रचलन स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके समान है। इस नवीन योजनाके आरम्भ में स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिकी स्थापना करना आवश्यक नहीं है। मन्त्रों की भाव यह है कि विदेशी विनिमयकी दरमें १० प्रतिशत तक अन्तर किया जायाना है और कोषकी अनुमतिमें दैनिक मात्रामें भी। यह सुविधा स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके आरम्भ नहीं पायी जाती। इसका अभिप्राय यह है कि इस नवीन प्रवन्धमें किसी भी देशको अपनी आन्तरिक आवश्यकताओं स्थिर विदेशी विनिमयकी दरके आधीन करनेकी आवश्यकता नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोषके प्रस्ताव कायं मार्च १९८७ में आरम्भ किया। अनेक देशों में आपसे महायता प्राप्त की है। उदाहरणके लिए भारतने कोषमें १९४८-४९ में लगभग १० करोड़ डॉलरका विदेशी विनिमय (जिसमें १२ महीनेकी अवधिके अन्दर यह परिमाण भारतके लिए अधिकतम है) प्राप्त किया। मितम्बर १९४९के अवमूल्यन का निर्णयभी कोषकी अनुमतिने हुआ। कोषके कार्योंकी आलोचना करनेका अभी उद्युक्त समय नहीं हुआ है। युद्धजनित विकृतियोंका समाधान अभी तक नहीं हो सका है। अनेक देशोंमें विदेशी विनिमय नियन्त्रण बना हुआ है। आशका इस बात की है कि इस कोषका कार्य राजनीतिक परिस्थितियोंमें विशेष प्रकारसे प्रभावित न होजाये। इसके अतिरिक्त कोषके कार्योंकी सफलताके लिए यह आवश्यक है कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्यभी उसके उद्देश्योंके अनुकूल हों।

विश्वबैंक

ब्रेटन वुड्स द्रव्य-सम्मेलनमें आर्थिक निर्माण और उत्थानके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंककी स्थापनाकी योजनाभी बनायी गयी। इस बैंकके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(१) सदस्य देशके आर्थिक निर्माण कार्यके लिए, युद्धसे क्षत देशोंके पुनरुत्थान के लिए और पिछड़े हुए देशोंके उत्पत्तिके साधनोंकी उत्पादकता बढ़ानेके लिए पूंजी प्राप्त करवानेमें सहायता करना।

(२) विदेशी पूंजीपतियों को गारंटी देकर अथवा उनके साथ सहयोग देकर पूंजी लगानेकी प्रोत्साहित करना और यदि अन्य पूंजीपतियों से उचित हिसाबसे पूंजी न प्राप्त होसके तो अपनी पूंजीसे अथवा स्वयं पूंजी इकट्ठाकर उत्पादक कार्यों

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता

प्रत्येक देश उन वस्तुओंके उत्पादनमें सलग्न रहता है जिनके उत्पन्न करनेके लिए उसके पास उपयुक्त सामग्री उपलब्ध रहती है। उपयुक्त सामग्रीमें भूमिकी उत्पादन-शक्ति, निवामियोंकी कार्यकुशलता और सग्रहीत पूजीकी मात्रा इत्यादि सम्मिलित हैं। प्रत्येक देश इस सामग्री द्वारा उत्पन्न कीजाने वाली वस्तुओंका, अपनी देशीय आवश्यकताओंके परिमाणतक ही नहीं वरन् उससे अधिक मात्रामें, उत्पादन करना चाहता है और निजी आवश्यकताओं को तृप्त करने के अनन्तर बची हुई मात्रा को दूसरे देशों द्वारा उत्पन्न उन वस्तुओंसे विनिमय करता है जिनके उत्पादनके लिए उसके पास उपयुक्त सामग्री नहीं, या अपर्याप्त मात्रामें है।

वस्तुओंके अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनके लिए पृथक आर्थिक सिद्धान्त निर्माण करनेकी आवश्यकता इसलिए है कि उत्पादनके साधन श्रम, पूजा इत्यादि एक देशसे दूसरे देशमें जानेके लिए उतने गतिशील नहीं होते जितनेकि एक देशके एकभाग से दूसरे भागमें जानेके लिए। इसके कईएक कारण हैं। श्रमजीवी भाषा अथवा रहनसहन की शैलीमें भेद होनेके कारण अधिक वेतन पानेपर भी अपना देश छोड़कर दूसरेमें जानेसे हिचकिचाते हैं। इसीप्रकार पूजीपति अपनी पूजीका परदेशमें लगाना अधिक जोखिमपूर्ण समझते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक सरकारें मनुष्यों अथवा पूजीके आयात-निर्यातपर नियन्त्रण लगा देती हैं।

उद्योग धन्धों के स्थानीकरण से सम्बन्ध

आह्वानों के मतानुसार तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका सिद्धान्त उद्योग धन्धोंके स्थानी-

उपकरण निर्यात है। आरगको भी सम्भोज दो ऋण मिले हैं। पहिला ऋण १२ वर्ष के लिए, ३०० करोड़ डालरका, बैंकके निगमाके लिए दिया गया। तिसपर तीन प्रतिशत व्याज और १ प्रतिशत वर्गीयन लगाया गया। दूसरा ऋण, १ करोड़ डालरका, भूमिगुणाके कार्योंके लिए, अक्टूबर १९२६ में प्राप्त हुआ। एक और तीसरे ऋण की वास्तवीय व्यवस्था है।

इन प्रकारके अन्तर्राष्ट्रीय बैंककी अत्यन्त आवश्यकता थी। दो महायुद्धोंके अन्तर्कालीन समयमें अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीके लगावमें यह अनुभव हुआ कि इसकी आवश्यकता ठीक नहीं रहसकी है। सभी विदेशी पूँजी बड़ी मात्रामें मिनजानी थी और सभी विलुप्तनी नहीं मिलती थी। अतएव एक इन प्रकारकी संस्थाकी आवश्यकता जान पहले मगी थी जो र अन्तः राष्ट्रीय पूँजीके अन्तर्राष्ट्रीय वितरण और लगाव का ठीक प्रबन्ध करके और उनको प्रोत्साहन भी देके। इन कार्यमें विश्वबैंक बहुत उपयुक्त सिद्ध होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि विश्वबैंक अन्य पूँजी-पतियोंके विदेशमें पूँजी लगानेका स्थान स्वयं नहीं लेना चाहता। बहती उनको गारंटी देकर और उनके साथ सम्मिलित होकर अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीके लगावको उत्साहित करना चाहता है। इस प्रकारके कार्यको अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष नहीं करसकता क्योंकि उसको अपना धन द्रव्य रूपमें रखना पड़ता है इन सभी कारणोंसे विश्वबैंक की स्थापनाका सभी देशोंने स्वागत किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष और विश्वबैंकके कार्योंका निकट सम्बन्ध है। किसी भी देशमें द्रव्यकी स्थिरताके लिए आवश्यक है कि उसमें उत्पादक कार्योंकी वृद्धि कीजाये जिससे विदेशी व्यापारकी वृद्धि होकर ऋणी देश बैंककी देनदारी पूरी करसके।

अभी हमने बताया कि विश्वबैंकने गत तीन वर्षोंमें अनेक आर्थिक कार्योंके लिए अनेक सदस्योंको पूँजी उपलब्धकी है। विशेषकर पिछड़ेहुए देशोंको इस प्रकारकी पूँजीकी बहुत आवश्यकता है। परन्तु बैंकसे ऋण प्राप्त करनेकी शर्तें बड़ी कड़ी हैं। व्याजकी दर भी अधिक है और ऋण वापस करनेकी अवधि भी शीघ्र ही आरम्भ हो जाती है। इन बन्धनोंके कारण भारतके सदृश देशोंको बैंकसे पर्याप्त मात्रामें ऋण मिलनेकी आशा नहीं है। बैंकके प्रबन्धक कहते हैं कि वे बैंककी पूँजीको जोखिममें नहीं डालना चाहते। अतएव उनको बड़ी सावधानी और सतर्कतासे छानबीन करनी पड़ती है।

कुशल श्रमकी पर्याप्त मात्रामें हरसमय उपलब्धि, यन्त्र इत्यादि बनानेमें अथवा सुधारनेके लिए महायक धन्धो, तथा आयात-निर्यातके साधनोका अस्तित्व इत्यादि सुविधाएँ ऐसे स्थानोपर उद्योग धन्धोको आकर्षित करनेका कारण बनती है। कच्चे मालको उपभोग्य पदार्थके रूपमें परिवर्तित होनेसे पूर्व कई बीचकी श्रेणियोंमें से गुजरना पडता है और एक श्रेणीसे दूसरी श्रेणीमें परिवर्तित करनेके लिए पृथक पृथक धन्धे होंते हैं। सम्भव है कि इन पृथक पृथक धन्धोका किसी विशेष स्थानपर एकीकरण आर्थिक दृष्टिसे वाछनीय हो। कपास बेलने, कातने तथा कपडा बुननेके कारखाने पृथक पृथक होते हैं। इनके एकीकरणसे कपडेके उत्पादन-व्ययमें कमी होनेकी सम्भावना है। इसीप्रकार कई यन्त्र ऐसे निर्माण कियेजाते हैं कि उनके द्वारा अधिक मात्रामें उत्पत्ति करनेसे उत्पादन व्यय बहुतही कम होजाता है। इस प्रकार के उद्योग धन्धोका स्थानीकरण बड़ेबड़े उपभोग-स्थानोके पास होजाता है और इनके द्वारा उत्पन्न वस्तुओका वितरण देश अथवा ससारभर में होता है।

तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त भिन्न भिन्न देशोंमें वस्तु-निर्माणके उत्पादन व्ययमें अन्तर होनेका ही एक विशेष रूप है। प्राचीन अर्थशास्त्री वस्तुओके मूल्यके श्रम-सिद्धान्तके अनुयायी थे। हम देख चुके हैं कि आधुनिक विद्वानोंके मतानुसार सीमान्त-उत्पादन-व्यय मूल्यका आधार है और इसी सीमान्त उत्पादन-व्ययकी सहायतासे हम यह ज्ञान प्राप्त करनेमें सफल होसकते हैं कि अमुक देश अमुक वस्तुके उत्पादनके लिए उपयुक्त है। मानलीजिए कि दो देशोंमें केवल टोवस्तुओ का ही परस्पर विनिमय होरहा है। भारत पाकिस्तानसे कपास मगाता है और उसके विनिमयमें पाकिस्तानको कपडा देता है। यह विनिमयका कार्य उसी अवस्थामें सम्पन्न होनेकी सम्भावना है जबकि इसके द्वारा दोनों देशोंका स्वार्थ सिद्ध होरहा हो अर्थात् भारतको कपडा देकर कपास लेनेमें और पाकिस्तानको कपास देकर कपडा लेनेमें लाभ प्राप्त होता हो। आकड़ों द्वारा हम यह सिद्ध करनेका प्रयत्न करेंगे कि यह अवस्था नदैव उपलब्ध नहीं, यह केवल उसीसमय उपलब्ध होती है जबकि एक देशमें केवल एक (भारतमें कपडा) और दूसरे देशमें केवल दूसरी

कारण मिश्रितानता के पत्र सब विद्योपस्थित हैं, क्योंकि देशमें माना है कि एकही दशके भिन्न भिन्न प्रांतोंमें भिन्न भिन्न उद्योग यंत्रों का स्थानीकरण होजाता है। इसका कारण, भाड़े पर भाग पत्र ही देशका स्थान ही प्रयोग हमसे देशका भाग, उत्पादन के साधनोंकी भिन्नताही है। अन्वयमें सूची कपड़ा वस्त्रोंके कारखाने इसलिए मिलते हैं कि उम प्रांतमें कपास पैदा करनेके लिए क्षेत्रजन भूमि पायीजाती है और वहा का जलवायु मानस और मनुष्यके कार्योंके लिए अधिक उपयोगी है। इसीप्रकार कश्मीरमें शालग्रामने इसलिए बने जातेहैं कि यद्यपि वहा उनके लिए कच्चा माल पत्र स्थानोंमें भवना पटना है परन्तु वस्त्रोंके कार्योंमें कुशल श्रम पर्याप्त मात्रामें मिलजाता है। यदि किसी प्रांतमें कोई उत्पादन का साधन अधिक मात्रामें मिलता है तो स्वाभाविकता ही है कि उम प्रांतमें उमका मूल्य कम होगा और जिस वस्तुके उत्पादनमें उम साधनका अधिक मात्रामें प्रयोग कियाजा सकताहै उसका उत्पादन-व्यय उस प्रांतमें न्यूनतम होगा।

इसमें नन्देह नती कि पृथ्वीपर साधनोंकी प्राकृतिक विभिन्नताही उद्योग धन्वोंके स्थानीकरणका मुख्य कारण है, परन्तु इम स्थानपर अन्य कारणोंका भी जो स्थानीकरणमें सहायता देतेहैं; उल्लेख करदेना आवश्यक होगा। उत्पादन का उद्देश्य श्रान्ततोगत्वा उपभोगके लिए सामग्री उत्पन्न करना है। इसकारण यदि उत्पत्तिको उपभोगके स्थानतक पहुंचानेके लिए उत्पादकको इतना व्यय करनापडे कि उपभोग के स्थानपर उस वस्तुको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्वोंका स्थापित करना अधिक लाभकारीहो तो उत्पादक ऐसाही करेगा। ईंट बनानेके कारखाने प्रायः उपभोग स्थानोंके पासही बनाये जातेहैं क्योंकि ईंटोंका भाडा उनके उत्पादन-व्ययसे कही अधिक होता है। बहुतसे कच्चे माल ऐसे होतेहैं कि जिनका समस्त अथवा अधिकांश भाग वस्तुमें विद्यमान रहता है। जैसे ऊतका, ऊनी कपडोंमें। ऐसी वस्तुओंका प्रायः उपभोग-स्थान के पासही निर्माण करना श्रेयस्कर रहता है। बहुतसे माल ऐसेहैं जिनका बहुत थोडा अंश उत्पत्तिमें विद्यमान रहता है। कोयलेका तो तनिक अंशभी उत्पत्तिमें विद्यमान नहीं रहता। ऐसे मालोंको प्रयोगमें लानेवाले उद्योग धन्धे प्रायः उन स्थानोंपर स्थापित होजाते हैं जहा यह माल मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी एक स्थानपर उद्योग धन्वोंके एकीकरणसे ही प्रायः बहुतसी ऐसी सुविधाएँ प्राप्त होजाती हैं जो उस स्थानको उद्योग धन्वोंके स्थानीकरणका केन्द्र बनादेती हैं।

है कि भारतमें उसे ३ के स्थानपर ४ कपड़ेके थान मिल सकेंगे। इसी प्रकार भारत यदि कपड़ेके ३ थान उत्पन्न करके पाकिस्तान भेजदे तो भाड़ा, बीमा आदिके व्यय की गणना न करनेपर उसे $1\frac{1}{2}$ गाठके स्थानपर २ गाठ कपास मिलेगी। इससे सिद्धहूआ कि यद्यपि भारतमें कपास और कपड़े दोनोका सीमान्त उत्पादन व्यय पाकिस्तान की अपेक्षा कमहै परन्तु उसका तुलनात्मक क्षेम कपड़ेके उत्पादनमें ही अपने साधनोको प्रयुक्त करनेमें है। ऐसी स्थितिभी असम्भव नहीं है कि एक देश में दोनो वस्तुओके सीमान्त उत्पादन व्यय दूसरे देशसे कमहो परन्तु फिरभी किसी एक देशको भी उनमेंसे एकही वस्तुको उत्पन्न करके दूसरेसे दूसरी वस्तु विनिमयद्वारा प्राप्त करनेमें तनिकभी लाभ न हो। मानलीजिए भारतमें कपड़ेके थानका सीमान्त उत्पादन-व्यय ५० रु० और कपासकी गाठका सीमान्त उत्पादन-व्यय १०० रु० है और पाकिस्तानमें क्रमशः ७५ रु० और १५० रु० है। भारत यदि दोनो वस्तुए-अपने देशमें उत्पन्नकरे तो उनका पारस्परिक विनिमय २.१ के अनुपातमें होगा और यही अनुपात पाकिस्तानमें भी होगा। इसकारण न तो भारतको कपडा उत्पन्न करके उसके विनिमयसे पाकिस्तानसे कपास लेनेमें कोई लाभहै और इसीतरह न पाकिस्तानको कपास उत्पन्न करके भारतसे कपडा लेनेमें। इससे सिद्धहूआ कि यदि एक देश किसी दूसरी वस्तुको और दूसरा किसी अन्य वस्तुको निरपेक्ष रूपमें कम उत्पादन-व्ययसे उत्पन्न करसकता है तो उन दोनो वस्तुओके अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन होनेकी सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जब एक देश दोनो वस्तुओको दूसरे देशकी अपेक्षा कम व्ययमें उत्पन्न करसकता है तो भी उन देशोंमें अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन होनेकी सम्भावना है यदि एक वस्तुके उत्पादनसे सापेक्ष रूपमें दूसरी वस्तुके उत्पादनमें अधिक लाभ प्राप्तहो सकता है। परन्तु यदि उत्पादन-व्यय ऐसे हो कि दोनो वस्तुओको एकही देशमें उत्पन्न करनेपर भी उनका पारस्परिक विनिमय उसी अनुपातमें हो पाताहो जिस अनुपातमें कि एकवस्तु स्वयं उत्पन्न करके दूसरीवस्तु दूसरे देशमें विनिमय द्वारा प्राप्त करनेसे तो ऐसी अवस्थामें उन वस्तुओके अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयकी तनिक भी सम्भावना नहीं है।

इस सम्बन्धमें इतना कहना आवश्यकहै कि तुलनात्मक उत्पादन व्ययके सिद्धान्त का यह अर्थ नहीं कि जो वस्तु विनिमय द्वारा दूसरे देशसे प्राप्त कीजाती है उसके उम देशमें उत्पादन का नितान्त अभाव हो। ऐसाभी होसकता है कि दूसरा देश

(पाकिस्तानमें कपास) वस्तुका जो सीमान्त उत्पादन-व्यय कमहो) मानलीजिए भारतमें कपासकी एक गांठका सीमान्त उत्पादन-व्यय २०० रु० और कपड़ेके एक थानका उत्पादन-व्यय १०० रु० है। इनके विपरीत पाकिस्तानमें कपासकी एक गांठका उत्पादन-व्यय १०० रु० और कपड़ेके थानका सीमान्त उत्पादन-व्यय २०० रु० है। स्पष्ट है कि इस स्थितिमें दोनों देशोंका क्रम हममें है कि पाकिस्तान केवल कपास में उत्पादनमें उत्पादनके साधनोंका प्रयोग करके अधिकसे अधिक मात्रामें कपास उत्पन्न करे और भारत केवल कपड़ेके उत्पादनमें उत्पादनके साधनोंको लगाकर अधिकसे अधिक कपास पैदा करे। फिर दोनों परस्पर विनिमय करलें। अन्यथा भारत को स्वयं कपास पैदा करनेमें अधिक उत्पादन व्यय उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान को स्वयं कपड़ा बुननेमें। मगारमें ब्रह्माती वस्तुप्रोत्साहन-नीति लेंनेके लिये होता है कि देनेवाले देशमें उस वस्तुका सीमान्त उत्पादन व्यय लेनेवाले देशसे निरपेक्ष रूपमें कम होना है। परन्तु अन्तर्-राष्ट्रीय लेनदेनका होना उन अवस्थामें भी सम्भव होसकता है जबकि एक देशमें दोनों वस्तुप्रोत्साहन-नीति उत्पादन व्यय दूसरे देशसे कम है। परन्तु उस देशको उनमेंसे केवल एनही वस्तुके उत्पादनमें अपने उत्पादनके साधनोंका प्रयोग करनेमें नापेक्ष रूपमें अधिक लाभ होनेकी सम्भावना होतीहै। कारण यहहै कि प्रत्येक देशमें उत्पादनके साधनोंकी मात्रा सीमित है। इसलिए उनके प्रयोग द्वारा अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी इच्छा से उस देशके उत्पादक उसी वस्तुके उत्पादनमें अपने साधनोंको प्रयुक्त करेंगे जिनमें कि उन्हें सापेक्ष रूपमें अधिक लाभ मिलनेकी आशा है। मानलीजिए भारतमें एक गांठ कपासका सीमान्त उत्पादन व्यय १०० रु० और कपड़ेके एक थानका सीमान्त उत्पादन व्यय ५० रु० है। यदि भारत दोनोंही वस्तुओंको अपनेही देशमें उत्पन्न करले तो कपड़ेके थान और कपासकी गांठका परस्पर विनिमय मूल्य २ : १ होगा अर्थात् २ थानोंके बदलेमें एकगांठ कपास मिलसकेगी। अब मानलीजिए पाकिस्तानमें कपासकी एक गांठका सीमान्त उत्पादन व्यय १५० रु० और कपड़ेके एक थानका सीमान्त उत्पादन व्यय १०० रु० है। यदि पाकिस्तान दोनों वस्तुओंको अपने देशमें ही उत्पन्न करले तो उस देशमें कपड़ेके थान और कपासकी गांठका विनिमय ३ : २ के अनुपातमें होगा। अब यदि पाकिस्तान कपासकी २ गांठें उत्पन्न करके भारत भेजदे तो भाडा, बीमा इत्यादि व्ययकी गणना न होनेपर हम कहसकते

वस्तुएँ उत्पन्न करनेपर केवल कपड़ेके ३ थानोसे विनिमय होना सम्भव था। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयसे पाकिस्तानको अधिकसे अधिक कपड़ेके एक थान की अतिरिक्त प्राप्ति होनेकी सम्भावना है क्योंकि यदि कपासकी २ गाठोके विनिमय से भारतको कपड़ेके ४ से अधिक थान देने पड़ेंगे तो वह पाकिस्तानसे कपास लेनेके स्थानमें स्वयं उत्पन्न करना आरम्भ कर देगा। इसी प्रकार यदि पाकिस्तानको २ गाठोके बदलेमें कपड़ेके ३ थानसे कम मिलेंगे तो वह कपड़ा स्वयं उत्पन्न करना आरम्भ कर देगा। इस एकथान में से भारत और पाकिस्तानको लाभके रूपमें प्राप्त अर्ध भारतकी कपासके लिए और पाकिस्तानकी कपड़ेके लिए मागकी लोचकी सहायतासे किया जासकता है। यदि भारतकी कपासके लिए माग अधिक लोचदार है तो इस लाभका मुख्य अर्ध भारतको प्राप्त होगा। क्योंकि यदि पाकिस्तान अपनी दो कपासकी गाठोका विनिमय-मूल्य कपड़ेके तीन थानोसे थोडाभी अधिक करेगा तो भारत द्वारा कपासके लिए कुल मागमें भारी कमी आजाने से पाकिस्तानको इस विनिमय द्वारा प्राप्त होनेवाले कुल लाभमें भी भारी कमी होनेकी सम्भावना है। भारत द्वारा कपासके लिए माग कम लोचदार होनेसे लाभका मुख्य अर्ध पाकिस्तान को प्राप्त होगा और थोडा अर्ध भारत को। पाकिस्तानकी कपड़ेकी मांग अधिक अथवा कम लोचमयी होनेसे यह अनुमान लगाया जासकता है कि कौनसा देश लाभ का मुख्य अर्ध प्राप्त करेगा और कौनसा अल्पांश। इसप्रकार वस्तुओंके उत्पादन-व्यय और उनकी मागकी लोचके आधारपर दो देशोंमें उनके पारस्परिक विनिमयके भाव निश्चित होतेरहते हैं। समय समयपर इन भावोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। यदि परिवर्तन मागमें परिवर्तन होनेके कारण हो तो वह देश जिसकी वस्तुओंकी माग बढ़जाती है अथवा जिनकी वस्तुओंकी मागकी लोच कम होजाती है, अधिकतर लाभ प्राप्त करता है। उत्पादन-व्ययमें परिवर्तन होनेसे लाभ-हानिका निर्णय करना इतना सुगम नहीं। क्योंकि होसकता है कि उत्पादन-व्यय बढ़नेसे यदि उस वस्तुकी माग अधिक लोचदार नहीं है तो पहिलेसे अधिक मूल्यभी प्राप्त होसके। इसीप्रकार उत्पादन-व्यय कम होनेपर प्राप्त मूल्यके कम होनेकी भी सम्भावना है। केवल इतना होसकता है कि मूल्य कम होनेसे उस वस्तुकी माग बढ़जाये और कुल प्राप्त लाभ पहिलेसे अधिक हो। इन भावोंमें परिवर्तन उन देशके लिए अग्रिम महत्वपूर्ण है जो अपनी उत्पत्तिका अधिकतर दूसरे देशोंको भेजदेता है।

उस वस्तुकी उनही मागमें उत्पादन न करवाना ही, जिसमें उसकी अपनी दूसरे देशकी मरिचकित्त मांग पूरी होसके।

मुनाशासन उत्पादन व्ययका सिद्धान्त उस स्थितिमें भी लागू होनाहै जहाँ देश वस्तुकी सम्पुर्णके विनिमयमें किसी अन्य देशसे वस्तुकी सम्पुर्ण प्राप्त करे। इस स्थितिमें कहाजा सकताहै कि प्रत्येक देशमें निर्यात कीजानेवाली वस्तुके उत्पादनमें उस देशमें सायास होनेवाली वस्तुकी अपेक्षा उस देशकी मरिचकित्त मांगमें अधिक लाभ होरहा है।

दुसरेमें यह कहदेना अनुचित न होगा कि तुलनात्मक उत्पादन व्यय सिद्धांत उत्पादन व्ययको प्रत्येक रूपमें परिचित करके सिद्ध करना तर्ककी दृष्टिसे द्विपक्षीय उत्पादन व्यय उत्पादनके माधनोंको दियेगये मौद्रिक मूल्यका ही रूपान्तर और इन माधनोंका मौद्रिक मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी अनुपस्थितिमें वही होता जो उस व्यापारकी उपस्थितिमें है। वास्तवमें अकेले उत्पादन व्ययका मौद्रिक रूपमें उनका कारण होसकता है। उत्पादन व्ययका वास्तविक अर्थ उत्पादन माधनोंकी उस मात्रासे है जो वस्तु विशेषके उत्पादनके लिए आवश्यक है। साधनोंको उस वस्तु विशेषके उत्पादनमें लगानेसे किसी अन्य वस्तुके उत्पादन ही नगनाया जासकता है। उस अन्य वस्तुको उत्पन्न न करनेमें उस देशको जो लाभ है वह वस्तु विशेषका व्ययहै जिसे अक्सर व्यय अथवा वैकल्पिक व्ययभी जाताहै और यही व्यय तुलनात्मक उत्पादन व्यय सिद्धान्तका आधार है।

मांग की लोच और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

हम यह देखही चुकेहै कि वस्तुओका अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन उसी अवस्थामें सम्भव जबकि लेनेवाले और देनेवाले दोनो देशोका हित अपनी कुछ वस्तुएं देकर दूसरे देशके कुछ वस्तुएं लेनेमें हो। हम देखचुके है कि भारतमें कपास की गाठ और कपास थानका सीमान्त उत्पादन-व्यय क्रमशः १०००० और ५०००० है और पाकिस्तान में यही व्यय १५०० और १०००० है, तो कपास पैदा करके भारतसे कपास ले पाकिस्तान को कपासकी २ गांठें देकर कपासके ४ थान मिलजाते है और स्वयं दे

इसके अतिरिक्त यह तो स्पष्ट है ही कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके उन्मुक्त होनेसे किसीभी देशमें किसी अन्य देशसे आनेवाली वस्तुओंके मूल्य उस स्थितिकी तुलना में तो कमही होंगे जबकि उनके आयातपर कर लगादिये जायें। मूल्योका कम होना उपभोक्ताओंके लिए हितकारी है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी उन्मुक्तताके कारण ऐसे एकाधिकारियोंका जो उपभोक्ताओंके हितका ध्यान न रखतेहुए केवल अधिकतम लाभ प्राप्त करनेकी धुनमें उन्मुक्त रहतेहैं, स्थापित होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होजाता है।

संरक्षण

आय-कर और संरक्षण

जब वस्तुओंके आयात-निर्यातपर करो द्वारा प्रतिबन्ध लगादिये जातेहैं तो उसे व्यापारके संरक्षणका नाम दियाजाता है। आयात-निर्यात कर दो प्रकारके होते हैं। एकतो राजस्व-कर और दूसरे संरक्षण-कर। राजस्व-कर लगानेसे किसीभी देशका उद्देश्य अपना राजकीय कार्य चलानेके लिए अधिक आय प्राप्त करना होताहै और संरक्षण-करो द्वारा स्वदेशी उद्योग धन्धोंको विदेशी प्रतिस्पर्धासे सुरक्षित करके प्रोत्साहित करना। ये दोनों उद्देश्य परस्पर विरोधीहैं क्योंकि अधिकतम संरक्षण प्रदान करनेवाले कर वे करहैं जिनके किसी वस्तुके आयातपर लगा देनेसे उस वस्तु का आयात देशमें नितान्त बन्द होजाता है और इसकारण सरकारको तनिकभी आय प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत अधिकतम आय उन करोसे प्राप्त होगी जिनके किसी वस्तुपर लगानेसे किसी वस्तुके आयातमें तनिकभी नहीं या बहुत थोड़ी कमी आती है।

संरक्षण के लाभ और हानियां

बहुतसे आधुनिक अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार संरक्षण-करोका लगायाजाना कई आर्थिक प्रथवा अनार्थिक कारणोंसे वाछनीय है। कहाजाता है कि किसी देशका किसी वस्तुको पूर्णतः लिए किसी अन्य देशपर पूर्णरूपसे निर्भर करना उचित नहीं क्योंकि

उन्मुक्त और संरक्षित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

उन्मुक्तता के लाभ

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके मुक्ततात्मक उत्सारन-व्यय निदानान्ता अर्थ बहुश्या कि पूर्ण प्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें प्रत्येक देश उन वस्तुओंके उत्पादनमें संलग्न होगा जिसको उत्पन्न करनेकी उसे अन्य देशोंकी अपेक्षा भाषेक्ष रूपमें अधिक सुविधा प्राप्त होगी और अन्य वस्तुओंको जो उसे भाड़ा इत्यादिके व्ययकी गणनाके अनन्तर स्वय उत्पन्न करनेकी अपेक्षा अन्य देशोंमें कम मूल्यपर भिन्ननकनी है, उन देशोंसे मगवायेगा। उमप्रकार ससारके प्रत्येक देशमें मिलनेवाले उत्पादनके साधन ऐसी वस्तुओंके उत्पादनमें लगाये जायेंगे जिनकी वे अधिकतम उत्पत्ति करनेके योग्य होंगे। फल-स्वरूप सब प्रकारकी वस्तुओंकी संसारमें अधिकतम उत्पत्ति होगी और प्रत्येक देश के निवासियोंकी वस्तुओंके रूपमें आय उच्चतम होगी। यह कार्य सुचारु रूपसे तभी चल सकताहै जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उन्मुक्त हो।

इसके अतिरिक्त विविध प्रकारके कच्चे माल लोहा, काँयला, कपास, पटसन इत्यादिका ससारके विशेष भागोंमें ही मिलना अथवा उत्पन्न होना सम्भव है। ससारके अन्य भाग जिनको प्रकृतिने ऐसी वस्तुओंके उत्पन्न करनेकी शक्ति प्रदान नहीं की, इन वस्तुओंको अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय द्वाराही प्राप्त करसकते हैं। अन्यथा उन्हें इस प्रकारकी वस्तुओंसे वंचित रहना पड़ेगा। आधुनिक जीवन तथा रहन सहनके लिए इस प्रकारकी वस्तुओंकी अत्यन्त आवश्यकताको ध्यानमें रखते हुएभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका उन्मुक्त होना कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। श्रमविभाजन के लाभोका उल्लेख होचुका है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमविभाजन द्वारा समस्त ससारमें वस्तुओंकी उत्पत्तिकी मात्रा बढ़नेसे प्राप्त होनेवाले लाभ तभी उपलब्ध होसकते हैं जबकि वस्तुओंका अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन कृत्रिम प्रतिबन्धो द्वारा न रोकाजाये।

इसके अतिरिक्त यह तो स्पष्ट है ही कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके उन्मुक्त होनेसे किसीभी देशमें किसी अन्य देशसे आनेवाली वस्तुओंके मूल्य उस स्थितिकी तुलना में तो कमही होंगे जबकि उनके आयातपर कर लगादिये जायें। मूल्योंका कम होना उपभोक्ताओंके लिए हितकारी है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी उन्मुक्तताके कारण ऐसे एकाधिकारियोंका जो उपभोक्ताओंके हितका ध्यान न रखतेहुए केवल अधिकतम लाभ प्राप्त करनेकी धुनमें उन्मुक्त रहतेहैं, स्थापित होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होजाता है।

संरक्षण

आय-कर और संरक्षण

जब वस्तुओंके आयात-निर्यातपर करों द्वारा प्रतिवन्ध लगादिये जातेहैं तो उसे व्यापारके संरक्षणका नाम दियाजाता है। आयात-निर्यात कर दो प्रकारके होते हैं। एकतो राजस्व-कर और दूसरे संरक्षण-कर। राजस्व-कर लगानेसे किसीभी देशका उद्देश्य अपना राजकीय कार्य चलानेके लिए अधिक आय प्राप्त करना होताहै और संरक्षण-करों द्वारा स्वदेशी उद्योग वस्तुओंकी विदेशी प्रतिस्पर्धाले सुरक्षित करके प्रोत्साहित करना। ये दोनों उद्देश्य परस्पर विरोधीहैं क्योंकि अधिकतम संरक्षण प्रदान करनेवाले कर वे करहैं जिनके किसी वस्तुके आयातपर लगा देनेसे उस वस्तु का आयात देशमें नितान्त बन्द होजाता है और इसकारण सरकारको तनिकनी आय प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत अधिकतम आय उन करोंसे प्राप्त होगी जिनके किसी वस्तुपर लगानेसे किसी वस्तुके आयातमें तनिकनी नहीं या बहुत थोड़ी कमी आती है।

संरक्षण के लाभ और हानियाँ

बहुतसे आधुनिक अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार संरक्षण-करोंका लगायाजाना नहीं धार्मिक अपवा अनाधिक कारणोंसे वांछनीय है। कहाजाता है कि किसी देशका किसी परधुनी पूतिके लिए किसी अन्य देशपर पूर्णरूपसे निर्भर करना उचित नहीं क्योंकि

मुद्रके समान ऐसी वस्तुकी पूर्ति करने कीजाने के कारण उन देशकी हानि पहुँचनेकी सम्भावना है। इसीप्रकार किसी विदेश स्वयंसाय श्रमवा जन-समूहाय को सुरक्षित रखनेके लिए संरक्षण-करना लगाना आवश्यक समझा जाता है। विशेषकर कृषकों की रक्षा इन करोंका करनेके लिए अत्यास नीतिगत राफना मत प्रष्ट करने है।

संरक्षण-करोंका प्रायः मुख्यत उद्योग धन्धोंमें उत्पादनकी मात्रा बढ़नेकी सम्भावना होती है। परन्तु यदि उद्योगिकी मात्रा बढ़नेमें वस्तुओंका आयात कम हो जाता है तो अन्य वस्तुओंका निर्यातभी कम होगा और यदि किसी विशेष उद्योग धन्धों में उर्जा होनेके कारण उत्पादनके साधनोंकी प्रतिक प्रावण्यरुता होजाती है तो ये साधन अन्य उद्योग धन्धोंके लिए उपलब्ध नहीं रहने और उन उद्योग धन्धोंमें श्रवन्ति से होने लगी हानि सुरक्षित धन्धोंमें होनेवाले लाभमें अधिक होगती है।

सरक्षण-करोंकी सहायतासे उत्पन्न वस्तुओंकी राफतके लिए विदेशीके स्थानपर स्वदेशी बाजारकी रक्षाया श्रमवा प्रसारकी सम्भावना है। परन्तु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, स्वदेशी बाजारके प्रसारके साथ विदेशी बाजारका सकुचित होतेजाना भी अनिवार्यसा है।

सुरक्षित उद्योग धन्धोंमें उन्नति होनेसे उनमें काम करनेवालोंके पास अधिक क्रय-शक्ति आनेके कारण उनके द्वारा उपभोग कीजानेवाली वस्तुओंके उत्पन्न करने वाले उद्योग धन्धोंमें भी उन्नति आने लगती है परन्तु निर्यात कीजानेवाली वस्तुओं को उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धोंमें श्रवन्ति होनेसे उनमें काम करनेवालोंकी क्रय-शक्तिका ह्रास होनेके कारण उनके द्वारा उपभोग कीजानेवाली वस्तुओंको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धोंमें भी श्रवन्तिका प्रादुर्भाव सुनिश्चित है। सरक्षण-करोंकी सहायतासे किसी देशसे निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रा उस देशमें आयात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रासे अधिककी जासकती है। आयात कीजानेवाली वस्तुओंको कमकरना इसलिए अभीष्ट है कि विदेशी ऋणोंके परिमाणमें अधिकाधिक वृद्धि न होती चलीजाये। परन्तु वस्तुओंके आयातमें ही केवल कमी करनेसे इस वृद्धिको रोकना सम्भव नहीं है। सरक्षण-करोंके कारण लोगोंको विदेशोंमें ऋण लेनेमें कोई बाधा नहीं आती। जबतक परोक्ष रूपमें आयात होनेवाली वस्तुओंकी मात्रा बढ़ती रहती है तो प्रत्यक्ष रूपमें आयात होनेवाली वस्तुओंकी मात्रामें कमी करनेसे परिणाम केवल प्रत्यक्ष रूपमें निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रामें

कमी करना होगा। सरक्षण-करोका लगाना इसलिएभी उचित समझा जाता है, क्योंकि अन्य देशोंने इस प्रकारके कर लगा रखे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कोईभी देश सरक्षण-कर लगाकर न केवल अपनीही अपितु अन्य देशोंकी भी हानि करता है। परन्तु इसकार प्रतिकार यह नहीं है कि अन्य देशभी उमी प्रकारका कर लगाकर अपनी तथा उस देशकी श्रीरभी अधिक हानि करनेका अपराध करें।

कई लोगोंका ऐसा विश्वास है कि सरक्षण-करो द्वारा देशीय श्रमजीवियोंको मिलनेवाले वेतनोंको अन्य देशोंमें इस वर्गको मिलनेवाले वेतनसे अधिक रखा जा सकता है। परन्तु दो देशोंमें श्रमजीवियोंको मिलनेवाले वेतनोंमें अन्तरको दूसरे देशके श्रमजीवियोंको अपने देशमें आनेसे प्रतिबन्ध द्वारा रोककरभी सदैव स्थित रखा जासकता है। सरक्षण-करोको विभिन्न देशोंमें विभिन्न वस्तुओंके उत्पादन-व्यय सम करनेके लिए प्रयुक्त करनाभी उचित समझा जाता है परन्तु यदि सारे सन्तारमें उत्पादन-व्यय एकसे होजायेंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जो इनमें अन्तरके आधारपर ही होपाता है, जडसे मिटजायेगा। इसके अतिरिक्त अधिकतम उत्पादन व्ययवाले उद्योग धन्धोंको अधिकतम सरक्षणकी आवश्यकता होगी। अर्थात् उत्पादन के साधनोंका कुशलतम प्रयोग करनेकी चेष्टा करना निरर्थकसा होजायेगा।

सरक्षण-करोके प्रभाव दो प्रकारके होते हैं। एक ओर तो उपभोक्ताओंको मूल्य में वृद्धि होनेके कारण हानि सहन करनीपड़ती है और दूसरी ओर उत्पत्तिमें वृद्धि होनेसे उनकी वास्तविक आयमें वृद्धि होती है। यदि उत्पत्तिकी मात्रामें महत्तम वृद्धि के साथसाथ मूल्योंमें लघुतम वृद्धि हो तो सरक्षण-कर देशके लिए हितकारीही होगा और यदि मूल्योंमें महत्तम वृद्धिके साथ उत्पत्तिमें लघुतम वृद्धि हो तो सरक्षण-कर उस देशके लिए हानिकारक होगा। जहातक मूल्योंमें वृद्धि होनेके कारण उपभोक्ताओंकी हानिका सम्बन्ध है, इसमें तो तनिकभी सन्देह नहीं कि उन्हें हानि होती है और इस हानिको निश्चित रूपसे आकाभी जासकता है परन्तु सुरक्षित उद्योग धन्धोंमें उत्पत्तिकी मात्राकी वृद्धिको वृद्धि मानलेना उचित नहीं। इस वृद्धि में ये अन्य उद्योग धन्धोंकी उत्पत्तिमें सरक्षण-करोके कारण जो कमी हुई है, उसका निवृत्तनाभी आवश्यक है। ऐसा करनेपर प्रतीत होगा कि सरक्षण-करोके कारण नाभरी अपेक्षा हानि अधिक होनेकी सम्भावना है।

सरक्षण-करोका लगायाजाना किसी विशेष उद्योग धन्धोंमें वर्तमान बेकारीशी,

युद्धके समय ऐसी वस्तुकी पूर्ति बन्द होजाने के कारण उस देशको हानि पहुंचनेकी सम्भावना है। इसीप्रकार किसी विशेष व्यवसाय अथवा जन-समुदायको सुरक्षित रखनेके लिए सरक्षण-करोंका लगाना आवश्यक समझा जाता है। विशेषकर कृषकों की रक्षा इन करोंद्वारा करनेके लिए बहुतसे नीतिज्ञ अपना मत प्रकट करते हैं।

सरक्षण-करों द्वारा सुरक्षित उद्योग धन्धोंमें उत्पत्तिकी मात्रा बढ़नेकी सम्भावना होजाती है। परन्तु यदि उत्पत्तिकी मात्रा बढ़नेसे वस्तुओंका आयात कम हो जाता है तो अन्य वस्तुओंका निर्यात भी कम होगा और यदि किन्हीं विशेष उद्योग धन्धों में उन्नति होनेके कारण उत्पादनके माधनोंकी अधिक आवश्यकता होजाती है तो ये साधन अन्य उद्योग धन्धोंके लिए उपलब्ध नहीं रहते और उन उद्योग धन्धोंमें अवनति से होनेवाली हानि सुरक्षित धन्धोंमें होनेवाले लाभसे अधिक होसकती है।

सरक्षण-करोंकी सहायतासे उत्पन्न वस्तुओंकी खपतके लिए विदेशीके स्थानपर स्वदेशी बाजारकी स्थापना अथवा प्रसारकी सम्भावना है। परन्तु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, स्वदेशी बाजारके प्रसारके साथ विदेशी बाजारका सकुचित होतेजाना भी अनिवार्यसा है।

सुरक्षित उद्योग धन्धोंमें उन्नति होनेसे उनमें काम करनेवालोंके पास अधिक कय-शक्ति आनेके कारण उनके द्वारा उपभोग कीजानेवाली वस्तुओंके उत्पन्न करने वाले उद्योग धन्धोंमें भी उन्नति आने लगती है परन्तु निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धोंमें अवनति होनेसे उनमें काम करनेवालोंकी कय-शक्ति का ह्रास होनेके कारण उनके द्वारा उपभोग कीजानेवाली वस्तुओंको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धोंमें भी अवनतिकी प्रादुर्भाव सुनिश्चित है। सरक्षण-करोंकी सहायतासे किसी देशसे निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रा उस देशमें आयात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रासे अधिककी जासकती है। आयात कीजानेवाली वस्तुओंको कमकरना इसलिए अभीष्ट है कि विदेशी ऋणोंके परिमाणमें अधिकाधिक वृद्धि न होती चलीजाये। परन्तु वस्तुओंके आयातमें ही केवल कमी करनेसे इस वृद्धिको रोकना सम्भव नहीं है। सरक्षण-करोंके कारण लोगोंको विदेशोंमें ऋण लेनेमें कोई बाधा नहीं आती। जबतक परोक्ष रूपमें आयात होनेवाली वस्तुओंकी मात्रा बढ़ती रहती है तो प्रत्यक्ष रूपमें आयात होनेवाली वस्तुओंकी मात्रामें कमी करनेसे परिणाम केवल प्रत्यक्ष रूपमें निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंकी मात्रामें

वर्तित करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यदि उद्योग धन्धोंकी कुछ संस्थाएँ संरक्षण करके आश्रय लिए बिनाही जीवित रहनेकी क्षमता प्राप्त कर लेती हैं तो बहुतसी ऐसी संस्थाएँ भी संरक्षणके कारण स्थापित हो जाती हैं जिनके संरक्षणके हटानेकी नष्ट हो जानेकी सम्भावना है। इसकारण उनके व्यवस्थापक संरक्षणके हटानेका सदैव विरोध करते हैं। संरक्षण-करोके विरुद्ध इन युक्तियोंमें भलेही सत्य हो और सत्यहै भी परन्तु पिछड़ेहुए देशोंकी औद्योगिक उन्नतिभी तबतक सम्भव नहीं जबतक उनमें स्थापित उद्योग धन्धोंकी गंभव अवस्थामें भलीप्रकार रक्षा न की जाये। इसकारण औद्योगिक दृष्टिसे उन्नत देशोंमें उन्मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का होना भलेही आवश्यकहो परन्तु कम उन्नत देशोंको उस समयतक संरक्षण-करो की शरण लेनीही पड़ेगी जबतक वेभी औद्योगिक दृष्टिसे उन्नतही उन्नत नहीं हो जाते जितनेकि उनके प्रतिस्पर्धी अन्य देश।

संरक्षण और डम्पिंग

संरक्षणके विरुद्ध अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंके अनुसार इतनी कड़ी प्रालोचना की जाने परभी आधुनिक मसारमें कोई बिरलाही देश ऐसा होगा जिसने संरक्षणकी नीतिको न अपनायाहो। इस नीतिके अपनानेमें एक आर्थिक घटनाका प्रादुर्भाव हुआहै जिसने संरक्षणकी नीतिको औरभी परिपुष्ट होनेमें सहायता दीहै। इस घटनाको अग्रेजीमें डम्पिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा कई प्रकारसे की जाती है। जबकि किसी मुरदिन उद्योग धन्धेमें उत्पत्तिकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसकी मरत देशमें नहीं होपानी तो शेष मात्राको बेचनेके लिए उत्पादक लोग उस वस्तुको विदेशी बाजारों में उस मूल्यपर बेचना स्वीकार कर लेते हैं जो भाड़ा उत्पादिकी गणना करनेके बादभी देशमें उसी वस्तुके प्रचलित मूल्यसे कम होता है। डम्पिंगकी दूसरी परिभाषा इसप्रकार की जाती है कि विदेशी बाजारोंमें उन वस्तुको उनके उत्पादन-व्यय से भी कम मूल्यपर बेचा जाता है और इस मूल्यपर बेचनेमें होनेवाली हानिको स्वदेशी बाजारों में अधिक मूल्यपर बेचनेमें होनेवाले लाभ द्वारा पूरा किया जाता है। डम्पिंग, संरक्षण-नीतिकी पुष्टि दो प्रकारसे करता है। एक जिन देशोंमें वस्तुओंका इसप्रकार निर्यात किया जाता है उस देशके उत्पादन अपने उद्योग धन्धोंकी इन प्र-

समस्याको सुलभानेके लिए अत्यन्त लाभकारी बतया जाता है। व्यापारकी उन्मुक्तता के पक्षपातीभी यह माननेके लिए तैयार हैं कि किसी विशेष उद्योग धन्धेका सरक्षण-करो द्वारा पुनरुत्थान किया जासकता है क्योंकि सरक्षणकी सहायतासे उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होना अनिवार्य है। परन्तु यदि सरक्षण-करो द्वारा किसी विशेष उद्योग धन्धेकी बेकारी तो दूर होजाये और अन्य उद्योग धन्धोंमें बेकारी बढजाये तो कर लगाना विफलसा रहेगा क्योंकि उनके लगानेसे हमारा उद्देश्य कुल बेकारी को दूर करनाथा न कि उस विशेष उद्योग धन्धेकी बेकारीही को। ऐसाभी असम्भव नहीं कि निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धों में काम करनेवाले लोगोंकी सरया उन लोगोंमें अधिकहो जिनको सुरक्षित उद्योग धन्धोंमें नया काम मिला है। ऐसी स्थितिमें तो सरक्षण-कर स्पष्टतया हानिकारक है।

अन्तमें आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टिसे पिछड़ेहुए देशोंमें उद्योग धन्धोंको स्थापित करनेके लिए सरक्षण-करोका प्रयोग आवश्यक माना जाता है विशेषकर ऐसे उद्योग धन्धोंका उनके शैशवकालमें तो सरक्षण होना ही चाहिए, कारणकि ससारके बहुतेसे देशोंकी औद्योगिक उन्नति केवल इस बातपर निर्भर है कि उन्होंने उद्योग-धन्धे स्थापित करनेका कार्य सर्वप्रथम आरम्भ कर लिया था और इसकारण उत्पादन-कार्यमें अन्य देशोंसे अधिक कुशलता प्राप्त करली है। ऐसाभी होसकता है कि अन्य देशोंके पास उन्ही वस्तुओंके उत्पन्न करनेके लिए अधिक साधनहो परन्तु उन साधनोंका यथेष्ट प्रयोग इसलिए न होपाता हो क्योंकि उन साधनोंके प्रयोगके लिए स्थापित उद्योग धन्धों द्वारा उत्पन्न कीहुई वस्तुओंपर आरम्भमें पुराने चि्रकालसे स्थापित उद्योग धन्धों द्वारा उत्पन्न कीहुई विदेशी वस्तुओंसे अधिक उत्पादन व्यय पड़ता है। इसकारण उन्मुक्त व्यापारके होनेसे ऐसे उद्योग धन्धोंको स्थापित करना असम्भव होजाता है। ऐसे उद्योग धन्धोंको विदेशी प्रतिस्पर्धासे कुछ कालके लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य समझा जाता है। इस दशामें भी सरक्षण केवल ऐसे उद्योग-धन्धोंको ही देना चाहिए जो प्रौढ अवस्था प्राप्त करनेपर अपने पैरोपर खड़े होनेकी क्षमता प्राप्त करलेंगे। ऐसा कहाजाता है कि एकबार सरक्षण प्रदान करनेपर ये शिशु उद्योग धन्धे कभीभी प्रौढ नहीं होपाते। इनका शैशवकाल बढताही चलाजाता है और एकबार लगाए सरक्षण-करोका राजनीतिक तथा अन्य कारणोंसे हटाना कठिन होजाता है। अस्थायी रूपमें नियुक्त कियेगये सरक्षण-करोका स्थायी रूपमें परि-

वर्तित करना अनिवार्यसा होजाता है, क्योंकि यदि उद्योग धन्धोकी कुछ संस्थाएं सरक्षण करोका आश्रय लिए बिनाही जीवित रहनेकी क्षमता प्राप्त करलेती है तो वहुतसी ऐसी सस्थाएभी सरक्षणके कारण स्थापित होजाती है जिनके सरक्षणके हटातेही नष्ट होजानेकी सम्भावना है। इसकारण उनके व्यवस्थापक सरक्षणके हटानेका सदैव विरोध करते है। सरक्षण-करोके विरुद्ध इन युक्तियोमे भलेही सत्य हो और सत्यहै भी परन्तु पिछडेहुए देशोकी औद्योगिक उन्नतिभी तबतक सम्भव नही जबतक उनमें स्थापित उद्योग धन्धोकी शैशव अवस्थामें भलीप्रकार रक्षा न कीजाये। इसकारण औद्योगिक दृष्टिसे उन्नत देशोमें उन्मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का होना भलेही आवश्यकहो परन्तु कम उन्नत देशोको उस समयतक सरक्षण-करो की शरण लेनीही पडेगी जबतक वेभी औद्योगिक दृष्टिसे उतनेही उन्नत नही हो जाते जितनेकि उनके प्रतिस्पर्धी अन्य देश।

सरक्षण और डम्पिंग

सरक्षणके विरुद्ध अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोके अनुसार इतनी कडी प्रालोचना कीजाने परभी आधुनिक ससारमें कोई विरलाही देश ऐसा होगा जिसने सरक्षणकी नीतिको न अपनायाहो। इस नीतिके अपनानेसे एक आर्थिक घटनाका प्रादुर्भाव हुआहै जिसने संरक्षणकी नीतिको औरभी परिपुष्ट होनेमें सहायता दीहै। इस घटनाको अग्रेजीमें डम्पिंग कहते है। इसकी परिभाषा कई प्रकारसे कीजाती है। जबकि किसी सुरक्षित उद्योग धन्धेमें उत्पत्तिकी मात्रा इतनी अधिक होजाती है कि उसको खपत देशमें नही होपाती तो शेष मात्राको बेचनेके लिए उत्पादक लोग उस वस्तुको विदेशी बाजारों में कम मूल्यपर बेचना स्वीकार करलेते है जो भाड़ा इत्यादिकी गणना करलेनेके बादभी देशमें उसी वस्तुके प्रचलित मूल्यसे कम होता है। डम्पिंगकी दूसरी परिभाषा इसप्रकार कीगयी है कि विदेशी बाजारोंमें उस वस्तुको उसके उत्पादन-व्यय से भी कम मूल्यपर बेचाजाता है और इन मूल्यपर बेचनेसे होनेवाली हानिको स्वदेशी बाजारमें अधिक मूल्यपर बेचनेसे होनेवाले लाभ द्वारा पूरा कियाजाता है। डम्पिंग, संरक्षण-नीतिको पुष्टि दो प्रकारसे करता है। एक जिस देशमें वस्तुओका इसप्रकार निर्यात किया जाताहै उन देशके उत्पादक अपने उद्योग धन्धोकी इस अनु-

रामस्याको सुलभानेके लिए अत्यन्त लाभकारी ब्रताया जाताहै। व्यापारकी उन्मुक्तता के पक्षपातीभी यह माननेके लिए तैयारहै कि किमी विद्येप उद्योग धन्धेका सरक्षण-करो द्वारा पुनरुत्थान किया जागकता है क्योंकि सरक्षणकी सहायतासे उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होना अनिवार्य है। परन्तु यदि सरक्षण-करो द्वारा किसी विद्येप उद्योग धन्धेकी बेकारी तो दूर होजाये और अन्य उद्योग धन्धोमें बेकारी बढजाये तो कर लगाना विफलना रहेगा क्योंकि उनके लगानेसे हमारा उद्देश्य कुल बेकारी को दूर करनाथा न कि उस विद्येप उद्योग धन्धेकी बेकारीही को। ऐसाभी असम्भव नहीं कि निर्यात कीजानेवाली वस्तुओंको उत्पन्न करनेवाले उद्योग धन्धों में काम करनेवाले लोगोकी सरया उन लोगोमें अधिकहो जिनको सुरक्षित उद्योग धन्धोमें नया काम मिला है। ऐसी स्थितिमें तो सरक्षण-कर स्पष्टतया हानिकारक है।

अन्तमें आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टिसे पिछड़ेहुए देशोमें उद्योग धन्धोको स्थापित करनेके लिए सरक्षण-करोका प्रयोग आवश्यक मानाजाताहै विद्येपकर ऐसे उद्योग धन्धोका उनके शैशवकालमें तो सरक्षण होनाही चाहिए, कारणकि ससारके बहुतसे देशोकी औद्योगिक उन्नति केवल इस बातपर निर्भरहै कि उन्होने उद्योग-धन्धे स्थापित करनेका कार्य सर्वप्रथम आरम्भ करलिया था और इसकारण उत्पादन-कार्यमें अन्य देशोसे अधिक कुशलता प्राप्त करली है। ऐसाभी होसकता है कि अन्य देशोके पास उन्ही वस्तुओंके उत्पन्न करनेके लिए अधिक साधनहो परन्तु उन साधनोका यथेष्ट प्रयोग इसलिये न होपाता हो क्योंकि उन साधनोके प्रयोगके लिए स्थापित उद्योग धन्धो द्वारा उत्पन्न कीहुई वस्तुओपर आरम्भमें पुराने चिरकालसे स्थापित उद्योग धन्धो द्वारा उत्पन्न कीहुई विदेशी वस्तुओसे अधिक उत्पादन व्यय पड़ता है। इसकारण उन्मुक्त व्यापारके होनेसे ऐसे उद्योग धन्धोको स्थापित करना असम्भव होजाता है। ऐसे उद्योग धन्धोको विदेशी प्रतिस्पर्धसे कुछ कालके लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य समझा जाताहै। इस दशामें भी सरक्षण केवल ऐसे उद्योग-धन्धोको ही देना चाहिए जो प्रौढ अवस्था प्राप्त करनेपर अपने पैरोपर खडे होनेकी क्षमता प्राप्त करलेगे। ऐसा कहाजाताहै कि एकवार सरक्षण प्रदान करनेपर ये शिशु उद्योग धन्धे कभीभी प्रौढ नहीं होपाते। इनका शैशवकाल बढताही चलाजाता है और एकवार लगाए सरक्षण-करोका राजनीतिक तथा अन्य कारणोसे हटाना कठिन होजाता है। अस्थायी रूपमें नियुक्त कियेगये सरक्षण-करोका स्थायी रूपमें परि-

देशकी हानि होना निश्चित है। सम्भव है कि किसी विशेष स्थितिका सुलभाव संरक्षण-करो द्वारा होसकता हो परन्तु कौन जानता है कि इनके दुरुपयोगके कारण लाभके स्थानपर हानि हो।

व्यापारिक समनुबन्ध

अर्थशास्त्रकी परिभाषामें व्यापारिक समनुबन्धसे हमारा अभिप्राय उन समनुबन्धोंसे है जो आयात-निर्यात-करोसे सम्बन्ध रखते हो। इस प्रकारके समनुबन्धोंमें केवल दो अथवा दो से अधिक देश अपने आपको समनुबद्ध करसकते हैं। इस प्रकारके समनुबन्धोंमें एक धारा प्रायः ऐसी पायीजाती है जिसके द्वारा यह निश्चित करदिया जाता है कि दोनों देश परस्पर एक दूसरेसे कैसा व्यवहार करेंगे। विशेषकर तीन प्रकार की धाराएँ इस व्यवहारको सुनिश्चित करनेके लिए काममें लायीजाती हैं। समता की धाराके अनुसार यह निश्चित करदिया जाता है कि प्रत्येक देश दूसरे देशके निवासियों और वस्तुओंसे उसी प्रकारका व्यवहार करेंगे जो वे अपने देशके निवासियों और वस्तुओंसे करते हैं। 'जैसी लेनी वैसी देनी' की धाराके अनुसार यह निश्चित करदिया जाता है कि प्रत्येक देश दूसरे देशके निवासियों और वस्तुओंसे उसी प्रकार का व्यवहार करेगा जैसाकि दूसरा देश पहिले देशके निवासियों और वस्तुओंसे करता है। श्रेष्ठतम व्यवहार किये जानेवाले राष्ट्रकी धाराके अनुसार समनुबद्ध देश परस्पर उससे बुरा व्यवहार नहीं करसकते जो वे किसी अन्य देशसे कर रहे हैं।

साम्राजिक वरीयता से हमारा अभिप्राय उन व्यापारिक समनुबन्धोंमें है जो ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशोंको परस्पर समनुबद्ध करते थे। इन समनुबन्धों द्वारा साम्राज्यके भीतरही उत्पन्न कीगयी वस्तुओंके आयातपर साम्राज्यके बाहरमें आनेवाली वस्तुओंसे कम कर लगाया जाता था। ओटावा में कीगयी १९३२ की भारी साम्राज्य-सभामें इस प्रकारके साम्राज्यीय पक्षपात दिखानेकी प्रथाको भलीप्रकार पुष्ट किया गया था। इसी सभामें भाग लेकर भारतने साम्राज्यीय पक्षपातके सिद्धान्त को स्वीकार किया था।

निश्चित प्रतिस्पर्धासे रक्षा प्राप्त करनेके लिए सरक्षण-करोका लगायाजाना आवश्यक समझते हैं। दूसरे निर्यात करनेवाला देशभी इस भयसे कि विदेशी बाजारमें सस्ते मूल्यपर बिकीहुई वस्तु दुबारा स्वदेशमें न लौटआये, उस वस्तुके आयातपर सरक्षण-कार लगादेते हैं।

इस सम्बन्धमें इतना कहदेना आवश्यक न होगा कि डम्पिंगकी नीतिका अनुसरण उससमय तक नहीं किया जासकता जबतक स्वदेशमें उस वस्तुके उत्पादकोको उसके उत्पादनका एकाधिकार प्राप्त न हो क्योंकि पूर्णप्रतिस्पर्धाकी स्थितिमें सब मूल्य माग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होंगे और इसकारण उत्पादक स्वदेशमें वस्तुका मनमाना मूल्य लेनेमें असमर्थ रहेंगे। एकाधिकार केवल उसीसमय प्राप्त नहीं होता जबकि उस वस्तुको उत्पन्न करनेवाला एकही उत्पादक हो। ऐसाभी होसकता है कि बहुतसे उत्पादक मिलकर उस वस्तुको निश्चित मूल्यसे कम मूल्यपर न बेचने का समन्वय करलें अथवा उस वस्तुकी निश्चित मात्रासे अधिक उत्पत्ति करनेपर प्रतिबन्ध लगालें।

निर्यात और आर्थिक सहायता

कभी कभी कई देशोंकी सरकारें अपने देशकी औद्योगिक उन्नतिके हित वस्तुओंके निर्यातपर आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इसके कारण उत्पत्ति तथा निर्यात की मात्रामें वृद्धि होती है। अधिक निर्यातके कारण विदेशी बाजारमें वस्तुका मूल्य कम होजाता है और देशी बाजारमें बढ़जाता है। इस प्रकारकी आर्थिक सहायता और सरक्षण-करो द्वारा दीगयी सहायतामें कोई विशेष अन्तर नहीं। उन के सब गुण और दोष इस प्रकारकी सहायतामें भी विद्यमान हैं।

अन्तमें हमें यहाँभी उल्लेख करदेना चाहिए कि डम्पिंग अथवा निर्यातके लिए दीगयी आर्थिक सहायताके प्रतिकारके रूपमें सरक्षण-करोका लगाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं क्योंकि साधारणतया इन करोद्वारा आयात होनेवाली वस्तुओंका रोकना सम्भव नहीं जबतक कि करोके परिमाण ही अत्यन्त अधिक न करदिये जायें। परन्तु प्रत्येक स्थितिमें सरक्षण-करो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजनको धक्का लगानेकी सम्भावनाहै जिसके कारण वस्तुओंकी उत्पत्तिकी मात्रामें कमी होनेसे प्रत्येक

प्रयोगसे और मिश्रित पूजावादी कम्पनियोंके स्थापनसे उत्पत्ति और व्यापार प्रोत्साहित हुए। सबसे बड़ी बात यह हुई कि पूजाके सचय और उसके लगावमें बहुत वृद्धि हुई। विना पूजाकी वृद्धिके आर्थिक प्रगति असम्भव है। भैषज्य और शल्य चिकित्सा और स्वास्थ्य-विद्याकी वृद्धिसे रोग और मृत्यु सख्यामें कमी हुई और आयुमान में वृद्धि हुई।

आर्थिक प्रगति ससारके सभी देशोंमें समान रूपसे नहीं हुई। अनेक देश अभी तक बहुत पिछड़े हुए हैं। वहा जीवन-स्तर बहुत नीचा है। मुख्य धन्धा खेती है जो कि पुराने ढंगपर ही कीजाती है। बचत और पूजाका लगाव बहुतही कम परिमाणमें है। औद्योगिक कला विज्ञान पिछड़ा हुआ है। जापानको छोड़कर एशियाके सभी देशोंकी स्थिति इसीप्रकार की है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिकामें भी इसप्रकार के अनेक देश हैं। परन्तु शनैः शनैः इन सभी देशोंका कम या अधिक मात्रामें उद्योगीकरण हो रहा है और प्रगतिशील देशोंके आविष्कारोंसे लाभ उठानेकी प्रवृत्ति हो रही है। इसके प्रतिकूल कुछ देशोंमें जहा पिछले सी डेढ़सौ वर्षोंमें बड़े वेगके साथ और बड़ी मात्रामें उद्योगीकरण का विकास और विस्तार हुआ, कुछ गिथिलताके आभास का अनुमान किया जाता है। कुछ लोगोंका विचार है कि इन देशोंमें आर्थिक विकास चरमावस्थामें पहुँच चुका है। जन सख्याकी वृद्धि रुकगयी है। रेल, जहाज, विजली के सामानके आविष्कारोंकी सम्भावना कम है। पिछड़ेहुए देशोंमें उद्योगीकरण के कारण मशीनसे बनीहुई वस्तुओंके निर्यात-व्यापारमें भी कमी आनेकी सम्भावना है। इन सभी कारणोंसे कुछ अर्थशास्त्री इस परिणामपर पहुँचे हैं कि मयुक्त राज्य जैसे देशोंमें अब आर्थिक प्रगतिमें मन्दी आनेकी आशका है। इस प्रकरणमें हम इन विवादपूर्ण विषयका विवेचन नहीं कर रहे कि क्या वास्तवमें कुछ देशोंमें इसप्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी है कि वहा वचनके परिमाणको पूर्णरूपसे पूजाके रूपमें लगानेकी सम्भावना नहीं रहगयी है। हमारा अभिप्राय केवल उननाही बतलाना है कि कुछ पाश्चात्य देशोंमें आर्थिक प्रगति बड़े वेगसे हुई है।

आर्थिक चक्र

परन्तु इस प्रकारकी आर्थिक प्रगति अविरत तथा अविरोध रूपसे नहीं हुई है। समग्र

आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्ष

आर्थिक प्रगति

पहिले अध्यायमें हमने बतायाथा कि हमारे सभी प्रकारके आर्थिक कार्योंका चरम लक्ष्य समाजके आर्थिक क्षेममें वृद्धि करना है। प्रत्येक मनुष्य, कुटुम्ब अथवा समाज इस बातके लिए प्रयत्नशील रहताहै कि वह अपने साधनोकी वृद्धिकरे और उन साधनोका इस प्रकारसे उपयोग करे कि उसको न्यूनतम लागत-व्ययसे अधिकतम वस्तुए प्राप्तहो सकें। आर्थिक क्षेममें वृद्धि प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक साधनोकी पूर्ण-नियुक्ति बनी रहे और इस पूर्ण-नियुक्तिके फलस्वरूप जिन वस्तुओ और सेवाओकी उत्पत्ति होतीहै, उनका समुचित वितरण हो।

आर्थिक दृष्टिकोणसे हम उस देशको प्रगतिशील कहतेहैं जिसमें जन-सख्याके साथ साथ उत्पत्तिके परिमाणमें वृद्धि होतीहो; उत्पत्तिकी क्रिया इसप्रकार की हो कि किसी दियेगये परिमाणकी वस्तुओको बनानेमें उत्पादन-व्ययकी मात्रा कम होती रहे अथवा दियेगये साधनोसे उत्पत्तिके परिमाणमें वृद्धि होती रहे; वस्तुओ और सेवाओका स्वरूप उत्कृष्ट होता रहे; जीवन-स्तरमें वृद्धि होतीरहे और लोगोको भौतिक सुख और क्षेम प्राप्त करनेके लिए स्वास्थ्य और अवकाश मिलता रहे। गत १५० वर्षोंके आर्थिक इतिहाससे पता चलताहै कि इस कालावधिमें अनेक पाश्चात्य देशोंमें आर्थिक प्रगति बहुत वेगपूर्वक हुई है। इस प्रगतिका सूत्रपात अठारहवीं शताब्दीके दूसरे भागमें इंग्लैंडकी औद्योगिक क्रान्तिसे हुआ। प्रगतिका मुख्य कारण शिल्प कला विज्ञानकी उन्नति है। इस कालमें बहुतसे नये नये आविष्कार हुए। मशीन, वाष्प-शक्ति और विद्युत्-शक्तिके प्रयोगसे उत्पादन-क्रियामें बहुत वृद्धि हुई। श्रम-विभाग और विशिष्टीकरणको प्रोत्साहन मिला। सडकें, नहरें, मोटर, रेल, जहाज इत्यादि यातायातके साधनोमें भी वृद्धि हुई। साख और चेकके

समयपर इसमें व्याघात हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ क्राजतक आर्थिक विकासमें वृद्धि होती जाती है। पूजाके लगावमें वृद्धि होती है, आयमें, उत्पत्ति और नियोगकी मात्रामें भी वृद्धि होती रहती है। परन्तु सहसा इस क्रममें कुछ विघ्न उपस्थित होजाते हैं। आर्थिक अवयवोंमें कुछ ऐसी विकृतिया उत्पन्न होजाती हैं कि उत्पादक वर्गोंको पूजाके लगावकी मात्रा कम करनी पड़ जाती है जिसके फलस्वरूप उत्पत्तिके साधनोंमें वैकारी फैलने लगती है; आय और उत्पत्तिके परिमाणमें कमी आने लगती है और आर्थिक कार्य-स्तरमें शिथिलता आजाती है। कुछ कालके बाद शनैः शनैः पुनः परिस्थिति बदलती है। पूजाके लगावके कार्यको फिरसे प्रोत्साहन मिलता है और उत्पत्तिके साधनोंकी माग और उनकी आयमें वृद्धि होने लगती है। इसप्रकार से आर्थिक उत्कर्ष होने लगता है। परन्तु दुर्भाग्यवश इस उत्कर्षके अन्तर्गत कुछ इसप्रकार की विपमताएँ उत्पन्न होजाती हैं कि उत्कर्षका अन्त होजाता है और फिर अपकर्षका समावेश होजाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक प्रगतिमें उत्कर्षके बाद अपकर्ष और अपकर्षके बाद उत्कर्ष और पुनः अपकर्ष लहरोंके सदृश आते जाते रहते हैं। इस लहरके समान ऊपर नीचे उठने और गिरनेकी आर्थिक गति को हम आर्थिक चक्र कहेंगे। गत २०० वर्षोंकी आर्थिक प्रगतिमें इसप्रकार के आर्थिक चक्र विशेषकर अधिक औद्योगिक देशोंमें स्पष्ट रूपसे अनुभव हुए हैं। हमारे कहने का प्रयोजन यह नहीं है कि २०० वर्ष पूर्वकी आर्थिक पद्धतिमें किसी प्रकारके सकट नहीं आये अथवा कम औद्योगिक देशोंमें आर्थिक-सकट कम मात्रामें आते हैं। प्राचीन कालके आर्थिक सकट आधुनिक आर्थिक सकटोंसे भिन्न प्रकारके थे और उनके कारण सुबोध होते थे। भूकम्प, बाढ़, दुर्भिक्ष, युद्ध इत्यादि कारणोंसे ही प्राचीन कालके आर्थिक सकट सम्बन्धित हैं। ये कारण स्पष्ट प्रतीत होजाते हैं। हमारे शास्त्रोंने छै प्रकारके सकटोंका वर्णन किया है।


अति वृष्टिर्नवृष्टः मूषकाः शलभाः शुकाः ।

प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेतारीतयः स्मृताः ॥

अर्थात् बहुत वर्षा जिसके कारण बाढ़ आजाती है; वर्षाका विलकुल न होना अर्थात् सूखा पड़ना जिससे दुर्भिक्ष होजाता है; टिड्डीदल, तोते जो कि फसल पेड़ पौधोंको हानि पहुँचाते हैं और राजाओंका निकट होना जिससे युद्धकी आशका रहती है ये छै सकट बताये गये हैं।

परन्तु आधुनिक कालके आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके कारण बाहरसे नहीं परन्तु आर्थिक प्रगतिके अन्तर्गतही उत्पन्न होते रहते हैं। आर्थिक अवयवोंके सम्बन्धोंमें स्वयमेव कुछ इसप्रकार की विषमता का प्रादुर्भाव होजाता है जिससे कि आर्थिक अस्थिरता कभी उत्कर्ष और कभी अपकर्ष बनी रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीवादी आर्थिक पद्धति, जिसका चलन लाभकी आशापर केन्द्रित रहता है, के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होजाती हैं कि आर्थिक सकट अनिवार्यसा होजाता है। १९२९-१९३३ का विश्वव्यापी सकट इतना उग्र हुआ कि अर्थशास्त्रियोंका ध्यान विशेष रूपसे इसके विश्लेषणकी ओर आकृष्ट हुआ। गत १५-२० वर्षोंमें इस विषयपर बहुत खोजपूर्ण कार्य हुआ है।

वैसेतो आर्थिक प्रगतिमें छोटी बड़ी अनेक प्रकारकी लहरें पायीगयी हैं परन्तु जिन लहरोंको अधिक महत्व प्राप्त है उनकी अवधि ७ वर्षसे ११ वर्षतक है अर्थात् इस अवधिके भीतर एक आर्थिक चक्र पूरा होजाता है। आर्थिक चक्रका एक प्रति-रूप नीचे दिया जाता है :



क स्थानसे ग स्थान तक पहुँचनेपर एक आर्थिक चक्र पूरा होता है।

आर्थिक चक्रको चार भागोंमें विभक्त कियाजाता है :

- (१) उत्थान
- (२) उत्कर्ष
- (३) अपकर्ष
- (४) गत

आर्थिक चक्र गतसे निकलकर उत्थानके पथपर आरूढ होता है। उत्थानमें प्रगति उत्पन्न होनेलगी है और आर्थिक क्रियाओंमें उत्कर्ष व्याप्त होजाता है।

समयपर इसमें व्याघात हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ काजतक आर्थिक विकासमें वृद्धि होतीजाती है। पूजीके लगावमें वृद्धि होती है, आयमें, उत्पत्ति और नियोगकी मात्रामें भी वृद्धि होती रहती है। परन्तु सहसा इस क्रममें कुछ विघ्न उपस्थित होजाते हैं। आर्थिक अवयवोंमें कुछ ऐसी विकृतिया उत्पन्न होजाती हैं कि उत्पादक वर्गोंको पूजीके लगावकी मात्रा कम करनी पड जाती है जिसके फलस्वरूप उत्पत्तिके साधनोंमें बेकारी फैलने लगती है; आय और उत्पत्तिके परिमाणमें कमी आने लगती है और आर्थिक कार्य-स्तरमें गिथिलता आजाती है। कुछ कालके बाद शनः शनः पुनः परिस्थिति बदलती है। पूजीके लगावके कार्यको फिरसे प्रोत्साहन मिलता है और उत्पत्तिके साधनोंकी मांग और उनकी आयमें वृद्धि होने लगती है। इसप्रकार से आर्थिक उत्कर्ष होने लगता है। परन्तु दुर्भाग्यवश इस उत्कर्षके अन्तर्गत कुछ इसप्रकार की विपमताए उत्पन्न होजाती हैं कि उत्कर्षका अन्त होजाता है और फिर अपकर्षका समावेग होजाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक प्रगतिमें उत्कर्षके बाद अपकर्ष और अपकर्षके बाद उत्कर्ष और पुनः अपकर्ष लहरोके सदृश आते जाते रहने हैं। इस लहरके समान ऊपर नीचे उठने और गिरनेकी आर्थिक गति को हम आर्थिक चक्र कहेंगे। गत २०० वर्षोंकी आर्थिक प्रगतिमें इसप्रकार के आर्थिक चक्र विशेषकर अधिक औद्योगिक देशोंमें स्पष्ट रूपसे अनुभव हुए हैं। हमारे कहने का प्रयोजन यह नही है कि २०० वर्ष पूर्वकी आर्थिक पद्धतिमें किसी प्रकारके संकट नही आये अथवा कम औद्योगिक देशोंमें आर्थिक संकट कम मात्रामें आते हैं। प्राचीन कालके आर्थिक संकट आधुनिक आर्थिक संकटोंसे भिन्न प्रकारके थे और उनके कारण सुबोध होतेथे। भूकम्प, बाढ, दुर्भिक्ष, युद्ध इत्यादि कारणोंसे ही प्राचीन कालके आर्थिक संकट सम्बन्धित हैं। ये कारण स्पष्ट प्रतीत होजाते हैं। हमारे शास्त्रोंने छै प्रकारके संकटोंका वर्णन किया है।


अति वृष्टिर्नावृष्टः मूषकाः शलभाः शुकाः।

प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेतारीतयः स्मृताः॥

अर्थात् बहुत वर्षा जिसके कारण बाढ आजाती है; वर्षाका बिलकुल न होना अर्थात् सूखा पडना जिससे दुर्भिक्ष होजाता है; टिड्डीदल, तोते जो कि फसल पेड पौधोंको हानि पहुंचाते हैं और राजाओंका निकट होना जिससे युद्धकी आशंका रहती है ये छै संकट बताये गये हैं।

परन्तु आधुनिक कालके आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके कारण बाहरसे नहीं परन्तु आर्थिक प्रगतिके अन्तर्गतही उत्पन्न होते रहते हैं। आर्थिक अवयवोंके सम्बन्धोंमें स्वयमेव कुछ इसप्रकार की विषमता का प्रादुर्भाव होजाता है जिससे कि आर्थिक अस्थिरता कभी उत्कर्ष और कभी अपकर्ष बनी रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूजावादी आर्थिक पद्धति, जिसका चलन लाभकी आशापर केन्द्रित रहता है, के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न होजाती है कि आर्थिक सकट अनिवार्यसा होजाता है। १९२९-१९३३ का विश्वव्यापी सकट इतना उग्र हुआ कि अर्थशास्त्रियोंका ध्यान विशेष रूपसे इसके विश्लेषणकी ओर आकृष्ट हुआ। गत १५-२० वर्षोंमें इस विषयपर बहुत खोजपूर्ण कार्य हुआ है।

वैसेतो आर्थिक प्रगतिमें छोटी बड़ी अनेक प्रकारकी लहरें पायीगयी हैं परन्तु जिन लहरोंको अधिक महत्त्व प्राप्त है उनकी अवधि ७ वर्षसे ११ वर्षतक है अर्थात् इस अवधिके भीतर एक आर्थिक चक्र पूरा होजाता है। आर्थिक चक्रका एक प्रति-रूप नीचे दिया जाता है :



क स्थानसे ग स्थान तक पहुँचनेपर एक आर्थिक चक्र पूरा होता है।

आर्थिक चक्रको चार भागोंमें विभक्त कियाजाता है :

- (१) उत्थान
- (२) उत्कर्ष
- (३) अपकर्ष
- (४) गत

आर्थिक चक्र गतने निकलकर उत्थानके पथपर आरूढ होता है। उत्थानमें प्रगति उत्पन्न होनेलगती है और आर्थिक क्रियाओंमें उत्कर्ष व्याप्त होजाता है।

कुछ समयके बाद उत्कर्षका अन्त होजाता है और अपकर्ष आरम्भ होजाता है जोकि बढ़ते बढ़ते आर्थिक व्यवस्थाको गर्तमें पटक देता है। फिर धीरे धीरे आर्थिक चक्र गर्तसे निकलकर उत्थानकी ओर अग्रसर होता है और फिर पूर्ववत् वही क्रम चलता रहता है। अतएव इस विषयके विवेचनमें इसी समस्याका समाधान करना पडता है कि क्या कारण है कि आर्थिक क्रियाएँ क्रमशः इन चारों परिस्थितियों में चक्कर लगाती हुई अग्रसर होती है।

आर्थिक अवस्थामें इसप्रकार का परिवर्तन अनेक अवयवोंमें दृष्टिगोचर होता है। इस विषयसे सम्बन्धित, उत्पत्ति, आय और नियोग, मुख्य तीन अवयव हैं जिनके आकड़ोंसे भी चक्रवत् परिवर्तन का बोध होता है उत्कर्ष कालमें आर्थिक साधनोंको अधिक काम मिलता है अतएव नियोगके परिमाणमें वृद्धि होती है। उत्पत्तिके परिमाण में भी वृद्धि होती है और आयभी बढ़ती है। ये तीनों अवयव एक दूसरेसे सलग्न हैं। कुछ अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार नियोगके आकड़ोंसे आर्थिक अवस्थाका निरूपण ठीक प्रकारसे होसकता है। अपकर्षकी अवस्थामें आर्थिक साधनोंमें बेकारी प्रारम्भ होनेलगी है और गर्तकी अवस्थामें बेकारी चरम सीमापर पहुँचजाती है।

बेकारी

इस प्रकरणमें हम बेकारीके विषयमें पाठकोका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करना चाहते हैं विशेषकर श्रमजीवियोंकी उस बेकारीकी ओर जिसका परिमाण १९२९-१९३३ के आर्थिक सकटके कालमें संयुक्त राज्य, इंग्लैंड इत्यादि औद्योगिक देशोंमें बहुत बढ़गया था। वैसेतो बेकारी अनेक कारणोंसे उत्पन्न होजाती है। यहापर हम यहभी लिखदेना चाहतेहैं कि बच्चे, बूढ़े, अपाहिज और जो उद्यम करनाही न चाहते हो इसप्रकार के लोगोंके सम्बन्धमें बेकारीका प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। वे लोग बेकार समझे जातेहैं जो उद्यम करनेको उद्यतहैं परन्तु उनको कामही न मिलरहा हो।

कुछ इस प्रकारके उद्योग धन्धे होतेहैं जिनको 'मौसमी' कहा जासकता है। उदाहरणके लिए भारतवर्षमें चीनीके कारखानोंमें काम करनेवाले श्रमजीवियोंको साधारणतः नवम्बरसे मईके महीनेतक काम रहता है। उसके बाद वे बेकार हो

जाते हैं। परन्तु इस प्रकारकी बेकारीका पूर्व ज्ञान रहता है अतएव इसका प्रबन्ध किया जासकता है। फैशन और रुचिमें परिवर्तन होनेसे भी कुछ व्यवसायोंमें अवनति होजाती है और बेकारी आजाती है। परन्तु आशाकी जातीहै कि नये उद्योग-धन्धोंमें काम बढ जानेसे कुल बेकारीमें वृद्धि नही होगी। इसीप्रकार श्रम-निवारक मशीनोंके प्रयोगसे और उद्योग धन्धोंके वैज्ञानीकरणसे भी बेकारी होजाती है। इस सम्बन्धमें भी यह आशा कीजातीहै कि यह बेकारी दीर्घकालिक नही होगी। पहिले जिन उद्योग धन्धोंमें मशीनोंका प्रयोग हुआहो अथवा वैज्ञानीकरण हुआ हो उनमें उत्पादक-व्ययमें कमी होनेके कारण मूल्यमें भी कमी आनेकी प्रवृत्ति होगी और इसके फलस्वरूप मागमें वृद्धि होनेसे उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होगी जिससे अधिक श्रमजीवियोंकी भी नियुक्ति होगी। यदि इन वस्तुओंकी मागमें पर्याप्त वृद्धि न भी हो तबभी मूल्यमें कमीके कारण उपभोक्ताओंको जो बचत होगी उसको वे वस्तुओंमें व्यय करेंगे जिससे उन उद्योग धन्धोंमें वृद्धि होगी और श्रमजीवियों कोभी काम मिलेगा। इसप्रकार बेकारी की मात्रामें कमी होजायगी। इन कारणों के अतिरिक्त श्रमजीवियोंके हड़ताल करने और मिल-मालिकोंके द्वारतालसे भी अल्पकालिक बेकारी उत्पन्न होजाती है।

पूर्वोक्त कारणोंसे जो बेकारी उत्पन्न होजाती है उसकी तुलनामें आर्थिक अपकर्ष और गर्तसे जनित बेकारी कही अधिक भीषण समझी जातीहै इसका कारण यहहै कि इसप्रकार की बेकारीका परिमाण बहुत अधिक रहता है। सद्युक्त राज्यमें १९२९-१९३३ के अपकर्ष कालमें लगभग २५ प्रतिशत श्रमजीवी बेकार होगये थे। यह बेकारी पूजीवादसे संलग्न आर्थिक-चक्रका परिणामस्वरूप है। अतएव इसको दूर करनेकी समस्याभी बहुत कठिन है। जिन उपायोंसे आर्थिक अपकर्षकी गरिमा को घटाया जासकेगा और आर्थिक क्रियाओंके स्तरको सन्तुलित रूपसे उठाया जायगा उन्ही उपायोंसे इसप्रकार की बेकारी भी कमकी जासकेगी।

हमने बताया कि आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके सम्बन्धमें उत्पत्ति, आय और नियोगके आकड़ोंका प्रयोग कियाजाता है। इन प्रधान आर्थिक अवयवोंके अतिरिक्त औरभी अवयवहै जो उत्कर्ष और अपकर्षके साथ प्रभावित होते रहतेहै और इनके आकड़ेभी इस विषयपर प्रकाश डालते है। इनमें मुख्य द्रव्यका विनोपनर मान्य-द्रव्यका परिमाण, मूल्य-स्तर, व्याजकी दर और लाभकी दर है।

आर्थिक चक्र के सिद्धान्त

आर्थिक चक्र एक गहन और गूढ विषय है। इसके अन्तर्गत सभी आर्थिक अवयवों के परिमाण और सम्बन्धोंमें परिवर्तन होता रहना है। अतएव इसका कोई एकही कारण नहीं होसकता है। जिन अर्थशास्त्रियोंने इस विषयकी गवेषणाकी है वह सभी इस विचारसे सहमतहैं कि आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षको किसी एक वस्तु-स्थिति द्वारा समझाया नहीं जासकता है। इसका सृजन अनेक कारणोंसे सम्बन्धित है जिनमेंसे कुछ आर्थिक है, कुछ क्रियाशील है और कुछ निष्क्रिय, कुछ नियन्त्रण-साध्य है और कुछ नियन्त्रणमें नहीं लाये जासकते हैं। अतएव यह कोई आश्चर्य की बात नहींहै कि आर्थिक चक्रको समझानेके लिए अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित कियेगये हैं। इन सिद्धान्तोंके अनुयायी अपने अपने दृष्टिकोणको अधिक महत्व देते हैं। अपने प्रतिपादित कारणको प्रधान और अन्य कारणोंको गौण समझते हैं। इस पुस्तकमें हम इन भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंकी विस्तृत विवेचना करनेमें असमर्थ हैं। केवल मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंकी मूल बातोंको पाठकोंके सामने रखनेका प्रयत्न कियागया है।

कृषि-सिद्धान्त

आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षको समझानेके लिए एक पुराना मत खेतोंकी उत्पत्तिके परिमाणसे सम्बन्धित है। कहाजाता है कि सब उद्योग धन्धोंका आधार खेतोंसे उत्पन्न हुआ शस्य और कच्चा माल है। अतएव जब खेतोंसे होनेवाली उत्पत्तिमें वृद्धि होतीहै तो इससे आर्थिक उत्कर्ष होताहै और जब खेतोंकी उत्पत्तिमें कमी आजातीहै तो आर्थिक अपकर्ष प्रारम्भ होजाता है। खेतोंकी उत्पत्तिके परिमाणमें परिवर्तन होनेका मुख्य कारण वृष्टिके परिमाणमें परिवर्तन होना है। इंग्लैंडके प्रोफेसर जेवन्स का कहनाहै कि सूर्यके तापमें परिवर्तन होताहै और यह चक्र १०-११ वर्षमें पूरा होता है अर्थात् १०-११ वर्षकी अवधिके अन्तर्गत सूर्यके तापकी तीव्रता और मन्दीके काल क्रमसे आते रहते हैं। आर्थिक-चक्रकी औसत अवधिभी इसी परिमाणकी समझी जातीहै। सूर्यके तापका प्रभाव वृष्टिके परिमाणपर पड़ता है।

जब सूर्यके तापमें प्रखरता रहती है तो प्रचुर मात्रामें वृष्टि होती है और गस्योकी वृद्धि होती है। सूर्यके तापमें मन्दी आनेपर वृष्टि कम होती है और खेतोकी पैदावार भी घट जाती है। अमेरिकाके प्रोफेसर मूर ने भी मौसमके प्रभावसे खेती और खेतीके प्रभावसे आर्थिक चक्रको समझानेका प्रयत्न किया है।

खेतीका आर्थिक परिस्थितिमें विशिष्ट स्थान है, यह मानना पडता है। परन्तु जब हम आधुनिक आर्थिक विकासको ध्यानमें रखते हुए सयुक्त राज्य, इंग्लैंड इत्यादि औद्योगिक देशोके उत्कर्ष और अपकर्षके कालकी आर्थिक परिस्थितिकी छानवीन करतेहैं तो हमको खेतीकी उपजमें परिवर्तनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दिखायी देता है। एक बात तो यह है कि जिस प्रकारका स्पष्ट आर्थिक चक्र अन्य उद्योग धन्धोमें पायाजाता है, उसप्रकार का खेतीकी उपजमें नहीं पायाजाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक देशोमें जहा आर्थिक चक्रमें अधिक तीव्रता देखोगयी है वहा कृषिका महत्व घटता जा रहा है। उदाहरणके लिए सयुक्त राज्यमें कृषिकी उपज कुल उपजका केवल दसवा भाग है। इसके साथ साथ सिचाईके माधनोकी वृद्धिके कारण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी वृद्धिके कारण और शस्योको सुरक्षित रखने के प्रवन्धमें उन्नतिके कारणभी आधुनिक कालमें कृषिकी उपजमें अधिक परिवर्तन नहीं होने पाता है।

वास्तवमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब अन्य उद्योग धन्धोमें समृद्धि रहती है तो कृषिकी उपजकी मागकी वृद्धिसे इस व्यवसायमें भी समृद्धि आनेकी प्रवृत्ति होगी और जब अन्य उद्योग धन्धोमें शिथिलता आजाती है तो कृषिकी उपजकी मागके घट जानेसे इस व्यवसायमें भी मन्दी आनेकी आशका रहती है। यदि कृषिकी उपज में वृद्धि ऐसे कालमें हुई हो जबकि अन्य उद्योग धन्धोमें अवसाद छाया हुआ हो तो इन वृद्धिसे कृषिकी उपजका मूल्य-स्तर औरभी नीचे गिरने लगता है। अतएव हम इस परिणामपर पहुचतेहैं कि कृषिकी उपजके परिमाणमें परिवर्तनका प्रभाव अन्य आर्थिक क्षेत्रोकी परिस्थितिपर निर्भर करता है।

मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त

सुर्य प्रथमास्त्री आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षके सम्बन्धमें मनोवैज्ञानिक कारणोंको

अधिक महत्व देते हैं। इनका अभिप्राय यह नहीं है कि मनोवैज्ञानिक कारण स्वतन्त्र कारण है परन्तु उनका कहना है कि इन कारणोंको इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए।

आर्थिक क्षेत्रमें मनोवैज्ञानिक परिस्थितियोंका समावेश आशा, निराशा, आकांक्षा इसप्रकार की प्रतिक्रियाओंके रूपमें होता है। आधुनिक कालमें पूंजीका मशीन इत्यादि चिरस्थायी उपकरणोंमें लगाव और उनसे प्राप्त होनेवाली आयके बीच समयका अधिक मात्रामें अंतराय होता है। इसकारण आर्थिक कार्योंमें अनिश्चितता और सशयका समावेश होगया है। इसका परिणाम यह होता है कि इन कार्योंमें दृष्टिगोचर कारणोंकी क्रिया और प्रतिक्रियामें स्थिरता नहीं रहती है जितनी अन्य प्रकारके आर्थिक कार्यों में। कभी कभी उत्पादकवर्ग आवश्यकतासे अधिक आशावादी हो उठता है और कभी बहुत निराशावादी। उत्कर्षका सम्बन्ध आशा और अपकर्षका निराशासे किया जाता है। इस प्रकरणमें प्रोफेसर पीगू का कहना है कि उत्कर्षके कालमें आशाजनित भूलें और अपकर्ष कालमें निराशाजनित भूलें हुआ करती हैं। इन भूलोंके कारण आर्थिक परिस्थितियोंके औचित्यके हिसाबसे कभी तो पूंजीका लगाव बहुत अधिक मात्रामें और कभी बहुतही सकुचित मात्रामें किया जाता है जिसके फलस्वरूप आर्थिक परिस्थिति असन्तुलित हो जाती है।

इस सक्षिप्त रूपमें बताया गये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तको आर्थिक चक्र समझने और समझानेमें हमको उपयुक्त स्थान देना पड़ता है और किसीभी अर्थशास्त्रीने इस सिद्धान्तको नगण्य नहीं समझा है। जो जो विषय मनुष्यसे सम्बन्धित है उनमें मानसिक क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं और मनोवृत्तियोंका समावेश अवश्यही रहेगा। परन्तु ये मनोवृत्तियाँ समस्याके मूलतक नहीं पहुँचती हैं। यदि उत्पादकोंमें निराश्य छाया हुआ है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्यही होना चाहिए। इसीप्रकार आशा का संचार होनेके लिए भी मनसे बाहर कोई कारण होना चाहिए। इन मूल कारणोंको छोड़कर स्वतन्त्र रूपसे मानसिक प्रतिक्रियाओंको इनका स्थान नहीं दिया जा सकता है। हा इस बातको मान लेना पड़ता है कि प्रतिक्रियाकी उग्रता औचित्यकी सीमाको लाघ गयी हो जिसके कारण आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षमें अधिक तीव्रता उत्पन्न होगयी हो। -

द्रव्य सम्बन्धी सिद्धान्त

कुछ अर्थशास्त्री जिनमें हीट्टे का नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है, द्रव्यके प्रसार और संकुचनसे आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षका सम्बन्ध स्थापित करते हैं। आधुनिक कालमें साख-द्रव्यकी प्रधानताके कारण और इसके परिमाणकी अस्थिरताके कारण आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होजाती है। साख-द्रव्यके प्रसारसे आर्थिक उत्कर्षका सूत्रपात होता है। यदि बैंक व्याजकी दर कम कर दें अथवा ऋण देनेकी शर्तोंमें अधिक उदारता दिखाये तो साख-द्रव्यकी माग बढ़जायेगी क्योंकि अपकर्षके गर्त की अवस्थामें बैंक ऋण देनेको उत्सुक रहते हैं। हीट्टेके मतमें व्यापारी वर्गको व्याजकी दरमें थोड़ीभी कमी होनेसे वस्तुओंके सचयमें वृद्धि करनेकी प्रवृत्ति होती है। जब वह नये साख-द्रव्य द्वारा वस्तुओंको मोल लेताहै तो यह द्रव्य उपभोक्ताओं की आयके रूपमें प्रकटहोता है। उपभोक्ताओंको आयमें वृद्धि होनेके कारण उनके व्ययमें भी वृद्धि होने लगतीहै जिसके फलस्वरूप वस्तुओंकी मागमें वृद्धि होनेलगती है और मूल्य-स्तरमें भी वृद्धि होनेकी प्रवृत्ति होती है। मूल्य-स्तरमें वृद्धि होनेसे उत्पादकोंको अधिक लाभ प्राप्त होताहै क्योंकि उत्पादन-व्ययमें धीरे धीरे वृद्धि होती है। इस लाभकी वृद्धिके कारण पूजीके लगावमें भी वृद्धि होने लगतीहै और उत्पादक वस्तुओंकी मागमें भी वृद्धि होती है। उत्पादक वर्ग बैंकोमें अधिक परिमाणमें ऋण लेतेहै जिससे पुनः उपभोक्ताओंके आय और व्ययमें वृद्धि हॉतीहै और पूजीके लगावको नया प्रोत्साहन मिलता है। इसप्रकार आर्थिक उत्थानको अपनेही अन्तर्गत कारणोंसे प्रगति प्राप्त होनेलगती है और उत्कर्षकी अवस्था प्राप्त होजाती है। जबतक बैंक द्रव्यकी बढ़तीहुई मांगको पूरा करते रहनेहैं तबतक उत्कर्षकी अवस्था बढी रहती है।

उन सिद्धान्तके अनुसार ज्योंही बैंक साख-द्रव्यके प्रसारमें कमी करने लगनेहै तैनेही अपकर्षका सूत्रपात होजाता है। अब प्रश्न यहहै कि जैसे जैसे साख-द्रव्यमें वृद्धि होती रहतीहै, बैंककी नकदी का अनुपात कम होता रहताहै और यदि उनके नकदीके बोझमें पर्याप्त मात्रामें वृद्धि न होसके तो एक समय आजायेगा जबकि उनको अपना हाथ रोकना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त साख-द्रव्यकी वृद्धि और आर्थिक धार्य-स्तरकी प्रगतिके कारण समाजमें नकदीकी आवश्यकता भी बढ़नेलगती है।

साथही साथ केन्द्रीय बैंकभी द्रव्य-स्फीतिकी आशकासे अपनी द्रव्य-नीति द्वारा साख-द्रव्यका नियन्त्रण करनेकी चेष्टा करते हैं। स्वर्ण-द्रव्य-पद्धतिके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकोको इस प्रकारकी नीतिको कार्य रूपमें लाना आवश्यक होजाता था। साख-द्रव्यके प्रसारमें रोकथाम करनेके लिए बैंक व्याजकी दरमें वृद्धि करदेते हैं और पुराने ऋणोंके वापस होनेपर नया ऋण उससे कम परिमाणमें देते हैं। इसप्रकार साख-द्रव्यका सकुचन प्रारम्भ होजाता है।

इस सकुचनसे आर्थिक अपकर्षभी प्रारम्भ होजाता है। व्यापारी बढीहुई व्याज की दरपर अपने वस्तुओंके सचयको कम करनेलगते हैं और सचित वस्तुओंको गीघ्रता से बेचनेकी चेष्टा करते हैं। इमसे उपभोक्ताओंकी आय और व्ययमें कमी आजाती है और विविध प्रकारकी वस्तुओंकी मागभी घटजाती है। मागके घटजाने पर मूल्य-स्तर गिरने लगताहै और लाभकी मात्रामें कमी आजाती है और सीमान्त उत्पादको को तो हानि उठानी पडती है। इसके फलस्वरूप पूजीके लगावमें कमी होजाती है और आर्थिक साधनोंमें बेकारी आनेसे उपभोक्ताओंके आय और व्ययमें पुनः कमी होजाती है। इसप्रकार अपकर्ष आरम्भ होनेपर स्वयमेव वह गर्तकी ओर जाने लगता है। गर्तपर पहुचनेपर धीरे धीरे बैंक प्रकृतिस्थ होनेलगते हैं। पुराने ऋणों के वापस होनेसे और नये ऋणोंकी माग न होनेके कारण बैंकोमें नकदीका परिमाण बढ़ने लगताहै और वे ऋण देनेको उत्सुक होनेलगते हैं। अतएव वे व्याजकी दर कम करतेहैं और ऋण देनेमें अधिक उदारता दिखाने लगते हैं। जब व्यापारी इस परिस्थितिका लाभ उठाने लगतेहैं तो पुनः आर्थिक क्रियाओंके स्तरमें पूर्ववत् उत्थान और प्रगतिका संचार होनेलगता है। हीट्टेके मतानुसार यदि केन्द्रीय बैंक और अन्य व्यापारी बैंक अल्पार्थ द्रव्य-नीतिका प्रयोग करतेरहें तो कोई कारण नही है कि उत्पादक वर्ग विशेषतः व्यापारी वर्ग इसका लाभ न उठाए।

यहबात सभीको मान्यहै कि वर्तमान आर्थिक प्रणालीमें द्रव्यको प्रमुख स्थान प्राप्तहै और द्रव्यकी अस्थिरताके कारण आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होसकती है। परन्तु आर्थिक-चक्रकी वास्तविकताका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेसे पताचलता है कि सभी आर्थिक अस्थिरताएँ द्रव्यजनित नही होतीं। द्रव्यका सुप्रबन्ध होनेपर ही इन अस्थिरताओंका अन्त नही होसकेगा। यह ठीकहै कि आर्थिक उत्कर्षकी वृद्धिके लिए द्रव्यका प्रसार आवश्यक है। परन्तु यदि उत्पादक वर्गको अपनी पूजीके लगाव

से लाभकी आशा न होतो वेकेवल व्याजकी दरमें कमीके कारणसे ही बेकोसे अधिक मात्रामें माख-द्रव्यकी याचना नहीं करेंगे। अनुभवसे ज्ञात होताहै कि आर्थिक गर्त की अवस्थामें जत्रकि वैक प्रयाप्त मात्रामें ऋण देनेके योग्य रहतेहैं और केन्द्रीय बैंकभी अपनी व्याजकी दर कम करके अथवा खुले हाटकी क्रियाओंसे आर्थिक क्षेत्र में द्रव्यके चलनमें वृद्धि करनेकी चेष्टा करता है, उत्पादकवर्ग तबतक इस परिस्थितिसे लाभ उठानेकी चेष्टा नहीं करतेहैं, जबतक कि उनको पूजोके लगावसे लाभ होनेकी आशा न हो। यह आशा केवल व्याजकी दरपर ही निर्भर नहीं रहनी है। नये आविष्कार, नये बाजार, उत्पादन-व्ययमें कमी—इस प्रकारके वातावरणमें ही उत्पादकोंमें आशा और विग्वामका संचार होता है। यदि इस प्रकारका वातावरण न हो तो केवल माख-द्रव्यको अधिक मात्रामें कम बाजारकी दरपर उपलब्ध करनेसे ही उत्थानका कार्य आरम्भ नहीं होगा। हीट्टेके मतमें अल्पकालीन व्याजकी दरमें परिवर्तन करना पर्याप्त होताहै परन्तु अन्य अर्थशास्त्रियोंके मतानुसार पूजोके लगाव का सम्यन्व विशेष रूपसे दीर्घकालीन व्याजकी दरसे होता है।

हायेक का सिद्धान्त

-

प्राफेसर हायेकने द्रव्य-सम्बन्धी परिस्थितियों द्वारा वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों का सम्बन्ध दर्शातेहुए यह बतलानेकी चेष्टाकी है कि वर्तमान माख-द्रव्य-पत्रनिकी विकृतियोंके कारण पूजोका लगाव उत्कर्षकालमें असन्तुलित रूपसे बढ़ताजाना है और एक ऐसी अवस्था आजाती है कि आर्थिक प्रगतिमें सकट आजाना अनिवार्य होजाता है। हायेकका कहनाहै कि माख-द्रव्यके प्रसारके आधारपर पूजोके लगाव और उत्पादक वस्तुओंके उत्पत्तिके परिमाणमें जो वृद्धि होतीहै वह वृद्धि स्थायी नहीं रहसकती है। स्थायी रूपसे पूजोके लगावकी वृद्धि न्येच्छापूर्वक वचतके परिमाणपर निर्भर रहती है। यदि बैंकोंकी व्याजकी दर सन्तुलन व्याजकी दर (अर्थात् वह दर जहापर ऋणकी मांग वचतके परिमाणके बराबर रहतीहै) से कम रहतीहै तो इस प्रकारसे जो पूजोके लगावके कार्यको उद्दिष्ट उरनाहै मित्रताहै उमके पर-स्वल्प आधिग मापनोका प्रयोग उपभोगकी वस्तुओंके निर्माणसे इच्छा उरनाहै वस्तुओंके निर्माणके कार्यमें होनेलगता है। इनमें उपभोगकी वस्तुओंके मूल्य-वृद्धि

में वृद्धि होनेके कारण उपभोक्ताओंको विवश होकर अपने उपभोगके परिमाणमें कमी करके उत्पादक वस्तुओंके निर्माणके हेतु आर्थिक साधनोंको उपलब्ध करनेके लिए बाध्य होनापडता है। इस वलाकारसे जो पूजा वस्तुओंके निर्माणमें लगायी जाती है उसके फलस्वरूप आर्थिक साधनोंका भिन्न भिन्न अवयवोंमें वितरण विकृत होजाता है। इस प्रकारकी आर्थिक रचना रथायी नहीं रहसकती है, उसपर मकट आना अनिवार्य होजाता है।

साख-द्रव्यके आधारपर पूजाके लगाव और उत्पादक वस्तुओंके निर्माणके फल-स्वरूप जब उपभोक्ताओंके आय-स्तरमें वृद्धि होनेवाली है तो उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें वृद्धि होनेलगी है क्योंकि उपभोक्ता लोग पुनः अपने उपभोगकी वस्तुओंके परिमाणको उसी स्तरपर लाना चाहतेहैं जहासे विवश होकर उनको उनसे वचित होनापडा था। यहापर एक विकट परिस्थिति उत्पन्न होजाती है। एक ओरतो उत्पादक वस्तुओंके निर्माणके लिए आर्थिक साधनोंकी माग रहती है और दूसरी ओर उपभोक्ताओंकी आयमें वृद्धि होजानेके कारण उपभोगके पदार्थोंकी मागमें भी वृद्धि होजाती है और उनके निर्माणके लिएभी आर्थिक साधन चाहिए। आर्थिक साधन इतनी प्रशस्त मात्रामे नहीं प्राप्त होतेहैं कि दोनोंकी मागें पूर्णरूपसे पूरी होसकें। हायेकके मतानुसार इस परिस्थितिमें उत्पादक वस्तुओंके निर्माताओंको उपभोगके पदार्थोंको बनानेवाले उद्योग धन्वोंके पक्षमें आर्थिक साधनोंको मुक्त करना पडता है। इसके दो प्रधान कारण हैं। एकतो यहकि उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें वृद्धि होनेके कारण इनके उद्योग धन्वोंमें लाभकी वृद्धि होनेलगी है जिसके कारण यह आर्थिक साधनोंको अधिक मूल्य देनेमे समर्थ रहते है। अतएव उत्पादक वस्तुओंको बनाने वाले उद्योग धन्वोंके साथ प्रतिस्पर्धामे अपना हाथ ऊपर करसकते है। दूसरा कारण यहहै कि इस अवसरपर बैकभी साख-द्रव्यको अधिक मात्रामें प्रसारित करनेमे असमर्थ होतेजाते है। अतएव वहभी ब्याजकी दरमे वृद्धि करदेते है। इस प्रकारकी परिस्थिति में उत्पादक वस्तुओंकी मागमें कमी आजाती है और उनपर पूजाके लगावकी मात्राभी सकुचित होने लगती है और आर्थिक अपकर्षका सूत्रपात हो जाता है।

हायेकने अपकर्षकी दशाका पर्याप्त विवेचन नहीं किया है। उसका कहना है कि अपकर्ष उत्पादक वस्तुओंके उद्योग धन्वोंसे प्रारम्भ होकर सारी आर्थिक क्रियाओं

पर छाजाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि इन उद्योग धन्धोंमें संकट आनेके कारण पूजीके लगावमें कमी आजाती है और द्रव्य बेकार संचित होनेलगाता है। द्रव्यके चलनके परिमाणमें संकुंचन होनेलगाता है। मूल्य-स्तर गिरने लगता है और लाभकी दर व्याजकी दरसे कम होनेलगती है। आय और मागमें इस प्रकार की कमी होनेके कारण उपभोगके पदार्थोंको बनानेवाले उद्योग धन्धोंमें भी मन्दी छाजाती है।

आर्थिक अपकर्षके कालमें आर्थिक क्षेत्रको इन नयी परिस्थितियोंके योग्य बनाने की चेष्टा कीजाती है। साख-द्रव्य जनित उत्पत्तिके उपकरणोंके विस्तारको कम किया जाता है। इसप्रकार कष्ट सहतेहुए आर्थिक परिस्थिति स्थिरताकी ओर (नीचे स्तर पर) अग्रसर होती है। मूल्य-स्तरमें स्थिरता आजाती है और नैराश्रयका अन्त हो कर आशाका संचार होनेलगाता है और चूकि बैंकोके पास बेकार संचित नकदीका कोष पड़ारहता है अतएव वेभी उद्योग धन्धोंको कम व्याजकी दरपर उदारतापूर्वक ऋण देनेकी प्रस्तुत रहते हैं। इसप्रकार आर्थिक-चक्र पुनः उत्थानके पथपर चढ़ने लगता है।

हायेंकका यह सिद्धान्त वास्तविक परिस्थितिकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है और यह दिखानेकी चेष्टा करता है कि साख-द्रव्यके प्रसारमें किसप्रकार आर्थिक परिस्थिति विकृत होजाती है। परन्तु सभी परिस्थितियोंमें द्रव्यके प्रसार से आर्थिक विकृतियोंका उत्पन्न होना अवश्यम्भावी नहीं है। जब उत्पादनके साधनों में बेकारी छापी हो तो ऐसी अवस्थामें द्रव्यके प्रसारमें यदि इनकी नियुक्ति होजाये तो कोई कारण नहीं है कि इस प्रकारका आर्थिक विस्तार अवाछनीय सिद्ध होगा। उसके अतिरिक्त बिना अन्य बाह्य प्रेरणाओंकी महायताके केवल व्याजकी दरमें कमी होनेसे आर्थिक उत्थान प्रारम्भ होसकता है, उस प्रकारका विश्वास अनुभवमें प्रमाणित नहीं होता है।

उपभोग-हानि सिद्धान्त

एक और सिद्धान्त जो विशेष रूपसे आर्थिक नष्टोंके कारणोंपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा करता है, समाजवादियोंकी विचार धाराका स्रोत है। इसको हमने उपभोग-

हानि सिद्धान्तका नाम दिया है। इस सिद्धान्तके मूलमें यह बात है कि पूजावादी आर्थिक पद्धतिमें सम्पत्ति और आयके वितरणमें बहुत असमानता है। आयका एक बड़ाभाग एक छोटे व्यक्तिवर्ग के पास पहुँचता है जिसमें अधिक परिमाणमें वचत करनेकी प्रवृत्ति होती है। उपभोगके पदार्थोंकी अधिकतम माग कम आयवाले व्यक्तियोंकी होती है। आयके वितरणकी असमानताके कारण कम आयवाले व्यक्तियोंकी माग उस अनुपातमें नहीं बढ़ती है जिस अनुपातमें वस्तुओंकी उत्पत्तिमें वृद्धि होती है। इसीकारण इन वस्तुओंकी वित्री कम होजाती है और उत्पादकोको मूल्य-स्तर घटानेको बाध्य होना पड़ता है जिससे उनका लाभ घटजाता है अथवा हानि होनेलगतती है। यही आर्थिक सकटका कारण होजाता है क्योंकि लाभमें कमी अथवा हानिके कारण उत्पत्तिके परिमाण और आर्थिक साधनोंके नियोगमें कमी होनेलगतती है। वितरणकी असमानतासे जो उपभोगकी हानि होती है, उसको दूसरे रूपसे सापेक्ष अतिशयोत्पात भी कहसकते हैं अर्थात् इस प्रकारकी उत्पत्ति जिसकी द्रव्य-मयी माग न होनेसे उत्पादन-व्ययके बराबर मूल्य प्राप्त नहीं होसकता है।

हौवसन जो इस सिद्धान्तका प्रमुख प्रतिपादक है, कहता है कि अधिक आय-स्तर वाले लोग अपनी वचतको बराबर पूजाके कार्यमें लगाते रहने हैं जिससे उत्पादक वस्तुओंके निर्माणमें वृद्धि होतीरहती है। अब चूँकि उत्पादन-क्रियाओंमें जो द्रव्य-मयी आय होती है, उसका एकबड़ा हिस्सा उन लोगोंके पास पहुँचजाता है जिनमें वचत करके उसको पूजाके रूपमें लगानेकी प्रवृत्ति होती है, अतएव इन उत्पादित वस्तुओंकी माग पूरी नहीं होपाती है। हौवसन कहता है कि यदि पारिश्रमिककी वृद्धि करके कम आय-स्तरवाले लोगोंकी आयमें वृद्धि करदीजाये जिनमें अपनी आयके एक बड़े भागको उपभोगकी वस्तुओंमें व्यय करनेकी प्रवृत्ति होती है तो इससे माग का परिमाण बनारहे और आर्थिक क्रियाएँ भी ठीक ठीक चलतीरहें क्योंकि उपभोग की वस्तुओंके निर्माणके लिएही उत्पादक वस्तुओं (यन्त्र, मशीन इत्यादि उपकरण) का निर्माण कियाजाता है। अतएव उत्पादक वस्तुओंकी माग बनारहे। पूजावादी आर्थिक पद्धतिमें समय समयपर आयके वितरणकी असमानताके कारण उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें हानि होजाती है। अतएव पूजाके लगावमें भी कमी करनीपड़ती है जिसके फलस्वरूप आर्थिक सकटका प्रादुर्भाव होजाता है।

यह बात सभीको मान्य है कि पूजावादी पद्धतिमें आयका वितरण बहुत असमान

हैं और यह भी सभी मानते हैं कि श्रमजीवियोंके आय-स्तरको ऊचा करके उनके जीवन-स्तर को ऊचा करना भीतिकही नहीं परन्तु आर्थिक दृष्टिसे भी अत्यन्त आवश्यक है। उपभोग-हानि सिद्धान्तका छिद्रान्वेषण इस दृष्टिकोणसे नहीं किया जाता है। हमतो यह जानना चाहते हैं कि क्या उपभोगके लिए वस्तुओंकी मागकी हानिके कारणसे आर्थिक सकटका जन्म होता है। इस कसीटीपर यह सिद्धान्त ठीक नहीं उतरता है। पहिले तो हीव्सनकी इस उक्तिमें ही तथ्य नहीं है कि सारीकी सारी वचत पूजीके रूपमें परिणत होकर आर्थिक क्रियाओंमें लगादी जाती है। जैसा कि हम वचत और पूजी-लगावके सिद्धान्तमें देखेंगे, आर्थिक अस्थिरता और अपकर्ष का एक प्रधान कारण यह है कि वचत पूजीके रूपमें क्रियाशील न होकर बेकार संचित होने लगती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक उत्कर्षके कालमें जब श्रमजीवियोंका पूर्ण नियोग होने लगता है, उपभोगके परिमाणमें वृद्धि होती है न कि हानि। हा यहवात अवश्य है कि जब आर्थिक अपकर्ष प्रारम्भ होजाता है तो उद्यम और आयमें कमी आनेके कारण उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें भी कमी आजाती है और इसके कारण अपकर्ष शीघ्रतासे गतकी ओर अग्रसर होने लगता है। उपभोग-हानि होती अवश्य है परन्तु यह अपकर्षका कारण नहीं अपितु उसको उत्तेजित करती है। इस सम्बन्धमें एकवात और भी कही जासकती है। अनुभव और आकडोंसे पता चलता है कि अपकर्ष का प्रारम्भ उत्पादक वस्तुओंवाले उद्योग धन्धोंमें होता है और इन्हीं उद्योग धन्धोंमें आर्थिक-चक्रका वेग भी रहता है। हीव्सनके मतानुसार पहिले सकट उपभोगकी वस्तुओंको बनानेवाले उद्योग धन्धोंमें होना चाहिए।

वचत और पूजी-लगाव सिद्धान्त

आधुनिक चक्रके विवेचन और विश्लेषणमें आधुनिक कालमें एक नये और महत्वपूर्ण दृष्टिकोणका विकास हुआ है। यह दृष्टिकोण वचतकी मात्रा और पूजीके लगावकी मात्राके नामजस्यसे सम्बन्धित है। इस दृष्टिकोण का आर्थिक-चक्रमें समावेश करनेका विवेक श्रेय इंगलैंडके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स को शिवाजता है। केन्स का कोई निजी सिद्धान्त आर्थिक-चक्रको पूर्णरूपसे समझाने के लिए प्रतिपादित नहीं है। उनमें वचत और पूजीके लगावकी इस प्रकारकी परिभाषामें उद्योग

किया है कि इन दोनोंका परिमाण सदाही समान रहता है। इस प्रकारकी समानता प्रकट करनेमें कोई वैध दोष नहीं है परन्तु प्रगतिशील आर्थिक-चक्रको समझानेमें बचत और पूजीके लगावकी समानता मानकर चलनेमें हम अपनेको वास्तविकता से हटाहुआ पाते हैं। अतएव हम इस बचत और पूजीके लगावके सिद्धान्तकी विवेचना करनेमें बचत और पूजीके लगावके परिमाणमें असमानता होनेकी सम्भावना को मानतेहुए आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्षको समझानेमें इसका प्रयोग करेंगे।

हम विश्लेषणके कार्यको आर्थिक गतकी अवस्थासे प्रारम्भ करते हैं। कल्पना कीजिए किसी सयुक्तक कारणसे पूजीके लगावमें वृद्धि होनेकी प्रवृत्ति होजाती है। होसकता है कि यह कारण नये आविष्कार, शिल्पकला, विज्ञानमें उन्नति, युद्ध-सामग्रीके निर्माणकी वृद्धि अथवा व्याजकी दरमें कमी होनेसे सम्बन्धित हो। इस पूजीके लगावमें वृद्धिके लिए द्रव्य या तो पूर्व संचयसे लियाजायेगा अथवा बैंक नये साख-द्रव्यकी सृष्टि करके उत्पादकोको उपलब्ध करेंगे अथवा दोनों रीतिया साथ साथ प्रयोगमें आयेंगी। इसप्रकार पूजीके लगावकी मात्रा चालू बचतकी मात्रासे बढ़जायगी और यह वृद्धि पुरानी बचतको काममें लाकर अथवा नये साख-द्रव्यके प्रयोगसे पूरी कीजायगी। अनुभवसे ज्ञात होता है कि पूजीके लगावके परिमाणमें बचतके परिमाणसे कहीं अधिक अस्थिरता रहती है क्योंकि पूजीका लगाव उसकी वर्तमान और भविष्यकी उत्पादकता और लाभकी आशापर निर्भर रहता है। पूजीके लगावकी अस्थिरताही आर्थिक अस्थिरताका प्रधान कारण समझी जाती है।

गुणक सिद्धान्त

पूजीके लगावमें वृद्धि होनेसे आर्थिक साधनको अधिक काम मिलता है और उनकी आयमें भी वृद्धि होती है। जब इस बढीहुई आयको उपभोक्ता लोग भिन्न भिन्न पदार्थोंपर व्यय करते हैं तो उन वस्तुओंके बनानेवालोंकी आयमें वृद्धि होती है और जब ये लोग अपनी बढीहुई आय व्यय करते हैं तो इसके फलस्वरूप नयी आय उत्पन्न होती है। इसप्रकार प्रारम्भमें पूजीके लगावकी मात्राको बचतकी मात्रासे बढ़ानेसे अन्ततोगत्वा कुल आयमें कईगुनी वृद्धि हो सकती है। उदाहरणके लिए यदि प्रारम्भ

में पूजाका लगाव वचतसे १००० रुपया अधिकहो तो उसके व्ययसे १००० रुपया प्रारम्भिक आय होगी। मानलीजिए इस प्रारम्भिक आयका कुछ हिस्सा वचा लियागया और शेष उपयोगकी वस्तुओपर व्यय कियागया। इस व्ययसे जो आय होगी उसको द्वितीय आय कहसकते हैं। इस द्वितीय आयका परिमाण प्रारम्भिक आयसे कम होगा। इसीप्रकार द्वितीय आयका कुछ हिस्सा वचालिया जायगा और शेष उपभोगकी वस्तुओपर व्यय किया जायगा। इससे तृतीय आयका सृजन होगा जिमका परिमाण प्रारम्भिक आयसे कम होगा। इसीप्रकार चतुर्थ, पचम इत्यादि स्तरोमें नयी आयका परिमाण कम होता जायगा। यदि हम इनसब स्तरोकी आयों को जाँड़ें तो हमको जातहोगा कि यह कुल आय १००० रुपयेसे कईगुनी अधिक है। यदि यह कुल आय ३००० रुपयाहो तो हम कहसकते हैं कि पूजाके लगावकी मात्रामें वचतकी मात्रासे १००० रुपयेके आधिक्यसे ३००० रुपयेके बराबर कुल आय हुई। इस सम्बन्धको हम 'गुणक सिद्धान्त' कहेंगे। उपरोक्त उदाहरणमें गुणक ३ है। स्पष्टहै कि गुणकके परिमाणका वचतके परिमाणसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि प्रारम्भिक आय सबकी सब वचाली जाय तो इससे उत्तरगामी आय नहीं होगी और गुणक एक होगा। यदि आधी आय वचायी जाय तो गुणक दो और यदि चौथाई आय वचायी जाय तो गुणक चार होगा। जैसे वचतकी मात्रासे पूजा के लगावमें वृद्धि होनेसे कुल आयमें इस अन्तरसे अधिक मात्रामें वृद्धि होतीहै इसी प्रकार जब पूजाके लगावकी मात्रा चालू वचतमें कमहो जातीहै तो कुलआय इस अन्तरसे अधिक मात्रामें घटजाती है।

गति-वृद्धि सिद्धान्त

उपभोग्य वस्तुओकी मांगमें वृद्धि होनेसे पूजाके लगावको भी प्रोत्साहन मिलताहै और उत्पादक वस्तुओकी मांगमें वृद्धि होती है। उपभोगकी वस्तुओकी मांगमें जिन परिमाणमें वृद्धि होतीहै, उसमें बड़े परिमाणमें उत्पादक वस्तुओकी मांगमें वृद्धि होती है। उपभोगकी वस्तुओकी मांगमें वृद्धिके फलस्वरूप पूजाके लगावमें जो वृद्धि होता है उस सम्बन्धको 'गति-वृद्धि सिद्धान्त' द्वारा समझाया जाता है। इस पूजाके लगावमें वृद्धिके लिए द्रव्य वैकीने प्राप्त किया जाताहै और गुणक सम्बन्धी

वचतसे भी प्राप्त होता है। इस प्रकार पूँजीके लगावमें वृद्धि होनेसे पुनः आयमें वृद्धि होती है और पुनः गुणक सिद्धान्त सम्बन्धी आयका चक्र चलने लगता है। इससे पुनः पूँजीके लगावको उत्तेजना मिलती है और इसप्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया चलने लगती है। यह गति-वृद्धि-सिद्धान्त अपकर्षके कालमें भी लागू होता है। जब उपभोग्य वस्तुओंकी माग कम होजाती है तो उत्पादक वस्तुओंकी मागमें इससे कहीं अधिक गिथिलता आजाती है।

गुणक और गति-वृद्धिके सिद्धान्तके आधारपर हम अनुमान करसकते हैं कि जब पूँजीके लगावकी मात्रा चालू वचतकी मात्रासे बढजाती है तो आर्थिक उत्कर्षमें तीव्रता क्यों आने लगती है। अब प्रश्न यह है कि इस प्रगतिमें बाधा क्यों पडजाती है और पूँजीके लगावमें कमी क्यों होने लगती है। एक कारणतो यह है कि जैसे जैसे उत्पादक वस्तुओंके निर्माणमें वृद्धि होती रहती है कुछ समय बाद आर्थिक साधनोंको प्राप्त करनेके लिए उत्पादक-व्ययमें वृद्धि करना अनिवार्य होजाता है। इसके अतिरिक्त यदि इस परिस्थितिमें वैकभी व्याजकी दरमें वृद्धि करदें तो नये उद्योग धन्धे जिस लाभकी आशासे चलाये गयेथे, वह आशा क्षीण होने लगती है। टिकाऊ उत्पादक वस्तुओंकी मात्रामें वृद्धि होनेपर कुछ समयके बाद उनकी सीमान्त उत्पादकतामें ह्रास होने लगता है। इन सभी कारणोंके फलस्वरूप कुछ अशक्त उद्योग धन्धे पहिने ही धक्केको सम्हालनेमें असमर्थ होते हैं और अपने व्यवसायका क्षेत्र कम करता आरम्भ करदेते हैं। अन्य उद्योग धन्धेभी शक्ति होने लगते हैं और शीघ्रतासे अपने को उद्घृण करनेका प्रयत्न करते हैं। वे पूँजीके लगावसे हाथ खींचने लगते हैं। वे अपनेको ऋण-शोधनशील बनाये रखनेके लिए पूँजीको वचतके रूपमें रखने लगते हैं। जब चालू वचतकी मात्रा पूँजीके लगावके रूपमें बाहर न निकलकर संचित रूपमें रखीजाने लगती है तो इससे भयानक आर्थिक विकृतिका सूत्रपात होजाता है। जो आय वचतके रूपमें रोकली गयी उससे उत्पादक वर्गकी इसी परिमाणमें हानि होगी जिससे पूँजीके लगावको औरभी धक्का पहुँचेगा।

जैसेही पूँजीके लगावकी मात्रा चालू वचतकी मात्रासे कम होने लगती है, गुणक सिद्धान्त और गति-वृद्धि सिद्धान्त आर्थिक-चक्रको वेगके साथ अपकर्षकी ओर ढकेल देते हैं। पूँजीके लगावमें कमीके कारण आर्थिक साधनोंमें बेकारी आने लगती है और आय-स्तर गिरने लगता है। प्रारम्भिक आयमें कमीके कारण द्वितीय, तृतीय

तथा आगेके स्तरोंकी आयभी घटती जाती है और आयमें कुल कमी पूजीके लगाव में कमीसे कईगुना अधिक होजाती है। आयकी कमीके कारण उपभोग्य-वस्तुओंकी मागमें भी कमी आजाती है जिससे पूजीके लगावमें औरभी अधिक ह्रास हो जाता है और इस कमीसे भी गुणक-रूपी आय वेगसे कम होने लगती है। इसप्रकार आर्थिक-चक्र गतकी ओर अग्रसर होने लगता है।

आर्थिक-चक्र गिरताही क्यों नहीं जाता है और कहापर जाकर रुकता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपभोग्य वस्तुओंकी मागमें उत्पादक वस्तुओंकी मागकी अपेक्षा अधिक स्थिरता होती है। अतएव आर्थिक अपकर्षकी प्रगतिमें एक रोक इस दिशासे आती है। जीवन-स्तरका अधिक मात्रामें गिरनेसे बचानेकी सभी चेष्टा करते हैं। जिसके निमित्त पुरानी बचतभी व्यय करने लगते हैं। इसप्रकार उपभोग्य वस्तुओंकी माग एक स्तरपर पहुँचकर स्थिर होजाती है। इसमें कुछ अंश में उत्पादक वस्तुओंकी मागभी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उत्पादक वस्तुएँभी समयके प्रभावसे ओर वरावर काममें लानेसे जीर्ण और अव्यवहार्य होजाती हैं। इनको बदलनेके लिएभी पूजीका लगाव होता रहता है। इसप्रकार चिनगारी सुलगती रहती है और यदि इससमय पर पूजी लगानेके नये अवसर प्राप्त हो और उत्पादक वर्गमें आशाका संचार होनेलगे तो शून्यः शून्यः उत्थानका क्रम आरम्भ होने लगेगा।

वचन और पूजीके लगावका सिद्धान्तभी सम्पूर्ण आर्थिक-चक्रको नहीं समझाता है। परन्तु इन दृष्टिकोणसे विवेचना करनेमें एक विशेषता यह है कि हम इनमें अधिक उदारता पाते हैं। द्रव्यमन्वन्धी मनोवैज्ञानिक तथा अन्य सिद्धान्तोंको इनके अन्तर्गत लिया जासकता है। यही कारण है कि अर्थ-चक्रकी आधुनिक विवेचनामें इस सिद्धान्तको एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है।

उत्कर्ष और अपकर्ष का प्रतिवार

पूजीवादी पद्धतिके अन्तर्गत आर्थिक-चक्रका पूर्णरूपमें उन्मूलन करना असाध्य प्रतीत होता है क्योंकि इनके संन्धान और समन्वय इन प्रकारके होते हैं जिनमें अल्पमत्ता अपेक्ष हीर बिना रह नहीं सकती है। परन्तु आर्थिक योजना और नियन्त्रण द्वारा कुछ अंशतः इसका निराकरण किया जानसकता है। इसका भार विशेषतः इनके समन्वय

के ऊपर डाला जाता है कि वह अपनी राजस्व-नीति द्वारा और द्रव्य-नीति द्वारा आर्थिक अस्थिरतामें कमी लानेका प्रयत्न करे। स्पष्ट है कि आर्थिक विषयोंमें राज्य का जितना अधिक हाथ होगा, उसी हिसाबसे वह इस कार्यमें सफलता प्राप्त कर सकेगा। पहिले महायुद्धके बाद और विशेष रूपसे १९२९-१९३३ के विश्व-व्यापी आर्थिक सकटके बाद राज्यका हस्तक्षेप देशके आर्थिक कार्योंमें बहुत बढ़ गया है और यह प्रवृत्ति बढ़तीही जा रही है। आधुनिक कालमें राज्य द्वारा भी एक बड़ी मात्रामें पूजा लगानेका कार्य होता है। हमने देखा कि आर्थिक उत्कर्ष और अपकर्ष का एक प्रधान कारण पूजाके लगावकी मात्रामें अस्थिरता आ जाना है। अन्य उत्पादक तो द्रव्यात्मक लाभकी आशासे पूजा लगाते हैं और जब लाभकी आशा घटने लगती है तो वे भी पूजाके लगावमें कमी करने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक अपकर्ष प्रारम्भ हो जाता है परन्तु राज्यके पूजा-लगावका उद्देश्य इस प्रकार का द्रव्यात्मक लाभ नहीं होता है। अतएव राज्यतो अपने पूजाके लगावके कार्योंमें अस्थिरता आनेको रोक सकता है। साथही साथ राज्य अपनी पूजाके लगावकी नीति द्वारा कुछ अशक्त क्षतिपूरकका कार्य भी कर सकता है। उदाहरणके लिए यदि आर्थिक परिस्थिति इस प्रकारकी होगी हो कि पूजापति पूजाके लगावके परिमाणको घटाने लग गये हो और द्रव्यका संचय होना प्रारम्भ हो गया हो तो राज्य को चाहिए कि ऐसी परिस्थितिमें वह अपनी पूजाके लगावमें वृद्धि करके क्षतिपूरकका काम करे। यह आवश्यक है कि योजनाएँ पहिलेसे ही तैयार रहें ताकि उचित समयपर तत्काल यह कार्यरूपमें परिणत की जा सकें। नहीं तो आर्थिक साधनोंके कुप्रयोगकी आशंका होगी। राज्योंके पास इस प्रकारकी योजनाओंकी कमी नहीं हो सकती है। नहर, सड़क, रेल और अनुपयोगी भूमिको उपयोगी बनाना इत्यादि अनेक प्रकारके कार्य सभी देशोंमें वाछनीय हैं। इन कार्योंके लिए राज्यको द्रव्य चाहिए। इस सम्बन्धमें राज्यको या तो वह द्रव्य, जो कि बेकार मंचित हो रहा हो, ऋणके रूपमें लेकर पुनः चलनमें लाना चाहिए अथवा नये साख द्रव्यसे अपने कार्यों का सम्पादन करना चाहिए। कर द्वारा द्रव्य प्राप्त करनेकी चेष्टा से पूजाके लगावमें और भी कमी आनेकी आशंका रहती है।

राज्यके पूजाके लगावमें वृद्धि होनेसे गृणक-सिद्धान्त कार्यान्वित होने लगेगा और इससे उपभोक्ताओंकी आय और मागकी मात्रामें भी वृद्धि होनेकी प्रवृत्ति होगी।

यह आवश्यक है कि राज्यका इस पूजाके लगावका कार्य अपकर्ष आरम्भ होतेही चालू करदिया जाय। देर होजानेसे जब आर्थिक परिस्थिति गर्तकी ओर बहुत दूर तक अग्रसर होगयी हो तो फिर राज्यको रोकथाम करना बहुत कठिन होजायगा। अपकर्षके कालमें बेकारोको द्रव्य-रूपमें सहायता देकरभी कुछ अशतक उपभोगके पदार्थोंकी माग बनायी रखीजा सकती है। इसीप्रकार सर्वसाधारणके उपभोगकी वस्तुओंपर कर-भार हलका करनेसे उनकी मागमें वृद्धि होनेकी सम्भावना रहती है।

उत्कर्षके कालमें राज्यको यह देखना पडताहै कि पूजाका लगाव असन्तुलित रूप में न बढ़ने पावे। इसकेलिए राज्यको पूजाके लगावके नियन्त्रणकी आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त राज्यको अपनी पूजाके लगावकी मात्राको भी इस आर्थिक परिस्थितिके अनुकूल बनाना पडेगा। ऐसी परिस्थितिमें राज्यको अपने व्ययमें कमी करनी पडेगी। अपने बजटमें बचत लानेका प्रयत्न करना पडेगा। कर-नीति द्वाराभी इसप्रकार का प्रबन्ध करना पडेगा कि उत्कर्षमें उत्तेजना न आनेपावे।

जैसा ऊपर बतलाया जाचुका है कि आर्थिक क्रियाओंको बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओंकी माग बनी रहे। क्योंकि कम आयवाले लोग अपनी आयका अधिकांश उपभोगके पदार्थोंमें व्यय करतेहैं और धनी वर्गमें बचत करनेकी प्रवृत्ति अधिक मात्रामें पायीजाती है। अतएव इसप्रकार की कर-नीति जिनके द्वारा धनका वितरण कम आयवालोके पक्षमें हो, उपभोगकी मात्राको प्रोत्साहित करनेमें सहायता देनकेगी।

द्रव्यनीति द्वाराभी आर्थिक-चक्रकी विषमताओंको कम करनेमें सहायता प्राप्त होसकती है। केन्द्रीय बैंकका धर्महै कि वह निरन्तर आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करगारहे और सदैव सतर्क रहे। जैसेही विषमताओंके लक्षण प्रकट होनेलगे वैसे ही अपने उपकरणोंको उनके प्रयत्नके लिए काममें लानेलगें और सम्बन्धित ध्यान भी इसकी ओर आकर्षित करे। केन्द्रीय बैंकपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। उनको देशकी द्रव्य और बैंक प्रणालीपर पूरा अधिकार प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। प्याजकी दरवा आर्थिक अवयवों और उनके सम्बन्धोंपर बड़ा प्रभाव पडता है। केन्द्रीय बैंकको चाहिए कि वह समय समयपर आर्थिक परिस्थितिके अनुसार व्याज की दरमें परिवर्तन लानेकी चेष्टा करे।

(वास्तवमें राजस्व नीति और द्रव्य नीतिका सामंजस्य करकेही उत्कर्ष और अपकर्ष सम्बन्धी व्याधियोंको कम कियाजा सकता है। अतएव सरकार और केन्द्रीय बैंक दोनोकी नीतिमें विरोध नहीं हीना चाहिए। केन्द्रीय बैंकोंके राष्ट्रीयकरणसे यह आशा कीजाती है कि ये दोनो नीतिया एक दूसरेको सहायता देतीहुई आर्थिक-चक्रकी व्याधियोंके प्रशमनमें सफल होसकेंगी।

राजस्व का स्वरूप और क्षेत्र

राज्य और शासन की आवश्यकता

मनुष्य समाजमें रहना पसन्द करता है। प्राचीन कालके इतिहाससे ज्ञात होता है कि वह किसी कुनवे, कवीले अथवा गिरोहका सदस्य रहा है। आधुनिक कालमें समाजका क्षेत्र बढ़कर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय होगया है। जब मनुष्य साथ साथ रहने लगतेहैं तो अनेक इसप्रकारकी आवश्यकताएँ उत्पन्न होजाती हैं जिनको सामूहिक आवश्यकताएँ कहसकते हैं। इसप्रकारकी आवश्यकताओंको पूरा करने का प्रबन्ध समाजको करना पडता है। उदाहरणके लिए बाहरी आक्रमणसे समाज की रक्षा कोई व्यक्ति-विशेष नहीं करसकता है। यह सारे समाजका ही कर्तव्य हो जाता है कि वह मिलकर शत्रुको मार भगाये। इसी प्रकार मनुष्योंके साथ रहनेसे मारपीट, चोरी, डकैती होनेकी सम्भावना रहतीहै। इससे अशान्ति पैदा होजाती है। समाजका यहभी कर्तव्य होजाता है कि वह इन व्याधियोंसे अपने सदस्योंकी रक्षावा प्रबन्धकरे और आततायीको दड दे। इसके अतिरिक्त सक्रामक रोगोंसे तथा अग्निकाण्डसे समाजके व्यक्तियोंको बचानेका प्रबन्ध भी करना पडता है। अतएव समाजके सामूहिक कर्तव्योंका पालन करनेके लिए तथा समाजके जीवनको व्यवस्थित करनेके लिए राज्य और शासनका सूत्रपात हुआ और शनैः शनैः उनका विकास हुआ। जिसप्रकार श्रम-विभाग और विनिष्ठीकरण से मनुष्य अपनी आवश्यकताओंकी अधिक मात्रामें और अधिक सुगमता और कुशलताके साथ तृप्ति करसकता है, उसी सिद्धान्तके अनुसार सामूहिक आवश्यकताओंकी पूर्तिका प्रबन्ध एक विशेष सन्धा द्वारा अधिक प्रवीणता और तत्परताके साथ होसकता है। एक प्रकारसे राज्य और शासनकी स्थापना और उनका विस्तार श्रम विभाग की विनिष्ठीयता एक उदाहरण है।

प्रारम्भमे इस प्रकारकी आवश्यकताओंका क्षेत्र परिमित था। राज्यके तीन प्रधान कर्तव्य समझे जातेथे। पहिला—वाहरी आक्रमणसे रक्षाका प्रबन्ध, दूसरा—समाजके भीतर शांति-रक्षाका प्रबन्ध और तीसरा—सरकारी इमारत, सड़क, पुल और नहर इत्यादिके निर्माणका प्रबन्ध। शनैः शनैः अनुभवसे ज्ञातहुआ कि इन कार्यों के अतिरिक्त अनेक कार्य औरभी हैं जिनका सम्पादन राज्यद्वारा अधिक सुगमता और कम व्ययके साथ होसकता है। उदाहरणके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रबन्ध करना, डाक, तार, मुद्रा और वाटका प्रबन्ध करना इत्यादि। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ज्ञातहोगा कि आधुनिक कालमें हमारे आर्थिक कार्योंका शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमे राज्यका हस्तक्षेप न होता हो। दूर जानेकी आवश्यकता नहीं, आजकल हमको अन्न और वस्त्र सदृश प्रारम्भिक वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिए राज्यका मुह देखना पडता है क्योंकि इन वस्तुओंकी कमीहै और जनताके हितके लिए यह आवश्यकहै कि इनका वितरण इसप्रकार से हो कि धनी और निर्धनी सभी लोगोको उचित मूल्यपर ये वस्तुएँ प्राप्त हो। यह कार्य राज्य द्वाराही किया जासकता है। इसप्रकार भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करनेके लिए राज्यके आर्थिक कार्योंका क्षेत्र बढता जा रहा है और इसके आगेभी विस्तृत होनेकी सम्भावना है।

आर्थिक कार्यों मे राज्यके हस्तक्षेप की आवश्यकता

कुछ काल पहिले ऐसी विचारधारा थी कि लोगोको अपने आर्थिक कार्य करनेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। ऐसा कहा जाताथा कि क्योंकि मनुष्य समाजका ही अंग है इसलिए अपने हितके लिए जोकोई भी कार्य वह करेगा उससे समाजका हितही होगा। राज्यका कर्तव्य यही समझा जाताथा कि वह रक्षा, न्याय, सडक इत्यादिका प्रबन्ध करदे। अन्य आर्थिक कार्योंमें राज्यका हस्तक्षेप अनावश्यक हीनही परन्तु अनुचित भी समझा जाता था। इसप्रकार की आर्थिक व्यवस्थाको पूजीवादका नाम दियागया है।

पूजीवादके अन्तर्गत आर्थिक कार्यों और आर्थिक सम्बन्धोको देखनेसे पता चलता है कि किसीभी व्यक्तिके स्वहितके कार्योंसे समाजका हित होना अवश्यम्भावी नहीं

है। उदाहरणके लिए यदि कोई पूजीपति मजदूरोसे १६ घंटे प्रतिदिन काम ले और उनको केवल जीवन-निर्वाह योग्य वेतनदे तो उसका तो लाभही होगा परन्तु मजदूरो और उनके बच्चोके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तरपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसप्रकार की परिस्थितिको पैदा होनेसे रोकनेके लिए आजकल राज्यकी ओरसे न्यूनतम-वेतन और अधिकसे अधिक कामके घंटे निश्चित करदिये जाते हैं। इसीप्रकार यदि जमीन्दार किसानोसे मनमाना लगान वसूल करें और जब चाहें तब उनको निकाल दें तो इससे जमीन्दारोका लाभ और किसानोकी हानिही होगी। अब इन दोनो वर्गोकी लाभ-हानिको दृष्टिमें रखतेहुए और यह देखतेहुए कि मजदूरो और किसानोकी सख्या मिल-मालिको और जमीन्दारोकी सख्यासे कईगुना अधिकहै, यह निश्चयहै कि इस प्रकारकी स्वेच्छाचारितासे समाजकी हानिही होगी। ऐसी अवस्थाओमें राज्यका हस्तक्षेप करना नितान्त आवश्यक होजाता है।

इतनाही नहीं आधुनिक कालमें राज्यसे यह आशाकी जातीहै कि वह क्रियात्मक रूपसे समाजके आर्थिक कार्योंमें सहयोगदे और अपनी आर्थिक और राजस्व-नीतिको बदलतीहुई आर्थिक परिस्थितिके अनुकूल बनाये। वर्तमान आर्थिक व्यवस्थामें उत्पत्तिके साधन कभी कभी बेकार पड़े रहतेहैं और आर्थिक मन्दी-जोकि पूजीवादमें गमय समयपर उत्पन्न होजाती है, के अवसरपर तो यह बेकारी बहुत बड़ी मात्रामें होजाती है। इससे राष्ट्रीय आयमें कमी और रहन सहनमें क्षति होजाती है। ऐसी अवस्थामें राज्यका कर्तव्य होजाताहै कि वह अपनी राजस्व-नीति द्वारा बेकारी हटानेका नहीं तो कम करनेका प्रयत्न तो अवश्य करे और आर्थिक-पद्धतिको उत्कर्ष की स्थिरताकी ओर अग्रसर करे। कर, व्यय और ऋण सम्बन्धी अध्यायोमें बताया जायेगा कि राज्य किन किन उपायोसे इसप्रकार के कार्य करसकता है।

राजस्व के मुख्य विभाग

उपर दियेगये वृत्तान्तने स्पष्ट होजाता है कि राज्यके आर्थिक कार्योंके क्षेत्रमें बहुत बड़ी राशरी है। इन कार्योंके सम्पादनके लिए राज्यकी माधनोंकी आवश्यकता होती है। वे माधन कहासे और किन प्रकारसे प्राप्त कियेजाय और इनका समाजके उत्पादन और वितरणके कार्योंमें किसप्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इनकारों विषयों

का विवेचन राजस्वका एक मुख्य अंग है। जिसप्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को द्रव्यरूपी आयसे पूरी करता है उसीप्रकार सामूहिक आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिए राज्यको भी द्रव्यके रूपमें आयकी आवश्यकता होती है। यह आय आधुनिक कालमें प्रधानतः राज्य अपनी प्रजासे करके रूपमें लेता है। राज्यको अपनी सम्पत्ति और अपने उद्योग धन्धोसे भी कुछ आय होती है। कुछ छोटी मोटी मदें आयकी औरभी है जिनका विवेचन राज्यकी आयके अध्यायमें किया जायेगा।

राजस्वका दूसरा विभाग व्यय सम्बन्धी है। सामूहिक आवश्यकताओंकी पूर्तिना प्रबन्ध करनेके लिए राज्यको द्रव्यका व्यय करना पड़ता है। व्ययकी अनेक मदें हैं। कितना व्यय किस मदमें कियाजाय और किस कालमें कियाजाय यह एक महत्वपूर्ण विषय है। राज्य जब बड़ी मात्रामें विविध कार्योंमें व्यय करता है तो इसका प्रभाव सारे आर्थिक क्षेत्रपर पड़ता है। अतएव राज्यको बहुत सोच समझकर अपनी व्यय-नीति निर्धारित करनी पड़ती है।

अनेक ऐसे अवसर आजाते हैं जबकि राज्यकी सामान्य आय, व्ययके लिए पर्याप्त नहीं होती है। उदाहरणके लिए रेल, नहर, युद्ध इत्यादि मदोपर बहुत व्यय होता है और राज्य अपनी सामान्य आयसे इनकी पूर्ति करनेमें अपनेको असमर्थ पाता है। अतएव उसको ऋण लेना पड़ता है। कभी कभी द्रव्यके अत्यधिक प्रसारको कम करनेके लिएभी राज्य ऋण लेता है। आधुनिक कालमें प्रत्येक राज्यके ऋणकी मात्रामें बहुत वृद्धि होगयी है और इससे अनेक समस्यायें भी उत्पन्न होगयी हैं। अतएव यहभी राजस्वका एक पृथक विभाग बनगया है।

आय और व्ययका हिसाब रखना, बजट बनाना, बजटकी मदोको राज्य-परिषद द्वारा स्वीकृत करवाना और स्वीकृतिके अनुसार भिन्न भिन्न विभागो द्वारा भिन्न भिन्न मदोंमें व्ययका प्रबन्ध करना और उसकी जाँच परताल करना—इसप्रकार के कार्यभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका विवेचन राजस्व प्रशासन विभागके अन्तर्गत कियाजाता है।

राजस्व-शास्त्रके यही चार मुख्य विभाग हैं। परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि राजस्वके ये चारो विभाग एक दूसरेसे पृथक हैं। विवेचनाकी सुगमताके लिए ही इनको अलग अलग कियागया है अन्यथा एकका दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। उदाहरणके लिए राज्यके व्ययका समाजके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इनको पूरी तौर

पर जाननेके लिए यह आवश्यक है कि राज्यने यह धन किसप्रकार प्राप्त किया और उसका समाजपर क्या प्रभाव पडा।

राजस्व शास्त्रमें राज्यके आय, व्यय और ऋण सम्बन्धी सिद्धान्तोका विवेचन किया जाता है। यह अर्थशास्त्रका ही एक विभाग समझा जाता है क्योंकि जैसा आगे चलकर ज्ञात होगा राज्यके आर्थिक कार्योंके अन्तर्गतभी अर्थशास्त्रके ही सिद्धान्त लागू होते हैं। मूलमें राज्यके सम्मुखभी वही परिस्थिति है जैसीकि किसी व्यक्ति-विवेक के अथवा आर्थिक सस्याके सम्मुख होती है अर्थात् राज्यके पास सभी सामूहिक आर्थिक कार्योंको पूर्ण रूपसे सम्पादन करनेके लिए पर्याप्त मात्रामे साधन नहीं है। अतएव उसकोभी उन साधनोमे अधिकतम आर्थिक क्षेत्र उत्पन्न करनेके लिए उनका भिन्न भिन्न मदोमें नियमित रूपसे वितरण करना पडता है।

राजस्वसे सम्बन्धित राज्य षब्दका प्रयोग व्यापक रूपसे होता है। इसके अन्तर्गत केवल केन्द्रीय राज्यके आर्थिक कार्योंका ही नहीं वरन् प्रान्तीय राज्यके और स्थानीय निकायो जैसे जिलाबोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड और ग्रामपञ्चायतके भी आर्थिक कार्यों का समावेश होता है।

अधिकतम सामाजिक-लाभ सिद्धान्त

राज्यके आर्थिक कार्योंके मूलमें एक सिद्धान्त रहता है जिमकोकि अधिकतम सामाजिक-लाभ सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्तका तात्पर्य यह है कि राज्यको वही आर्थिक कार्य करने चाहिए जिनके फलस्वरूप समाजका अधिकतम अधिक लाभ हो। ये कार्य कौनसे हैं? सबसे पहिले राज्यको सुरक्षा और शान्तिका ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभीलोग निश्चिन्त होकर अपने अपने कार्य करें। उनके अगले राज्यको अपनी प्रजाको सुखी और समृद्ध बनानेका प्रयत्न करना चाहिए। उनके लिए दो बातोंकी विशेष आवश्यकता है। एकतो यह कि देशके उत्पादनके परिमाणमें वृद्धि बीजार और हमना यहकि उनके वितरणकी अनुमाननाको करना चाहिए। उत्पादनकी मात्राको बढ़ानेके लिए यह आवश्यक है कि समाजके उत्पादनके साधनोमें वृद्धि बीजार। उसी निपुणता ददायी मात्र, उनको देवान होमेंसे समाजके उत्पन्न और उगा प्रयोग ही अन्तर्गतमें किया जाय। उपनिर्णी मात्राको बढ़ानेके

साथ साथ इस बातका भी ध्यान रखाजाना चाहिए कि भिन्न भिन्न प्रकारकी वस्तुओं का परिमाण समाजकी आवश्यकतानुसार हो।

पूजीवादमें राष्ट्रीय आयका वितरण बहुत असमान होजाता है। इससे आर्थिक क्षेमकी कमीही नहीं परन्तु आर्थिक-पद्धतिके व्यवस्थित और अविरोध रूपसे चलाने में भी रुकावट पैदा होजाती है जिसके कारण आर्थिक सकट और मन्दीकी अवस्था उत्पन्न होजाती है। अतएव केवल न्यायके दृष्टिकोणसे ही नहीं वरन् आर्थिक व्यवस्थामें स्थिरता लानेके लिए और उत्पत्ति-साधनोंको पूर्ण रूपसे काममें लगाये रखनेके लिए यह आवश्यकहै कि वितरणकी असमानताको कम किया जाय।

राज्यको केवल वर्तमान पीढ़ीके आर्थिक क्षेमको ही नहीं अपितु भविष्यमें आने वाली पीढ़ीके क्षेमको भी ध्यानमें रखना पडता है। अतएव यदि किसी कार्यसे वर्तमान पीढ़ीके अधिक हितके निमित्त आनेवाली पीढ़ीके आर्थिक क्षेममें अधिक क्षति होनेकी सम्भावनाहो तो राज्यको ऐसे कार्योका नियन्त्रण करना चाहिए। उदाहरणके लिए यदि वर्तमान पीढ़ी खानोसे सभी कोयला और लोहा निकालले तो इससे भविष्यकी जनताकी बहुत क्षति होगी।

इसप्रकार हम इस परिणामपर पहुचतेहै कि यदि राज्यके आर्थिक कार्यो द्वारा समाजका हित होताहो तो वे कार्य निर्दोष है। परन्तु कठिनाई यहहै कि समाजके लाभ-हानिके नापनेके लिए हमारेपास कोई मापदंड नहीं है। इसलिए अनेक परिस्थितियोंमें यह कहना कठिन होजाताहै कि कौनसे कार्योसे समाजका हित अधिक होगा। उदाहरणके लिए यदि राज्यके सामने प्रश्नहै कि दसलाख रुपया शिक्षा अथवा चिकित्सामें व्यय कियाजाय तो यह निश्चय करना कठिनहै कि समाजका अधिकतम क्षेम शिक्षा-प्रसारसे होगा अथवा स्वास्थ्य-रक्षा से। ऐसी अवस्थामें अनुमान और अनुभवके आधार परही निर्णय करना पडता है।

व्यक्ति और राज्य के आय-व्यय सम्बन्धी कार्यो मे समानता और भेद

साधारण तौरपर यह कहाजाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आयके अनुसार अपने व्ययका समीकरण करताहै परन्तु राज्य अपने कर्तव्योके अनुसार अपने व्ययका

अनुमान करता है और फिर उसके अनुसार अपनी आयका समीकरण करता है। इस भेदके कई अपवाद हैं। हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति व्ययके बढ़जाने से आय बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणार्थ महँगीके अवसरपर कम वेतन पानेवाले शिक्षक, क्लर्क लोग द्यूशन करके अथवा अन्य कोई सहायक कार्य करके अपनी आय बढ़ाते हैं। ऐसाभी नहीं है कि राज्य अपनी आयको व्ययके अनुसार अवश्यही बढ़ा सके। यदि ऐसाही होता तो राज्यको ऋण न लेना पड़ता। अतएव राज्यको व्यय करनेके पूर्व अपनी आयपर दृष्टि रखनी पड़ती है। प्रधान भेद यह है कि राज्यके पास किसी भी व्यक्तिकी अपेक्षा आयके अधिक साधन हैं। उदाहरणके लिए कर लगाकर आय करनेका अधिकार राज्यको है व्यक्तिको नहीं। कभी कभी राज्य अविनिमय साध्य नोटोंको छापकर और उनको राज-प्रामाणित द्रव्य घोषित करके अपनी आय बढ़ा लेते हैं। यह अधिकारभी सामान्य व्यक्तिके पास नहीं है। ऋण लेकर तात्कालिक आय बढ़ानेकी क्षमताभी साधारण व्यक्तिकी अपेक्षा राज्यकी अधिक रहती है क्योंकि उनकी सार्व अधिक होती है और वह देशके भीतर और दूसरे देशोंसे भी ऋण ले सकना है जहाँ साधारणतः प्रत्येक व्यक्तिकी पहुँच नहीं होती है।

एक बड़ा भेद राज्यके और अन्य व्यक्तियोंके आर्थिक कार्योंमें यह है कि साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति अपने धनसे लाभकी आशा करता है और इसीप्रकार के उद्योग धर्मोंमें जमको लगाता है और ऐसे मूल्यपर अपनी वस्तुओं और सेवाओंको बेचने की चेष्टा करता है जिससे उसको द्रव्य-सम्बन्धी लाभ हो। परन्तु राज्यका यह दृष्टिकोण नहीं रहता है। यदि हम राज्यकी प्रमुख व्ययकी मदोंको देखें—जैसे रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क इत्यादि तो हमको ज्ञात होता है कि राज्यका उद्देश्य इनसे अपनी द्रव्य सम्बन्धी आयको बढ़ाना नहीं होता है। कुछ वस्तुओं और सेवाओंकी तो राज्य लागतसे कम मूल्यपर कभी कभी निःशुल्कभी बेचता है। उदाहरणके लिए निःशुल्क शिक्षा। यह अवश्य है कि राज्यको कुछ वस्तुओंके विक्रयसे लाभभी होता है परन्तु इनकी मर्यादा कम है।

भविष्यके लिए उपयुक्त प्रबंध करनेके हेतु व्यक्तिकी अपेक्षा राज्यका दृष्टिकोण अधिक व्यापक होता है। किसीभी व्यक्तिको वर्तमानकी अपेक्षा निकट भविष्यकी अधिक चिन्ता रहती है और जैसे जैसे भविष्यकी दूरी बटती जाती है वैसे वैसे उसकी दृष्टिमें मुद्दर भविष्यमें प्राप्त होनेवाली उपयोगिता बहुत कम मान्य पड़ती

धे। उदाहरणार्थ जंगल लगानेमें श्रीर उसके बढकर आय उत्पन्न करने योग्य होने में बरसो लगजाते है। गायदही किसी व्यक्तिको उतना धैर्यहो कि वह इस काममें अपनी पूजी लगाये। परन्तु राज्यको तो दीर्घकालिक दृष्टिकोणसे भविष्यकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर प्रबन्ध करना पडता है।

अपने द्रव्यको भिन्न भिन्न वस्तुओमे व्यय करनेमें राज्यकी अपेक्षा व्यक्तिको अधिक कुशलता रहती है। कोईभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की उग्रताके अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओसे प्राप्त होनेवाली उपयोगिताओंकी अपने मनमें तुलना करके अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करसकता है। परन्तु राज्यको तो इसप्रकार की कोई सीधी अनुभूति होती नहीं जिसके आधारपर वह भिन्न भिन्न व्ययोसे प्राप्त सोमान्त उपयोगिताओंके समीकरणका प्रयत्न करसके। अतएव बहुधा राज्य-व्ययमे यह पायाजाता है कि शक्तिशाली सस्थाओं, व्यक्तियो अथवा सम्पादकीय टिप्पणियों के प्रभाव श्रीर दवावके कारण कम आवश्यकीय विभागोंको अधिक और अधिक आवश्यकीय विभागोंको कम अनुदान मिलता है।

राज्य का व्यय

राज्य के व्यय का महत्व

पहिले ग्रन्थायमें हमने देखाकि आधुनिक युगमें राज्यके आर्थिक कार्योंका क्षेत्र बहुत बढ़गया है और इसका समाजके आर्थिक क्षेम परभी यथेष्ट प्रभाव पडता है। इन कार्योंके सम्पादनके लिए राज्यके व्ययका परिमाणभी बहुत बढ़गया है। इस कारण राजस्वके व्यय विभागका महत्वभी अधिक होता जा रहा है। प्राचीन कालमें जब राज्यके कर्तव्य थोड़ेसे ही थे और इनकी पूर्तिके लिए अधिक परिमाण में व्ययभी नहीं होताथा तब इस विषयपर अधिक ध्यान नहीं दियाजाता था। गजन्त-शास्त्र की पुस्तकमें भी इस विषयपर अधिक ध्यान नहीं दियाजाता था। परन्तु अब यह बात नहीं है। समाजकी आयका एक बड़ाभाग अब राज्यके द्वारा व्यय कियाजाता है। अतएव लोगोको इस बातकी जिज्ञासा होनेलगी है कि यह व्यय किसप्रकार व्यय कियाजाता है। इसका सदुपयोग होताहै अथवा दुरुपयोग। समाज समाजपर क्या प्रभाव पडताहै इत्यादि। इसप्रकारके प्रश्नोंके अन्तर्गत राज्यके व्ययका सिद्धान्त निहित है।

राज्य के व्यय का वर्गीकरण

राज्य-शास्त्रमें लेखकोंने अनेक प्रकारसे राज्यके व्ययका वर्गीकरण किया है। प्राचीन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणसे यह वर्गीकरण किया है। अतएव यह कहना बहुत कठिन है कि सही मां वर्गीकरण अधिक उपयुक्त है। भिन्न भिन्न वर्गोंसे इस विषयपर प्रकाश प्रदानही पडता है। अतएव हम कुछ प्रमुख वर्गोंकी विवेचना करेंगे।

राज्य-शास्त्रमें वर्गीकरण हितके आधारपर कियागया है। इस आधारपर राज्यके

व्ययके चार वर्ग कियेगये है। पहिले वर्गमें वह व्ययहै जिससे समाजके सभी लोगोका हित होताहै जैसेकि रक्षा, शिक्षा और सडकोपर कियागया व्यय। राज्य का सबसे अधिक व्यय ऐसेही कार्योंमें होताहै जिससे सर्वसाधारण जनताका लाभ हो। दूसरा वर्ग वहहै जो सार्वजनिक तो समझाजाता है किन्तु उसका लाभ समाज के कुछही लोगोको प्राप्त होताहै जैसेकि निर्धन और अपाहिजोकी सहायतापर व्यय। इसप्रकारके व्ययसे इनलोगोका हिततो होताही है परन्तु समाजका भी हित होताहै क्योकि राज्यसे सहायता न प्राप्त होनेपर इनमेंसे कई चोरी, डकैती और लूटमार करने लगते है और समाजमें अशान्ति पैदा करदेते है। तीसरा वर्ग वहहै जिसमें समाजके हितको दृष्टिमें रखतेहुए व्यय कियाजाता है परन्तु इससे विशेष लाभ उन्ही लोगोको होताहै जो उसको प्राप्त करनेके लिए कुछ शुल्क देते है। उदाहरणार्थ न्यायालयोकी स्थापना और न्यायाधीशोकी नियुक्ति और उनपर व्यय सर्व-साधारण हितके लिए कियाजाता है परन्तु व्यक्तिगत लाभ उन्ही लोगोको होताहै जो न्यायालय को एक निर्धारित कोर्टफीस देतेहै। चौथे वर्गमें वे व्यय आतेहै जिनसे उन्ही लोगो को लाभ होताहै जो राज्यको उन वस्तुओ अथवा सेवाओका पूरा मूल्यदेते है। राज्यके डाक, तार, रेल इत्यादि विभागोपर व्यय कियेहुए द्रव्यसे उन्ही लोगोका हित होताहै जो इन विभागो द्वारा प्रस्तुत वस्तुओ और सेवाओका पूरा मूल्यदेते है। एक पोस्टकार्डका मूल्य तीनपैसा है। अतएव जो मनुष्य तीनपैसा व्यय करने को तत्परहै उसीको पोस्टकार्डसे लाभभी हो सकता है।

राज्यके व्ययके एक दूसरे वर्गीकरण का आधार उस व्ययसे राज्यको प्राप्त होनेवाली आय है। इसकेभी चार वर्ग कियेगये है। पहिले वर्गमें वह व्ययहै जिस से राज्यको कोई आय नहीं होतीहै जैसे निर्धनो और अपाहिजोपर कियागया व्यय। दूसरा वर्ग वहहै जिसमें राज्यके व्ययसे प्रत्यक्ष रूपमें तो आय नहीं होतीहै परन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे आयकी वृद्धिमें सहायता मिलती है। उदाहरणके लिए शिक्षापर कियागया व्यय। ऐसा अनुमान कियाजाता है कि शिक्षित लोगोसे सुगमता और कम खर्चसे कर वसूल होजाता है। तीसरे प्रकारके व्ययसे कुछ आय होतीहै। जैसे इस प्रकारकी शिक्षाका प्रबन्ध जिसमें कुछ व्ययकी पूर्ति विद्यार्थियोसे लीगयी फीस से होतीहै अथवा इस प्रकारकी नहर जिसकी चालू लागतका कुछ भाग सिचाईके शुल्कसे प्राप्त होसके। चौथा वर्ग उस व्ययकाहै जिससे राज्यको इतनी आयहो

जाती है कि कुल व्यय वसूल होजाता है और कभी कभी लाभभी होता है। उदाहरणके लिए डाकखानो और रेलोपर व्यय।

एक अन्य वर्गीकरण राज्यके कर्तव्योंके आधारपर कियागया है। पहिले वर्गमें वह व्ययहै जो देशकी रक्षाके लिए कियेजाते हैं। उदाहरणके लिए सेना, पुलिस, न्यायालय और चिकित्सापर व्यय। दूसरे वर्गमें राज्यके उद्योग धन्धो और व्यापार पर कियेगये व्यय शामिल है—जैसे रेल, बिजली इत्यादिपर व्यय। तीसरे वर्गमें देशके आर्थिक विकास सम्बन्धी व्यय हैं। उदाहरणके लिए शिक्षा, सडक, नहर और बन्दरगाह इत्यादिपर व्यय।

राज्यके कर्तव्योंके आधारपर दूसरे प्रकारसे भी वर्गीकरण कियागया है। इसमें दो मुख्य वर्ग हैं। एक प्रथम श्रेणीका और दूसरा द्वितीय श्रेणीका। प्रथम श्रेणीके व्ययमें रक्षा, शान्ति-स्थापना, प्रशासन और ऋण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है। द्वितीय श्रेणीमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक बीमा इस प्रकारके समाज-सुधार पर व्यय, राज्यके उद्योग धन्धो और निर्माण कार्योपर व्यय सम्मिलित है। द्वितीय श्रेणीमें यह नहीं समझना चाहिए कि इनके द्वारा सम्पादित कार्योका महत्व कम है।

एक वर्गीकरणके अनुसार राज्यके व्ययको उत्पादक और अनुत्पादक वर्गोंमें विभक्त कियागया है। उत्पादक व्यय वहहै जिनसे राज्यको इतनी आय होतीहो जिसमें व्यय पूरा वसूल होजाय अथवा जिनसे समाजके आर्थिक क्षेमकी वृद्धिहो—जैसे रेल सडक, तथा शिक्षा इत्यादिपर व्यय। अनुत्पादक व्ययसे न तो द्रव्य सम्बन्धी आय हांतीहै और न समाजके आर्थिक क्षेममें ही वृद्धि। उदाहरणके लिए दण्ड में सम्बन्धित व्यय जिसका अन्त पराजयमें हुआ हो।

एक प्रकारका व्यय वहहै जिसके बदलेमें राज्य वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करता है, अर्थात् व्ययका उन वस्तुओ और सेवाओका मूल्य समझसकते हैं। उदाहरणके लिए पुलिसपर व्यय कियेगये द्रव्यको पुलिसमैनोंकी सेवाका मूल्य, अध्यापकोपर व्यय किये गये द्रव्यको अध्यापकोकी सेवाका मूल्य समझा जासकता है। इसके प्रतिकूल दूसरे प्रकारका व्यय वहहै जिनके बदले राज्यको प्रत्यक्ष रूपमें कोई वस्तु अथवा सेवा प्राप्त नहीं होती है। उदाहरणके लिए निर्धनो और अपाहिजोपर कियागया व्यय।

एक और वर्गीकरण देकर हम इस प्रकारको समाप्त करेंगे। उन वर्गीकरणोंके आधार पर राज्यका एक व्यय इस प्रकारका होताहै जिसमें राज्य द्रव्यका देना

व्ययके चार वर्ग कियेगये है। पहिले वर्गमें वह व्ययहै जिससे समाजके सभ लोगोका हित होताहै जैसेकि रक्षा, शिक्षा और सड़कोपर कियागया व्यय। राजका सबसे अधिक व्यय ऐसेही कार्योंमें होताहै जिससे सर्वसाधारण जनताका लाभ हो। दूसरा वर्ग वहहै जो सार्वजनिक तो समझाजाता है किन्तु उसका लाभ समाजके कुछही लोगोको प्राप्त होताहै जैसेकि निर्धन और अपाहिजोकी सहायतापर व्यय इसप्रकारके व्ययसे इनलोगोका हिततो होताही है परन्तु समाजका भी हित होता है क्योंकि राज्यसे सहायता न प्राप्त होनेपर इनमेंसे कई चोरी, डकैती और लूट करने लगते हैं और समाजमें अशान्ति पैदा करदेते हैं। तीसरा वर्ग वहहै जो समाजके हितको दृष्टिमें रखतेहुए व्यय कियाजाता है परन्तु इससे विशेष लाभ उन्ही लोगोको होताहै जो उसको प्राप्त करनेके लिए कुछ शुल्क देते हैं। उदाहरणार्थ न्यायालयोकी स्थापना और न्यायाधीशोकी नियुक्ति और उनपर व्यय सर्वसाधारण हितके लिए कियाजाता है परन्तु व्यक्तिगत लाभ उन्ही लोगोको होताहै जो न्याय को एक निर्धारित कोर्टफीस देतेहै। चौथे वर्गमें वे व्यय आतेहै जिनसे उन्ही लोगोको लाभ होताहै जो राज्यको उन वस्तुओ अथवा सेवाओका पूरा मूल्यदेते हैं राज्यके डाक, तार, रेल इत्यादि विभागोपर व्यय कियेहुए द्रव्यसे उन्ही लोगोका हित होताहै जो इन विभागो द्वारा प्रस्तुत वस्तुओ और सेवाओका पूरा मूल्यदेते हैं। एक पोस्टकार्डका मूल्य तीनपैसा है। अतएव जो मनुष्य तीनपैसा व्यय करेगा तो तत्परहै उसीको पोस्टकार्डसे लाभभी हो सकता है।

राज्यके व्ययके एक दूसरे वर्गीकरण का आधार उस व्ययसे राज्यको आय होनेवाली आय है। इसकेभी चार वर्ग कियेगये है। पहिले वर्गमें वह व्ययहै जिससे राज्यको कोई आय नही होतीहै जैसे निर्धनो और अपाहिजोपर कियागया व्यय दूसरा वर्ग वहहै जिसमें राज्यके व्ययसे प्रत्यक्ष रूपमें तो आय नही होतीहै परन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे आयकी वृद्धिमें सहायता मिलती है। उदाहरणके लिए शिक्षा कियागया व्यय। ऐसा अनुमान कियाजाता है कि शिक्षित लोगोसे सुगमता और कम खर्चसे कर वसूल होजाता है। तीसरे प्रकारके व्ययसे कुछ आय होतीहै जैसे इस प्रकारकी शिक्षाका प्रबन्ध जिसमें कुछ व्ययकी पूर्ति विद्यार्थियोसे लोगोकी फीस से होतीहै अथवा इस प्रकारकी नहर जिसकी चालू लागतका कुछ भाग सिंचन शुल्कसे प्राप्त होसके। चौथा वर्ग उस व्ययकाहै जिससे राज्यको इतनी आय

जाती है कि कुल व्यय वसूल होजाता है और कभी कभी लाभभी होता है। उदाहरणके लिए डाकखानों और रेलोपर व्यय।

एक अन्य वर्गीकरण राज्यके कर्तव्योंके आधारपर किया गया है। पहिले वर्गमें वह व्यय है जो देशकी रक्षाके लिए कियेजाते है। उदाहरणके लिए सेना, पुलिस, न्यायालय और चिकित्सापर व्यय। दूसरे वर्गमें राज्यके उद्योग धन्धो और व्यापार पर कियेगये व्यय शामिल है—जैसे रेल, विजली इत्यादिपर व्यय। तीसरे वर्गमें देशके आर्थिक विकास सम्बन्धी व्यय है। उदाहरणके लिए शिक्षा, सड़क, नहर और बन्दरगाह इत्यादिपर व्यय।

राज्यके कर्तव्योंके आधारपर दूसरे प्रकारसे भी वर्गीकरण किया गया है। इसमें दो मुख्य वर्ग हैं। एक प्रथम श्रेणीका और दूसरा द्वितीय श्रेणीका। प्रथम श्रेणीके व्ययमें रक्षा, शान्ति-स्थापना, प्रशासन और ऋण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है। द्वितीय श्रेणीमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक बीमा इस प्रकारके समाज-सुधार पर व्यय, राज्यके उद्योग धन्धो और निर्माण कार्योंपर व्यय सम्मिलित है। द्वितीय श्रेणीमें यह नहीं समझना चाहिए कि इनके द्वारा सम्पादित कार्योंका महत्व कम है।

एक वर्गीकरणके अनुसार राज्यके व्ययको उत्पादक और अनुत्पादक वर्गोंमें विभक्त किया गया है। उत्पादक व्यय वह है जिनमें राज्यको इतनी आय हांती है जिसमें व्यय पूरा वसूल होजाय अथवा जिनसे समाजके आर्थिक क्षेमकी वृद्धि हो—जैसे रेल सड़क, तथा शिक्षा इत्यादिपर व्यय। अनुत्पादक व्ययमें न तो द्रव्य सम्बन्धी आय होती है और न समाजके आर्थिक क्षेममें ही वृद्धि। उदाहरणके लिए उम जूझ से सम्बन्धित व्यय जिनका अन्त पराजयमें हुआ हो।

एक प्रकारका व्यय वह है जिसके बदलेमें राज्य वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करता है अर्थात् व्ययको उन वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य नभभवकते है। उदाहरणके लिए अन्वेषणपर व्यय कियेगये व्ययको पुतिनर्मनोंकी सेवाका मूल्य, अध्यापकोंपर व्यय किने गये पुस्तक अथवापकोंकी सेवाका मूल्य नभभता जानता है। इनमें व्यय उद्योगधन्धो अथवा अन्य वह है जिसके बदले राज्यको प्रत्यक्ष लाभों की वस्तुएं प्राप्त नहीं होती है। उदाहरणके लिए निर्माण और अन्वेषण पर व्यय।

एक और वर्गीकरण देशके हम उम प्रकारको समाज वर्गों में। इस वर्गों के अनुसार राज्यका एक उम उम प्रकारका होता है जिसमें राज्य के व्यय

व्ययके चार वर्ग कियेगये हैं। पहिले वर्गमें वह व्ययहै जिससे समाजके सभी लोगोका हित होताहै जैसेकि रक्षा, शिक्षा और सडकोपर कियागया व्यय। राज्य का सबसे अधिक व्यय ऐसेही कार्योंमें होताहै जिससे सर्वसाधारण जनताका लाभ हो। दूसरा वर्ग वहहै जो सार्वजनिक तो समझाजाता है किन्तु उसका लाभ समाज के कुछही लोगोको प्राप्त होताहै जैसेकि निर्धन और अपाहिजोकी सहायतापर व्यय। इसप्रकारके व्ययसे इनलोगोका हिततो होताही है परन्तु समाजका भी हित होताहै क्योंकि राज्यसे सहायता न प्राप्त होनेपर इनमेंसे कई चोरी, डकैती और लूटमार करने लगते हैं और समाजमें अशान्ति पैदा करदेते हैं। तीसरा वर्ग वहहै जिसमें समाजके हितको दृष्टिमें रखतेहुए व्यय कियाजाता है परन्तु इससे विशेष लाभ उन्ही लोगोको होताहै जो उसको प्राप्त करनेके लिए कुछ शुल्क देते हैं। उदाहरणार्थ न्यायालयोकी स्थापना और न्यायाधीशोकी नियुक्ति और उनपर व्यय सर्वसाधारण हितके लिए कियाजाता है परन्तु व्यक्तिगत लाभ उन्ही लोगोको होताहै जो न्यायालय को एक निर्धारित कोर्टफीस देतेहैं। चौथे वर्गमें वे व्यय आतेहैं जिनसे उन्ही लोगों को लाभ होताहै जो राज्यको उन वस्तुओ अथवा सेवाओका पूरा मूल्यदेते हैं। राज्यके डाक, तार, रेल इत्यादि विभागोपर व्यय कियेहुए द्रव्यसे उन्ही लोगोका हित होताहै जो इन विभागो द्वारा प्रस्तुत वस्तुओ और सेवाओका पूरा मूल्यदेते हैं। एक पोस्टकार्डका मूल्य तीनपैसा है। अतएव जो मनुष्य तीनपैसा व्यय करने को तत्परहै उसीको पोस्टकार्डसे लाभभी हो सकता है।

राज्यके व्ययके एक दूसरे वर्गीकरण का आधार उस व्ययसे राज्यको प्राप्त होनेवाली आय है। इसकेभी चार वर्ग कियेगये हैं। पहिले वर्गमें वह व्ययहै जिस से राज्यको कोई आय नहीं होतीहै जैसे निर्धनो और अपाहिजोपर कियागया व्यय। दूसरा वर्ग वहहै जिसमें राज्यके व्ययसे प्रत्यक्ष रूपमें तो आय नहीं होतीहै परन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे आयकी वृद्धिमें सहायता मिलती है। उदाहरणके लिए शिक्षापर कियागया व्यय। ऐसा अनुमान कियाजाता है कि शिक्षित लोगोसे सुगमता और कम खर्चसे कर वसूल होजाता है। तीसरे प्रकारके व्ययसे कुछ आय होतीहै। जैसे इस प्रकारकी शिक्षाका प्रबन्ध जिसमें कुछ व्ययकी पूर्ति विद्यार्थियोसे लीगयी फीस से होतीहै अथवा इस प्रकारकी नहर जिसकी चालू लागतका कुछ भाग सिचाईके शुल्कसे प्राप्त होसके। चौथा वर्ग उस व्ययकाहै जिससे राज्यको इतनी आयहो

जाती है कि कुल व्यय कम होजाता है और कभी कभी लाभभी होता है। उदाहरणके लिए टाक्यानों और रेनोपर व्यय।

एक अन्य वर्गीकरण राज्यके वर्तव्योंके आधारपर किया गया है। पहिले वर्गमें वह व्यय है जो देशकी रक्षाके लिए बित्रेजाने है। उदाहरणके लिए सेना, पुलिस, न्यायालय और चिविलिपर व्यय। दूसरे वर्गमें राज्यके उद्योग धन्धों और व्यापारपर बित्रेग्य व्यय शामिल है—जैसे रेल, बिजली इत्यादिपर व्यय। तीसरे वर्गमें देशके आर्थिक विकास सम्बन्धी व्यय है। उदाहरणके लिए शिक्षा, मडक नहर और इन्टरगाह इत्यादिपर व्यय।

राज्यके वर्तव्योंके आधारपर हमारे प्रकारमे भी वर्गीकरण किया गया है। हममें दो मुख्य वर्ग है। एक प्रथम श्रेणीका और दूसरा द्वितीय श्रेणीका। प्रथम श्रेणीके व्ययमें रक्षा, शान्ति-स्थापना, प्रशासन और नृण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है। द्वितीय श्रेणीमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक बीमा हम प्रकारके समाज-सुधारपर व्यय, राज्यके उद्योग धन्धों और निर्माण कार्योंपर व्यय सम्मिलित है। द्वितीय श्रेणीमे यह नहीं समझना चाहिए कि उनके द्वारा सम्राचित साधोंका महत्व कम है।

एक वर्गीकरणके अनुसार राज्यके व्ययको उत्पादक और अनउत्पादक वर्गोंमें विभक्त किया गया है। उत्पादक व्यय वह है जिनमे राज्यों उनकी आय की तीता जिनमे व्यय पूरा कम्पू होनाय अथवा जिनमे समाजके आर्थिक भेदको दूरिणी—जैसे रेल, मडक, तथा शिक्षा इत्यादिपर व्यय। अनउत्पादक व्ययमे न तो राज्य सम्बन्धी आय होती है और न समाजके आर्थिक भेदमे ही दूरि। उदाहरणके लिए इन व्यय मे सम्बन्धित व्यय जिनका पला परापरमें है।

एक प्रकारका व्यय वह है जिनके वर्तव्योंमे राज्य परम्पू और सेवाएं प्राप्त करके ही प्राप्त करके ही परम्पू और सेवाओं की संख्या का मापन करके है। उदाहरणके लिए पुलिसपर व्यय किसे हमें प्रशासकीय कामोंकी समाप्त करके आसपस परापर व्यय परम्पू और सेवाओं की संख्या का मापन करके है। हमें जीते ही हमें प्रशासकीय व्यय को जिनके वर्तव्यों परम्पू और सेवाओं की संख्या का मापन करके है। उदाहरणके लिए शिक्षा, मडक, नहर, और इत्यादिपर व्यय।

एक वर्गीकरणके अनुसार राज्यके व्ययको उत्पादक और अनउत्पादक वर्गोंमें विभक्त किया गया है। उत्पादक व्यय वह है जिनमे राज्यों उनकी आय की तीता जिनमे व्यय पूरा कम्पू होनाय अथवा जिनमे समाजके आर्थिक भेदको दूरिणी—जैसे रेल, मडक, तथा शिक्षा इत्यादिपर व्यय। अनउत्पादक व्ययमे न तो राज्य सम्बन्धी आय होती है और न समाजके आर्थिक भेदमे ही दूरि। उदाहरणके लिए इन व्यय मे सम्बन्धित व्यय जिनका पला परापरमें है।

हस्तान्तरित करताहै अर्थात् समाजसे द्रव्य लेकर समाजको द्रव्यही वापिस करदेता है। उदाहरणके लिए राज्यकर द्वारा समाजसे रुपया प्राप्त करताहै और उस द्रव्य के एक भागको पेन्शनके रूपमें अथवा निर्धनो और अपाहिजोंकी सहायतामें अथवा व्याजके रूपमें समाजके व्यक्तियोंको देताहै परन्तु दूसरे प्रकारका व्यय वहहै जिस से राज्य समाजके उत्पत्तिके साधनोंको काममें लाता है। उदाहरणार्थ सड़क, नहर, पुल और शिक्षालय इत्यादिके बनानेमें राज्य जो द्रव्य व्यय करताहै उससे वह उत्पत्तिके साधनोंका प्रयोग करता है। इस प्रकारके व्ययसे उत्पत्तिके साधनोंके वितरणमें प्रभाव पडता है। पहिले प्रकारके व्ययको हम 'हस्तान्तरित' व्यय और दूसरेप्रकार के व्ययको 'वास्तविक' व्यय कहेंगे।

राज्य के व्ययसम्बन्धी नियम

राज्यके व्ययके कार्योंमें चार नियमोंको ध्यानमें रखना आवश्यक कहागया है। पहिला नियम यहहै कि व्ययसे समाजका अधिकतम हित हो। इस नियमको कार्यान्वित करनेके लिए यह आवश्यकहै कि व्यय करनेसे पूर्व इस बातकी अच्छीतरह छानबीन कर ली जानी चाहिए कि किस मदमें व्यय करनेसे समाजको अधिकसे अधिक क्षेम प्राप्त होगा। दूसरा नियम मितव्ययिताका है। मितव्ययिताका अर्थ-कृपणता नहीं है। इसका यह तात्पर्यहै कि राज्यके द्रव्यको व्यय करनेमें उसी प्रकारकी सावधानीसे काम लेना चाहिए जिस प्रकारकी सावधानी कोई व्यक्ति अपने धनको व्यय करने में लेता है। अतिव्यय और वरवादी न होनेदेनी चाहिए। तीसरा नियम स्वीकृति का है। इसका यह तात्पर्यहै कि बिना उचित अधिकारके राज्यके द्रव्यका व्यय नहीं होना चाहिए। पहिले अधिकारियोंसे स्वीकृति प्राप्त करलेनी चाहिए और तत्र व्यय करना चाहिए तथा स्वीकृतिसे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए और जिसकार्य के लिए स्वीकृति मिलीहो उसी कार्यमें व्ययभी करना चाहिए। चौथा नियम आय-व्ययके सामजस्यका है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक अवस्थामें आय से व्यय कम होना चाहिए क्योंकि ऐसेभी अवसर आजाते हैं जबकि राज्यको ऋण भी लेनापडता है। परन्तु इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए कि प्रतिवर्ष राज्यका बजट घाटेका बजट न हो।

राज्य के व्यय का आर्थिक प्रभाव

राज्यके व्ययका देशके आर्थिक कार्योंपर बहुत प्रभाव पड़ताहै और जितनी अधिक मात्रामें राज्यका व्यय होताहै उतनाही वह अधिक प्रभावोत्पादक भी होता है। राज्यकी आय समाजकी आयका ही भाग होता है। यदि यह आय राज्य द्वारा व्यय न होकर समाजके व्यक्तियों द्वाराही व्यय होती तो यह सम्भवहै कि वह उन मदों पर और उन परिमाणोंमें व्यय न होती जैसीकि राज्य द्वारा होती है। अतएव हम इस परिणामपर पहुँचतेहै कि राज्य अपनी व्यय-नीतिसे समाजकी आयका एकभाग इस प्रकारके कार्योंमें लगाताहै जिनमें बिना उसके हस्तक्षेपके वह न लगाया जाता अथवा कमसे कम उतनी मात्रामें न लगता। इसके परिणाम स्वरूप देशकी उत्पत्ति के साधनोंके आर्थिक कार्योंके वितरणमें भिन्नता होजाती है। अब प्रश्न यहहै कि उत्पत्तिके साधनोंके प्रवाहकी दिशाको बदलनेसे समाजका हितहोगा अथवा अहित यह बहुत गम्भीर विषय है। हमको दो प्रकारकी आर्थिक स्थितियोंकी तुलना करनी पड़ती है। एक स्थिति समाजमें उत्पत्तिकी मात्रा और उसके वितरणमें राज्यके हस्तक्षेप करनेके पूर्वकी है दूसरी स्थिति उत्पत्तिकी मात्रा और उसके वितरणपर राज्यके अपनी व्ययनीति द्वारा प्रभाव डालनेके बादकी है। इन दो प्रकारकी आर्थिक स्थितियोंकी तुलना करनेपर यदि हम इस परिणामपर पहुँचें कि राज्यके हस्तक्षेप करनेके बादकी आर्थिक स्थितिसे समाजका अधिक हित होताहै तो हम कहसकते हैं कि राज्यके व्ययसे उत्पत्तिके साधनोंको भिन्न भिन्न व्यवसायोंपर वितरण करनेमें जो परिवर्तन हुआ वहवाञ्छित है। उदाहरणके लिए यदि समाजकी कुछ आय बेकार पड़ीहै और उत्पत्तिके कुछ साधनभी बेकार पड़ेहो तो ऐसी अवस्थामें यदि राज्य उस द्रव्यको कर के रूपमें लेकर उत्पत्तिके बेकार साधनोंको काममें लगासके तो इससे निस्सन्देह उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होगी। इसीप्रकार यदि राज्य अपनी कर और व्यय-नीति द्वारा हानिकारक विलासिताकी वस्तुओंसे उत्पत्तिके साधनोंको कम कर के उनको जीवन-निर्वाह अथवा निपुणतादायक वस्तुओंके उत्पादनमें लगाये तो इससे समाजका हितही होगा। इसके प्रतिकूल यदि राज्य अपनी आयका कुछ हिस्सा बरबाद करे जिसको समाजके लोग उपयोगी कार्योंमें लगाते तो इससे समाजकी हानि होगी।

मोटे तौरपर हम कह सकते हैं कि राज्यके व्ययके द्वारा समाजका अधिकतम हित करनेके लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि हो, उनकी भिन्न भिन्न गनों में सन्तुलन हो, वितरणकी असमानता कम हो और आर्थिक अन्विवरतामें भी कमी हो। अब हम यह बतानेकी चेष्टा करेंगे कि राज्यके व्ययमें किसप्रकार और किस अंशतक इनमें सफलता प्राप्त हो सकती है।

राज्य के व्यय पर उत्पादन का प्रभाव

राज्यके वह व्यय जिनमें रक्षा, शान्ति और न्यायका प्रबन्ध होता है, उत्पन्न करनेके लिए आवश्यक है। परन्तु यह देखा गया है कि इन मदोंपर विनोदकर बाहरी माध्यम से रक्षाके लिए बहुत व्यय किया जाता है। यदि प्रत्येक देश उग मदमें काम प्रतिमान वृद्धि करदे तो रक्षाका स्तर तो पूर्ववत् ही रहेगा परन्तु इसी परिमाणमें उत्पादनके माध्यम अन्य मदोंमें निवेशकर इन मदोंपर लगाये जायेंगे। इनके प्रतिमान यदि प्रत्येक देश अपनी रक्षाके व्ययमें दोन प्रतिमान कामी करदे तो उत्पादनके उच्च माध्यम अन्य आर्थिक प्रयोजनोंके लिए बच जायेंगे जिनमें समाजका अधिक धन होगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय-सुरक्षा संस्था द्वारा समारभर में शान्ति का समुचित प्रबन्ध होय तो इनमें प्रत्येक देशमें रक्षापर व्यय कम होगा और उत्पादनके माध्यम से उच्च सामर्थ्यके धनानेमें कार्यक्षम है, अन्य आवश्यक पदार्थोंका बतानेके लिए प्राप्त हो सकेगा।

सामाजिक दृष्टिकोणसे उम प्रकारका सामान्य स्तर आतीये जिससे समाजकी शान्ति रहे। उम प्रकारके व्ययमें शिक्षा, निर्मिता, अन्वेषण का प्रबन्धमें व्यय, निर्यात और समाजिक सुधारोंपर व्यय सम्मिलित है। उन्नीप्रकार कीयेयी वृद्धिमें उत्पादनको बढानेके लिए आवश्यक है। यदि सरकारने उन्नीप्रकार कीयेयी वृद्धि को बढानेमें सफलता मिले तो इनमें भी उत्पादनको बढानेमें वृद्धि होगी। उन्नीप्रकार कीयेयी वृद्धिमें समाजमें ही वृद्धि नहीं होगी, बल्कि समाजके अन्तर्गत ही वृद्धि होगी। उन्नीप्रकार कीयेयी वृद्धिमें समाजमें ही वृद्धि होगी, बल्कि समाजके अन्तर्गत ही वृद्धि होगी। उन्नीप्रकार कीयेयी वृद्धिमें समाजमें ही वृद्धि होगी, बल्कि समाजके अन्तर्गत ही वृद्धि होगी। उन्नीप्रकार कीयेयी वृद्धिमें समाजमें ही वृद्धि होगी, बल्कि समाजके अन्तर्गत ही वृद्धि होगी।

उद्योग धन्धोका राष्ट्रीयकरण करसकता है जिनकी उत्पत्ति और मूल्यका नियन्त्रण समाजके हितके लिए हो।

उत्पत्तिका परिमाण लोगोकी काम करनेकी इच्छापर भी निर्भर होता है। यदि राज्यके व्ययसे लोगोके काम करनेकी इच्छामें ह्रासहो तो इससे उत्पत्तिकी हानि होना सम्भव है। यदि लोगोको बिना किसी बन्धनके राज्यमें आर्थिक सहायता मिलनेकी आशाहो तो सम्भवहै कि कुछ लोगोपर इसका प्रभाव कामसे जीचुराने पर पड़े। परन्तु यदि आर्थिक सहायता बीमार पडनेपर अथवा अनिच्छामयी बेकारीके समय दीजाये तो इसमें कार्य करनेकी इच्छाओंमें कमी नहीं होगी।

आधुनिक कालमें राज्यके व्यय द्वारा आर्थिक व्यवस्थामें स्थिरता लानेको तथा मन्दी और बेकारीको कम करनेको बहुत महत्व दिया जा रहा है। अनुभवसे ज्ञात हुआहै कि पूजीवादी आर्थिक व्यवस्थामें स्थिरता नहीं रहती है। समय समयपर इसमें मन्दी और बेकारी उत्पन्न होजाती है। राज्यका यह कर्तव्य समझा जाताहै कि वह इन व्याधियोंसे समाजकी रक्षा करे। अन्य उपायोके साथ साथ राज्यकी व्यय-नीति भी इस कार्यमें सहायता करसकती है। यह आशा कीजाती है कि अपने सार्वजनिक निर्माणके कार्योंके द्वारा राज्य आर्थिक मन्दीकी रोकथाम करसकताहै। मन्दीके अवसरपर पूजीपति उत्पत्तिकी मात्रामें विशेषकर उत्पादक वस्तुओके उत्पादन में कमी करदेते है जिससे उत्पत्तिके साधनोंमें बेकारी होनेलगती है। ऐसे अवसरपर यदि राज्य सार्वजनिक निर्माण कार्योंमें वृद्धिकरे तो बेकारोको रोजगार मिलेगा, उनकी आयमें वृद्धि होगी और उपभोग्य वस्तुओकी मागमें वृद्धि होनेके कारण अन्य व्यवसायोका उत्थान होने लगेगा। एक बातसे अवश्य सावधान रहना पड़ेगा कि राज्य के कार्य अन्य व्यवसायोसे प्रतिस्पर्धा न करें नहीतो जिस परिमाणमें राज्य द्वारा उत्पादनके साधनोंको कार्य मिलेगा उसी परिमाणमें अन्य व्यवसायोमें बेकारी होगी। यहभी आवश्यकहै कि राज्य बेकारीको कम करनेके लिए कोईभी कार्य बिना किसी योजनाके आरम्भ न करे। इससे उत्पत्तिके साधनोंकी वरवादी होनेकी सम्भावना रहती है। मन्दी और बेकारी आनेके बहुत पहिलेसे ही राज्यको निर्माण-कार्यकी योजनाए तैयार रखनी चाहिए। इस बातका भी ध्यान रखना पडताहै कि इन निर्माण-कार्योंमें लगानेके लिए द्रव्य अधिक मात्रामें कर द्वारा नहीं वरन् ऋणलेकर प्राप्त करना चाहिए। मन्दीके समय द्रव्यके चलनमें वेग लानेकी आवश्यकता है।

कर के भारकी अधिकतासे सम्भव है कि पूँजीके लगावकी मात्रामें औरभी कमी आ जाय। इसलिए राज्यको उन द्रव्यकी जो समाजमें दो बार पडा हुआ हो, कृपसे रूपमें प्राप्तकर उनको निर्माणके शायमें लगाकर उनके चलनके वेगमें वृद्धिती पैदा करनी चाहिए।

राज्य के व्यय का वितरण पर प्रभाव

पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्थामें उनके वितरणमें वृत्त अनुमानता ली जाती है। यद्यपि यदि राज्यके व्ययके द्वारा उन अनुमानतामें कमी होसके तो उनमें मनाजके आर्थिक धर्ममें वृद्धि होगी। उनके प्रकारसे राज्य गरीब लोगोंकी आयमें पूँजी करके अनुमानता कम करसकता है, वे सारे और अवाहियोंको आर्थिक मनाजका देकर, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा और चिकित्साका प्रबन्ध करके उन वर्गकी आर्थिक स्थिति सुधारी जासकती है। समीपकार ने मजदूरोंके लिए सर्वे महान धनपार माल जिन जीवन निर्वाह और निपुणता सबके पदाजोका गरीब लोग अधिक मायामें देखन करते, उन व्यवसायोंको आर्थिक मनाजका देकर उन्हा भान कम करके भी उनकी आर्थिक आयमें वृद्धिती जासकती है। सामानिक रूपमें प्रत्येक देशमें राज्यकी आयके एक बड़े हिस्सेको सामाजिक-सुरक्षाकी सहायमें खर्च करनेकी जरूरत होती है। इसका अधिक लाभ गरीब लोगोंको मिलता है। क्योंकि एक व्ययका एक बात भाग कनी लोगोंमें वितरण करने के समयमें (सहायता है) समीपकार का माना कि जहाँ है कि एक प्रकारकी भीति, उनके (राज्यकी) सहायता में लगी

राज्य की आय

राज्य की आय की मर्दे

हम देखचुकेहै कि आधुनिक कालमें राज्यके आर्थिक कार्यों और कर्तव्यकी सख्या बहुत बढगयी है और बढती जा रही है। इन कार्योंके सम्पादनके लिए राज्यको साधन चाहिए। अन्ततोगत्वा ये साधन वस्तुओ और सेवाओके रूपमें ही होतेहै परन्तु आदिमें ये साधन राज्यको द्रव्यके रूपमें इकट्ठा करने पडते है। आधुनिक कालमें राज्यकी आयका एक बडा भाग जनतासे कर के रूपमें वसूल कियाजाता है। यह भाग कुल आयका दो तिहाईसे तीन चौथाई तक होता है। प्राचीन कालमें राजाओ और राज्यके पास अपनी निजकी सम्पत्ति अधिकतर भूमिके रूपमें होतीथी जिसकी आयसे राज्यके सीमित कार्य अधिकतर सम्पादित होते थे। विशेष अवस्थामें जैसे युद्धकालमें राज्य अपनी प्रजासे दबाव डालकर आवश्यक सामग्रिया प्राप्त करलेता था। परन्तु आजकल राज्यके पास अपनी सम्पत्ति बहुत थोडी रहतीहै किन्तु उस की आवश्यकताए बढगयी है। दबाव डालकर सामग्रिया प्राप्त करनेकी प्रथाभी अब बहुतकम काममें लायी जाती है। इसलिए राज्यको अपनी आयको बढानेके लिए कर-प्रणाली की व्यवस्था करनी पडी है।

कर से राज्यको सबसे बडी आयहोती है। कर वह रकमहै जो प्रजाको राज्यको अवश्यमेव देनी पडती है। इसके भुगतानमें इस बातका विचार नही होताहै कि कर देनेवालेको उस रकमके बराबर राज्यसे प्राप्ति हो। करका परिमाण किस सिद्धान्त के अनुसार निश्चित कियाजाता है उसका विवेचन एक स्वतन्त्र अध्यायमें किया जायगा। परन्तु कर की अपेक्षा कुछ अन्य मर्देभी है जिनसे राज्यको आय होती है। पहिले इन मर्दोपर प्रकाश डालकर हम इनका वर्गीकरण करेंगे।

सबसे पहिले हम राज्यकी सम्पत्तिसे प्राप्त होनेवाली आयकी विवेचना करेंगे।

प्राचीनकालमें राज्यकी प्रधान सन्धि भूमिके रूपमें थी जिसमें खेती होती थी। इनमें राज्य को पर्याप्त मात्रामें आयही जातीथी परन्तु आजकल इतरामें राज्य के पास भूमि बहुत कमहै जिसमें राज्यकी योग्य खेती होतीहो और खेतीके कारि से उसको आय हो। जगलोंके रूपमें राज्यके पास विस्तृत भूमि अवर्भा रहती है। जगलोंमें विविध रूपमें जैसे लकड़ी काग, वनस्पति और जगलोंमें उत्पन्न हुई वस्तुओंको खेचनेसे राज्यको कुछ आयको अवश्यही होतीहै, परन्तु जगलों से राज्य के अधीन रखनेका मन्थ उद्देश्य आय नहीं है। जगलोंके संरक्षण का मन्थ उद्देश्य बाक की रक्षिकी और मतहकी उपजाऊ मिट्टीको बहनेसे रोकना है। इसीप्रकार राज्य खानोपाधी भूमि का भी संरक्षण करताहै जिसमें प्रवमान पीठी मर्भा खनिज पदार्थों को अपने काममें लाकर भविष्यकी पीढियों को वचि न करवे। लकड़ेंसंशाने राज्यको अवश्यही रायली (मानवाना) मिलती है।

राज्य के उद्योग-धन्धे

को उस व्यवसायमें हिस्सा लेनेको प्रेरित किया जाता है। हानिकारक पदार्थोंके उत्पादन और व्यापारका नियन्त्रण करनेके लिएभी राज्य ऐसे धन्वोंको अपने अधीन रखना चाहता है। भारतवर्षमें अफीमका व्यापार इसका उदाहरण है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य केवल आपके निमित्त ही उद्योग-धन्वोंको अपने हाथमें नहीं लेता है। इस नीतिके अन्तर्गत राज्यके उद्योग-धन्वोंमें उत्पन्न हुई वस्तुओं और सेवाओंका मूल्य निर्धारण करना भी रहता है। यदि राज्यको अपनी आय अधिकतम करनीही तो वह ऐसे मूल्य निर्धारित करेगा जिनसे उसको अधिकतम लाभ हो। परन्तु अनेक ऐसे उदाहरण मिलतेहैं जहां यह मूल्य केवल लागतके बराबर होता है। कभी कभी बिना मूल्यके भी राज्यसे सेवाएँ और वस्तुएँ मिलती हैं। उनकी लागत राज्यकी आयसे पूरीकी जाती है। पोस्टकार्ड को केवल लागत पर वेचना, मजदूरो को लागतसे कम किराये पर मकान देना, निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा इसके उदाहरण हैं। आकड़ोंसे पता चलताहै कि राज्यके उद्योग-धन्वोंसे अधिक आय नहीं होती है। वर्तमान कालमें कुछ राज्य प्रधानतः आयके लिए कुछ उद्योग-धन्वोंका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। यदि बड़ी मात्रा में इस प्रवृत्तिका विकासहो तो सम्भवहै कि भविष्यमें इस मदसे राज्यको पर्याप्त आय होने लगे।

प्रशासनकारी आय

शासन सम्बन्धी कार्योंसे भी राज्यको कुछ आय होजाती है। राज्यके कुछ ऐसे विभाग होतेहैं जिनका उपयोग करनेके लिए फीस देनी पडती है। उदाहरणके लिए न्यायालयका उपयोग करनेके लिए कोर्टफीस देनीपडती है। इसीप्रकार दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री करानेके लिए फीस देनी पडतीहै जिससे उसपर राज्यकी मुहर लग जानेसे दस्तावेज सम्बन्धी लेन-देन अथवा क्रय-विक्रय राज प्रमाणित हो जाता है। जनताको अनेक उद्योग-धन्वोंको चलानेके लिए लाइसेंस लेना पडता है। लाइसेंस प्राप्त करनेसे किसी कामको करनेकी अनुमति मिलजाती है और लाइसेंस लेनेके लिएभी रुपया जमा करना पडताहै, जिससे राज्यको आय होती है। इस प्रकार हम देखतेहैं कि फीस और लाइसेंस से आयके साथ साथ नियन्त्रणका

राज्य की आय का वर्गीकरण

जिस सिद्धान्तपर राज्यके व्ययका वर्गीकरण किया गया था, उसी सिद्धान्तपर आय का वर्गीकरण भिन्न भिन्न लेखकोने भिन्न भिन्न आधारपर किया है। इनमेंसे मुख्य मुख्य वर्गीकरणों को आगे दिया जाता है।

एक पुराने वर्गीकरणके अनुसार राज्यकी आयको दो हिस्सोंमें विभाजित किया गया है। एक हिस्सेमें राजा अथवा राज्यकी सम्पत्तिकी आय और दूसरे हिस्सेमें प्रजासे प्राप्त आय रखीजाती है। एक और वर्गीकरणसे आयके तीनभाग किये गये हैं। पहिले भागमें वह आयहै जो राज्यको अपनी सम्पत्तिसे, अपने उद्योग-धन्धोसे, दान और भेंटसे अथवा अपहरणसे प्राप्त होती है। दूसरे भागमें वह आय है, जो कर, फीस, विशेष-देय और जुर्मानेसे प्राप्त होती है। तीसरे भागमें वह आय शामिल है जो ऋणसे प्राप्त होती है। तीसरे वर्गीकरणके भी तीन भाग है। पहिले भागमें वह आयहै जो स्वतन्त्र रूपसे होतीहै जैसे दान, भेंट। दूसरे भागकी आय नियतात्मक होतीहै जैसे राज्यकी सम्पत्ति और उद्योग-धन्धोसे आय। तीसरे भाग में अनिवार्य-देय आय शामिलहै जैसे कर, फीस, जुर्माना, विशेष-देय इत्यादि। एक और वर्गीकरणमें राज्यकी आय दो भागोंमें विभक्तहै। पहिले भागको साधारण आय कहतेहै जिसमें कर, फीस, राज्यकी सम्पत्ति और उसके उद्योग-धन्धोकी आय शामिल है। दूसरे भागको असाधारण आय कहते है। इसमें राज्यकी सम्पत्तिको बेचनेसे अथवा ऋणसे प्राप्त होनेवाली आय शामिल है। आधुनिक कालमें जो वर्गीकरण प्रचलितहै उसके अनुसार राज्यकी आयके दो बड़े भाग किये गये हैं। पहिले वर्गमें वह सब आय शामिलहै जो करोसे प्राप्त होतीहै और करोके अतिरिक्त आय जैसे राज्यकी सम्पत्ति और व्यवसायोसे प्राप्त, प्रशासन सम्बन्धी मदोसे प्राप्त और ऋणसे प्राप्त दूसरे भागमें रखी गयी है।

राज्य की अच्छी आय-पद्धति की विशेषताएँ

राज्यकी आय-पद्धति को समाजके आर्थिक कार्योंमें एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतएव इसकी व्यवस्था और क्रियापर विशेष ध्यान देनापडता है। आधुनिक

नाशमें सभी देशोंकी आय-पद्धतिमें कर्गोंको विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि उन्हीं मनुष्योंमें अधिकतम आय होती है। उन्हींलिए अन्तरी आय-पद्धतिकी विशेषताएं अन्तरी मनुष्य-प्रजातीपर अधिकतम रूपमें लागू होती हैं।

एकप्रकार ध्यानमें रखनेकी है कि नारी आय-पद्धतिकी सम्पूर्ण रूपमें प्रेरणा चाहिए। उनके एक हिस्सेको वेतन किसी निर्णय पर पहुँचाना उचित नहीं है। प्रायः ऐसा सम्भव है कि एक वर अथवा दो प्रकारका ही निर्णय मात्र मनीष लोगोंपर अधिक हो परन्तु दूसरी ओर यह भी होसकता है कि सभी मनीष मनुष्योंपर प्रभाव इस प्रकारका हो कि थोड़े लोगोंपर अधिक मात्र और मनीषापर कम मात्र पड़े। अन्तरी आय-पद्धतिके अन्वयव मनुष्यवित्त रूपमें एक दूसरेमें सम्मिलित होना चाहिए। उनमें विभूतता नहीं होनी चाहिए। यदि मनीषोंकी आयको बढ़ाना है तो यह नहीं होना चाहिए कि उनके किसी मनुष्यो लवर उसी वर बढ़ा ही जाय। प्रत्येक मनुष्यको पूरे प्रयत्नमें अन्वयव करते किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए।

पतियोका उत्साह भंग होजाय और उत्पत्तिकी मात्रा और राष्ट्रीय आयका ह्रास होनेलगेतो इससेभी राज्यकी आय कम होने लगेगी। अन्ततोगत्वा राज्यकी आय समाजकी आयपर निर्भर है। यदि समाज सम्पन्न होगा तो राष्ट्रभी अपनी आय सुगमतासे बढ़ा सकेगा। इसलिए यह आवश्यकहै कि कर इस प्रकारके हो और ऐसी मात्रामें लगाये जायें कि उत्पत्तिके स्रोत मूखने न पायें। जहातक होसके राज्य को अपनी आय-पद्धतिको देशकी आर्थिक-पद्धतिके अनुकूल बनाकर उत्पादन कार्योंमें स्थिरता और वृद्धि लानेकी चेष्टा करनी चाहिए, उत्पादनके अन्तर्गत आय को एकत्र करनेमें मितव्ययिता भी शामिल है।

अच्छी आय-पद्धतिमें लोच होनाभी आवश्यकहै अर्थात् आय-पद्धति और उसके अवयव इस प्रकारके होने चाहिए कि आवश्यकतानुसार उनसे आय सुगमतासे घटायी और बढ़ायी जासके। कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होजाती है जैसे युद्धकाल में जबकि शीघ्रतासे आयको बढ़ानेकी आवश्यकता पडजाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि आय-पद्धतिमें लोच न होतो उसको समयानुकूल नही बनाया जासकता। आयमें आवश्यकतानुसार घटबढ़ करनेके लिए दो बातोंको ध्यानमें रखना पडता है। एकतो यह कि पद्धतिकी मर्दे विस्तृतहो और दूसरी बात यहहै कि साधारण अवस्थामें इनसभी मदोंसे अधिकतम प्राप्य आय वसूल न कीजाय अर्थात् सकटावस्था के लिए कुछ अवकाश रखना चाहिए।

आय-पद्धतिमें विशेषकर कर-प्रणालीमें एकबात ध्यानमें रखनी चाहिए कि कर देनेवालो को अकारण कष्ट और झंझट न हो। राज्यके प्रति उनका सद्भाव बनारहे इसकेलिए यह आवश्यकहै कि कर का परिमाण निश्चितहो और देनेकी विधि और काल सुविधाजनक हो। कर वसूल करनेवाले कर्मचारी स्वेच्छाचारिता में करने पावें। साथही आय-पद्धति सुगम और सुबोध होनी चाहिए। इससे भी कर वसूल करनेमें सहायता मिलतीहै और करदेने वालोका विरोधभी कम होजाता है।

जैसा हम ऊपर सकेत करआयेहै, आय-पद्धति विस्तृत होनी चाहिए अर्थात् एक या दो मदों तकही सीमित नही रहनी चाहिए। अगले अध्यायमें हम एककर-प्रणाली और बहुकर-प्रणालीकी विवेचना करेग। यहापर इतनाही कहकर हम इसप्रकरणको समाप्त करतेहै कि भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न भिन्न प्रकारसे कर प्राप्त करनेमें सुविधा, सुगमता और मितव्ययिता होती है।

कर के सिद्धान्त

इस प्रकरणमें दो सिद्धान्त प्रतिपादित हुए हैं। इनमेंसे एकको 'लाभ-सिद्धान्त' और दूसरेको 'शक्ति अथवा क्षमता सिद्धान्त' कहते हैं। लाभ-सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको राज्य-कोषमें इतना द्रव्य कर के रूपमें देना चाहिए जिसके बराबर राज्य के कार्योंसे उसको लाभ हुआ हो। सरमरी तीरपर बाततो ठीक मानूम देती है कि यदि राज्यको कर इसलिए दिये जाते हैं कि उनसे समाजका लाभ होता है तो प्रत्येक व्यक्तिको लाभके अनुपातमें ही कर देना चाहिए, परन्तु जब इस सिद्धान्तको कार्य रूपमें परिणत करनेकी चेष्टा की जाती है तो कई समस्याएँ सामने आती हैं। पहिली बात तो यह है कि राज्यद्वारा अनेक प्रकारकी सेवाएँ उपलब्ध होती हैं जिनमें से कई ऐसी हैं जिनसे प्राप्त लाभको व्यक्तिगत स्तरपर मापना असम्भवसा ही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेशकी सरकार ६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पुलिस पर व्यय करती है जिससे प्रान्तमें शांति बनी रहे। इस सामाजिक सेवासे कितना लाभ थी उमाकान्तको हुआ, इसको रुपये-आने-पाईमें प्रकट करना असम्भव मालूम पड़ता है। यही समस्या सेनापर, स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी कार्योंपर और सड़कोपर व्ययकी भी है। यदि किसी प्रकारसे इस बातका हिसाब लगाभी लिया जाय कि प्रत्येक व्यक्तिको राज्यके कार्योंसे कितना लाभ हुआ तो दूसरी समस्या यह उत्पन्न होती है कि क्या प्रत्येक व्यक्तिसे प्राप्त हुए लाभके अनुसार कर वसूल करना न्याय-सगत है। इस युगमें राज्य अपनी आयका एक बड़ा हिस्सा ऐसे कार्योंमें व्यय करता है जिससे निर्धनो, अपाहिजो, बेकारो, विधवाओं, अनाथो और बूढ़ो इत्यादि प्रकार के वर्गोंको लाभ होता है। क्या इन लोगोसे यह कहना न्यायसगत होगा कि जितना लाभ उनको राज्यद्वारा हुआ हो उसी अनुपातमें वे कर के रूपमें राज्य-कोषमें रुपया जमा कर दें? यह तो मूर्खताकी बात होगी। अतः इस लाभ-सिद्धान्तके बारेमें हम इतनाही कह सकते हैं कि सारे समाजके दृष्टिकोणसे इस बातमें कुछ सार है कि सबको मिलकर राज्यको समाज-हित कार्योंके लिए पर्याप्त द्रव्य कर के रूपमें देना चाहिए। परन्तु प्रत्येक व्यक्तिके भागका निर्णय इस सिद्धान्तके आधारपर करना बहुत कठिन ही नहीं, प्रत्युत अनेक परिस्थितियोंमें अनुचित भी है।

लाभ-सिद्धान्तका ही प्रतिरूप एक सिद्धान्त औरभी प्रतिपादित किया गया है

जिनको लागत-पूरक अथवा क्षति-पूरक मिहान्त भी कहते हैं। उन मिहान्तके अन्तर्गत राज्यको लागतके अनुपातमें कर लेना चाहिए अर्थात् किसी व्यक्तिमें कौतु मेधा उद्यमव्य करनेमें जितना राजस्व व्यय होता है, उतनाही उस व्यक्तिमें कर लेना चाहिए। उस मिहान्तका कार्यन्वयमें परिश्रम करनेमें भी केंपी कठिनाईयां होती हैं। जितना लाभ-मिहान्तमें विवेचन किया जानुका है। मार्केटनिर्गतेवापसी उद्यम करनेमें राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्तिको जो लाभ हुआही उसमें राज्यकी तिजनी संगत नहीं उसका हितव्य लगाना बहुत कठिन काम है और प्रताप व्यक्ति में यह जो उस लागतको चुकता करनेमें अशक्य है।

अवित अथवा क्षमता मिहान्त

से आय मिलती रहती है। समान आय होनेपर स्थिर आयमें अस्थिर आयसे अधिक कर-क्षमता होती है। इसप्रकारके अपवादोको ध्यानमें रखकरही आयके परिमाण को कर-क्षमताका माप-दंड समझा जाता है।

परन्तु इतनेही पर हमारी कठिनाइयोका अन्त नहीं होजाता है। यह मानाकि अन्य बातें समान होनेपर अधिक आय वालेकी कम आय वालेसे अधिक कर-क्षमता होतीहै, परन्तु कितनी अधिक? क्या कर-क्षमता उसी अनुपातमें बढ़तीहै जिस अनुपात में आय बढ़तीहै या उससे अधिक अनुपातमें? इस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहिले हमको कुछ गहराईमें उतरना पडता है। जब मनुष्य कर देतेहै तो वास्तवमें वे उन वस्तुओ और सेवाओकी तृप्ति (तुष्टि) का त्याग करतेहै जो उम द्रव्यसे प्राप्त होती है। उदाहरणके लिए जो व्यक्ति दस रुपया कर देताहै वह दस रुपयोंसे जिन वस्तुओ और सेवाओको मोलनेता उनसे प्राप्त होनेवाली तुष्टिका त्याग करताहै और जो व्यक्ति बीस रुपया कर देताहै वह बीस रुपयोंके व्ययसे प्राप्त तुष्टिका त्याग करता है। एक मत यहहै कि भिन्न भिन्न आयके व्यक्तियोंको इतना कर देना चाहिए जिससे उनकी तुष्टि-त्यागकी मात्रा बराबर हो। हमारे उदाहरणमें यदि दस रुपया कर देनेवाले की आय दोसौ रुपया और बीस रुपया कर देनेवाले की आय चारसौ रुपया प्रतिमास होतो क्या हम कहसकते है कि कर देने से उनका समान तुष्टि-त्याग हुआ? क्रमागत-उपयोगिता-ह्रास नियमके अनुसार जैसे जैसे आयमें वृद्धि होती जातीहै वैसे वैसे आयकी सीमान्त उपयोगिता कम होतीजाती है। यह सम्भवहै कि दोसौ रुपया आयवालेको दस रुपया कर देनेमें चारसौ रुपया आयवालेके बीस रुपया कर देनेकी अपेक्षा अधिक तुष्टि-त्याग करना पडताहो, क्योंकि पहिले व्यक्तिको कुछ जीवन-रक्षक अथवा निपुणतादायक पदार्थोंसे अपनेको वचित करना पडताहो और दूसरे व्यक्तिको सम्भव है कुछ विलासिताकी वस्तुओका उपभोग कम करना पडे। अतएव समान तुष्टि-त्यागके सिद्धान्तके अनुसार अधिक आयवालोकी कम आय वालोकी अपेक्षा अधिक अनुपातमें कर देना चाहिए अर्थात् समान तुष्टि-त्यागके लिए दोसौ रुपये आयवाले व्यक्तिको दससे कम कर देना चाहिए। एक सिद्धान्त यहभी है कि राज्यको इस परिमाणमें कर लेना चाहिए जिससे समाजका तुष्टि-त्याग न्यूनतम हो। इस सिद्धान्तके अनुसार कर-प्रणाली बनानेमें गरीब लोगोसे एक निर्धारित सीमातक बिल्कुल कर नहीं लेना चाहिए। उसके ऊपरकी आयमें वर्धमान कर लगाना

आर्थिक-स्तरमें कोई बदलाव नहीं होता है। इन लोगोंके अनुसार राज्यको अपनी कर-नीति द्वारा भिन्न भिन्न आर्थिक वर्गोंकी पारस्परिक आर्थिक स्थितिमें विपमता पैदा नहीं करनी चाहिए। जैसाकि हम नीचे समझावेंगे यह तर्क ठीक नहीं है। एक बात और इस कर के पक्षमें यह कही जातीहै कि यह एक सुबोध सीधा कर है जो बहुत आसानीसे समझमें आ जाताहै और इसकी गणितभी सुगमतासे होजाती है। परन्तु केवल सिधाईही कर का गुण नहीं माना जासकता है।

ऊपर दीगयी तालिकामें वर्धमान कर का भी चित्रण कियागया है। अधिक आय पर कर की दरभी अधिकहै और कर का परिमाणभी आयके अनुपातकी अपेक्षा अधिक है। वचीहुई आयको देखनेसे पता चलताहै कि उसका वितरण पहिलेसे कम विपम होगया है। इस कर के समर्थक अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिए समानतुष्टि-त्याग और न्यूनतम तुष्टि-त्यागके सिद्धान्तका सहारा लेते है। इनका कहनाहै कि क्योंकि आयकी वृद्धिके साथ साथ उसकी सीमान्त-उपयोगिता घटती जातीहै और बहुत अधिक आयके स्तरपर शीघ्रतासे कम होतीहै, अतएव समान तुष्टि-त्याग और न्यूनतम तुष्टि-त्यागके दृष्टिकोणसे वर्धमान कर का प्रयोग होना चाहिए। एक विशेष बात वर्धमान कर के सम्बन्धमें यहहै कि इसके द्वारा राज्यको पूजीवादके अन्तर्गत सम्पत्ति और आयके वितरणकी विस्तृत विपमताको कम करनेमें सहायता मिलती है। समाजका क्षेम अधिकसे अधिक बनानेके लिए यह आवश्यकहै कि वितरणकी विषमतामें कमी कीजाय और इसके सम्पादनके लिए कर-नीतिका प्रयोग एक वाञ्छित उपकरण सिद्धहुआ है। वर्धमान कर में एक बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए कि कर की दर इसप्रकार की न होनेपावे जिससे पूजी-सचयके कार्यमें और उत्पादनके साधनोंको काममें लगानेमें शिथिलता आजाये।

वर्धमान कर के विपरीत ह्रास-मान कर होताहै जिसकी दर आयकी वृद्धिके साथ साथ घटती जाती है। इसप्रकार के कर को किसी सिद्धान्तपर भी न्यायसगत नहीं ठहराया जाता और प्रत्यक्ष रूपसे यह प्रयोगमें नहीं आता। परन्तु अप्रत्यक्ष रूपमें कभी कभी इसप्रकार का परिणाम देखनेमें आता है। उदाहरणके लिए अंग्रेजी राज्यमें भारतवर्षमें नमकके कर का भार धनी लोगोंपर कम और निर्धनोपर अधिक था।

कर-क्षमता-सिद्धान्तके पक्षमें अनेक बातें कही गयीहै जोकि राज्यके अधिकारियों

को मान्यभी है। परन्तु जब हम कर-प्रणालियोंका अध्ययन करतेहैं तो हमको कहीं भी ऐसी प्रणाली नहीं मिलती जिनका आधार केवल धनी सिद्धान्त हो। उदाहरण के लिए परोक्ष करों का भार विशेषकर उन वस्तुओंपर लगनेवाले करोंका जिनका उपयोग गरीब जनता करतीहै, धनी लोगोंकी श्रेयश गनीबोपर अधिक पटना है। परन्तु किसीभी राज्यमें अनीतिक उनका प्रयोग छोड़ा नहीं गया है। परिणामितिक अन्तगार कर-प्रणाली प्रभावित होतीरहती है।

प्रत्यक्ष और परोक्ष कर

उस प्रकारमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का भेद स्पष्ट रूप बना उचित होगा। प्रत्यक्ष करोंमें प्रायः ऐसे कर सम्भवे जातेहैं जिनका भार सीधेसे वस्तु करनेहरे जिनपर कर लगाया जाताहै परन्तु उन देनेवाले उसको दूसरे लोगोंके समूल नहीं परसकते हैं। इनके विभिन्न उदाहरण आय-कर सम्पत्ति-कर और उत्तराधिकार-कर हैं।

एककर प्रणाली और बहुकर प्रणाली

आधुनिक कालमें राज्य अनेक प्रकारके कर लगाताहै और उनकी सख्या बढ़ती जा रही है। परन्तु समय समयपर कर-प्रणालीको सक्षिप्त बनानेके विचार प्रकट किये गये हैं। इस प्रकरणमें एककर-प्रणालीको विशेष रूपसे चर्चा हुई है। फ्रान्सकी एक आर्थिक विचार-धाराके लोगो (जिनको फिजियोक्रैट्म् कहते हैं) के कथनानुसार राज्यको केवल एकही कर लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी धारणा थी कि आर्थिक पद्धतिमें कर चाहे कहींपर लगाया जाय घूमफिरकर वह अन्तमें भूमि-कर परही बसेगा। जैसाकि हम अगले अध्यायमें बतायेंगे उनकी यह धारणा भ्रान्तिगुन्त थी। कुछ समय हुआ अमेरिकामें हेन्री जॉर्ज नेभी एककर-प्रणालीके लिए बहुत प्रयत्न किया था। उनकाभी यही कहनाथा कि राज्यको केवल एक भूमि-करही लगाना चाहिए। उसका एक कारण यहहै कि भूमि-कर उद्योग-धन्धोके विकासमें बाधा नहीं पहुंचायेगा, परन्तु प्रधान कारण यह बताया जाताहै कि भूमिकी एक विशेषता यहहै कि वह प्रकृतिकी देनहै और क्योंकि भूमिका क्षेम परिमितहै अतएव जनसख्या की वृद्धिसे भूमिकी माग और उसका मूल्य बढ़ताजाता है। मूल्यमें यह वृद्धि जो किसी व्यक्ति विशेषके उद्योगसे नहीं हुईहै समाजको प्राप्त होनी चाहिए, अतएव राज्यको इसे कर के रूपमें लेलेना चाहिए। इस तर्कमें एक कठिनाई यह मालूम पडतीहै कि भूमिके किसी टुकडेकी मूल्य-वृद्धिमें कितना हिस्सा जनसख्या और माग की वृद्धिके कारणहै और कितना हिस्सा उसके स्वामीकी पूजी और परिश्रमके कारण। बिना इस बातका विचारकिये जो भूमि-कर हेन्री जॉर्जकी योजनाके अनुसार लगाया जायगा उससे भूमिके सुधारमें पूजी लगानेमें उत्साह कमहो जायगा। केवल भूमि-कर लगानेसे कर-क्षमता सिद्धान्तकी अवहेलना होतीहै, क्योंकि एक करोडपतिको जिसके पास भूमि नहींहै कुछभी कर नहीं देना पडेगा। इसके अतिरिक्त भूमि-कर आधुनिक राज्यके बढ़तेहुए व्ययको पूरा करनेमें अपर्याप्त होगा विशेषकर उन देशोमें जहा कि जनसख्याकी वृद्धि रुकगयीहै और घटनेभी लगी है।

एककर-प्रणालीमें केवल आय-कर लगानेका भी सुझाव किया गयाहै क्योंकि अन्ततोगत्वा सभी कर आय-कर से ही दिये जातेहै अतएव यह सीधा मार्गहै कि कर आय परही लगाया जाय। भूमि-कर को तुलनामें यह कर अधिक उपयुक्त प्रतीत

होता है। यह प्रत्येक प्रकारकी आयपर लगाया जानकता है और वर्तमान कर-नीति का प्रयोग करके इसको धनता-मिदाल्तके अनुकूलभी बनाया जा सकता है। फिरभी केवल आय-कर लगानेमें कुछ अनुविधान हैं। अनुभवके आधारपर ज्ञान है कि कर लगाने और उसको उकड़ा करनेमें बहुत परेशानी और व्ययभी होता है। पूँजी-वादी देशोंमें कम आयवालेही अधिक नाल्यमें पाये जाते हैं। यहाँ देश नया है और करोड़ों अपेक्षा आय-कर से बचन करनेके उन्नाहमें मन्दी आनेकी प्रवृत्ति रहती है। उनके अतिरिक्त यदि आयपर ही कर लगाया जाय तो जो बड़ी चर्चा समर्थनका उत्तराधिकारियोंको मिलती है और जिनमें पर्याप्त मात्रामें कर देनेकी क्षमता होती है वह कर से मुक्त रहेंगी। उन अन्तिम दो समन्वयका ता दृष्ट धरने समन्वय नी राखना है, यदि बचनके ऊपर आय-कर न लगाया जाय और उत्तराधिकारियोंके समर्थन की उत्तराधिकारके समय आय मान लिया जाय।

प्रणालीमें कर से बचकर निकलनेकी चेष्टाकी पकडकी जासकतीहै, क्योंकि जब अनेक करोके सम्बन्धमें आकडे इकट्ठा कियेजायेंगे तो उनकी जाच पडताल करनेसे वास्तविक स्थितिका बोध अधिक सुविधाके साथ होसकेंगा।

ऊपर दियेगये विवेचनसे हम इसी परिणामपर पहुचतेहै कि किसीभी एककर-प्रणालीकी अपेक्षा बहुकर-प्रणाली अधिक श्रेयस्करहै। परन्तु इससे यह नही समझना चाहिए कि जितने अधिक कर होंगे उतनीही अच्छी कर-प्रणालीभी होगी। करोकी बहुतायतसे भी झूठ और असुविधाए उत्पन्न होजाती है। थोडेसे सप्रभाव करो का प्रयोग होना चाहिए। जहातक धनी लोगोका सम्बन्धहै उनपर आय-कर, सम्पत्तिकर, उत्तराधिकार-कर और विलासिताकी वस्तुओपर कर का प्रयोग होना चाहिए। यदि गरीब लोगोसे कर लेना आवश्यक होजाता है तो उनसे इस प्रकारकी वस्तुओपर कर वसूल करना चाहिए जो वस्तुए जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक और निपुणता-दायक न हो और जिनका प्रचुर मात्रामें सेवन होताहो जैसे तम्बाकू, शराब इत्यादि।

कर सम्बन्धी नियम

करोके विषयमें अबतक जो कुछ कहागया है उसके आधारपर कर सम्बन्धी नियम बनायेगये हैं। सबसे पुराने नियम अग्रेजी ग्रन्थोमे स्मिथके प्रतिपादित नियम समझे जातेहै जो अबतक आदरकी दृष्टिसे देखेजाते हैं। बादमें इनमें कुछ और नियमभी जोड दियेगये हैं। स्मिथके प्रतिपादित चार नियम है।

(१) समानता अथवा क्षमता-नियम—इस नियमका तात्पर्य यहहै कि प्रजाके लोगोको अपनी शक्ति और सामर्थ्यके अनुपातमें राज्यको कर देना चाहिए। यह कर उस अनुपातमें होना चाहिए जिस अनुपातमें राज्यकी छत्र-छायामें वे अपनी आयका उपभोग करते हैं। स्मिथके मन्तव्यसे इस प्रकारसे कर देनेवालोके तुष्टि-त्यागमें समानता होगी और इसप्रकार की कर-प्रणालीभी न्यायसगत होगी। पाठकोके ध्यानमें आगया होगाकि इस नियमकी झलक कर के क्षमता-सिद्धान्तमें भी पायी जाती है। लोगोको शकाहै कि स्मिथ आनुपातिक-कर के पक्षमें था अथवा वर्धमान-कर के; क्योंकि नियमकी व्याख्यामें जिस भाषाका प्रयोग उसने कियाहै, उससे स्पष्ट

कर-भार का हस्तान्तरण और आर्थिक प्रभाव

कर-भार

राज्य प्रारम्भमें जिस व्यक्ति अथवा सस्थासे कर लेताहै उस कर का भार यह आवश्यक नहींहै कि उन्हीपर रहे। वे इस बातकी चेष्टा करतेहै कि किसी विधिसे वे उस भारको पूर्ण अथवा आंशिक रूपमें दूसरोपर डालकर स्वयं उस भारसे मुक्त हो जायें। कभी कभी वे ऐसा करनेमें समर्थ होजाते हैं और कभी कभी नहींभी होते। कर-भारको दूसरोपर डालनेकी क्रियाको हम कर का हस्तान्तरण कहेंगे। हस्तान्तरित करते करते एक ऐसी स्थिति आजाती है जहापर आगे हस्तान्तरित करना सम्भव नहीं होता। जिस स्थानपर यह क्रिया रुकजाती है उसको हम कर-भार का विराम कहेंगे। उदाहरणके लिए कल्पना कीजिए, राज्यने हरिसे १० रु० कर के रूप में लिया, हरिने मोहनसे वह रुपया वसूल किया और मोहनने रामसे वसूल किया। परन्तु राम उस भारको अन्य किसीपर न डाल सका। उसको स्वयं उसे वहन करना पडा। यहा हस्तान्तरण कार्यका अन्त होगया, अर्थात् कर-भार विराम अवस्थामें पहुंचगया। इस प्रकरणमें जब हम कर-भार शब्दका प्रयोग करतेहै तो उससे द्रव्य की उस मात्राको समझना चाहिए जो राज्यको कर के रूपमें प्राप्त हुई हो।

प्रसरण-सिद्धान्त

कर-भारको हस्तान्तरित करनेके और उसके विराम-स्थानके विषयमें समय समय पर लोग भिन्न भिन्न परिणामोपर पहुँचे हैं। एक सिद्धान्तके अनुसार जिसको प्रसरण-सिद्धान्त कहतेहै, किसीभी कर को, कहीपर भी और किसी प्रकारसे भी क्यों न लगाया जाये, वह हस्तान्तरित होता जायेगा, यहातक कि अन्तमें उसका भार थोडा

यदि कर को मूल्यमें समावेश करनेका सुयोग हो, तबभी यह आवश्यक नहीं है कि वह अवश्यमेव हस्तान्तरित हो जायेगा। मान लीजिए एक टिन सिगरेटका मूल्य २ रु० है और उसपर राज्यने २ आना कर लगाया। अब यदि सिगरेट बेचने वाला सिगरेटका मूल्य २ रु० से बढ़ाकर २ रु० २ आ० कर दे और उसके ऐसा करनेसे उसकी आयमें क्षति न हो, तो वह सफलतासे कर-भारको अपने ग्राहकोंके ऊपर डाल सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि विक्रेता कर की मात्राको मूल्यमें जोड़ देता है और अपने ग्राहकोंसे वसूल करता है। कुछ प्रत्यक्ष उदाहरणभी ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनमें कर लगानेके बादही वस्तुका मूल्यभी ठीक उतनाही बढ़ जाता है जितनी कि कर की मात्रा होती है। पर इससे यह परिणाम निकालना गलत होगा कि प्रत्येक कर वस्तुके मूल्यमें जोड़कर दूसरोपर डाल दिया जाता है। माना कि विक्रेताको अपनी वस्तुका मूल्य बढ़ानेकी स्वाधीनता है, परन्तु क्या इससे यह सिद्ध होजाता है कि वह जितना चाहे उतना मूल्य बढ़ा देगा? यदि यही बात होनी तो वह सिगरेटका मूल्य कभीका बढ़ाचुका होता, कर लगानेके समयकी प्रतीक्षा न करता। विक्रेताको इस बातका ध्यान रखना पड़ता है कि किस मूल्यपर उसकी अधिकतम बिक्री होगी और अधिकतम लाभ होगा। अन्य परिस्थितिया समान रहने पर मूल्यमें बदलाव होनेसे मागके परिमाणमें भी बदलाव होजाता है जिसे विक्रेता को ध्यानमें रखना पड़ता है। यदि मूल्यमें वृद्धि करनेसे उसकी बिक्री घट गई तो यह सम्भव है कि कर वसूल हो जानेपर भी उसके लाभकी मात्रामें कमी होजाये। अतएव उसको मूल्य बढ़ानेसे पूर्व मागकी दशाका अध्ययन करना पड़ता है। किसी भी वस्तुकी मागके परिमाणमें मूल्य बात उपयोगिता-रहती है। कर लगानेसे किसी वस्तुकी उपयोगिता बढ़ तो नहीं जाती जिसके कारण ग्राहक अधिक मूल्यपर भी उस वस्तुको उतनेही परिमाणमें मोललें जितनी कि वे कर लगनेके पूर्व कम मूल्यपर लिया करते थे। मूल्यकी वृद्धि होनेसे कुछ लोग उस वस्तुको कम परिमाणमें लेंगे और कुछ लोग प्रतिनिधि वस्तुओंका प्रयोग करने लगेंगे। हा यदि वह वस्तु अत्यन्त आवश्यक प्रयोगकी है, उसकी प्रतिनिधि वस्तुभी कोई नहीं है और उसकी माग बेलोच है तो ऐसी परिस्थितिमें ग्राहक मूल्य वृद्धि होजाने परभी अपनी मांगके परिमाणको कम नहीं करेंगे और ऐसी दशामें विक्रेता सफलतापूर्वक कर को हस्तान्तरित कर सकेंगे।


माग और पूर्ति का प्रभाव

इन विवेचनने पाठकोंकी समझमें आगया होगा कि कर के भारको हस्तान्तरित करना केवल विशेषज्ञों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। कर को मूल्यमें समावेश करके वसूल किया जा सकता है अथवा नहीं, यदि हा, तो कितन व्ययतक? इन बातोंका विचार करनेके लिए हमको उन सभी बातोंको ध्यानमें रखना पड़ता है जिनमें मूल्य निर्धारित होता है। उन्हीं लिए कहा जाता है कि कर-हस्तान्तरण का प्रावयन करने के लिए हमको मूल्य-निर्धारण क्रियाका अध्ययन करना पड़ता है। मूल्य निर्धारण करनेमें माग और पूर्ति और उनको प्रभावित करनेवाली बातोंका अध्ययन करना पड़ता है। जिन बातोंका माग और पूर्तिपर प्रभाव पड़ता है, उन्हींमें मूल्य निर्धारित होता है और उनके विवेचनमें ही कर के हस्तान्तरित करनेकी समझा परभी पडा पड़ता है। अतएव हम उन्हीं विषयोंकी विवेचना करेंगे।

करनेके लिएभी दो बातोंकी आवश्यकता है। पहिले तो यह कि पूजीपति को अन्य धन्धेका ज्ञान हो और वह नये धन्धेकी जोखिमोको सहन करनेके लिए तत्पर हो। दूसरी बातयहहै कि अन्य उद्योग-धन्धेमें पूजी लगानेसे, पहिले धन्धेकी अपेक्षा अधिक लाभहोनेकी सम्भावना हो। यदि सभी उद्योग-धन्धोपर कर लगा हुआ हो तो पूजी को एक धन्धेसे हटा कर दूसरेमें लगानेसे अधिक लाभकी आशा कमही होगी। संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि बिना किसी प्रकारकी क्षतिके किसी वस्तुका उत्पादक उस धन्धेमें लगे हुए साधनोंको दूसरे धन्धोमें लगाकर पहिली वस्तुके परिमाणमें कमी कर सके तो ऐसी स्थितिमें वह कर के भारको मूल्यमें डालकर ग्राहकोसे वसूल कर सकेगा। अर्थात् किसी वस्तुकी पूर्तिमें जितनी अधिक लोच होगी, उतनीही अधिक मात्रामें कर-भार को हस्तान्तरित करनेमें सुविधा होगी।

अब मागके पक्षका अध्ययन करें। किसीभी वस्तुके ग्राहक उस वस्तुके मूल्यकी वृद्धिमें रुकावट डालनेकी चेष्टा करेंगे। इस काममें उनको नभी सफलता प्राप्त हो सकतीहै जब कि वह बड़े हुए मूल्यपर अपनी मागको पर्याप्त मात्रामें कम करसकें। ऐसा करनेसे विक्रेता की वस्तुएँ कम परिमाणमें विकेंगी और उनको बेचनेके लिए उसे मूल्य कम करना पडेगा, परन्तु ग्राहक लोगभी उस वस्तुकी माग पर्याप्त मात्रा में तभी कम कर सकते हैं जब कि वस्तु अधिक आवश्यक न हो अथवा उसकी प्रतिनिधि वस्तुएँ वर्तमान हो, जिनका प्रयोग वे कर वाली वस्तुके स्थानपर कर सकें अर्थात् यदि उस वस्तुकी माग लोचदार हो तो ग्राहक मागमें कमी कर सकते हैं और विक्रेता को मूल्य घटानेके लिए बाध्य कर सकते हैं। जितनी अधिक मात्रामें मागमें लोच होगी उतनी अधिक इस कार्यमें ग्राहको को सफलता मिलेगी और कर का भार विक्रेताओपर बना रहेगा। परन्तु यदि वह वस्तु आवश्यकहै और उसकी प्रतिनिधि वस्तुएँ नहीं हैं अथवा प्रतिनिधि वस्तुओपर भी कर लगा हुआहै तो ग्राहको को दबना पडेगा, और कर-भार भी उन्हीपर अधिक होगा। सामूहिक उपभोगकी अनेक वस्तुएँ ऐसी होती हैं जैसे नमक, तम्बाकू जिनकी मागमें बहुतकम लोच होती है और थोड़ी मात्रामें मूल्यकी वृद्धिसे उनकी बिक्रीमें कोई अन्तर नहीं आता। ऐसी ही वस्तुओका मूल्य विक्रेता लोग कर के पूरे परिमाणके बराबर बढ़ाकर ग्राहकोसे वसूल करते हैं और इसीके आधारपर लोग समझते हैं कि सभी करो पर यही बात लागू होगी।

मांग और पूर्तिके दोनो पक्षोको साथ साथ रखकर हम कह सकतेहै कि उत्पादक लोग उत्पत्तिकी मात्रामें कमी करके कर के भारको ग्राहकोपर डालनेकी चेष्टा करतेहै और ग्राहक लोग अपनी मागको कम करके उनकी इस चेष्टामें बाधा डालनेका प्रयत्न करते है। इस प्रतिद्वन्द्वितामें कौन अधिक सफल होगा, यह मांग और पूर्तिकी मापेक्ष लोचपर निर्भर करता है। यदि मागमें लोच नहीहै अथवा बहुत कमहै तो विप्रेता अधिक सफलतासे कर को मूल्यमें जोड मकेगा, क्योंकि उनको उत्पत्तिकी मात्रामें कमी करनेकी आवश्यकता नही पड़ेगी। परन्तु यदि माग बहुत लोचदार है तो कर के भारको ग्राहकोपर डालना दुष्कर होगा, क्योंकि ऐसी अवस्थामें उत्पत्तिकी मात्रामें अधिक कमी करनेकी आवश्यकता पड़ेगी। अतएव कमसे कम वर्तमान और निकट भविष्यकालमें कर का अधिकांश भाग उत्पादकोपर ही रहेगा। यदि माग और पूर्तिकी लोच समान हो तो कर का भार दोनो पक्षोपर बराबर होगा। हम स्थितिको हम रेखा-चित्र द्वारा भी चित्रित करसकते है।



एक रेखा-चित्र में (म) मा' की लोच और (स) की लोच समान हो जाने पर कर के प्रभाव का चित्रण। (ग) कर का भार और (ह) मृतकाल का क्षेत्र।

होकर सर सर होगई है। कर लगानेसे पूर्व मांग और पूर्तिका सन्तुलन ०प१ परिमाण और तदनुसार ०म१ मूल्यपर होता है और कर लगानेके पञ्चात् ०प२ परिमाण और ०म२ मूल्य पर होता है। स्पष्ट है कि जिस वस्तुकी मांग और पूर्तिकी दशा इस प्रकारकी होगी, उस पर लगाएगये 'ख घ' करके भार का 'ख ग' मांग उम वस्तुके ग्राहकों पर और 'ग घ' उत्पादको पर पड़ेगा।

एकाधिकारी पर कर

एकाधिकारीपर कर लगनेसे वह किस प्रकार उसके भारको हस्तान्तरित करनेकी चेष्टा करेगा, इसका विवेचन साधारण प्रतिस्पर्द्धाकी अवस्थामे कुछ भिन्न है, क्योंकि एकाधिकारी का किसी वस्तुकी पूर्तिपर अधिकार रहता है। एकाधिकारीपर कई प्रकारसे कर लगाया जा सकता है। यदि कर उत्पत्तिकी मात्राके हिसाबसे लगाया जाये और कर लगानेके पूर्व एकाधिकारी अपनी वस्तुके मूल्यका स्तर इस प्रकार निर्धारित कर चुका हो, तो कर लगानेसे वह वस्तुके मूल्य को ऊँचा करेगा अथवा नहीं और यदि ऊँचा करेगा तो किस स्तर तक इसका निर्णय मांग और पूर्ति की विशेषताओं पर ही निर्भर करता है। यदि उस वस्तु की मागमें बहुत कम लोच हो और उसकी प्रतिनिधि वस्तुएँ प्राप्त न हो तो एकाधिकारी कर के भार को अपने ग्राहकों पर डालनेमें समर्थ हो सकेगा। परन्तु यदि उस वस्तुकी मांग बहुत लोचदार हो और एकाधिकारी उत्पत्ति के साधनों को बहुत सुगमतासे अन्य उद्योग-धन्धोमे लगाकर उस वस्तुके परिमाणको पर्याप्त मात्रामें कम करनेमें असमर्थ हो तो कर का अधिकांश एकाधिकारी पर ही रहेगा। यदि कर वस्तुओंकी मात्रा पर न लगकर एकाधिकारीके लाभ पर लगाया गया हो, तो एकाधिकारीको कर के बराबर मूल्य बढ़ा कर हस्तान्तरित करनेकी प्रवृत्ति नहीं होगी। लाभ पर कर दो प्रकारसे लगाया जा सकता है। एक विधि यह है कि एकाधिकारीसे एक निर्धारित रकम कर के रूपमें ले ली जाये और दूसरी विधि यह है कि लाभ पर एक निर्धारित दरके हिसाबसे कर लिया जाये। कल्पना कीजिए कि राज्य ने एकाधिकारी पर १००० रु० वार्षिक कर लगाया अथवा उसके लाभ पर १० प्रतिशत लगाया। कर लगनेसे पहिले एकाधिकारी अपनी वस्तुका मूल्य इस प्रकार निर्धारित कर चुका होगा कि उस

मूल्य पर उनको अधिकसे अधिक लाभ हो और उसमें कम या अधिक मूल्य पर लाभ-की मात्रा कम होजाय। अब नीचे दीगई तालिका पर ध्यान दीजिए :

१ मूल्य की दर	२ लाभ	३ कर की मात्रा	४ कर घटा- कर लाभ	५ कर की दर	६ कर की मात्रा	७ कर घटा- कर लाभ
₹०	₹०	₹०	₹०		₹०	₹०
१०	५०००	१०००	४०००	१०%	५००	४५००
२	६०००	१०००	५०००	१०%	६००	५४००
८	७०००	१०००	६०००	१०%	७००	६३००
७	६०००	१०००	५०००	१०%	६००	५४००
६	४०००	१०००	३०००	१०%	४००	३६००

(१) और (२) खानोंमें पता चलता है कि ₹ ० मूल्यकी दर रखनेमें एकाधिकारी को अधिकसे अधिक लाभ अर्थात् ७००० ₹० प्रति वर्ष प्राप्त होता है। उनमें कम या अधिक मूल्य पर द्रव्य गिरने लगता है। (३) और (४) खानोंमें पता चलताहै कि १००० ₹० एक निर्धारित रकम कर के रूपमें देनेके बादभी अधिकसे अधिक लाभ अर्थात् ६००० ₹० ₹ ० मूल्यपर ही प्राप्त होता है। उगी प्रकारमें १० ₹० प्रतिवर्ष लाभ भर कर लगाने पर भी (६) और (७) खानोंमें ₹ ० मूल्य पर ही ६३०० ₹० लाभ चलताहै जो इन व्यवस्थामें अधिकतम है।

आयात और निर्यात कर

यद्यपि मूल्य विनिर्माणकारके लक्ष्यमें सम्बन्धमें कर-भार हस्तान्तरण के लिये ही किन्हीं-का-का कर उ-बल रहनेमें। विनिर्माणमें जो मूल्युत्पादन होती है उस पर उत्पादक मूल्य कर को विनिर्माण-कर माने है और विनिर्माणमें देयमें होनेवाली सम्पत्तियों पर उत्पादक मूल्य कर को विनिर्माण-कर मानते हैं। इसलिये कि विनिर्माण-कर मूल्य-कर के लिये ही-कर समान है। तथा इस तरह का भार आहतकरों के लिये उ-बल रहनेमें।

और उत्पादको पर पड़ेगा अथवा उन देशवासियों पर पड़ेगा जो भारत की चायका उपयोग करते हैं। यदि भारतको चायकी उत्पत्तिका एकाधिकारी स्थान प्राप्त हो अथवा अधिकांश चाय भारतमें ही पैदा होती हो और चायके बदलेमें उस आवश्यकता को तृप्त करनेवाली अन्य वस्तु न हो और चायकी मागमें विशेष लोच न हो तो निस्सन्देह कर का भार विदेशी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। परन्तु यदि अन्य देशोंमें चाय उत्पन्न होती हो (चाय चीन, जापान, बर्मा, लका आदि देशोंमें होती ही है) अथवा चायके मूल्यमें वृद्धि होने पर विदेशी उपभोक्ता चायके बदलेमें कॉफी, कोको आदि अन्य वस्तुओंका उपभोग करने लगे तो भारतके चायके व्यापारियोंकी हस्तान्तरण शक्तिका ह्रास हो जायेगा और इस अवस्थामें कर का अधिकांश भार उन्हीं पर रहेगा। हा, यदि चाय उत्पन्न करनेवाले देशोंकी सख्या थोड़ी हो और वे आपसमें मिलकर एकाधिकार का पद प्राप्त कर लें तो अवश्य ही उनको कर के भारको अन्य देशवासियों पर डालनेमें अधिक सफलता मिल सकेगी। लेकिन वास्तव में इस प्रकारका एकाधिकार स्थायी नहीं रहता।

आयात-करोके सम्बन्धमें कुछ लोगोंकी धारणाहै कि इनका भार विदेशी माल भेजनेवाले पर रहता है। परन्तु यह धारणा प्रत्येक अवस्थामें सही नहीं है। यह तभी ठीक होती है जब कि आयातवाली वस्तु देशवासियों के लिए आवश्यक न हो और उसकी प्रतिनिधि वस्तुएँ सुगमतासे प्राप्त हो सकती हो अर्थात् यदि उस वस्तुकी माग विशेष रूपसे लोचदार हो और विदेशी व्यापारीकी उस वस्तुकी मांग अन्य देशोंमें न हो अथवा बहुत कम हो। ऐसी अवस्थामें कर का अधिकांश भाग विदेशी व्यापारी को सहन करना पड़ेगा। परन्तु इस प्रकारकी अवस्था बहुत कम रहती है। यदि विदेशी वस्तु, आयात करनेवाले देशवासियों के लिए आवश्यक हो और उसकी प्रतिस्पर्धा करनेवाली अन्य वस्तु सुगमतासे न प्राप्त हो सकती हो और यदि उस वस्तुकी माग अन्य देशोंमें भी हो तो निर्यात करनेवाले देशकी शक्ति बढ़ जाती है। अतएव ऐसी अवस्थामें आयात-कर का अधिकांश भाग आयात करनेवाले देशवासियों पर ही पड़ता है। इसप्रकार हम देखतेहैं कि आयात-कर को हस्तान्तरित करना उन्हीं परिस्थितियोंपर निर्भर करताहै जिन परिस्थितियोंपर देशके भीतर बनायी गयी वस्तुओंपर लगाये गये कर को हस्तान्तरित करना सम्भव होसकता हो। दोनो परिस्थितियोंमें एक ही सिद्धान्त लागू होता है।

खेती की भूमि पर कर

यदि जमीन्दार अपने आसामियोसे पूरा आर्थिक लगान वमूल कर रहाहो तो कर का भार जमीन्दार को ही वहन करना पडेगा, परन्तु यदि वास्तविक लगान आर्थिक लगानसे कम हो तो करका कुछ अंश आसामियो पर डाला जासकता है। भूमि का क्षेत्रफल घटाया नहीं जासकता। अतएव ऐसे देशोंमें जहा आवादीके स्थिर रहने अथवा घटनेके कारण भूमिकी मागकी लोचमें कमी आगई हो वहा भूमि-कर का अधिकांश भाग जमीन्दार परही रहेगा। आवादी की वृद्धिके कारण अनाजकी माग में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसी अवस्थामें कर का कुछ अंश अनाजके मूल्यमें वृद्धि करके उनके ग्राहकोपर भी डाला जा सकता है।

आय-कर

आय-कर के बारेमें साधारणतः यही धारणाहै कि इसका भार कर देनेवाले परही रहता है। इस प्रवृत्तिमें वेतन, मजदूरी, पेंशन इस प्रकारके आय-कर की और वाणिज्य-व्यापारके आय-कर की अलग अलग विवेचना करना ठीक जानपडता है। जहातक वेतन और मजदूरीका प्रश्नहै, कर देनेवाला कर का भार अपने नियोक्ता के ऊपर डालना चाहेगा। ऐसा करनेमें वह तभी मफल होसकेगा जब नियोक्ता उसके वेतन अथवा मजदूरीमें कर के बराबर वृद्धि-करदे। परन्तु नियोक्ता इसप्रकार की वृद्धि क्यों करे। आय-कर देनेके बाद नियोक्ताके लिए श्रमजीवियोका काम अधिक उपयोगी अथवा लाभप्रद तो हो नहीं जाता है। यदि वह उनको उनकी सीमान्तिक उत्पादकताके अनुसार पारिश्रमिक दे रहाहो तो फिर वह उसमें वृद्धि नहीं करेगा। ऐसी अवस्थामें कर का भार श्रमजीवीपर ही रहेगा। परन्तु यदि पारिश्रमिक सीमान्तिक उत्पादकतासे कम परिमाणमें दिया जा रहा हो तो बहुत सम्भवहै कि कुछ अंशतक पारिश्रमिकमें वृद्धि कर नियोक्ता आय-कर के भारको अपने ऊपर लेले। जहातक श्रमजीवियोकी शक्तिका प्रश्नहै, यदि वे अपने श्रमकी मात्रा कम करनेमें समर्थहो तो अपनी आयको बढ़वा सकते हैं। परन्तु इसमें कठिनाइया है। पहिलेतो यदि किसी एक प्रकारके व्यवसायके श्रमजीवी उस व्यवसायको छोड़कर

अन्य व्यवसायोंमें जानेकी चेष्टा करते और इनप्रकार उच्च व्यवसायमें श्रमजीवियों को कम करके अपने पारिश्रमिक को बढवानेमें अधिक गमयें होने। परन्तु यद्यपि इन प्रकारके व्यवसायोंके श्रमजीवियोंने आय-कर दिया जाता होता एक व्यवसायके उच्च व्यवसायमें जानेसे कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि आय-कर व भाग्ये पारदर्शपूर्ण श्रमजीवी अपने काम करनेके घटे कम और अवशेष अधिक पानेवाला चाहता हो, तो पारिश्रमिक बढनेकी सम्भावना होसकती है। परन्तु यदि कर देनेसे पचासु आय कम रहजानेके कारण कर देनेवाला अपना जीवन्तन्त्र पूर्वम्बु बनाने करनेके लिए अधिक घटे काम करना चाहें तो उसमें पारिश्रमिककी दरमें वृद्धि नहीं होगी। कौन कर देनेवाला किस प्रकारका आचरण करेगा यह साधारणतः अपने आय-स्तर पर निर्भर करता है। अधिक आय-स्तरवाले श्रमजीवी आय-कर उच्च करने में काम कम और अवशेष अधिक और निम्न स्तरवाले श्रमजीवी अधिक काम और अवशेष कम चाहेंगे। अतएव पहिली दशामें कर-भारको नियोजित करनेकी अधिक सम्भावना रहती है और दूसरी दशामें कर-भार श्रमजीवियोंपर ही रहेगा।

सापेक्ष और व्यवसाय द्वारा जो आय होती है इनपर लगाया कर साधारणतः सम्मानयित नहीं किया जासकता। व्यापारी और धनदायी लोग ही अपने

के कुछ उदाहरण द्वारा हमने समझानेकी चेष्टाकी है। यह विषय बहुत विवादका है। एक कठिनाई यह है कि करोंके कारण आर्थिक व्यवस्था कई प्रकारसे प्रभावित होती है। द्रव्यमय कर-भार को हस्तान्तरित करनेकी चेष्टासे भी आर्थिक कार्यों और सम्बन्धोंमें परिवर्तन होता है। परन्तु इस परिवर्तनसे कर-भार हस्तान्तरित हो जायेगा, यह नहीं समझना चाहिए। उदाहरणके लिए यदि राज्यने किसी व्यक्तिपर १० रु० मासिक आय-कर लगाया और उसने १० रु० मासिक वाले नौकरको निकाल दिया, तो क्या हम कह सकतेहै कि कर देनेवालेने अपने कर का भार अपने नौकर पर डाल दिया? नहीं। यदि कर देनेवालेने नौकरको निकालकर १० रु० की क्षति पूरी कर ली, तो भी वह नौकरकी सेवाओंसे वंचित रहा।

करो का आर्थिक प्रभाव

जैसाकि पिछले अध्यायोंमें लिखा जाचुका है, आधुनिक राज्य समाजकी आयका बड़ा हिस्सा कर के रूपमें ले लेतेहै और उसको अनेक प्रकारसे भिन्न भिन्न मदोंमें व्यय करते है। इसका समाजके आर्थिक कार्यों जैसे उत्पादन, उपभोग, नियोग, वितरण, पूजीके बनने तथा लगाने और आर्थिक प्रगतिपर बहुत प्रभाव पडता है। इस प्रभावका आंशिक विवेचन राज्यके व्ययके अध्यायमें किया जाचुका है। परन्तु व्यय करनेके लिए आयकी आवश्यकता होती है जोकि साधारणतः कर के रूपमें होती है। विविध प्रकारके करोंका भिन्न भिन्न आयस्तरके व्यक्तियोंपर और तत्सम्बन्धी आर्थिक क्रियाओंपर भिन्ने भिन्न प्रभाव पडता है। इस प्रकरणमें इसी विषयपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की गई है। कभी कभी राज्य ऋण लेकर भी व्यय करता है। इसका प्रभाव राज्यके ऋणवाले प्रकरणमें किया जायेगा।

करो का उत्पत्ति पर प्रभाव

कर उत्पत्तिके कुल परिमाण और उसके अन्तर्गत भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओं के परिमाणोंको, लोगोंकी कार्य करनेकी शक्ति, निपुणता और प्रवृत्ति, पूजी सचय करनेकी और उसको आर्थिक कार्योंमें लगानेकी प्रवृत्ति और आर्थिक साधनोंको एक

व्यवसायमें दूसरे व्यवसायोंमें लगानेके द्वारा प्रभावित करता है। यदि करोके लगाने के कारण कर देनेवालोंकी कार्य-क्षमता का ह्रास होता हो तो इससे उत्पत्तिके परिणाममें भी कमी आजायेगी। अतएव राज्यको चाहिए कि वह अपनी कर-पद्धति इस प्रकारकी बनाये जिससे एक विधेय आय-स्तरसे निम्न आयवाले व्यक्तियोंपर कर का भार न पड़े। यह आयस्तर एक अपेक्षित जीवन-स्तर बनाये रखनेके आधारपर निर्धारित होना चाहिए। यदि इस स्तरसे निम्न आयस्तरोंके व्यक्तियोंपर कर-भार डाला जाये तो वे जीवन-निर्वाह और कार्य-कुशलता वाली वस्तुओंको उचित मात्रामें उपभोग करनेसे वंचित रहेंगे। इससे न केवल उनकी कार्य-क्षमता और स्वास्थ्यको क्षति पहुँचेगी, बल्कि उनके वृद्धोंको उपयुक्त भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि न मिल सकनेके कारण भविष्यकी उत्पत्तिकी मात्रामें भी क्षति होनेकी आशंका है।

यदि राज्य किसी मनुष्यकी आयका एक भाग कर के रूपमें लेले तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके कार्य करनेकी प्रवृत्ति और पूजी संचय करनेकी प्रवृत्तिमें गिरावट आजाये। यदि ऐसा हुआ तो उत्पत्तिकी मात्रामें क्षति होनेकी सम्भावना है। ऐसा होगा अथवा नहीं, यह कर का स्वरूप, उसकी मात्रा, और कर देनेवालोंकी प्रतिनिध्यापर अवलम्बित रहता है। जिन लोगोंपर एक बड़े कुटुम्बका भार है, यदि उनकी आय कर देनेके कारण पर्याप्त नहीं होती, तो सम्भव है कि ऐसे लोग अपने जीवन-स्तरको बनाये रखनेके लिए अधिक कार्य करनेको बाध्य हों। इसी प्रकार जो लोग भविष्यमें एक निश्चित आय बनाये रखनेके लिए बचत करते हैं, कर-भार के कारण बचनकी मात्रा बनाये रखनेके लिए भी उनको अधिक उद्योग करना पड़ेगा। पार्लियामेन्टकी अवसरपर कर-भारसे उद्योग और उत्पत्तिकी मात्रामें अधिक क्षति होनेकी सम्भावना है। परन्तु आर्थिक उत्कर्षके कालमें उत्पादक लोग इन्हीं करोंमें सुधार नहीं करवाने और उत्पत्तिके कार्यको आगे बढ़ाते रहते हैं।

जो कर अनुपेक्षित आयपर लगाये जाते हैं, उनका कार्य करनेकी अभिलाषा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीप्रकार इस प्रकारके एकाधिकारी पर कर का जोहि उन्में एक निर्धारित परिमाणमें अथवा उनके लाभों पर निर्धारित कर तिबादमें लिया जाता है, एकाधिकारीको अपने व्यवसायकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उनकाधिकार-कर के कारण उनकाभित्तिकी मात्रा में कोई प्रभाव पड़े तो ऐसी अवस्थामें सम्भवतः वह उद्योग करने की प्रवृत्ति में

में लगे रहनेको चेष्टा करेगा जिससे उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि होगी।

आय-कर साधारणतः वर्धमान होते हैं। अतएव बहुत सम्भवहै कि ऊंचे आय-स्तर पर जहांपर कि दर बहुत बढ जातीहै, इस प्रकारका कर उद्योग और पूजीके मन्त्रमें कमी लाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। यह कहना कठिनहै कि किस आय-स्तर पर कर की कौनसी दर इस प्रकारका प्रभाव उत्पन्न करेगी। यदि आय-कर इस प्रकार लगाया जाये जिससे परिश्रमसे प्राप्त आयपर उसकी दर कमहो और सम्पत्ति से प्राप्त आयपर अधिकहो, तो वचत और पूजीकी मात्रामें कमी आनेकी सम्भावना रहेगी।

पूर्वकालमें एक ऐसी धारणा थी कि यदि आर्थिक साधनोको भिन्न भिन्न व्यवसायोमें प्रवेश करनेमें कोई व्याघात न हो तो स्वयमेव उनका वितरण इस प्रकारसे हो जायेगा जिससे वेही वस्तुए उतनेही परिमाणमें उत्पादित की जायेंगी जो उपभोक्ताओको अपेक्षित हो। यदि राज्य अपनी कर-नीति द्वारा इसमें व्यवधान उत्पन्न करे, तो इससे इस प्रवृत्तिमें रुकावट होगी और साधनोका भिन्न भिन्न व्यवसायोमें उपयुक्त वितरण नही हो पायेगा, यह तर्क ठीक नही है। पूजीवादमें इस प्रकार की परिस्थिति रहतीहै जिसके कारण भिन्न भिन्न वस्तुओका परिमाण समाजके हितके लिए नही, अपितु पूजीपतियोके लाभकी दृष्टिसे होता है। अतएव राज्यको हस्तक्षेप करना पड़ता है। करोके प्रयोगसे आर्थिक साधनोके भिन्न भिन्न व्यवसायोमें वितरणको बदला जासकता है। ऐसा होसकता है कि राज्य भूलसे अथवा परिस्थितिवश इस प्रकारके कर लगादे जिससे साधनोका वितरण अनपेक्षित होजाये। उदाहरणके लिए, यदि दूधपर कर लगानेके कारण उसका मूल्य बढजाये, और दूध की माग कम होनेके कारण गो-पालनके व्यवसायमें कमी होजाये तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चो तथा रोगियोके क्षेमकी क्षति होनेकी सम्भावना है। परन्तु यदि शराब और अन्य नशीली वस्तुओपर कर लगानेसे उनके उपभोग और उत्पादनमें कमी हो और उन व्यवसायोसे निकालकर साधनोको अधिक उपयोगी व्यवसायोमें लगाया जाये, तो इससे समाजका हित होगा। इसी प्रकार यदि विदेशी प्रतियोगिता के कारण ऐसे उद्योग धन्धे जिनका स्वदेशमें होना आवश्यक है, न पनपने पायें तो इस प्रकारकी विदेशोसे आनेवाली वस्तुओपर सरक्षण कर लगाकर देशमें उत्पत्तिके साधनोको इन उद्योग-धन्धोकी ओर आकृष्ट किया जासकता है। परन्तु इस बात

का ध्यान रखना पड़ता है कि सरक्षण-कर बड़ी सावधानीसे देगके हितोको न कि किसी नम्या विशेष के हितोको दृष्टिमें रखकर लगाया जाये ।

करों का वितरण और नियोग पर प्रभाव

पूजीवादी आर्थिक व्यवस्थामें समय समयपर उत्पत्तिके साधनोंमें वेगरो आजाती हैं, जिनके फलस्वरूप आर्थिक उद्योगमें शिथिलता और राष्ट्रीय आयमें भी क्षति आजाती है। कुछ समय पहिले एक विचार-धारा प्रचलित थी कि स्वतन्त्र आर्थिक पद्धतिमें थोड़ीसी अनिवार्य वेकारोको छोड़कर प्रतियोगिताके कारण लागत मूल्य-स्तरमें एक प्रकारका बदलाव होजाता है जिसमे स्वयमेव सभी साधन किसी न किसी व्यवसायमें लगजाते हैं, परन्तु वास्तवमें यह स्थिति पाई नहीं जाती। आधुनिक अर्थशास्त्री इन विचारके हैं कि पूजीवादी व्यवस्थामें आर्थिक कार्यों (उद्योगों) की दमनगीलनामें रुकावट पंदा करनेवाले कुछ इस प्रकारके विचार उत्पन्न हाजाते हैं जिसका निराकरण स्वयमेव नहीं होसकता। इनमें आयके वितरण और उपयोग, अथवा पूजीके लगावमें असमबद्धता होजाना एक प्रधान विकार है। चूंकि पूजी-पादमें उत्पत्ति मागपर निर्भर रहतीहै, अनएव उनको प्रगतिसील बनाये रखनेके लिए माग आवश्यक है कि मागका परिमाण न केवल बना ही रहे, बल्कि उनमें वृद्धि ही। अतः माग, मशीन, फल कारखाने इत्यादि वस्तुओंकी माग अन्ततोगत्वा उपभोग की वस्तुओंकी मागपर ही अवलम्बित रहती है। अब यदि उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें अल्प अथवा उत्पन्न होजाये तो इनमें सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमें अल्पवस्था उत्पन्न पाजाती है। आर्थिक व्यवस्थाकी स्थितिके लिए यह आवश्यक है कि उपभोगकी मागपूर्वकी और उत्पादक वस्तुओंकी माग बनी रहे। नमाइती आदये दो मुख्य कारण हैं। एकमात्र तो उपभोगके पदाओंमें व्यवस्था जाताहै और दूसरा भाग व्यवस्थाके मागों, जो पूजा बनाने व्यवस्थाओंमें लगाया जावती, अन्तु व्यवस्थाके पूजाके मागमें प्रयत्न नहीं होजाती। पूजीवति धर्मनी व्यवस्थाके अन्तर्गत सभी उपभोग उचित रूपसे चालनी आस्ये। यदि व्यवस्थाके मागमें अल्पवस्था उत्पन्न होजाती है तो पूजावति व्यवस्थाके मागमें अल्पवस्था उत्पन्न होजाती है। व्यवस्थाके मागमें अल्पवस्था उत्पन्न होजाती है। व्यवस्थाके मागमें अल्पवस्था उत्पन्न होजाती है।

लोगोंके पास एकत्रित होजाता है जिनमें वचत करनेकी शक्ति एव प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसी परिस्थितिमें उपभोगकी वस्तुओंकी मागमें गिथिलता आजाती है। नाभकी आशा कम होनेलगती है और पूजीके लगावकी मात्रा भी घटने लगती है। फलस्वरूप उत्पत्तिके साधनोंमें बेकारी और राष्ट्रीय आयमें कमी आजाती है।

राज्य इस परिस्थितिका सामना करनेके लिए कुछ अश तक कर-नीतिका प्रयोग करसकता है। कर-नीति द्वारा आयके वितरणमें असमानता कम की जासकती है। यदि कर का भार निम्न आय-स्तरोपर कम करदियाजाये तो इससे उपभोगके पदार्थोंकी मागको प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इस श्रेणीके लोग अपनी आयका बहुत बडा भाग उपभोगके पदार्थोंमें ही व्यय करते हैं। इसीप्रकार राज्य यदि ऐसी वस्तुओंपर कर घटा या हटा दे जिनको साधारण आयके व्यक्ति अधिक मात्रामें मोल लेते हैं, तोभी मागको प्रोत्साहन मिलेगा। इसप्रकार हम देखतेहैं कि वर्धमान-कर-प्रणाली जिसके द्वारा वितरणकी असमानता कुछ अशतक कम की जासकती है केवल नैतिक दृष्टिकोणसे ही नहीं, अपितु आर्थिक प्रगतिको बनाये रखनेके लिए भी वाञ्छित है। यदि राज्य ऐसे कर लगाए जिनसे वह वचत जो बेकार सचित द्रव्यके रूपमें पडीहुई है, उद्योग-धन्धोंमें लगने लगे तो उससे भी आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी।

करोके आर्थिक प्रभावका जो चित्रण इस अध्यायमें किया गयाहै उससे हमको, आर्थिक व्यवस्थामें जो बदलाव होताहै, उसका पूरा रूप सामने नहीं दिखाई देता। उदाहरणके लिए हमने एक स्थानपर कहाहै कि यदि कर के कारण अल्प आयवाले व्यक्ति अपने जीवन-स्तरके घटानेको विवशहो, तो उससे उनकी, तथा उनकी सन्तानकी कार्य-कुशलता एव स्वास्थ्यको क्षति पहुचेंगी। यह चित्र अपूर्ण है। यदि राज्य इस प्रकारके करकी आयके व्ययसे इस श्रेणीके लोगोंको कम मूल्यपर खाने पीने की वस्तुओं और कम किरायेपर रहने योग्य मकान सुलभ कराये और उनके बच्चों के लिए निः शुल्क शिक्षा, दवा इत्यादिका प्रबन्धहो, तो जो क्षति उनको कर देनेसे होतीहै उसकी पूर्तिसे भी अधिक क्षेम उनको राज्यकी व्यय-नीति द्वारा होसकता है। आलोचनाकी सुगमताके लिए हमने व्यय और कर-नीतिके आर्थिक प्रभावको अलग अलग दिया है। वस्तुतः राज्यकी व्यय तथा कर-नीति द्वारा उत्पन्न आर्थिक प्रभाव का पूर्ण चित्र एकसाथ देखना चाहिए।

राज्यको समाजके हितके लिए कुछ इसप्रकार के निर्माण कार्य करने पड़ते हैं जिनपर बहुत द्रव्य व्यय करना पड़ता है। इनका द्रव्य राज्यकी सामान्य आयसे प्राप्त नहीं होसकता है। उदाहरणके लिए बड़ी बड़ी नहरें खुदवाने, सड़कें और पुल बनवाने, बड़ी मात्रामे जंगल लगवाने, भूमिकी उन्नति करने तथा नदियोंकी घाटियोंके निर्माण-कार्योंके लिए राज्यको बहुत बड़ी मात्रामें व्यय करना पड़ता है। यदि इन निर्माण-कार्योंके सम्पादनके लिए राज्यकी सामान्य आयका ही भरोसा किया जायतो इसमें बहुत अधिक समय लगजायगा और कार्यभी रुक रुक कर होगा। आवश्यकता इसवात कीहै कि इसप्रकार के आर्थिक निर्माणके कार्य यथाशीघ्र पूरे किये जायें। अतएव राज्यको ऋणका ही सहारा लेना पड़ता है। इसप्रकार का ऋण स्वभावतः दीर्घकालीन होताहै और राज्य बौड, सिक्कूरिटी इत्यादि साख-पत्रोंके द्वारा इन प्रयोजनोंके लिए दीर्घकालीन पूजा ऋणके रूपमें प्राप्त करते हैं।

इस प्रकरणमें राज्यके निर्माण कार्यको दो भागोंमें विभाजित किया जासकता है। एक प्रकारके कार्य वे हैं जिनके निर्माणके पश्चात् उनसेही द्रव्यके रूपमें इतनी आय होजाती है कि उससे ऋणपर व्याज और ऋणके कुछ अंशको चुकता करनेके लिए भी रकम बचजाती है। भारतमें ऐसी अनेक नहरेंहैं और रेलेंहैं जोकि ऋण लेकर बनायी गयीहैं और उनसे जो आय होतीहै उससे प्रतिवर्ष व्याज चुकाकर ऋण परिशोधन-कोषमें भी कुछ रकम डाल दीजाती है। इसप्रकार का ऋण उत्पादक ऋण कहलाता है। दूसरे प्रकारका ऋण वहहै जिसके निर्माण कार्यसे द्रव्य रूपमें इस प्रकारकी आय नहीं होतीहै जैसे सड़कें, पुल और अस्पताल एव पाठशालाकी इमारतें आदि। ये कार्यभी आर्थिक उन्नतिके लिए आवश्यकहै और इनसेभी उत्पत्तिकी मात्रामें वृद्धि करनेमें सहायता मिलतीहै, परन्तु प्रत्यक्ष द्रव्यके रूपमें इतनी आय नहीं होती कि उस आयसे व्याज और ऋण चुकता किया जासके।

आर्थिक अपकर्षके अवसरपर भी राज्यको ऋण लेनेकी आवश्यकता पड जाती है। उद्योग-धन्धो और वाणिज्य व्यवसायके गर्तमें पड जानेके कारण उत्पादनके साधनो और प्रधानतः श्रमजीवियोंमें बहुत बेकारी आजाती है। राज्यका कर्तव्य होजाताहै कि बेकारोंको आर्थिक सहायतादे ओर आर्थिक व्यवस्थाको भी गर्तसे निकालकर समृद्धिकी ओर अग्रसर करे। इन कार्योमें बहुत रुपया व्यय होताहै जो कि कर-द्वारा प्राप्त नहीं होसकता है। वैसेही राष्ट्रीय आयके गिरजानेसे आर्थिक

इस तर्कमें कोई सार नहीं है। जहातक युद्धके भारका प्रश्न है वह युद्ध कालीन पीढी पर ही पडता है, क्योंकि इसी पीढीको अनेक प्रकारकी वस्तुओं और सेवाओंसे वंचित रहना पडता है। जहांतक भविष्यकी जनताका प्रश्न है व्याज और ऋण परिशोधके लिए उसपर जो कर लगाया जाता है वह उसीको वापस मिलजाता है। हा, ऐसा होसकता है कि राज्यको ऋण देनेवाले ऊंचे आय-स्तर वालेहो और कर देनेवालों में अधिकांश निम्न आय-स्तरके लोग हों। ऐसी अवस्थासे आयके वितरणमें अधिक विषमता आजायेगी और ऋणका भार निम्न आयवाली जनतापर अधिक पडेगा। यदि राज्य अन्य राष्ट्रोंसे ऋण ले, तो अवश्यही इस ऋणका भार भविष्यकी जनता पर पडेगा, क्योंकि हमको उन सामग्रियोंसे अपनेको वंचित करना पडेगा जिनके द्वारा ऋणका परिशोध किया जायगा।

करोके द्वारा युद्धके लिए आय-संचय करनेके पक्षमें कहा जाता है कि जब ऋण लेनेपर भी युद्धका भार वर्तमान पीढीपर ही पडता है तो इसी भारको करके रूपमें ही क्यों न यह पीढी वहन करे। इससे राज्यको भविष्यमें व्याज और ऋण-परिशोध के लिए चिन्ता न करनी पडेगी। यहभी कहा जाता है कि यदि युद्धके आरम्भमें ही पर्याप्त मात्रामें करोमें वृद्धि करदी जाय तो जनता कम आवश्यक वस्तुओं और सेवाओंके उपभोगकी मात्रामें कमी करके उत्पत्तिके साधनोंको युद्धकी सामग्रियोंके लिए मुक्त करदेगी। कर पक्षवालोंका यहभी कहना है कि यदि राज्य अधिक मात्रा में बैंकोसे अथवा बैंकों द्वारा उपलब्ध द्रव्योंको अन्य व्यक्तियों अथवा सस्थाओंसे ऋणके रूपमें लेकर व्यय करे तो इससे द्रव्य-स्फीतिकी आशंका रहती है। इन तर्कों में कुछ सार अवश्य है, परन्तु जैसाकि हम ऊपर लिख आयेहैं पर्याप्त मात्रामें कर लगानेमें राज्यको अनेक प्रकारकी समस्याओंका सामना करना पडता है। परन्तु शनैः शनैः राज्यको अपनी कर-प्रणालीको समयोचित बनाकर और जनतामें भी विश्वास पैदा करके अपनी कर-आय बढ़ानी चाहिए। अन्ततोगत्वा युद्ध व्यय का एक बड़ा भाग करकी आयसे ही चुकाना चाहिए। जहातक द्रव्य-स्फीतिका प्रश्न है यह वास्तवमें चिन्ताका विषय है। जबतक बेकार आर्थिक साधनोंको पूर्ण रूपसे नियोजित नहीं किया जासकता है तब तक द्रव्य-स्फीति जनित कष्टों और दुरावस्थाओं का अधिक भय नहीं है। परन्तु लम्बी अवधिके युद्धमें शीघ्रही ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि कामके योग्य सभी साधन नियुक्त होजाते हैं। ऐसी अवस्थामें ऋण-

अयमें द्रव्य-स्फीति जनित मूल्य-वृद्धि होनेके कारण अव्यवस्था और निम्न-आय-स्तर वालोको परेशानी उठानी पडती है । इसका आंगिक निराकरण करनेकेलिए ही मूल्य-निगन्धण और आवश्यक वस्तुओको परिमित मात्रामें मभीको उपलब्ध करानेके लिए राज्यको प्रबन्ध करना पडता है ।

ऋण अथवा कर

उपर्युक्त विवेचनमें ज्ञात होजाताहै कि ऐसी अवस्थाएँ और समस्याएँ उत्पन्न होती रहतीहै जिनके सम्बन्धमें राज्य कर-आयपर ही निर्भर नहीं रहसकता है । यह भावतेहै की कि क्यासम्भव राज्यको अपनी आवश्यकताओकी पूर्ति कर-आय ने ही करती चाहिए यह बातभी निर्विवादहै कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्थामें राज्य-रूपका भी एक महत्व पूर्ण न्याय है । ऋण और करको एक दूसरेका प्रतिद्वन्द्वी नही परन्तु पूरक सम्भना चाहिए और युक्ति पूर्वक उनका नामजस्य करना चाहिए । इस अवस्थामें ऋण लियाजाना चाहिए और जिस अवस्थामें तरलता चाहिए वही जिस प्रकार उनका सम्भरण करना चाहिए उनका निर्णय तन्कालीन आर्थिक स्थिति, कर भाग, कर दानाओकी मनन्धिति और वस्तुओकी उपलब्धता और अर्थव्यवस्थापर निर्भर होगा । इस सम्बन्धमें हम आर्थिक व्यवस्था और मूद्र-व्यवस्थाके

राज्य वजटकी वचतकी रकमसे बाजारमें वौड खरीद कर ऋणकी मात्रा कम करे । इस उपायसे अधिक सफलता मिलनेकी आशा नहीं की जासकती । पहिले तो आज-कालके वजटमें वचत होनेकी सम्भावना ही कम रहती है जबतक कि विशेष रूपसे उसका प्रबन्ध न किया जाय । इसके अतिरिक्त वौड यदि नामांकित मूल्यसे कम मूल्यपर विक्रेत भी लाभ होसकता है ।

ऋण-परिशोधन-कोष

कभी कभी ऋण चुकानेके लिए परिशोधन-कोषकी स्थापना की जाती है । कुछ समय पूर्व एक प्रथा यहथी कि ऋण लेनेके पश्चात् उसके परिशोधनके लिए एक कोषमें प्रतिवर्ष इतना द्रव्य जमा किया जाताथा जोकि चक्र वृद्धि व्याज सहित ऋणकी अवधि पूरी होते होते ऋणके परिमाणके बराबर होजाये । यह प्रथा पश्चिमी देशों में चली थी । आधुनिक कालमें इसमें कुछ परिवर्तन होगया है । अब यह आवश्यक नहीं है कि कोषमें द्रव्य इस हिसाबसे जमा कियाजाय कि वह ऋण अवधि तक इसके परिमाणके बराबर होजाये । कोईभी कोष जो ऋण कम करनेके लिए बनाया जाता है उसको ऋण-परिशोधन-कोष कहते हैं । यह आवश्यक नहीं कि इसमें द्रव्य जमा होता रहा हो । यह कभीभी वौड खरीदनेके काममें लिया जासकता है । इसमें साल में जो कुछ रुपया वजटमें वच जाय वह जमा किया जासकता है अथवा इसके लिए वजटमें विशेष रूपसे एक निर्धारित रकमका प्रबन्ध किया जाता है अथवा आयकी किसी विशेष मदसे जो प्राप्ति हो वह इस कोषमें डाल दीजाती है । इसप्रकार के कोषसे लेनदारोंको आश्वासन रहता है कि समयपर उनके ऋणका भुगतान होजायगा । परन्तु इस कोषको सुरक्षित रखना, इसका समुचित प्रबन्ध करना और अन्य मदोंपर व्यय न करना इत्यादि समस्याएँ इसके साथ लगी हुई हैं ।

विशेष पूजा कर

प्रथम महायुद्धके बाद राज्य-ऋणको शीघ्रतासे और बड़ी मात्रामें कम करनेके लिए एक मुभाव यह रखागया कि समाजकी पूजापर एकही बार एक विशेष कर लगाया

जाय और हमने जो आयहो उससे इकट्ठाही राज्य-ऋणका परिशोध किया जाये। उनके पक्षमें यह कहागया कि युद्धकालमें अनेक व्यक्तियों और सस्थाओंकी पूजीमें युद्ध जनिन कारणोंसे बडी मात्रामें वृद्धिहुई, अतएव इस पूजी-कर का भार इन्ही कारणोंपर पड़ेगा, और चूकि इस प्रकारके लोग अधिकतर सम्पन्न होतेहैं और कर भी वर्धमान सिद्धान्तके अनुसार लगाया जायगा, अतएव इसका भार हैसियतके अनु-गार हीना त्रिमने धनके वितरणकी असमानतामें भी कमी होगी। इस पूजी-कर के प्रतिफलभी अनेक बातें कहीगयीं। कहागया कि युद्ध ऋण सारे देशकी भलाईके लिए लियागया था तब उसका भार थोड़ेसे सम्पन्न लोगोपर ही क्यों डाला जा रहा है? इसका परिणाम यह होगा कि जिन लोगोंने वचतकी है और पूजी बढ़ाईहै उनको एक अन्तका दंड मिलेगा और जिन लोगोंने अपनी आय भोग-विलासमें लगादी वह छूट जायेगा। हमने वचत करनेकी प्रवृत्तिको धक्का लगेगा। यदि हम करकी दर घाटीहुई तो उद्योग-धन्वोंमें पूजी लगानेमें भी उत्साह मन्दा पडसकता है। हमके कर्तव्य यदि इस प्रकारका कर राज्य बराबर लगाने लगे तो कुछ समय बाद हमारी सुगति राज्यके पास चली जायगी।

राज्य-ऋण चुगानेका यह उपाय विशेष रूपसे काममें नहीं लाया गया। कुछ देशोंमें एक विशेष कर अवश्य काममें लायागया, जोकि आय-कर के सदृश था। यह एक वर्गीय मात्रामें और वर्धमान नियमानुसार निर्धारित कियागया त्रिमता। भुग-मान करके विषयोंमें कई वर्षोंकी अवधिमें फैलाकर कर दियागया था।

नये बौडोसे बदल लेतेहैं। उस समय ऋण सम्बन्धी शर्तोंमें परिवर्तनभी करसकते हैं। उदाहरणके लिए व्याजकी दर घटासकते हैं अथवा यदि पुराने ऋण आय-कर से मुक्तहो तो उनपर आय-कर लगाया जासकता है। सकटावस्थामें जब राज्य ऋण लेताहै तो उसको बहुधा अधिक व्याजकी दर देनीपड़ती है। यदि ऋण-परिवर्तनके समय व्याजकी दर गिरगई होतो राज्य अधिक व्याजके ऋणको कम व्याजके ऋण में परिवर्तन कर व्याजके भारको कम करसकते हैं। आधुनिक कालमें सरकारी बौड इस प्रकारसे लिखेजाते हैं कि कुछ अवधिके बाद राज्यको अधिकार रहताहै कि वह चाहे तो ऋणका भुगतान करसकता है। एक १०/३० बौडका यह तात्पर्य होताहै कि ३० वर्षके बाद तो राज्य इस बौडका अवश्यही भुगतान करेगा, परन्तु १० वर्ष के बाद राज्यको अधिकार होजायगा कि वह जब चाहे तब भुगतान करे। यदि दस और तीस वर्षके बीच व्याजकी दर गिरगई होतो राज्य पुराने ऋणको कम व्याज वाने नये ऋणमें परिवर्तित कर सकता है।

अल्प-काल	Short period
अल्पकालिक पूजी	Short time money
अवकाश	Leisure
अवरुद्ध	Blocked
अविनिमय माध्य	Inconvertible
अविभाज्यता	Indivisibility
अविशिष्ट साधन	Non-specific factors
अस्थायी-सन्तुलन	Temporary equilibrium
अशुद्ध बाजार	Imperfect market
आकडे	Statistics
आर्थिक चक्र	Trade cycle
आर्थिक सहायता	Bounty
आनुपातिक कर	Proportional tax
आनुमानिक रीति	Deductive method
आभास-कर	Quasi-rent
आभ्यान्तरिक वचनें	Internal economies
आय उद्देश्य	Economic motive
आय-उपभोग रेखा	Income-consumption line
आय रेखा	Income line
आयात	Import
आय-कर	Income tax
आयात कर	Import duty
आरम्भ स्थान	Origin
आरोग्य विज्ञान	Hygiene
आवश्यकता	Want
उत्कर्ष	Prosperity
उत्कृष्ट हिस्सा	Preference Share
उत्पत्ति	Product; Output
उत्पत्ति विभेदीकरण	Product differentiation
उत्पादक	Producer
उत्पादक वस्तु	Producers' goods
उत्पादन	Production

एकरस पूंजी	Constant capital
एकरूपता	Uniformity
एकाधिकार	Monopoly
एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा	Monopolistic competition
ऐतिहासिक रीति	Historical method
श्रीद्योगिक क्रान्ति	Industrial revolution
श्रीसत आय	Average revenue
श्रीसत उत्पादन-व्यय	Average cost
कच्चा माल	Raw material
कठकर्तन प्रतिस्पर्धा	Cut-throat competition
कबीला	Tribe
कर	Tax
कर-भार	Burden of taxation
कर्म-शाला	Factory
क्रय	Purchase
क्रय-शक्ति	Purchasing power
क्रय-शक्ति क्षमता	Purchasing power parity
क्रमागत-उपयोगिता- ह्रासनियम	Law of diminishing utility
कार्य-कुशलता	Efficiency
कार्यगत गतिशीलता	Occupational mobility
कुनबा	Family
कुशल श्रम	Skilled labour
कृषि सिद्धान्त	Harvest theory
कोष	Fund
खगोल-शास्त्र	Astronomy
गत्याध्ययन	Motion study
गतिवृद्धि सिद्धान्त	Acceleration principle
गतिशीलता	Mobility
ग्राहक	Buyer
गिरोह	Group
गुणक सिद्धान्त	Multiplier principle

घनत्व	Density
घनीकरण	Intensification
चक्रानुवर्तन	Rotation
चलन	Currency; Circulation
चलन का वेग	Velocity of circulation
चालू हिसाब	Current account
चिरस्थायी	Durable
जनन शक्ति	Fecundity
ज्यामिति	Geometry
जीवन-स्तर	Standard of living
जैसी-लेनी-वैसी-देनी धारा	Reciprocity clause
जोखिम	Risk
टकसाल	Mint
टकसाल दर	Mint value
टिकाऊ	Durable
ढंलाई	Coinage
ढलान	Slope
तटस्थ	Neutral
तटस्थता	Indifference
तटस्थ तालिका	Indifference schedule
तटस्थ रेखा	Indifference curve
तटस्थ रेखाचित्र	Indifference chart
तात्कालिक धरोहर	Demand deposit
तात्कालिक विनिमय	Spot exchange
तीव्रता	Intensity
तुलनात्मक व्यय	Comparative cost
तुलनात्मक-व्यय सिद्धान्त	Theory of comparative cost
तुरन्त-देय ऋण	Loan at call
तृप्ति	Satisfaction
थोक मूल्य	Wholesale price

थोक विक्रेता	Wholesale dealer
दर्शनी-टुंडा	Sight bill
दीर्घकाल	Long period
देनदार	Debtor
देय	Levy
देगगत गतिशीलता	Place mobility
द्रव्य	Money
द्रव्य-प्रसार	Expansion of money
द्रव्यमयी	Monetary
द्रव्य-वरीयता	Liquidity preference
द्रव्य-विनिमय क्षमता	Liquidity
द्रव्य संचय सिद्धान्त	Cash balance theory
द्रव्य-स्फीति	Inflation
द्वयाधिकार	Duopoly
द्वारताल	Lock out
द्विधातु पद्धति	Bimetallism
धनात्मक	Positive
धरोहर	Deposit
धात्विक कोष	Metallic reserve
धात्विक द्रव्य	Metallic money
नकदी	Cash
नम्यता	Flexibility
नवीनता	Innovation
नामांकित मूल्य	Face value
निःशुल्क	Free
निजी पूजी	Private capital
निर्धारित कार्यक्रम	Planning
नियोग	Employment
नियोक्ता	Employer
न्यूनतम-विभेदीकरणका सिद्धान्त	Law of minimum differen- tiation

निर्मित माल	Manufactured goods
नियन्त्रित विदेशी विनिमय	Exchange control
निर्यात	Export
निर्यात कर	Export duty
निरपेक्ष	Absolute
निरपेक्ष जनसंख्या आधिक्य	Absolute over-population
निरोधात्मक प्रतिबन्ध	Preventive checks
नीति शास्त्र	Ethics
पंच	Arbitrator
परस्पर-चुकाईका समझौता	Bilateral clearing agreement
परिणाम	Result
परिमाण	Quantity
परिवर्तनीय अनुपातका सिद्धान्त	Law of variable proportion
परोक्ष	Indirect
परिवर्तनशील पूँजी	Variable capital
परोक्ष आयात	Invisible import
परोक्ष कर	Indirect tax
पारिश्रमिक	Wages
पुनर्व्यवस्था	Re-organisation
पुनरावृत्ति	Repetition
पूँजी	Capital
पूँजी-कर	Capital levy
पूँजी लगाना	Invest
पूँजी का लगाव	Investment
पूँजीवाद	Capitalism
पूरक	Complementary
पूरक-व्यय	Supplementary cost
पूर्ण उद्यम	Full employment
पूर्ण प्रतिस्पर्धा	Perfect competition
पूर्ति	Supply
पूर्ति-तालिका	Supply schedule

पूर्वाविधारणा	Motive
प्रकृष्ट कृषि	Intensive cultivation
प्रगति	Progress
प्रगतिशील अर्थशास्त्र	Dynamic economy
प्रत्यावर्तनशील पूजी	Circulating capital
प्रत्यक्ष	Direct
प्रत्यक्ष आयात	Direct import
प्रत्यक्ष कर	Direct levy
प्रतिरूप	Model
प्रतिनिधि द्रव्य	Representative money
प्रतिनिधि	Substitute
प्रतिनिधि उद्योग संस्था	Representative firm
प्रतिपत्रक	Counterfoil
प्रतिपोषक	Collateral
प्रतियोगिता	Competition
प्रतिलोम	Inverse
प्रतिस्पर्धा	Competition
प्रतिस्थापना	Substitution
प्रतिस्थापना सिद्धान्त	Law of substitution
प्रतिस्पर्धी पद्धति	Competitive system
प्रतिज्ञापत्र	Promissory note
प्रतीक्षा	Waiting
प्रधान रेखा	Principal axis
प्रवृत्ति	Tendency
प्रबन्धित द्रव्य पद्धति	Managed money
प्रसरण सिद्धान्त	Diffusion theory
प्रसार	Expansion
प्रशासनकारी आय	Administrative revenue
प्राणि-विद्या-शास्त्र-	Zoology
प्राकृतिक प्रतिबन्ध	Natural checks
प्रामाणिक मुद्रा	Standard coin

प्राप्त हिस्सा	Paid up capital
प्राप्ति	Returns
प्रान्तीय	Provincial
प्रान्तीय बाजार	Provincial market
फुटकर	Retail
फुटकर विक्रेता	Retail seller
वचत	Saving
वट्टा सिद्धान्त	Agio Theory
वहवाधिकार	Oligopoly
बाजार	Market
बाजार का विस्तार	Extent of market
बाजार मूलक व्यवस्था	Market economy
बाजारो की व्यवस्था	Organisation of markets
वाट	Weights and measures
वाह्य वचते	External economies
वेकारी	Unemployment
वेकारी बीमा	Unemployment insurance
भाडा	Freight
भावी क्रय-विक्रय	Future purchase and sale
भावी विनिमय	Forward exchange
भूगर्भ शास्त्र	Geology
भूमि	Land
भूमि की अवाप्ति	Land reclamation
भूमिकी घाटियोंके निर्माण कार्य	River valley project
भूमि बन्धक बैंक	Land mortgage bank
भूमिकर	Rent
भेट	Gift
भौतिक उपयोगिता	Material utility
भौतिक कल्याण	Material welfare
भौतिक पूंजी	Material capital
भौतिक शास्त्र	Physics

मजूरी कोष	Wages fund
मजूरी का काँस्य सिद्धान्त	Brazen law of wages
मजूरी का लौह सिद्धान्त	Iron law of wages
मजूरी	Wages
मजूरी कोष सिद्धान्त	Wages fund doctrine
मन्दी	Depression
मनोविज्ञान	Psychology
माक्सवाद	Marxism
माग	Demand
माग का प्रसार	Increase in demand
माग का सकुचन	Decrease in demand
माग तालिका	Demand schedule
मान नयन	Standardisation
मानव शास्त्र	Anthropology
मान अक	Weight
मितव्ययिता	Economy
मिश्रित पूजी कम्पनी	Joint stock company
मिश्रित लाभ	Gross profit
मिश्रित व्याज	Gross Interest
मिश्रित बैंक प्रणाली	Mixed banking
मुद्दती हुडी	Usance bill
मुद्रा	Coin
मूल्य	Price
मूल्य उपभोग रेखा	Price consumption line
मूल्य भेद	Price discrimination
मूल्य स्तर	Price level
मौद्रिक मजूरी	Nominal wages
मौद्रिक मूल्य	Price
मौद्रिक व्यय	Monetary costs
यद्-भाव्य नीति	Laissez faire policy
यन्त्र विज्ञान नियम	Technological law

यातायान	Transportation
यातायात के साधन	Means of communication
यात्री चेक	Travellers' cheques
योजना	Plan
रकम	Amount
रसायन शास्त्र	Chemistry
राजनीति शास्त्र	Politics
राज्य	State
राजस्व	Public finance
राज्य ऋण	Public debt
राजस्व कर	Revenue duties
राष्ट्रीय	National
राष्ट्रीय आय	National income
राष्ट्रीयकरण	Nationalisation
राष्ट्रीय पूजी	National capital
राष्ट्रीय बाजार	National market
राष्ट्रीय योजना समिति	National planning commis- sion
राजस्व प्रशासन	Financial administration
राज्य प्रमाणित द्रव्य	Lawful money
रुचि	Taste
रेखांकित कागज	Graph paper
रोकड	Cash
लम्ब	Perpendicular
लम्बरूप सघ	Vertical combination
लागत	Cost
लाभ सिद्धान्त	Benefit theory
लाभादा	Dividend
लेनदार	Creditor
लेन-देन की विषमता	Balance of payment
लेनी-देनी का नोखा	Balance sheet

लोकतन्त्रवाद	Democratism
लोकाचार	Convention
लोच	Elasticity
वक्र रेखा	Curve
वर्गीकरण	Classification
व्यय	Expenditure
व्यवस्था	Organisation
व्यवसाय	Occupation
वास्तविक आय	Real income
व्यापार चिह्न	Trade mark
व्यापारिक बैंक	Commercial bank
व्यापार की विषमता	Balance of trade
व्यापार-विषमता सिद्धान्त	Balance of trade theory
व्यापारिक समन्वय	Trade agreement
व्युत्क्रम	Inverse
वर्धमान कर	Progressive taxation
वस्तु-विनिमय	Barter
व्यापार	Trade
वास्तविक मूल्य	Intrinsic value
वास्तविक आय	Real Income
वास्तविक मजूरी	Real wages
वास्तविक व्यय	Real cost
विक्रय	Sale
विक्रय चातुर्य	Salesmanship
विक्रेता	Seller
विक्रय व्यय	Selling Cost
विकास	Development
विकल्पित	Alternative
विकेन्द्रीकरण	Decentralisation
वितरण	Distribution
विदेशी-विनिमय	Foreign exchange

विदेशी-विनिमय की बहुदर- नीति	Multiple exchange policy
वित्त कृषि	Extensive cultivation
विनिमय	Exchange
विनिमय का माध्यम	Medium of exchange
विनिमय की सम-मूल्य दर	Mint rate of exchange
विनिमय मूल्य	Value
विनिमय बैंक	Exchange bank
विनिमय समीकरण कोष	Exchange equalisation fund
विनिमय साध्य	Convertible
विश्लेषण	Analysis
विशिष्टीकरण	Specialisation
विशेषज्ञ	Expert
विशिष्ट साधन	Specific factors
विशेष देय	Special assessment
विज्ञापन व्यय	Advertising Cost
वेतन	Salary
वैकल्पिक मुद्रा पद्धति	Limping standard
वैकल्पिक व्यय	Alternative Cost
वैयक्तिक पूंजी	Personal Capital
वैज्ञानिक प्रबन्ध	Scientific management
सकुचन	Contraction
स्थाई ढुंडी	Fixed deposit
स्थाई उन्नति	Permanent improvement
स्थानापन्न	Substitute
स्थानापन्नता की लोच	Elasticity of substitution
स्थानीय	Local
स्थानीयकरण	Localisation
स्थाई पूंजी	Fixed capital
सदिच्छा	Goodwill

स्थिर अर्थ-व्यवस्था	Static economy
मन्तति निरोध	Birth control
सन्तुलन	Equilibrium
सरक्षण	Protection
सरक्षण-कर	Protective duty
स्पर्श रेखा	Tangent
सप्रभाव सूचक अंक	Weighted index number
समकोण	Right angle
सम्पत्ति	Wealth
सम्पत्ति-कर	Property tax
समय वरीयता	Time preference
समनुबन्ध	Agreement
सम्मिलित माग	Joint demand
सम्मिलित पूर्ति	Joint supply
सम्मिलित पूजी कम्पनी	Joint stock company
समतल सघ	Horizontal combination
समयगत गतिशीलता	Mobility in time
समाज शास्त्र	Sociology
समाज	Society
सामान्य मूल्य	Normal price
समानान्तर	Parallel
समाहार	Concentration
समाजवाद	Socialism
समीकरण	Equation
सर्वदेशीय व्यापार	Multilateral trade
सरकारी हुडी	Treasury bill
सर्वोत्तम नियोग	Optimum employment
स्वर्ण निर्यात दर	Gold export point
स्वर्ण आयात दर	Gold import point
स्वर्ण मुद्रा पद्धति	Gold coin standard
स्वर्ण विनिमय द्रव्य पद्धति	Gold exchange standard

स्वरूप	Nature
स्वेद पूर्ण श्रम	Sweated labour
सहकारी बैंक	Co-operative bank
सहकारी समिति	Co-operative society
साकेतिक मुद्रा	Token money
साख	Credit
साख-पत्र	Credit instrument
साख-द्रव्य	Deposit money
साख सृजन	Credit creation
साखालय	Credit institution
साभेदारी	Partnership
साभदार	Partner
सापेक्ष	Relative
सापेक्ष जनसख्या	Relative population
सामग्री	Resources
साम्यवाद	Communism
सामन्तवाद	Feudalism
सामन्त कुलीनतन्त्र	Feudal aristocracy
सामाजिक बीमा	Social insurance
सामान्य मूल्य	Normal price
सामाजिक पूजी	Social capital
सामाजिक वरीयता	Imperial preference
सामूहिक सौदा करनेकी शक्ति	Collective bargaining
सामूहिक	Collective
सीमित दायित्व	Limited liability
सीमान्त उत्पादन व्यय	Marginal Cost of production
सीमान्त आय	Marginal revenue
सुरक्षा	Security
सुरक्षित कोष	Reserve fund
सूचक अंक	Index number
सौकर्य	Facility

सौमनस्य स्थापन सभा	Conciliation board
शरीर विज्ञान-शास्त्र	Physiology
श्रमजीवी	Labourer
श्रम-विभाजन	Division of labour
श्रम बाजार	Labour market
श्रम शक्ति	Labour power
श्रमिक	Labourer
श्रमिक संघ	Trade Union
शासन	Government
शुद्ध बाजार	Perfect market
शुद्ध लाभ	Net profit
शुद्ध व्याज	Net interest
शुल्क	Fees
श्रेष्ठतम व्यवहार कियेजाने वालीराष्ट्र धारा	Most favoured nation clause
शेषाधिकारी	Residual claimant
शोषण	Exploitation
हड़ताल	Strike
हस्तान्तरण	Shifting
ह्रासमान कर	Regressive taxation
हिस्सेदार	Share holder
हुडी	Bill
होड	Competition
क्षमता सिद्धान्त	Ability theory
क्षणिक काल	Instantaneous period
क्षेम	Welfare
क्षेत्र	Scope
क्षेत्रफल	Area

अनुक्रमणिका

अन्तर्राष्ट्रीय लेनीदेनीकासामजस्य
१६१, द्रव्य कोष और विश्व-बैंक
३०५, व्यापार ३१३, माग की
लोच और—व्यापार ३१८

अर्थशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र १,
का विषय २, का क्षेत्र ६, और
विज्ञान १४, का अन्य शास्त्रों से
सम्बन्ध १५, के नियम १६

अपकर्ष आर्थिक उत्कर्ष और—
३२८, उत्कर्ष और—का प्रति-
कार ३४७

अभिनवीकरण उद्योग-धन्वोका—
१६२, का अभिप्राय १६२, के
मुख्य अंग १६२, के लाभ तथा
हानिया १६४

अवसर व्यय १२०

अविनिमयसाध्य प्रदन्धित द्रव्य
पद्धति २५५

आय प्रशासनकारी—३७०

आर्थिक विश्लेषण की रीतिया १०,
धेम १३, उन्नति और पूर्व निर्वा-
रित कार्यक्रम १७७, निर्यात और
—सहायता ३२६, प्रगति ३२८,
चक्र ३२९, चक्र के सिद्धान्त
३३४, करो का—प्रभाव ३६८,
सन्तुलन १०४,—साधन-श्रम
१३४, पद्धतिया १७०, उत्कर्ष

और अपेक्ष ३२८; कार्यों में
राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता
३५२

आवश्यकताए १८, और उनकी
विशेषताए १८

उत्कर्ष आर्थिक — और अपकर्ष
३२८, और अपकर्ष का प्रतिकार
३४७

उत्पत्ति विभेदीकरण ७१, का
क्रमगत ह्रास सिद्धान्त १२६,
बड़े परिमाण में—१५३, करो
का—पर प्रभाव ३६८

उत्पादक साधनों की गतिशीलता ७६

उत्पादन और उसका सन्तुलन
१११, व्यय सिद्धान्त ११७;
के साधन १२३, का अर्थ १२२,
के साधन (पूजी) १४४, काल
और उसकी दीर्घता १४५, अवधि
और उत्पादन शीलता १४७,
व्यय १५८, तुलनात्मक—व्यय
सिद्धान्त ३१५

उद्योग-धन्वो का अभिनवीकरण
१६२, के म्यानीकरण से
(अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का) सम्बन्ध
३१३

उपभोग का महत्त्व १८. हानि
सिद्धान्त

उपयोगिता २२, क्रमागत—ह्रास
नियम २३, कुल—और सीमान्त
उपयोगिता २५; मम सीमान्त—
नियम २८, का दोष ४९
ऋण युद्धकालीन—४०५, अथवा
कर ४०७, परिशोधन ४०७,
परिशोधन कोष ४०८; राज्य—
का प्रयोजन और महत्व ४०३,
परिवर्तन ४०९
एकाधिकार के आधार ७४, पूर्ण-
प्रतिस्पर्धा और—७०, अपूर्ण
प्रतिस्पर्धा और—की सीमा ७५
एजवर्थ ४९
ऐडम स्मिथ ११५, ११९, १२३,
१३४, १९१, १९८, ३८४
क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम २३
कृषि सम्बन्धी समुन्नति और भूमि-
कर १६५, सिद्धान्त ३३४
क्लार्क ११७, २२१-२२२
कर प्रणाली ३७५, की उत्पत्ति
और विकास ३७५, के सिद्धान्त
३७६, वर्धमान और आनुपातिक
—३८९, प्रत्यक्ष और परोक्ष—
३८१, एक-कर प्रणाली और बहु-
कर प्रणाली ३८२, सम्बन्धी
नियम ३८४, भारका हस्तान्तरण
और आर्थिक प्रभाव ३८६,
भार ३८६, को हस्तान्तरित करने
की क्रिया ३८७, एकाधिकारी पर
—३९२; मकानोपर—३९५,
खेती की भूमि पर—३९६,

आय—३९६, विशेष पूजी—
४०८
करो का आर्थिक प्रभाव ३९८, का
उत्पत्ति पर प्रभाव ३९८, का
वितरण और नियोग पर प्रभाव
४०१
काल भेद और मूल्य ८२, क्षणिक
—८३
कीन्स २१४
केन्स योजना ३०५, ३४३
केयरी ११८
कैटीला ११५
कैसल ३००
गतिशीलता उत्पादक साधनों की
—७६; भूमि की—७७; श्रम
की—७७, पूर्ण उद्यम और—
७६
गतिवृद्धि सिद्धान्त ३४५
गाडविन १३५
गित्वर्थ १६७
गुणक सिद्धान्त ३४४
ग्रेशम २४६
ग्रेशम नियम २४६
जनसंख्या १३५, में परिवर्तनो
का महत्व १३८, वृद्धिशील
—१३८, ह्रासशील—१३९
जीवन्स ११९
जोखिम और लाभ २२०
टॉसिंग १३४
टेलर १६६-१६७
डम्पिंग सरक्षण और—३२५

तटस्थ स्थिति ६८

तुर्गो ११५, १२४

तुलनात्मक व्यय १२०

द्रव्य २२३, की आवश्यकता २२३, और वचन २२६, के प्रकार २२६, धातु—२३०, साख—२३६, साख—का सृजन २४०, पद्धतिया २४४, पद्धतियों के प्रकार ४४०, का विनिमय मूल्य २६२, के विनिमय मूल्य का पारिमाणिक सिद्धान्त २६६, का सचयन सिद्धान्त २७०, के विनिमय मूल्यमें परिवर्तन का प्रभाव २७२, अन्तर्राष्ट्रीय—कोष ३०५, सम्बन्धी सिद्धान्त ३३७

द्विधातु पद्धति २४५

नाइट २२१

निकोलस ११५

निर्यात और आर्थिक सहायता ३२७

नोट २३४, विनिमयसाध्य—२३६, अविनिमयसाध्य—२३६ प्रतिस्थापना ६८, का महत्व ६८, और तटस्थ स्थिति ६८, और उपभोग १०१, और उत्पादन १०१, और वितरण १०२, की विरोधी शक्तिया १०३

प्रतिस्पर्धा अपूर्ण—और एकाधिकारकी सीमा ७५, का अर्थ ६७, पूर्ण—के फल ६६ पूर्ण—और

एकाधिकार ७०, अल्पकाल, पूर्ण—और मूल्य ८३, अपूर्ण—और मूल्य ८८; क्षणिककाल, पूर्ण—और मूल्य ८३

परिवर्तनीय अनुपात का सिद्धान्त १२८

पीगू १८१

पूर्ण उद्यम और गतिशीलता ७६

पूर्ति माग,—और मूल्य ८१

पूजी की गतिशीलता ७८, की वैकल्पिक परिभाषा १४८, विभिन्न प्रकारकी—१४८, और वचन १५०, का सरक्षण १५०, वचन और—लगाव सिद्धान्त ३४३, विशेष—कर ४०८

पूजीवाद का अर्थ १७०, के लक्षण १७१, का विकास १७३

पेटी ११५, १२३, १३५

पैरेटो ४६, १२१

फिजियोक्रैट्म् १३४, ३८२

फिशर १८०-१८१, २१२, २६६, २६६

व्याज २०८, की दर २०६, और द्रव्य वरीयता २१४, और पूजी की उत्पादनशीलता २१५

वचन और पूजी लगाव सिद्धान्त ३४३

बाजार का विस्तार ६१; अम—६३, शुद्ध—के लक्षण ६०

बाजारों के प्रकार ५६; की व्यवस्था ६३

वामवावर्क ११६, १४५, २११-
 २१२
 वारवा ११५
 वील ११५
 बुरीदान् ११५
 बेकारी ३३२
 बैक २७५; केन्द्रीय--२८२
 बैको का विकास और उनके कार्य
 २७७, की लेनी-देनी २७६
 भूमि १२५, की गतिशीलता ७७,
 कर १८८, रिकार्डों का--कर
 सिद्धान्त १८८, कर का आधु-
 निक सिद्धान्त १९३, कृषि-
 सम्बन्धी समुन्नति और--कर
 १९५, खेती की--पर कर ३९६
 मजूरी की परिभाषा १६६, का
 लौह सिद्धान्त १९७, कोष
 सिद्धान्त १९८, जीवन स्तर और
 --२०२, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और
 --२०३, नये आविष्कार और--
 २०६,
 मनोवैज्ञानिक आर्थिक उत्कर्ष-
 अपकर्ष का--सिद्धान्त ३३४
 मार्क्स ११६
 मार्क्सवाद १०४, की जग्याए
 १७५
 माप दंड मूल्य का--२२६, काल-
 यापन--२२८
 मार्शल ११८, १२४, १५२, १८०-
 १८१, १९४, २०१, २१२, २१८,
 २२०

मात्थस १२७, १३५, १३८
 माग ३३; का तात्पर्य ३३, का
 नियम ३५, में परिवर्तन ३७,
 की लोच ३६, की लोच में भिन्नता
 ४२; की लोच का महत्व ४५,
 पूर्ति और मूल्य ८१, सम्मिलित
 --९६, की लोच और अन्त-
 र्राष्ट्रीय व्यापार ३१८
 मिल १२३-१२४, १५१, २१२
 मुद्रा २३१
 मूर ३३५
 मूल्य भेद ७२, निर्धारण की विधि
 ८०, के प्रकार ८०, का महत्व
 ८०, मांग, पूर्ति और--८१,
 काल भेद--८२, क्षणिक काल,
 पूर्ण प्रतिस्पर्धा और--८३,
 अल्पकाल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा
 और--८३, अल्पकाल, एका-
 धिकार और--८७, अपूर्ण प्रति-
 स्पर्धा और--८८, बाजार
 मूल्य और सामान्य--८९,
 सम्मिलित उत्पत्ति और--९६;
 एक वस्तु के भिन्न भिन्न--९७,
 का मापदंड २२६, और उमके
 सिद्धान्त ११४, का अर्थ ११४,
 का श्रमसिद्धान्त ११५, और
 विनिमय मूल्य २६१, द्रव्य का
 विनिमय--२६१
 मूल्यों का पारस्परिक सम्बन्ध
 १०४, का सन्तुलन १०५
 नैगर २११

- युद्धकालीन ऋण ४०५
- राज्य और शासन की आवश्यकता ३५१, आर्थिक कार्यों में—के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ३५२, की आय ३६८, की आय की मदें ३६८, के उद्योग-धन्वे ३६९, की आय का वर्गीकरण ३६२, की अच्छी आय पद्धति की विशेषताएं ३७२, ऋण ४०३, ऋण का प्रयोजन और महत्व ४०३
- राजस्व के मुख्य विभाग ३५३, का स्वरूप और क्षेत्र ३५१
- राष्ट्रीय-आय १८०, का अर्थ १८०, की माप-विधि १८१, की चैकलिपक माप-विधिया १८२, और भौतिक कल्याण १८३, राष्ट्रीय आय मापने के लाभ १८५,
- रिकार्डों ११६, १२६, १८८-१८९, १९१-१९३, २०१
- रिकार्डों का भूमि-कर सिद्धान्त १८८, के सिद्धान्त की आलोचना १९१
- रोविन्स १७०
- लाभ २१७, शुद्ध और मिश्रित— २१७, का भूमि-कर सिद्धान्त २१७, जोड़ित और—२२० का प्रगतिशील सिद्धान्त २२१; अधिकतम नामाजिक—सिद्धान्त ३५५
- लांछ ११५
- व्यवस्था १५०, की आवश्यकता १९२, के रूप १२८
- वैज्ञानिकप्रबन्ध का अर्थ तथा उद्देश्य १६६, के दोष १६८
- वाकर ११८, २१७
- वालरेस १०५, ११९
- व्यापार उन्मुक्त और मरुद्धिन— ३२०
- व्यापारिक विपमता मिद्धान्त २९४, समनुबन्ध ३२७
- व्हाइट योजना ३०५
- वावी १६५
- विक्स्टीड ११९, २१५
- विक्सेल १४७, १५२
- विनिमय वस्तु—की प्रथा २२४, का माध्यम २२५, —नाध्य नोट २३६, स्वर्ण—द्रव्यपद्धति २४८, द्रव्य का—मूल्य २६१, मूल्य और —मूल्य, २६१ विदेशी—२९०; विदेशी—की आवश्यकता २९०; स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति और विदेशी —२९५, नियन्त्रित विदेशी —२९७, अविनिमय नाध्य द्रव्य पद्धति और विदेशी—३००
- विनियोग सर्वोत्तम—का सिद्धान्त १३१
- विश्वबैंक ३१०
- वीजर ११९ १२४
- वैकल्पिक व्यव १२०
- धर्म की गतिशीलता '७७, का आर

६३, और उत्पादन-व्यय सिद्धान्तों की वृद्धिया ११८; की परिभाषा १३४, कुशलता १४०, विभाजन के लाभ १४२

स्थानापन्नता की दर ५२, की लोच ५७; सीमान्त—१००, दो प्रकार की स्थानापन्न वस्तुएं ६६

स्वर्ण-द्रव्य-पद्धति २४६, अमुद्रित—२४७, के गुण और दोष २४६, का अन्त २५४

स्वर्ण मुद्रा पद्धति २४७

स्वर्ण विनिमय द्रव्य पद्धति २४८

सट्टा ६४

सन्तुलन आर्थिक १०४, मूल्यों का १०५, सस्या का १०७, उद्योग और उसका १११, उत्पादन और उसका १११

समाजवाद १७५

साख द्रव्य २३६, द्रव्य का सृजन

२४०, और साख पत्र २७५

सार्धनो की अविभाज्यता १३२

सापेक्ष मूल्य ६८

साम्यवाद १७६

सीमान्त उपयोगिता २५, सम—उपयोगिता नियम २८, उपयोगिताओं का अनुपात ५३, उत्पादन व्यय ८६-९१, आय ८६, ९२, उपयोगिता सिद्धान्त ११६; उत्पत्ति सिद्धान्त १६८, तृप्ति १०२

नूचकअक २६३

हासशील जन-संख्या १३६

हटिगटन १४०

हायेक ३३६-३४१

हायेक का सिद्धान्त ३३६

हेन्री जॉर्ज ३८२

हीट्टे ३३७-३३६

हीब्सन ३४२-३४३

को तैयार है। व्यापार तो मैत्री की नींव है—क्यों, ठीक कहा मैंने? हम शायद उन खरादों में से भी कुछ खरीदे जिनकी हमने अभी अभी जाच की है।”

रिपोर्टज —
ल० बेर्गोल्त्सेव
और व० कुपीस्को

संसार का
खरादे नहीं बन
बड़ी सम्भावनाए
अपेक्षा धातु का
अखिल स
३५ वर्ष से क
अच्छी साख है
इंगलैण्ड, फ्रांस,
स्विटजरलैण्ड, जा
अन्य देशों के बहु
जो प्रशंसाए
ग्राहक सोवियत

क० विशाप, फ० बुक्स — ब्रिटेन की 'जान्स एण्ड 151 में ही नहीं। हमने यह भी देखा कि कारखानों में ये कैसे न केवल अपना माल आपको बेचने को ही वरन् आपका में लिया गया। मास्को में आयोजित इसी प्रदर्शनी में यहाँ